




वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2014-15

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
केन्द्रीय कार्यालय : चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021. महाराष्ट्र
CENTRAL BANK OF INDIA
Central Office : Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400 021. Maharashtra



विषय-सूची /Contents

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश	2
निदेशक मंडल/ Board of Directors	6
नोटिस	7
कार्यनिष्पादन वैशिष्ट्य	27
निदेशक रिपोर्ट 2014-15	28
प्रबंधतंत्र विचार-विमर्श तथा विश्लेषण	32
कार्पोरेट गवर्नेंस	60
भारत के राष्ट्रपति को लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	81
दिनांक 31 मार्च, 2015 का तुलन पत्र	83
दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता	85
तुलन पत्र तथा लाभ हानि खाते की अनुसूचियां	87
मुख्य लेखांकन नीतियां	93
लेखों से सम्बन्धित टिप्पणियां	98
दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरणी	121
दिनांक 31 मार्च, 2015 का समेकित तुलन पत्र	163
प्रॉक्सी फॉर्म	191
Chairman & Managing Director's Message	193
Notice	195
Performance Highlights	213
Director's Report 2014-15	214
Management Discussion and Analysis	218
Corporate Governance	243
Auditors' Report to the President of India	260
Balance Sheet as on 31 March, 2015	262
Profit & Loss Account for the year ended 31st March, 2015	264
Scheduled to Balance Sheet and Profit and Loss Account	266
Principal Accounting Policies	272
Notes Forming Part of the Accounts	276
Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2015	298
Consolidated Balance Sheet as on March 31, 2015	336
Proxy Form	363
Attendance Form / Entry Form	365



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश

प्रिय शेयरधारक,

वित्तीय वर्ष 2014-15 बैंक के लिए एक सुदृढ़ीकरण का वर्ष रहा है। बाजार परिदृश्य के अनुरूप ही विकास-स्तर औसत रहा। बैंक ने अपना ध्यान कृषि, एसएमई एवं रिटेल अग्रिम जैसे व्यावसायिक क्षेत्रों पर केन्द्रित करने की कार्यनीति अपनाई, जिसके परिणाम वर्ष के दौरान प्राप्त होने शुरू हो गये हैं।

विकास की संभावनाओं के मद्देनजर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के लिए, आगामी वर्ष यद्यपि बेहतर रहना संभावित है, तथापि, निकटवर्ती समय में मंदी का प्रभाव जारी रहेगा। तेल की घटती कीमतें, वैश्विक ब्याज दरों में कमी और मजबूत यूएस अर्थव्यवस्था के चलते, विकासशील देशों के लिए आगामी वर्ष के बेहतर रहने की प्रत्याशा है। जहां चीन में विकास की रफ्तार घटकर उसके आधिकारिक लक्ष्य 7% की तुलना में कम हो रही है, वहीं भारत अगले दो वर्षों में प्रगति पथ पर बढ़ने के लिए अग्रसर है।

हाल ही में केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 के स्थान पर वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए एक नई जीडीपी सीरीज़ जारी किए जाने की एक महत्वपूर्ण घटना हुई है। इस नई सीरीज़ में परिष्कृत कार्यप्रणाली नियोजित है तथा इसमें काफी अधिक आंकड़ों का उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से भारत जीडीपी प्राक्कलन में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समकक्ष आ गया है। नए प्राक्कलन का उपयोग करते हुए, वर्ष 2015-16 में बाजार मूल्य पर देश की जीडीपी में वृद्धि 8.1 से 8.5% के बीच होने की प्रत्याशा है। तथापि, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण ने संतुलित विकास का अनुमान दर्शाया है और अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि “साक्ष्य एवं सचेतक भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी की बजाय सुधार की व्याख्या के पक्ष में पैरवी कर रहे हैं।”

सरकार द्वारा किए गए कई नीतिगत उपायों, मुद्रास्फीति में सतत कमी और घटती ब्याज दर की व्यवस्था से औद्योगिक उत्पादन एवं घरेलू उपभोग के पुनरोत्थान में महत्वपूर्ण मदद प्राप्त होगी। अतएव, सुधार एवं विकास की संभावनाओं को देखते हुए, सभी व्यावसायिक क्षेत्रों में सातत्यपूर्ण विकास के प्रति आशान्वित हुआ जा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, बैंक का व्यवसाय 6.41% की वृद्धि के साथ वित्तीय वर्ष 2013-14 के रु. 4,23,390 करोड़ से बढ़कर रु. 4,50,539 करोड़ तक पहुंच गया। बैंक के जमा एवं ऋण में वृद्धि क्रमशः 6.46% तथा 6.35% रही। कुल जमा में कासा की हिस्सेदारी, वित्तीय वर्ष 2013-14 के 33.33% के समक्ष 34.05% रही। व्यवसाय में लाभप्रद वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए, उच्च लागत जमाओं में उल्लेखनीय कमी की गई। कुल जमा में उच्च लागत जमा की हिस्सेदारी घटकर मार्च 2015 को 10.73% हो गई, जबकि मार्च 2014 में यह स्तर बहुत अधिक अर्थात् 21.84% था। समेकित कोर जमा में 21.59% की वृद्धि के माध्यम से इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।

बैंक का परिचालन लाभ वित्तीय वर्ष 2013-14 के रु.3238 करोड़ में 9.91% की वृद्धि दर्ज करते रु.3559 करोड़ हो गया। साथ ही,



बैंक ने रु.606 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष रु.(1263) करोड़ की शुद्ध हानि दर्शाई थी।

बैंक की जमा-लागत वित्तीय वर्ष 2013-14 के 7.24% से घटकर 7.22% हो गई, बैंक की शुद्ध ब्याज आय वित्तीय वर्ष 2013-14 के रु.6494 करोड़ से बढ़कर रु.7247 करोड़ हो गई, इसमें 11.60% की वृद्धि दर्ज हुई। बैंक की अन्य आय अथवा शुल्क आधारित आय वित्तीय वर्ष 2013-14 के रु.1923 करोड़ से घटकर रु.1894 करोड़ हो गई।

पिछले कुछ वर्षों से बैंक की **आस्ति गुणवत्ता** चिंता का विषय बनी हुई है। सकल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए वित्तीय वर्ष 2013-14 के 6.27% से घटकर 6.09% हो गया और शुद्ध अग्रिम की तुलना में शुद्ध एनपीए वित्तीय वर्ष 2013-14 के 3.75% से घटकर 3.61% हो गया। यह कमी बुनियादी क्षेत्र, वस्त्रोद्योग, लौह एवं इस्पात, इंजीनियरिंग तथा विनिर्माण, रत्न एवं आभूषण इत्यादि जैसे कुछ क्षेत्रों से सम्बंधित आस्तियों पर दबाव के कारण हुई। आपका बैंक एनपीए प्रबंधन के बारे में शुरू से ही सजग रहा है और वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, सकल एनपीए को 5.25% से नीचे तथा शुद्ध एनपीए को 2.20% से नीचे नियंत्रित रखने के लिए बैंक अपना प्रयास जारी रखेगा।

अर्थव्यवस्था के 'अंतिम छोर' तक पहुंचने के लिए बैंक विभिन्न वित्तीय समावेशन पहल के माध्यम से समावेशी वृद्धि में पूरी तरह से जुड़ा रहा है। सरकार का **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)** कार्यक्रम विभिन्न जिलों में लागू किया जा रहा है, इनमें से आठ जिलों में हम अग्रणी बैंक हैं। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, इन जिलों एवं नए जिलों में और अधिक विकास सुनिश्चित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से बैंक के लिए और अधिक कासा जमा संग्रहित करने तथा ऋण विस्तार का मार्ग प्रशस्त होगा। साथ ही, बैंक ने 'प्रधानमंत्री जन-धन योजना' को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है और दिनांक 31 मार्च, 2015 तक 57,17,895 खाते खोले हैं।

मार्च 2015 को अपनी 4689 शाखाओं का यह बैंक, जिसकी 2/3 शाखाएं ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं और 3677 अति-सूक्ष्म शाखाएं हैं, अपनी पहचान **रिटेल बैंक** के रूप में बनाए रखेगा। आपका बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि रिटेल एवं प्राथमिकता क्षेत्र पोर्टफोलियो अब तक की तुलना में और अधिक तेजी से विकास करे।

बैंक की दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता है।

शुभकामनाओं सहित,

आपका,

हस्ताक्षर/-

राजीव ऋषि

स्थान : दिल्ली

दिनांक : 25 मई, 2015



निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS



श्री राजीव ऋषि
Shri RAJEEV RISHI
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR



श्री आर. के. गोयल
Shri R. K. GOYAL
कार्यपालक निदेशक
Executive Director



श्री बी. के. दिवाकर
Shri B. K. DIVAKARA
कार्यपालक निदेशक
Executive Director



डॉ. आर. सी. लोढ़ा
Dr. R. C. LODHA
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

(जारी/Contd...)

निदेशक मंडल BOARD OF DIRECTORS



डॉ. सौरभ गर्ग
Dr. SAURABH GARG
भारत सरकार नामित निदेशक
Govt. of India Nominee Director



श्री शेखर भटनागर
Shri SHEKHAR BHATNAGAR
आरबीआई नामित निदेशक
RBI Nominee Director




श्री कृष्ण सेठी
Shri KRISHAN SETHI
गैर-सरकारी निदेशक
Non-Official Director



श्री एम. पी. शोरावाला
Shri M. P. SHORAWALA
गैर-सरकारी निदेशक
Non-Official Director



श्रीमती एन. एस. रत्नप्रभा
Smt. N. S. RATHNAPRABHA
गैर-सरकारी निदेशक
Non-Official Director



श्री एस. बी. रोडे
Shri S. B. RODE
अधिकारी कर्मचारी निदेशक
Officer Employee Director



श्री गुरबख्श कुमार जोशी
Shri GURBAX KUMAR JOSHI
कर्मकार कर्मचारी निदेशक
Workmen Employee Director



<p>निदेशक मंडल श्री राजीव ऋषि श्री आर.के. गोयल श्री बी.के. दिवाकर डॉ. आर. सी. लोढ़ा डॉ. सौरभ गर्ग श्री शेखर भटनागर श्री कृष्ण सेठी श्री एम.पी. शोरावाला श्री एस.बी. रोडे श्री गुरबखश कुमार जोशी श्रीमती एन.एस. रत्नप्रभा</p>	<p>BOARD OF DIRECTORS SHRI RAJEEV RISHI SHRI R.K. GOYAL SHRI B.K. DIVAKARA Dr. R.C. LODHA Dr. SAURABH GARG SHRI SHEKHAR BHATNAGAR SHRI KRISHAN SETHI SHRI M.P. SHORAWALA SHRI S.B. RODE SHRI GURBAX KUMAR JOSHI SMT. N.S. RATHNAPRABHA</p>
<p>लेखा परीक्षक मै. कुमार चोपड़ा एंड एसोशिएट्स मै. पी.के. सुब्रमणियम एंड कंपनी मै. दूगड़ एंड एसोशिएट्स मै. एन. सरकार एंड कंपनी. मै. बी. एन. मिश्रा एंड कंपनी. मै. चंदाभाय एण्ड जस्सूभाय</p>	<p>AUDITORS M/s Kumar Chopra & Associates M/s P.K. Subramaniam & Co. M/s Doogar & Associates M/s N. Sarkar & Co. M/s B.N. Misra & Co. M/s Chandabhoy & Jassoobhoy</p>
<p>रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट लिंक इन्टाइम इंडिया प्रा.लि. सी-13, पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाउंड एलबीएस मार्ग, भांडुप (पश्चिम) मुम्बई -400078 टेलीफोन: 022-25946970 फैक्स : 022-25946969 ई-मेल आईडी: rnt.helpdesk@linkintime.co.in</p>	<p>REGISTRAR AND SHARE TRANSFER AGENTS Link Intime India Pvt. Ltd. C-13, Pannalal Silk Mills Compound LBS Marg, Bhandup (West) Mumbai-400078 Tel: 022-25946970 Fax: 022-25946969 E-mail ID: rnt.helpdesk@linkintime.co.in</p>
<p>बैंक से पत्र व्यवहार करने का पता सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया 9वीं मंजिल, चंद्रमुखी नरीमन पॉइंट मुंबई-400 021 संपर्क नं. 022- 6638 7818 फैक्स : 022- 2283 5198 ई-मेल आईडी: agmcompsec@centralbank.co.in; investors@centralbank.co.in</p>	<p>ADDRESS FOR CORESPONDENCE WITH THE BANK AGM-MBD / Company Secretary and Compliance officer Central Bank of India 9th Floor, Chandermukhi Nariman Point Mumbai 400 021 Contact No. 022- 6638 7818 Fax No.: 022- 2283 5198 Email id: agmcompsec@centralbank.co.in; investors@centralbank.co.in</p>

सूचना

एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की आठवीं वार्षिक सामान्य बैठक मंगलवार, दिनांक 30 जून 2015 को पूर्वाह्न 11.00 बजे सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स प्रशिक्षण महाविद्यालय, कूपर हॉस्पिटल/ रिलायंस एनर्जी कार्यालय के पास, जे.वी.पी.डी. स्कीम, विलेपार्ले (पश्चिम), मुंबई 400056 में निम्नलिखित कारोबार के संपादन हेतु आयोजित की जाएगी।

- 1) दिनांक 31 मार्च 2015 का लेखापरीक्षित तुलनपत्र, दिनांक 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाता, लेखों द्वारा आवृत्त अवधि में बैंकों के कार्यों एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं लेखों तथा तुलनपत्र पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन तथा इन्हें स्वीकार करना।
- 2) वित्तीय वर्ष 2014-15 का लाभांश घोषित करना।
- 3) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (जिसको इसके पश्चात अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 9 (3) (i), सहपठित बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विभिन्न प्रावधान) योजना 1970 (जिसे इसके पश्चात 'योजना' कहा जाएगा), सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं बैठकें) विनियम, 1998 (जिसे इसके पश्चात 'विनियम' कहा जाएगा) जोकि अधिनियम की धारा 19 एवं अधिसूचना सं. डीबीओडी . सं. बीसी. सं. 46/29.39.001/ 2007-08 दिनांक 01 नवम्बर 2007 एवं भारतीय रिजर्व बैंक के सं. डीबीओडी.बीसी. सं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई 2011 (जिसे इसके पश्चात 'आरबीआई अधिसूचना' कहा जाएगा) के अनुसरण में निम्नलिखित संकल्प पास कर केन्द्र सरकार के अतिरिक्त अन्य शेयरधारकों में से बैंक के दो निदेशकों का चुनाव करना।

यह संकल्प लिया जाता है कि अधिनियम की धारा 9(3) (i), सहपठित योजना, उनके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसरण में केन्द्र सरकार के अतिरिक्त अन्य शेयरधारकों में से चुने गए दो निदेशकों, जो एतद्वारा चुने गए हैं / चुनी गई हैं उनके चुने जाने / चुने हुए माने जाने की अगली तारीख से कार्यभार ग्रहण करने के लिए बैंक के निदेशक चुने गए / गई हैं और वे इस प्रकार कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने तक कार्यभार संभालेंगे।

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 25.05.2015

हस्ताक्षर
(ए. के. दास)
सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/
कंपनी सचिव

नोट :

1. व्याख्यात्मक विवरणी

बैठक के कार्यकलापों के संबंध में प्रमुख तथ्य स्थापित करता व्याख्यात्मक विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न हैं।

2. विनिर्दिष्ट तारीख

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं बैठकें) विनियम, 1998 के विनियम 12 के अनुसरण में केन्द्र सरकार के अतिरिक्त अन्य शेयरधारकों में से निदेशकों के चुनाव में सहभागिता अर्थात नामांकन करने, चुनाव लड़ने एवं वोट देने हेतु पात्र शेयरधारकों के नामों का निर्धारण करने के उद्देश्य से शुक्रवार दिनांक 29 मई 2015 को विनिर्दिष्ट तारीख निश्चित की गयी है।

3. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के पात्र शेयरधारक, अपने बदले बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु किसी प्रॉक्सी को नियुक्त कर सकते /सकती हैं और ऐसे प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है।

प्रॉक्सी को नियुक्त करने संबंधी लिखत, चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट मुंबई, 400021 स्थित प्रधान कार्यालय में बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात दिनांक 25 जून, 2015 को सायं 5.00 बजे या इसके पूर्व जमा किया जाना चाहिए।



4. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

किसी कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की बैठक में उपस्थित होने अथवा मतदान करने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि उस बैठक, जिसमें उसे विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किया गया हो, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित प्रस्ताव की प्रति चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई, 400021 स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक की नियत तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् दिनांक 25 जून, 2015 को सायं: 5.00 बजे या उसके पूर्व तक प्रस्तुत न कर दी जाए.

5. बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को किसी शेयरधारक का प्रॉक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाएगा.

6. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास

शेयरधारकों की सुविधा के लिए इस सूचना के साथ उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास संलग्न किया गया है. शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि इसमें उपलब्ध कराए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और बैठक स्थल पर इसे सौंप दें. शेयरधारकों के प्रॉक्सी/प्रतिनिधियों को उपस्थिति पर्ची-सह प्रवेश पास में प्रॉक्सी अथवा प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो, का उल्लेख करना चाहिए तथा उन्हें, शेयरधारक से अपने हस्ताक्षर सत्यापित करा कर अपनी पहचान का साक्ष्य साथ में रखना चाहिए.

7. शेयरधारकों के रजिस्टर का बंद होना :

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण बहियां, दिनांक 25 जून, 2015 (गुरुवार) से दिनांक 30 जून, 2015 (मंगलवार) (दोनों दिन शामिल है) तक बंद रहेगी.

8. मतदान का अधिकार

अधिनियम की धारा 3(2ई) के उपबंधों के अनुसार, सदृश नए बैंक का केन्द्र सरकार से भिन्न कोई भी शेयरधारक, अपने द्वारा धारित शेयरों के सम्बंध में, बैंक के शेयरधारकों के कुल मताधिकार के एक प्रतिशत से अधिक के मतदान-अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा / होगी.

उपर्युक्त के अधीन, विनियमन 68 के अनुसार, प्रत्येक शेयरधारक, जो शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, अपना हाथ दर्शाकर एक मत दे सकेगा और मतदान की स्थिति में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए उसे एक वोट देने का अधिकार होगा.

9. संयुक्त धारकों के अधिकारों का उपयोग

विनियमनों के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो अथवा अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो मतदान के मामले में रजिस्टर में उल्लिखित प्रथम नाम के व्यक्ति को एकमात्र धारक माना जाएगा. अतः यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम में हैं तो केवल प्रथम नामांकित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने एवं मत देने (हाथ दर्शाकर अथवा मतदान द्वारा) का हकदार होगा.

10. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैठक में अपनी वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां अपने साथ लाएं.

11.1 भौतिक स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को सूचना :

जैसा कि आप जानते ही हैं कि भौतिक स्वरूप में शेयरों का क्रय-विक्रय नहीं किया जा सकता, अतः शेयरधारकों को तरलता प्रदान करने के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित कर लें. आप बैंक की किसी भी नजदीकी शाखा जो डीमेट सेवा प्रदान करती हो, में खाता खोलकर अपने शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित कर सकते हैं. बैंक की वेबसाइट पर डीमेट सेवाएं प्रदान करने वाली शाखाओं की सूची उपलब्ध है. शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित करने के अनेक फायदे हैं जैसे क्षति अथवा गलत सुपुर्दगी से बचाव, तीव्र निपटान, कागजरहित लेन-देन आदि. साथ ही पते में परिवर्तन, बैंक अधिदेश, नामांकन एवं लेनदेन के अनुरोध की सूचना भी एक ही स्थान पर अर्थात् वह शाखा, जहां आपने अपना डीमेट खाता खोला है, में ही देनी होती है, चाहे आपके पास एक से अधिक कंपनियों/संस्थाओं के शेयर हों.

तदपि, यदि आप शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित न कर उन्हें भौतिक स्वरूप में ही रखने हेतु इच्छुक हैं तो कृपया हमें निम्नलिखित बैंक विवरण प्रदान करें, ताकि हम लाभांश को (जब भी घोषित किया जाए) सीधे आपके खाते में जमा कर सकें.

- बैंक का नाम
- शाखा का पता
- बैंक खाता संख्या
- शाखा का 9 अंकीय एमआईसीआर कोड
- शाखा का आईएफएससी कोड

(अधिमानत: हमें एक निरस्त चेक/ चेक पत्रे की प्रतिलिपि प्रेषित करें).

कृपया नोट करें कि बैंक खाता, शेयरों के प्रथम धारक के नाम से होना चाहिए.



11.2 डीमेट स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को सूचना :

हमारा सदैव यह प्रयास रहा है कि अपने सम्माननीय शेयरधारकों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएं। हमने पाया है कि कुछ शेयरधारक ऐसे हैं, जिनके पास डीमेट स्वरूप में शेयर्स हैं; परंतु उन्होंने अपने बैंक खातों में सीधे लाभांश राशि प्राप्त करने के लिए, उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के पास अपने बैंक खाते सम्बंधी विवरण पंजीकृत/अद्यतन नहीं कराए हैं। तदनुसार, पूर्व में घोषित किए गए लाभांश उन्हें, उनके द्वारा डिपॉजिटरी के पास दर्ज कराए गए पते पर ही लाभांश वारंट (डी.डब्ल्यू.) के द्वारा भेजे गए हैं।

यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि यदि ऐसे शेयरधारकों ने उनके डीपी के पास उनके बैंक खाते के विवरण पंजीकृत/अद्यतन कराए होते तो लाभांश की राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा करा दी गई होती, इससे नियत तिथि पर लाभांश की द्रुतगति से प्राप्ति सुनिश्चित हो जाती और इससे डाक द्वारा लाभांश वारंट प्राप्त करने में लगे समय की बचत होती तथा लाभांश वारंट जमा करने के लिए बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं होती तथा लाभांश वारंट मार्ग में गुम/चोरी हो जाने की आशंका से अथवा उसके कपटपूर्ण नकदीकरण की संभावना से बचा जा सकता था।

तदनुसार, हम इन शेयरधारकों को उनके बैंक खाता विवरण जैसे बैंक का नाम, शाखा का पता, खाता संख्या, खाते का प्रकार, उनके बैंक द्वारा जारी चेक पर विद्यमान नौ अंकीय एमआईसीआर कोड सं. को उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जहां वे डीमेट खाता रखते हों, के पास पंजीकृत/अद्यतन करने का सुझाव देते हैं, ताकि नियत तिथि पर उनके बैंक खाते में लाभांश राशि (जब भी घोषित किया जाय) सीधे जमा की जा सके। इसके अतिरिक्त, वे बैंक या अपने आरटीए, जो कि लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि. है, को सभी भावी लाभांश राशि, वापसी राशि या अन्य प्रेषणों, यदि कोई हो, को लाभांश वारंट, चेक, मांग ड्राफ्ट आदि द्वारा भेजे जाने के स्थान पर उनके बैंक खाते में जमा किए जाने हेतु अधिदेश उपर्युक्त बैंक विवरण के साथ सीधे भेज सकते हैं।

12. अदावाकृत लाभांश, यदि कोई है:

वे शेयरधारक, जिन्होंने अपने लाभांश नहीं भुनाए हैं या जिन्हें पिछले वर्षों में किसी भी वर्ष के लाभांश प्राप्त नहीं हुए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने बैंक खाते में सीधे भुगतान किए जाने या डुप्लीकेट लाभांश/मांग ड्राफ्ट जारी करने के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट से संपर्क करें।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण), अधिनियम 1970 की धारा 10 बी के अनुसार अप्रदत्त लाभांश खाते में अंतरण की तारीख से 7 वर्षों की अवधि तक यदि लाभांश की राशि अदत्त अथवा अदावाकृत रहती है तो वह राशि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 सी के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अंतरित कर दी जाएगी और तत्पश्चात इस भुगतान के संदर्भ में कोई दावा न तो बैंक और न ही आईईपीएफ पर लागू होगा।

13. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग

i. कंपनी नियम 20 (प्रबंधन एवं प्रशासन) के साथ पठित स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुए सूचीबद्ध करार के खंड 35 बी के अनुपालन में बैंक, वोटिंग के वैकल्पिक माध्यम के तौर पर ई वोटिंग सुविधा सहर्ष प्रस्तावित करता है ताकि सदस्यगण अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर पाएं। कंपनी द्वारा सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. के साथ ई-वोटिंग को सुलभ बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गयी हैं।

ई-वोटिंग संबंधी प्रक्रिया एवं अनुदेश निम्नानुसार हैं :

(i) वोटिंग समयावधि शनिवार दिनांक 27 जून 2015 को प्रातः10:00 बजे से प्रारंभ हो कर सोमवार दिनांक 29 जून 2015 को सायं 5:00 बजे समाप्त होगी। एजेन्डा मद संख्या 3 को छोड़कर जिसके लिए कट ऑफ तारीख शुक्रवार दिनांक 29 मई 2015 है, इस समयावधि के दौरान बुधवार दिनांक 24 जून 2015 की कट ऑफ तारीख को बैंक के शेयरधारक, जिनके शेयर भौतिक रूप में हो अथवा डीमेट रूप में हों, अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकते हैं। इसके पश्चात सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

(ii) शेयर धारक ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करें।

(iii) शेयरहोल्डर्स पर क्लिक करें।

(iv) अब अपना यूजर आईडी डालें

ए. सीडीएसएल के लिए : 16 अंकीय लाभार्थी आईडी

बी. एनएसडीएल के लिए : 8 अंकों के डीपी आईडी के पश्चात 8 अंकों का क्लाइंट आईडी

सी. भौतिक स्वरूप में शेयर्स रखने वाले सदस्यों को बैंक में पंजीकृत फोलियो नंबर एंटर करें।



- (v) इसके पश्चात प्रदर्शित की गयी सत्यापन छवि को एंटर कर लॉग इन पर क्लिक करें.
- (vi) यदि आपके पास शेयर्स डीमेट रूप में हैं एवं आपने www.evotingindia.com पर लॉग ऑन किया है एवं पूर्व में आपने किसी कंपनी / संगठन में वोटिंग की है तब आपके वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग किया जाए.
- (vii) यदि आप प्रथम बार उपयोगकर्ता हैं तो निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें :

	डी मेट एवं भौतिक स्वरूप में शेयर्स रखने वाले सदस्यों के लिए
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी 10 अंकीय एल्फान्यूमेरिक *पैन एंटर करें. (डीमेट शेयरधारकों के साथ साथ भौतिक शेयरधारकों दोनों के लिए लागू) <ul style="list-style-type: none"> वे सदस्य जिन्होंने बैंक / निक्षेपागार सहभागी में अपना पैन अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे पैन फील्ड में अपने नाम के प्रथम दो अक्षर एवं सीक्वेन्स नंबर के 8 अंकों का प्रयोग करें. सीक्वेन्स नंबर 8 अंकों से कम होने की स्थिति में, नाम के प्रथम दो अक्षरों को कैपिटल अक्षरों में लिखने के पश्चात यथोचित संख्या में 0 लिखें, अर्थात यदि आपका नाम Ramesh Kumar है एवं सीक्वेन्स नंबर 1 है तब पैन फील्ड में RA00000001 डालें.
जन्म तिथि	डीमेट खाते अथवा कथित डीमेट खाते अथवा फोलियो के लिए बैंक अभिलेख में दर्ज जन्मतिथि प्रविष्ट करें.
लाभांश बैंक विवरण	आपके डीमेट खाते अथवा कथित डीमेट खाते के लिए बैंक अथवा फोलियो में दर्ज लाभांश बैंक विवरण प्रविष्ट करें. <ul style="list-style-type: none"> लॉग इन करने के लिए कृपया जन्म तिथि डीओबी अथवा लाभांश बैंक विवरण एंटर करें. यदि वे विवरण बैंक अथवा निक्षेपागार में अभिलेखित नहीं हैं तो कृपया लाभांश बैंक विवरण अनुदेश (iv) में किए उल्लेख के अनुसार सदस्य आई डी / फोलियो नंबर में प्रविष्ट करें.

- (viii) समुचित रूप से उक्त विवरण प्रविष्ट करने के पश्चात, सबमिट टेब पर क्लिक करें.
- (ix) तब ऐसे शेयरधारक, जिनके शेयर्स भौतिक रूप में हैं, उनके लिए सीधा वोटिंग स्क्रीन उपलब्ध हो जाएगा. तथापि वे सदस्य, जिनके शेयर्स डीमेट स्वरूप में हैं वे पासवर्ड क्रियेशन मेन्यु में पहुंचेंगे जहां उन्हें नये पासवर्ड फील्ड में अनिवार्यतः लॉग इन पासवर्ड एंटर करना होगा. कृपया नोट करें कि डीमेट शेयर धारकों द्वारा इस पासवर्ड का उपयोग अन्य संस्था/कंपनी में यदि मतदान के लिए पात्र हों तो वहां भी संकल्पों की वोटिंग के लिए वे इसी पासवर्ड का उपयोग कर सकेंगे, बशर्ते कि कंपनी/संस्था, द्वारा सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प चुना गया हो. यह पुरजोर अनुशंसा की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी भी अन्य व्यक्ति को न बताएं और इसे गोपनीय रखने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतें.
- (x) भौतिक स्वरूप में शेयरधारित करने वाले सदस्य, अपने विवरण, सिर्फ इस सूचना में दिए गए संकल्प पर ई-वोटिंग के लिए ही कर सकते हैं.
- (xi) संबंधित (कंपनी का नाम) जिस पर आप वोट करना चाहते हों के लिए ईवीएसएन पर क्लिक करें.
- (xii) वोटिंग पृष्ठ पर आपको संकल्प विवरण एवं इसके समक्ष वोटिंग के लिए हां / नहीं का विकल्प दिखाई देगा. अपनी इच्छानुसार हां अथवा नहीं के विकल्प का चयन करें. हां का विकल्प प्रस्ताव के प्रति आपकी सहमति दर्शाता है एवं नहीं का विकल्प आपकी असहमति दर्शाता है.
- (xiii) यदि आप संकल्प का संपूर्ण विवरण देखना चाहते हों तो 'रिजोल्यूशंस फाइल' लिंक पर क्लिक करें.
- (xiv) "रिजोल्यूशन" का चयन करने के उपरांत, आपने वोट डालने का निर्णय लिया है, 'सबमिट' पर क्लिक करें. एक कन्फर्मेशन बॉक्स प्रदर्शित होगा. यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो 'ओ.के.' पर क्लिक करें, अन्यथा अपना वोट परिवर्तित करने हेतु 'कैंसिल' पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट संशोधित करें.
- (xv) संकल्प पर एक बार अपना वोट "कन्फर्म" करने के पश्चात आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी.
- (xvi) आप वोटिंग पृष्ठ पर 'प्रिन्ट करने के लिए यहां क्लिक करें' विकल्प पर क्लिक कर आप अपने द्वारा की गयी वोटिंग का प्रिन्ट ले सकते हैं.
- (xvii) यदि डीमेट खाताधारक अपना पासवर्ड भूल जाता है तब यूजर आईडी एवं छवि सत्यापन एंटर कर 'फॉरगॉट पासवर्ड' पर क्लिक कर सिस्टम द्वारा दिये गये विवरण को एंटर करें.



(xviii) गैर वैयक्तिक शेयरधारक एवं अभिरक्षकों के लिए नोट

- गैर वैयक्तिक शेयरधारकों (अर्थात वैयक्तिकों, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि) एवं अभिरक्षक को www.evotingindia.com पर लॉगइन कर अपने आपको कॉर्पोरेट के तौर पर पंजीकृत करना आवश्यक है।
 - पंजीकरण फार्म पर संस्था के हस्ताक्षर एवं मुहर लगाकर उसकी एक स्कैन प्रति helpdesk.evotingindia.com पर ई-मेल की जानी चाहिए।
 - लॉगिन विवरण प्राप्त होने के पश्चात एडमिन लॉगइन एवं पासवर्ड का प्रयोग कर अनुपालन प्रयोगकर्ता निर्मित किया जाना चाहिए, अनुपालनकर्ता उपयोगकर्ता उन खातों का लिंक देने में सक्षम होगा जिसके लिए वे वोट करने के इच्छुक है।
 - खातों की सूची helpdesk.evotingcdslindia.com पर मेल करनी चाहिए एवं खातों के अनुमोदन के पश्चात वे वोट करने सक्षम होंगे।
 - बोर्ड के संकल्प एवं मुख्तारनामा जिसे अभिरक्षक के पक्ष में जारी किया गया है, जांचकर्ता द्वारा जांचने के लिए सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में सिस्टम में अपलोड की जानी चाहिए।
- (xix) ई- वोटिंग के मामले में यदि आपकी कोई शंका अथवा मुद्दा है, तो आप वेबसाइट www.evotingindia.com के हेल्प सेक्शन के अंतर्गत पर उपलब्ध आमतौर पर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) एवं ई-वोटिंग के मेन्युअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा helpdesk.evotingcdslindia.com पर ई-मेल कर सकते हैं।
- II कार्यसूची सं. 1 व 2 के लिए कट-ऑफ तारीख बुधवार दिनांक 24 जून 2015 को बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में शेयरधारकों के शेयरों के अनुपात में उनके वोटिंग अधिकार होंगे। एजेन्डा कार्य सूची संख्या 3 के लिए कट ऑफ तारीख शुक्रवार 29 मई 2015 होगी। तथापि बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार, केन्द्र सरकार को छोड़कर बैंक का अन्य कोई भी शेयरधारक उसके धारित शेयरों के लिए बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकारों के 10 प्रतिशत से अधिक वोटिंग अधिकार का प्रयोग करने हेतु पात्र नहीं होगा।
- III इस सूचना की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट एवं सीडीएसएल की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है
- IV ई-वोटिंग प्रक्रिया को उचित एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न करने हेतु श्री प्रमोद एस. शाह, कार्यरत कंपनी सचिव (प्रैक्टिस प्रमाणपत्र सं. 3804 का) को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है।
- V साधारण बैठक में वोटिंग समाप्त होने के तुरंत पश्चात सर्वप्रथम जांचकर्ता, बैठक में डाले गए वोटों की गिनती करेंगे, उसके पश्चात कम से कम ऐसे दो गवाहों, जो बैंक की सेवा में नहीं हों, के समक्ष रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गये वोटों को अनब्लॉक करेंगे एवं बैठक सम्पन्न होने के तीन दिनों के अंदर पक्ष तथा विपक्ष में दिए गए यदि हो, कुल वोटों की समेकित जांचकर्ता की जांच रिपोर्ट अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा लिखित में अधिकृत व्यक्ति जो इस पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा को प्रस्तुत करेगा।
- VI जांचकर्ता की रिपोर्ट सहित घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in एवं सीडीएसएल की वेबसाइट पर बैंक की वार्षिक साधारण बैठक में संकल्प परित करने के 2 दिनों के भीतर प्रदर्शित किए जाएंगे एवं बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को भी सूचित किए जाएंगे।

व्याख्यात्मक विवरणी

दो शेयरधारक निदेशकों का चुनाव

● निदेशकों को चुनने में शेयरधारकों का अधिकार

बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी में भारत सरकार के अतिरिक्त अन्य शेयरधारकों की शेयर धारिता 18.5401% है। बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) के अनुसार सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल में शेयरधारकों (केन्द्र सरकार के अतिरिक्त) का प्रतिनिधित्व करते दो निदेशक शामिल होंगे। तदनुसार उपर्युक्त पदों को भरने के लिए केन्द्र सरकार के अतिरिक्त अन्य शेयरधारकों द्वारा दो निदेशकों का चुनाव कराना आवश्यक है।

अतः, बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो निदेशकों के चुनाव कराए जाने का संकल्प पास करने के लिए एजीएम की नोटिस की कार्यसूची में एक मद जोड़ी गई है।

इसलिए शेयरधारक (केन्द्र सरकार के अतिरिक्त) अधिनियम, विनियम अधिनियम, योजना विनियम, अधिसूचना के तत्संबंधी प्रावधान जो नीचे निर्देशित हैं में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार अपना नामांकन प्रेषित करने के लिए पात्र हैं। दो निदेशकों का चुनाव नामांकन की जांच (यदि वैध नामांकन की संख्या रिक्त पदों के समान हो) अथवा यदि प्रतिभागी अधिक हों तो दिनांक 30 जून 2015 को होने वाले चुनाव में चुने जाएंगे। चुने गए निदेशकों को उनके चुने जाने अथवा चुने हुए माने जाने की तारीख की अगली तारीख से उनका कार्यभार ग्रहण करना माना जाएगा और वे इस प्रकार कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने तक कार्यभार संभालेंगे।



विधिक प्रावधान

निम्नलिखित सारणी इस संबंध में लागू विभिन्न अधिनियमों / विनियमों / अधिसूचनाओं के प्रावधानों को परिलक्षित करती है:

अधिनियम योजना / विनियम / अधिसूचनाएं	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949	धारा 20	<ul style="list-style-type: none"> किसी भी निदेशक अथवा इनकी ओर से किसी को भी ऋण अथवा अग्रिम प्रदान करने पर प्रतिबंध.
बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970	<p>धारा 3(2ई)</p> <p>धारा 9(3)(i) धारा 9 (3ए)(ए) से (सी) धारा 9(3एए)</p> <p>धारा 9(3एबी)</p> <p>धारा 9(3बी)</p> <p>धारा 13(2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> वोटिंग अधिकार पर प्रतिबंध. शेयरधारकों द्वारा चुने गये निदेशकों की संख्या. विशिष्ट क्षेत्रों में विशेष ज्ञान. कोई भी व्यक्ति तब तक निदेशक चुने जाने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह फिट एवं ट्रेक रिकॉर्ड के आधार पर ईमानदारी एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अन्य मानदंड के अनुसार उपयुक्त स्थिति में न हो. भारतीय रिजर्व बैंक ने उप धारा(3एए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में किसी के फिट एवं उचित स्थिति का आकलन करने हेतु प्राधिकार, इस आकलन को करने का तरीका, इस आकलन के लिए अनुसरण की जाने वाली पद्धति एवं अन्य सभी मामले जो भी इसके लिए आवश्यक एवं प्रासंगिक हों को उल्लेखित किया है. चुने गये ऐसे निदेशक को, जो कथित अधिनियम की धारा 9(3ए) एवं 9(3एए) की अपेक्षाओं को पूर्ण न करता हो, को हटाने का भारतीय रिजर्व बैंक अधिकार प्रदान करती हैं. विश्वस्तता एवं गोपनीयता की बाध्यता.
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विभिन्न प्रावधान) योजना 1970	<p>खंड 9(4)</p> <p>खंड 10</p> <p>खंड 11</p> <p>खंड 11ए</p> <p>खंड 11 बी</p> <p>खंड 12(8)</p>	<ul style="list-style-type: none"> चुने गये निदेशक के पद कार्यालय की शर्तें बैंक के निदेशक चुने जाने से निरहता. निदेशक के कार्यालय को छोड़ना. चुने गये निदेशक को पद मुक्त करना. चुने गये निदेशक के कार्यालय में सामान्य पद को भरना. कुछ व्यवस्थाओं में जिसमें निरीक्षक की रूचि हो, उनमें उनके हितों का प्रकटीकरण.
सेंट्रल बैंक इंडिया (शेयर्स एवं बैठक) विनियम, 1998	<p>विनियम 10</p> <p>विनियम 61</p> <p>विनियम 63</p> <p>विनियम 64</p> <p>विनियम 65</p> <p>विनियम 66</p> <p>विनियम 67</p> <p>विनियम 68</p> <p>विनियम 69</p> <p>विनियम 70</p>	<p>संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग.</p> <ul style="list-style-type: none"> साधारण बैठक में मतदान साधारण बैठक में निदेशकों का चयन शेयरधारकों की सूची चुनाव के लिए अभ्यर्थी का नामांकन नामांकनों की संवीक्षा चुनाव विवाद मतदान अधिकारों का निर्धारण विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मतदान प्रॉक्सी
भारिबैं की अधिसूचना सं. डीबीओडी सं. बीसी सं. 46 एवं 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01 नवम्बर 2007 के साथ पठित अधिसूचना सं. डीबीओडी.बीसी.सं. 95/ 29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई 2011.	<p>बैंकिंग कम्पनीज (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के खंड 9(3एए) एवं खंड 9 (3एबी) के अनुसरण में.</p>	<ul style="list-style-type: none"> राष्ट्रीयकृत बैंकों के चयनित निदेशकों हेतु ज़रूरतपूर्ण एवं उचितफ मानदंड.



● वेबसाइट पर दिए गए अधिनियमों / योजनाओं / विनियमों / अधिसूचनाओं का सारांश

शेयरधारकों की सुविधा हेतु विनियम अधिनियम, अधिनियम, योजना, अधिनियम के सारांश सहित भारिबैं की दिनांक 1 नवंबर, 2007 की अधिसूचना सं. डीबीओडी.बीसी.सं. 46 एवं 47 /2939.001/2007-08 एवं दिनांक 23 मई, 2011 की अधिसूचना सं.डीबीओडी.बीसी. सं.95/29.39.001/2010-11, हमारे बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर उपलब्ध होगी. ये सारांश बैंक के प्रधान कार्यालय चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुम्बई 400021 स्थित सहायक महाप्रबन्धक, एमबीडी/कम्पनी सेक्रेटरी को सम्बोधित अनुरोध पर नामांकन प्रारूप को प्रस्तुत करने की निर्धारित अंतिम तिथि अर्थात् 16 जून, दिन मंगलवार, 2015 को अथवा इससे पूर्व ई-मेल भी किया जाएगा.

● अभ्यर्थी हेतु योग्यताएं

अभ्यर्थी अधिनियम की धारा 9 (3ए) में वर्णित योग्यताओं का अनुपालन करेंगे और योजना के खंड 10 में निर्दिष्ट अयोग्यता से ग्रसित न हों और विनियम के विनियम 65 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता हो, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

(ए) अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार बैंक का शेयरधारक होते हुए एक अभ्यर्थी जो बैंक का निदेशक बनने का इच्छुक है तो उसे

(ए) निम्नलिखित में से किसी एक अथवा अधिक मामलों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए, -

कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था,

बैंकिंग,

सहकारिता,

अर्थव्यवस्था,

वित्त,

विधि,

लघु उद्योग,

किसी अन्य मामले में कोई विशेष ज्ञान, एवं व्यावहारिक अनुभव जो भारिबैं की राय में बैंक के लिए उपयोगी हो;

(बी) जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो; अथवा

(सी) कृषकों, कामगारों, कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो.

(बी) अधिनियम की धारा 9(3ए) और भारिबैं के अधिसूचना के अनुसार, अभ्यर्थी को बैंक का शेयरधारक होना चाहिए और जो बैंक के निदेशक का नामांकन भरते समय ट्रैक रिकार्ड के अनुसार 'उपयुक्त एवं उचित', सत्यनिष्ठा और भारिबैं द्वारा समय समय पर अधिसूचित अन्य मानदंडों को पूरा करता हो.

(सी) इसके अतिरिक्त, चयनित निदेशक को प्रतिज्ञापत्र विलेख निष्पादित करना होगा और इस सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वार्षिक घोषणापत्र प्रस्तुत करना होगा.

● बैंक के निदेशक के रूप में चयनित होने के उपरान्त अयोग्यताएं

(ए) बैंक राष्ट्रीयकरण (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 10 के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक निदेशक के रूप में नियुक्ति एवं निदेशक होने के लिए अयोग्य हो जाता है जब वह

(ए) किसी समय दिवालिया घोषित किया जा चुका हो अथवा भुगतान आस्थगित हुआ हो अथवा लेनदारों के साथ विवाद हो; अथवा

(बी) यदि वह सक्षम न्यायालय द्वारा अस्थिर मानसिक स्थिति एवं विचार वाला घोषित किया गया हो; अथवा

(सी) यदि वह फौजदारी अदालत द्वारा किसी अपराध के लिए दंडित किया गया हो, जिसमें नैतिक चरित्रहीनता शामिल हो; अथवा

(डी) यदि वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1955 की धारा 3 के उपनियम (1) के अंतर्गत गठित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अथवा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित कोई अनुषंगी बैंक में एक पूर्णकालिक निदेशक के पद को छोड़कर प्रबंध निदेशक सहित अधिनियम की धारा 9 के उपनियम (3) के खंड (ई) एवं खंड (एफ) के अंतर्गत संबंधित सादृश बैंक के कर्मचारियों में से किसी कार्यालय में नामांकित निदेशक के तौर पर लाभकारी पद धारित करता हो.

और

(बी) भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबीओडी.सं. बीसी.सं. 46 एवं 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 1 नवम्बर 2007 के साथ पठित अधिसूचना सं.डीबीओडी.बीसी.सं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 के अनुसार, यदि वह बैंक की निदेशकों की नामांकन समिति द्वारा 'उपयुक्त एवं उचित' व्यक्ति नहीं पाया जाता है उसका नामांकन वैध नहीं माना जाएगा.



● **प्रतियोगियों के लिए शेरधारकों की सूची**

शुक्रवार, दिनांक 29 मई 2015 को बैंक के शेरधारकों की सूची दिनांक मंगलवार, 2 जून, 2015 को/से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुम्बई के पक्ष में देय ₹ 50,000 (रुपए पचास हजार मात्र) के डिमांड ड्राफ्ट के साथ सहायक महाप्रबन्धक, एमबीडी/कम्पनी सचिव, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केन्द्रीय कार्यालय, 9 वीं मंजिल, चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुम्बई 400021 को सम्बोधित आवेदन प्रस्तुत करने पर बिक्री हेतु उपलब्ध रहेगी. इच्छुक अभ्यर्थी शेरधारकों की सूची की जांच कर सकते हैं एवं उससे कुछ अंश निकाल भी सकते हैं.

● **शेरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण**

शेरधारकों का रजिस्टर, बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में निरीक्षण हेतु सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 11 से 3 दोपहर तक एवं शनिवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक निरीक्षण के लिए खुला रहेगा (बैंक अवकाश को छोड़कर). यदि कोई भी शेरधारक इसकी प्रति अथवा रजिस्टर का कम्प्यूटर प्रिंट अथवा उसका कोई भाग प्राप्त करना चाहता है तो प्रति 1000 शब्द अथवा उसके किसी भाग के लिए ₹ 5/- की दर से पूर्व भुगतान करने पर यह उपलब्ध कराया जाएगा.

● **चुनाव में भागीदारी**

ऐसे शेरधारक जिनका नाम दिनांक 29 मई, 2015 को एनएसडीएल/सीडीएसएल/आरटीए द्वारा उपलब्ध कराए अनुसार सदस्य /लाभाधी स्वामी के रजिस्टर में प्रदर्शित हैं, वे सभी केन्द्र सरकार को छोड़कर अन्य शेरधारकों में से निदेशकों के चुनाव में भाग लेने अर्थात् नामांकन करने, चुनाव लड़ने और मतदान करने के पात्र होंगे.

विनियम 68 के अनुसार प्रत्येक शेरधारक, जो दिनांक 29 मई 2015 के साधारण बैठक से पूर्व के विनिर्दिष्ट तारीख को शेरधारक के रूप में पंजीकृत हैं, हाथ के प्रदर्शन से एक वोट एवं मतदान के मामले में उसके द्वारा धारित प्रति शेर हेतु एक वोट दे सकेगा.

● **नामांकन :**

नामांकनों की वैधता

विनियम 65 एवं भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना डीबीओडी.सं. बीसी.सं. 46 एवं 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 1 नवम्बर 2007 के साथ पठित अधिसूचना सं.डीबीओडी.बीसी.सं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 के अनुसार एवं विभिन्न अधिनियमों के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार निदेशक के रूप में चुनाव हेतु किसी अभ्यर्थी का नामांकन वैध होगा बशर्ते :

(ए) वह, चुनाव में भाग लेने हेतु विनिर्दिष्ट तारीख शुक्रवार, 29 मई, 2015 को बैंक के न्यूनतम 100 (एक सौ) शेरों का धारक हो;

(बी) मंगलवार, दिनांक 16 जून 2015 को (नामांकन प्राप्ति की अंतिम तिथि), वह अधिनियम, योजना अथवा भारिबैं अधिसूचना के अंतर्गत अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो;

(सी) अधिनियम के अंतर्गत निदेशकों का चयन करने के पात्र न्यूनतम एक सौ शेरधारकों द्वारा या उनके विधिवत गठित अटॉर्नी द्वारा लिखित हस्ताक्षरित नामांकन हो बशर्ते कि शेरधारक के कंपनी होने पर यह कथित कंपनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा किया गया हो एवं जब ऐसा किया गया हो तो जिस बैठक में यह संकल्प पास किया गया हो, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की प्रामाणित प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय को सहायक महाप्रबन्धक- एमबीडी एवं कम्पनी सेक्रेटरी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 9वीं मंजिल, चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुम्बई 400021 को सम्बोधित करते हुए प्रेषित की जाएगी एवं ऐसी प्रति को कथित कंपनी की ओर से नामांकन माना जाएगा.

(डी) शेरधारकों द्वारा नामांकन (न्यूनतम 100) के साथ अभ्यर्थी का इस आशय का घोषणापत्र इस नोटिस में दिए गए घोषणा एवं नामांकन के प्रारूपों के नमूने के अनुसार किसी न्यायाधीश, दण्डाधिकारी, आश्वासन (एश्युरेंस) रजिस्ट्रार अथवा उप रजिस्ट्रार अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष विधिवत हस्ताक्षरित है कि वह नामांकन स्वीकृत करता है और चुनाव में खड़ा होने का इच्छुक है, एवं वह निदेशक के रूप में नामांकन हेतु बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अंतर्गत अथवा किसी अधिनियम अथवा योजना अथवा विनियम अथवा भारिबैं अधिसूचना के अंतर्गत अयोग्य नहीं है, के साथ विधिवत हस्ताक्षरित उसका व्यक्तिगत विवरण (बायोडाटा) और यह पुष्टिकरण कि उक्त विवरण उसकी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुरूप सत्य है एवं यह वचन भी कि उसकी घोषणा के पश्चात इन सूचनाओं से संबंधित कुछ भी घटित होने पर वह यथासम्भव शीघ्र बैंक को अवगत कराएगा.

(ई) नामांकन प्रारूप एवं घोषणापत्र, विनियम द्वारा यथानिर्धारित संसमन प्रारूप के अनुसार हैं (यह प्रारूप बैंक की वेबसाइट [www. centralbankofindia.co.in](http://www.centralbankofindia.co.in) पर भी उपलब्ध है.)



नामांकन प्रारूपों की प्रस्तुति

निदेशकों के चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रतिभागी निम्नलिखित प्रस्तुत करें :

- (ए) विधिवत भरा हुआ घोषणापत्र;
- (बी) चुनाव में भाग लेने हेतु पात्र न्यूनतम 100 शेयरधारकों से नामांकन;
- (सी) इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप में व्यक्तिगत सूचनाएं, घोषणापत्र एवं वचन पत्र, संबंधित दस्तावेजों, अनुशंसा पत्र, अर्थात् बायोडाटा, शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाणपत्र, अनुभव इत्यादि के साथ हर प्रकार से पूर्ण सभी दस्तावेज मुहरबन्द लिफाफे में सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी एवं कम्पनी सचिव, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 9वीं मंजिल, चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुम्बई 400021 को बैठक की तारीख से कम से कम 14 दिन पूर्व किसी कार्य दिवस अर्थात् **मंगलवार, 16 जून, 2015** को कार्यसमय की समाप्ति अर्थात् सायं 5.00 बजे तक प्रस्तुत किए जाएं.

● निदेशकों का चुनाव एवं दस्तावेजों की संवीक्षा

- ए) नामांकनों की संवीक्षा, नामांकन की प्राप्ति हेतु नियत तिथि के अगले कार्यदिवस अर्थात् **बुधवार, 17 जून, 2015** को की जाएगी एवं किसी नामांकन के वैध न पाए जाने के मामले में उसकी निरस्तगी के कारणों को दर्ज करते हुए उसे निरस्त कर दिया जाएगा.
- बी) नामांकनों की संवीक्षा भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 01, नवम्बर 2007 एवं दिनांक 23 मई, 2011 के 'उपयुक्त एवं यथोचित' दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड की नामांकन समिति की संवीक्षा के अधीन होंगे.
- सी) यदि चुनाव द्वारा भरी जाने वाली दो रिक्तियों के लिए सिर्फ दो ही वैध नामांकन प्राप्त होते हैं, तो इस प्रकार नामांकित अभ्यर्थी को चुना हुआ मान लिया जाएगा और इस प्रकार चुने जाने पर उनके नाम एवं पते प्रकाशित किए जाएंगे. ऐसी स्थिति में इस उद्देश्य हेतु आयोजित की गई बैठक में कोई चुनाव नहीं होगा. निर्वाचित अभ्यर्थी उनके निर्वाचित घोषित होने की तारीख से अगली तारीख को पदभार ग्रहण करेंगे.
- डी) चुनाव होने की स्थिति में यदि वैध नामांकन 2 से अधिक हो तो चुनाव में बहुमत प्राप्त अभ्यर्थी को निर्वाचित माना जाएगा और उनके नामों की घोषणा अध्यक्ष द्वारा की जाएगी तथा उन्हें समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाएगा. वे दिनांक 1, जुलाई 2015 से पदभार ग्रहण करेंगे.
- ई) कोई भी विवाद होने पर उसे विनियमों के विनियम 67 के अनुसार निपटाया जाएगा.

नामांकनों का वापस लिया जाना

यदि कोई अभ्यर्थी अपना नामांकन वापस लेना चाहता है, तो वह शनिवार, दिनांक 27 जून, 2015 को कार्यसमय की समाप्ति से पूर्व तक किसी भी समय नामांकन वापस लेने का पात्र होगा.

निदेशकों के हित

बैंक के निदेशकों का कारोबार के उपर्युक्त मद्दों से संबद्ध अथवा उनमें रुचि होना समझा जाएगा, यदि वे चुनाव लड़ते हैं.

निदेशक मंडल के आदेश से

हस्ताक्षर

ए.के. दास

सहायक महाप्रबंधक एमबीडी/

कम्पनी सचिव

स्थान : दिल्ली

दिनांक 25.05.2015



घोषणा पत्र (अभ्यर्थी द्वारा)

(विनियम के नियम 65 का सन्दर्भ लें)

मैं श्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री/ पत्नी श्री/श्रीमती
.....निवास स्थान
.....एतद्वारा पुष्टि करता / करती हूँ कि :

ए. मैं, चुनाव में भागीदारी के लिए निर्धारित तिथि **शुक्रवार, दिनांक 29 मई, 2015** को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ₹ 10 /- प्रत्येक के ..
.....(पूर्ण प्रदत्त) फोलियो सं. /डीपी
आईडी सं..... /ग्राहक आईडी सं. के अंतर्गत शेयरधारक
हूँ, एवं

बी. मुझे * (i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, (ii) बैंकिंग, (iii) सहकारिता, (iv) अर्थशास्त्र, (v) वित्त व्यवस्था, (vi) विधि, (vii) लघु उद्योग, अथवा (भा.रि.बैं. की राय में जिसका विशेष ज्ञान एवं व्यावहारिक अनुभव बैंक के लिए उपयोगी रहेगा) एवं मैं बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा 3 ए के अनुरूप जमाकर्ताओं/कृषकों, कामगारों एवं कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता/करती हूँ जिनके प्रमाण स्वरूप मैं यहां आवश्यक प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ; एवं

सी) मैं से संख्या तक के नामांकन स्वीकार करता /करती हूँ. एवं

डी) मैं सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हूँ, एवं

ई) मैं, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के प्रावधानों, बैंकिंग कम्पनीज (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, बैंक राष्ट्रीयकरण (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं बैठक) विनियम, 1998 एवं भारिबैं अधिसूचना के अंतर्गत बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने के अयोग्य नहीं हूँ, एवं

एफ) मैं, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1955 की धारा 3 के उपनियम (1) के अंतर्गत गठित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अथवा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित कोई अनुषंगी बैंक का न ही कर्मचारी हूँ, न ही कोई लाभ का पद धारण करता/करती हूँ.

जी) मैं अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं संलग्न कर रहा/रही हूँ जो मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास में सत्य एवं पूर्ण है; एवं

एच) यह पुष्टिकरण कि उक्त विवरण उसकी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुरूप सत्य है एवं यह वचन भी कि उसकी घोषणा के पश्चात इन सूचनाओं से संबंधित कुछ भी घटित होने पर वह यथासम्भव शीघ्र बैंक को अवगत कराएगा/कराएगी एवं बैंक के निदेशक के रूप में चयनित होने पर मैं सहमति विलेख को निष्पादित करूंगा/करूंगी.

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो सं. (यदि डी-मैट न हो)	
डीपी आईडी सं. एवं ग्राहक आईडी सं. (यदि डी-मैट न हो)	
स्थान	
दिनांक	

उपर्युक्त घोषणाएं मेरे समक्ष हस्ताक्षरित की गई हैं

हस्ताक्षर एवं मुहर -----

प्रमाणनकर्ता अधिकारी का नाम -----

नामिती द्वारा यह घोषणापत्र किसी न्यायाधीश, दंडाधिकारी, आश्वासन पंजीयक अथवा उप पंजीयक, अथवा किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित किया जाय.

*जो भी लागू हों, उस पर निशान लगाएं.



नामांकन प्रारूप
(शेयरधारक के लिए)
(विनियम के नियम 65 (डी) का सन्दर्भ)

प्रति,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
केन्द्रीय कार्यालय,
चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट,
मुम्बई 400021
महोदय,

क्रम सं.

निदेशक के चुनाव हेतु नामांकन

आपके नोटिस दिनांक 25.05.2015 के सन्दर्भ में मैं, श्री/श्रीमती
..... चुनाव में भागीदारी के लिए निर्धारित दिवस शुक्रवार, दिनांक 29 मई, 2015 सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रति शेयर ₹ 10 (पूर्णतः प्रदत्त) केशेयरों का/की शेयरधारक हूँ, एतद्वारा श्री/श्रीमती
..... पुत्र/पुत्री/ पत्नी श्री/श्रीमतीनिवास
..... बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम 1970, की धारा 9 (3) (i) के प्रावधानों के अनुसार, मंगलवार, दिनांक 30 जून, 2015 को आयोजित होने वाली शेयरधारकों की वार्षिक साधारण बैठक में, बैंक के शेयरधारकों के प्रतिनिधित्व हेतु सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक चयनित होने के लिए **नामांकित करता /करती हूँ.**

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो सं.	
(यदि डी-मैट न हो)	
डीपी आईडी सं. एवं ग्राहक आईडी सं.	
(यदि डी-मैट न हो)	
स्थान	
दिनांक	

नोट्स :

1. किसी कॉर्पोरेट निकाय द्वारा नामांकन के मामले में, नामांकन प्रारूप के साथ उस बैठक, जिसमें निदेशक मंडल द्वारा इस हेतु संकल्प पारित किया गया हो, के अध्यक्ष के हस्ताक्षरों से प्रमाणित संकल्प की सत्य प्रति भी प्रस्तुत की जाय.
2. अभ्यर्थी का नामांकन करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर, बैंक के शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षरों के साथ मिलने चाहिए.
3. उपर्युक्त किसी कॉलम के खाली छोड़े जाने अथवा उसमें कोई विवरण असत्य पाए जाने पर नामांकन निरस्त होने योग्य होगा.



यहां अपना स्व-प्रमाणित
पासपोर्ट आकार का फोटो
चिपकाएं

व्यक्तिगत सूचना, घोषणापत्र एवं वचन पत्र प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप

दिनांक -----2015 का यथोचित संलग्नकों सहित अभ्यर्थी द्वारा की गई घोषणा एवं वचन पत्र

I.	अभ्यर्थी का व्यक्तिगत विवरण	
1.	अभ्यर्थी का पूरा नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)	
2.	पिता का पूरा नाम	
3.	जन्म तिथि	
4.	राष्ट्रीयता	
5.	(1) स्थाई खाता सं. (आयकर अधिनियम के अंतर्गत)	
	(2) आय कर सर्कल/डिवीजन का नाम एवं पता जहां पर व्यक्तिगत कर प्राप्तियां जमा होती है.	
6.	स्थायी पता	
7.	वर्तमान पता (पत्राचार हेतु)	
8.	(1) ई-मेल आईडी	
	(2) टेलीफोन नं. (लैंडलाइन)	
	(3) मोबाइल नं.	
II.	योग्यता एवं अनुभव	
1.	योग्यता (शैक्षिक/अकादमिक)	
	(कृपया सूचना की पुष्टि हेतु प्रमाणपत्रों की स्व-प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें) .	
2.	योग्यता (व्यावसायिक)	
	(कृपया सूचना की पुष्टि हेतु प्रमाणपत्रों की स्व-प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें) .	
3.	ज्ञान (बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3-ए) के अंतर्गत आवश्यकतानुसार.	
4.	अनुभव (कृपया बैंक के निदेशन से संबंधित आपके अनुभव का विवरण दें).	
5.	बैंक के निदेशन से संबंधित कोई अन्य जानकारी.	
III.	अभ्यर्थी के संबंधियों का विवरण	
1.	उन संबंधियों का विवरण, यदि कोई हो, जो किसी भी तरह से बैंक से जुड़े हो कृपया कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77), सहपठित कंपनी (पर परिभाषा विवरण की विस्तृत जानकारी) नियम, 2014 का नियम 4 का संदर्भ लें.	
2.	ऐसी इकाइयों की सूची, यदि कोई हो, जिसमें वे रुचि रखते हो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(49) एवं धारा 184 का संदर्भ लें	
3.	अभ्यर्थी के नाम में सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के धारित शेयरों का विवरण, यदि कोई हो, (कृपया धारित शेयरों की संख्या, अंकित मूल्य, लेजर फोलियो नम्बर(रों) अथवा डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी का विवरण दें).	



4.	ए	बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5(एनई) के अभिप्राय के तहत उन इकाइयों की सूची, जिसमें अभ्यर्थी पर्याप्त हितधारक माना जाता हो.
4.	बी	बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5(एनई) के अभिप्राय के तहत उन इकाइयों की सूची, जिसमें अभ्यर्थी से संबंधित पार्टियां पर्याप्त हित रखती हैं.
5.		पिछले छः वर्षों के दौरान बैंक(कों) के बोर्ड(डों) का निदेशन/सदस्यता (कृपया बैंक(कों) के नाम, अधिनियम का संबंधित प्रावधान जिसके अंतर्गत नियुक्ति/नामांकन किया गया था एवं ऐसी सदस्यता/निदेशन की धारण अवधि).
6.		उपरोक्त 3, 4(ए) एवं 5 में सूचिगत संस्थानों से वर्तमान में अभ्यर्थी द्वारा ली जा रही निधि एवं गैर-निधिगत सुविधाएं, यदि कोई हो.
7.		ऐसे मामले, जिनमें अभ्यर्थी अथवा उपर्युक्त मद सं 3, 4(ए), 4(बी) एवं 5 में सूचीबद्ध इकाइयां सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अथवा किसी अन्य बैंक से ली गई ऋण सुविधाओं के संबंध में चूककर्ता हैं अथवा पूर्व में चूककर्ता रही हैं.
IV.		व्यावसायिक उपलब्धियां
1.		व्यावसायिक उपलब्धियां (कृपया उन उपलब्धियों का विवरण दें जो बैंक निदेशन से संबंधित हों).
V.		अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्रवाई, यदि कोई हो,
1.		क्या अभ्यर्थी किसी व्यावसायिक संस्था/संगठन का सदस्य है, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, लंबित अथवा शुरु हुई हो अथवा पूर्व में उनके विरुद्ध में दोष सिद्धि में परिणित हुई हो का विवरण अथवा वह कभी किसी व्यवसाय/रोजगार में प्रविष्ट होने से प्रतिबंधित किया गया / की गई हो.
2.		आर्थिक नियम एवं अधिनियम का उल्लंघन के लिए निदेशक और/अथवा उपरोक्त III-2, 4(ए), 4(बी) एवं 5 में सूचिगत इकाइयों के विरुद्ध अभियोजन, कोई हो, लंबित हो, शुरु हुआ हो अथवा पूर्व में दोष सिद्ध हुए अभियोजन का विवरण.
3.		अभ्यर्थी के विरुद्ध वर्तमान मुकदमा, यदि कोई हो, सहित पूर्व में अभ्यर्थी के विरुद्ध हुए आपराधिक अभियोजन, लंबित अथवा प्रारंभ हुए अथवा दोष सिद्धि में परिणित हुए का विवरण.
4.		क्या अभ्यर्थी/निदेशक में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 सहपठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खण्ड 10 में वर्णित कोई अयोग्यता है ?
5.		क्या अभ्यर्थी अथवा उपरोक्त III-2, 4(ए), 4(बी) एवं 5 में सूचिगत इकाइयों के विरुद्ध सरकारी विभाग अथवा एजेंसी के अनुरोध पर कोई जांच हुई है?
6.		क्या अभ्यर्थी कभी सीमा शुल्क/ उत्पाद शुल्क/ आयकर / विदेशी मुद्रा विनियम/ अन्य राजस्व प्राधिकारी द्वारा नियम/अधिनियम/ वैधानिक आवश्यकताओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया है ?
7.		क्या अभ्यर्थी /निदेशक को कभी सेबी, आईआरडीए, भारिबैं, एमसीए, फेमा इत्यादि जैसे विनियामक से प्रतिकूल नोटिस प्राप्त हुआ है.
		(यद्यपि अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि विनियामकों द्वारा दिए गए आदेशों एवं निर्णयों जिन्हें बाद में पलट / दरकिनार कर दिए गए हों उनका हू-बहू उल्लेख करें परंतु तब अवश्य किया जाय कि जब ऐसे मामले न्याय क्षेत्र की सीमाओं अथवा कभी जैसे तकनीकी कारणों से पलटे / दरकिनार किए गए हो न कि मामले के गुणदोष के आधार पर. यदि नियामक का आदेश अस्थाई तौर पर स्थगित किया गया हो एवं अपील/अदालती कार्यवाही लंबित हो तब भी उसका उल्लेख किया जाय).



8.	अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय अभ्यर्थी/निदेशक क्या किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्थान अथवा बैंक अथवा कम्पनियों इत्यादि के निर्देशों अथवा अनुदेशों पर कार्य करेंगे? यदि है, तो विवरण दें.	
9.	क्या अभ्यर्थी ने अपनी व्यक्तिगत हैसियत से बैंक से कोई व्यवसाय किया है ? यदि हां, तो विवरण दें.	
10.	उपर्युक्त I से V तक की मदों के संबंध में कोई अन्य व्याख्या/सूचना एवं अन्य जानकारी जो 'उपयुक्त एवं यथोचित' स्थिति के निर्धारण हेतु प्रासंगिक मानी जाय.	

वचननामा

मैं.....पुत्र/पुत्री श्री

..... पुष्टि करता/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास से पूर्णतः सत्य एवं संपूर्ण है. मैं बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में मेरे चुनाव के अनुवर्ती घटित होने वाली ऐसी घटनाओं, यदि कोई हों, और जो ऊपर दी गई सूचनाओं से संगत हों, के बारे में यथाशीघ्र बैंक को अवगत कराते रहने का वचन देता/देती हूँ.

बैंक के निदेशकों द्वारा निष्पादित करने हेतु वांछित सहमति विलेख को निष्पादित करने का भी वचन देता/देती हूँ.

स्थान:

दिनांक:

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

संलग्नक:

नोट:

1. जहां भी स्थान पर्याप्त न हो, वहां कृपया कालक्रमानुसार और समुचित अन्योन्य सन्दर्भ सहित अनुलग्नक संलग्न करें.
2. सभी पृष्ठों (अनुलग्नकों सहित) पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर आवश्यक है.

नामांकन समिति का अवलोकन

--	--	--

सदस्य के हस्ताक्षर	सदस्य के हस्ताक्षर	सदस्य के हस्ताक्षर

दिनांक:

स्थान :



निदेशकों के चुनाव संबद्ध अधिनियम, योजना, विनियमन एवं अधिसूचना का सारांश

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) के अनुसार, शेयरधारक निदेशकों का चयन केंद्र सरकार के अलावा, शेयरधारकों द्वारा अपने में से धारा 3 की उप-धारा 2(बी) के खंड (सी) के अंतर्गत जारी पूंजी की सीमा के आधार पर किया जाएगा। बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विभिन्न प्रावधान) योजना 1970 की संबंधित धाराएं, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर्स एवं बैठकें) विनियम, 1998 के संबंधित विनियम एवं भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबीओडी. सं. बीसी. सं. 46/29.39.001/ 2007-08 दिनांक 01 नवम्बर, 2007 एवं सं. डीबीओडी.बीसी. सं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 का सार संक्षेप, शेयरधारकों की सूचनार्थ नीचे उद्धरित हैं।

I. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949

उभयनिष्ठ निदेशकों का निषेध-धारा 16(1)

भारत में निर्गमित कोई भी बैंकिंग कम्पनी अपने निदेशक मण्डल में एक निदेशक के रूप में किसी ऐसी व्यक्ति को नहीं ले सकती जो किसी अन्य बैंकिंग कम्पनी का निदेशक हो।

ऋण एवं अग्रिमों पर नियंत्रण-धारा 20

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 77 में उल्लिखित के विपरीत होते हुए भी, कोई भी बैंकिंग कम्पनी निम्नलिखित नहीं करेगी

(ए) अपने स्वयं के शेयरों की प्रतिभूति पर कोई ऋण अथवा अग्रिम प्रदान नहीं करेगा, अथवा

(बी) निम्नलिखित को अथवा इनकी ओर से किसी को ऋण अथवा अग्रिम स्वीकृत करने की प्रतिबद्धता नहीं दर्शाएगा -

(i) अपना कोई भी निदेशक,

(ii) ऐसी कोई फर्म, जिसमें अपना कोई निदेशक साझेदार, प्रबंधक, कर्मचारी अथवा गारंटीकर्ता के रूप में हो।

(iii) बैंकिंग कम्पनी का कोई निदेशक किसी (कम्पनी बैंकिंग कम्पनी की अनुषंगी अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अंतर्गत एक पंजीकृत कम्पनी अथवा एक सरकारी कम्पनी न हो) उसका अथवा अनुषंगी अथवा उसकी धारक कम्पनी में निदेशक, प्रबंधक एजेंट, प्रबंधक, कर्मचारी अथवा गारंटीकर्ता हो अथवा जिसमें उनका पर्याप्त हित हो, अथवा

(iv) कोई व्यक्ति, जिसके संबंध में इसका कोई निदेशक एक साझेदार अथवा गारंटीकर्ता हो।

(2) बैंकिंग कम्पनी द्वारा प्रदत्त ऐसा कोई ऋण अथवा अग्रिम जिसे प्रदान करने की प्रतिबद्धता नहीं की जाती, यदि ऋण अथवा अग्रिम दिए जाने की तारीख को उपधारा (1) का खंड (बी) लागू होता अथवा बैंकिंग नियम (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का 58) की धारा 5 के लागू होने के पश्चात बैंकिंग कम्पनी द्वारा प्रदान किया गया हो परंतु उक्त के लागू होने से पूर्व की गई प्रतिबद्धता के अनुवर्तन में दिया गया हो, तो बैंकिंग कंपनी की ऋण अथवा अग्रिम एवं ब्याज, यदि कोई हो, की बकाया राशि को ऋण अथवा अग्रिम की स्वीकृति के समय निर्धारित समयावधि अथवा जहां ऐसी अवधि निर्धारित नहीं है, वहां कथित धारा 5 के प्रारम्भ होने से एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व वसूल करने के कदम उठाए जाएंगे।

परंतु भारतीय रिजर्व बैंक, किसी भी मामले में, बैंकिंग कम्पनी की ओर से इस बारे में लिखित रूप में आवेदन करने पर, ऋण अथवा अग्रिम की वसूली की अवधि किसी ऐसी तारीख तक भारिबैं द्वारा योग्य समझी गई शर्तों के अधीन बढ़ा सकती है, जो कथित धारा 5 के लागू होने से 3 वर्ष बाद की न हो, परंतु यह भी कि यह उप-धारा लागू नहीं होगी यदि बैंकिंग कम्पनी के संबंधित निदेशक का पद निदेशक की मृत्यु, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र अथवा अन्य कारणों से रिक्त हो गया हो।

(3) उप-धारा (2) में संदर्भित, ऋण अथवा अग्रिम या उसका कोई भाग भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रेषण नहीं किया जाएगा एवं ऐसे अनुमोदन के बिना किया गया कोई भी प्रेषण अमान्य एवं अप्रभावी होगा।

(4) उप-धारा (2) में संदर्भित ऋण अथवा अग्रिम की चुकौती किसी व्यक्ति द्वारा की जानी है, उसके उप-धारा में निर्धारित अवधि के भीतर बैंकिंग कंपनी को अदा न करने पर, यदि ऐसा व्यक्ति निर्धारित कथित अवधि की समाप्ति की तारीख को उस बैंकिंग कम्पनी का निदेशक है तो उस कथित तारीख से उस निदेशक द्वारा पद त्याग किया हुआ माना जाएगा।



स्पष्टीकरण इस खण्ड में

(ए) “ऋण अथवा अग्रिम” में ऐसे लेनदेन को शामिल नहीं किया जाएगा, जिसे इस धारा के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक लेनदेन की प्रकृति, वह अवधि जिसमें, वे परिस्थितियां एवं तरीके जिनमें, लेनदेन के कारण से कोई राशि वसूली जानी हो, जमाकर्ताओं का ब्याज एवं अन्य संगत प्रतिफल को अपने विशिष्ट अथवा सामान्य आदेश द्वारा ऋण अथवा अग्रिम न होने का उल्लेख करता हो।

(बी) किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा भारत में इसके सभी मामलों अथवा किसी मामले के प्रबंधन से अथवा प्रबंधन के संबंध में सलाह के उद्देश्य से गठित बोर्ड अथवा समिति के सदस्य में “निदेशक” शामिल हैं।

(5) यदि ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि इस धारा के उद्देश्य से कोई लेनदेन, ऋण अथवा अग्रिम है अथवा नहीं, इसे भारतीय रिजर्व बैंक को भेजा जाएगा एवं इस पर उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा।

II. बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970

वोटिंग अधिकारों पर निषेध

धारा 3(2ई) : सदृश नए बैंक का केन्द्र सरकार के अलावा अन्य कोई शेयरधारक, उस अपने धारित शेयरों के संबंध में सदृश नए बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक वोटिंग अधिकार का पात्र नहीं होगा।

निदेशक मंडल का गठन

धारा 9(3) (i) यदि धारा (3) की उप-धारा (2बी) के खण्ड (सी) के अंतर्गत जारी पूंजी -

(I) कुल चुकता पूंजी का 16 % से अधिक न होने पर, एक निदेशक;

(II) कुल चुकता पूंजी का 16 % से अधिक लेकिन 32 % से अधिक न होने पर, दो निदेशक,

(III) कुल चुकता पूंजी का 32% से अधिक होने पर, तीन निदेशक,

शेयरधारक केंद्र सरकार के अलावा, अपने बीच में से चुनेंगे :

तथापि चयनित निदेशकों की संख्या के मामलों में, बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) एवं वित्तीय संस्थान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2006 के लागू होने अथवा उससे पूर्व, किसी सदृश नए बैंक में निदेशकों की सं. उप-खण्ड (I) अथवा उप-खण्ड (II) अथवा उप-खण्ड (III) जैसा भी मामला हो, में निर्धारित संख्या से अधिक होने पर, उक्त के प्रारम्भ होने से पूर्व चयनित ऐसे अधिक संख्यक निदेश, योजना में यथानिर्धारित तरीके से सेवानिवृत्ति होंगे तथा वे अपने पद के कार्यकाल से पूर्व अपरिपक्व सेवानिवृत्ति के लिए किसी क्षतिपूर्ति की मांग के पात्र नहीं होंगे।

धारा 9(3ए): उपर्युक्त खण्ड (i) के अंतर्गत चुने गए निदेशक

(ए) निम्नलिखित विषयों में से एक अथवा अधिक में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो

(i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था,

(ii) बैंकिंग,

(iii) सहकारिता,

(iv) अर्थशास्त्र,

(v) वित्त,

(vi) विधि,

(vii) लघु उद्योग

(viii) किसी अन्य मामले में कोई विशेष ज्ञान एवं व्यावहारिक अनुभव, जो भारतीय रिजर्व बैंक की राय में सदृश नए बैंक के लिए उपयोगी हो;

(बी) जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो; अथवा

(सी) कृषक, कर्मचारियों एवं दस्तकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो।



धारा 9(3ए) : उप-धारा (3ए) के प्रावधानों पर बिना किसी पूर्वाग्रह एवं इस अधिनियम अथवा वर्तमान में लागू किसी अन्य नियम में निहित के विपरीत होते हुए भी कोई व्यक्ति उपधारा (3) के खण्ड (i) के अंतर्गत निदेशक चुने जाने का तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक वह निर्दिष्ट पृष्ठभूमि, विश्वसनीयता एवं इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर अधिसूचित मानदंडों के आधार पर “उपयुक्त एवं यथोचित” स्थिति प्राप्त नहीं कर लेता.

धारा 9(3बी) : यदि भारतीय रिजर्व बैंक का यह मत हो कि उप-धारा (3) के खण्ड (i) के अंतर्गत चयनित सदृश नए बैंक का कोई निदेशक उप-धारा(3ए) एवं (3एए) की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं करता/करती है, तो वह ऐसे निदेशक एवं बैंक को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात, आदेश द्वारा, उस निदेशक को बर्खास्त कर सकता है एवं ऐसी बर्खास्तगी पर, निदेशक मंडल उस बर्खास्त किए गए व्यक्ति के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति, जो उप-धारा (3ए) एवं (3एए) की अपेक्षाओं को पूर्ण करता हो को सदृश नए बैंक की अगली वार्षिक सामान्य बैठक में विधिवत निदेशक का चयन होने तक निदेशक के रूप में सहयोजित करेगा एवं इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति सदृश नए बैंक के शेरधारकों द्वारा विधिवत चुना हुआ निदेशक माना जाएगा.

कर्तव्यपरायणता एवं गोपनीयता के रूप में दायित्व

धारा 13(2) : सदृश नए बैंक के सभी निदेशक, स्थानीय बोर्ड अथवा समिति के सदस्य अथवा लेखा परीक्षक, सलाहकार, अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी, अपना दायित्व सम्भालने से पूर्व तृतीय अनुसूची में निर्धारित प्रारूप में कर्तव्यपरायणता एवं गोपनीयता की घोषणा करेंगे.

III. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विभिन्न प्रावधान) योजना, 1970

चयनित निदेशक के पद का कार्यकाल

खण्ड 9(4) : एक चयनित निदेशक तीन वर्ष तक अपने पद पर रहेगा एवं पुनः चयन के लिए पात्र होगा:
परंतु ऐसा कोई निदेशक लगातार छः वर्षों से अधिक की अवधि के लिए अपने पद पर नहीं बने रहेंगे.

निदेशकों की अयोग्यता

खण्ड 10 : एक व्यक्ति निदेशक के पद पर होने अथवा नियुक्ति के लिए, अयोग्य होंगे

- (ए) यदि वह कभी भी दिवालिया घोषित किया जा चुका हो अथवा भुगतान आस्थगित किया हो अथवा उसके लेनदारों के साथ संयोजित हो; अथवा
- (बी) यदि वह सक्षम न्यायालय द्वारा अस्थिर मानसिक स्थिति एवं विचार वाला घोषित किया गया हो; अथवा
- (सी) यदि वह अपराध जिसमें नैतिक भ्रष्टता के लिए दंड न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो, अथवा
- (डी) यदि वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1955 की धारा 3 के उपनियम (1) के अंतर्गत गठित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अथवा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित कोई अनुषंगी बैंक में एक पूर्णकालिक निदेशक के पद को छोड़कर, प्रबंध निदेशक सहित अधिनियम की धारा 9 के उपनियम (3) के खंड (ई) एवं खंड (एफ) के अंतर्गत संबंधित सदृश बैंक के कर्मचारियों में से किसी कार्यालय में नामांकित निदेशक के तौर पर लाभकारी पद धारित करता हो.

निदेशकों का पद त्यागना

- अनुच्छेद 11:** (1) यदि कोई निदेशक खंड 10 में उल्लिखित किसी भी प्रकार से अयोग्य हो जाता है या बोर्ड की अनुमति के बिना लगातार तीन से अधिक बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो यह समझा जाएगा कि उन्होंने पद त्याग कर दिया है एवं उनका पद रिक्त हो जाएगा.
- (2) अधिनियम की धारा 9 के उपनियम (3) के खंड (बी) खंड (सी) या खंड (डी) में उल्लिखित निदेशक, प्रबंध निदेशक सहित अध्यक्ष या पूर्णकालिक निदेशक, केन्द्र सरकार को इस संबंध में लिखित में नोटिस देते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है और इस प्रकार का त्यागपत्र सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने पर उनका पदत्याग समझा जाएगा, कोई अन्य निदेशक, केन्द्र सरकार को लिखित में नोटिस देकर अपना त्यागपत्र दे सकता है और ऐसा त्यागपत्र, केन्द्र सरकार द्वारा त्यागपत्र की सूचना की प्राप्ति से प्रभावी माना जाएगा.
 - (3) पूर्व में कथित प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, अधिनियम की धारा 9 के उपनियम (3) के खंड (ई) या खंड (एफ) में संदर्भित पद, सिवाय राष्ट्रीयकृत बैंक के कामगार जिनका वह निदेशक है, उस निदेशक के अन्य कामगार या कर्मचारी न रहने पर वह पद रिक्त माना जाएगा.
 - (4) एक चुने हुए निदेशक के अतिरिक्त अन्य निदेशक का पद रिक्त होने पर उस अधिनियम की धारा 9 के उपनियम (3) के अनुसार भरा जाएगा.



चुने हुए निदेशक को पदच्युत करना

अनुच्छेद 11ए केन्द्र सरकार के अतिरिक्त अन्य शेयरधारक, उन सभी शेयरधारकों द्वारा धारित शेयर पूंजी का आधे से अधिक रखने वाले ऐसे शेयरधारकों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अधिनियम 9 के उपनियम (3) के खंड (i) के अंतर्गत चुने गए किसी निदेशक को पदच्युत किया जा सकता है तथा बदले में अन्य व्यक्ति द्वारा रिक्ति को भरा जा सकता है।

चयनित निदेशक के पद की रिक्ति को भरना

अनुच्छेद 11बी: (1) किसी चयनित निदेशक के कार्यकाल समाप्ति से पूर्व रिक्ति होने पर उसे चुनाव द्वारा भरा जाएगा: बशर्ते कि रिक्ति की समयावधि 6 माह से कम होने पर, शेष निदेशकों द्वारा उक्त रिक्ति भरी जा सकती है, (2) उप-खंड (1) के अंतर्गत चयनित अथवा सहयोजित कोई व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती के कार्यकाल असमाप्त अवधि के लिए उस पद पर रह सकता है,

निदेशकों द्वारा हित का प्रकटीकरण

अनुच्छेद 12(8) एक निदेशक, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी संविदा, ऋण, वित्त व्यवस्था या राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा या उसकी ओर से किए गए अथवा प्रस्तावित प्रस्ताव से कोई संबंध रखता है अथवा उसमें हित रखता है तो, संबद्ध परिस्थितियों के उसके संज्ञान में आने के उपरांत यथा संभव शीघ्र, अपने हितों को बोर्ड के समक्ष प्रकट करेगा। ऐसे संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव के संबंध में होने वाली चर्चा की बैठक में तब तक उपस्थित नहीं रहेगा, जब तक कि सूचनाओं पर प्रकाश डालने के लिए उसकी उपस्थिति अन्य निदेशकों द्वारा वांछित न हो एवं ऐसा कोई भी निदेशक ऐसी संविदा ऋण, व्यवस्था अथवा प्रस्ताव पर वोट नहीं डाल सकेगा:

बशर्ते कि इस उपखंड में निहित प्रावधान ऐसे निदेशक पर उसके निम्नलिखित कारणों के रहते हुए लागू नहीं होंगे:

- कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में यथा परिभाषित किसी सार्वजनिक कंपनी अथवा भारत में यथा समय लागू किसी नियम के अंतर्गत स्थापित किसी निगम अथवा सहकारी संस्था में वह शेयरधारक (निदेशक के अतिरिक्त) उसकी कुल चुकता पूंजी का 2% से अधिक धारित न करता हो, या जिसके साथ राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ संविदा, ऋण, व्यवस्था अथवा प्रस्ताव किया है अथवा कराया गया है अथवा ऐसा किया जाना प्रस्तावित है, अथवा
- राष्ट्रीयकृत बैंक का अधिकारी या अन्य कर्मचारी, यदि वह अधिनियम के अनुच्छेद 9 के उपनियम (3) के खंड (ई), अथवा खंड (एफ) में विनिर्दिष्टानुसार निदेशक हो।

(iv) सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैंठकें) विनियम, 1998

संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग

विनियम 10: यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम में है, रजिस्टर में नामित प्रथम व्यक्ति को शेयरों के अंतरण के अलावा मामलों यथा वोटिंग, लाभांश की प्राप्ति, सूचनाओं का प्रेषण एवं बैंक से संबंधित अन्य किसी मामलों के लिए, एकल धारक माना जाएगा।

साधारण बैठकों में निदेशक चुना जाना

विनियम 63:(i) अधिनियम के अनुच्छेद 9 के उपनियम (3) के खंड (i) के अंतर्गत कोई निदेशक, केंद्र सरकार के अतिरिक्त रजिस्टर में दर्ज शेयरधारकों द्वारा बैंक की साधारण बैठक में उन्हीं में से चुना जाएगा।

- जब किसी साधारण बैठक में निदेशक का चुनाव किया जाना हो तब इसकी सूचना आयोजित किए जाने की सूचना में सम्मिलित की जाएगी। ऐसी प्रत्येक सूचना में चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या तथा उन रिक्तियों का विवरण दिया जाएगा जिनके लिए चुनाव किया जाना है।

शेयरधारकों की सूची

विनियम 64:(i) इन विनियमों के उप-विनियम (i) के अंतर्गत निदेशक का चुनाव करने के उद्देश्य के लिए, रजिस्टर में दर्ज उन शेयरधारकों की एक सूची तैयार की जाएगी जिनके द्वारा निदेशक का चुनाव किया जाना है।

- इस सूची में शेयरधारकों के नाम, उनके पंजीकृत पते, धारित शेयरों की संख्या, शेयर प्रदर्शक संख्या शेयरों के पंजीकरण की तिथि चुनाव करने के लिए तय बैठक की निर्धारित तारीख को उनके वोटों की पात्रता का उल्लेख होगा तथा इसकी प्रतियां प्रधान कार्यालय में आवेदन करने पर बोर्ड अथवा प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित कीमत पर बैठक की निर्धारित तिथि से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व खरीद हेतु उपलब्ध होगी।



चुनाव के लिए अभ्यर्थियों का नामांकन

विनियम 65:(i) किसी अभ्यर्थी का एक निदेशक के तौर पर चुनाव के लिए नामांकन तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि

- (ए) वह बैंक के कम से कम 100 (एक सौ) शेयरों का शेयरधारक न हो,
 - (बी) नामांकन प्राप्ति की अंतिम तारीख को वह अधिनियम अथवा योजना के अंतर्गत निदेशक होने के अयोग्य न हो.
 - (सी) उसके द्वारा एकल या अन्य के साथ संयुक्त रूप से धारित शेयरों के संबंध में उसने किसी भी मांग की निर्धारित अंतिम तारीख से पूर्व सभी मांगों का भुगतान कर दिया हो.
 - (डी) अधिनियम के अंतर्गत निदेशकों का चयन करने के पात्र न्यूनतम एक सौ शेयरधारकों द्वारा या उनके विधिवत गठित अटॉर्नी द्वारा लिखित हस्ताक्षरित नामांकन हो बशर्ते कि शेयरधारक के कंपनी होने पर यह कथित कंपनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा किया गया हो एवं जब ऐसा किया गया हो तो जिस बैठक में यह संकल्प पास किया गया हो उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की प्रामाणित प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय को प्रेषित की जाएगी एवं ऐसी प्रति को कथित कंपनी की ओर से नामांकन माना जाएगा.
 - (ई) नामांकन के साथ या उसमें न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार, अथवा सबरजिस्ट्रार ऑफ एश्यूरेंस या अन्य किसी राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा हो कि उसने नामांकन स्वीकार किया है और वह चुनाव के लिए खड़े होने का इच्छुक है, और यह कि वह अधिनियम या योजना या इन विनियमों के अंतर्गत निदेशक बनने के लिए अयोग्य नहीं है.
- (ii) कोई नामांकन वैध नहीं होगा यदि यह सभी प्रकार से पूर्ण सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ बैठक के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम चौदह दिन पूर्व किसी कार्यदिवस को बैंक के प्रधान कार्यालय में प्राप्त न हुआ हो.

नामांकनों की जांच

- विनियम 66:** (i) नामांकन प्राप्ति के लिए निर्धारित तारीख के अनुवर्ती प्रथम कार्यदिवस को नामांकनों की संवीक्षा की जाएगी और यदि किसी नामांकन के वैध नहीं पाए जाने पर, उसे इसका कारण स्पष्ट करते हुए इसे निरस्त कर दिया जाएगा. यदि चुनाव द्वारा किसी विशेष रिक्ति को भरने के लिए सिर्फ एक वैध नामांकन हो, ऐसा नामांकित उम्मीदवार तुरंत चुना हुआ माना जाएगा और और उसका नाम एवं पता उनके इस प्रकार चुने होने पर प्रकाशित किया जाएगा. ऐसी परिस्थिति में इस उद्देश्य के लिए आयोजित की गई बैठक में कोई चुनाव नहीं होगा और यदि यह उपर्युक्त बैठक सिर्फ कथित चुनाव के लिए ही बुलाई गई है, तो यह निरस्त हो जाएगी.
- (ii) चुनाव होने की स्थिति में, यदि वैध नामांकनों की संख्या चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या से अधिक है, तो बहुमत हासिल करने वाला उम्मीदवार चुना माना जाएगा.
- (iii) किसी विद्यमान रिक्ति को भरने के लिए चयनित निदेशक उसके चुने हुए माने जाने की तारीख से अगले दिन पदभार संभाल लेना माना जाएगा.

चुनाव विवाद

- विनियम 67:** (i) यदि किसी व्यक्ति के चुना जाना घोषित होने, या उसे चुना हुआ समझे जाने या निदेशक के चुनाव की वैधता के योग्य अथवा अयोग्य होने पर कोई संदेह या विवाद उत्पन्न होता हो तो कोई इच्छुक व्यक्ति, उम्मीदवार या शेयरधारक जो ऐसे चुनाव में वोट के लिए पात्र हो, ऐसे चुनाव के परिणाम की घोषणा की तारीख से सात दिनों के अंदर, बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को लिखित में इसकी सूचना देगा और कथित सूचना में उस पृष्ठभूमि का पूर्ण विवरण देगा जिसकी वजह से उसे चुनाव की वैधता पर संदेह या विवाद उत्पन्न हुआ है.
- (ii) उप-विनियम (i) के अंतर्गत सूचना के प्राप्त होने पर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में बैंक के कार्यपालक तुरंत ऐसे संदेह या विवाद को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक एवं अधिनियम के अनुच्छेद 9 के उपनियम (3) के खंड (बी) एवं (सी) के अंतर्गत नामांकित किन्हीं दो निदेशकों से गठित समिति को निर्णय के लिए भेजेगा.
- (iii) उप विनियम (ii) में संदर्भित समिति आवश्यक समझे जाने के अनुसार जांच करेगी और वह यह पाती है कि चुनाव एक वैध चुनाव था, तो यह घोषित परिणाम की पुष्टि करेगी, अथवा यदि वह पाती है कि चुनाव वैध नहीं था, तो जांच प्रारंभ होने के 30 दिनों के अंदर, ऐसा आदेश देगी तथा उस निदेशक को भी समिति न्यायोचित लगी परिस्थितियों में नया चुनाव हेतु कहेगी.
- (iv) इस विनियम के अनुपालन में ऐसी समिति का एक आदेश एवं दिशानिर्देश अंतिम होगा.



वोटिंग अधिकारों का निर्धारण

- विनियम 68:** (i) अधिनियम के अनुच्छेद 3(2ई) में निहित प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक शेयरधारक जो एक सामान्य बैठक की तारीख से पूर्व पंजीकरण की समापन की तारीख को शेयरधारक के तौर पर पंजीकृत हुआ हो, ऐसी बैठक उसका में एक वोट हाथ प्रदर्शन से और मतदान के मामले में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट होगा।
- (ii) अधिनियम के अनुच्छेद 3(2ई) में निहित प्रावधानों के अधीन, उपर्युक्त वोट के लिए पात्र प्रत्येक शेयरधारक, जो कंपनी नहीं है, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित या प्रॉक्सी के तौर पर उपस्थित है या जो कंपनी है वह विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में, या प्रॉक्सी के रूप में उपस्थित है उसे इसमें उपर्युक्त उप-विनियम (i) में कहे अनुसार हाथ प्रदर्शित कर एक वोट तथा मतदान के मामले में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट होगा।
(स्पष्टीकरण इस अध्याय के लिए, 'कंपनी' का तात्पर्य किसी भी निगमित निकाय से है)
- (iii) एक साधारण बैठक में उपस्थित होने एवं वोट के लिए पात्र बैंक के शेयरधारक किसी अन्य व्यक्ति (शेयरधारक हो या नहीं) को अपने स्थान पर उपस्थित होने एवं वोट देने के लिए प्रॉक्सी का पात्र होगा, लेकिन नियुक्त किए गए ऐसे प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा वोटिंग

- विनियम 69:** (i) शेयरधारक जो केन्द्र सरकार या एक कंपनी है, एक संकल्प द्वारा, जैसा भी मामला हो, अपने किसी पदाधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को शेयरधारकों की साधारण बैठक में प्रतिनिधित्व करने हेतु प्राधिकृत करेगी एवं वह प्राधिकृत व्यक्ति (इन विनियमों में जिसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि कहा गया है), केन्द्र सरकार या कंपनी के जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, उन सभी अधिकारों का इस प्रकार उपयोग करने का पात्र होगा मानो वह बैंक का एकल शेयरधारक हो। यदि ऐसा प्राधिकार दो व्यक्तियों के पक्ष में वैकल्पिक के तौर पर दिया जा सकता है। ऐसे मामले में उन दोनों व्यक्तियों में से कोई एक केन्द्र सरकार/कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के तौर पर कार्य कर सकता है।
- (ii) बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में किसी कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के तौर पर कोई व्यक्ति तब तक उपस्थित नहीं होगा जब तक कि उस बैठक के अध्यक्ष, जिसमें उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किया गया हो, से प्रमाणित सत्यापित, साधारण बैठक की निर्धारित तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा न कर दी जाए।

V. भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबीओडी. सं. बीसी. सं. 46/29.39.001/2007-08 दिनांक 01 नवम्बर, 2007 एवं सं. डीबीओडी.बीसी. सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011

कोई नामांकन तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि इस उद्देश्य के लिए बैंक के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त नामांकन समिति द्वारा उसे उपयुक्त एवं यथोचित दर्जा न दिया जाए। नामांकन के साथ अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता, अनुभव एवं फील्ड निपुणता, विशिष्ट ट्रैक तथा ईमानदारी इत्यादि की जानकारी दी जाए ताकि नामांकन समिति उसके संबंध में उपयुक्त एवं यथोचित दर्जे का निर्णय ले सके। किसी भी प्राधिकारी विनियामक की प्रतिकूल सूचना या दिवालियापन या किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान से लिए गए किसी ऋण का चूककर्ता होना संबंधित उम्मीदवार को बोर्ड के निदेशक के रूप में चयनित होने के लिए अयोग्य एवं अनुपयुक्त करेगा।



कुल व्यवसाय									
(रु. करोड़ में)									
पैरामीटर	मार्च 07	मार्च 08	मार्च 09	मार्च 10	मार्च 11	मार्च 12	मार्च 13	मार्च 14	मार्च 15
कुल व्यवसाय	1,36,265	1,84,607	2,18,012	2,69,225	3,10,763	3,46,898	4,02,272	4,23,390	4,50,539
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		35.48 %	18.10 %	23.49%	15.43%	11.63%	15.96%	5.25%	6.41%
कुल जमा	82,776	1,10,320	1,31,272	1,62,107	1,79,356	1,96,173	2,26,038	2,40,069	2,55,572
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		33.28%	18.99%	23.49%	10.64%	9.38%	15.22%	6.21%	6.46%
कुल ऋण एवं अग्रिम	53,489	74,287	86,740	1,07,118	1,31,407	1,50,725	1,76,234	1,83,321	1,94,967
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		38.88%	16.76%	23.49%	22.67%	14.70%	16.92%	4.02%	6.35%
निवेश	29,037	32,646	44,445	52,008	54,847	59,577	72,662	86,384	95,655
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		12.43%	36.14%	17.02%	5.46%	8.62%	21.96%	18.88%	10.73%
सीडी अनुपात	64.62 %	67.34%	66.08%	66.08%	73.27%	76.83%	77.97%	76.36%	76.29
आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.62 %	0.54%	0.45%	0.66%	0.70%	0.26%	0.44%	(0.47%)	0.21%

लाभप्रदता									
(रु. करोड़ में)									
पैरामीटर	मार्च 07	मार्च 08	मार्च 09	मार्च 10	मार्च 11	मार्च 12	मार्च 13	मार्च 14	मार्च 15
सकल आय	6,710	8,787	11,525	13,799	16,486	20,545	23,528	26,350	28,303
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		30.94 %	31.17 %	19.73 %	19.47 %	24.62 %	14.52 %	11.99 %	7.41%
सकल व्यय	5,444	7,518	10,088	11,741	13,895	17,730	20,355	23,112	24,744
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		38.10 %	34.18 %	16.38 %	18.35 %	27.60 %	14.81 %	13.54 %	7.06%
परिचालन लाभ	1,266	1,268	1,437	2,058	2,591	2,815	3,173	3,238	3559
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		0.20 %	13.28 %	43.24 %	25.90 %	8.65 %	12.72 %	2.05 %	9.91%
शुद्ध लाभ	498	550	571	1,059	1,252	533	1,015	(1,263)	606
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		10.47 %	3.83 %	85.36 %	18.24 %	(57.43 %)	90.43 %	(224.43 %)	147.98
निम (%)	3.28	2.53	1.97	1.86	3.31	2.78	2.65	2.73	2.79
शुद्ध ब्याज आय	2,474	2,223	2,228	2,545	5,326	5,169	5,738	6,493	7,247
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		(10.16 %)	0.22 %	14.23 %	109.27 %	(2.95 %)	11.01 %	13.16 %	11.60%
गैर ब्याज आय	476	791	1,070	1,735	1,265	1,395	1,667	1,923	1,894
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		66.31 %	35.26 %	62.15 %	(27.09 %)	10.28 %	19.50 %	15.35 %	(1.51 %)



निदेशक रिपोर्ट 2014-15

आपके निदेशकों को दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षित लेखा विवरण, लाभ एवं हानि खाता तथा नकद-प्रवाह विवरण को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता है।

1. कार्यनिष्पादन वैशिष्ट्य

- ❖ बैंक का कुल व्यवसाय रु. 27149 करोड़ से बढ़कर रु. 450539 करोड़ हो गया, जबकि पिछले वर्ष यह रु. 423390 करोड़ था, जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 6.41% की वृद्धि दर्शाता है।
- ❖ कुल जमा वर्ष-दर-वर्ष आधार पर रु. 15503 करोड़ से बढ़कर रु.255572 करोड़ हो गई, जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 6.46% की वृद्धि दर्शाता है।
- ❖ बैंक का कुल अग्रिम रु. 11646 करोड़ से बढ़कर रु.194967 करोड़ हो गया, जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 6.35% की वृद्धि दर्शाता है।
- ❖ परिचालन लाभ वित्तीय वर्ष 2013-14 के रु. 3238 करोड़ से बढ़कर रु.3559 करोड़ हो गया, जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 9.91% की वृद्धि दर्शाता है।
- ❖ वित्तीय वर्ष 2014-15 में रु.606 करोड़ शुद्ध लाभ दर्ज किया, जबकि वित्तीय वर्ष 2013-14 में रु.1263 करोड़ की शुद्ध हानि हुई थी, जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 147.98% की वृद्धि दर्शाता है।
- ❖ पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल-II के अंतर्गत) 11.89 प्रतिशत रहा। जिसमें टियर-I की हिस्सेदारी 8.46 प्रतिशत रही, जबकि पिछले वर्ष यह 11.96 प्रतिशत था। पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल-III के अंतर्गत) 10.90 प्रतिशत रहा, जिसमें टियर-I की हिस्सेदारी 8.05 प्रतिशत रही, जबकि पिछले वर्ष यह 9.87 प्रतिशत था।
- ❖ शुद्ध मालियत रु. 13918 करोड़ से बढ़कर रु. 15643 करोड़ हो गई।
- ❖ बैंक का सकल एनपीए पिछले वर्ष के रु. 11500 करोड़ में रु. 373 करोड़ की वृद्धि के साथ, रु.11873 करोड़ हो गया। सकल एनपीए का प्रतिशत पिछले वर्ष के 6.27 प्रतिशत से घटकर वित्तीय वर्ष 2014-15 में 6.09 प्रतिशत हो गया।
- ❖ शुद्ध एनपीए पिछले वर्ष के रु. 6649 करोड़ से बढ़कर रु. 6807 करोड़ हो गया। शुद्ध एनपीए प्रतिशत पिछले वर्ष के 3.75 प्रतिशत से घटकर 3.61 प्रतिशत हो गया।
- ❖ प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) मार्च 2014 के 50.68 प्रतिशत से बढ़कर 55.16 प्रतिशत हो गया।
- ❖ शुद्ध ब्याज मार्जिन (निम) वित्तीय वर्ष 2013-14 के 2.73 प्रतिशत से बढ़कर 2.79 प्रतिशत हो गया।
- ❖ प्रति कर्मचारी व्यवसाय पिछले वर्ष के रु. 1025 लाख से बढ़कर रु. 1138 लाख हो गया।
- ❖ वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) 0.21 प्रतिशत है।
- ❖ प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 10.70 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। पिछले वर्ष के रु. 68652 करोड़ से बढ़कर यह रु. 75997 करोड़ हो गया।
- ❖ बैंक के कृषि अग्रिमों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 1.61 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। वित्तीय वर्ष 2013-14 के रु. 35,387 करोड़ से बढ़कर यह रु. 35,957 करोड़ हो गया।
- ❖ सूक्ष्म ऋण एवं अन्य (प्रति उधारकर्ता रु.50,000 तक का ऋण) के अंतर्गत, बैंक ने रु.206 करोड़ तक का ऋण दिया।
- ❖ समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) ऋण पिछले वर्ष के रु.21515 करोड़ से बढ़कर रु. 26503 करोड़ हो गया।
- ❖ वर्ष के दौरान, शिक्षा ऋण 15.50 प्रतिशत बढ़कर, कुल रु.3442 करोड़ हो गया।
- ❖ बैंक ने देश के 9 राज्यों, जिनमें मध्य प्रदेश (18), बिहार (9), महाराष्ट्र (6), उत्तर प्रदेश (5), पश्चिम बंगाल (3), छत्तीसगढ़ (2), राजस्थान (1), ओड़ीसा (1) एवं असम (1) शामिल हैं, में 46 ग्रामीण स्व-रोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) स्थापित किए हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान, आरसेटी ने 891 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं और 24290 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया है। इनमें से 14816 (अर्थात 61%) प्रशिक्षुओं को बैंक ऋण, वेतन निपटान एवं स्व-वित्त के माध्यम से उनकी आजीविका पूरी की है।
- ❖ बैंक के पास दिनांक 31 मार्च, 2015 तक 3 राज्यों के 47 जिलों में 1622 शाखाओं के नेटवर्क के साथ 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं।



- ❖ बैंक ने वित्तीय समावेशन के अंतर्गत 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले 4,330 गांवों तथा 2000 से कम की जनसंख्या वाले 18,371 गांवों को कवर किया है. बैंक ने ये सभी गांव 6,382 बीसी एजेंट के माध्यम से कवर किए हैं. हमने बैंक विहीन ग्रामीण केन्द्रों में 238 शाखाएं भी खोली हैं. बैंक ने अपनी 1427 आधार शाखाओं से सम्बद्ध अपनी कुल 3677 अति-सूक्ष्म शाखाएं खोली हैं. बैंक ने अपने बीसी एजेंटों और शाखाओं के माध्यम से बेसिक सेविंग बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) के अंतर्गत 146.71 लाख खाते खोले हैं. दिनांक 31 मार्च, 2015 को इन खातों में कुल जमा शेष रु.763.99 करोड़ है.
- ❖ प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत, हमारे बैंक ने 57.35 लाख बीएसबीडी खाते खोले हैं और अपने व्यवसाय को रु. 317.82 करोड़ की जमा के साथ बढ़ाया है.
- ❖ बैंक का कॉर्पोरेट ऋण पिछले वर्ष के रु. 97,608. करोड़ से घटकर रु. 97,568 करोड़ हो गया. इसमें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 0.04 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई.
- ❖ रिटेल ऋण 21.27 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, वित्तीय वर्ष 2014-15 में यह रु.34,939 करोड़ हो गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2013-14 में यह रु.28,811 करोड़ था.
- ❖ वित्तीय वर्ष 2014-15 में, बैंकाश्युरेंस व्यवसाय से कुल आय रु.25.27 करोड़ हुई.
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2015 को पूरे देश में बैंक का 4689 शाखाओं, 3677 अतिसूक्ष्म शाखाएँ, 4835 एटीएम, 29 सेटलाइट कार्यालय एवं 4 विस्तार पटल का नेटवर्क है.

2. आय एवं व्यय

वर्ष 2014-15 की अवधि में आय एवं व्यय के विवरण निम्नानुसार दिए जा रहे हैं :

रु. करोड़ में

	31.03.2015	31.03.2014	विचलन	%
1 ब्याज आय	26409	24427	1982	8.11
-अग्रिम	19517	18620	897	4.82
-निवेश	6707	5764	943	16.36
-अन्य	185	43	142	330.23
2 अन्य आय	1894	1923	(29)	(1.51)
3 कुल आय (1+2)	28303	26350	1953	7.41
4 प्रदत्त ब्याज	19162	17933	1229	6.85
-जमाराशियां	17520	16374	1146	7.00
-अन्य	1642	1559	83	5.32
5 परिचालन व्यय	5582	5179	403	7.78
-स्थापना	3825	3537	288	8.14
-अन्य	1757	1642	115	7.00
6 कुल व्यय (4+5)	24744	23112	1632	7.06
7 स्प्रेड (1-4)	7247	6494	753	11.60
8 परिचालन लाभ (3-6)	3559	3238	321	9.91
9 प्रावधान एनपीए/निवेश/अन्य	2669	4233	(1564)	(36.95)
10 कर के लिए प्रावधान	284	268	16	5.97
11 शुद्ध लाभ	606	(1263)	1869	147.98

- ❖ वर्ष के दौरान, ब्याज आय में 8.11 प्रतिशत की वृद्धि हुई.
- ❖ जमाओं पर प्रदत्त, ब्याज 7.00 प्रतिशत से बढ़कर, मार्च 2015 में रु. 17520 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष रु. 16374 करोड़ था.
- ❖ वर्ष के दौरान, कर्मचारियों पर व्यय रु.288 करोड़ से बढ़कर रु. 3825 करोड़ हो गया, जबकि पिछले वर्ष यह रु.3527 करोड़ था.



3. प्रावधान

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान, लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित रु.2953 करोड़ के कुल प्रावधान का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :

(रु. करोड़ में)

	31.03.2015	31.03.2014	विचलन
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	39	(7)	46
एनपीए के लिए प्रावधान	2610	3989	(1379)
निवेश पर मूल्यहास/प्रावधान	(21)	258	(279)
करों के लिए प्रावधान	284	268	16
अन्य	41	(7)	48
कुल	2953	4501	(1548)

4. लाभप्रदता अनुपात

(प्रतिशत में)

	31.03.2015	31.03.2014
जमाओं की लागत	7.22	7.24
निधियों की लागत	7.34	7.37
अग्रिमों पर आय	10.75	10.79
निवेशों पर आय	8.22	7.84
शुद्ध ब्याज मार्जिन	2.79	2.73
लागत आय अनुपात	61.07	61.53

5. बैंकिंग अनुपात

(प्रतिशत में)

	2014-15	2013-14
ब्याज आय एवं औसत कार्यशील निधि (एडब्लूएफ)	9.29	9.18
गैर-ब्याज आय एवं औसत कार्यशील निधि (एडब्लूएफ)	0.67	0.72
परिचालन लाभ एवं औसत कार्यशील निधि (एडब्लूएफ)	1.25	1.22
औसत आस्तियों पर प्रतिफल	0.21	--
प्रति कर्मचारी व्यवसाय (रु. लाख में)	1138	1025
प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (रु. लाख में)	153	--

6. पूंजी एवं जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर)

पूंजी पर्याप्तता अनुपात के संविभाग निम्नानुसार हैं :

	31.03.2015		31.03.2014	
	बासल-II	बासल-III	बासल-II	बासल-III
टियर-I	8.46	8.05	8.12	7.37
टियर-II	3.43	2.85	3.84	2.50
पूंजी पर्याप्तता अनुपात	11.89	10.90	11.96	9.87

7. शुद्ध लाभ एवं लाभांश

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए रु.606 करोड़ का लाभ अर्जित किया है. निदेशक मंडल ने प्रसन्नतापूर्वक इक्विटी शेयर पर 5 प्रतिशत की दर से अर्थात प्रत्येक रु. 10/- के इक्विटी शेयर पर रु. 0.50/- लाभांश देने की संस्तुति की है.



8. वर्ष के दौरान निदेशक मंडल में परिवर्तन

समीक्षा वर्ष के दौरान, बैंक के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं :

- ❖ श्री गुमान सिंह के अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक के पद का कार्यकाल दिनांक 07 अगस्त, 2014 को समाप्त होने पर, दिनांक 08 अगस्त, 2014 से वे अपने पद पर नहीं हैं।
- ❖ श्री अनिमेष चौहान की ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर पदोन्नति होने पर, दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 से उनका बैंक के कार्यपालक निदेशक पद समाप्त हो गया है।
- ❖ प्रो. एन. बालकृष्णन, जो बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत, दिनांक 10 जनवरी, 2012 से तीन वर्ष के लिए बैंक के शेयरहोल्डर निदेशक के लिए चुने गए थे, के कार्यकाल की अवधि दिनांक 09 जनवरी, 2015 को कारोबारी समय के पश्चात समाप्त हो जाने से, वे बैंक के निदेशक के पद पर नहीं हैं।

निदेशक मंडल द्वारा श्री गुमान सिंह, श्री अनिमेष चौहान एवं प्रो. एन. बालकृष्णन, जो वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक के निदेशक पद पर नहीं रहे हैं, प्रदत्त बहुमूल्य योगदान की सराहना करते हुए उनकी सेवाओं को रेखांकित किया गया।

9. पर्दाफाश नीति

लोकहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण (पीआईडीपीआई) के अंतर्गत बैंक पर्दाफाश शिकायतों के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का पालन करता है। बैंक का सेंट विजिल नामक एक वेब पोर्टल है जिसमें कर्मचारी और निदेशकगण कदाचारों की रिपोर्टिंग अपनी पहचान उजागर किए बिना कर सकते हैं, जो सिर्फ मुख्य सतर्कता अधिकारी को ही ज्ञात होती है। निदेशकगण और कर्मचारी आवश्यकता के आधार पर लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष से भी संपर्क कर सकते हैं। इससे कदाचार पर अंकुश लगाने, धोखाधड़ी रोकने एवं कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने में मदद मिलती है।

10. निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

निदेशकगण यह पुष्टि करते हैं कि दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों को तैयार करते समय;

- ❖ महत्त्वपूर्ण विचलन, यदि कोई है, के सम्बंध में समुचित स्पष्टीकरण के साथ, लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है;
- ❖ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार तैयार लेखांकन नीतियों को सुसंगत रूप में लागू किया गया है;
- ❖ समुचित एवं विवेकसम्मत निर्णय एवं प्राक्कलन किए गए हैं, ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बैंक के कारोबारी मामलों का तथा दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के अंत में बैंक के लाभ का सही एवं स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत किया जा सके;
- ❖ भारत में बैंकों को अधिशासित करने वाले नियमों के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन अभिलेख रखने में समुचित एवं पर्याप्त सावधानियां बरती गई हैं; एवं
- ❖ लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के आधार पर, लेखे तैयार किए गए हैं।
- ❖ आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं एवं वे प्रभावी रूप से क्रियान्वित हैं।
- ❖ सभी लागू प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणाली तैयार की गयी हैं तथा वे पर्याप्त हैं व प्रभावी रूप से प्रचालित हैं।

11. कॉर्पोरेट गवर्नेंस

बैंक का निदेशक मंडल, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं को अक्षरसः अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सुस्पष्ट लिखित प्रणाली तथा प्रथाओं को अपनाया है।

12. आभार

निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के अमूल्य मार्गदर्शन एवं सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करता है; निदेशक मंडल अपने ग्राहकों एवं शेयरधारकों द्वारा प्रदत्त निर्बाध समर्थन एवं विश्वास के लिए उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल बैंक के सतत समग्र कार्य-निष्पादन हेतु स्टाफ सदस्यों के योगदान एवं समर्पित सेवाओं की प्रशंसा करता है।

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 25 मई, 2015

निदेशक मंडल की ओर से

हस्ताक्षर
राजीव ऋषि
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण

भाग ए : अर्थव्यवस्था का विहंगावलोकन

विकास की संभावनाओं के मद्दे नजर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के लिए, आगामी वर्ष यद्यपि बेहतर रहना संभावित है तथापि; निकटवर्ती समय में मंदी का प्रभाव जारी रहेगा. तेल की घटती कीमतें, वैश्विक ब्याज दरों में कमी और मजबूत यूएस अर्थव्यवस्था के चलते, विकासशील देशों के लिए भी आगामी वर्ष के बेहतर रहने की प्रत्याशा है. जहां चीन में विकास की रफ्तार घटकर उसके आधिकारिक लक्ष्य 7% की तुलना में कम हो रही है, वहीं भारत अगले दो वर्षों में प्रगति पथ पर बढ़ने के लिए अग्रसर है.

हाल ही में केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 के स्थान पर वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए एक नई जीडीपी सीरीज़ जारी किए जाने की एक महत्वपूर्ण घटना हुई है. इस नई सीरीज़ में परिष्कृत कार्यप्रणाली नियोजित है तथा इसमें काफी अधिक आंकड़ों का उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से भारत जीडीपी प्राक्कलन में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समकक्ष आ गया है. नए प्राक्कलन का उपयोग करते हुए, वर्ष 2015-16 में बाजार मूल्य पर देश की जीडीपी में वृद्धि 8.1 से 8.5% के बीच होने की प्रत्याशा है. तथापि, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण ने संतुलित विकास का अनुमान दर्शाया है और अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि "साक्ष्य एवं सचेतक भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी की बजाय सुधार की व्याख्या के पक्ष में पैरवी कर रहे हैं".

सरकार द्वारा किए गए कई नीतिगत उपायों, मुद्रास्फीति में सतत कमी और घटती ब्याज दर की व्यवस्था से औद्योगिक उत्पादन एवं घरेलू उपभोग के पुनरोत्थान में महत्वपूर्ण मदद प्राप्त होगी. अतएव, सुधार एवं विकास की संभावनाओं को देखते हुए, सभी व्यावसायिक क्षेत्रों में सातत्यपूर्ण विकास के प्रति आशान्वित हुआ जा सकता है.

भाग-बी - बैंक का कार्य-निष्पादन

व्यवसाय

दिनांक 31 मार्च, 2015 को बैंक का कुल व्यवसाय रु.450539 करोड़ था, जो पिछले वर्ष के रु. 423390 करोड़ की तुलना में 6.41 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है. परिचालन लाभ रु. 3559 करोड़ रहा, जबकि पिछले वर्ष यह रु. 3238 करोड़ था, जो 9.91 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है. वर्ष 2014-15 में बैंक का शुद्ध लाभ रु. 606 करोड़ रहा, जबकि पिछले वर्ष रु. 1263 करोड़ की हानि हुई थी.

संसाधन संग्रहण

दिनांक 31 मार्च, 2015 को कुल जमा रु. 255572 करोड़ थी, इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 6.46 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई. वर्ष 2014-15 में बचत बैंक जमा बढ़कर रु.73810 करोड़ हो गई. इसमें पिछले वर्ष के रु. 66474 करोड़ की तुलना में 11.4% की वृद्धि दर्ज हुई. तथापि, वर्ष 2014-15 में चालू जमा घटकर रु. 13202 करोड़ हो गई, जबकि वर्ष 2013-14 में यह रु.13537 करोड़ थी. कुल जमा में कासा जमा हिस्सेदारी बढ़कर 34.05 प्रतिशत हो गई, जबकि पिछले वर्ष यह 33.33 प्रतिशत थी. वर्ष 2014-15 में कुल कोर जमा बढ़कर रु. 228137 करोड़ हो गई, जो वर्ष 2013-14 में रु. 187635 करोड़ थी, यह वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 21.59 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जबकि वर्ष 2014-15 में कोर सावधि जमा 31.33 प्रतिशत से बढ़कर रु.141125 करोड़ तक पहुंच गई, जबकि वर्ष 2013-14 में यह रु. 107624 करोड़ थी.

ऋण

दिनांक 31.03.2015 को बैंक का सकल ऋण रु. 194967 करोड़ हो गया, जबकि पिछले वर्ष यह रु. 183321 करोड़ था, इसमें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 6.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई. विविध क्षेत्रों के अंतर्गत ऋणों का विवरण निम्नानुसार है :

रु. करोड़ में

	दिनांक 31.03.2014 को	दिनांक 31.03.2015 को	वृद्धि (%)
कॉर्पोरेट ऋण	97608	97568	(0.04)
कृषि	35387	35957	1.63
एमएसई	21515	26503	23.18
रिटेल ऋण	28811	34939	21.27

ऋण निगरानी विभाग

- ❖ बैंक ने सुपरिभाषित निगरानी नीति शुरू की है, जिसमें एसएमए (विशेष उल्लिखित खाते) प्रबंधन पर विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं, इसमें एसएमए प्रबंधन के सभी क्षेत्र, त्वरित चेतावनी संकेतक, निगरानी एवं अनुवर्ती उपाय तथा रिपोर्टिंग प्रणाली को समाहित किया गया है.
- ❖ मई 2011 में निदेशक मंडल द्वारा इस नीति का अनुमोदन किया गया है और दिनांक 1 जुलाई, 2011 से पूरे बैंक में इसे लागू किया गया है. बोर्ड के अनुमोदन से इस नीति में समय समय पर संशोधन किए जाते हैं.

- ❖ मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक के स्वतंत्र प्रभार के अंतर्गत दिनांक 1 अगस्त, 2011 से ऋण निगरानी के लिए एक पृथक वर्टिकल बनाया गया है।
- ❖ निगरानी नीति दिशानिर्देशों के अनुसार, केन्द्रीय कार्यालय, सभी आंचलिक/क्षेत्रीय कार्यालयों तथा कॉर्पोरेट वित्त शाखाओं के स्तर पर प्रत्येक माह मानक अनियमित/एसएमए खातों की पुनरीक्षा करने के लिए निगरानी समितियां गठित की गई हैं एवं ऋण निगरानी की संपूर्ण कार्यवाही की संगठित पुनरीक्षा माह में एक बार की जाती है।
- ❖ निगरानी दक्षता/जागरूकता विकसित करने के लिए, उप क्षेत्रीय प्रबंधकों/ऋण समीक्षा अधिकारियों सहित फील्ड स्टाफ सदस्यों के लिए कई कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।
- ❖ दबावग्रस्त खातों की आस्ति गुणवत्ता के प्रबंधन के लिए कार्यनीतियां बनाने हेतु, विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों/आंचलिक कार्यालयों में स्थानीय बैठकों का आयोजन किया गया एवं/अथवा एसएमए उधारकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई।
- ❖ बैंक ने कॉर्पोरेट, एसएमई, रिटेल तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों पर रियलटाइम निगरानी के लिए केन्द्रीकृत ऋण मूल्यांकन प्रणाली एवं पर्यवेक्षण (क्लास) निगरानी मॉड्यूल सॉफ्टवेयर का भी कार्यान्वयन किया है।
- ❖ सघन ऋण निगरानी सुनिश्चित करने के लिए ऑफसाइट निगरानी पर्यवेक्षण प्रणाली हेतु भी कदम उठाए गए हैं।
- ❖ रु. 5 करोड़ एवं उससे अधिक के नए/ऋण सीमा वृद्धि के अग्रिमों में संवितरण पूर्व लेखापरीक्षा तथा रु. 1 करोड़ एवं उससे अधिक के नए अग्रिमों में संवितरण के 30 दिन के भीतर लेखापरीक्षा करना प्रारंभ किया गया है।
- ❖ वर्ष के दौरान, सिबिल उपभोक्ता एवं वाणिज्यिक डेटा स्वीकार्यता के स्तर में क्रमशः 80% एवं 95% का सुधार हुआ है।
- ❖ बैंक ने पूर्व की सभी वार्षिक वित्तीय निरीक्षण (एफआई) रिपोर्टों का बिन्दुवार अनुपालन प्रस्तुत कर दिया है और वर्ष 2013 तक की एफआई रिपोर्टें बंद कर दी गई हैं। एफआई 2014 के संबंध में 247 कार्यबिंदुओं में से 8 बिंदुओं को छोड़कर सभी का अनुपालन किया जा चुका है। इन बिंदुओं का अनुपालन भी शीघ्र ही किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार, समायोजित शुद्ध बैंक ऋण अथवा इतर तुलन-पत्र जोखिम के तुल्य ऋण, में से जो भी अधिक हो, का 40% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत प्रदान किया जाना है।

अतः इस क्षेत्र के अंतर्गत ऋण प्रवाह बैंक के लिए अत्यंत महत्व का क्षेत्र है। हमने कृषि, एमएसई, आवास, शैक्षिक एवं प्राथमिकता क्षेत्र के अन्य प्रमुख घटकों में ऋण प्रवाह बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया है। इसके परिणामस्वरूप, प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत हमारी प्रागति प्रभावपूर्ण रही है।

दिनांक 31.03.2015 को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के विविध अनुभागों के अंतर्गत बैंक का कार्य-निष्पादन निम्नानुसार है-

₹ करोड़ में


क्र.सं.	विवरण	मार्च 2014	मार्च 2015	वृद्धि (%)
	समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (एएनबीसी)	179152	188738	5.35
1	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	68652	75997	10.70
	एएनबीसी का प्रतिशत	38.32	40.27	
2	कुल कृषि ऋण	35387	35957	1.61
	एएनबीसी का प्रतिशत	19.75	19.05	
	शुद्ध कृषि ऋण (अप्रत्यक्ष कृषि ऋण का अधिकतम 4.5%)	31878	34121	7.03
	एएनबीसी का प्रतिशत	17.79	18.07	
3	प्रत्यक्ष कृषि ऋण	23816	25628	7.60
	एएनबीसी का प्रतिशत	13.29	13.58	
4	अप्रत्यक्ष कृषि ऋण	11571	10329	-10.73
	एएनबीसी का प्रतिशत	6.45	5.47	
	अधिकतम अनुमत (एएनबीसी का 4.5%)	8062	8493	5.35
	एएनबीसी का प्रतिशत	4.50	4.50	
5	सूक्ष्म एवं लघु उद्यम	21515	26503	23.18
6	शैक्षणिक ऋण	3072	2882	-6.18
7	आवास ऋण (₹. 25.00 लाख तक)	8418	10449	24.12
8	सूक्ष्म ऋण एवं अन्य	264	206	-21.96



प्राथमिकता क्षेत्र


वर्ष 2014-15 के दौरान, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ऋण विनियोजन रु. 68,652 करोड़ से बढ़कर रु. 75997 करोड़ हो गया, इसमें गत वर्ष की तुलना में 10.70% की वृद्धि दर्ज हुई.

(रु. करोड़ में)



कृषि

कुल कृषि ऋण, दिनांक 31.03.2014 के रु. 35387 करोड़ के स्तर से 1.61% बढ़कर दिनांक 31.03.2015 को रु. 35957 करोड़ हो गए हैं. गतवर्ष, बैंक ने रु. 2200 करोड़ के आईबीपीसी क्रय किए थे, जिसे वर्ष 2014-15 के दौरान चुकाया गया था. आईबीपीसी को छोड़कर एवं अप्रत्यक्ष कृषि के अधिकतम 4.5% के रहते हुए, कृषि ऋणों के अंतर्गत हुई वृद्धि 12.89% है. समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (एएनबीसी) में कृषि ऋणों का अनुपात 18.09% है, जो निर्धारित लक्ष्य 18% से अधिक है.



कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु की गई नई पहलें :

विशिष्ट ऋण अभियान :

- ❖ ऋण शिविरों का कैलेण्डर तैयार कर सभी आंचलिक कार्यालयों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों को उपलब्ध कराया गया. हमारी सभी ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी शाखाओं में कृषि ऋणों का प्रचार एवं नए ऋण स्वीकृत करने हेतु प्रत्येक माह में कम-से-कम एक मेगा ऋण शिविर का आयोजन किया गया तथा वर्ष के दौरान इन ऋण शिविरों में रु. 3242.67 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए गए एवं 2,04,256 किसानों में संवितरित किए गए.
- ❖ सभी ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी शाखाओं में दिसम्बर, 2014 के दौरान एक विशेष अभियान 'कृषक महोत्सव' चलाया गया. इस अभियान के दौरान, रु. 270.46 करोड़ के कृषि ऋण स्वीकृत कर 15646 नए उधारकर्ताओं को संवितरित किए गए.

नए उत्पादों का शुभारंभ :

- ❖ कृषि बाजार ढांचा के वित्त पोषण के लिए सेन्ट एएमआई योजना
- ❖ नियंत्रित खेती के वित्तपोषण के लिए सेन्ट पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस योजना.


मास्टर परिपत्रों का अद्यतन

- ❖ सभी कृषि ऋण योजनाओं एवं अन्य महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों को अद्यतन कर उन्हें दिनांक 01.01.2015 को मास्टर परिपत्र के रूप में जारी किए गए. फील्ड फंक्शनरियों के त्वरित संदर्भ हेतु उन्हें बैंक की इंटरनेट साइट पर भी अपलोड किया गया है.

वित्तीय समावेशन (एफआई)


- ❖ बैंक ने 2000 से अधिक जनसंख्या वाले 4,330 गांवों तथा 2000 से कम जनसंख्या के 18,371 गांवों को कवर किया है. बैंक ने इन गांवों को 6,382 बीसी एजेंटों के माध्यम से कवर किया. हमने बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों में 238 शाखाएं भी खोली हैं.

1. बैंक ने 1427 आधार शाखाओं से लिंक अपनी सभी 3677 अल्ट्रा लघु शाखाएं खोल दी हैं.
2. हमने एनसीआर क्षेत्र में 17 तथा भोपाल क्षेत्र में 9 शहरी वित्तीय समावेशन केंद्र खोले हैं.
3. लेनदेनों की संख्या:



वित्तीय लेनदेनों में बीसी के माध्यमों से खोले गए खातों में वित्तीय वर्ष 2014-15 में लेनदेन बढ़कर 52.46 लाख (वर्ष दर वर्ष 64% वृद्धि) हो गया, जो वित्त वर्ष 2013-14 में 31.65 लाख थे.


4. बीसी के माध्यम से व्यवसाय



बीसी के माध्यम से व्यवसाय बढ़कर दिनांक 31 मार्च, 2015 को रु. 132.11 करोड़ हो गया है, जो दिनांक 31 मार्च, 2014 को रु. 74.99 करोड़ था: **76% की वृद्धि.**



5. बीसी के माध्यम से खाते खुलना:



बीसी के माध्यम से खातों की संख्या दिनांक 31 मार्च, 2014 के 51.11 लाख से बढ़कर दिनांक 31 मार्च, 2015 को 62.74 लाख हो गई है: **23% की वृद्धि**.

6. बैंक ने अपनी शाखाओं एवं बीसी के माध्यमों से 146.71 लाख बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट (बीएसबीडीए) खोले हैं। इन खातों में कुल जमा शेष रु. 763.99 करोड़ है।
7. हमारे सभी एफआई खाते, बैंक के सीबीएस में माइग्रेट हो गए हैं।
8. 81% ग्राहकों के फिंगर प्रिंट, बैंक के सेंट्रल बायमीट्रिक ऑथेंटिकेशन सर्वर में मौजूद हैं।
- ❖ हमने एफआई ग्राहकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित चार मूल वित्तीय उत्पाद प्रारंभ किए हैं अर्थात सेन्ट बचत खाता, सेन्ट विकास खाता, सेन्ट स्मार्ट किसान क्रेडिट कार्ड, सेन्ट वेरिफाइल आवर्ती जमा योजना। हमने पूर्व केवायसी समर्थित बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट खाते जैसे सेन्ट वैभव एवं सेन्ट उन्नति भी प्रस्तुत किए हैं।

वित्तीय समावेशन पहल:

- ❖ आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (ईपीएस): हमारे एफआई वेंडरों द्वारा माइक्रो एटीएम के माध्यम से ईपीएस लेनदेन किए जा रहे हैं।
- ❖ आधार सीडिंग एवं संबद्धता को विभिन्न विकल्पों के साथ क्रियान्वित किया 1) शाखा सीबीएस प्रणाली 2) शाखाओं से बल्क अपलोड. 3. आरएएसएफ का उपयोग 4. इंटरनेट बैंकिंग 5. एटीएम के माध्यम से, वर्तमान में बैंक ने सीबीएस में 91.30 लाख से अधिक आधार संख्या सीड एवं सम्बद्ध कर एनपीसीआई, मेपर से अद्यतन की जा चुकी है।
- ❖ निष्क्रिय, अवरूद्ध एवं संयुक्त खातों, जिनमें परिचालन मोड उपलब्ध है, उन्हें दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी, कोई एक या उत्तरजीवी तथा सभी द्वारा संयुक्त रूप से आधार सीडिंग समर्थित किया जा चुका है।
- ❖ 12 टीएसपी में से 10 में ईपीएस ओनस लाइव है।
- ❖ आधार की सफल सीडिंग पर एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से एलर्ट भेजे गए।
- ❖ शाखाओं एवं कुल 12 एक्टिव टीएसपी में से 10 टीएसपी में ई-केवायसी क्रियान्वित किए गए हैं।
- ❖ 85.39% ग्राहकों संबंधी बीसी/गांव विवरण का अद्यतन पूर्ण किया जा चुका है।
- ❖ आईएफआईएस- सभी 12 सक्रिय टीएसपी में ऑनलाइन एफआई लेनदेन है। (सीएस के माध्यम से डीसी पर अर्थात, बायमेट्रिक ऑथेंटिकेशन)।
- ❖ बीसी आउटलेट पर बीएसबीडी खातों में जमा के लिए तृतीय पक्ष अनुमत किया गया है।
- ❖ **प्रधानमंत्री जन-धन योजना-**

इस योजना के अंतर्गत हमारे बैंक ने 57.35 लाख बीएसबीडी खाते खोले हैं तथा व्यवसाय में रु. 317.82 करोड़ की वृद्धि हुई है। 90% खातों को रु. 1 लाख का दुर्घटना बीमा एवं रु. 30,000 जीवन बीमा कवर के साथ रुपे कार्ड समर्थित कर दिया गया है। 42% खाते आधार के साथ जोड़े जा चुके हैं।

शाखाओं में ई-केवायसी मॉड्यूल के माध्यम से बीएसबीडी खाते जा रहे हैं।

हमने 28,981 पीएमजेडीवाई खातों में ओडी सुविधा उपलब्ध कराई है तथा अनुमानित रु. 78000 संवितरित किए हैं।



अग्रणी बैंक के तहत कार्यनिष्पादन

- ❖ हम सात राज्यों यथा; मध्य प्रदेश(18), बिहार(10), महाराष्ट्र(7), उत्तर प्रदेश(5), पश्चिम बंगाल(3), राजस्थान(3) एवं छत्तीसगढ़(4) के 51 जिलों में अग्रणी बैंक के उत्तरदायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। हमारी 50% से अधिक एवं लगभग 25% शाखाएं क्रमशः इन राज्यों एवं अग्रणी जिलों में कार्यरत हैं।
- ❖ अग्रणी बैंक योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु, अग्रणी जिला प्रबंधकों के कार्यालयों को पर्याप्त सुविधाओं युक्त बनाया गया है तथा स्टाफ की समुचित व्यवस्था की गई है। साथ ही, अन्य बुनियादी सुविधाएं, यथा-पृथक/अच्छा परिसर, वाहन, कंप्यूटर/लैपटॉप (स्काइप सुविधायुक्त) तथा प्रिंटर, टेलीफोन, इन्टरनेट सुविधा, ई-मेल आईडी, मोबाइल, फैक्स, वेबसाइट की स्थापना इत्यादि भी उपलब्ध कराई गई हैं।
- ❖ हमने ग्रामीण इलाकों की आम जनता/लोगों को लोगों को उनसे सम्बंधित हमारे बैंक के विभिन्न उत्पादों से परिचित कराने के लिए, किसान क्रेडिट कार्ड, सेन्ट्रल अर्टिजन क्रेडिट कार्ड, स्वाभिमान/आधार इत्यादि को एलडीएम को प्रदत्त गाड़ियों पर प्रदर्शित किया है।
- ❖ वार्षिक ऋण योजना के तहत अग्रणी जिलों में स्थित हमारी शाखाओं का कार्यनिष्पादन 74% रहा है, जबकि सभी बैंकों का कुल मिलाकर अग्रणी जिलों में कार्यनिष्पादन 67% है।
- ❖ हमने सशक्तिकरण, युवाओं के कौशल विकास प्रशिक्षण एवं ऋण संबद्धता के माध्यम से समन्वित विकास के लिए प्रत्येक अग्रणी जिले में एक-एक गांव का चयन किया है। सम्पूर्ण सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए सभी विकासपरक गतिविधियों जैसे वित्तीय साक्षरता/ वित्तीय समावेशन कार्यक्रम आरसेटी में ग्रामीण बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूह/कृषक क्लब/जेएलजी का गठन, ऋण गतिविधियों का पूर्ण क्रियान्वयन किया जा रहा है। अग्रणी जिले के अन्य गांवों में भी इनकी प्रतिकृति दर्शाई जा रही है।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति :

- ❖ मध्य प्रदेश राज्य में हमारा बैंक एसएलबीसी का समन्वयक है। वर्ष 2014-15 के दौरान, विभिन्न एजेन्सियों द्वारा सरकार प्रायोजित कार्यक्रमों सहित विभिन्न पैरामीटरों के अंतर्गत राज्य में की गई प्रगति की समीक्षा तथा उस पर निगरानी रखने हेतु तीन नियमित तथा दो विशिष्ट एसएलबीसी बैठकें आयोजित की गईं।
 - ❖ इस राज्य के लिए हमारा विजन है कि “राज्य का ऐसा सर्वांगीण एवं समन्वित विकास, जिससे सभी नागरिकों का जीवन समृद्ध बने तथा उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार, श्रेष्ठ प्रयास करने के अवसर प्राप्त हों और वे राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकें”।
 - ❖ एसीपी के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विभिन्न कार्यनीतियों पर चर्चा करने हेतु राज्य के सभी अग्रणी जिला प्रबंधकों की समीक्षा सम्मेलन/कार्यशाला के आयोजन, वित्तीय समावेशन के कार्यान्वयन तथा उद्देश्य प्राप्ति में इनकी एकीकृत भूमिका तथा दायित्वों की कार्य-योजना तैयार करने में हम निरंतर अग्रगामी रहे हैं।
 - ❖ हमारा बैंक पहला ऐसा बैंक है, जिसने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के साथ एमओयू निष्पादित किया है।
 - ❖ कुछ जिलों में विभिन्न प्रतिकूलताओं के बावजूद, राज्य का सीडी अनुपात 56% से अधिक रहा है।
 - ❖ बैंकों को आबंटित सभी उप-सेवा क्षेत्रों को बैंकिंग आउटलेट जैसे-शाखा, बीसीए अथवा सीएससी द्वारा कवर किया गया है।
 - ❖ राष्ट्रीय स्तर पर एमएसएमई क्षेत्र पर जोर को देखते हुए, एमएसई के अंतर्गत लक्ष्यों में 100% से अधिक मात्रा की वृद्धि हुई। मार्च 2015 तक बैंक 138% लक्ष्य पाने में समर्थ हुआ है। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई नई स्वरोजगार योजना के कारण उपलब्धि में मात्रागत वृद्धि हुई।
1. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना
 2. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केन्द्र (एफएलसीसी)

- ❖ हमने 7 राज्यों में 50 एफएलसीसी खोले हैं, यथा मध्य प्रदेश(18), बिहार(10), महाराष्ट्र(8), उत्तर प्रदेश(5), पश्चिम बंगाल(4), राजस्थान(3) एवं छत्तीसगढ़(2)।
- ❖ इन सभी केन्द्रों द्वारा 5343 आउटडोर विजिट की गईं, जिसमें 319110 व्यक्तियों को साक्षरता/परामर्श प्रदान किया गया। इनके अंतर्गत जन-अभियान एवं व्यक्तिगत परामर्श दोनों ही शामिल हैं।
- ❖ लोगों में जागरूकता लाने एवं उनकी आर्थिक स्थिति और जीवनयापन स्तर में सुधार के अवसर प्रदान करने के लिए, बैंक ने उन्हें जन-सम्पर्क



प्रणाली युक्त गाड़ियां एवं बैंक द्वारा आरम्भ किये गए विभिन्न उत्पादों/योजनाओं को प्रचारित करने के लिए एलसीडी प्रदान किए हैं। इसके अलावा गांव के दौरो एवं परामर्श प्रदान करते समय शिक्षण सामग्री, किट, किताबें इत्यादि भी उपलब्ध कराई हैं।

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान

- ❖ बैंक ने देश के 9 राज्यों में 46 आरसेटी अर्थात मध्य प्रदेश(18), बिहार(9), महाराष्ट्र(6), उत्तर प्रदेश(5), पश्चिम बंगाल(3), छत्तीसगढ़(2), राजस्थान(1), ओडिसा(1) एवं असम(1) की स्थापना की है।
- ❖ वर्ष 2014-15 के दौरान, आरसेटी ने 891 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये, जिनमें 24290 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इनमें से, 14816 (61%) प्रशिक्षु बैंक-ऋण के माध्यम से संबद्ध, मजदूरी निपटान एवं स्व-वित्तपोषण से व्यवस्थित किए गए।
- ❖ 18 आरसेटी केंद्र, A, AA ग्रेड तथा 21 केंद्र को B, BB, BA, AC ग्रेड प्रदान किया गया, जबकि केवल 4 केन्द्रों को C व D ग्रेड प्रदान किया गया, इन चयनित केंद्रों में वर्तमान वर्ष में उन्नयन के लिए उनकी कमियों को पहचान कर उन्हें दूर किया जा रहा है।

हमारी पहल


- ❖ आरसेटी तथा एफएलसीसी के प्रचालनों तथा कार्य-प्रणाली पर नियंत्रण एवं निगरानी रखने के लिए, हमारे बैंक द्वारा रु. "सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया सामाजिक उत्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान(सीबीआई-एसयूएपीएस)" नाम से एक सोसाइटी/ट्रस्ट की स्थापना की गई है।
- ❖ आरसेटी तथा एफएलसीसी के मामलों तथा कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण एवं निगरानी रखने हेतु, हमने एक उच्च स्तरीय प्रशासकीय परिषद् का गठन किया है, इसमें हमारे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सरक्षक, कार्यपालक निदेशक, अध्यक्ष एवं महाप्रबंधकगण इसके सदस्य हैं।
- ❖ केन्द्रीय कार्यालय के स्तर पर हमने कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में व्यापक अनुभव एवं एक्सपोजर प्राप्त सेवानिवृत्त महाप्रबंधक को मुख्य कार्यपालक अधिकारी-आरसेटी/एफएलसीसी के तौर पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।
- ❖ हमने पर्याप्त मानवशक्ति के साथ यथेष्ट दक्षता प्राप्त सेवानिवृत्त वरिष्ठ बैंक अधिकारियों को आरसेटी निदेशक तथा एफएलसीसी परामर्शदाता के रूप में कार्य करने हेतु अनुबंधित करना प्रारम्भ कर दिया है।
- ❖ जिला स्तर पर सभी स्थानीय विकास संस्थानों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित कर स्थानीय सलाहकार समितियों तथा प्रशिक्षण समितियों का गठन किया गया है।
- ❖ सभी 46 आरसेटी के लिए भवन निर्माण हेतु, हमने एक मॉडल योजना तैयार की है। आरसेटी प्रशिक्षुओं के रोजगार की स्थिति की जानकारी रखने के लिए लभार्थियों के वेब आधारित आंकड़ों के संग्रहण की प्रक्रिया जारी है।

रिटेल ऋण

रिटेल ऋण योजना के अंतर्गत, कुल बकाया राशियां दिनांक 31.03.2014 के रु. 28811 करोड़ से बढ़कर दिनांक 31.03.2015 को रु. 34939 करोड़ हो गई, इस प्रकार रु. 6128 करोड़ की समग्र वृद्धि दर्शाते हुए मार्च 2014 पर 21% की वृद्धि दर्ज की। बैंक के कुल अग्रिम में रिटेल पोर्टफोलियो 17.92% है।

	31/03/2013	31/03/2014	31/03/2015
रिटेल ऋण	22209	28811	34939
कुल ऋण	1,76,234	1,83,321	1,94,967
कुल ऋण का %	12.60%	15.72%	17.92%

रिटेल ऋण (रु. करोड़ में)





विभाग की पहल

उत्पाद/सेवाएं

1. उत्पाद श्रेणी संभावित ग्राहकों के लिए सुस्पष्ट विविधता मुक्त विशिष्ट उत्पादों को ध्यान में रखते हुए, बैंक के पास निम्नलिखित 27 संपूर्ण विकसित उत्पाद निम्नानुसार हैं :

क्र.सं.	योजनाओं का नाम
1.	सेन्ट होम ऋण योजना
1.ए	हमारे बैंक के स्टाफ की सेवानिवृत्ति पर उनके स्टाफ आवास निर्माण ऋण का प्रत्यक्ष आवास ऋण के अंतर्गत संपरिवर्तन.
2	सेन्ट होम डबल प्लस योजना
3	बैंक की प्रत्यक्ष आवास वित्त योजना के अंतर्गत केंद्र/राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के पीएसयू के कर्मचारियों के लिए विशेष आवास ऋण योजना
4	सेन्ट होम सीआरजीएफटीएलआईएच योजना
5	राजीव ऋण योजना (शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) एवं कमजोर आय समूह (एलआईजी) के लिए आवास ऋण)
6	सेन्ट होम लोन प्लस
7	सेन्ट अर्नेस्ट मनी वित्तपोषण योजना
8	सेन्ट मॉर्गेज
9	सेन्ट मॉर्गेज शैक्षिक संस्थान
10	सेन्ट ट्रेड
11	सेन्ट रेंटल
12	रिवर्स मॉर्गेज ऋण- संशोधित सेन्ट स्वाभिमान योजना
13	सेन्ट विद्यार्थी
13 ए	हमारे बैंक के स्टाफ के बच्चों के लिए सेन्ट विद्यार्थी योजना के अंतर्गत छूट
14	कार्यपालकों को एमबीए करने के लिए वित्तपोषण हेतु शैक्षिक ऋण योजना
15	आईआईएमएस एवं 4 प्रतिष्ठित संस्थानों के विद्यार्थियों हेतु शैक्षिक ऋण योजना
16	व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए आईबीए मॉडल ऋण योजना- सेन्ट विद्यार्थी-व्यावसायिक शैक्षिक एवं प्रशिक्षण
17	सेन्ट व्हीकल योजना
17 ए	स्टाफ को स्टाफ व्हीकल ऋण योजना की ऋण सीमा से अधिक वाहक ऋण की स्वीकृति हेतु सेन्ट व्हीकल योजना.
18	सेन्ट सहयोग
19	सेन्ट डेंटिस्ट (रिटेल ऋण उत्पाद सहित: आईडीए-सेन्ट डेंटिस्ट, आईडीए-डीएचएफएस, आईडीए-सेन्ट व्हीकल, आईडीए-सेन्ट विद्यार्थी)
20	सेन्ट डॉक्टर
21	सेन्ट पर्सनल ऋण
22	सेन्ट कॉरपोरेट ऋण
23	पेंशनधारकों के लिए सेन्ट पर्सनल ऋण
24	सेन्ट सुविधा
25	सेन्ट पर्सनल गोल्ड ऋण योजना. (गैर-प्राथमिकता क्षेत्र)
26	शैक्षिक संस्थानों के अध्यापकों एवं कर्मचारियों के लिए पर्सनल ऋण
27	चैनल वित्तपोषण के लिए व्यापक योजना

ये उत्पाद विभिन्न लक्ष्य समूहों एवं विशिष्ट आला बाजार के लिए विविधता से परिपूर्ण हैं.



2. उत्पाद की परस्परव्यापी एवं जीवन चक्र को देखते हुए तथा परस्परव्यापी लक्ष्य समूह के बचाव हेतु, बैंक ने सेन्ट विद्यार्थी को सेन्ट ट्रेड में तथा सेन्ट उडान को सेन्ट विद्यार्थी में विलय किया है, इसके अतिरिक्त, परस्परव्यापी एवं अपचार अनुपात को ध्यान में रखते हुए 10 परस्परव्यापी उत्पादों को समाप्त किया है। ये हैं- i. सेन्ट बाय ii. सेन्ट कॉम्पेटिटिव एकजाम iii. सेन्ट कम्प्यूटर iv. सेन्ट ज्वैल v. सेन्ट मल्टीपरपज vi. सेन्ट सफर, vii. सेन्ट स्कूल, viii. सेन्ट विवाह, ix. एलआईसी एजेंटों के लिए पर्सनल ऋण x. सेन्ट अपफ्रंट आवास ऋण-अग्रिम संवितरण सुविधा
3. त्वरित उत्पाद/सेवा डिलीवरी के लिए बैंक द्वारा कंप्यूटरीकृत ऋण मूल्यांकन प्रणाली एवं 'कम्प्यूटराइज्ड लोन अप्राइजल सिस्टम एण्ड पर्यवेक्षण'(क्लास) प्रणाली के माध्यम से रिटेल उत्पादों का प्रसंस्करण किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान यह नई कार्यनीति क्रियान्वित की गई है तथा इसमें 100% प्रगति हुई है।
4. ग्राहक के दृष्टिकोण से उत्पाद एवं सेवाओं की प्रभाविता हेतु इनसे संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है। जहां परिपत्रों से विचलन है, वहाँ संबंधित विचलन प्रस्तावों को उनकी तरलता एवं ग्राहक संबंधी अन्य संबंध तथ्यों के गुणदोष के आधार पर अनुमोदन हेतु उन्हें प्राधिकृत समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। उत्पादों एवं सेवाओं से संबंधित फ़िल्ड फंक्शनरियों से प्राप्त सुझावों का बैंक के कॉरपोरेट स्तर पर विश्लेषण किया जा रहा है तथा इनकी व्यवहार्यता, लागत प्रतिलाभ विश्लेषण एवं अनुपालन पर विचार करने के पश्चात संबंधित उत्पाद एवं सेवाओं में संशोधन किया गया है तथा आम जनता के सूचनार्थ मार्च, 2015 को आम जनता के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उद्योग में नये उत्पाद प्रस्तुत करने के अतिरिक्त यह नीति विद्यमान उत्पादों का पुनः नवीनीकरण, मूल्यांकन सुधार, प्रसंस्करण एवं डिलीवरी प्रणाली तथा सबसे प्रमुख एक्सपोजर से जुड़ी जोखिमों को कम करने पर ध्यान रखती है। नये उत्पादों को विकसित करने एवं उनके परिकरण में दीर्घ अवधि संभाव्यता को ध्यान में रखा गया है ताकि वे अल्प अवधि में तकनीकी रूप से अप्रचलित नहीं हों। उत्पाद के चक्र की दीर्घता को समुचित महत्व दिया गया है। साथ ही, एक समयावधि में ग्राहकों की पसंद में परिवर्तन के आधार पर उनकी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, उन्हें उपयुक्त समय पर उत्पाद को पुनः विकसित किया जा सकता है।
5. बैंक के प्रशासनिक कार्यालयों द्वारा वेब आधारित ऑनलाइन जनरेटेड लीड्स पर भी विधिवत रख, उसका मार्केटिंग लाभ लिया जा रहा है।
6. अच्छे ग्राहकों को बनाये रखने के लिए हमने सिबिल से प्रायोगिक परियोजना डायनेमिक मॉनिटरिंग सिस्टम लिया है, जिससे हमें बैंक के विद्यमान ग्राहकों को रिटेल उत्पादों/सेवाओं की 'क्रॉस सेलिंग' करने तथा वसूली के लिए लापता उधारकर्ताओं को खोजने में भी सहायता मिली है।
7. बैंक ने खुदरा आस्ति खातों में सतत निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई द्वारा अपचार को नियंत्रण करने हेतु कदम उठाए हैं। खातों में चूक होने के उचित कारणों का विश्लेषण कर, सुधारात्मक कदम उठा कर रिटेल बैंकिंग में गुणात्मक एवं मात्रात्मक सुधार सुनिश्चित किया जा रहा है।
8. ऋणों में गुणात्मक सुधार के लिए, हमने 42 केंद्र चिन्हित किए हैं तथा रिटेल ऋण उत्पादों के प्रसंस्करण हेतु केंद्रीकृत ऋण प्रसंस्करण केंद्र (सीसीपीसी) स्थापित किए हैं। इससे शाखाओं को उत्पादों एवं सेवाओं की मार्केटिंग करने तथा प्रस्ताव के 'टर्न अराउंड टाइम (टीएटी)' को न्यूनतम सुनिश्चित करने हेतु अतिरिक्त समय मिल सकेगा।

अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग

- ❖ बैंक का विदेशी विनिमय व्यवसाय देशभर में फैली 89 प्राधिकृत डीलर शाखाओं द्वारा संपादित किया जाता है। परिचालनीय कुशलता के लिए मुम्बई में बैंक का एक केन्द्रीकृत डीलिंग रूम है ताकि कोष प्रबन्धन व परिचालन सुविधा में बेहतरी हासिल की जा सके।
- ❖ चालू वित्त वर्ष में, बैंक का निर्यात ऋण पोर्टफोलियो दि.31.03.2014 के रु. 5509 करोड़ से बढ़कर दि.31.03.2015 को रु. 5571 करोड़ हो गया है।
- ❖ वित्तीय वर्ष 2013-14 के विदेशी विनिमय व्यापार टर्नओवर रु. 43,783 करोड़ के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2014-15 में रु. 44,166.25 करोड़ हो गया।
- ❖ एनआरई जमा राशि दिनांक 31.03.14 को रु. 2485.28 करोड़ से बढ़कर 31.03.15 को यह रु. 3079 करोड़ हो गई, जो गत वर्ष की तुलना में 23.89% की वृद्धि दर्शाती है।
- ❖ एफसीएनआर जमा राशि दिनांक 31.03.2014 को यूएसडी 142.12 मिलियन से बढ़कर दिनांक 31.03.2015 को यूएसडी 174.85 मिलियन हो गई, जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 15% अधिक है।



ट्रेजरी, निधि एवं निवेश

- ❖ बैंक का निवेश पोर्टफोलियो दिनांक 31 मार्च, 2015 को बढ़कर रु. 95655 करोड़ हो गया है, जो दिनांक 31 मार्च, 2014 में रु. 86384 करोड़ था. इस प्रकार पिछले वर्ष के आधार पर इसमें 10.73% की वृद्धि दर्ज की गई है. दस वर्षीय बेंचमार्क प्रतिफल दिनांक 31.03.2014 के 8.83% की तुलना में दिनांक 31 मार्च, 2015 को 7.74% पर बंद हुआ है.
- ❖ वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान रेपो की विविधता में लाना, मीयादी रेपो, परिवर्ती अवधि एवं रिवर्स रेपो के द्वारा तरलता में स्थिरता लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कई उपाय किए हैं. वित्त वर्ष 2014-15 में रेपो रेट को दो बार में 0.50% (क्रमशः जनवरी 2015 में 0.25% एवं मार्च 2015 में 0.25%) कम किया गया .
- ❖ रेपो दर के सन्निकट ब्याज दरें रखने के उद्देश्य के लिए विवेकाधीन परिवर्ती मीयादी रेपो एवं रिवर्स रेपो को एनडीटीएल के 1% से अधिक रखने के अलावा, रेपो उधार सीमा को एनडीटीएल का 0.25% कम किया एवं मीयादी रेपो को एनडीटीएल का 0.75% कम किया गया है, मीयादी एलएफ में उधारी के लिए बैंकों को नीलामी में बोली लगानी पड़ती है.
- ❖ ओवरनाइट रेपो मार्च 2014 के 8.00% से घटकर मार्च 2015 में 7.75% हो गया, जो मार्च 15 में और घटकर 7.50% हो गया.
- ❖ अस्थिर बाजार एवं संकट ग्रस्त तरलता प्रबंधन परिस्थितियों में, ट्रेजरी ने रु. 617 करोड़ का व्यापार लाभ दर्ज किया, जोकि पिछले वर्ष रु. 455 करोड़ के व्यापार लाभ की तुलना में काफी अधिक है. बाजार के अवसरों का उपयोग संसाधनों की रणनीतिक आयोजना तथा दक्षतापूर्वक व्यवसाय करने से यह प्राप्त किया जा सका. निवेश पर प्रतिफल 7.84% (आरआईडीएफ सहित) से बढ़कर 8.22% (आरआईडीएफ रहित) हुआ.
- ❖ भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में प्रतिभूतियों के अंतरण विनिमय से, बैंक ने सरकार एवं राज्य सरकार की रु. 2098.49 करोड़ की प्रतिभूतियां एफएस से एचटीएम में अंतरित कर दीं एवं रु. 34.47 करोड़ का मूल्यहास दर्ज किया.
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2015 को बैंक के निवेश पोर्टफोलियो का संघटन इस प्रकार था:

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	संघटन	31.03.2014	31.03.2015
1.	एसएलआर	67951.69	75413.59
2.	गैर-एसएलआर	18432.08	20240.97
	कुल	86383.77	95654.56

जोखिम प्रबन्धन

जोखिम प्रबन्धन प्रणाली/संगठनात्मक संरचना

बैंक में अब सुस्थापित जोखिम प्रबन्धन प्रणाली मौजूद है. ऋण, बाजार तथा परिचालन जोखिमों एवं पिलर II जोखिमों के अंतर्गत बैंक की जोखिम प्रबन्धन नीतियों/प्रथाओं का निदेशक मंडल की जोखिम प्रबन्धन समिति द्वारा नियमित पर्यवेक्षण किया जाता है. उत्पादों के कीमत निर्धारण तथा बाजार की घटनाओं से संबंधित जोखिम मॉडल के निर्धारण संबंधी नीतियों की समीक्षा के साथ समिति नए जोखिमों की पहचान व उनका नियंत्रण भी करती है. कॉर्पोरेट स्तर पर संबंधित विभागों द्वारा विभिन्न जोखिम पैरामीटरों के अनुपालन पर भी समिति द्वारा नियमित निगरानी रखी जाती है.

जोखिम प्रबन्धन संरचना

- ❖ परिचालन स्तर पर विभिन्न समितियां, यथा, बाजार जोखिम के लिए आस्ति देयता समिति(आल्को), ऋण जोखिम के लिए ऋण जोखिम नीति समिति(सीआरपीसी) तथा परिचालन जोखिम के लिए, परिचालन जोखिम प्रबन्धन समिति(ओआरसीओ) गठित की गई है, जिसमें शीर्ष प्रबन्धतंत्र टीम के सदस्य शामिल हैं.
- ❖ ये समितियां बैंक विभिन्न परिचालनों के अंतर्गत जोखिम के स्तर के निगरानी एवं निर्धारण के लिए, वर्ष भर नियमित बैठकें करती हैं तथा आवश्यकतानुरूप उचित जोखिम न्यूनीकरण के उपाय लागू करती हैं.
- ❖ सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में बैंक ने वरिष्ठ प्रबन्धक/प्रबन्धक श्रेणी के अधिकारियों को “जोखिम प्रबन्धक” के तौर पर अभिचिन्हित किया गया है. ये जोखिम प्रबन्धक, आंचलिक कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर केन्द्रीय कार्यालय के जोखिम प्रबन्धन विभाग को विस्तारित भाग के तौर पर कार्य करते हैं. बैंक ने केन्द्रीय कार्यालय के विभिन्न विभागों में वरिष्ठ श्रेणी के अधिकारी भी अभिचिन्हित किए हैं, जो जोखिम प्रबन्धन से संबंधित नियंत्रण के विभिन्न पहलुओं को देखने एवं जोखिम प्रबन्धन की सहायता के लिए “नोडल अधिकारी” के रूप में कार्य करेंगे.



बाजार जोखिम प्रबन्धन

- ❖ बाजार की स्थिति, वित्तपोषण पध्दति की समीक्षा कर मिड-ऑफिस एक्सपोजर, अवधि, प्रतिपक्षीय सीमा एवं विभिन्न संवेदनशील पैरामीटरों के संबंध में अनुपालन सुनिश्चित करता है तथा नियमित अंतराल पर शीर्ष प्रबन्धन को रिपोर्ट करता है.
- ❖ वीएआर के प्रबन्धन तथा ड्यूरेन विश्लेषण जैसी प्रक्रियाओं का उपयोग, अल्पकाल में बैंक की एनआईआई के जोखिम के प्रबन्धन तथा दीर्घकाल में इक्रिटी मूल्य हेतु सतत आधार पर किया जाता है.
- ❖ ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पर पूंजीगत प्रभार का सतत अनुमान लगाने के लिए एक मॉडल तैयार किया गया है तथा बाजार जोखिम के संबंध में बासल II के दिशानिर्देशों के अनुसार उसे क्रियान्वित किया जा रहा है.
- ❖ बैंक ने विद्यमान निवेश एवं बाजार जोखिम प्रबन्धन नीति की समीक्षा की है. विदेशी मुद्रा कारोबार के लिए प्रति-पक्ष सीमाओं को उनकी नवीनतम प्रतिष्ठा एवं बाजार में रेटिंग के अनुरूप तय/संशोधित किया गया है.

ऋण जोखिम प्रबन्धन

- ❖ बैंक में सुस्पष्ट लिखित एकीकृत ऋण जोखिम प्रबन्धन नीति है. जिसकी पिछली समीक्षा, निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 02.03.2015 को की गई.
- ❖ बैंक ने क्रिसिल लि. से पूंजी पर जोखिम समायोजित प्रतिफल (आरएआरओसी), लॉस गिवन डिफॉल्ट (एलजीडी) एवं एक्सपोजर एट डिफॉल्ट (ईएडी) निर्धारक साधनों सहित फैसिलिटी रेटिंग मॉड्यूल प्राप्त किया है. फैसिलिटी रेटिंग मॉड्यूल दिनांक 01.04.2012 से उपयोग में है.
- ❖ बैंक ने रिटेल ऋण की ग्रेडिंग के लिए रेटिंग मॉडल्स (स्कॉलर कार्ड) विकसित किए हैं तथा इसका उपयोग किया जा रहा है.
- ❖ ऋण जोखिम प्रबन्धन की गतिविधियों की प्रगति की रिपोर्ट निगरानी हेतु, कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता वाली ऋण जोखिम नीति समिति को प्रस्तुत की जाती है.
- ❖ कॉर्पोरेट एवं रिटेल दोनों पोर्टफोलियो के लिए विकसित दृष्टिकोण अपनाने की तैयारी करते हुए बैंक पीडी, ईएडी एण्ड एलजीडी की गणना हेतु मॉडल्स विकसित करने की प्रक्रिया में है.

ऋण जोखिम प्रोफाइल/रेटिंग माइग्रेसन

पिछले वर्ष की तुलना में दिनांक 31 मार्च, 2015 को बैंक का ऋण जोखिम प्रोफाइल निम्नानुसार प्रस्तुत है.

रु. करोड़ में.

जोखिम श्रेणीकरण	मार्च 2014		मार्च 2015	
	एक्सपोजर	श्रेणीकृत एक्सपोजर का %	एक्सपोजर-राशि	श्रेणीकृत एक्सपोजर का %
निम्न जोखिम	84211	53.25%	86052	50.86%
मध्यम जोखिम	67421	42.64%	77921	46.05%
उच्च जोखिम	6512	4.11%	5232	3.09%
कुल श्रेणीकृत एक्सपोजर	158144	100.00%	169205	100.00%
अश्रेणीकृत एक्सपोजर	13677	7.95%	14631	7.96%
कुल मानक अग्रिम	171821		183836	

- ❖ यह देखा जा सकता है कि वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, यद्यपि कुछ खाते निम्न जोखिम से मध्यम जोखिम श्रेणी एवं उच्च जोखिम से मध्यम जोखिम श्रेणी में ऋण माइग्रेट हुए हैं, फिर भी श्रेणीकृत खातों की समग्र हिस्सेदारी वही अर्थात्, 92.04% रही है. अश्रेणीकृत एक्सपोजर मुख्य रूप से स्टाफ के ऋण, साथ ही यहां तक सावधि जमा/एनएससी/केवीपी/बीमा पॉलिसी आदि के विरुद्ध है, जो कि रेटिंग से मुक्त हैं.

परिचालन जोखिम प्रबन्धन

- ❖ बैंक में परिचालन जोखिम प्रबन्धन पूरी तरह से सुस्पष्ट परिचालन जोखिम प्रबन्धन नीति के द्वारा मार्गदर्शित है.
- ❖ परिचालन जोखिम प्रबन्धन समिति (ओआरसीओ) तिमाही अंतराल में बैंक की जोखिम प्रोफाइल की समीक्षा करती है एवं निदेशक मंडल द्वारा किया जाने वाला पर्यवेक्षण परिचालन जोखिम से संबंधित गुणात्मक पहलुओं को और मजबूत करता है.
- ❖ बैंक, उन्नत मापक दृष्टिकोण की ओर बढ़ते हुए आरबीआई को आवेदन करने हेतु मॉडल विकसित कर रहा है तथा गुणात्मक एवं परिमाणात्मक सूचनाएं बना रहा है. नए उत्पादों अथवा गतिविधियों से जुड़ी जोखिम को न्यून करने हेतु नई उत्पाद अनुमोदन नीति संरचना बैंक को मार्गदर्शन प्रदान करती है.



पूँजी आयोजना

बैंक के पास सुदृढ आंतरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) उपलब्ध है। बैंक ने जोखिम अभिलाषी ढांचा तैयार किया है एवं बेसल III मानदंडों की न्यूनतम आवश्यकता से अधिक पूँजी अनुपात रखने का उद्देश्य है। पूँजी के समक्ष प्राक्कलनों की समीक्षा तिमाही आधार पर की जाती है।

आस्ति एवं देयता प्रबन्धन पद्धतियां

- ❖ एलएम प्रमुखतया बैंक के लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से तरलता एवं ब्याज दर जोखिम के मापन एवं प्रबंधन से संबंधित है। आलको (आस्ति एवं देयता समिति) ने वर्ष के दौरान तरलता एवं अन्य संबंधित मामलों के संबंध में बैंक की स्थिति की समीक्षा करने के लिए 18 बार बैठकें कीं।
- ❖ विनियामक रिपोर्टिंग के अलावा, जमाओं पर ब्याज निर्धारण करने के साथ-साथ आधार दर और बीपीएलआर का निर्धारण भी एलएम द्वारा किया जाता है। वर्ष 2014-15 के दौरान, जमा ब्याज दरों को 7 बार संशोधित किया गया है।
- ❖ भारिबैं के नये दिशानिर्देशानुसार, बैंक ने दिनांक 01 जनवरी 2015 से एलसीआर (तरलता कवरेज अनुपात) की गणना मासिक आधार पर करना प्रारंभ कर दिया है एवं यह अनुपात भारिबैं द्वारा निर्धारित प्रारंभिक सीमा (अर्थात, 2015 के लिए 60%) से काफी अधिक है। मार्च, 2015 के लिए तिमाही औसत एलसीआर 139.53% है।
- ❖ जमा एवं ऋण राशियों पर ब्याज दर के निर्धारण के लिए एलएम विभाग विभिन्न विश्लेषण उच्च प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत करता है।

बासल II दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन

- ❖ भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई, 2013 में नए पूँजी पर्याप्तता ढांचे के कार्यान्वयन पर अद्यतन परिपत्र जारी किया है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने दिनांक 31 मार्च, 2009 से बासल II अपनाया है तथा ऋण जोखिम हेतु “मानकीकृत दृष्टिकोण” परिचालन जोखिम के लिए “मूल संकेतक दृष्टिकोण” और बाजार जोखिम हेतु “मानकीकृत अवधि” पद्धति के आधार पर पूँजी का प्रावधान किया है।
- ❖ भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों के लिए अग्रिम दृष्टिकोण के क्रमिक विकास के लिए समयसीमा निर्धारित की है। तदनुसार, बैंक ने बेसल II मानदंडों के अग्रिम दृष्टिकोण के प्रबंधन हेतु सॉल्युशन प्रोवाइडर नियुक्त किया है।
- ❖ सभी आवश्यक नीतियां, जैसे ऋण जोखिम प्रबन्धन नीति, परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संपार्श्विक प्रबन्धन नीति, बाजार अनुशासन तथा प्रगटीकरण नीति, आईसीएएपी इत्यादि बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित है।
- ❖ बैंक ने एफआईआरबी(फाउंडेशन इंटरनल रेटिंग बेस्ड) दृष्टिकोण के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कदम उठाये हैं।

बासल III के लिए हमारे बैंक की तैयारी

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 02 मई, 2012 को बासल III के कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। तदनुसार, बैंक ने जून 2013 से बासल III के मानदंडों के अनुसार सीआरएआर का परिकलन प्रारम्भ कर दिया है तथा दिशानिर्देशों में निर्धारित सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया जा रहा है।

वसूली

अनर्जक आस्तियों के प्रबन्धन के लिए बैंक में विस्तृत दिशानिर्देशों युक्त सुपरिभाषित वसूली नीति मौजूद है। इसमें एनपीए प्रबन्धन के सभी क्षेत्र, निगरानी, अनुवर्ती उपाय, समझौता निपटान, स्टाफ जवाबदेही, सरफेसी अधिनियम, प्रवर्तन वसूली एजेंसियों की नियुक्ति, एआरबी को आस्तियों की बिक्री, इरादतन चूककर्ता तथा प्रबन्धन सूचना प्रणाली शामिल है। अर्थव्यवस्था में नवीनतम परिवर्तनों/गतिविधियों एवं एनपीए निपटान/प्रबंधन की प्रवृत्तियों इत्यादि को समाहित करने के लिए इस नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

1. वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, यद्यपि, बैंक ने रु. 1365 करोड़ की नकद वसूली, रु. 2336 करोड़ का अपग्रेडेशन, रु. 1119 करोड़ की अनर्जक आस्तियों की बिक्री, कुल मिलाकर रु. 4820 करोड़ का सुधार किया है परंतु उच्च राशियों के नए खातों (रु. 50.00 करोड़ एवं अधिक के 21 खाते राशि रु. 3092 करोड़) के जुड़ जाने से कार्यनिष्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।
 - ❖ सकल एनपीए का स्तर रु. 11500 करोड़ से बढ़कर रु.11873 करोड़ हो गया है।
 - ❖ शुद्ध एनपीए रु. 6649 करोड़ से बढ़कर रु. 6807 करोड़ हो गया है।
 - ❖ सकल एनपीए तथा शुद्ध एनपीए अनुपात में क्रमशः 6.27% से 6.09% तथा 3.75% से 3.61 की कमी हुई है।
 - ❖ नकद वसूली रु. 1104 करोड़ से बढ़कर रु. 1365 करोड़ (43.21%) हो गई है।



2. रु. 1.00 लाख तक बकाया एनपीए खातों के लिए विशेष एकमुश्त योजना के अंतर्गत रु. 78 करोड़ के प्रस्ताव निपटाए गए तथा रु. 65 करोड़ की नकद वसूली हुई है.
3. वर्ष के दौरान रु. 1.00 लाख से अधिक एवं रु. 10 लाख तक बकाया राशि वाले एनपीए खातों में सरलीकृत ओटीएस योजना के अंतर्गत बैंक ने रु. 65 करोड़ के प्रस्ताव निपटाए तथा रु. 45 करोड़ की नकद वसूली हुई है.
4. कृषक राहत योजना के अंतर्गत रु. 10.00 लाख तक की स्वीकृत सीमा वाले ट्रेक्टर/कृषि ऋणों के एनपीए खातों में रु. 78 करोड़ के प्रस्ताव निपटाए तथा रु. 58 करोड़ की नकद वसूली हुई है.
5. इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर ओटीएस प्रस्ताव के अंतर्गत सकल राशि रु. 364 करोड़ के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए, जिसमें से वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान रु. 41 करोड़ वसूल किए जा चुके हैं.
6. वर्ष के दौरान बैंक ने रु. 870 करोड़ के एनपीए, एआरसी को बेचे जिनमें बकाया शेष रु. 1242 करोड़ है.
7. ऋणों की वसूली के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों की वसूली टीम एवं शाखा के स्टाफ ने रु. 50 लाख से अधिक बकाया राशि वाले एनपीए ऋणियों से व्यक्तिशः मुलाकात की.
8. इरादतन चूककर्ता की प्रक्रिया बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से लागू की गई तथा इरादतन चूककर्ताओं की पहचान एवं उन्हें घोषित करने के लिए रु. 25 लाख से अधिक वाले सभी एनपीए खातों की जांच की गई.
9. हमारे कार्यपालकों ने मासिक आधार पर एनपीए के संचलन पर कड़ी निगरानी रखी एवं वर्ष के दौरान प्रमुख जोर एसएमए खातों को एनपीए होने से बचाने पर रखा गया तथा विधिक कार्रवाई/ सरफेसी के तहत संपत्ति बेचने के साथ साथ एकबारगी समझौता योजनाओं के तहत लघु ऋण खातों में वसूली के माध्यम से एनपीए खातों में वसूली पर विशेष ध्यान दिया गया.
10. क्षेत्र/आंश की समीक्षा बैठक में मुख्य ध्यान एनपीए खातों की वसूली पर रखा गया एवं कृषि तथा एसएमई ऋण खातों में वसूली के साथ ही ऐसे नए ऋण खातों के एनपीए में परिवर्तित होने को रोकने के लिए आवश्यक राशि की वसूली पर विशेष जोर दिया गया.
11. प्रत्येक अंचल तथा क्षेत्र में एसएमए 3 तथा एसएमए खातों की बारीकी से निगरानी के उद्देश्य से तथा साथ ही लघु ऋण खातों में वसूली तथा ओटीएस योजनाओं के कार्यानिष्पादन हेतु प्रत्येक माह वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई.
12. प्रत्येक माह वसूली कैंप आयोजित किये जा रहे हैं. इन कैंपों में बड़े खाते डाले गए खातों में जीएमएफएआरसी खाते में वसूली करना भी अभियान का एक हिस्सा है.
13. क्षेत्र/आंका तथा विधि अधिकारी की सक्रिय सहभागिता से तिमाही आधार पर जिला स्तर पर विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया गया.
14. एनपीए वसूली प्रबंधन पर एसपीबीटी महाविद्यालय मुम्बई, सीबीओटीसी भोपाल तथा कोलकाता द्वारा एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया.
15. लंबित मामलों के निपटान हेतु, विधि अधिकारियों/समन्वयकों द्वारा डीआरटी में गहन अनुवर्ती कार्रवाई की गई.

बैंकाशयूरेंस :

जीवन बीमा के लिए जीवन बीमा निगम तथा गैर- जीवन बीमा उत्पादों के लिए चोला एम एस जनरल इंश्योरेंस कंपनी की कॉर्पोरेट एजेन्सी के तहत हमारे बैंक द्वारा बीमा सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं. दिनांक 31.03.2015 को वर्ष समाप्ति पर कार्यानिष्पादन की प्रमुख विशिष्टताएँ निम्नानुसार रही :

- ❖ एलआईसी के सभी बैंकाशयूरेंस साझेदारों में जीवन बीमा पॉलिसियाँ हासिल करने में पॉलिसियों की संख्या के मामले में हमारे बैंक ने पहला तथा बीमा प्रीमियम संग्रहण के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त किया. बैंक ने 63090 पॉलिसियों एवं 163 करोड़ का प्रीमियम संग्रहण किया.
- ❖ साधारण बीमा व्यवसाय में, बैंक ने वर्ष दर वर्ष 11% वृद्धि के साथ, 549187 पॉलिसियों में रु. 117 करोड़ प्रीमियम संग्रहित किया है.
- ❖ बैंकाशयूरेंस व्यवसाय से कुल आय रु. 25.27 करोड़ हुई जब कि यह पिछले वर्ष यह रु. 26.65 करोड़ थी.
- ❖ बैंकाशयूरेंस व्यवसाय के अग्रसंचालन हेतु 1907 विनिर्दिष्ट व्यक्तियों का पूल बनाया गया.



डिपॉजिटरी सेवाएं :

सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ व्यवस्था के तहत बैंक डिपॉजिटरी सहभागी है। सभी परिचालन केंद्रीकृत है तथा फोर्ट मुंबई स्थित नोडल शाखा पूंजी बाजार सेवायें शाखा द्वारा ये सेवायें प्रदान की जा रही हैं। मुख्य केंद्रों की शाखाएँ खाते खोलने, शेयरों का क्रय तथा विक्रय, शेयरों के बंधक तथा भौतिक प्रतिभूतियों को डीमैट करने की सेवायें प्रदान कर रही हैं। बैंक के पास करीब 24000 डी-मैट खाता धारक हैं।

ऑन-लाइन ट्रेडिंग :

सेन्ट ई-ट्रेड के नाम से बैंक द्वारा ऑन-लाइन ट्रेडिंग सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। बैंक के खाताधारकों जिनके डीमैट खाते भी बैंक में हैं उन्हें एक अग्रणी ब्रोकिंग फर्म मेसर्स एंजिल ब्रोकिंग लि. के साथ व्यवस्था के तहत बैंक इक्विटी शेयर तथा डेरिवेटिव्स के ट्रेडिंग हेतु ऑन-लाइन ट्रेडिंग सुविधा दी जा रही है। बैंक में ऑन लाइन ट्रेडिंग के लिए 250 खाते हैं।

आस्बा डी-मैट, समाशोधन बैंक, लाभांश वारंट का भुगतान, ब्रोकरों को ऋण / गारंटी जैसी सुविधाएँ प्रदान करने के लिए मुंबई में विशेष रूप से कैपिटल मार्केट सेवा शाखा प्रारंभ की गई है। यह ऑन-लाइन ट्रेडिंग तथा आस्बा के लिए नियंत्रक शाखा भी है।

सूचना प्रौद्योगिकी

1. कोर बैंकिंग समाधान :

- ❖ दिसम्बर 2010 में बैंक ने अपनी 100% शाखाओं को केन्द्रीकृत बैंकिंग समाधान (सीबीएस) में कवर कर लिया है। कोर बैंकिंग समाधान हेतु सिस्टम इंटीग्रेटर मेसर्स टीसीएस के साथ दिनांक 1 अक्टूबर, 2012 से 5 वर्षों के लिए करार का नवीकरण किया गया है। नवीकृत अनुबंध नवीकरण प्रक्रिया में विद्यमान कंप्यूटिंग संसाधनों यथा हार्डवेयर नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, सुरक्षा तथा अन्य सम्बद्ध जरूरतें जैसे भावी अनुमानित व्यावसायिक लक्ष्यों के अनुरूप सीबीएस कार्यान्वयन हेतु लाईसेंस नवीकरण तथा अन्य सांविधिक तथा सुरक्षा उत्तरदायित्व संपूर्ण ढांचे को सितम्बर 2017 तक बैंक की जरूरतें पूर्ण करने के उपयुक्त बनाया गया है।
- ❖ सीबीएस के संरचनात्मक आकार को अगले 5 वर्षों में बैंक की जरूरतों के मुताबिक 1500 नई शाखाओं तथा 125 मिलियन खातों में प्रति दिन 8.8 मिलियन लेनदेन के अनुरूप बनाया गया है।
- ❖ वर्तमान नवीनीकरण प्रक्रिया के दौरान सर्वर के आभासी अभ्यास तथा डीआर ऑटोमेशन टूल प्राप्ति के बाद हार्डवेयर रिफ्रेश किया गया।
- ❖ बैंक द्वारा आपदा प्रबंधन केंद्र स्थापित किया गया है तथा नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक की नीति के अनुरूप नियमित डीआर ड्रिल की जाती है।
- ❖ बैंक ने नियर साईट अवधारणा क्रियान्वित की है ताकि शून्य डाटा हानि के साथ व्यवसाय निरंतरता सुनिश्चित की जा सके।
- ❖ सतत आधार पर सीबीएस पद्धति में कई नई प्रयोजनमूलक विशिष्टताएँ कार्यान्वित की जा रही हैं।

2. नेटवर्क तथा कनेक्टिविटी

- ❖ बैंक के कॉर्पोरेट नेटवर्क 4906 स्थानों पर व्याप्त हैं, जिनमें एक्स्टेंशन काउंटर, एआरबी, सेवा सहयोग शाखाएँ, खुदरा आस्ति शाखाएँ, सभी प्रशासनिक कार्यालय, प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र समाहित हैं।
- ❖ शाखा के कारोबारी समय के दौरान लगभग 100% अपटाइम बनाए रखने हेतु लगातार निगरानी रखी जाती है तथा नियंत्रण लागू किए गए हैं।
- ❖ वर्तमान में हमारे पास 556 प्राथमिक वीसेट तथा बैकअप के तौर पर 1277 वीसेट है। नेटवर्क का लगातार 100% अपटाइम प्राप्त करने के लिए 500 स्थानों, जहाँ आईएसडीएन व्यवहार्य नहीं है अथवा सीडीएमए का सिग्नल कमजोर है, वहाँ अन्य सेवा प्रदाता से ओपेक्स मॉडल का वीसेट खरीदने हेतु अनुमोदन प्राप्त किया गया है। तदनुसार बैकअप कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए मे. भारती एयरटेल लि. को खरीद आदेश जारी किया गया है। सभी शाखाओं को वीसेट भेजे जा चुके हैं तथा उनका स्थापन कार्य जारी है।
- ❖ सीबीआई एमपीएलएस नेटवर्क का नवीकरण

वर्ष 2014-19 के दौरान खरीदे गए/खरीदे जाने वाले सभी प्राथमिक/ द्वितीय एमपीएलएस/ वीसेट लिंक के लिए बीएसएनएल संविदा के पुनः पाँच वर्षों के नवीनीकरण हेतु खरीद आदेश जारी कर दिए गए हैं।



वैकल्पिक डिलीवरी चैनल :

3. इंटरनेट बैंकिंग

- ❖ इंटरनेट बैंकिंग सुविधा 10000 यूजर को एक साथ सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम है.
- ❖ इंटरनेट बैंकिंग सुविधा अपने नये रूप तथा अहसास के साथ अनेक उत्पाद सेवाओं की वृहद श्रृंखला प्रदान कर रही है. इनमें खुदरा ग्राहकों हेतु ऑनलाइन पासवर्ड बनाना, निधि अंतरण, ऑन-लाइन कर जमा देखना, यूटिलिटी बिलों का भुगतान, विभिन्न सरकारी, एयरलाइंस/ मूवी टिकटों, शॉपिंग, मंदिर के लिए दान, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के लिए दान, विभिन्न संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों की फीस का ऑनलाइन भुगतान, सरकारी, ई-भुगतान/ प्राप्ति, खाते के नियमित विवरण के अलावा आवश्यकतानुरूप खाते विवरण, एनआरई/एनआरओ जमाओं सहित ऑन-लाइन सावधि जमा इत्यादि शामिल हैं.
- ❖ नई सुविधायें इस प्रकार हैं:
 1. जमा तथा ऋण मॉडलिंग,
 2. स्थायी अनुदेश तैयार करना,
 3. क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान,
 4. इंटरनेट बैंकिंग में एफसीएनआर जमाओं को देखना,
 5. इंटरनेट बैंकिंग द्वारा आयकर की ई-फाइलिंग,
 6. ग्राहक प्रभावित सीमाओं के लिए सुरक्षा विकल्प इत्यादि प्रारंभ करना.
- ❖ मोबाईल एप्लीकेशन के रूप में ग्राहकों के लिए एम-पासबुक का शुभारंभ किया गया, जिसे गूगल प्लेस्टोर में हमारे ग्राहकों द्वारा बहुत सराहा गया.
- ❖ ग्राहकों की माँग पर पहली बार हमारे बैंक में निम्नलिखित प्रयोजन मूलक विशिष्टताएँ प्रारंभ की गई हैं :
 1. भुगतान गेटवे द्वारा पेटेंट एवं डिजाइन इंटीग्रेशन
 2. मल्टी यूटिलिटी शुल्क संग्रहण को पूर्णतः समानरूप तथा तत्कालिक परिणियोजित करने हेतु आवश्यक परिष्करण.
 3. आईएमपीएस के द्वारा विदेशी आवक धनप्रेषण
 4. एनईएफटी के द्वारा शुल्क संग्रहण
 5. खाते के सभी संबंधित धारकों को एसएमएस अलर्ट प्राप्त होने की सुविधा
- ❖ आईएमपीएस लेनदेन, आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग, ऑन-लाइन रेलवे माल परिवहन बुकिंग के लिए कॉर्पोरेट ग्राहकों द्वारा ई-फ्रेट आरटीजीएस/ एनईएफटी इत्यादि सुविधाएँ भी बैंकिंग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है तथा कॉर्पोरेट (गैर-व्यक्ति) आईएनबी ग्राहकों के लिए बल्क अपलोड सहित आईएफबी के माध्यम से ग्राहकों को 24 X 7 एनईएफटी कार्यप्रणाली वर्तमान में उपलब्ध है. ऑनलाइन लेनदेन प्रसंस्करण सुविधा को द्रुतगामी बनाने के लिए लाइटवेट पेमेंट पेज सुविधा प्रारंभ की गई है.
- ❖ ओडिसा, बिहार सरकार के कर तथा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में संग्रहण के लिए बैंक ने पेमेंट एग्रीगेटर के माध्यम से एक बिल्कुल नया मॉडल लगाया है, जिसमें 40 से ज्यादा बैंकों के ग्राहक कर जमा कर सकते हैं. बैंक द्वारा भुगतान पद्धति को कार्यान्वित करना, भोजन तथा अन्य ई-पीएओ.
- ❖ सेन्ट्रल बैंक ऐसा पहला बैंक है जिसने डीआईपीपी द्वारा आरंभित मिशन प्रोजेक्ट के लिए ऑनलाइन भुगतान सुविधा प्रदान करने के लिए ई-बिज से समेकीकरण किया है.
- ❖ कॉर्पोरेट ग्राहकों हेतु आवश्यकतानुरूप खाता विवरणी की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध है. कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग के तहत एनईएफटी द्वारा बल्क अपलोड की सुविधा भी उपलब्ध है. ग्राहक अपनी जरूरतों के अनुसार इंटरनेट बैंकिंग उपयोग करते समय विभिन्न विकल्प चुन सकते हैं.

4. एसएमएस बैंकिंग :

- ❖ एसएमएस बैंकिंग के माध्यम से ग्राहकों द्वारा किए गए व्यावसायिक लेनदेन संबंधी रियल टाइम अलर्ट से उनके खातों की सूचना उन्हें उपलब्ध कराई जाती है. वर्तमान में ग्राहकों द्वारा चुने गए विकल्प के आधार पर 15 विभिन्न भारतीय भाषाओं में निम्नलिखित के लिए एसएमएस अलर्ट भेजे जाते हैं. 1) बचत खाते में रु. 1000/- से अधिक तथा चालू/ओडी खाते में रु. 10,000/- से अधिक की जमा/नामे 2) समाशोधन चेक नकारे जाने पर 3) निर्धारित न्यूनतम स्तर के खाते की शेष राशि कम होने पर 4) सावधि जमा की परिपक्वता से 7 दिन से पूर्व सूचना.
- ❖ नियंत्रण एवं निगरानी बनाए रखने के लिए, शाखा प्रबंधकों तथा उच्च अधिकारियों को भी एसएमएस भेजे जाते हैं ताकि वे एनपीए सहित अन्य खातों एवं हाउसकीपिंग तथा शाखाओं की महत्वपूर्ण गतिविधियों पर निगरानी एवं नियंत्रण रख सकें.



5. मोबाइल बैंकिंग :

- ❖ जीपीआरएस एवं एसएमएस चैनल का उपयोग करते हुए पूछताछ तथा निधियों के अंतरण के विकल्प के साथ मोबाइल बैंकिंग प्रारंभ की गई है. मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से किए गए लेनदेन एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन और द्विस्तरीय प्रमाणन विशिष्टताओं के साथ सुरक्षित होते हैं.
- ❖ बैंक ने निम्नलिखित सुविधाओं के साथ नया मोबाइल बैंकिंग सोल्यूशन प्रारम्भ किया है:
निधि अंतरण (बैंक में और अन्य बैंक में), बकाया शेष संबंधी पूछताछ तथा लघु विवरणी, चेक बुक आवेदन, चेक की स्थिति की पूछताछ, चेक रोकना, चेक रोक हटाना, डेबिट कार्ड की हॉट लिस्टिंग तथा ग्राहक द्वारा दिया गया फीडबैक. यह एन्ड्राइड जावा एवं ब्लैक बेरी वर्जन 6.0 एवं 7.0 पर उपलब्ध है.

6. फोन बैंकिंग :

- ❖ फोन बैंकिंग सोल्यूशन का कार्यान्वयन अंग्रेजी एवं हिंदी में आवाज की रिकार्डिंग के साथ किया जाता है और सभी ग्राहकों को यह सुविधा उपलब्ध है.

7. मिस्ड कॉल अलर्ट :

- ❖ यह सुविधा हमारे कासा ग्राहकों के लिए उपलब्ध है, जिसके द्वारा ग्राहक विशिष्ट नंबर पर मिस्ड कॉल देकर खाते में शेष राशि की जानकारी और अंतिम तीन लेनदेनों की निःशुल्क जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इस नई अभिनव ग्राहकोन्मुखी पहल के लिए हमें भारतीय बैंक संघ से प्रशंसा भी प्राप्त हुई है.

8. एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉकड राशि (अस्बा) :

- ❖ भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ने कंपनियों द्वारा शेयर्स के प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम की विद्यमान प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाया है और एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉकड अमाउंट (अस्बा) नामक पूरक प्रक्रिया शुरू की है. हम सभी ग्राहकों को अस्बा सुविधा प्रदान करते हैं. जिसके द्वारा निवेशक उनके खाते में आवेदन राशि को ब्लॉक करने तथा उसके पश्चात आबंटन राशि प्रेषित करने के लिए बैंक को प्राधिकृत कर सार्वजनिक निर्गम हेतु आवेदन कर सकते हैं.

9. कियोस्क बैंकिंग:

- ❖ नगद जमा, शेषराशि पूछताछ सुविधाओं के साथ बैंक ने 250 स्वयंसेवा कियोस्क मशीनें स्थापित की हैं. इसके अलावा, नकद जमा, शेषराशि पूछताछ, लघु विवरणी, पासबुक प्रिंटिंग, चेक जमा तथा इंटरनेट बैंकिंग सेवा सहित 48 मल्टी फंक्शन कियोस्क मशीनें स्थापित की हैं.

अन्य परियोजनाएँ

10. वेबसाइट :

- ❖ ग्राहकों की आवश्यकताओं को महसूस करते हुए, वेबसाइट के आकर्षक प्रदर्शन एवं अनुभूति में निरंतर बदलाव किया जा रहा है. वेबसाइट में ग्राहकों के लिए ऑन-लाइन शिकायत मॉड्यूल भी शामिल हैं. बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग तथा बैंक की आधिकारिक वेबसाइट में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं. सुरक्षा लेखापरीक्षा तिमाही आधार पर की जाती है. बैंक की विद्यमान वेबसाइट को नई डिजाइन के साथ, नए रूप में बनाने का कार्य पूर्ण हो चुका है.

11. भारिबैं भुगतान गेटवे प्रणाली :

- ❖ सभी सीबीएस शाखाओं को स्टेट थ्रू प्रोसेसिंग(एसटीपी) का उपयोग करते हुए आरटीजीएस तथा एनईएफटी समर्थित किया गया है. दिनांक 31 मार्च, 2015 को 4759 शाखाएं /विस्तार पटल/ एनबीओ/ कार्यालयों को आरटीजीएस समर्थित तथा 4787 शाखाओं / विस्तारपटल / एनबीओ/कार्यालयों को एनईएफटी समर्थित किया गया है.
- ❖ रिटेल तथा कॉर्पोरेट ग्राहकों को भी इंटरनेट बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से आरटीजीएस/ एनईएफटी सुविधा उपलब्ध है. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी हमारे बैंक के भुगतान गेटवे के माध्यम से एनईएफटी सुविधा उपलब्ध कराई गई है. इसके अतिरिक्त, बैंक के एनईएफटी/ आरटीजीएस के लिए उप-सदस्य के तौर पर सहकारी बैंकों की ऑन-लाइन बोर्डिंग को भी कार्यान्वित किया है.
- ❖ नेक्स्ट जनरेशन आरटीजीएस (एनजी- आरटीजीएस) प्रारंभ किया गया है.



12. भुगतान इंटीग्रेटर सोल्युशन :

- ❖ बैंक ने विभिन्न बेच प्रसंस्करण कार्यों जैसे- खाता सं., इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली(एनईसीएस), सरकारी भुगतान (जीईपीजी), पेंशन प्रसंस्करण, ईएफएमएस ग्रहणाधिकार हटाना एवं लेनदेन प्रसंस्करण के माध्यम से (आस्बा एवं स्रोत) वेतन भुगतान के लिए एचआरएमएस एकीकरण, आवक स्विफ्ट संदेशों का एकीकरण (एमटीएस 103) सहकारी बैंक, एनईएफटी, त्वरित प्रेषण, एनजीआरटीजीएस, सीपीएसएमएस- डिजिटल हस्ताक्षर सत्यापन, पैन सत्यापन(सीबीएस में सीआईएफ बनाते समय) ई-प्रेषण (फ्लैश रेमिटेंस) ट्रेजरी एकीकरण, डीडीए हेतु आरटीजीएस, आधार आधारित ईएफएमएस, मनरेगा आधार सीडींग, सीटीएस कोर बैंकिंग पद्धति के साथ सीएमएस इत्यादि के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु भुगतान एकीकरण सोल्युशन (एटीएम) स्थापित किया है।

13. चेक ट्रंक्शन प्रणाली :

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार निम्नलिखित स्थानों पर चेक ट्रंक्शन प्रणाली सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जा चुकी है :

- ❖ दक्षिण ग्रिड के सभी चयनित केंद्र यथा हैदराबाद, विजयवाडा, विशाखापट्टनम, गुवाहाटी, बेंगलुरु, बेलगाम, हुबली, मंगलोर, मैसूर, एर्णाकुलम, कोझीकोड, त्रिचूर, त्रिवेंद्रम, भुवनेश्वर, कटक, पुदुचेरी, चेन्नै, कोयम्बतूर, ईरोड, कन्नूर, मदुरै, सेलम, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, त्रिपुर, कोलकाता आदि।
- ❖ उत्तर ग्रिड में सभी चयनित केंद्र में सीटीएस परिचालित है जैसे आगरा, देहरादून, चंडीगढ़, अमृतसर, जम्मू, जालंधर, लुधियाना, दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भीलवाडा, कोटा, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, जमशेदपुर, राँची आदि।
- ❖ पश्चिमी ग्रिड में सफलतापूर्वक सभी चयनित क्षेत्रों में सीटीएस परिचालन में है। अहमदाबाद एसएसबी, स्टेशन रोड, बडौदा, आणंद, जामनगर, भावनगर, राजकोट, सूरत, भोपाल एसएसबी, ग्वालियर, इंदौर एसएसबी, जबलपुर, मुंबई एसएसबी, पणजी (गोवा), नागपुर एसएसबी, औरंगाबाद, नासिक, कोल्हापुर (लक्ष्मीपुरी), पुणे एसएसबी, सोलापुर, रायपुर एसएसबी, वापी, देवास, रतलाम, उज्जैन, भिलाई, बिलासपुर, दुर्गा आदि।

14. कॉल सेन्टर :

- ❖ बैंक ने दिनांक 6 जुलाई, 2011 से कॉल सेन्टर की स्थापना की है तथा यह सुगमता पूर्वक कार्य कर रहा है।
- ❖ वर्तमान में कॉल सेन्टर द्वारा विभिन्न सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं। जैसे बैंक के उत्पाद तथा सेवाओं की सूचना, शाखा/एटीएम लोकेशन की सूचना, ब्याज दर तथा सेवा प्रभारों पर सूचना, शेष राशि पृच्छाछ, लेनदेन जानकारी, चेक नंबर की जानकारी, डेबिट कार्ड की हॉट लिस्टिंग, ब्याज अर्जित/ब्याज भुगतान की जानकारी, टीडीएस जानकारी, लेनदेन विवरण, जारी या जमा किए गए चेक की स्थिति, सीडी/सीसी/ओडी ऋण सीमा एवं ब्याज की जानकारी बैंक के ग्राहकों की शिकायतें रिकार्ड करना तथा उपयुक्त स्तर पर समाधान हेतु उन्हें बैंक की ग्राहक शिकायत प्रणाली में फीडिंग करना।
- ❖ बैंक ने कॉल सेन्टर में सीआरएम कार्यान्वित किया है।
- ❖ ग्राहकों की बढ़ती अपेक्षाओं को देखते हुए तथा उन तक प्रभावी तरीके से पहुँचने के उद्देश्य से एक नया कॉल सेन्टर स्थापित किया जा रहा है। इसकी मदद से बैंक अपने द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे उत्पादों के बारे में जागरूकता लाने के लिए बाहरी कॉल किए जा सकेंगे।

15. सिंगल डाटा रिपोजिटरी (एसडीआर) :

- ❖ बैंक ने सिंगल डाटा रिपोजिटरी की स्थापना के लिए महत्वाकांक्षी परियोजना का शुभारंभ किया है, जो पूरे बैंक में सूचना/रिपोर्ट प्रदान करने का एक स्रोत होगा। यह उच्च प्रबंधन को सत्यतापूर्ण रिपोर्टिंग के विभिन्न डैशबोर्ड्स उपलब्ध कराते हुए रिपोर्टिंग की तारतम्यता सुनिश्चित करेगा, जिससे निर्णय सहायता प्रक्रिया में अभिवृद्धि होगी। बैंक का एएलएम मॉड्यूल, विश्लेषणात्मक सीआरएम तथा कॉर्पोरेट कार्यनिष्पादन निगरानी इस परियोजना के भाग है, जिन्हे कार्यान्वित किया जा चुका है। बैंक की एडीएफ रिपोर्ट/ एमआईएस रिपोर्ट/ डैशबोर्ड इत्यादि कार्यान्वयन हेतु अंतिम चरण में है।

16. एचआरएमएस :

- ❖ बैंक ने पीपल सॉफ्ट के सहयोग से नवीन तकनीक युक्त एचआरएमएस सोल्युशन (स्व-दर्पण) कार्यान्वित किया है जिसमें सभी कार्यों जैसे कर्मचारी स्वयं सेवा, कार्यनिष्पादन मूल्यांकन प्रबंधन, वेतन रजिस्टर प्रबंधन, दौरा अनुमोदन एवं दावा प्रसंस्करण, एलएफसी का प्रबंधन, अवकाश एवं उपस्थिति प्रशासन, कर्मचारी सूचना प्रणाली, स्टाफ ऋण प्रसंस्करण, चिकित्सा सहायता का प्रबंधन, एचआरडी/विधि विभाग, अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रभाग (डीएडी), प्रेच्युटी प्रबंधन/भुगतान, भविष्य निधि डाटा प्रबंधन एवं भुगतान, एनआरडब्ल्यू भुगतान प्रसंस्करण, रिहायशी क्वार्टर्स का आबंटन, समाचार पत्र प्रतिपूर्ति रिपोर्ट (स्टाफ संख्या, पेट्रोल, फार्म 16 अवकाश, यूनियन, वेतनवृद्धि रिपोर्ट) इत्यादि प्रशिक्षण प्रबंधन एवं मानवशक्ति प्रशिक्षण (एमपीटी), निवेश, पदोन्नति परीक्षा आवेदन फार्म एचआरएमएस में द्विभाषी सुविधा कार्यान्वित की गई है।



17. इन-हाउस डेवलेपमेंट :

- ❖ बैंक के पास एक सुदृढ़ आईटी डेवलेपमेंट टीम है, जो बैंक के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर हेतु प्रभावी कार्य करती है तथा इस प्रकार यथासंभव उनकी आउटसोर्सिंग बचाती है. बैंक ने रेलवे, डिफेंस तथा सिविल पेंशन के लिए एक केंद्रीकृत पेंशन मॉड्यूल विकसित किया है. जो इस टीम की एक बड़ी उपलब्धि है. यह इन-हाउस टीम विभिन्न विभागों एवं प्रशासनिक कार्यालयों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जिससे बाहरी वेंडरों पर निर्भरता कम हो गई है.
- ❖ निम्नलिखित इनहाउस डेवलेपमेंट पूर्ण किए गए हैं.
 - सतर्कता पोर्टल
 - एनपीएस लाईट
 - आरएमडी की ओर से बैंक कर्मचारियों हेतु ऑन-लाइन क्विज पोर्टल. बीपीआर विभाग द्वारा टेस्टिंग पर प्रतीक्षित है.
 - लीज डीड पोर्टल : यूजर विभाग द्वारा सुझाये गये बदलाव समाहित कर परिष्कृत पोर्टल
 - डीबीटीएल : शाखाओं द्वारा गैस ग्राहक सं. की सीडिंग के लिए डीबीटीएल विकसित किया गया है.

18. बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक:

- ❖ मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार समेकन प्रक्रिया के पश्चात बैंक के पास वर्तमान में 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं. सभी शाखाएं कोर बैंकिंग सोल्यूशन के अंतर्गत हैं और यह प्रयास किए जा रहे हैं कि बैंक द्वारा की जा रही प्रौद्योगिकी पहल के समान स्तर पर आरआरबी की प्रौद्योगिकी पहल को स्थापित किया जाए. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नेटवर्क मूलतः वी सैट पर है.
- ❖ व्यवहार्य पाए गए स्थानों पर लीज लाइनें शुरु की जा रही है.
- ❖ प्रायोजित बैंक की सभी प्रौद्योगिकी पहल कार्यान्वित करने के प्रयास किए जा रहे हैं और फिलहाल प्रारंभ की गई प्रमुख पहल इस प्रकार है:
 - आरआरबी ग्राहकों के लिए एटीएम कार्ड की सुविधा
 - आरआरबी में एसएमएस एलर्ट प्रारंभ करना
 - एफआई लेन-देनों के लिए ऑन-लाइन इंटरफेस
 - किसान क्रेडिट कार्ड का शुभारंभ
 - सीपीएसएमएस का कार्यान्वयन
 - अति-लघु शाखाओं की प्रयोजनीय कार्यपद्धति
 - एपीबीएस का शुभारंभ
 - सिबिल डाटा निष्कर्षण
 - बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन सोल्यूशन का प्रायोगिक कार्यान्वयन सभी 3 आरआरबी में हो चुका है तथा 1045 से अधिक शाखाओं में इसे लागू कर दिया गया है.
 - यूबीजीबी, सीएमपीजीबी एवं यूबीकेजीबी में रूपे डेबिट कार्ड के माध्यम से पीओएस सुविधा शुरू की गई है.
 - आरआरबी में एडपीएस (हमारे बैंक पर) का कार्यान्वयन प्रारंभ किया गया है. सीबीएस होस्ट एवं एफआई स्विच के बीच का परीक्षण पूर्ण हो चुका है. एनपीसीआई एवं एफआई स्विच के बीच का परीक्षण यूबीकेजीबी में पूर्ण हो चुका है और शेष 2 में प्रारंभ किया गया है.
 - आरआरबी की व्यापक आईएस लेखापरीक्षा पूर्ण हो चुकी है.
 - सभी 3 आरआरबी में डीबीटीएल/एसीएच कार्यान्वित कर दिए गए हैं.



19 वित्तीय समावेशन अभिक्रम:

आवश्यक प्रौद्योगिकी पहल सहायता उपलब्ध कराते हुए सरकार द्वारा यथा निर्देशित सभी वित्तीय समावेशन पहलों को प्रारंभ किया गया है।

- ❖ आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम (एपीबीएस) सक्रिय किया है।
- ❖ डीबीटी का कार्यान्वयन किया गया है
- ❖ आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एडपीएस) सक्रिय है
- ❖ बल्क आधार सीडिंग की सुविधा
- ❖ वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से भी उपलब्ध है एटीएम, एसएमएस एवं इंटरनेट बैंकिंग द्वारा आधार सीडिंग
- ❖ अब तक कुल 85.89 लाख आधार समर्थित
- ❖ एफआई ग्राहकों के लिए केन्द्रीय बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन
- ❖ सर्वनिष्ठ आरएफपी के अनुसार ऑन-लाइन एनरॉलमेंट / लेन-देनों का कार्यान्वयन (म.प्र. और महाराष्ट्र में)
- ❖ कियॉस्क मॉडल एफआई को कार्यान्वित किया जाना
- ❖ ई-केवाईसी शाखाओं में कार्यान्वित कर दिया गया है और सभी 10 टीएसपी में प्रयोजनीय कार्यपद्धति को कार्यरत किया गया है।
- ❖ जनसांख्यिक अधिप्रमाणन कार्यरत होने की स्थिति में है। एनपीसीआई से साइन-ऑफ प्राप्त।
- ❖ एफआई के लिए बल्क कार्ड का निर्माण करने योग्य क्षमता का विकास किया गया है ताकि निपटान द्वारा बकाया की स्थिति दुरुस्त की जा सके। इसी प्रकार, मल्टिपल पिन प्रिंटिंग शुरू की गई है और लंबित रहने की स्थिति लगभग समाप्त हो गई है।

20 आईटी गवर्नेंस:

- ❖ बैंक में आईटी कार्य नीति समिति, आईटी संचालन समिति एवं आईटी जोखिम प्रबंधन समिति के गठन से बैंक में आईटी गवर्नेंस के लिए आवश्यक संरचना तैयार की गई है। सूचना प्रौद्योगिकी नीति और पीसी, प्रिंटर्स, एटीएम इत्यादि के निपटान हेतु हार्डवेयर निपटान नीति का अनुमोदन आईटी संचालन समिति द्वारा कर दिया गया है।
- ❖ आईटी कार्यनीति समिति की सलाह के अनुसार संतुलित स्कोर कार्ड नियमित रूप से तैयार कर उसका प्रस्तुतीकरण किया जा रहा है तथा आई टी परियोजनाओं के विभिन्न पैरामीटरों के अंतर्गत कार्यनिष्पादन की रेटिंग की जा रही है। आईएसओ-27001 प्रमाणन और बीएसएमएस-25999 प्रमाणन के लिए निगरानी प्रक्रिया और आंतरिक लेखापरीक्षा की गई।
- ❖ प्रतिवर्ती गैप विश्लेषण भी किया गया है और हमारा बैंक, समकक्ष बैंकों के समान स्थिति में है।

21 सूचना सुरक्षा:

- ❖ सूचना सुरक्षा संबंधी अंश अर्थात सूचना सुरक्षा संबंधी नवीनतम जानकारी, सूचना सुरक्षा टिप्स और अन्य संबंधित सामग्री के लिए बैंक द्वारा इंटरनेट सूचना सुरक्षा पोर्टल प्रारंभ किया गया है।
- ❖ बैंक द्वारा सूचना सुरक्षा पोर्टल पर सूचना सुरक्षा संबंधी समसामयिक घटनाओं/मामलों से अवगत कराने के लिए “ई-कैप्सूल” (केवल सॉफ्ट रूप में) नाम से ‘ई-पत्रिका’ का प्रकाशन प्रारंभ किया है।
- ❖ बैंक द्वारा सूचना सुरक्षा पोर्टल पर सूचना सुरक्षा से संबंधित विषयों पर क्विज की शुरूआत की है।
- ❖ बैंक ने हमारे डाटा केन्द्र और आपदा पुनर्स्थापन केन्द्र के लिए आईएसओ 27001 : 2005 आईएसएमएस प्रमाणन का नवीकरण पूर्ण कर लिया है।
- ❖ बैंक ने हमारे डाटा केन्द्र और आपदा पुनर्स्थापन केन्द्र के लिए आईएसओ 23001 : 2012 बीसीएमएस प्रमाणन का नवीकरण पूर्ण कर लिया है।
- ❖ बैंक को निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं:
 - इन्फोकसेक मैस्ट्रो अवार्ड
 - बैंक ने निम्नलिखित प्रयोजन प्रणालियां कार्यान्वित की हैं:
 - हमारे परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया का स्वाचालन
 - आपदा पुनर्स्थापन प्रबंधन सोल्यूशन द्वारा आपदा पुनर्स्थापन अभ्यास का स्वचालन
 - डीएम (डाटाबेस गतिविधि निगरानी) कार्यान्वित की है, जो डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली (डीबीएमएस) की निगरानी करती है और आंतरिक एवं बाहरी खतरों से सुरक्षित रखती है।
 - अतिरिक्त/वैकल्पिक सुरक्षा उपाय के तौर पर कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग के लिए डिजिटल सिग्नेचर अधिप्रमाणन का कार्यान्वयन।



22 सीबीएस यूजर्स (स्टाफ) के लिए बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन:

- ❖ अतिरिक्त सुरक्षा उपाय के तौर पर बैंक ने बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन प्रणाली का कार्यान्वयन पूर्ण कर लिया है.
- ❖ सभी शाखाएं और कार्यालय बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन समर्थित हैं और सभी यूजर्स का लेन-देन सामर्थ्य के साथ पंजीयन किया जा चुका है.

23 विविध परियोजनाएं:

- ❖ नए ई-ट्रेजरी सोल्यूशन का कार्यान्वयन
- ❖ नए एएमएल सोल्यूशन का कार्यान्वयन
- ❖ ई-टीडीएस प्रणाली का कार्यान्वयन
- ❖ अवरोहीकरण परीक्षण का स्वचालन
- ❖ एनएसीएच का कार्यान्वयन
- ❖ बाजार जोखिम के लिए हार्डवेयर की खरीद
- ❖ डेस्टीनेशन बैंक के तौर पर एसीएच जमा एवं एसीएच नामे का कार्यान्वयन
- ❖ एनएसीएच उत्पादों के लिए होस्ट 2 होस्ट संबद्धता का कार्यान्वयन
- ❖ देशी एलसी के लिए एसएफएमएस प्लेटफार्म उन्नयन कार्यान्वयन
- ❖ सिस्टम संचालित आईबीआर का कार्यान्वयन
- ❖ निक(एनआईसी) के द्वारा मेल मैसेजिंग प्रणाली एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
- ❖ आईटी संबंधी विद्यमान नीतियों की समीक्षा
- ❖ विंडोज एक्सपी से विंडोज 7 में कार्यांतरण
- ❖ कार्पोरेट आईएनबी ग्राहकों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर का कार्यान्वयन
- ❖ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे लाइसेंसशुदा उत्पादों के उपयोग का नियमन
- ❖ 500 स्थानों पर बैंकअप लिंक के तौर पर ऑपेक्स (ओपीईएक्स) मॉडल पर केयू बैंड वीसैट की खरीद
- ❖ सीटीएस के लिए दिल्ली एसएसबी हेतु नये हार्डवेयर का स्थापन
- ❖ रूपे कार्ड की ऑन-लाइन स्वीकृति हेतु प्रमाणन
- ❖ डेबिट कार्डों के लिए अधिप्रमाण के लिए दूसरे घटक के रूप में ओटीपी का कार्यान्वयन
- ❖ गेटवे पीसी का विंडोज 2003 में परिवर्तन
- ❖ सीपीएसएमएस डिजिटल हस्ताक्षर और पीओएस प्रमाणन
- ❖ आरआरबी शाखाओं में लीज लाइन व्यवहार्यता के आधार पर 128 में से 20 स्थानों पर शुरूआत
- ❖ हार्डवेयर हेतु ली गई दर संविदा पर अंतिम निर्णय
- ❖ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का व्यापक प्रयोग जिसे बैंक के कार्पोरेट नेटवर्क, इंटरनेट एवं आईपैड पर उपलब्ध कराया गया.
- ❖ इस अवधि के दौरान प्राप्त सभी विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन
- ❖ आईपीवी 6 का कार्यान्वयन हार्डवेयर की उपलब्धता कर दी गई है एवं एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर प्रक्रियाधीन है.
- ❖ ऑफ-साइट निगरानी - ऑफ-साइट निगरानी के लिए लेखा परीक्षा विभाग को 49 रिपोर्टें दी जा चुकी हैं.

24. नकद प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस):

- ❖ सीएमएस के अधीन, हम अपने ग्राहकों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप विशिष्ट संग्रहण भुगतान सोल्यूशन उपलब्ध करा रहे हैं.
- ❖ मे. ओरियनप्रो द्वारा तैयार एवं विकसित उन्नत सीएमएस एप्लिकेशन को 01 जनवरी 2015 से क्रियान्वित कर दिया गया है. इस एप्लिकेशन के दो मुख्य मॉड्यूल्स अर्थात भुगतान और संग्रहण हैं. भुगतान मॉड्यूल के अंतर्गत किए गए डीडी आहरण उप-मॉड्यूल को कार्यान्वित किया जा चुका है.



लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण

बैंक की शाखाएं आंतरिक लेखापरीक्षकों के माध्यम से जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा के अधीन है और संमिश्र जोखिम ढांचे के अनुसार प्रत्येक शाखा को जोखिम रेटिंग प्रदान की जाती है। दिनांक 31.03.2015 को बैंक की 2195 मध्यम जोखिम रेटिंग, 2303 शाखाएं न्यून जोखिम रेटिंग और 60 शाखाएं उच्च जोखिम रेटिंग वाली थीं। बैंक की किसी भी शाखा को बहुत अधिक उच्च जोखिम अथवा अत्यधिक उच्च जोखिमवाली शाखा के रूप में श्रेणीकृत नहीं किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, 40 क्षेत्रीय कार्यालयों, 3 आंचलिक कार्यालयों और केन्द्रीय कार्यालय के 16 विभाग प्रबंधन लेखापरीक्षा के अधीन थे।

बैंक ने 870 शाखाएं/एसएसबी/के.का. विभागों को सनदी लेखाकार के फर्मों द्वारा संगामी लेखा परीक्षा के अंतर्गत कवर की है। दिनांक 31.03.2015 की कुल जमा राशि का लगभग 60% और कुल अग्रियों का 78% संगामी लेखा परीक्षा के अंतर्गत कवर किया है। 194 फर्मों भारिबैं श्रेणी I की, 260 श्रेणी II की, 134 श्रेणी III की और श्रेणी IV की 282 फर्मों हैं।

इनमें से, 400 फर्मों ऐसी हैं, जिनके पार्टनरों/कर्मचारियों ने आईसीएआई द्वारा आयोजित बैंक की संगामी लेखापरीक्षा का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम पूर्ण किया है। इससे संगामी लेखापरीक्षकों की कवरेज और रिपोर्टिंग की गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलती है।


वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, बैंक ने संगामी लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली मासिक/तिमाही/वार्षिक रिपोर्ट के प्रारूपों में संशोधन किया है ताकि व्यापक कवरेज सुनिश्चित किया जा सके।

बैंक ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के दिशानिर्देशोंनुसार ऑफसाईट निगरानी प्रणाली प्रारंभ की है और वर्तमान में 43 परिदृश्यों पर एलर्ट जनरेट किए जा रहे हैं।

शाखा विस्तार

- दिनांक 31 मार्च, 2015 को बैंक के नेटवर्क में कुल 4689 शाखाएं, 3677 अतिसूक्ष्म शाखायें, 4835 एटीएम, 29 सेटेलाइट कार्यालय एवं 4 विस्तार पटल हैं। देश के सभी 28 राज्यों, 7 में से 6 केन्द्रे शासित प्रदेशों, 561 जिला मुख्यालयों एवं 642 जिलों में से 568 जिलों में उपस्थिति के साथ बैंक का देशव्यापी विस्तार है।

शाखाओं का वर्गीकरण



◆ ग्रामीण ◆ अर्द्ध-शहरी ◆ शहरी ◆ महानगरीय

परिचालन

- ग्राहकों से संबंधित सभी नीतियां अर्थात चेक वसूली संग्रहण नीति, क्षतिपूर्ति नीति, बैंक जमा नीति, शिकायत निवारण प्रणाली को संशोधित किया गया और वर्ष के दौरान इसे अद्यतन किया गया।
- बैंक के नये कॉल सेंटर परिवर्धित सुविधाओं के साथ दिनांक 01.07.2015 तक कार्य करने लगेंगे।
- बैंक ने शाखा स्तर पर प्रचलित उपलब्ध सुविधाओं की आधारभूत वास्तविकता को जानने हेतु शाखाओं में 'मिस्ट्री शॉपिंग' की अवधारणा शुरू की है, इससे शाखाओं द्वारा दी जा रही ग्राहक सेवा के स्तर का मूल्यांकन किया जा सकेगा।

ग्राहक शिकायतें

बैंक ने आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली के हिस्से के रूप में प्रयोक्ता हितैषी विशेषताओं के साथ, नई शिकायत प्रणाली शुरू की है। बैंक ने स्टाप के दुर्व्यवहार के विरुद्ध ग्राहक की शिकायतों को बिल्कुल सहन न करने और दुर्व्यवहार की घटनाओं की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच हेतु, अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के सेवानिवृत्त महाप्रबंधकों के पैनल का गठन किया है।



कॉर्पोरेट कम्यूनिकेशन

बैंक ने वर्ष के दौरान, अपने उत्पादों एवं सेवाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और इन गतिविधियों से बैंक के लिए नया व्यवसाय हासिल करने हेतु कॉर्पोरेट ब्रैंडिंग कार्यवाही के अंतर्गत अपने सतत प्रयास जारी रखे हैं। इसमें क्लिफायती लागत पर विज्ञापन एवं फील्ड स्टाफ के सक्रिय नियोजन/सहभागिता पर जोर दिया गया है। अखिल भारतीय स्तर के आधार पर बैंक की छवि में वृद्धि करने के लिए विभिन्न प्रचार-प्रसार गतिविधियों जैसे ऑटो रिकशा, बस, ट्रैफिक बैरिकेड, नो पार्किंग बोर्ड, वॉल पेंटिंग के अतिरिक्त स्थानीय खेल/ यात्रा/जत्रा/आयोजन कैम्प लगाए गए। इन गतिविधियों के समर्थन में स्थानीय केबल, एफएम रेडिओ का उपयोग किया गया।

प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं आउटडोर मीडिया के साधनों का उपयोग करने की वजह से ब्रैंड फाईनेंस द्वारा विश्व में बैंकिंग में सर्वाधिक मूल्यांकनीय 500 ब्रैंड के वार्षिक रैंकिंग के अनुसार बैंक की ब्रैंड रैंकिंग वर्ष 2014 के 396 के स्थान से प्रोन्नत होकर 353 वें स्थान पर पहुंच गई।

बैंक का नाम फोर्ब्स4 मैगजीन 2000 वैश्विक विशाल की वार्षिक सूची में परिलक्षित होता है। इस सूची में बैंक का स्थान 1663वां है।

सतर्कता

- वर्ष 2014-15 की अवधि के दौरान, सतर्कता मामलों के साथ ही शिकायतों का निपटान अत्यधिक शीघ्रता से किया गया है। वर्ष के दौरान सतर्कता मामलों एवं शिकायतों के निपटान में 30% वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि हुई है।
- सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2014 संपूर्ण भारत में मनाया गया। सीवीओ द्वारा निरीक्षण दौरे किए गए। जिम्मेदारी और निवारक सतर्कता के बारे में उन्हें जागरूक बनाने के लिए क्षेत्र में कार्यरत स्टाफ सदस्यों को संबोधित किया।
- सतर्कता निर्देशिका पुस्तिका प्रकाशित की गई।
- वर्ष 2014-15 की प्रत्येक तिमाही में एक न्यूजलेटर प्रकाशित किया गया।

मानव संसाधन विकास

1. मानवशक्ति :

मार्च 2015 की समाप्ति पर, बैंक में कर्मचारियों की संख्या 39,039 थी, जबकि गत वर्ष यह 40,661 थी। स्टाफ सदस्यों का श्रेणीवार विघटन निम्नानुसार है :

संवर्ग	मार्च 2015	मार्च 2014
अधिकारी	16,247	16,180
लिपिक	14,098	15,424
अधीनस्थ कर्मचारी	8,694	9,057
कुल योग	39,039	40,661

2. मानव संसाधन विकास :

(i) महिला कर्मचारियों को विराम अवकाश पर रहते उनके लिए अस्पतालीकरण/चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति

चूंकि विराम अवकाश पर होते हुए भी महिला कर्मचारी बैंक के पे-रोल पर होती हैं तथा ऐसे में उनके द्वारा अस्पतालीकरण/चिकित्सा पर किए गए खर्च नियमित प्रकार के खर्च नहीं होते हैं। अतः यह निश्चित किया गया है कि महिला कर्मचारियों को विराम अवकाश के दौरान उनके द्वारा वहन किए गए अस्पतालीकरण/चिकित्सा खर्चों की उनकी पात्रता सीमा में प्रतिपूर्ति की जाय।

(ii) स्टाफ सदस्यों (अधिकारियों एवं अवाई स्टाफ) को पासपोर्ट/वीसा एवं विदेश जाने की अनुमति संबंधी दिशानिर्देश के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र

अनेक देशों में आप्रवास मानदंडों के उदारीकरण और हमारे कर्मचारियों द्वारा अपने लिए आप्रवास अधिकार हासिल करने के परिणाम स्वरूप उन्हें पासपोर्ट/वीजा जारी करने हेतु अनापत्ति तथा विदेश जाने हेतु अनुमति (अधिकारियों एवं अवाई स्टाफ) के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने हेतु उपाय किया जाएगा।

(iii) शाखा प्रबंधकों को वाहन व्यय प्रतिपूर्ति के रूप में अतिरिक्त लीटर पेट्रोल की प्रतिपूर्ति - संशोधित मानदंड

शाखा प्रबंधकों के कार्य-निष्पादन के पारदर्शी मूल्यांकन के लिए वाहन व्यय प्रतिपूर्ति के रूप में अतिरिक्त लीटर पेट्रोल की प्रतिपूर्ति संबंधी संशोधित पैरामीटर तय किए गए हैं।

(iv) प्रशिक्षण/कार्यालयीन कार्यों से यात्रा करते समय अन्यथा समर्थ कर्मचारियों (अधिकारी एवं अवाई स्टाफ) के सहवर्ती की यात्रा/लॉजिंग/बोर्डिंग पर किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति।



अन्यथा समर्थ कर्मचारियों की वास्तविक आवश्यकता पर विचार करते हुए यह निश्चित किया गया है कि अन्यथा समर्थ कर्मचारियों के प्रशिक्षण/कार्यालयीन कार्यों हेतु यात्रा के दौरान एक सहवर्ती को यात्रा की अनुमति दी जाए, ऐसा सहवर्ती, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार यात्रा भत्ते के भुगतान हेतु पात्र होगा।

- (v) कर्मचारियों (अधिकारी एवं अवाई स्टाफ) को आवास निर्माण अग्रिम (एचबीए) योजना में कुछ परिवर्तन स्वीकृत योग्य आवास ऋण की मात्रा सेवानिवृत्ति के समय कल्पित सेवांत लाभ और कल्पित बकाया देयताओं से संबंध है
- (vi) शाखा प्रबंधकों के कार्यनिष्पादन को पुरस्कृत करने हेतु उन्हें उनके ऐच्छिक स्थान पर पदस्थापना की योजना एवं योजना विकास विभाग की योजना के अनुसार पांच (5) स्टार प्रेडिग प्राप्त करने वालों को विदेश में प्रशिक्षण हेतु नामांकन की योजना।
- ❖ इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों में लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु स्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना है और व्यवसाय के विकास में योगदान करने वाले अधिकारियों की पहचान कर निष्पादन भिन्नता को चिन्हित करना एवं उन्हें पुरस्कृत करना है।
- (vii) स्टाफ सदस्यों की वैयक्तिक शिकायतों के समधान हेतु शिकायत निवारण प्रक्रिया।
कर्मचारियों को उनकी शिकायतें प्रस्तुत करने के लिए सुगमतापूर्वक पहुंच योग्य प्रणाली विकसित करना एवं बैंक में कार्य संतुष्टि को बढ़ाने एवं तत्परिणामस्वरूप संस्था में उत्पादकता एवं कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए सुदृढ शिकायत निराकरण प्रणाली अपनाए जाने के लिए कर्मचारियों की शिकायतों का निराकरण कम से कम तीन स्तरों पर करने हेतु एक प्रभावी, संरचनात्मक प्रक्रिया/योजना दिनांक 01 अप्रैल 2015 से प्रारंभ की गई है।
- (viii) वित्तीय वर्ष के दौरान की गई अन्य महत्वपूर्ण पहलें :
- ❖ एचआरएमएस प्रणाली को पूर्णतः परिचालित कर दिया गया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है एवं एचआर पद्धति एवं प्रक्रियाओं को और अधिक सिस्टम-संचालित बनाया गया है।
 - ❖ विद्यमान ऑन-लाइन प्रणाली कुछ निश्चित परिवर्तन कर रिपोर्टिंग वर्ष 2014-15 से अधिकारियों के लिए कार्यनिष्पादन मूल्यांकन प्रणाली ऑन-लाइन कर दी गई है।
 - ❖ एचआर नीतियों में परिवर्तन कर उन्हें प्रतिभाएं रोकने एवं आकर्षित करने योग्य बनाया गया है।
 - ❖ वर्ष 2015-16 के लिए, मानवशक्ति आयोजना का निर्धारण, समिति दृष्टिकोण की संकल्पना के माध्यम से अत्याधिक पारदर्शी एवं यथार्थपूर्ण किया गया है, जिसका अनुमोदन निदेशक मंडल द्वारा किया गया है।

3. प्रशिक्षण:

स्वस्थ पदारोहण तैयार करने एवं सुदृढ प्रबंधकीय टीम के लिए, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण एक मूल बुनियाद है। तदनुसार, वर्ष 2014-15 के दौरान, “प्रशिक्षण एवं विकास” कार्यक्रम पर बल देना जारी रखा गया।

वर्ष 2014-15 के दौरान प्रारंभ विशेष प्रशिक्षण पहलें निम्नानुसार है :

वर्ष के दौरान सभी महाप्रबंधकों के लिए आईआईएम, अहमदाबाद में ‘लीडरशिप एवं टीम बिल्डिंग प्रोग्राम’ एवं एएससीआई, हैदराबाद में एकजीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया।

वर्ष के दौरान एएससीआई, हैदराबाद एवं सीआरएम में एकजीक्यूटिव डेवलपमेंट पर दुहरे प्रोग्राम और वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधकों, क्षेत्रीय प्रबंधकों, उप क्षेत्रीय प्रबंधकों के लिए आईडीआरबीटी, हैदराबाद में एनालिटिक्स पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

आंचलिक एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के मानव संसाधन प्रबंधन विभाग में कार्यरत अधिकारियों के लिए मानव संसाधन प्रबंधन पर दो बैच में 3 दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम एसपीबीटी, मुम्बई में आयोजित किया गया। इसमें भाग लेने वाले कुल 86 अधिकारियों द्वारा इसकी बहुत सराहना की गई।

अग्रणी स्टाफ सदस्यों के लिए सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन बड़े पैमाने पर जनवरी, 2015 में किया गया और इस लघु अवधि के दौरान कुल 18238 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित कर (अर्थात कुल 93% दर्ज उपस्थिति) दिनांक 14.03.2015 को इस कार्यक्रम का समापन हुआ। यह बैंक की छवि निर्माण में स्टाफ सदस्यों को प्रेरित करेगा एवं उनके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा।

आईआईबीएफ द्वारा प्रवर्तित उन्नत प्रबंधन पाठ्यक्रम आयोजित किया गया। हमने इस पाठ्यक्रम में सहभागिता कर उनके कौशल को बढ़ाने हेतु 2 अधिकारियों को अनुमति प्रदान की।

पहली बार शाखा प्रबंधक बने अधिकारियों के लिए तीनों प्रशिक्षण कॉलेजों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।



वर्ष 2014-15 के दौरान, तीन प्रशिक्षण महाविद्यालयों तथा 16 आंचलिक कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्रों में 1,38,154 कार्य-दिवस के क्लासरूम, लोकेशनल, आरआरबी तथा विशेष प्रशिक्षण सहित 2487 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 35321 सहभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके अलावा एनआईबीएम, सीएबी, आईआईबीएम, आईडीआरबीटी, आईआईबीएफ इत्यादि जैसी बाहरी प्रशिक्षण एजेन्सियों द्वारा आयोजित विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभिन्न वेतनमानों के 157 अधिकारियों को नामित किया गया। साथ ही, वर्ष 2014-15 में विभिन्न विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों/वर्कशॉप/सम्मेलन एक्सापोजर हेतु 20 अधिकारियों को भेजा गया था।

4. भर्ती एवं पदोन्नति :

वर्ष 2014-15 में, परिवीक्षाधीन अधिकारियों, कृषि वित्त अधिकारियों, विधि अधिकारियों, राजभाषा अधिकारी एवं लिपिकीय वर्ग के लिए 577 पदों हेतु भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई।

इन पदोन्नति प्रक्रियाओं को और अधिक प्रोत्साहक बनाया गया है तथा कॉर्पोरेट लक्ष्य के अनुरूप यह संकल्प लिया गया है कि सभी वेतनमानों/संवर्गों के लिए, यथासंभव बारम्बार पदोन्नति प्रक्रियाएं की जाएं। तदनुसार, वर्ष 2014-15 के दौरान, अंतर-वेतनमान एवं अंतर-संवर्ग पदोन्नति प्रक्रियाएं आयोजित की गईं तथा लगभग 1920 कर्मचारियों/ अधिकारियों (मुख्यधारा एवं विशेषज्ञ श्रेणी) को उच्चतर संवर्ग/ वेतनमान में पदोन्नत किया गया।

5. आरक्षण नीति का कार्यान्वयन :

आरक्षण नीति पर भारत सरकार/ भारतीय बैंक संघ से प्राप्त दिशानिर्देशों/ अनुदेशों का बैंक द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है तथा आरक्षण नीति के अनुसार अजा/अजजा/अपिव/पीडब्यूडी को छूट एवं रियायतें प्रदान की जा रही हैं।

वर्ष 2014-15 के दौरान अजा/अजजा कल्याण समिति, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के समक्ष सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अजा अजजा को रोजगार एवं आरक्षण विषय पर दिनांक 08.01.2015 को पार्लियामेंट हाउस अनेक्स, नई दिल्ली में आयोजित बैठक में साक्ष्य प्रस्तुत किए गए तथा आरक्षण नीति के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया।

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के कल्याण पर गठित संसदीय समिति ने दिनांक 14.02.2015 को मुंबई का दौरा किया और समिति ने हमारे बैंक के कार्यपालकों एवं कल्याण संघ के सदस्यों के साथ चर्चा की और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया।

सफाई कर्मचारी राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष ने दिनांक 19.03.2015 को मुंबई का दौरा किया तथा सफाई कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों पर कल्याण संघ के सदस्यों एवं बैंक के कार्यपालकों से विचारविमर्श किया।

6. स्टाफ कल्याण योजनाएं:

यद्यपि वर्ष 2014-15 के लिए बोर्ड द्वारा स्टाफ कल्याण योजनाओं के लिए कोई निधि आबंटित नहीं की गई है, फिर भी कर्मचारियों की आकांक्षाओं एवं कठिन परिस्थितियों में भी उनके एवं उनके परिवारों के कल्याण को सुनिश्चित करने के बैंक के दर्शन को अक्षुण्ण बनाए रखने के उद्देश्य से कुछ निश्चित योजनाओं को उनकी पिछले वर्ष की अव्ययित राशि के साथ जारी रखा गया था। यह प्रबन्धन का कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के प्रति उनकी विशुद्ध हितचिंता /अच्छाई को प्रदर्शित करता है।

7. औद्योगिक संबंध :

वर्ष के दौरान, औद्योगिक संबंध आमतौर पर सौहार्द्रपूर्ण रहे।

क्रेडिट कार्ड परिचालन :

- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2015 को बैंक का क्रेडिट कार्ड आधार 108711 का एवं प्रीपेड कार्ड आधार 997494 का है।
- ❖ बैंक प्रमुख कार्ड एसोसिएशन अर्थात मास्टरकार्ड एंव वीजा के सहयोग से क्रेडिट कार्ड जारी करता है। प्रीपेड कार्ड मास्टर कार्ड के सहयोग से जारी करता है।
- ❖ बैंक अंतर्राष्ट्रीय उपयोग की इच्छा रखने वाले ग्राहकों को ईएमवी चिप आधारित क्रेडिट कार्ड भी जारी करता है।
- ❖ सभी नए क्रेडिट कार्ड ईवीएम प्रकार के जारी किए जाते हैं।

एटीएम/डेबिट कार्ड परिचालन

- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2015 को बैंक के 4835 सक्रिय एटीएम हैं। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान 1394 एटीएम स्थापित किए गए और कम परिचालित 187 ऑफसाइट एटीएम बन्द किए गए।
- ❖ दिनांक 31 मार्च 2015 को कुल 4624 शाखाओं में से 4008 शाखाओं में एटीएम स्थापित किए गए।



- ❖ बैंक ने पोर्टब्लेयर, अनंतनाग एवं सतना के निकट मैहर में एटीएम स्थापित किया।
- ❖ 58% एटीएम ग्रामीण और अर्द्धशहरी केन्द्रों में हैं।
- ❖ वर्तमान में अपटाइम 97% है, जिसे सुधारकर 99% करने का लक्ष्य है।
- ❖ औसत हिट्स प्रतिदिन बढ़ रहे हैं।
- ❖ औसत नकद आहरण लगभग रु. 73 करोड़ प्रतिदिन है।

सहायक एवं संयुक्त उद्यम

i. सेन्ट्रल बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड

- ❖ लाभ में सतत वृद्धि के कारण स्वामित्व निधि मार्च 2014 के रु. 82.82 करोड़ से बढ़कर, मार्च 2015 को रु. 88.19 करोड़ हो गई है।
- ❖ वर्ष के दौरान, कंपनी के कुल अग्रिम मार्च 2014 के रु. 487.60 करोड़ से बढ़कर, 71.60% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए मार्च 2015 को रु. 803.53 करोड़ हो गया है। आवास ऋण, मार्च 2014 के रु. 356.03 करोड़ से बढ़कर, मार्च 2015 को रु. 610.95 करोड़ हो गए, इसमें 64.60% की वृद्धि दर्ज हुई है। गैर-आवास ऋण रु. 112.49 करोड़ से बढ़कर रु. 131.38 करोड़ हो गए, इसमें 16.79% की वृद्धि दर्ज हुई।
- ❖ रिटेल जमाएं एवं संस्थागत जमाएं मार्च 2013 के रु. 227.60 करोड़ से बढ़कर, मार्च 2014 को रु. 315.65 करोड़ हो गईं, इसमें वर्ष दर वर्ष 71.60% की वृद्धि दर्ज हुई।
- ❖ वर्ष 2014-15 के लिए, कंपनी का शुद्ध लाभ रु. 12.10 करोड़ रहा, जो वर्ष 2013-14 के लिए रु. 11.29 करोड़ था। नए संवितरण से ब्याज आय में वृद्धि होने से लाभ में यह वृद्धि हुई।
- ❖ प्रति शेयर आय रु. 4.84 (रु. 10 प्रति शेयर) गत वर्ष रु. 4.84 रही। वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपने रु.100 प्रति शेयर अंकित मूल्य को रु. 10 प्रति शेयर कर शेयर पूंजी का उपविभाजन किया है।
- ❖ मार्च 2015 में एनपीए रु. 15.59 करोड़ रहा, जो मार्च 2014 में रु. 16.02 करोड़ था।
- ❖ मार्च 2015 को शुद्ध अग्रिम में शुद्ध एनपीए 1.06% है।
- ❖ आस्तियों पर प्रतिफल 2.79% है। गत वर्ष 2.45%
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2015 को सीएआर 19.03% है।

ii. सेन्ट्रल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

- ❖ सेन्ट्रल बैंक वित्तीय सेवाएं लिमिटेड, डिबेंचर/सुरक्षा न्यास, निष्पादक न्यास, प्रबंध चेरीटेबल ट्रस्ट इत्यादि सहित अनिवार्यतः न्यासधारिता सेवाएं उपलब्ध करा रही है।
- ❖ कंपनी डिबेंचर न्यास एवं मर्चेन्ट बैंकिंग गतिविधियों के अधिग्रहण के लिए सेबी के साथ पंजीकृत है; जबकि कंपनी ने म्यूचुअल फंड एडवाइजर गतिविधि को बन्द कर दिया है।

वित्तीय अद्यतन जानकारी :

- ❖ कंपनी ने मार्च 2015 में रु. 3.15 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया, जो गत वर्ष रु. 2.82 करोड़ था।
- ❖ खंडवार अर्जन :

(राशि रु. में)

निष्पादक न्यास से शुल्क	35,78,295	40,35,498
डिबेंचर एवं सुरक्षा न्यास से शुल्क	2,06,85,035	1,72,99,022
समूहन शुल्क	1,14,29,650	4,51,12,900
एडवाइजरी शुल्क	2,38,63,480	2,24,43,020
पूंजी बाजार के लिए अर्रेजर शुल्क	-	60,59,350
म्यूचुअल फंड से ब्रोकरेज	-	1,33,998
कुल	5,95,56,460	9,50,83,789



iii. इंडो-जाम्बिया बैंक लिमिटेड

- ❖ जाम्बिया सरकार तथा भारत के तीन बैंकों अर्थात सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से जाम्बिया में बैंक का संयुक्त उद्यम स्थापित किया गया है. इसमें इन तीनों भारतीय बैंकों में से प्रत्येक की 20% इक्विटी है, जबकि शेष 40% इक्विटी जाम्बिया गणराज्य सरकार की है.
- ❖ बैंक सभी पैरामीटरों में बेहतर कार्यनिष्पादन दर्शा रहा है और वर्तमान में जाम्बिया का छठा सबसे बड़ा बैंक है.
- ❖ कैलेंडर वर्ष 2014 के दौरान, इंडो जाम्बिया बैंक ने अपने सभी हितधारकों को बोनस शेयर जारी किए हैं तदनुसार, हमारे बैंक ने क्वाचा 1 प्रति शेयर के 1,21,24,763 शेयर प्राप्त किए है.
- ❖ कैलेंडर वर्ष 2014 के दौरान, भारिबैं, केन्द्र सरकार एवं हमारे बैंक के बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात क्वाचा 40.60 मिलियन के लगभग हमारे शेयरों को पूंजी में लगाया है.
- ❖ दिसम्बर 2014 के अंत तक हमारे बैंक के पास कुल 1 क्वाचा प्रति शेयर के 8,32,00,000 शेयर हैं जो कि भारतीय मुद्रा में रु. 81.53 करोड़ है.
- ❖ 31 मार्च 2015 को शेयरों की भारतीय मुद्रा में कीमत रु. 85.08 करोड़ है.

iv. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

- ❖ हमारे पास दिनांक 31 मार्च, 2015 को 3 आरआरबी हैं, जिनका 3 राज्यों के 47 जिलों में 1622 शाखाओं का नेटवर्क है.
- ❖ प्रायोजक बैंक के नाते हमने क्षेत्राबैं की पूंजी का 35% अर्थात रु.277.11 करोड़ का निवेश किया है. इसके अलावा हमने इन क्षेत्राबैं में शाश्वत बाण्ड के रूप में रु. 69.35 करोड़ निवेश किए है.

(रु. करोड़ में)

आरआरबी एवं मुख्यालय का नाम	जिलों एवं शाखाओं की संख्या	कुल जमाराशियां	कुल अग्रिम	सकल एनपीए	शुद्ध लाभ
सेन्ट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा (म.प्र.)	25/451	5582.25	3445.04	361.90	10.06
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक(मुजफ्फरपुर) बिहार	18/1031	10572.04	6003.40	101.38	101.00
उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कूचबिहार (प.बंगाल)	4/140	2070.86	1152.45	201.63	4.90
कुल	47/1622	18225.15	10600.89	664.91	115.96

वर्ष 2014-15 के दौरान उपलब्धियां :

- ❖ नाबार्ड ने अध्यक्ष को कार्य निष्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन राशि के अंतर्गत उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को रु. 1.50 लाख की प्रोत्साहन राशि के पुरस्कार हेतु चयनित किया है.
- ❖ नाबार्ड ने उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को इसके स्थापना दिवस अर्थात दिनांक 12 जुलाई 2014 को निम्नलिखित उपलब्धियों हेतु बधाई दी है :
 - ए) वर्ष 2013-14 के दौरान सबसे अधिक संख्या में जेएलसी के वित्तपोषण हेतु.
 - बी) वर्ष 2013-14 के दौरान सबसे अधिक संख्या में एसएचजी की बचत सम्बद्धता हेतु.
 - सी) वर्ष 2012-13 एवं वर्ष 2013-14 के दौरान सबसे अधिक संख्या में कृषक क्लबों के प्रवर्तन हेतु.
- ❖ भारत सरकार (डीएफएस) ने पीएमजेडीवाई के अंतर्गत माह दिसम्बर 2014 के दौरान खोले गए कुल खातों में आधार कार्ड से जोड़े गए खातों के प्रतिशत में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर शाखा सौगारा, उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रयासों एवं योगदान की सराहना की है.
- ❖ भारत सरकार (डीएफएस) ने पीएमजेडीवाई के अंतर्गत नवम्बर माह 2014 के दौरान कुल जमाओं के संग्रहण में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर शाखा- बस स्टैंड, भिंड, सेन्ट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के अभूतपूर्व प्रयासों एवं योगदान की सराहना की है.



विशिष्टताएं :

- ❖ हमारे सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 100% शाखाएं सीबीएस सुविधाओं युक्त हैं।
- ❖ हमारे सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने बचत खाता/चालू खाता ग्राहकों को एटीएम सुविधा उपलब्ध कराते हैं।
- ❖ हमारे सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने केसीसी खाताधारकों को केसीसी रूपे कार्ड उपलब्ध कराते हैं।
- ❖ हमारे सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने ग्राहकों को एनईएफटी सुविधा उपलब्ध कराते हैं।
- ❖ हमारे सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लाभप्रद हैं।
- ❖ उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के 18 एफएलसीसी हैं।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

- ❖ सीएसआर, कार्यबल एवं उनके परिवारों के साथ साथ समुदाय एवं समाज के जीवन स्तर में सुधार लाते हुए अर्थव्यवस्था के विकास में व्यवसाय की सतत प्रतिबद्धता है।
- ❖ सीएसआर के अंतर्गत निर्धन, समाज के वंचित वर्ग के शिक्षा, स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाने, प्राकृतिक आपदाओं एवं समाज के समग्र कल्याण के लिए कार्य करने वाली संस्था/ट्रस्ट के माध्यम से आर्थिक दान देना हमारी सतत प्रतिबद्धता है।
- ❖ भारिबैं की नीति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट के लिए अधिकतम अनुमत दान सीमा पिछले वर्ष के प्रकाशित लाभ का 1% होना चाहिए। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान हमारे बैंक ने रु. 1262.84 करोड़ की शुद्ध हानि दर्ज की है और इसलिए वर्ष 2014-15 के लिए अत्यंत पात्र सीएसआर गतिविधि के लिए रु. 5 लाख का बजट रखा गया है। अप्रैल 2014 से मार्च 2015 के वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर के अंतर्गत हमने किसी भी तरह के दान का संवितरण नहीं किया है।

नई पहलें :

- ❖ ग्रो ग्रीन ट्रीज़ : एक अभिनव संकल्पना - इसके माध्यम से हमने ग्रोट्रीज़.कॉम के साथ मिलकर देश की बंजर जमीन पर एक विशिष्ट संख्या में वृक्षारोपण करने वालों को स्मृतिचिन्ह के स्थान पर प्रमाणपत्र दिया जाना प्रारम्भ किया है।
- ❖ हरित पहल उपाय - निदेशकों में बोर्ड एजेंडा प्रपत्र का इलेक्ट्रॉनिक मोड में परिचालन, कागज के दोनों ओर मुद्रण इत्यादि।
- ❖ राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय महत्व के सभी त्योहारों पर बैंक के ग्राहकों को शुभकामना सन्देश एसएमएस एवं ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करना।
- ❖ ग्राहक आल्हादक पहल हमारे सेन्ट प्रीमियम ग्राहकों के जन्मदिन पर गुलदस्ता भेजा जाना।
- ❖ विशेषीकृत बचत उत्पाद - वैतनिक वर्ग हेतु विशेष छूट एवं ओवरड्राफ्ट अंतर्निहित सुविधा तथा 'वंडर कार्ड' सहित सेन्ट सेलरी सेविंग स्कीम।
- ❖ इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ता ग्राहकों के लिए ऑनलाइन सावधि खाता खोलने की सुविधा प्रदान करना इस तरह की सुविधा देने वाला देश का पहला राष्ट्रीय बैंक।
- ❖ शाखाओं, एटीएम, कियोस्क, लिफ्ट, एवं दरवाजों की स्टेण्डर्ड ब्रैंडिंग।
- ❖ बैंक द्वारा एक सुरक्षित क्रेडिट कार्ड उत्पाद 'एस्पायर क्रेडिट कार्ड' का शुभारम्भ। यह कार्ड बैंक में ग्राहक की सावधि जमा द्वारा सुरक्षित है।
- ❖ मिस्ड कॉल के माध्यम से 'पूछताछ सुविधा' का शुभारम्भ एवं एसएमएस आधारित क्रेडिट कार्ड की हॉट लिस्टिंग।
- ❖ शुल्क आधारित आय के माध्यम से व्यावसायिक अवसरों को बढ़ाने एवं बजाज एलायंज़ (हमारे ग्राहकों सहित) के सभी पॉलिसीधारकों को हमारे सीबीएस नेटवर्क के माध्यम से नवीनीकरण प्रीमियम प्रेषण का विकल्प उपलब्ध कराने हेतु, हमने एकीकृत प्रणाली के माध्यम से वास्तविक समयाधारित संग्रहण प्रक्रिया एवं "b@ncs24" में यथानुरूप पृथक स्क्रीन स्थापित किया है। इससे स्व-आगत व्यवसाय भी प्राप्त होगा; जो हमारी कासा जमाओं को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा।
- ❖ बैंक ई-ट्रेजरी सोल्यूशन के विद्यमान वर्जन को फिलहाल अपग्रेड कर रहा है, ताकि सभी नई विशेषताओं एवं टीसीएस द्वारा सुदृढ़ बाजार जोखिम सोल्यूशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जा सके।
- ❖ बैंक, ऋण एवं परिचालनात्मक जोखिमों के आधुनिक दृष्टिकोणयुक्त समाधान के कार्यान्वयन की प्रक्रिया के अंतिम चरण में है।
- ❖ बैंक, नए एएमएल समाधान के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है, जिसके लिए 31 इंफोटेक को पीओ जारी किए जा चुके हैं।
- ❖ बैंक, ई- टीडीएस समाधान के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है, जिसके लिए मे. रेल्याॉन सॉफ्टवेयर को पीओ जारी किए जा चुके हैं।



उपलब्धियां

- ❖ वर्ष के दौरान बैंक द्वारा 1394 नए एटीएम स्थापित किए गए जिन्हें मिलाकर कुल 4835 एटीएम हो गए हैं.
- ❖ भारत सरकार के केन्द्रीय बजट 2015-16 में घोषित सभी आधार सम्बद्ध बचत खातों के लिए बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजीबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) का शुभारम्भ.
- ❖ कॉर्पोरेट एजेंसी के अंतर्गत स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा उत्पाद का शुभारम्भ.
- ❖ एसएमएस द्वारा डेबिट/क्रेडिट कार्ड की हॉट लिस्टिंग का कार्यान्वयन किया गया.
- ❖ क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के लिए मिस्ड कॉल सुविधा का कार्यान्वयन.
- ❖ बजाज एलायंस के लिए हमारी शाखाओं में प्रीमियम संग्रहण का कार्यान्वयन.
- ❖ मोबाइल बैंकिंग का सफल क्रियान्वयन.
- ❖ बैंक द्वारा प्रीपेड कार्ड पर छत्तीसगढ़ छात्रवृत्ति कार्यक्रम क्रियान्वित कर दिया है. इसका दूसरा चरण कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है.
- ❖ बैंक ने बायोमीट्रिक प्रणाली के अंतर्गत सभी शाखाओं/ उपयोगकर्ताओं को कवर किया.

बढ़ते कदम

- ❖ कासा जमाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी.
- ❖ कॉर्पोरेट एवं नॉन कॉर्पोरेट के कर्मचारियों के लिए सेन्ट सेलरी जमा योजना, नियोक्ता के कॉर्पोरेट खाते को लाने में प्रेरणा शक्ति का काम करेगी.
- ❖ विद्यमान उत्पादों विशेष रूप से ऑन लाइन उत्पादों में इंडस्ट्री की प्रथाओं के अनुसार उन्नयन हमारा मुख्य लक्ष्य है. ऑन-लाइन बचत खाता खोलने से इसकी शुरुआत की गई है.
- ❖ नई प्रारम्भ की गई आवर्ती जमा योजना सेन्ट लखपति “जब चाहो लखपति बनो” में उल्लेखनीय जमा का संग्रहण.
- ❖ बैंक के कुल एनपीए को 5.25% से नीचे लाने एवं शुद्ध एनपीए को 2.20% से कम करने की सुदृढ़ योजना.
- ❖ अतिरिक्त व्यवसाय के सृजन हेतु ट्रांजेक्शन बैंकिंग गतिविधियों पर विशेष ध्यान.
- ❖ विद्यमान उत्पादों विशेष रूप से ऑन लाइन उत्पादों में इंडस्ट्री की प्रथाओं के अनुसार उन्नयन हमारा मुख्य लक्ष्य है ऑन-लाइन बचत खाता खोलने से इसकी शुरुआत की गई है.
- ❖ समय पूर्व समाप्त पॉलिसियों के पुनर्जीवन को निगरानी द्वारा बढ़ाकर जीवन बीमा व्यवसाय में 50% की अभिविेश औसत हासिल करना.
- ❖ ई- केवायसी का कार्यान्वयन.
- ❖ इस वित्तीय वर्ष में और अधिक बहुकार्यात्मक कियोस्क (एमएफके) एवं नगद जमा कियोस्क (सीडीके) की स्थापना.

पुरस्कार एवं प्रशंसा

- ❖ वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की गृह-पत्रिका ‘सेन्ट्रलाइट’ को भाषिक क्षेत्र ‘ख’ में वर्ष 2013-14 के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार की “गृह पत्रिका पुरस्कार योजना” के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है. राष्ट्रपति भवन ऑडिटोरियम, नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में हमारे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री राजीव ऋषि ने यह पुरस्कार महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के कर-कमलों से प्राप्त किया.
- ❖ वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, भारत सरकार की राजभाषा नीति के उत्कृष्ट निष्पादन हेतु वर्ष 2012-13 के लिए भाषिक क्षेत्र ‘क’ एवं ‘ग’ के लिए हमारे बैंक को “भारतीय रिज़र्व बैंक गवर्नर शील्ड” से सम्मानित किया गया. ये दोनों पुरस्कार, हमारे बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री राजीव ऋषि ने भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम जी. राजन से प्राप्त किए.
- ❖ तीन राज्यों, महाराष्ट्र, गुजरात एवं आन्ध्र प्रदेश में राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु इन राज्यों की राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा हमारे बैंक को “प्रथम” पुरस्कार प्रदान किया गया.
- ❖ नई दिल्ली में आयोजित सीआईएमएसएमई-एमएसएमई बैंकिंग एक्सीलेंस अवार्ड-2014 में बैंक ने निम्नलिखित तीन पुरस्कार प्राप्त किए 1) बड़े बैंकों की श्रेणी में “बेस्ट एमएसएमई बैंक अवार्ड” में रनर अप, 2) बेस्ट बैंक अवार्ड फॉर फाइनेंशियल इनक्लूजन एवं 3) प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत “स्पेशल प्लाक फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस”.
- ❖ सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री ट्रेड एण्ड सर्विसेज द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में पीएमजेडीवाय एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया.



कॉर्पोरेट गवर्नेंस

बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उद्देश्य-:

- ❖ बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रमुख उद्देश्य व्यवसाय के संचलन में नैतिक संव्यवहार से शेयरधारकों की आय में वृद्धि करना तथा प्रकटीकरण एवं पारदर्शिता के उच्च मानकों का अनुसरण करना है। बैंक ने सर्वोत्तम संव्यवहार को अपनाया है एवं गवर्नेंस के मानकों की निगरानी बोर्ड की विभिन्न समितियों द्वारा की जाती है। कॉर्पोरेट लक्ष्यों की प्राप्ति, कार्य-निष्पादन में सुधार एवं शेयरधारकों के शेयर मूल्य में वृद्धि हेतु बोर्ड, कार्यपालकों एवं अन्य पदाधिकारियों की विशिष्ट भूमिकाएं हैं।
- ❖ बैंक के इक्विटी शेयर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि. एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लि. में सूचीबद्ध है। हालांकि, बैंक एक कंपनी नहीं है, किन्तु बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के तहत निगमित निकाय है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियंत्रित है। अतः बैंक स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुए सूचीबद्ध करार के खंड 49 के प्रावधानों के उस सीमा तक, जहां तक कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता है, अनुपालन करेगा।
- ❖ इक्रा लिमिटेड ने हमारे बैंक को कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं के लिए सीजीआर3+(उदघोषित सीजीआर 3 प्लस) रेटिंग प्रदान की है। इस रेटिंग से यह प्रकट होता है कि इक्रा की वर्तमान राय यह है कि रेटिंग प्रदत्त कंपनी ने इस तरह की प्रथाएं, परम्परा एवं संहिता को स्वीकार करते हुए अपनाया है, जिससे वह कॉर्पोरेट गवर्नेंस की गुणवत्ता पर अपने वित्तीय स्टेकधारकों को आश्वासन का उच्च स्तर प्रदान कर सके।

निदेशक मंडल

- ❖ बैंक का गठन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (समय-समय पर यथा-संशोधित), के अनुरूप किया गया है। सामान्य देखरेख, दिशानिर्देश एवं बैंक के व्यवसाय प्रबंधन के अधिकार निदेशक मंडल के पास निहित हैं, जिनकी अध्यक्षता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है।
- ❖ बैंक के निदेशक मंडल का गठन बैंककारी विनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, यथा संशोधित एवं राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970, यथा संशोधित के द्वारा अधिशासित होता है।
- ❖ समीक्षाधीन वर्ष अर्थात् 2014-15 के दौरान, निदेशक मंडल का संयोजन निम्नवत था:



क्र.	नाम	धारित पद	अवधि (से-तक)	दिनांक 31.03.2015 को बैंक के धारित इक्विटी शेयर की संख्या	विशेषज्ञता का क्षेत्र	दिनांक 31.03.2015 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड समिति की सदस्यता/ अध्यक्षता की		दिनांक 31.03.2015 को अन्य कंपनी की निदेशकता	क्या दि. 30 जून, 2014 को अंतिम एजीएम की बैठक में उपस्थिति थी
						सदस्य	अध्यक्ष		
1.	श्री राजीव ऋषि	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.08.2013 से	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, आईएफआरएस, वीआईजी, सीएसी, एचआर, एमआरसी	एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी, सीएससी, आईएफ आरएस, वीआईजी, सीएसी, एचआर, एमआरसी	-इन्डो ज़ाम्बिया बैंक लि. -इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कं. लि.	जी हाँ
2	श्री आर.के.गोयल.	कार्यपालक निदेशक	11.01.2013 से	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी, एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, आईएफआरएस, सीएसी, एचआर, एमआरसी,	निरंक	- सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लि. - सेन्ट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि.	जी हाँ
3	श्री अनिमेष चौहान	कार्यपालक निदेशक	05.08.2013 से 31.12.2014	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी, एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, आईएफआरएस, सीएसी, एचआर, एमआरसी,	निरंक	-सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लि.	जी हाँ



क्र.	नाम	धारित पद	अवधि (से-तक)	दिनांक 31.03.2015 को बैंक के धारित इक्विटी शेयर की संख्या	विशेषज्ञता का क्षेत्र	दिनांक 31.03.2015 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड समिति की सदस्यता/ अध्यक्षता की		दिनांक 31.03.2015 को अन्य कंपनी की निदेशकता	क्या दि. 30 जून, 2014 को अंतिम एजीएम की बैठक में उपस्थिति थी
						सदस्य	अध्यक्ष		
4	श्री बी.के. दिवाकर.	कार्यपालक निदेशक	23.01.2014 से	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी, एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, आईएफआरएस, सीएसी, एचआर, एमआरसी,	निरंक	- सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लि. - सेन्ट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि.	जी हाँ
5	डॉ. आर.सी. लोढ़ा	कार्यपालक निदेशक	11.03.2015 से	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी, एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, आईएफआरएस, सीएसी, एचआर, एमआरसी,	निरंक	निरंक	एजीएम की तारीख को निदेशक नहीं
6	डॉ. सौरभ गर्ग	भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	19.02.2014 से	निरंक	प्रशासन	एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी आरसी, वीआईजी, एमआरसी, एचआर	आरसी	दिल्ली- मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ट्रस्ट	जी नहीं
7	श्री शेखर भटनागर	भारिबैं द्वारा नामित निदेशक	13.03.2014 से	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी, एसीबी, आरसी, वीआईजी	निरंक	निरंक	जी नहीं



क्र.	नाम	धारित पद	अवधि (से-तक)	दिनांक 31.03.2015 को बैंक के धारित इक्विटि शेयर की संख्या	विशेषज्ञता का क्षेत्र	दिनांक 31.03.2015 को सेन्दूरल बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड समिति की सदस्यता/ अध्यक्षता की		दिनांक 31.03.2015 को अन्य कंपनी की निदेशकता	क्या दि. 30 जून, 2014 को अंतिम एजीएम की बैठक में उपस्थिति थी
						सदस्य	अध्यक्ष		
8	प्रो. एन. बालकृष्णन	शेयरधारक निदेशक	20.11.2008 से 9.11.2011 एवं 10.01.2012 से 9.01.2015	160	सूचना प्रौद्योगिकी	आरएमसी, सीएससी, आईटीएस, एसआरसी	आईटीएस, एसआरसी	I) सी-डॉट अल्का टेल रिसर्च सेन्टर प्रा.लि. II) डाटा सिक्वू रिटी कॉन्सिल ऑफ इंडिया	जी हाँ
9	श्री गुमान सिंह	अंशकालीन गैर- सरकारी निदेशक	08.08.2011 से 07.08.2014	निरंक	सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारी	एमसीबी, एसीबी, सीएससी, आईएफआरएस	निरंक	निरंक	जी हाँ
10	श्री एम.पी. शोरावाला	अंशकालीन गैर- सरकारी निदेशक	03.01.2013 से	निरंक	वकील	एमसीबी, आरएमसी, आईटीएस, आईएफआरएस, एचआर	निरंक	विश्व लक्ष्मी एक्सपोर्ट्स (प्रा.) लि.	जी नहीं
11	श्री कृष्ण सेठी	अंशकालीन गैर- सरकारी निदेशक	28.02.2013 से	निरंक	व्यावसायिक	एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी आईएफआरएस,	एसीबी	निरंक	जी हाँ
12	श्री एस.बी.रोडे	अधिकारी कर्मचारी निदेशक	02.04.2013 से	133	बैंकर	एमसी, एलवीएफसी सीएससी, एसआरसी	निरंक	निरंक	जी हाँ
13	श्री गुरबखश कुमार जोशी	कर्मकार कर्मचारी निदेशक	10.07.2013 से	निरंक	बैंकर	एमसीबी, सीएससी, आईटीएस, एसआरसी	निरंक	निरंक	जी हाँ
14	श्रीमती एन.एस. रत्नप्रभा	अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक	19.12.2013 से	निरंक	समाज सेवा	एसीबी, आरएमसी, एसआरसी, सीएससी, आरसी	निरंक	निरंक	जी हाँ

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं कार्यपालक निदेशकगण बैंक के पूर्णकालिक निदेशक हैं।



एमसीबी	-	बोर्ड की प्रबंधन समिति
एसीबी	-	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति
आरएमसी	-	जोखिम प्रबंधन समिति
एलवीएफसी	-	उच्च मूल्य की धोखाधड़ी संबंधी समिति
सीएससी	-	ग्राहक सेवा समिति
आईटीएस	-	सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति
एसआरसी	-	स्टोकहोल्डर सम्बंध समिति
आरसी	-	पारिश्रमिक समिति
आईएफआरएस	-	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक समिति
आईटीपीए	-	आंतरिक प्रशिक्षण नीति परामर्श समिति
वीआईजी	-	सतर्कता समिति
सीएसी	-	ऋण अनुमोदन समिति
एचआर	-	मानव संसाधन समिति
एमआरसी	-	वसूली समिति की निगरानी

नए निदेशकों का संक्षिप्त परिचय

1. श्री आर.सी. लोढ़ा, कार्यपालक निदेशक (जन्म-तिथि 14.02.1957)

श्री आर.सी. लोढ़ा, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में दिनांक 11.03.2015 को कार्यपालक निदेशक के पद पर पदोन्नति से पूर्व यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। आप ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के प्रधान कार्यालय, गुड़गांव में मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर थे।

आपकी बैंकिंग यात्रा, प्रत्येक बैंकिंग विभाग के बहुआयामी अनुभव से समृद्ध हुई है। आपने पूरे देश के विभिन्न स्थानों पर कार्य किया है और इस तरह से आप ग्रामीण, अर्द्ध-शहरी, शहरी एवं महानगरीय शाखाओं के प्रभारी रहे हैं। आप क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली के प्रभारी रहे हैं और आपने पुणे एवं दिल्ली अंचलों में फील्ड महाप्रबंधक के पद पर सफलतापूर्वक कार्य किया है। आपको यूनियन बैंक के केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई के एमडीओ में बोर्ड सेक्रेटरी के पद पर कार्य करने का भी अवसर भी प्राप्त हुआ है।

आपको कई आंतरिक पुरस्कारों से नवाजा गया है, इनमें वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में बड़ौदा एवं अहमदाबाद की शाखाओं में समग्र कार्यनिष्पादन के लिए, आपको दो बार सुपर अचीवर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको तीन बार चेरमेन क्लब का सदस्य बनने का भी विशेष अवसर प्राप्त हुआ है।

बैंक के बाहर भी आपको अन्य पुरस्कारों के अलावा, इंडियन बैंक असोसिएशन, मुंबई से सी.एच. भाभा रिसर्च एवं स्कॉलरशिप अवार्ड 2000-2001 प्राप्त हुआ है।

अन्य निदेशकों के विवरण

1. श्री राजीव ऋषि, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (जन्म-तिथि 30.08.1959)

श्री राजीव ऋषि, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से विधि स्नातक हैं तथा वे विश्वविद्यालय के रैंक होल्डर, राष्ट्रीय मेरिट स्कॉलर रहे हैं। आप स्पोर्ट्स खेल से जुड़े व्यक्ति हैं और वे टेबल टेनिस में अपने कॉलेज का तथा राष्ट्रीय रौलर स्केटिंग प्रतियोगिता में चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

बैंक में दिनांक 01.08.2013 से सीएमडी के रूप में अपनी वर्तमान नियुक्ति से पूर्व आप इंडियन बैंक में कार्यपालक निदेशक थे, और यह उत्तरदायित्व, वे अक्तूबर 2010 से वहन कर रहे थे।

आपने अपने बैंकिंग करियर की शुरुआत दिनांक 12.05.1979 को ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में की एवं 3 दशकों तक उन्होंने विभिन्न पदों एवं स्थानों पर कार्य किया। आपको शाखाओं एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्य करने का 25 वर्षों का वृहद अनुभव है। आप वर्ष 2005 से 2010 तक मानव संसाधन, तृतीय पक्ष उत्पाद विपणन एवं बोर्ड सचिवालय में महाप्रबंधक रहे। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में विलय पर आपने मानव संसाधन समन्वयन का कार्य अत्यंत सफलतापूर्वक संपादित किया।



2. श्री आर.के.गोयल, कार्यपालक निदेशक (जन्म-तिथि 01.01.1957)

श्री राज कुमार गोयल ने दिनांक 12 मई, 1977 को बैंक ऑफ इंडिया में कार्यग्रहण किया। आप एक कॅरियर बैंकर और सम्पूर्ण रूप से व्यावसायिक बैंकर हैं। आपने पिछले 36 वर्षों के दौरान विभिन्न पदों पर कार्य किया है। आपके विभिन्न पोर्टफोलियो में सामान्य परिचालन, ऋण, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग एवं मानव संसाधन विभाग शामिल है। आपने ऋण, विशेषतौर पर बड़े ऋण में बहुत ही सक्रियता से कार्य किया और सफलतापूर्वक बैंक ऑफ इंडिया की तीन बड़ी कॉर्पोरेट बैंकिंग शाखाओं के प्रभारी रहे। आपके कार्यकाल में बैंक ऑफ इंडिया की लंदन शाखा के 4 वर्ष शामिल है। आपने ऋण समूहन एवं निवेश सहित विभिन्न महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो में सफलतापूर्वक कार्य किया। आपको प्रशासकीय क्षमता के लिए जाना जाता है और आप सदैव टीम वर्क में विश्वास रखते हैं।

श्री गोयल ने पदोन्नति प्राप्त कर दिनांक 11 जनवरी, 2013 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के पद पर कार्यग्रहण किया।

3. श्री अनिमेष चौहान, कार्यपालक निदेशक (जन्म-तिथि 30.06.1957)

श्री अनिमेष चौहान ने दिनांक 17 जनवरी 1979 को अपने करियर की शुरुआत बैंक ऑफ बड़ौदा में डीआरओ के रूप में की। अपने वर्तमान पदभार से पूर्व आप जयपुर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के राजस्थान अंचल के महाप्रबंधक/अंचल प्रधान के रूप में कार्यरत थे। आप द नैनिताल बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं तथा आपने लंदन मुख्य कार्यालय के प्रमुख एवं यूके परिचालन के मुख्य अनुपालन अधिकारी के पद पर भी कार्य किया है। आपने गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान एवं विदेशों में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। आपने बैंक ऑफ बड़ौदा में पिछले दो वर्षों से राजस्थान राज्य की राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक के पद पर भी कार्य किया है।

श्री अनिमेष चौहान की ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर पदोन्नति हो जाने से, आपका दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 से बैंक के कार्यपालक निदेशक का पद समाप्त हो गया है।

4. श्री बी.के. दिवाकर, कार्यपालक निदेशक (जन्म-तिथि 17.07.1960)

श्री दिवाकर, सनदी लेखाकार, लागत लेखाकार एवं कंपनी सचिव है। आपने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1986 से कॉर्पोरेशन बैंक में कंपनी सचिव के रूप में की। आप वर्ष 1997 में मुख्य प्रबंधक, वर्ष 2000 में सहायक महाप्रबंधक, वर्ष 2007 में उपमहाप्रबंधक तथा वर्ष 2010 में महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नत हुए। आप दिनांक 23.01.2013 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त हुए। आपने कॉर्पोरेट स्वीकृतियां मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजभाषा नीति कार्यान्वयन, सहायक सेवाएं, एटीएम प्रबंधन, क्रेडिट रेटिंग, शुल्क आय, सीडीआर, ऋण समूहन आदि जैसे विभिन्न पोर्टफोलियो में कार्य करने के साथ आंचलिक प्रधान के रूप में भी कार्य किया है।

5. डॉ सौरभ गर्ग, सरकार मनोनीत निदेशक- (जन्म-तिथि 28.07.1964)

डॉ. सौरभ गर्ग एक प्रतिष्ठित विद्वान है। आपने आईआईटी दिल्ली से केमिकल इंजिनियरिंग-बायो टेक्नॉलॉजी में बी.टेक. डिग्री प्राप्त की है। आपने आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए(वित्त प्रबंधन) किया है। आपको लंदन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, लंदन, यूके से वैश्वीकरण एवं शहरी विकास में प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है। आपने पॉल निजे स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, वाशिंगटन, यूएसए से पीएचडी की है।

डॉ गर्ग ओडिसा से 1991 कैडर के आईएस हैं। ओडिसा राज्य कैडर में कार्य करने के उपरांत, आपने अप्रैल 2002 में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामले विभाग के उप सचिव की नियुक्ति पाई। अपने राज्य कैडर के कार्यकाल के दौरान वर्ष 1993-98 की अवधि में आपने विभिन्न महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो जैसे परियोजना निदेशक, डीआरडीए, कालाहांडी एवं परियोजना निदेशक, ऊर्जा विभाग में कार्य किया है। आप वर्ष 1996-98 के दौरान आईडीसीओएल, सीमेंट लिमिटेड के एमडी रह चुके हैं। आपने बरगढ़ एवं केरोंझर जिले के जिलाधीश एवं वाटरशेड विकास विभाग के निदेशक के पद पर भी कार्य किया है। आप दिनांक 04.05.2012 से संयुक्त सचिव वय्य विभाग, वित्त मंत्रालय के पद पर कार्य कर रहे हैं।

डॉ गर्ग को प्राप्त पुरस्कारों का विवरण :

1988 शैक्षणिक उत्कृष्टता हेतु स्वर्ण पदक

1993 1991 के आईएस बैच में सर्वश्रेष्ठ आल राउंड परीक्षार्थी

उनके प्रकाशनों का विवरण :-

2000 (लोक प्रशासन)

सरकारी वितरण प्रणाली 2010 (वित्त) के माध्यम से सेवाओं में सुधार हेतु कुछ दखल एवं अनुभव

भारत की बुनियादी संरचना संबंधी दूरदर्शिता वित्तपोषण की चुनौतियां



6. श्री शेखर भटनागर, आरबीआई मनोनीत निदेशक (जन्म-तिथि 17.07.1958)

श्री भटनागर, बी.एस.सी., एम.ए. (लखनऊ विश्वविद्यालय) एवं एफ.एम.एस., नई दिल्ली से एमबीए (वित्त) हैं। आपने वर्ष 1984 में भारतीय रिज़र्व बैंक में एक अधिकारी (ग्रेड बी) के पद पर कार्यग्रहण किया एवं आरबीआई के मुद्रा प्रबंधन, बैंकिंग, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग एवं गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग जैसे विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। वर्तमान में आप भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्यरत हैं।

7. पद्मश्री प्रोफेसर एन.बालकृष्णन, शेयरधारक निदेशक (जन्म-तिथि 01.06.1950)

प्रो.एन.बालकृष्णन, शेयरधारक निदेशक सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक हैं। आप मद्रास विश्वविद्यालय से बी.ई. (इलेक्ट्रॉनिक्स) हैं और वर्ष 1979 में आपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स से पी.एच.डी. की है। इस समय आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स के सहयोगी निदेशक और डिपार्टमेंट ऑफ ऐरोस्पेस इंजीनियरिंग में प्रोफेसर हैं। भारत का पहला सुपर कम्प्यूटर केन्द्र बनाने में आपकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों एवं परिषदों में आपके 200 से अधिक प्रकाशन प्रकाशित हुए हैं। वर्ष 2002 में भारत के महामहिम राष्ट्रपति से पद्मश्री पुरस्कार, वर्ष 2004 में एप्लाइड साइंस के लिए होमी जे. भाभा अवार्ड व वर्ष 2007 में जे.सी.बोस.नेशनल फेलोशिप, जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से आप सम्मानित हो चुके हैं। इस समय आप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं। सूचना प्रौद्योगिकी आयोजना तथा सूचना सुरक्षा से संबंधित अनेक प्रमुख राष्ट्रीय प्रवर्तनों में आपने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल में शेयरधारक निदेशक के रूप में आप 20 नवम्बर, 2008 को निर्वाचित हुए तथा इस दिनांक 19 नवम्बर, 2011 तक इस पद पर रहे। आप दिनांक 10.01.2012 से तीन वर्ष की अवधि के लिए शेयरधारक निदेशक के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं।

प्रो.एन. बालकृष्णन को बैंक के शेयरधारक निदेशक के पद पर बैंककारी कंपनी (अर्जन एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत दिनांक 10 जनवरी, 2012 से तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनर्निर्वाचित किया गया है। दिनांक 9 जनवरी, 2015 को कारोबारी समय की समाप्ति के बाद से उनकी अवधि पूर्ण हो जाने के कारण, वे बैंक के निदेशक के पद पर नहीं हैं।

8. श्री गुमान सिंह, अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक (जन्म -तिथि 24.03.1937)

श्री गुमान सिंह को दिनांक 08.08.2011 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल में अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आप एक सेवानिवृत्त रेल अधिकारी हैं और वर्तमान में आप नेशनल फैडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन के प्रेसीडेन्ट इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन काँग्रेस, राजस्थान राज्य के प्रेसीडेन्ट, नेशनल काउन्सिल (ज्वाइंट कन्सटेटिव मशीनरी), नई दिल्ली की स्थायी समिति के सदस्य तथा इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन काँग्रेस (राष्ट्रीय स्तर) के सचिव हैं।

दिनांक 07 अगस्त, 2014 को श्री गुमान सिंह का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण, दिनांक 08 अगस्त, 2014 से वे बैंक के अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नहीं हैं।

9. श्री एम.पी.शोरावाला, अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक (जन्म-तिथि 15.10.1947)

श्री शोरावाला माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में एडवोकेट-ऑन-रेकॉर्ड के रूप में पिछले 26 वर्ष से कार्यरत हैं। आपने भारत संघ के लिए महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल), सॉलिसिटर जनरल एवं अन्य विधि अधिकारियों के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारियों को सहयोग प्रदान किया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विभिन्न स्थानीय निकायों का भी प्रतिनिधित्व किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशिष्ट मामलों को देखने के अलावा, आपने विवाचन, संविदाओं/करारों के मसौदे, पेटेन्ट्स एंड ट्रेड मार्क, सायबर लॉ, विदेशी निवेश, फेरा, आपराधिक मामले, कस्टम्स, कॉर्पोरेट मामले, कंपनी लॉ बोर्ड, संयुक्त उद्यम, संपत्ति संबंधी मामले, बैंकिंग, आईटीएटी, इलेक्ट्रीसिटी, कराधान, औद्योगिक एवं श्रम विवाद और अन्य सभी विधिक एवं आपराधिक मामलों का कार्य भी सम्पन्न किया है।

श्री एम.पी.शोरावाला को दिनांक 03.01.2013 से हमारे बैंक के निदेशक मंडल में निदेशक के पद पर नामित किया गया।

10. श्री कृष्ण सेठी, अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक (जन्म-तिथि 10.05.1954)

श्री सेठी पिछले 33 वर्षों से सनदी लेखाकार के रूप में कार्यरत हैं। आप सहकारी बैंकों और सहकारी समितियों के लिए वित्तीय प्रबंधन, लेखा परीक्षा, कर परामर्शदाता, विवाचन कार्य कर रहे हैं। आपकी फर्म का नाम मेसर्स गुप्ता वर्मा एंड सेठी है, जो विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में पिछले 32 वर्षों से संगामी लेखा परीक्षा/निरीक्षण/स्टॉक लेखा परीक्षा/राजस्व लेखा परीक्षा का कार्य कर रही है।

श्री कृष्ण सेठी को दिनांक 28.02.2013 से हमारे बैंक के निदेशक मंडल में निदेशक के पद पर नामित किया गया है।



11. श्री एस.बी. रोडे, अधिकारी-कर्मचारी निदेशक (जन्म-तिथि 15.03.1957)

श्री रोडे, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा 3 के खंड (एफ) के अंतर्गत अधिसूचना की तारीख (02.04.2013) से 3 वर्षों की अवधि के लिए अथवा बैंक के अधिकारी-कर्मचारी के पद से पद भार मुक्त होने तक कर्मचारी-अधिकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किए गए हैं।

12. श्री गुरुबख्श कुमार जोशी, कर्मकार कर्मचारी निदेशक (जन्म-तिथि 10.07.1958)

श्री जोशी, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (ई) के अंतर्गत अधिसूचना की तारीख (10.07.2013) से 3 वर्षों की अवधि के लिए अथवा बैंक के कर्मकार कर्मचारी के पद से भार मुक्त होने तक कर्मकार कर्मचारी निदेशक के पद पर नियुक्त किए गए हैं।

श्री जोशी ने दिनांक 27.07.1981 को बैंक में कार्यग्रहण किया है एवं वे अखिल भारतीय सेंट्रल बैंक कर्मचारी फेडरेशन के उपाध्यक्ष पद पर रहे हैं।

13. श्रीमती एन.एस. रत्नप्रभा (जन्म-तिथि 19.07.1962)

श्रीमती रत्नप्रभा एक प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता एवं एआईसीसी की सदस्या हैं। आप केपीसीसी की महासचिव भी हैं। आप कर्नाटक राज्य सरकार के उपक्रम कर्नाटक हस्तशिल्प विकास निगम लि. की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं।

आप सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से संलग्न हैं। आपके सार्वजनिक कल्याण के कार्यों में नेत्र दान कैम्पों का आयोजन, रक्त दान कैम्पों का आयोजन, परिवार नियोजन कैम्पों का आयोजन, सामूहिक विवाह सम्मेलनों का आयोजन, महिलाओं के लिए विभिन्न विधिक जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन शामिल है।

बोर्ड बैठकों का आयोजन

वर्ष के दौरान, बोर्ड की 13 बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं:

26.04.2014	10.05.2014	20.05.2014	21.06.2014	26.07.2014
30.08.2014	27.09.2014	08.11.2014	08.11.2014	22.12.2014
09.01.2015	04.02.2015	14.03.2015		

बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण :

निदेशकों के नाम	दर्ज उपस्थिति	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	अवधि(से-तक)
श्री राजीव ऋषि	13	13	01.04.2014-31.03.2015
श्री आर.के.गोयल	13	13	01.04.2014-31.03.2015
श्री अनिमेष चौहान	10	10	01.04.2014-31.12.2014
श्री बी.के.दिवाकर	13	13	01.04.2014-31.03.2015
डॉ. आर.सी. लोढ़ा	01	01	11.03.2015-31.03.2015
डॉ. सौरभ गर्ग	10	13	01.04.2014-31.03.2015
श्री शेखर भटनागर	12	13	01.04.2014-31.03.2015
प्रो. एन.बालकृष्णन	10	11	01.04.2014-09.01.2015
श्री गुमान सिंह	04	05	01.04.2014-07.08.2014
श्री एम.पी.शोरावाला	10	13	01.04.2014-31.03.2015
श्री कृष्ण सेठी	13	13	01.04.2014-31.03.2015
श्री एस.बी.रोडे	13	13	01.04.2014-31.03.2015
श्री गुरुबख्श कुमार जोशी	13	13	01.04.2014-31.03.2015
श्रीमती एन.एस.रत्नप्रभा	13	13	01.04.2014-31.03.2015



निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति:

- निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 सहपठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के अनुसार किया गया है एवं यह बोर्ड में निहित वित्तीय स्वीकृतियां, समझौते/बट्टे खाते डालने संबंधी प्रस्ताव एवं वाद दायर/अपील इत्यादि संबंधी शक्तियों का प्रयोग करती है, दिनांक 31.03.2015 को इस समिति में 8 सदस्य थे, जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 3 कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक के मनोनीत निदेशक एवं 3 अन्य, निदेशक, जिनमें 1 अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक, 1 कर्मकार कर्मचारी निदेशक तथा 1 अधिकारी कर्मचारी निदेशक शामिल हैं. अंशकालीन/कर्मकार निदेशकों का प्रत्येक छः माह में आवर्तन किया जाता है.
- वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की इस प्रबंधन समिति की निम्नलिखित तारीखों को 17 बैठकें आयोजित की गईं :

26.04.2014	09.05.2014	20.06.2014	28.06.2014	12.07.2014
15.07.2014	07.08.2014	30.08.2014	27.09.2014	20.10.2014
15.11.2014	23.12.2014	31.12.2014	04.02.2015	27.02.2015
14.03.2015	23.03.2015			

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार है:

निदेशकों के नाम	उपस्थिति अभिलेख	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	प्रबंधन समिति की अवधि (से-तक)
श्री राजीव ऋषि	17	17	01.04.2014-31.03.2015
श्री आर.के.गोयल	17	17	01.04.2014-31.03.2015
श्री अनिमेष चौहान	12	13	01.04.2014-31.12.2014
श्री बी.के.दिवाकर	17	17	01.04.2014-31.03.2015
डॉ. आर.सी. लोढ़ा	02	02	11.03.2015-31.03.2015
श्री शेखर भटनागर	16	17	01.04.2014-31.03.2015
श्री गुमान सिंह	02	02	01.04.2014-09.06.2014
श्री एम.पी.शोरावाला	06	14	22.06.2014-21.12.2014 22.12.2014-31.03.2015
श्री एस.बी.रोडे	11	12	01.04.2014-21.06.2014 16.09.2014-15.03.2015 16.03.2015-31.03.2015
श्री गुरबख्श कुमार जोशी	12	14	22.06.2014-21.12.2014 22.12.2014-31.03.2015
श्रीमती एन.एस.रत्नप्रभा	08	08	01.04.2014-15.09.2014

वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के पत्र फा.नं.13/01/2006-बीओ.1 दिनांक 10.06.2014 के अनुसार.

ऋण अनुमोदन समिति:

- राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 में जोड़े गये नये खंड 13ए के अनुसार, दिनांक 31.01.2012 से निदेशक मण्डल की एक ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया गया है. रु. 400.00 करोड़ तक के ऋण प्रस्ताव, रु. 10.00 करोड़ तक के समझौता/बट्टे खाते, रु.15.00 लाख तक के प्रतिवर्ष (ग्रामीण क्षेत्र), रु. 25.00 लाख तक के प्रतिवर्ष (अर्ध शहरी क्षेत्र), रु.50.00 लाख तक के प्रतिवर्ष (शहरी क्षेत्र) एवं रु.1.00 करोड़ तक के प्रतिवर्ष (मेट्रो क्षेत्र) के परिसर प्रस्ताव संबंधी बोर्ड में निहित शक्तियों का प्रयोग करती है. वर्तमान समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक, मुख्य महाप्रबंधक (जोखिम प्रबंधन) एवं प्रभारी महाप्रबंधक (ऋण), प्रभारी महाप्रबंधक (वित्त), प्रभारी महाप्रबंधक (परिसर) एवं प्रभारी महाप्रबंधक (वसूली) शामिल हैं.

वर्ष के दौरान, ऋण अनुमोदन समिति की निम्नलिखित तारीखों को 32 बैठकें आयोजित की गईं:

11.04.2014	11.05.2014	24.05.2014	05.06.2014	06.06.2014
20.06.2014	28.06.2014	14.07.2014	24.07.2014	07.08.2014
23.08.2014	08.09.2014	18.09.2014	26.09.2014	29.09.2014
14.10.2014	31.10.2014	18.11.2014	19.11.2014	29.11.2014
12.12.2014	22.12.2014	29.12.2014	12.01.2015	23.01.2015
07.02.2015	18.02.2015	02.03.2015	05.03.2015	18.03.2015
27.03.2015	31.03.2015			



बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

- ❖ बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति(एसीबी) का गठन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, निदेशक मंडल द्वारा किया गया है. एसीबी दिशानिर्देश देने के साथ-साथ बैंक में आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण के संगठन, परिचालन पद्धति तथा गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षणों की अनुवर्ती कार्रवाई सहित बैंक के समग्र लेखा कार्य के परिचालनों का पर्यवेक्षण करती है. लेखा परीक्षा समिति की संदर्भ शर्तें हैं:
- ❖ अंतर-शाखा समायोजन खातों, अंतर-बैंक एवं नॉस्ट्रो खातों में लंबे समय से बकाया पुरानी प्रविष्टियों, बही संतुलन का पुराना बकाया कार्य, धोखाधड़ी एवं हाउसकीपिंग के अन्य प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए बैंक की आंतरिक लेखा परीक्षा, आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा की समीक्षा;
- ❖ भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशानुसार, बैंक में नियुक्त अनुपालन अधिकारी से अर्द्ध-वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करना तथा उनकी समीक्षा करना;
- ❖ बोर्ड को प्रस्तुत करने के पूर्व लेखा-परीक्षकों के अवलोकनों सहित स्वतंत्र लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र की समीक्षा और तिमाही, अर्द्ध-वार्षिक एवं वार्षिक वित्तीय रिपोर्टों की समीक्षा करना;
- ❖ तिमाही/अर्द्ध-वार्षिक/वार्षिक वित्तीय खातों और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने के पूर्व सांविधिक लेखा परीक्षा के संबंध में, लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गये समस्त मुद्दों एवं बाह्य लेखा परीक्षकों से चर्चा करते हुए अनुवर्ती कार्रवाई करना;
- ❖ लेखों, लेखांकन नीतियों एवं प्रकटीकरणों की नियमित समीक्षा;
- ❖ प्रबंधन के निर्णय की कार्रवाई पर आधारित प्रमुख प्रविष्टियों की समीक्षा एवं लेखा-परीक्षा से उत्पन्न महत्वपूर्ण समायोजनों की समीक्षा करना;
- ❖ मसौदा लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में कमियां;
- ❖ लेखा परीक्षा के पश्चात किसी महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य क्षेत्र का पता लगाने के लिये लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करना;
- ❖ आंतरिक लेखा-परीक्षा के कार्यक्षेत्र आवश्यकता और बारंबारता निश्चित करना, आंतरिक लेखा परीक्षकों के निष्कर्षों की समीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता सुनिश्चित करना;
- ❖ जहां तक लागू हो, वित्तीय विवरणों के संबंध में लागू स्टॉक एक्सचेंज की विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन;
- ❖ सांविधिक, अनुबंधित अथवा विनियामकों की समय-समय पर वांछित अन्य सभी मामलों से संबंधित अपेक्षाएं पूरी करने के कार्य को लेखा परीक्षा समिति देखेगी;

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति में कार्यपालक निदेशकगण, भारत सरकार के नामित निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक एवं दो गैर सरकारी गैर-कार्यपालक निदेशक, जिनमें से कम से कम एक सनदी लेखाकार होना चाहिये, शामिल होंगे. स्टाफ निदेशक एसीबी में शामिल नहीं किये जायेंगे.

दिनांक 31.03.2015 को लेखा परीक्षा समिति का संयोजन निम्नानुसार है:

1	श्री कृष्ण सेठी	अध्यक्ष
2	श्री आर.के.गोयल	सदस्य
3	श्री अनिमेष चौहान	सदस्य
4	श्री बी.के.दिवाकर	सदस्य
5	डॉ. आर.सी. लोढ़ा	सदस्य
6	डॉ. सौरभ गर्ग	सदस्य
7	श्री शेखर भटनागर	सदस्य
8	श्रीमती एन.एस. रत्नप्रभा	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, श्री गुमान सिंह, अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक, दिनांक 01-04-2014 से 07.08.2014 तक लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे, निदेशक के पद से उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात, श्री कृष्ण सेठी को अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है और वे समिति के अध्यक्ष का कार्यभार संभाल रहे हैं.

वर्ष के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की निम्नलिखित तारीखों को 12 बैठकें आयोजित हुईं:

26.04.2014	09.05.2014	20.05.2014	21.06.2014	26.07.2014	07.08.2014
27.09.2014	07.11.2014	08.11.2014	22.12.2014	04.02.2015	14.03.2015



सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार रहा है:
निदेशकों के नाम

अभिलेख	उपस्थिति अभिलेख	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	लेखा परीक्षा समिति की अवधि (से-तक)
श्री गुमान सिंह	05	06	01.04.2014-07.08.2014
श्री कृष्ण सेठी	12	12	01.04.2014-31.03.2015
श्री आर.के.गोयल	12	12	01.04.2014-31.03.2015
श्री अनिमेष चौहान	10	10	01.04.2014-31.12.2014
श्री बी.के.दिवाकर	12	12	01.04.2014-31.03.2015
डॉ. आर.सी. लोढ़ा	01	01	11.03.2015-31.03.2015
डॉ. सौरभ गर्ग	09	12	01.04.2014-31.03.2015
श्री शेखर भटनागर	11	12	01.04.2014-31.03.2015
प्रो. एन. बालकृष्णन	04	04	08.08.2014-09.01.2015
श्रीमती एन.एस. रत्नप्रभा	02	02	10.01.2015-31.03.2015

बैंक के गैर-लेखा परीक्षित तिमाही परिणाम और वर्ष के लेखा परीक्षित परिणामों की समीक्षा बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई तथा निदेशक मंडल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयी।

जोखिम प्रबंधन समिति

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्रं.डीबीओडी नं.डीपी(एससी)बीसी/98/21.04.103/39 दिनांक 7 अक्टूबर, 1999 एवं दिनांक 20.04.2002 को आयोजित बोर्ड बैठक की कार्यसूची सं. बीएम/01/2002-03/3.2 तथा दिनांक 25.11.2002 को आयोजित बोर्ड बैठक की कार्यसूची सं. बीएम/09/2002-03/3.9 के अनुसार बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकगण, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक, भारिबैं द्वारा नामित निदेशक एवं तीन गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक शामिल हैं। अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशकों का प्रत्येक एक वर्ष के पश्चात आवर्तन किया जाता है।

वर्ष के दौरान, इस समिति की निम्नलिखित तारीखों को 4 बैठकें आयोजित की गईं:

21.06.2014	27.09.2014	22.12.2014	14.03.2015
------------	------------	------------	------------

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार रहा है:

निदेशकों के नाम	उपस्थिति अभिलेख	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	लेखा परीक्षा समिति की अवधि (से-तक)
श्री राजीव ऋषि	04	04	01.04.2014-31.03.2015
श्री आर.के.गोयल	04	04	01.04.2014-31.03.2015
श्री अनिमेष चौहान	03	03	01.04.2014-31.12.2014
श्री बी.के.दिवाकर	04	04	01.04.2014-31.03.2015
डॉ. आर.सी. लोढ़ा	01	01	11.03.2015-31.03.2015
डॉ. सौरभ गर्ग	03	04	01.04.2014-31.03.2015
प्रो. एन. बालकृष्णन	03	03	01.04.2014-09.01.2015
श्री एम.पी.शोरावाला	01	01	01.03.2014-02.01.2015
श्री एस.बी.रोड़े	03	03	29.02.2014-28.02.2015
श्री गुरबख्श कुमार जोशी	04	04	16.03.2014-15.03.2015
श्रीमती एन.एस.रत्नप्रभा	01	01	10.01.2015-09.01.2016

पारिश्रमिक समिति

- पूर्ण-कालिक निदेशकों को कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए, निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति का गठन वित्त मंत्रालय के संप्रेषण एफ.नं.20.1.2005-बीओ-1 दिनांक 09.03.2007 के अनुसार किया गया। इस समिति में भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक एवं 2 स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं।
- वित्त वर्ष 2014-15 के लिए पूर्णकालिक निदेशकों को कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन देने पर विचार करने के लिए पारिश्रमिक समिति की बैठक का आयोजन दिनांक 20.05.2014 को किया गया।



निदेशकों का पारिश्रमिक :

- ❖ गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों / गैर कार्यपालक निदेशकों को मण्डल की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने के लिए ₹ 10,000/- बैठक फीस एवं बोर्ड की विभिन्न उप-समितियों की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए ₹ 5,000/- बैठक फीस का भुगतान किया जाता है, जो कि सामान्य यात्रा एवं विराम भत्ता व्यय के अलावा है. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकगण एवं निदेशकगणों, जो भारत सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी हैं, को बैठक फीस का भुगतान नहीं किया जाता है.
- ❖ वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशकों को कुल वेतन, भत्ते एवं परिलब्धियों के रूप में निम्नलिखित राशि का भुगतान किया गया है:

क्र.सं	नाम	₹ लाख में
1.	श्री राजीव ऋषि (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)	25.59
2.	श्री राज कुमार गोयल (कार्यपालक निदेशक)	24.28
3.	श्री अनिमेष चौहान (कार्यपालक निदेशक)	17.91
4.	श्री बी. के. दिवाकर (कार्यपालक निदेशक)	17.47
5.	डॉ. आर. सी. लोढ़ा (कार्यपालक निदेशक)	0.91

- ❖ समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने पात्र निदेशकों को बोर्ड की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए ₹ 8,00,000/- (रुपये आठ लाख मात्र) तथा बोर्ड की उप-समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए ₹ 5,90,000/- (रुपये पांच लाख नब्बे हजार मात्र) के बैठक शुल्क का भुगतान किया.

स्टेकधारकों की संबंध समिति

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के दिशानिर्देशों के तहत सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुपालन में, स्टेकधारकों की संबंध समिति (पूर्व में यह शेयरधारकों/निवेशक शिकायत समिति के नाम से जानी जाती थी) का गठन शेयर्स के अंतरण, वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति न होना, लाभांश की प्राप्ति न होने इत्यादि से संबंधित शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिये किया गया है. वर्ष के दौरान, निवेशकों से प्राप्त सभी संदर्भों/शिकायतों का उत्तर दिया जा चुका है/निपटान किया जा चुका है. सामान्यतः निवेशकों की शिकायतों पर कार्रवाई, सम्बद्ध जानकारी प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर कर ली जाती है. इस समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकगण एवं दो स्वतंत्र निदेशक हैं. इस समिति के अध्यक्ष बैंक के निदेशक मंडल के एक स्वतंत्र गैर-सरकारी निदेशक प्रो. एन.बालकृष्णन उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 09.01.2015 तक रहे और उनके पश्चात श्री कृष्ण सेठी वर्तमान में अध्यक्ष हैं. अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशकों का आवर्तन प्रत्येक एक वर्ष के पश्चात किया जाता है.

वर्ष के दौरान, इस समिति की निम्नलिखित तारीखों को 4 बैठकें आयोजित की गईं :

30.06.2014	07.08.2014	22.12.2014	14.03.2015
------------	------------	------------	------------

समिति के सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार है :

निदेशकों के नाम	उपस्थिति अभिलेख	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	लेखा परीक्षा समिति की अवधि (से-तक)
प्रो. एन. बालकृष्णन	02	03	01.04.2014 09.01.2015
श्री कृष्ण सेठी	04	04	01.04.2014-31.03.2015
श्री राजीव ऋषि	04	04	01.04.2014-31.03.2015
श्री आर.के. गोयल	04	04	01.04.2014-31.03.2015
श्री अनिमेष चौहान	03	03	01.04.2014-31.12.2014
श्री बी.के. दिवाकर	04	04	01.04.2014-31.03.2015
डॉ. आर.सी. लोढ़ा	01	01	11.03.2015-31.03.2015
श्री एम.पी. शोरावाला	00	02	21.06.2013-20.12.2014
श्री एस.बी. रोड़े	02	02	21.12.2014-20.12.2015
श्री गुरबख्श कुमार जोशी	01	01	10.01.2015-09.01.2016



वर्ष 2014-15 (दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2015 तक) के दौरान निवेशक शिकायत का विवरण निम्न प्रकार है:

1	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतें	निरंक
2	अप्राप्त शेयर प्रमाणपत्र	06
3	अप्राप्त लाभांश वारंट	106
4	अप्राप्त वार्षिक रिपोर्ट	27
5	अप्राप्त धनवापसी आदेश	निरंक
6	धनवापसी लिखत में सुधार	28
7	अन्य (एनएसई, बीएसई, सेबी)	2
8	प्राप्त कुल शिकायतें	169
9	निपटाई/ध्यान दी गई कुल शिकायतें	169
10	वर्ष के अंत में लंबित कुल शिकायतें	निरंक

हम पुष्टि करते हैं कि निवेशक की कोई भी शिकायत 30 दिन से अधिक अवधि तक बिना ध्यान दिए/लंबित नहीं रही है।

अनुपालन अधिकारी

श्री आनंद कुमार दास, सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/कंपनी सचिव, स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए इक्विटी सूचीकरण करार के अनुसार बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं।

सार्वजनिक निर्गमों, राइट निर्गमों, अधिमान निर्गमों इत्यादि से प्राप्तियां।

वर्ष के दौरान, बैंक ने भारतीय जीवन बीमा निगम को दिनांक 1 अगस्त, 2014 एवं 1 जनवरी, 2015 को दो क्रम में अधिमानी आधार पर क्रमशः 7,10,75,753 एवं 8,28,90,000 इक्विटी शेयर्स का आबंटन करते हुए, ₹ 1207.84 करोड़ (प्रीमियम सहित) की राशि जुटाई है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने भारत सरकार द्वारा धारित ₹ 1617.00 करोड़ (प्रत्येक ₹ 10.00 अंकित मूल्य के 161,70,00,000 पीएनसीपीएस) के संपूर्ण स्थायी असंचयी अधिमानित शेयर्स (पीएनसीपीएस) का संपरिवर्तन करते हुए, भारत सरकार को 15,38,68,113 इक्विटी शेयर्स भी जारी किए हैं। इन निधियों को जुटाने का मुख्य उद्देश्य टियर-I एवं टियर-II पूंजी बढ़ाकर पूंजी पर्याप्तता अनुपात मजबूत करना तथा बैंक के दीर्घावधि संसाधनों में अभिवृद्धि करना है। जुटाई गई निधियों का उपयोग उपर्युक्त उद्देश्यों हेतु किया जा रहा है।

संप्रेषण के माध्यम :

तिमाही वित्तीय परिणाम (गैर-लेखापरीक्षित; परंतु सांविधिक लेखापरीक्षकों की सीमित समीक्षा के अधीन) तथा लेखापरीक्षित वार्षिक परिणाम सामान्यतया इकॉनामिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड्स, पुढारी (मराठी), इत्यादि जैसे अंग्रेजी, हिंदी, मराठी एवं अनेक स्थानीय भाषा के विभिन्न प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए थे। इन परिणामों को बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर भी प्रदर्शित किया गया।

आचार संहिता

- ❖ बैंक ने निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधतंत्र के लिए आचार संहिता अपनाई है। इसका पाठ बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर उपलब्ध है। समीक्षाधीन वर्ष के लिए, सभी निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधतंत्र द्वारा आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की गई है और अनुपालन की पुष्टि का प्रमाणपत्र अनुलग्नक I में दिया गया है।
- ❖ बैंक की प्रतिभूति में इनसाइड ट्रेडिंग रोकने के लिए, बैंक ने अपने निदेशकों एवं नामित कर्मचारियों के लिए आचार संहिता बनाई है।

अन्य प्रकटीकरण

- ❖ बैंकिंग कारोबार के सामान्य व्यवहारों के अलावा, बैंक ने इसके प्रवर्तकों, निदेशकों अथवा प्रबंधतंत्र, उनकी सहायक कंपनियों अथवा रिश्तेदारों इत्यादि से ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया है, जिससे कि बैंक के व्यापक हितों पर प्रतिकूलता संभावित हो। वर्ष के दौरान, बैंक और इसके गैर-कार्यपालक निदेशकों के बीच कोई आर्थिक संबंध अथवा संव्यवहार नहीं हुआ है।
- ❖ बैंक में यह सुस्थापित प्रथा है कि जिन निदेशक, जिनसे संबंधित या उनके रिश्तेदारों से संबंधित जब कोई मामला बोर्ड में चर्चाधीन होता है, तब वे बोर्ड एवं बोर्ड की उप-समितियों की चर्चा में भाग नहीं लेते हैं।
- ❖ बैंक ने पूंजी बाजार से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज या अन्य सांविधिक प्राधिकारी को लागू नियमों एवं विनियमों का अनुपालन किया है। समीक्षा वर्ष के दौरान, पूंजी बाजार से संबद्ध किसी भी मामले में, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज, सेबी अथवा किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा बैंक पर कोई अर्थदंड अथवा प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है।



❖ बैंक ने सूचीकरण करार के खंड 49 की अनुबद्ध आवश्यकताओं का, जहां तक खंड की आवश्यकताओं से, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, प्रावधानों, विनियमों का उल्लंघन नहीं होता है, अनुपालन किया है।

गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं (सूचीकरण करार का अनुलग्नक I डी)

बैंक ने सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुलग्नक-I डी में निर्दिष्ट गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं को वर्तमान में अंगीकार नहीं किया है।

क्र.सं.	गैर-अनिवार्य	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	अध्यक्ष के कार्यालय का कंपनी के खर्चे पर रखरखाव के लिए गैर-कार्यपालक अध्यक्ष	लागू नहीं, चूंकि अध्यक्ष कार्यपालक है
2.	बोर्ड द्वारा पारिश्रमिक समिति बनाई जाए, जो कार्यपालक निदेशकों हेतु कंपनी का पुरस्कार पैकेज तैयार करें.	लागू नहीं, चूंकि कार्यपालक निदेशकगण भारत सरकार द्वारा निर्धारित वेतन आहरित करते हैं. तथापि, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में कार्यपालक निदेशकों के लिए कार्यनिष्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन समिति कार्यरत है.
3.	गत छह माह में महत्वपूर्ण घटनाओं के सार के साथ वित्तीय कार्यनिष्पादन की अर्द्धवार्षिक घोषणा शेयरधारकों को प्रेषित करना है.	बैंक ने दिनांक 30.09.2014 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंज भेजे हैं एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित किए हैं. इसके अतिरिक्त, बैंक की वेबसाइट पर भी वित्तीय परिणाम अपलोड किए थे.
4.	कंपनी गैर-सापेक्ष वित्तीय विवरणियों की व्यवस्था अपना सकती है.	बैंक में गैर-सापेक्ष वित्तीय विवरणियाँ हैं.
5.	अध्यक्ष एवं सीईओ के पृथक पद	हमारे बैंक के बोर्ड का गठन, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम) सहपठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970, वर्तमान में बैंक में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का एक पद है.
6.	आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्टिंग	आंतरिक लेखा परीक्षक, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के प्रति जवाबदेह हैं.

सामान्य शेयरधारक सूचना

बैंक की 8वीं वार्षिक साधारण बैठक:

दिन एवं दिनांक : मंगलवार, दिनांक 30 जून, 2015 को पूर्वान्ह 11.00 बजे सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स प्रशिक्षण महाविद्यालय, कूपर हॉस्पिटल/रिलायंस एनर्जी कार्यालय के पास, जेवीपीडी स्कीम, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई-400056

1. यह साधारण वार्षिक बैठक वित्तीय वर्ष 2014-15 से संबंधित है.
2. बही-बंदी की तारीख : दिनांक 25 जून, 2015 से 30 जून, 2015 (दोनों दिवस सहित)
3. लाभांश भुगतान तारीख : दिनांक 30 जुलाई, 2015 को अथवा उससे पूर्व

साधारण बैठक बैठक :

क्र.सं.	बैठक की प्रकृति	दिनांक एवं समय	स्थान
1.	सातवीं वार्षिक साधारण बैठक	दिनांक 30 जून, 2014, पूर्वान्ह 11.00 बजे	सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स प्रशिक्षण महाविद्यालय, कूपर हॉस्पिटल/रिलायंस एनर्जी कार्यालय के पास, जेवीपीडी स्कीम, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई-400056
2.	छठी वार्षिक साधारण बैठक	दिनांक 29 जून, 2013, पूर्वान्ह 11.00 बजे	-----तदैव-----
3.	पांचवीं वार्षिक साधारण बैठक	दिनांक 27 जून, 2012, सायं 4.00 बजे	-----तदैव-----
4.	चौथी वार्षिक साधारण बैठक	दिनांक 29 जुलाई, 2011, दोपहर 3.00 बजे	-----तदैव-----



स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीकरण :

बैंक के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, दोनों में सूचीबद्ध किए जाते हैं। स्क्रिप कोड निम्नवत है:

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई)	532885
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)	CENTRALBK
आईएसआईएन नंबर	आईएनई 483A01010

दोनों स्टॉक एक्सचेंज को वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क अदा कर दिया गया है।

बैंक ने समय-समय पर वचन-पत्रों के रूप में गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड (टियर-II पूंजी) जारी किए हैं। तत्संबंधी बकाया विवरण निम्नवत है:

दिनांक 31.03.2015 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बॉण्ड्स-टियर-II पूंजी की स्थिति:

(₹ करोड़ में)

सीरीज विवरण	जारी दिनांक	कुल मूल्य	आईएसआईएन
लोअर टियर II- सीरीज X	28.03.2006	578.20	आईएनई483A09146
लोअर टियर II- सीरीज XI	04.10.2006	700.00	आईएनई483A09153
लोअर टियर II- सीरीज XII	03.03.2008	389.10	आईएनई483A09161
लोअर टियर II- सीरीज XIII	10.02.2009	270.00	आईएनई483A09187
लोअर टियर II- सीरीज XVI	21.12.2011	500.00	आईएनई483A09245
अपर टियर II- सीरीज I	14.11.2008	300.00	आईएनई483A09179
अपर टियर II- सीरीज II	17.02.2009	285.00	आईएनई483A09195
अपर टियर II- सीरीज III	23.06.2009	500.00	आईएनई483A09203
अपर टियर II- सीरीज IV	20.01.2010	500.00	आईएनई483A09211
अपर टियर II- सीरीज V	11.06.2010	1000.00	आईएनई483A09229
अपर टियर II- सीरीज VI	21.01.2011	300.00	आईएनई483A08015
बासल III अनुपालित क्र. I	08.11.2013	1000.00	आईएनई483A09260
कुल		6522.30	

ये सभी बॉण्ड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड अथवा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड में सूचीबद्ध किए गए हैं। बैंक ने वर्ष 2015-16 के लिए एक्सचेंज को वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान किया है।

बाजार मूल्य आंकड़े:

मासिक उच्च एवं न्यून भाव एवं एनएसई पर शेयरों के क्रय-विक्रय की प्रमात्रा (बैंक के शेयर मूल्य की एनएसई निफ्टी से तुलना सहित) निम्नवत है:

माह	एनएसई			एनएसई निफ्टी	
	अधिकतम मूल्य (₹)	न्यूनतम मूल्य (₹)	शेयर्स की संख्या	अधिकतम	न्यूनतम
अप्रैल, 2014	57.20	48.30	926822	6869.85	6650.40
मई, 2014	85.60	52.00	2274451	7563.50	6638.55
जून, 2014	89.00	72.80	1698732	7700.05	7239.50
जुलाई, 2014	81.45	66.30	1473276	7840.95	7422.15
अगस्त, 2014	71.95	61.90	788057	7968.25	7540.10
सितम्बर, 2014	68.80	60.00	503432	8180.20	7841.80
अक्टूबर, 2014	67.45	58.15	451085	8330.75	7723.85
नवम्बर, 2014	78.50	67.20	793930	8617.00	8290.25
दिसम्बर, 2014	92.65	65.95	24059226	8626.95	7961.35
जनवरी, 2015	106.00	91.35	1198033	8996.60	8065.45
फरवरी, 2015	120.60	100.70	1998285	8941.10	8470.50
मार्च, 2015	109.50	101.20	1502116	9119.20	8269.15



मासिक उच्च एवं निम्न भाव एवं बीएसई पर शेयर्स के क्रय-विक्रय की प्रमात्रा (बैंक के शेयर मूल्य की सेंसेक्स से तुलना सहित) निम्नवत है:

माह	बीएसई			सेन्सेक्स	
	अधिकतम मूल्य (₹)	न्यूनतम मूल्य (₹)	शेयर्स की संख्या	अधिकतम	न्यूनतम
अप्रैल, 2014	57.20	48.30	4810636	22939.31	22197.51
मई, 2014	85.60	51.90	13760477	25375.60	22277.00
जून, 2014	88.85	72.80	9418846	25725.12	24270.20
जुलाई, 2014	81.35	66.50	6645194	26300.17	24892.00
अगस्त, 2014	72.00	62.00	2866448	26674.38	25232.82
सितम्बर, 2014	68.90	60.00	2240353	27354.99	26220.49
अक्तूबर, 2014	67.40	58.05	1663937	27894.32	25910.77
नवम्बर, 2014	78.55	67.20	3649158	28822.37	27739.56
दिसम्बर, 2014	92.50	66.60	5976319	28809.64	26469.42
जनवरी, 2015	105.90	91.35	6433359	29844.16	26776.12
फरवरी, 2015	121.00	100.35	11796537	29560.32	28044.49
मार्च, 2015	109.60	101.25	17159198	30024.74	27248.45

शेयर अंतरण एवं शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों का निवारण:

शेयर अंतरण, धन-वापसी आदेश, लाभांश भुगतान एवं निवेशकों से संबंधित अन्य गतिविधियों पर कार्रवाई हमारे रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट के कार्यालय में की जाती है। इनमें से किसी भी दस्तावेज को जमा करने और किसी भी पूछताछ/शिकायतों/कठिनाइयों के संबंध में शेयरधारकों एवं निवेशकों से निम्न पते पर संपर्क करने का अनुरोध है:

लिक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
सी-13, पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाउंड
एलबीएस मार्ग, भांडुप (पश्चिम)
मुंबई-400 078
टेली.: 022-25946970
फैक्स: 022-25946969
ई-मेल आईडी: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

बैंक से पत्राचार करने का पता:

सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
9वीं मंजिल, चंद्रमुखी
नरीमन पॉइंट
मुंबई-400 021
संपर्क नं. 022- 6638 7818
फैक्स : 022- 2283 5198
ई-मेल आईडी: agmcompsec@centralbank.co.in; investors@centralbank.co.in



दिनांक 31.03.2015 को शेयरधारिता का संवितरण

शेयरधारिता का संवितरण (शेयर्स)				
शेयर्स की शेयरधारिता	शेयरधारकों की संख्या	कुल का प्रतिशत	शेयर्स	कुल का प्रतिशत
1-500	148460	93.44	16938466	1.02
501-1000	6008	3.78	4662110	0.28
1001-2000	2445	1.54	3657153	0.22
2001-3000	681	0.43	1719265	0.11
3001-4000	347	0.22	1242337	0.07
4001-5000	217	0.14	1023384	0.06
5001-10000	373	0.23	2748340	0.17
10001 एवं इससे अधिक	346	0.22	1626282126	98.07
कुल	158877	100.00	1658273181	100.00

“सार्वजनिक” की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की शेयरधारिता, जिनकी शेयरधारिता कुल शेयर्स की संख्या के 1% से अधिक है

“सार्वजनिक” की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की शेयरधारिता, जिनकी शेयरधारिता कुल शेयर्स की संख्या के 1% से अधिक है, को दर्शाने वाला विवरण		
शेयरधारक का नाम	शेयर्स की संख्या	%
भारतीय जीवन बीमा निगम	222440769	13.41

“सार्वजनिक” की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की शेयरधारिता, जिनकी शेयरधारिता कुल शेयर्स की संख्या के 5% से अधिक है

“सार्वजनिक” की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की शेयरधारिता, जिनकी शेयरधारिता कुल शेयर्स की संख्या के 5% से अधिक है, को दर्शाने वाला विवरण		
शेयरधारक का नाम	शेयर्स की संख्या	%
भारतीय जीवन बीमा निगम	222440769	13.41

दिनांक 31.03.2015 को शेयरधारिता का स्वरूप

दिनांक 31.03.2015 को शेयरधारिता का स्वरूप						
शेयरधारकों की श्रेणी	शेयर्स की संख्या		शेयरधारकों की संख्या		कुल शेयर्स	धारिता का %
	डीमेट	भौतिक	डीमेट	भौतिक		
केन्द्र सरकार	1350827438	0	1	0	1350827438	81.46
क्लियरिंग मेम्बर	1785002	0	276	0	1785002	0.11
अन्य कॉर्पोरेट निकाय	27013244	90	938	1	27013334	1.63
कॉर्पोरेट निदेशकगण	133	0	1	0	133	0.00
वित्तीय संस्थाएं	222440769	0	1	0	222440769	13.41
विदेशी निवेशक संस्थाएं	5525146	0	33	0	5525146	0.33
सरकारी कम्पनियां	700	0	1	0	700	0.00
हिंदू अविभाजित परिवार	102322	0	2	0	102322	0.01
म्युच्युअल फंड	74973	0	2	0	74973	0.00
राष्ट्रीयकृत बैंक	246382	0	5	0	246382	0.01
गैर-राष्ट्रीयकृत बैंक	452450	0	3	0	452450	0.03
अनिवासी भारतीय	646221	121600	818	1	767821	0.05
अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय)	171476	0	271	0	171476	0.01



दिनांक 31.03.2015 को शेयरधारिता का स्वरूप						
शेयरधारकों की श्रेणी	शेयर्स की संख्या		शेयरधारकों की संख्या		कुल शेयर्स	धारिता का %
	डीमेट	भौतिक	डीमेट	भौतिक		
सार्वजनिक	42312575	15146	156378	119	42327721	2.55
ट्रस्ट	121948	0	19	0	121948	0.01
जीआईसी एवं उसकी अनुषंगियां	6334239	0	5	0	6334239	0.38
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (कॉर्पोरेट)	81327	0	2	0	81327	0.01
कुल	1658136345	136836	158756	121	1658273181	100.00

अवरुद्ध शेयर्स के ब्यौरे दर्शाता विवरण

क्र.सं.	शेयरधारकों के नाम	रुद्ध शेयर्स की संख्या	कुल शेयर्स के प्रतिशत के रूप में रुद्ध शेयर्स (अर्थात (ए)+(बी)+(सी) का योग
1	भारत के राष्ट्रपति	1350827438	81.46
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	153965753	9.28
	कुल	1504793191	90.74

डिपॉजिटरी रसीद (डीआर) के ब्यौरे दर्शाता हुआ विवरण

क्र. सं.	बकाया डीआर (एडीआर, जीडीआर, एसडीआर आदि) के प्रकार	बकाया डीआर की संख्या	बकाया डीआर के विचाराधीन शेयर्स की संख्या	कुल शेयर्स (अर्थात (ए)+(बी)+(सी) के कुल योग) के प्रतिशत के रूप में विचाराधीन बकाया डीआर
	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

डिपॉजिटरी रसीद (डीआर) के ब्यौरे दर्शाता हुआ विवरण, जहां विचाराधीन शेयर्स, कुल शेयर्स के 1% से अधिक है.

क्र. सं.	डीआर धारक का नाम	बकाया डीआर (एडीआर, जीडीआर, एसडीआर इत्यादि) के प्रकार	विचाराधीन बकाया डीआर शेयर्स की संख्या	कुल शेयर्स (अर्थात (ए)+(बी)+(सी) के कुल योग) के प्रतिशत के रूप में विचाराधीन बकाया डीआर
	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

शेयर्स का डिमेटरियलाइजेशन

बैंक के शेयर्स का क्रय-विक्रय अनिवार्यतः डीमेट रूप में किया जाता है, बैंक ने पहले से ही शेयर्स के डिमेटरियलाइजेशन के लिए दोनों डिपॉजिटरी नेशनल सिक्क्यूरिटीज़ डिपॉजिटरीज़ लिमिटेड (एनएसडीएल) एवं सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ करार किया है.

दिनांक 31.03.2015 को शेयरधारकों द्वारा डीमेट एवं भौतिक स्वरूप में धारित शेयर्स के विवरण निम्नानुसार है :

	शेयरधारकों की संख्या	शेयर्स की संख्या	धारिता का %
भौतिक स्वरूप में	121	136836	0.01
एनएसडीएल	102158	282152028	17.01
सीडीएसएल*	56598	1375984317	82.98
कुल	158877	1658273181	100.00

*केन्द्र सरकार द्वारा डीमेट रूप से धारित 1350827438 (81.46%) सहित.

कोई भी जीडीआर/एडीआर/वारण्ट अथवा परिवर्तनीय लिखत बकाया नहीं है.



अदावाकृत उचंत खातों में शेयर्स:

सूचीकरण करार के खण्ड 5ए की शर्तों के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2015 को अदावाकृत उचंत खाता में बकाया शेयर्स निम्नवत हैं :

क्र.सं.	विवरण	शेयरधारकों की समग्र संख्या	समग्र बकाया शेयर्स
(i)	वर्ष के प्रारंभ में अदावाकृत उचंत खाता में समग्र शेयरधारकों की संख्या एवं बकाया शेयर्स	262	34,725
(ii)	वर्ष के दौरान, शेयरधारकों की संख्या, जिन्होंने अदावाकृत उचंत खातों से शेयर्स के अंतरण के लिए जारीकर्ता से संपर्क किया.	7	426
(iii)	वर्ष के दौरान, शेयरधारकों की संख्या, जिन्हें अदावाकृत उचंत खातों से शेयर अंतरित किए गए.	7	426
(iv)	वर्ष के अंत में अदावाकृत उचंत खातों में बकाया कुल शेयरधारकों एवं शेयर्स की संख्या.	255	34,299

कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अनिवार्य अनुबंधों के अनुपालन का प्रमाणपत्र

स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीकरण करार की शर्तों के अनुसार, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अनिवार्य अनुबंधों के अनुपालन से संबंधित बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षकों के द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न है.

अनुलग्नक I

आचार संहिता के अनुपालन की घोषणा

मैं पुष्टि करता हूँ कि बोर्ड के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधतंत्र ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए बैंक की आचार संहिता का निश्चित रूप से अनुपालन किया है.

राजीव ऋषि
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : दिल्ली

दिनांक : 25 मई, 2015



सूचीकरण करार के खंड 49 के अंतर्गत प्रमाणन

प्रति,

निदेशक मंडल

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

ए. हमने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वित्तीय वर्ष 2014-15 के वित्तीय विवरणों एवं नकद प्रवाह विवरण की जांच की है तथा हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार:

- i. इन विवरणियों में तथ्यतः कोई गलत विवरण अथवा कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छूटा है अथवा ऐसा विवरण नहीं है, जोकि भ्रामक है.
- ii. ये विवरण समग्र रूप में बैंक की कार्य-पद्धति का सत्य एवं सही चित्रण करते हैं और विद्यमान लेखा मानकों, लागू कानून एवं विनियमों के अनुसार हैं.

बी. हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार बैंक ने वर्ष 2014-15 के दौरान ऐसा कोई संव्यवहार नहीं किया है, जो कि कपटपूर्ण, अवैधानिक अथवा बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो.

सी. वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित एवं इसे व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी हम स्वीकारते हैं तथा यह कि वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग के सम्बंध में हमने बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभाव्यता का मूल्यांकन किया है तथा हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति को प्रक्रिया अथवा परिचालन की आंतरिक नियंत्रण की खामियां, यदि कोई है, जिससे हम परिचित हैं, का प्रकटन किया तथा इन कमियों को दूर करने के लिए उन उपायों की जानकारी दी, जिन्हें हमने किया है अथवा किया जाना प्रस्तावित है.

डी. हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति का ध्यान निम्न पर आकृष्ट किया है:

- i. वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक नियंत्रण में वर्ष 2014-15 के दौरान किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन;
- ii. लेखांकन नीतियों में वर्ष 2014-15 के दौरान किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा इनका प्रकटन वित्तीय विवरणियों में भी किया गया है; एवं
- iii. धोखाधड़ियों की अहम घटनाएं, जिनकी हमें जानकारी प्राप्त हुई है तथा उनमें प्रबंधन अथवा किसी कर्मचारी, जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है, की संलिप्तता, यदि कोई हो.

(बी.के. सिंघल)

महाप्रबंधक एवं सीईओ

राजीव ऋषि

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई

दिनांक : 12 मई, 2015



प्रमाणपत्र

प्रति,

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यगण,

हमने दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच कर ली है, जैसा कि स्टॉक एक्सचेंज के साथ कथित कंपनी के सूचीकरण-करार के खंड 49 में निर्धारित है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधतंत्र का है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अंगीकृत प्रक्रियाओं तथा उनके कार्यान्वयन तक ही हमारी यह जांच सीमित थी। यह सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वित्तीय विवरणियों पर न तो लेखापरीक्षा है और न ही उन पर अभिव्यक्ति है।

हमारी राय तथा हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुरूप, हम यह प्रमाणित करते हैं कि उल्लिखित सूचीकरण करार में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अनुपालन किया है।

हमारा कथन है कि शेरधारक समिति द्वारा रखे गए रिकॉर्ड के अनुसार, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के विरुद्ध किसी भी निवेशक की शिकायत लंबित नहीं है।

साथ ही, हमारा यह भी कथन है कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का और न ही प्रबंधतंत्र द्वारा बैंक के कारोबार संबंधी उनके कौशल तथा प्रभाविता का आश्वासन है।

कृते कुमार चोपड़ा एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000131एन

कृते पी.के. सुब्रमणियम एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.-004135एस

कृते दूगड़ एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000561एन

(सीए आर. के अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 081510

(सीए श्रीगोपाल इन्नानी)
भागीदार
सदस्यता सं. 210087

(सीए मुकेश गोयल)
भागीदार
सदस्यता सं. 081810

कृते एन. सरकार एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 301075ई

कृते बी.एन.मिश्रा एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 321095ई

कृते चंदाभाय एण्ड जस्सूभाय
सनदी लेखाकार
एफ.एन.नं. 101647 डब्ल्यू

(सीए एम. रे)
भागीदार
सदस्यता सं. 012940

(सीए बी. एन. मिश्रा)
भागीदार
सदस्यता सं. 083927

(सीए अम्बेश ए. दवे)
भागीदार
सदस्यता सं. 049289

स्थान : मुंबई

दिनांक : 12 मई, 2015



कुमार चोपड़ा एण्ड एसोशियेट्स बी-12 (भूतल) कालिन्दी कॉलोनी, महारानी बाग के पास, नई दिल्ली - 110 065	पी.के. सुब्रमणियम एण्ड कं. 11-5-23, कार्तिक कॉम्पलेक्स विजया बैंक के ऊपर, ब्रेस्टवारपेट रायचूर - 584 101, कर्नाटक.	दूगड़ एण्ड एसोशियेट्स 13, कम्युनिटी सेंटर, ईस्ट ऑफ कैलाश नई दिल्ली - 110 065
एन सरकार एण्ड कं. 21, प्रफुल्ल सरकार स्ट्रीट द्वितीय तल कोलकाता - 700 072 पश्चिम बंगाल	बी.एन. मिश्रा एण्ड कं. एस-29, मैत्री विहार, फेज-II सत्यम डेवलपमेंट सेंटर के सामने भुवनेश्वर - 751 023 ओडीसा	चंदाभॉय एण्ड जस्सूभॉय 208 फीनिक्स हाउस, ए विंग, 462 सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल मुम्बई - 400013 महाराष्ट्र

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,

भारत के महामहिम राष्ट्रपति

वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

1. हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की दिनांक 31 मार्च, 2015 की संलग्न वित्तीय विवरणियों जिनमें दिनांक 31 मार्च, 2015 का तुलन-पत्र, उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि खाते तथा नकद प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं सन्निहित हैं, की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणियों में 4689 शाखाओं एवं कुल 80 क्षेत्रीय कार्यालयों में से हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 20 शाखाओं, 37 क्षेत्रीय कार्यालयों की विवरणियां तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 1819 शाखाओं की विवरणियां समाहित है। इसके अलावा इनमें उन 2850 शाखाओं, 43 क्षेत्रीय कार्यालयों के तुलन-पत्र एवं लाभ हानि खाते भी शामिल हैं, जो कि लेखा परीक्षाधीन नहीं है। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं में कुल अग्रिमों की 9.97%, जमाओं का 30.75%, ब्याज आय का 6.69% तथा ब्याज व्यय की 24.37% हिस्सेदारी है। हमारे द्वारा तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का बैंक द्वारा चयन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है।

वित्तीय विवरणियों के प्रति प्रबंधतंत्र का दायित्व

2. बैंक का प्रबंधतंत्र इन वित्तीय विवरणियों, जो बैंकिंग अधिनियम, 1949 के अनुसरण तथा समय-समय पर जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक की वित्तीय स्थिति एवं वित्तीय कार्य-निष्पादन का सही एवं निष्पक्ष चित्रण प्रदर्शित करने के लिए तैयार करने के प्रति उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में समेकित वित्तीय विवरणों के निर्माण एवं प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की संरचना, क्रियान्वयन एवं रखरखाव सन्निहित है, जो एक सही एवं निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं तथा किसी भी प्रकार के त्रुटिवश अथवा कपटता से महत्व संपूर्ण अपकथन से मुक्त हैं।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

3. हमारा दायित्व हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारा अभिमत व्याक्त्य करना है। हमने हमारी लेखा परीक्षा इन्टीडन ट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेभन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप की है। ये मानक अपेक्षा करते हैं कि हफ आवश्य क नैतिकता का अनुपालन करते हुए लेखा परीक्षा को इस प्रकार सुनियोजित और संपन्न करें कि इन समेकित वित्तीय विवरणियों के सही एवं किसी भी प्रकार के महत्व पूर्ण अपकथन से मुक्त होने का सपुचित अश्वासन प्रकट हो सके।

4. एक लेखा परीक्षा में वे प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है, जिनसे समेकित वित्तीय विवरणियों में दी गई राशियां एवं प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षित साक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। इन प्रक्रियाओं का चयन लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित होता है, जिसमें समेकित वित्तीय विवरणियों के महत्वपूर्ण अपकथन, चाहे त्रुटिवश अथवा कपटतापूर्ण हों, से होने वाली जोखिम का आकलन भी शामिल होता है। इन जोखिमों के आकलनों में लेखा परीक्षा की समेकित वित्तीय विवरणियों के निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण में बैंक के संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर भी विचार करते हैं, जोकि बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता पर मत के प्रगटीकरण के उद्देश्य के बिना प्रदत्त परिस्थितियों में इस प्रकार की उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रिया बनाने के लिए हैं, जो सही एवं निष्पक्ष चित्रण कर सकें। एक लेखा परीक्षा में अपनाई गई नीतियों की उपयुक्तता का आकलन एवं प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों के औचित्य के साथ-साथ समेकित वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है।



5. हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, हमारे लेखा परीक्षा अभिमत के पर्याप्त एवं उपयुक्त होने के लिए आधार उपलब्ध कराता है।

अभिमत

6. बैंक की पुस्तकों में यथा प्रदर्शित एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार हमारे अभिमत में हम रिपोर्ट करते हैं कि :

- महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं उन पर टिप्पणियों के साथ पठित तुलन-पत्र एक संपूर्ण एवं निष्पक्ष तुलन-पत्र है, जिसमें सभी आवश्यक विवरण समाहित हैं, को समुचित तरीके से तैयार किया गया है ताकि भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप दिनांक 31 मार्च, 2015 को बैंक के क्रियाकलापों का सही एवं निष्पक्ष चित्रण प्रदर्शित किया जा सके।
- महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं उन पर टिप्पणियों के साथ पठित लाभ हानि खाता भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप उस वर्ष कवर किये गए लेखों में शेष लाभ की सही स्थिति दर्शाता है एवं
- नकद प्रवाह विवरणी उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए सही एवं निष्पक्ष नकद प्रवाह को प्रदर्शित करती है।

अन्य वैधानिक एवं विनियामक अपेक्षाएं

- तुलन-पत्र एवं लाभ एवं हानि खाता, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के क्रमशः फॉर्म ए एवं फॉर्म बी में तैयार किये गए हैं।
- उपर्युक्त पैरा 1 से 5 में निर्दिष्ट लेखा परीक्षा सीमाओं के अधीन एवं बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा उनमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि :
 - हमने उन सभी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास में हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे तथा वे संतोषप्रद पाए गए।
 - हमारे संज्ञापन में आए बैंक के लेनदेन बैंक की शक्तियों के अंतर्गत हुए हैं।
 - प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं के साथ बैंक की शाखाओं एवं कार्यालयों से प्राप्त विवरणियों को हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त पाया गया।
- हमारी राय में तुलन-पत्र, लाभ हानि खाता एवं नकद प्रवाह विवरणी लागू लेखांकन मानकों का पालन करते हैं।

कृते कुमार चोपड़ा एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000131एन

कृते पी.के. सुब्रमणियम एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.-004135एस

कृते दूगड़ एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000561एन

(सीए आर.के. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 081510

(सीए श्रीगोपाल इन्नानी)
भागीदार
सदस्यता सं. 210087

(सीए मुकेश गोयल)
भागीदार
सदस्यता सं. 081810

कृते एन. सरकार एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 301075ई

कृते बी.एन.मिश्रा एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 321095ई

कृते चंदाभॉय एण्ड जस्सूभॉय
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101647डब्ल्यू

(सीए एम. रे)
भागीदार
सदस्यता सं. 012940

(सीए बी.एन. मिश्रा)
भागीदार
सदस्यता सं. 083927

(सीए अम्बेश ए. दवे)
भागीदार
सदस्यता सं. 049289

स्थान : मुम्बई

दिनांक : 12 मई, 2015



दिनांक 31 मार्च 2015 को तुलन-पत्र

(000' को छोड़कर)

विवरण	अनुसूची सं.	31 मार्च 2015 को ₹	31 मार्च 2014 को ₹
पूंजी एवं देयताएं			
पूंजी	1	16,582,732	29,674,393
प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष	2	157,986,391	128,211,183
जमा राशियां	3	2,555,723,949	2,400,689,887
उधार राशियां	4	259,741,335	220,797,760
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	129,370,581	115,589,021
कुल		3,119,404,988	2,894,962,244
आस्तियां			
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	6	141,148,487	119,266,293
बैंकों में जमाराशियां एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि	7	6,954,343	4,514,037
निवेश	8	954,739,183	861,351,399
अग्रिम	9	1,884,775,325	1,773,151,717
अचल आस्तियां	10	28,331,615	28,043,893
अन्य आस्तियां	11	103,456,035	108,634,905
कुल		3,119,404,988	2,894,962,244
आकस्मिक देयताएं	12	908,926,711	885,525,147
संग्रहण हेतु बिल	-	110,608,049	76,717,357
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	17		
लेखांकन को नोट	18		

उक्त संदर्भित अनुसूची तुलनपत्र का अनिवार्य भाग है.

आर.सी. लोढ़ा
कार्यपालक निदेशक

बी.के. दिवाकर
कार्यपालक निदेशक

आर.के. गोयल
कार्यपालक निदेशक

राजीव ऋषि
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: मुम्बई

दिनांक: 12 मई, 2015



सौरभ गर्ग
निदेशक

सुश्री एन.एस. रत्नप्रभा
निदेशक

शेखर भटनागर
निदेशक

एस.बी. रोडे
निदेशक

एम.पी. शोरावाला
निदेशक

कृष्ण सेठी
निदेशक

गुरबख्श कुमार जोशी
निदेशक

कृते कुमार चोपड़ा एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000131एन

(सीए आर. के अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 081510

कृते एन. सरकार एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 301075ई

(सीए एम. रे)
भागीदार
सदस्यता सं. 012940

कृते पी.के. सुब्रमणियम एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.-004135एस

(सीए श्रीगोपाल इन्नानी)
भागीदार
सदस्यता सं. 210087

कृते बी.एन.मिश्रा एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 321095ई

(सीए बी. एन. मिश्रा)
भागीदार
सदस्यता सं. 083927

कृते दूगड़ एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000561एन

(सीए मुकेश गोयल)
भागीदार
सदस्यता सं. 081810

कृते चंदाभाय एण्ड जस्सूभाय
सनदी लेखाकार
एफ.एन.नं. 101647 डब्ल्यू

(सीए अम्बेश ए. दवे)
भागीदार
सदस्यता सं. 049289

उक्त तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुरूप
स्थान: मुम्बई

दिनांक: 12 मई, 2015



31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि खाता

(000 को छोड़कर)

विवरण	अनुसूची सं.	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष ₹	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष ₹
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	264,087,794	244,275,497
अन्य आय	14	18,942,315	19,225,805
कुल		283,030,109	263,501,302
II. व्यय			
व्यय ब्याज	15	191,617,105	179,331,646
परिचालन खर्चे	16	55,821,792	51,789,354
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं		29,526,730	45,008,721
कुल		276,965,627	276,129,721
III. लाभ/हानि			
वर्ष के लिए लाभ		6,064,482	(12,628,419)
लाभ आगे ले जाया गया		0	15,779
कुल		6,064,482	(12,612,640)
IV. विनियोजन			
को अंतरित :			
सांवाधिक आरक्षित		1,516,100	-
निवेश आरक्षित		538,300	425,368
विशेष आरक्षित 36(1)(viii) के अंतर्गत		-	-
स्टाफ कल्याण निधि		181,900	-
राजस्व आरक्षित		-	-
बीमा के रूप में निधि		20,000	-
प्रस्तावित लाभांश - अधिमानी पूंजी		-	-
प्रस्तावित लाभांश - इक्विटी पूंजी		829,100	-
लाभांश कर		168,800	-
तुलन-पत्र में आगे ले जाया गया शेष		2,810,282	(13,038,008)
कुल		6,064,482	(12,612,640)
ईपीएस (प्राथमिक एंड अकुशल)		4.27	(11.10)
प्रधान लेखांकन नीतियां	17		
लेखों पर टिप्पणियां	18		

उक्त फॉर्म की निर्देशित सूची लाभ एवं हानि खाता का अभिन्न अंग है।

आर.सी. लोढ़ा
कार्यपालक निदेशक

बी.के. दिवाकर
कार्यपालक निदेशक

आर.के. गोयल
कार्यपालक निदेशक

राजीव ऋषि
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: मुम्बई

दिनांक: 12 मई, 2015



सौरभ गर्ग
निदेशक

सुश्री एन.एस. रत्नप्रभा
निदेशक

शेखर भटनागर
निदेशक

एस.बी. रोडे
निदेशक

गुरबख्श कुमार जोशी
निदेशक

एम.पी. शोरावाला
निदेशक

कृष्ण सेठी
निदेशक

कृते कुमार चोपड़ा एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000131एन

(सीए आर. के अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 081510

कृते एन. सरकार एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 301075ई

(सीए एम. रे)
भागीदार
सदस्यता सं. 012940

कृते पी.के. सुब्रमणियम एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.-004135एस

(सीए श्रीगोपाल इन्नानी)
भागीदार
सदस्यता सं. 210087

कृते बी.एन.मिश्रा एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 321095ई

(सीए बी. एन. मिश्रा)
भागीदार
सदस्यता सं. 083927

कृते दूगड़ एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000561एन

(सीए मुकेश गोयल)
भागीदार
सदस्यता सं. 081810

कृते चंदाभाय एण्ड जस्मूभाय
सनदी लेखाकार
एफ.एन.नं. 101647 डब्ल्यू

(सीए अम्बेश ए. दवे)
भागीदार
सदस्यता सं. 049289

उक्त तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुरूप
स्थान: मुंबई

दिनांक: 12 मई, 2015



31 मार्च 2015 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000 को छोड़कर)

विवरण	31/03/2015 को		31/03/2014 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 1 : पूंजी				
प्राधिकृत पूंजी		50,000,000		30,000,000
प्रत्येक रु. 10/- के 500,00,00,000 शेयर				
प्रत्येक रु. 10/- के (गत वर्ष 300,00,00,000 शेयर)				
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी :				
इक्विटी शेयर				
इक्विटी शेयर प्रत्येक रु. 10/- के 1,65,82,73,181	16,582,732		13,504,393	
इक्विटी शेयर (गत वर्ष 1,35,04,39,315 इक्विटी शेयर) (सहित केंद्र सरकार द्वारा धारित प्रत्येक रु. 10/- के 135,08,27,438 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 119,69,59,325 इक्विटी शेयर)				
बेमियादी असंचयी अधिमानी शेयरपूंजी (प्रत्येक रु.10/- के 1617000000 के अधिमानत शेयर)	-		16,170,000	
(संदर्भ अनुसूची - 18 में नोट- 1)				
कुल		16,582,732		29,674,393
अनुसूची 2 : प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष				
I. सांविधिक प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	19,119,879		19,119,879	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	1,516,100		-	
		20,635,979		19,119,879
II. पूंजीगत प्रारक्षित निधियां				
i) पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	18,401,204		18,675,821	
वर्ष के दौरान कटौती	259,604		274,617	
		18,141,600		18,401,204
ii) निवेश प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	4,871,085		4,445,717	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	538,300		425,368	
		5,409,385		4,871,085
III. शेयर प्रीमियम				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	74,383,893		59,442,517	
वर्ष के दौरान परिवर्धन /समायोजन	25,170,130		14,941,376	
		99,554,023		74,383,893
IV. राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां				
i) राजस्व प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	23,473,130		23,813,030	
वर्ष के दौरान परिवर्धन (एस डब्ल्यू निधि)			-	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां			339,900	
		23,473,130		23,473,130



31 मार्च 2015 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

विवरण	31/03/2015 को		31/03/2014 को	
	₹	₹	₹	₹
	(000 को छोड़कर)			
V. विशेष प्रारक्षित निधियां आयकर अधिनियम के यू/एस 36 (1)(viii)	1,000,000		1,000,000	
VI. लाभ एवं हानि खाते में शेष राशि	(10,227,726)		(13,038,008)	
कुल	157,986,391		128,211,183	
अनुसूची 3 : जमाराशियां				
ए. I. मांग जमाराशियां				
i) बैंक से	9,161,917		17,122,616	
ii) अन्य से	122,862,383		118,247,237	
	132,024,300		135,369,853	
II. बचत बैंक जमाराशियां	738,098,898		664,737,461	
III. सावधि जमाराशियां				
i) बैंक से	54,173,510		47,083,332	
ii) अन्य से	1,631,427,241		1,553,499,241	
	1,685,600,751		1,600,582,573	
कुल	2,555,723,949		2,400,689,887	
बी. i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां	2,555,723,949		2,400,689,887	
ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां	-		-	
अनुसूची 4 : उधार राशियां				
I. भारत में उधार राशियां				
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	142,071,241		63,389,835	
ii) अन्य बैंक	0		31,904	
iii) अन्य संस्थान एवं एजेन्सियां	37,679,594		42,674,021	
iv) अनारक्षित प्रतिदेय बॉन्ड्स (गौण ऋण)	24,373,000		26,373,000	
V) अपर टियर II बॉन्ड्स	28,850,000		28,850,000	
vi) नवान्मेष बेमियादी ऋण लिखत	10,830,000		10,830,000	
vii) असुरक्षित पुर्नमोचनीय एनसी बासल III बॉण्ड्स (टीयर II)	10,000,000		10,000,000	
	253,803,835		182,148,760	
II. भारत के बाहर उधारराशियां	5,937,500		38,649,000	
कुल	259,741,335		220,797,760	
उपर्युक्त I एवं II में शामिल रक्षित उधारराशियां	निरंक		निरंक	
अनुसूची 5 : अन्य देयताएं एवं प्रावधान				
I. देय बिल	8,682,760		7,655,224	
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	-		-	
III. उपचित ब्याज	15,519,233		16,609,209	
IV. आस्थगित कर देयता	1,100,100		5,966,000	
V. अन्य (प्रावधान सहित)	104,068,488		85,358,588	
कुल	129,370,581		115,589,021	



31 मार्च 2015 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000 को छोड़कर)

विवरण	31/03/2015 को		31/03/2014 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं शेष राशि				
I. हस्ते नकदी (विदेशी मुद्रा सहित)		22,638,009		13,631,661
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष राशि				
चालू खातों में	118,510,478		104,634,632	
अन्य खातों में	-		1,000,000	
		118,510,478		105,634,632
कुल		141,148,487		119,266,293
अनुसूची 7 : बैंकों में जमाराशियां एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि				
I. भारत में				
i) बैंकों के पास शेष राशि				
ए) चालू खातों में	3,033,855		2,580,999	
बी) अन्य जमा खातों में	11,139		23,510	
ii) मांग व अल्प सूचना पर राशि				
ए) बैंकों के पास	2,000,000		-	
बी) अन्य संस्थाओं के पास	-		-	
		5,044,994		2,604,509
II. भारत के बाहर				
ए) चालू खातों में	1,909,349		1,909,528	
बी) अन्य जमा खातों में	-		-	
सी) मांग व अल्प सूचना पर राशि	-		-	
		1,909,349		1,909,528
कुल		6,954,343		4,514,037
अनुसूची 8 : निवेश				
I. भारत में निवेश*				
i) सरकारी प्रतिभूतियों में	754,101,488		678,911,210	
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-		-	
iii) शेयर्स	12,834,462		14,005,581	
iv) डिबेंचर एवं बांड्स	100,454,377		98,190,467	
v) अनुषंगियां एवं प्रायोजित संस्थान	3,039,987		3,039,987	
vi) अन्य (यूटीआई शेयर्स एवं वाणिज्यिक पेपर्स म्यूचुअल फंड यूनिट्स आदि)	83,833,984		67,197,560	
		954,264,298		861,344,805
II. भारत के बाहर निवेश**				
विदेशों में अनुषंगियां एवं असोशिएट्स		474,885		6,594
कुल		954,739,183		861,351,399



31 मार्च 2015 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000 को छोड़कर)

विवरण	31/03/2015 को		31/03/2014 को	
	₹	₹	₹	₹
* भारत में निवेश				
सकल मूल्य	956,070,746		863,831,177	
घटाएं : मूल्यहास हेतु प्रावधान	1,806,448		2,486,372	
शुद्ध मूल्य		954,264,298		861,344,805
** भारत के बाहर निवेश				
सकल मूल्य	474,885		6,594	
घटाएं : मूल्यहास हेतु प्रावधान	-		-	
शुद्ध मूल्य		474,885		6,594
अनुसूची 9 : अग्रिम				
ए. i) खरीदे गए एवं भुनाए गए बिल	20,953,233		22,349,315	
ii) नकद उधार, ओवर ड्राफ्ट एवं मांग पर प्रतिदेय ऋण	728,496,913		666,721,579	
iii) मीयादी ऋण	1,135,325,179		1,084,080,823	
कुल		1,884,775,325		1,773,151,717
बी. अग्रिमों का विवरण				
i) मूर्त आस्तियों द्वारा रक्षित (बही ऋण के समक्ष अग्रिमों सहित)	1,648,180,533		1,551,805,889	
ii) बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा रक्षित	85,551,934		1,968,784	
iii) अरक्षित	151,042,858		219,377,044	
कुल		1,884,775,325		1,773,151,717
सी. अग्रिमों का खंडवार वर्गीकरण				
(I) भारत में अग्रिम				
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	697,307,405		614,219,801	
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	208,996,695		208,482,642	
iii) बैंक	8,689		3,093	
iv) अन्य	978,462,536		950,446,181	
कुल		1,884,775,325		1,773,151,717
(II) भारत के बाहर अग्रिम		-		-
अनुसूची 10 : अचल आस्तियां				
I. परिसर				
(लागत/पुनर्मूल्यांकित लागत पर)				
पिछले वर्ष 31 मार्च को शेष राशि	24,747,330		24,731,464	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	103,644		15,866	
कुल	24,850,974		24,747,330	
इस दिनांक को मूल्यहास	5,074,659		4,742,356	
कुल		19,776,315		20,004,974



31 मार्च 2015 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000 को छोड़कर)

विवरण	31/03/2015 को		31/03/2014 को	
	₹	₹	₹	₹
II. अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर एव जुडनार सहित) पिछले वर्ष 31 मार्च को शेष राशि वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	20,430,426		17,075,169	
	10,894,019		3,957,602	
कुल	31,324,445		21,032,771	
वर्ष के दौरान कमी/ समायोजन	8,403,607		602,345	
कुल	22,920,838		20,430,426	
इस दिनांक को मूल्यहास	14,365,538		12,391,507	
कुल	8,555,300		8,038,919	
कुल (I एवं II)	28,331,615		28,043,893	
अनुसूची 11 : अन्य आस्तियां				
I. उपचित ब्याज	18,397,719		17,575,083	
II. अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर काटा गया कर (शुद्ध प्रावधान)	30,392,928		28,499,710	
III. स्टेशनरी एवं स्टाम्प	186,236		177,997	
IV. दावों की पूर्ति से अर्जित				
गैर बैंकिंग आस्तियां	-		-	
V. अंतर कार्यालय समायोजन	35,396,476		30,889,755	
VI. अन्य	19,082,676		31,492,360	
कुल	103,456,035		108,634,905	
अनुसूची 12 : आकस्मिक देयताएं				
I. (ए) बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है.		1,094,250		1,196,346
(बी) अपील, संशोधन आदि के अंतर्गत विवादित आयकर मांग		18,134,088		14,005,895
II. आंशिक प्रदत्त निवेशों के लिए देयता				
III. बकाया वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं के कारण देयता		667,746,178		640,602,389
IV. ग्राहकों की ओर से प्रदत्त गारंटी				
ए) भारत में	104,223,884		103,363,304	
बी) भारत के बाहर	10,854,478		5,673,489	
		115,078,362		109,036,793
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व		99,123,833		112,332,617
VI. अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से देनदार है		7,750,000		8,351,107
कुल		908,926,711		885,525,147



दिनांक 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते की अनुसूचियां

(000 को छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष ₹	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष ₹
अनुसूची 13 : अर्जित ब्याज		
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/ बट्टा	195,172,825	186,199,927
II. निवेशों पर आय	67,070,568	57,638,523
III. भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य अंतर-बैंक निधियों शेष राशि पर ब्याज	314,608	328,388
IV. अन्य की	1,529,793	108,659
कुल	264,087,794	244,275,497
अनुसूची 14 : अन्य आय		
I. कमीशन, विनिमय एवं दलाली	8,772,569	8,216,712
II. निवेशों की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)	6,176,583	4,553,669
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / (हानि)	-	-
IV. भूमि, भवनों एवं अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ / (हानि)	(6,430)	(11,930)
V. विनमय लेन देनों पर लाभ (शुद्ध)	2,020,268	1,987,237
VI. भारत/विदेशों में अनुषंगियों एवं एसोशिएट्स से लाभांश इत्यादि के रूप में अर्जित आय	34,150	27,850
VII. विविध आय	1,945,175	4,452,267
कुल	18,942,315	19,225,805
अनुसूची 15 : प्रदत्त ब्याज		
I. जमाराशियों पर ब्याज	175,203,052	163,745,653
II. भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर बैंक उधार राशियों पर ब्याज	3,478,463	3,808,835
III. अन्य	12,935,590	11,777,158
कुल	191,617,105	179,331,646
अनुसूची 16 : परिचालन व्यय		
I. कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	38,249,398	35,370,097
II. किराया, कर एवं बिजली	3,679,008	3,335,613
III. मुद्रण एवं लेखनसामग्री	501,251	471,832
IV. विज्ञापन एवं प्रचार- प्रसार	254,425	265,435
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	2,292,421	2,085,474
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते एवं खर्चे	7,358	8,981
VII. लेखापरीक्षकों की फीस एवं खर्चे (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	224,376	173,454
VIII. विधि प्रभार	194,871	184,823
IX. डाक, तार, टेलीफोन इत्यादि	651,628	528,537
X. मरम्मत एवं रखरखाव	743,899	587,688
XI. बीमा	2,445,502	1,961,264
XII. अन्य व्यय	6,577,655	6,816,156
कुल	55,821,792	51,789,354



अनुसूची 17 - मुख्य लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन रीतियां :

परिसर के पुनर्मूल्यान द्वारा संशोधन के अलावा वित्तीय विवरणियां परंपरागत लागते आधार पर लाभकारी कारोबार वाले संस्थान की अवधारणा का अनुसरण करते हुए तैयार की गई हैं तथा सभी तात्त्विक पहलुओं से, भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप है, जो लागू सांविधिक प्रावधानों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनिर्दिष्ट विनियामक मानदंडों, लेखांकन मानकों (एएस) तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी उदघोषणाओं तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाओं को समाविष्ट करती हैं।

2. विदेशी मुद्रा से सम्बंधित लेन-देन :

- 2.1 विदेशी मुद्राओं में मौद्रिक आस्तियों व देयताओं का निर्धारण भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा वर्ष की समाप्ति पर अधिसूचित प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है तथा परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है।
- 2.2 आय एवं व्यय की मदों का निर्धारण लेन-देन की तारीख को लागू विनिमय दरों पर किया जाता है।
- 2.3 विदेशी मुद्रा में गारंटी, साखपत्र, स्वीकृतियां, पृष्ठांकन, तथा अन्य दायित्व वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित दरों पर निर्धारित की जाती हैं।
- 2.4 बकाया वायदा संविदाएं वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित दरों पर निर्धारित की जाती हैं और परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है।

3. निवेश :

- 3.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित', 'व्यापार हेतु धारित' तथा 'विक्रय के लिए उपलब्ध' श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तथापि, तुलनपत्र में दर्शाने के लिए निवेशों को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है :

- i) सरकारी प्रतिभूतियां
- ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
- iii) शेयर्स
- iv) डिबेंचर्स एवं बॉण्ड्स
- v) अनुषंगी एवं प्रायोजित संस्थान एवं
- vi) अन्य (यूटीआई शेयरों, वाणिज्यिक पेपर एवं म्यूच्युअल फंड की यूनिट्स)।

3.2 वर्गीकरण का आधार :

खरीद के समय निवेश का वर्गीकरण निम्न श्रेणियों में किया जाता है :

- i) परिपक्वता तक धारित
इनमें वे निवेश शामिल हैं, जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है।
- ii) व्यापार के लिए धारित
प्रतिभूतियां, जो मुख्य रूप से खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर पुनः बिक्री के लिए रखी जाती हैं।
- iii) विक्रय के लिए उपलब्धी
वे निवेश जो उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किए जा सकते हैं।



3.3 श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण :

निवेशों की तीन श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण/बदलाव अंतरण की तारीख पर अधिग्रहण लागत/बही मूल्य तथा बाजार मूल्य, इनमें से जो कम है, पर लेखागत किया जाता है. ऐसे अंतरण पर मूल्यहास, यदि कोई हो, तो उसका पूर्णतया प्रावधान किया जाता है.

3.4 मूल्यांकन :

ए) परिपक्वता तक धारित :

इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश को अधिग्रहण लागत पर मूल्यांकित किया जाता है. अंकित मूल्य से अधिक अधिग्रहण लागत/बही मूल्य का आधिक्य शेष परिपक्वता की शेष अवधि के ऊपर परिशोधित किया जाता है.

बी) विक्रय के लिए उपलब्ध :

इस श्रेणी के अंतर्गत निवेशों को तिमाही अंतराल पर बाजार में, स्क्रिपवार निम्नवत अंकित किया जाता है :

- | | |
|--|---|
| i) केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां | बाजार मूल्य पर स्टॉक एक्सचेंज/ एफआईएमएमडीए / पीडीआई द्वारा निकाले गए कोटेशन के अनुसार |
| ii) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां, केन्द्र/राज्य सरकार परिपक्वता के आधार पर उचित आय के अनुसार द्वारा गारन्टीकृत प्रतिभूतियां, पीएसयू बॉण्ड | |
| iii) ट्रेजरी बिल/जमा-प्रमाणपत्र/ वाणिज्यिक पेपर | रखाव लागत पर |
| iv) इक्विटी शेयर | ए) उद्धृत : बाजार मूल्य पर
बी) अनुद्धृत : प्रति शेयर बही मूल्य पर, यदि, नवीनतम (एक वर्ष से पुराना नहीं) तुलन पत्र उपलब्ध हो, या रु. 1.00 प्रति कंपनी, यदि, नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध न हो तो. |
| v) अधिमानी शेयर | ए) उद्धृत : बाजार मूल्य पर
बी) अनुद्धृत : परिपक्वता पर उचित आय |
| vi) डिबेंचर एवं बॉण्ड | ए) उद्धृत : बाजार मूल्य पर
बी) अनुद्धृत : परिपक्वता पर उचित आय |
| vii) म्यूच्युअल फंड | ए) उद्धृत : बाजार मूल्य पर
बी) अनुद्धृत : पुनः क्रय मूल्य पर या शुद्ध आस्ति मूल्य (जहां पुनः क्रय मूल्य उपलब्ध न हो) |
| viii) उद्यम के लिए पूंजी | घोषित शुद्ध परिसम्पत्ति मूल्य अथवा लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के आधार पर, शुद्ध परिसम्पत्ति के विश्लेषित आंकड़े, जोकि 18 माह से पुराने न हों. यदि शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य / लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम लगातार 18 माह से अधिक की अवधि के लिए उपलब्ध न हों, तब प्रति उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ) के लिए रु.1/-. |

प्रतिभूति के बही मूल्य को समायोजित किए बगैर प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत शुद्ध मूल्यहास का प्रावधान किया गया है तथा यदि कोई मूल्य वृद्धि है, तो उसे गणना में नहीं लिया गया है.

सी) व्यापार के लिए धारित :

इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों का मूल्यांकन मासिक अंतराल पर बाजार दरों पर, जहां उपलब्ध हैं, अथवा एफआईएमएमडीए द्वारा घोषित मूल्यों पर किया जाता है. प्रतिभूति के बही मूल्य को समायोजित किए बगैर प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत शुद्ध मूल्यहास का प्रावधान किया गया है तथा यदि कोई मूल्य वृद्धि है, तो उसे गणना में नहीं लिया गया है.

3.5 लागत निर्धारण :

भारत औसत लागत पद्धति के आधार पर निवेश लागत निर्धारित की गई है.



3.6 आय निर्धारण :

- i) निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है। तथापि 'परिपक्वता के लिए धारित' श्रेणी के निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ के मामले में, समतुल्य राशि 'पूँजी प्रारक्षित निधि' में विनियोजित की गयी है।
- ii) निवेशों की तीन श्रेणियों में से किसी में भी शामिल प्रतिभूतियों के सम्बंध में, जहां ब्याज/मूल धन 90 दिन से अधिक समय के लिए बकाया है, वहां आय की गणना नहीं की गई है तथा गैर निष्पादक अग्रिमों पर लागू विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किए गए निवेशों के मूल्यहास हेतु उपयुक्त प्रावधान किया गया है। अग्रिम की प्रकृति के डिबेंचर/बॉण्ड, अग्रिमों पर लागू सामान्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन रखे गए हैं।
- iii) यदि बैंक को देय ब्याज एवं/अथवा मूल धन या अन्य कोई राशि 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहती हो, राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण जोखिम को अवमानक/संदिग्ध/हानि के रूप में, जैसा भी मामला हो, वर्गीकृत किया गया है तथा विवेकसम्मत मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान किये गए हैं।
- iv) प्रतिभूतियों की खरीद पर प्राप्त दलाली, प्रोत्साहन राशि, ऋण संबंधी प्रारंभिक शुल्क आदि को निवेशों की लागत में से घटाया गया है।
- v) प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के समय किए गए खर्चों जैसे दलाली, फीस, कमीशन या करों को आय में प्रभारित किया गया है।
- vi) प्रतिभूतियों के क्रय या बिक्री पर खंडित अवधि का ब्याज, आय मद माना गया है।

4. डेरिवेटिव्स

वित्तीय हानि से बचाव-व्यवस्था के लिए प्रयुक्त डेरिवेटिव्स का निम्नानुसार लेखांकन किया गया है।

- i) दैनिक बाजार-मूल्य - जहां अभिचिन्हित आस्तियां/देयताएं दैनिक बाजार मूल्य पर अंकित की गई हैं, परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है।
- ii) जहां अभिचिन्हित आस्तियां/देयताएं दैनिक बाजार मूल्य पर अंकित नहीं की गई हैं उन मामलों में, ब्याज दर स्वैप, जो ब्याज धारित आस्तियों/देयताओं का वित्तीय हानि से बचाव करते हैं, उन्हें उपचित आधार पर लेखागत किया गया है।
- iii) स्वैप समाप्ति पर हुए लाभ अथवा हानि को स्वैप के शेष संविदागत अवधि अथवा आस्तियों/देयताओं की शेष अवधि में से, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

5. अग्रिम :

- 5.1 अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध अथवा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा इस सम्बंध में अपेक्षित प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किए गये हैं।
- 5.2 एनपीए खातों में प्राप्त वसूली दावा दायर, डीक्री खाते एवं समझौता प्रस्तावों मामलों को छोड़कर, जहां वसूली पहले मूल राशि या डीक्री/समझौते की शर्तों पर समायोजित की जाती है, पहले अनियमित मूल राशि में समायोजित की गई है।
- 5.3 अग्रिम प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज एवं उधारकर्ताओं से वसूल की गई राशि जो विविध खाते में रखी गई है तथा सीजीटीएसआई/ईसीजीसी से वसूल की गई राशि को घटाकर अग्रिम दर्शाये गये हैं।

मानक आस्तियों के लिए किया गया प्रावधान अन्य देयताएं एवं प्रावधान - (अन्य) में शामिल हैं।

5.4 बेची गई वित्तीय आस्तियों का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है:

- 5.4.1 यदि बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम कीमत पर है तो वह कमी लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित की गई है।
- 5.4.2 यदि एसी/आरसी को विक्रय एनबीवी (अर्थात प्रावधान घटाकर बही मूल्य) से कम राशि में हो, तो उस वर्ष के लाभ-हानि खाते में कमी नामित की जाएगी।
- 5.4.3 यदि विक्रय नकद आधार पर एनबीवी से अधिक हो तो अधिशेष राशि लाभ-हानि खाते में जमा की गई है।
- 5.4.4 यदि एससी/आरसी को विक्रय एनबीवी से अधिक राशि पर हो तो नकद वसूली तक का अतिरिक्त प्रावधान लाभ-हानि खाते में जमा किया गया है एवं शेष अतिरिक्त प्रावधान को एससी/आरसी को बेची गई अन्य वित्तीय आस्तियों के विक्रय पर होने वाली कमी/हानि हेतु प्रयोग में लाए जाने हेतु रखा गया है।



6. अचल आस्तियां/मूल्यहास :

6.1 अचल आस्तियों (कम्प्यूटरों के अतिरिक्त, जिनका मूल्यहास सीधी कटौती पद्धति पर किया गया है) का मूल्यहास 'मूल्यहासित मूल्य प्रणाली' के अंतर्गत निम्न दरों पर किया गया है :

i)	परिसर	अनुमानित जीवन पर आधारित परिवर्तनीय दरों पर
ii)	फर्नीचर, लिफ्ट,	10%
iii)	वाहन	20%
iv)	वातानुकूलन यंत्र, कूलर, टाइपराइटर आदि	15%
v)	सिस्टम सॉफ्टवेयर सहित कंप्यूटर	33.33%
(अभिग्रहण वर्ष के दौरान एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर को आय में प्रभारित किया जाता है.)		

6.2 उन आस्तियों के मामले में, जिनका पुनर्मूल्यांकन किया गया है, मूल्यहास पुनर्मूल्यन राशि पर किया गया है तथा वृद्धिशील मूल्यहास, जो पुनर्मूल्यन राशि के लिए उत्तरदायी है, उसे 'पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधि' में समायोजित किया गया है।

6.3 दिनांक 30 सितंबर तक आस्तियों में परिवर्धन के लिए पूरे वर्ष मूल्यहास का प्रावधान किया गया है तथा उसके बाद परिवर्धित आस्तियों हेतु आधे वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है। दिनांक 30 सितंबर से पूर्व बेची गई आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान नहीं किया गया है तथा दिनांक 30 सितंबर के बाद बेची गई आस्तियों के लिए अर्ध वर्ष के लिए मूल्यहास का प्रावधान किया गया है।

6.4 पट्टेवाली भूमियों का मूल्य पट्टे की अवधि पर परिशोधित किया जाता है। पुनर्मूल्यन के मामले में, मूल लागत और पुनर्मूल्यन मूल्यों के अंतर को पट्टे की बाकी अवधि के लिए परिशोधित किया गया है और 'पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधि' में समायोजित किया गया है।

6.5 जहां पर भूमि व परिसर के मूल्य को अलग-अलग करना संभव नहीं है, वहां सम्मिश्रित लागत पर मूल्यहास लगाया गया है।

7. कर्मचारी – लाभ :

7.1 ग्रेच्युटी, पेंशन निधि एवं अवकाश नकदीकरण हेतु वार्षिक अंशदान, वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर लिया गया है एवं वास्तविक रूप से अनुमानित देयताओं के आधार पर राशि बैंक की लेखा बहियों में ली गई है।

7.2 उन कर्मचारियों के सम्बंध में जिन्होंने भविष्य निधि योजना हेतु विकल्प दिया है, समतुल्य का अंशदान किया गया है।

8. आय एवं व्यय का निर्धारण :

8.1 विनियामक प्रावधानों के अनुसार नकद आधार पर आय को छोड़कर आय/व्यय की गणना सामान्यतः उपचित आधार पर की जाएगी।

8.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप, यदि कोई भी मद जो लाभ एवं हानि लेखे में लेखागत किए कुल आय/कुल खर्च के एक प्रतिशत से अधिक है तो उसका अवधि पूर्व प्रकटीकरण किया जाता है।

8.3 अतिदेय जमाओं पर देय ब्याज हेतु प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप किए जाते हैं।

9. आय कर :

इस वर्ष के लिए कर हेतु प्रावधान में आस्थगित कर तथा लागू कर कानून के अनुसार वर्तमान कर देयता की गणना की गई है, जो कर योग्य आय तथा लेखा आय के बीच समय अंतर की पहचान करते हैं, जो एक समय में प्रारंभ होते हैं तथा एक या अधिक तदनन्तर अवधि में प्रत्यावर्तित होते हैं। आस्थगित कर आस्तियों की तब तक पहचान नहीं की जाती है जब तक कि "वास्तविक निश्चितता न हो, पर्याप्त भावी कर योग्य आय, ऐसे आस्थगित कर आस्तियों की वसूली के समक्ष उपलब्ध होगी। निर्धारण/अपीलीय प्रक्रिया की सम्पूर्णता के वर्ष में विवादित कर देयताओं की गणना की गई है एवं इस समय तक इसे आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया जाएगा।



आर.सी. लोढा
कार्यपालक निदेशक

बी.के. दिवाकर
कार्यपालक निदेशक

आर.के. गोयल
कार्यपालक निदेशक

राजीव ऋषि
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सौरभ गर्ग
निदेशक

शेखर भटनागर
निदेशक

एम.पी. शोरावाला
निदेशक

श्रीमती एन.एस. रत्नप्रभा
निदेशक

एस.बी. रोडे
निदेशक

कृष्ण सेठी
निदेशक

गुरबख्श कुमार जोशी
निदेशक

कृते कुमार चोपड़ा एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000131एन

कृते पी.के. सुब्रमणियम एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.-004135एस

कृते दूगड़ एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000561एन

(सीए आर.के. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 081510

(सीए श्रीगोपाल इन्नानी)
भागीदार
सदस्यता सं. 210087

(सीए मुकेश गोयल)
भागीदार
सदस्यता सं. 081810

कृते एन. सरकार एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 301075ई

कृते बी.एन.मिश्रा एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 321095ई

कृते चंदाभाय एण्ड जस्सूभाय
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101647डब्ल्यू

(सीए एम. रे)
भागीदार
सदस्यता सं. 012940

(सीए बी.एन. मिश्रा)
भागीदार
सदस्यता सं. 083927

(सीए अम्बेश ए. दवे)
भागीदार
सदस्यता सं. 049289

स्थान : मुम्बई

दिनांक : 12 मई, 2015



अनुसूची 18 – लेखों से सम्बंधित टिप्पणियां

1. पूंजी :

नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रत्येक ₹ 10/- प्रति के नये इक्विटी शेयर जारी करने से बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी गत वर्ष के ₹ 1350.44 करोड़ से बढ़कर दिनांक 31.03.2015 को ₹ 1658.27 करोड़ हो गई है

1. दिनांक 1 अगस्त 2014 को ₹ 71.83 प्रति शेयर के प्रीमियम पर ₹ 71.08 करोड़ के इक्विटी शेयर का निर्गमन.
2. दिनांक 1 जनवरी 2015 को ₹ 65.55 प्रति शेयर के प्रीमियम पर ₹ 82.89 करोड़ के शेयर का निर्गमन.
3. भारत सरकार द्वारा धारित प्रत्येक ₹ 10/- के कुल मूल्य ₹ 1617.00 करोड़ के शाश्वत अपरिवर्तनीय अधिमानी शेयरों के दिनांक 24 मार्च 2015 को प्रति शेयर ₹ 95.09 के प्रीमियम पर ₹ 153.86 करोड़ के इक्विटी शेयरों का निर्गमन.

2. बहियों का समतुलन / मिलान :

निम्नलिखित मदों का समतुलन प्रगति पर है

- अंतर शाखा/कार्यालय शेष
- अंतर बैंक खाते
- प्रणाली उचंत खाता
- उचंत खाता
- समाशोधन एवं अन्य समायोजन खाते
- एटीएम से संबंधित शेष
- नॉमिनल खातों में रखे विशिष्ट शेष
- नोस्ट्रो खाते
- सेन्ट्रल कार्ड विभाग द्वारा रखे गए दर्पण खाते

प्रबंधन का मत है कि खातों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई है, तो वह अधिक महत्वपूर्ण नहीं होगा.

3. आय कर / आस्थगित कर :

- 3.1 वर्ष के लिए आयकर का प्रावधान विवादित मामलों से संबंधित सांविधिक प्रावधानों एवं न्यायिक निर्णयों पर विचार करने के बाद किया गया है.
- 3.2 अन्य आस्तियां [अनुसूची 11 (ii)] में ₹1813.41 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1400.59 करोड़) शामिल हैं, जो बैंक द्वारा भुगतान किए गए या आयकर विभाग द्वारा समायोजित विवादित आय कर के संदर्भ में हैं. ऐसे विवादित मामलों पर विभिन्न न्यायिक उद्घोषणाओं एवं बैंक के अपने मामलों में पक्ष में हुए निर्णयों के आधार पर उपर्युक्त विवादित मांगों के लिए कर की विवादित राशि का प्रावधान किया जाना बैंक द्वारा आवश्यक नहीं समझा गया.

4. परिसर :

बैंक के स्वामित्व वाले परिसरों में ₹ 32.06 करोड़ मूल्य (पिछले वर्ष ₹ 55.22 करोड़) की पुनर्मूल्यांकन कीमत, जिसके पंजीकरण की औपचारिकताएं अभी भी प्रक्रियाधीन हैं.

5. अग्रिम / प्रावधान :

- 5.1 पोषण / पुनर्वसन / पुनर्विन्यास कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली इकाइयों सहित रुग्ण इकाइयों को दिए गए अग्रिम और संदिग्ध / हानि आस्तियों में वर्गीकृत अन्य अग्रिमों को, बैंक के पास बंधक रखी गई सम्पत्तियों / आस्तियों के मूल्यांककों द्वारा दिए गए तथा बैंक के पास उपलब्ध अन्य आंकड़ों के आधार पर प्रथम अथवा द्वितीय प्रभार धारण करने वाली प्रतिभूतियों के अनुमानित वसूली योग्य मूल्य तक प्रतिभूत / वसूली योग्य माना जाएगा.
- 5.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार बैंक ने फ्लोटिंग प्रावधान से ₹ 100.56 (पिछले वर्ष ₹ 103.09 करोड़) करोड़ एवं प्रतिचक्रिय प्रावधान से ₹ 47.34 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 46.63 करोड़) जो इन खातों में बकाया राशियों के 50% (पिछले वर्ष 33%) के समान है, का उपयोग अनर्जक आस्तियों के विशेष प्रावधान के लिए किया गया है. बैंक ने शुद्ध एनपीए की गणना के लिए शेष फ्लोटिंग प्रावधान ₹100.56 करोड़ (गत वर्ष ₹ 209.34 करोड़) एवं प्रतिचक्रिय प्रावधान की राशि ₹ 47.34 करोड़ (गत वर्ष ₹ 94.67 करोड़) को सकल एनपीए में से घटाया है.



6. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित प्रकटीकरण किए गए हैं:

ए. पूंजी :

क्र.सं.	मदें	31.03.2015	31.03.2014
1.	सीआरएआर (%)		
	बासल-II	11.89	11.96
	बासल -III	10.90	9.87
2.	सीआरएआर -टियर-II पूंजी (%)		
	बासल -II	8.46	8.12
	बासल -III	8.05	7.37
3.	सीआरएआर -टियर- II पूंजी (%)		
	बासल - II	3.43	3.84
	बासल - III	2.85	2.50
4.	भारत सरकार की इक्विटी शेयर धारिता का प्रतिशत	81.46%	88.63%
5.	वर्ष के दौरान प्राप्त की गई अपर टियर-II लिखतों की राशि (₹ करोड़ में)	निरंक	1000
6.	वर्ष के दौरान टियर-I पूंजी के रूप में प्राप्त की गई नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखतों (आईपीडीआई) की राशि (₹ करोड़ में)	निरंक	निरंक
7.	क्यूआईपी रूट के माध्यम से इक्विटी शेयरों का निर्गम (₹ करोड़ में)		
	शेयर पूंजी		
	शेयर प्रीमियम	निरंक	निरंक

उपर्युक्त आंकड़ों का संकलन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देश और तुलनपत्र में शामिल होने वाली कुछ मदों में प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए अनुमानों के आधार पर किया गया है और लेखा परीक्षकों ने इस पर विश्वास किया है.

बी.(i) निवेश

(₹ करोड़ में)

	मदें	31.3.2015	31.3.2014
1)	निवेश मूल्य		
	i) सकल निवेश मूल्य	95654.55	86383.78
	ए) भारत में	95607.07	86383.12
	बी) भारत के बाहर	47.48	0.66
	ii) मूल्यहास हेतु प्रावधान	180.64	248.63
	ए) भारत में	135.51	219.31
	वर्तमान मूल्यांकन से मूल्यहास (स्थानांतरण के समय आधारित) के प्रावधान का आधिक्य	45.13	29.32
	बी) भारत के बाहर	0.00	0.00
	iii) शुद्ध निवेश मूल्य	95473.91	86164.47
	ए) भारत में	95426.43	86163.81
	बी) भारत के बाहर	47.48	0.66
2)	निवेशों पर मूल्यहास के लिए रखे गए प्रावधानों में कमी/बढ़ोत्तरी		
	i) प्रारंभिक शेष	248.64	139.36
	ii) जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	96.07	371.14
	iii) घटाएं : बट्टे खाते डाले गए	164.07	261.87
	iv) अंतिम शेष	180.64	248.63



(ii) रेपो लेन-देन

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च, 2015 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
I. सरकारी प्रतिभूतियां	0.00	4602.00	361.00	1651.96
II. कॉर्पोरेट उधारी प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
I. सरकारी प्रतिभूतियां	0.00	1184.00	25.89	0.00
II. कॉर्पोरेट उधारी प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00

(iii) गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

गैर-एसएलआर निवेशों का जारीकर्ता-वार संकलन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जारीकर्ता	राशि	निजी नियोजन सीमा	'निवेश श्रेणी से कम' सीमा तक प्रतिभूतियां	'गैर-श्रेणीकृत' प्रतिभूतियां	'गैर-सूचीबद्ध' प्रतिभूतियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	6243.00	13.00	0.00	4687.00	3460.00
ii)	वित्तीय संस्थाएं	1940.00	336.00	102.00	121.00	467.00
iii)	बैंक	662.00	0.00	0.00	0.00	0.00
iv)	निजी कॉर्पोरेट	2681.00	10.00	322.00	383.00	466.00
v)	अनुषंगियां/ संयुक्त उद्यम	304.00	304.00	0.00	277.00	304.00
vi)	अन्य	8411.00	0.00	0.00	7686.00	8085.00
योग		20241.00	663.00	424.00	13154.00	12782.00
घटायें :	मूल्यहास के लिए प्रावधान	177.20	0.00	87.00	26.00	128.00
शुद्ध		20064.00	663.00	337.00	13128.00	12654.00

कॉलम संख्या 4, 5, 6 एवं 7 के अधीन सूचित राशियां पारस्परिक रूप से अलग नहीं हैं.

(iv) गैर-निष्पादक गैर-एसएलआर निवेश

(परिपक्व निवेशों सहित)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.3.2015	31.3.2014
प्रारंभिक शेष	125.90	96.29
वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	195.31	113.82
वर्ष के दौरान कमी	16.58	84.21
अंतिम शेष	304.63	125.90
धारित कुल प्रावधान	113.29	55.35

सी. डेरिवेटिव्स

(i) वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप

(₹ करोड़ में)

मदें	31.3.2015	31.3.2014
i) स्वैप करारों का आनुमानिक मूलधन	775.00	775.00
ii) करारों के अंतर्गत यदि प्रति पार्टी अपनी बाध्यताएं पूरी नहीं करती है तो इस संदर्भ में होने वाली हानि.	0.06	छूट



iii)	स्वैप में शामिल होने के लिए बैंक द्वारा वांछित संपार्श्विक प्रतिभूति	-	-
iv)	स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का केंद्रीकरण		
	- विदेशी बैंक	0.00	712.50
	- घरेलू बैंक	0.00	62.50
v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	(-) 1.56	(-) 14.92

(ii) शेयर बाजार में खरीदी/बेची गई ब्याज दर डेरिवेटिव्स :

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	राशि 31.03.2014	राशि 31.03.2013
i)	वर्ष के दौरान, शेयर बाजार में खरीदी/बेची गई ब्याज दर डेरिवेटिव्स के लिए लिया गया आनुमानिक मूलधन (लिखत-वार)		
	ए) आईआरएफ	5505.90	475.25
	बी) मुद्रा फ्यूचर्स	-	1846.95
	सी) मुद्रा विकल्प	-	0.22
ii)	31 मार्च, 2015 को शेयर बाजार में खरीदी/बेची गई ब्याज दर डेरिवेटिव्स की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार)	निरंक	निरंक
iii)	शेयर बाजार में खरीदी/बेची गई ब्याज दर डेरिवेटिव्स की बकाया आनुमानिक मूल राशि तथा जो अत्यधिक प्रभावी नहीं थी (लिखत-वार)	निरंक	लागू नहीं
iv)	प्रतिभूतियों के दैनिक बाजार मूल्य की बकाया शेयर बाजार में खरीदी/बेची गई ब्याज दर डेरिवेटिव्स तथा जो 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं रहीं (लिखत-वार)	निरंक	लागू नहीं

डेरिवेटिव्स में जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटीकरण

iii) गुणात्मक प्रकटीकरण

- वायदा बाजार में बचाव व्यवस्था / व्यापार में डेरिवेटिव लिखतों के प्रयोग पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ट्रेजरी जोखिम प्रबंधन नीति उपलब्ध है.
- बैंक के निवेश पोर्टफोलियो में स्थायी ब्याज दर, शून्य कूपन तथा अस्थायी ब्याज दरों के वैशिष्ट्य वाली आस्तियां शामिल है और वह ब्याज दर जोखिम के अधीन है. बैंक के पास ब्याज दर स्वैप हेतु टियर II बॉण्ड भी हैं, जिनमें निकास विकल्प उपलब्ध नहीं हैं. यह नीति इस देयता पर ब्याज दर जोखिम के लिए बचाव व्यवस्था भी अनुमत करती है.
- वायदा दर करार, ब्याज दर स्वैप, मुद्रा -वायदे तथा ब्याज दर वायदों का निवेश पोर्टफोलियो में प्रयोग ब्याज दर जोखिम की प्रतिरक्षा के लिए और बाजार बढ़ाने के लिए भी उनका उपयोग किया जाता है.
- निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित, जोखिम प्रबंधन नीतियां तथा प्रमुख नियंत्रण सीमाएं जैसे हानि रोध सीमाएं, काउन्टर पार्टी एक्सपोजर सीमाएं इत्यादि, मौजूद हैं. इन जोखिमों की निगरानी तथा समीक्षा नियमित रूप से की जाती है. प्रबंध सूचना प्रणाली/रिपोर्टें जोखिम प्रबंधन समिति को आवधिक रूप से प्रस्तुत की जाती है.

वित्तीय हानि से बचाव की स्थिति

- ब्याज दर स्वैप आईआरएस पर ब्याज खर्च/आय के कारण उपचय को लेखागत किया जाता है तथा आय/व्यय के रूप में अभिचिह्नित किया जाता है.
- यदि स्वैप को परिपक्वता के पूर्व समाप्त किया जाता है, तो दैनिक एमटीएम हानि/लाभ तथा उपचय के ऐसे आंकड़ों का ब्याज दर स्वैप पर प्रदत्त/प्राप्त ब्याज के तहत व्यय/आय के रूप में लेखा-जोखा किया जाता है.

व्यापारिक स्थिति

- एमसीएक्स-एक्स तथा एनएसई के विनियम दिशानिर्देशों के अनुसार, मुद्रा वायदे तथा ब्याज दर वायदे दैनिक आधार पर बाजार मूल्य की स्थिति पर अंकित किए जाते है.
- मार्जिन खाते को दैनिक आधार पर जमा/नामे करते हुए एमटीएम लाभ/हानि का लेखा किया जाता है तथा उसे बैंक के लाभ एवं हानि खाते में लेखागत किया जाता है.
- व्यापारिक स्वैप को थोड़े-थोड़े अंतरालों में बाजार मूल्य की स्थिति के अनुसार अंकित किया जाता है. कोई भी एमटीएम हानियां लेखागत तथा लाभ, यदि कोई है, का हिसाब नहीं रखा जाता है.



- स्वैप के खत्म होने पर लाभ अथवा हानि को उपर्युक्त शीर्ष में तत्काल आय/व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है.
- iv) गुणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	करेंसी डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव
i)	डेरिवेटिव (आनुमानिक मूल धन राशि)		
	ए) बचाव व्यवस्था के लिए	30498.67	525.00
	बी) व्यापार के लिए	35449.04	250.00
ii)	प्रतिभूतियों के दैनिक बाजार मूल्य की स्थिति (1)		
	ए) आस्ति (+)	365.33	0.06
	बी) देयता (-)	301.65	1.62
iii)	ऋण जोखिम (2)	-	-
iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत के परिवर्तन से संभाव्य प्रभाव (100*पीवी01)		
	ए) बचाव व्यवस्था पर डेरिवेटिव	-	0.02
	बी) व्यापार पर डेरिवेटिव	-	0.04
v)	वर्ष के दौरान नोट किए गए अधिकतम एवं न्यूनतम 100*पीवी01		
	ए) बचाव व्यवस्था पर	-	अधि.0.10 न्यू. 0.02
	बी) व्यापार पर	-	अधि. 0.06 न्यू. 0.04

डी. आस्ति गुणवत्ता

- (i) गैर-निष्पादक आस्तियां

(₹ करोड़ में)

मदें		31.3.2015	31.3.2014
i)	शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एनपीए (%)	3.61	3.75%
ii)	एनपीए में कमी/बढ़ोत्तरी (सकल)		
	ए) प्रारंभिक शेष	11500	8456
	बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन	6579	7569
	सी) वर्ष के दौरान कमी	6206	4525
	डी) अंतिम शेष	11873	11500
iii)	शुद्ध एनपीए में कमी/बढ़ोत्तरी		
	ए) प्रारंभिक शेष	6649	4988
	बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन	4517	4045
	सी) वर्ष के दौरान कमी	4359	2383
	डी) अंतिम शेष	6807	6649
iv)	शुद्ध एनपीए हेतु प्रावधानों में कमी/बढ़ोत्तरी (मानक आस्तियों के प्रावधानों को छोड़कर)		
	ए) प्रारंभिक शेष**	4454	2931
	बी) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	2062	3524
	सी) बट्टे खाते डाले गए/प्रतिलेखन/अंतरण	1723	2001
	डी) अंतिम शेष**		

* उधारकर्ता समायोजन लंबित रहते ईसीजीसी एवं कोर्ट से प्राप्त एवं सांकेतिक खातों में रखी राशि ₹124.78 करोड़ (गत वर्ष ₹ 93.03 करोड़) की नेटिंग करने के पश्चात.

** अस्थाई प्रावधान ₹ 100.56 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 209.33 करोड़) एवं प्रतिचक्रीय प्रावधान ₹ 47.34 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 94.67 करोड़) छोड़कर.

(ii) पुनर्गठित खातों के ब्योरे :

Disclosure of Restructured Accounts as on March 31,2015																						
NAME OF THE BANK:		CENTRAL BANK OF INDIA																				
		(Rs. in Crore)																				
Sr No	Type of Restructuring →	Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total					
	Asset Classification →	Stand-ard	Sub-Stand-ard	Doubt-ful	Loss	Total	Stand-ard	Sub-Stand-ard	Doubt-ful	Loss	Total	Stand-ard	Sub-Stand-ard	Doubt-ful	Loss	Total	Stand-ard	Sub-Stand-ard	Doubt-ful	Loss	Total	
Details ↓																						
1	Restructured Accounts as on April 1 of the FY (opening figures)	No. of borrowers	45	5	4	0	54	955	523	2344	1	3823	13461	1969	6427	4	21861	14461	2497	8775	5	25738
		Amount outstanding	5354.74	461.74	459.12	0	6275.60	96.16	35.89	133.62	3.04	268.71	18739.79	705.67	957.24	407.87	20810.57	24190.69	1203.30	1549.98	410.91	27354.88
		Provision thereon	561.41	54.29	33.79	0	649.49	1.76	4.70	7.90	0.00	14.36	538.57	3.75	32.79	0.03	575.14	1101.74	62.74	74.48	0.03	1238.99
2	Fresh restructuring during the year	No. of borrowers	20	2	1	0	23	0	0	0	0	0	4989	0	0	0	4989	5009	2	1	0	5012
		Amount outstanding	2854.03	12.95	53.89	0	2920.87	0	0	0	0	0	2673.44	0.00	0.00	0	2673.44	5527.47	12.95	53.89	0.00	5594.31
		Provision thereon	266.53	1.05	5.58	0	273.16	0	0	0	0	0	131.24	0.00	0.00	0	131.24	397.77	1.05	5.58	0.00	404.40
3	Upgradations to restructured standard category during the FY	No. of borrowers	4	-4			0	0	0	0	0	0	3	-3	0	0	0	7	-7	0	0	0
		Amount outstanding	175.49	-175.49	0	0	0.00	0	0	0	0	0	468.86	-468.86	0	0	0.00	644.35	644.35	0	0	0.00
		Provision thereon	25.64	-25.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0.43	-0.43	0	0	0.00	26.07	-26.07	0	0	0.00
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY*	No. of borrowers	8				8	13				13	39			39	60					60
		Amount outstanding	211.34				211.34	50.95				50.95	779.88			779.88	1042.17					1042.17
		Provision thereon	12.76				12.76	0.66				0.66	10.06			10.06	23.48					23.48
5	Downgradations of restructured accounts during the FY	No. of borrowers	-14	13	1	0	0	0	0	0	0	-1141	1141	0	0	0	-1155	1154	1	0	0	
		Amount outstanding	-857.59	790.77	66.82	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-583.99	583.99	0.00	0.00	0.00	-1441.58	1374.76	66.82	0.00	0.00
		Provision thereon	-64.40	64.40	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	-92.87	92.87	0.00	0.00	0.00
6	Write-offs of restructured accounts during the FY	No. of borrowers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Amount outstanding	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Restructured Accounts as on March 2015 of the FY (closing figures)	No. of borrowers	53	13	4		70	317	38	134	7	496	17499	1093	10114	954	29660	17869	1144	10252	961	30226
		Amount outstanding	7246.51	1063.36	216.27		8526.14	93.89	12.76	102.46	4.26	213.37	22277.30	439.33	971.28	47.85	23735.76	29617.70	1515.45	1290.01	52.11	32475.27
		Provision thereon**	735.31	79.86	7.67		822.84	4.84	0.00	0.52	0.00	5.36	636.53	26.45	3.55	0.03	666.56	1376.68	106.31	11.74	0.03	1494.76

*Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable).

** provision held is figure of sacrifice provision

(RBI Circular DBOD.BP.BC.No.80/21.04.132/2012-13 dated 31-01-2013)



(iii) आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्गठित कम्पनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

मर्दे	31.3.2015	31.3.2014
i) खातों की संख्या	13	32
ii) एससी/आरसी को बिक्रीत खातों का कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर)	798.66	907.32
iii) कुल प्रतिफल	869.89	1532.79
iv) पूर्व वर्षों में अंतरित खातों के लिए आगत अतिरिक्त प्रतिफल	निरंक	निरंक
v) शुद्ध बही मूल्य पर कुल लाभ/हानि	71.23	625.47

(iv) अन्य बैंकों से खरीदी/को बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

ए. क्रय की गई गैर-निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण : निरंक

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.3.2015	31.3.2014
1	ए वर्ष के दौरान क्रय किए गए खातों की संख्या	निरंक	निरंक
	बी कुल बकाया राशि	निरंक	निरंक
2	ए इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों की संख्या	निरंक	निरंक
	बी कुल बकाया	निरंक	निरंक

बी. बिक्री की गई गैर-निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण : निरंक

(₹ करोड़ में)

मर्दे	31.3.2015	31.3.2014
1	खातों की संख्या	निरंक
2	कुल बकाया	निरंक
3	प्राप्त कुल प्रतिफल	निरंक

(v) मानक आस्तियों पर प्रावधान

(₹ करोड़ में)

मर्दे	31.3.2015	31.3.2014
धारित मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	696.96	657.94

ई. व्यावसायिक अनुपात

मर्दे	2014-15	2013-14
(i) कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय *	9.29	9.18
(ii) कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय *	0.67	0.72
(iii) कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ *	1.25	1.22
(iv) आस्तियों पर प्रतिफल **	0.21	(0.47)
(v) प्रति कर्मचारी व्यवसाय *** (जमा + अग्रिम) (₹ लाख में)	1137.74	1025.48
(vi) प्रति कर्मचारी व्यवसाय (₹ लाख में)	1.53	(3.11)

* कार्यशील निधि में वित्तीय वर्ष के 12 महीनों के दौरान कुल आस्तियों का औसत (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षितियों को छोड़कर) शामिल है.

** कार्यशील निधियों में कुल आस्तियों का औसत (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षितियों को छोड़कर) शामिल है.

*** जमाओं (अंतर-बैंक जमाओं को छोड़कर) एवं अग्रिम के पाक्षिक औसत के आधार पर



एफ. आस्ति देयता प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार विविध परिपक्वता अवधि समूह के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च, 2015 को कुल घरेलू जमाओं, घरेलू उधार, घरेलू अग्रिमों एवं कुल निवेश का परिपक्वता पैटर्न

(₹ करोड़ में)

	एक दिन	2 दिन से 7 दिन	8 दिन से 14 दिन	15 दिन से 28 दिन	29 दिन से 3 माह	3 माह से अधिक व 6 माह तक	6 माह से अधिक व 12 माह तक	1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	योग
कुल घरेलू जमाएं	1088.57	4507.38	2429.13	5412.40	20912.49	20480.41	33115.15	100640.02	34191.90	31479.77	254257.22
कुल घरेलू अग्रिम	4973.08	2020.01	1640.02	461.43	8881.32	6268.55	11501.29	87357.56	24775.97	38552.73	186431.96
कुल निवेश											
कुल घरेलू अग्रिम		393.44	48.44	186.62	5450.11	641.89	789.12	8109.97	21343.66	58516.66	95479.91
कुल घरेलू उधारी*		8861.03	3877.00	1500.00	1000.00	624.11	565.32	1159.13	246.01	142.50	17975.10
विदेशी मुद्रा में आस्तियां	293.46	103.69	7.94	9.19	716.98	136.39	538.84	99.88	92.19	190.31	2188.86
विदेशी मुद्रा में देयताएं	202.81	4.88	10.62	8.11	53.04	83.89	815.61	403.78	329.47	-	1912.22

नोट : - * टियर II पूंजी में सम्मिलित किए गए के अलावा

उपर्युक्त आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार एवं प्रबंधन के प्रमुख अनुमानों के आधार पर संकलित किए गए हैं तथा लेखा-परीक्षकों द्वारा इन पर विश्वास व्यक्त किया गया है।

एफ. एक्सपोजर

(i) स्थावर सम्पदा क्षेत्र सम्बंधी एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

	श्रेणी	31.3.2014	31.3.2013
ए)	प्रत्यक्ष निवेश		
	(i) आवासीय मार्गेंज - आवासीय सम्पत्ति पर बंधक के द्वारा ऋण पूरी तरह से रक्षित है, अर्थात या तो उधारकर्ता द्वारा कब्जे में है अथवा किराये पर है : (उपर्युक्त में शामिल व्यक्तिगत आवास ऋण प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल करने के लिए पात्र हैं)	14004.00	11288.28
	(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा - वाणिज्यिक स्थावर संपदा के मार्गेंज से प्रत्याभूत ऋण (कार्यालय भवन, रिटेल स्थान, बहुदेशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-पारिवारिक आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक अथवा वेयर हाउस स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, निर्माण एवं विकास इत्यादि.) एक्सपोजर में गैर निधि आधारित (एनएफबी) ऋण सीमाएं भी शामिल होंगी :	6769.96	9402.00
	(iii) मार्गेंज आधारित प्रतिभूतियां (एमबीएस) एवं अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजरों में निवेश - आवासीय,	0.36	0.00
बी)	वाणिज्यिक स्थावर संपदा. अप्रत्यक्ष निवेश	0.00	0.00
	(i) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) एवं आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) में निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित निवेश.	2412.59	2367.06
	(ii) अन्य स्थायर संपदा क्षेत्र में कुल एक्सपोजर	0.00 23186.91	0.00 23057.34



(ii) पूंजी बाजार एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

मदें		31.3.2015	31.3.2014
i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय डिबेंचरों एवं इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश जिनकी मूल निधि केवल कॉर्पोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई हो.	706.11	773.17
ii)	व्यक्तियों को शेयर/बॉण्ड/डिबेंचर अथवा अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष अथवा गैर-प्रतिभूति आधार पर (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय डिबेंचरों एवं म्यूच्युअल फंड की इक्विटी उन्मुख इकाइयों में निवेश हेतु अग्रिम.	1.95	1.88
iii)	किसी भी अन्य प्रयोजन हेतु अग्रिम जिनमें शेयर अथवा परिवर्तनीय बॉण्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है.	0.00	0.00
iv)	अन्य प्रयोजन के लिए शेयरों अथवा परिवर्तनीय बॉण्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों की सीमा तक रक्षित अग्रिम अर्थात जहां पर शेयरों/परिवर्तनीय बॉण्ड/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिट अग्रिमों को पूरी तरह रक्षित नहीं करती हैं.	339.80	339.42
v)	स्टॉक-ब्रोकरों को प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत अग्रिम तथा स्टॉक-ब्रोकरों एवं गौण बाजार के प्रमुख की ओर से जारी गारंटियां.	376.88	360.01
vi)	कॉर्पोरेट को शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष अथवा बेजमानती आधार पर प्रवर्तकों के भावी संसाधनों की प्रत्याशा के तहत उनके इक्विटी अंशदान को पूरा करने के लिए स्वीकृत ऋण.	0.00	0.00
vii)	इक्विटी प्रवाह/निर्गम की प्रत्याशा के समक्ष कंपनियों को पूरक वित्त.	0.00	0.00
viii)	शेयरों के प्राथमिक निर्गम अथवा परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंडों की यूनिटों के सम्बंध में बैंकों द्वारा लिए गए हामीदारी वायदे.	0.00	0.00
ix)	स्टॉक-ब्रोकरों को मार्जिन ट्रेडिंग के लिए वित्तपोषण	13.50	0.00
x)	उद्यम पूंजी फंड (पंजीकृत तथा अपंजीकृत दोनों) सम्बंधित सभी निवेश, इक्विटी के साथ सममूल्य पर माने जाएंगे, अतः इसका पूंजी बाजार निवेश की उच्चतम सीमा (अप्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों) के साथ अनुपालन हेतु गणना में लिया जाएगा.	145.81	169.04
पूंजी बाजार का कुल एक्सपोजर		1584.05	1643.52

(iii) जोखिम श्रेणीवार देशीय एक्सपोजर :

(₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	दिनांक 31मार्च, 2015 को निवेश (शुद्ध)	दिनांक 31मार्च, 2015 को धारित प्रावधान	दिनांक 31 मार्च, 2014 को निवेश (शुद्ध)	दिनांक 31 मार्च, 2014 को धारित प्रावधान
अप्रयोज्य	1241.23	निरंक	1579.71	निरंक
निम्न	444.88	निरंक	815.91	निरंक
मध्यम	59.99	निरंक	225.81	निरंक
उच्च	6.27	निरंक	113.23	निरंक
अत्यधिक	7.49	निरंक	4.88	निरंक
सीमित	2.04	निरंक	1.40	निरंक
ऋणोत्तर	17.43	निरंक	0	निरंक
योग	1779.33	निरंक	2740.94	निरंक



चूंकि वर्ष हेतु बैंक का निवल निधि निवेश, विदेशी विनिमय लेनदेन के सम्बंध में बैंक की कुल आस्तियों के 1% से कम है, अतः प्रावधान आवश्यक नहीं है।

(iv) ऋण जोखिम का विवरण, जहां वर्ष के दौरान बैंक ने विवेकपूर्ण मानदंडों से अधिक निवेश किया है तथा जिसके लिए बोर्ड का आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया गया।

ए. बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता ऋण सीमा का अतिक्रमण

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	उधारकर्ता का नाम	दिनांक 31.3.2015 को ऋण एक्सपोजर		दिनांक 31.03.2015 को बकाया		दिनांक 31.03.15 को निवेश	दिनांक 31.03.15 को कुल एक्सपोजर
				निधि आधारित	गैर निधि आधारित	निधि आधारित	गैर निधि आधारित
1.	उत्तर प्रदेश पावर कोर्पोरेशन लि. (यूपीपीसीएल)	3726.44	0.00	3726.64	0.00	1166.34	4892.98 *(22.37%)

*बोर्ड ने दिनांक 26.07.2014 को अतिरिक्त 5% एक्सपोजर स्वीकृति किया है।

बी. बैंक द्वारा समूह उधारकर्ता ऋण सीमा का अतिक्रमण: निरंक

(v) ऋण एवं अग्रिमों का विवरण जोकि अमूर्त आस्तियों जैसे अधिकार, लाइसेंस, अधिप्रमाणन आदि द्वारा रक्षित है, जो कि अनुसूची-9 में आरक्षित किया गया है।

₹ निरंक के ऋण (गत वर्ष निरंक), जिनका प्रभार अमूर्त प्रतिभूतियों जैसे अधिकार, लाइसेंस, अधिप्रमाणन इत्यादि पर है, उन्हें अरक्षित माना गया है।

अमूर्त प्रतिभूतियों का मूल्य ₹ निरंक करोड़ (गत वर्ष निरंक) है।

7. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरोपित दण्डों का प्रकटीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक ने उनके मानदंडों की अनुपालन न करने के कारण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) पठित धारा 47 ए (1) (सी) के अंतर्गत बैंक को ₹ 4.92 करोड़ से दण्डित किया है।

8. जमाओं, अग्रिम, एक्सपोजर एवं एनपीए के संकेन्द्रण से संबंधित प्रकटीकरण :

8.1 जमाओं का संकेन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

(ए) बीस बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां	41427.39
(बी) बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशि का बैंक की कुल जमा में प्रतिशत	21.17%

8.2 अग्रिमों का संकेन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

(ए) बीस बड़े उधारकर्ताओं का कुल अग्रिम	38272.70
(बी) बीस बड़े उधारकर्ताओं के कुल अग्रिम का बैंक के कुल अग्रिम में प्रतिशत	20.59%

8.3 एक्सपोजर का संकेन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

(ए) बीस बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों का कुल एक्सपोजर	44578.61
(बी) बीस बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के कुल एक्सपोजर का बैंक के कुल एक्सपोजर में प्रतिशत	17.83%



8.4 एनपीए का केन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

(ए) शीर्ष चार एनपीए खातों का कुल एक्सपोजर	1987.35
---	---------

III. एनपीए में संचलन

ए)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015		31.03.2014	
*दिनांक 1 अप्रैल, 2014 को सकल एनपीए (प्रारंभिक शेष)		11500		11500
वर्ष के दौरान जुड़ा (नया एनपीए)		6579		6579
उप-योग (ए)		18079		18079
घटाएं:-				
(i) अपग्रेडेशन	2336		2336	
(ii) वसूली (अपग्रेडेड खातों में हुई वसूली को छोड़कर)*	1365	1365		
एनपीए की बिक्री	1119	1119		
(iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे-खाते	1368		1368	
(iv) उपर्युक्त (iii) के अतिरिक्त बट्टे-खाते	18		18	
उप-योग (बी)		6206		6206
31 मार्च, 2015 को सकल एनपीए (इति शेष) (ए-बी)		11873		11873

बी. तकनीकी बट्टे-खाते तथा वसूली :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
1 अप्रैल को तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे-खातों का प्रारंभिक शेष	2014.01	985.20
जुड़ा: वर्ष के दौरान तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे-खाते	1413.49	1405.95
उप-योग (ए)	3427.50	2391.15
घटा: वर्ष के दौरान पूर्व के तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे-खातों में की गई वसूली (बी)	*45.49	*377.14
दिनांक 31 मार्च को इति शेष (ए-बी)	3382.01	2014.01

* नियमित बट्टे-खाते में ₹ 3.02 करोड़ (गत वर्ष ₹ 221.05) के रूपांतरण सहित

IV. ओवरसीज आस्तियां, एनपीए तथा आय

विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
कुल आस्तियां	निरंक
कुल एनपीए	निरंक
कुल आय	निरंक

V. तुलन-पत्र बाह्य प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखांकन मानदंडों के अनुरूप समेकित करना जरूरी है.)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
देशीय	विदेशी
निरंक	निरंक



VI. प्रतिभूतीकरण से संबंधित प्रकटीकरण :

क्र. सं..	विवरण	सं. / राशि ₹ करोड़ में
1.	प्रतिभूतीकरण लेनदेन के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी से *	निरंक
2.	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि	निरंक
3.	तुलनपत्र की तारीख को एमआरआर के अनुपालन में रोके गए एक्सपोजर की राशि	निरंक
	ए) तुलनपत्र से इतर एक्सपोजर	
	प्रथम हानि	
	अन्य	
	बी) तुलनपत्र एक्सपोजर	
	प्रथम हानि	
	अन्य	
4	एमआरआर के अलावा प्रतिभूतीकरण लेनदेनों के एक्सपोजर की राशि	निरंक
	ए) इतर तुलनपत्र एक्सपोजर	
	i) स्वयं के प्रतिभूतीकरण का एक्सपोजर	
	प्रथम हानि	
	हानि	
	ii) तृतीय पक्ष प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर	
	प्रथम हानि	
	हानि	
	बी) तुलनपत्र एक्सपोजर	
	i) स्वयं के प्रतिभूतीकरण का एक्सपोजर	
	प्रथम हानि	
	हानि	
	ii) तृतीय पक्ष प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर	
	प्रथम हानि	
	हानि	

* बकाया प्रतिभूतीकरण लेनदेनों से संबंधित एसपीवी की ही रिपोर्ट की जाए.

VII. अंतर्समूह एक्सपोजर :

(₹ करोड़ में)

(ए)	अंतर्समूह एक्सपोजर की कुल राशि	939.73
(बी)	टॉप 20 अंतर्समूह एक्सपोजर की कुल राशि	939.73
(सी)	उधारकर्ताओं/ग्राहकों को बैंक के कुल एक्सपोजर एवं अंतर्समूह एक्सपोजर का प्रतिशत	0.48%
(डी)	अंतर्समूह एक्सपोजर की सीमा के उल्लंघन का विवरण एवं उस पर विनियामक कार्रवाई, कोई हो	निरंक



VII. जमाकर्ता शिक्षण / जागरूकता निधि (डीईएफ) के लिए अंतरण :

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान वर्ष
डीईएफ में अंतरण का प्रारम्भिक शेष	निरंक
जोड़े वर्ष के दौरान डीईएफ में अंतरण	25.12
घटाएं दावों के लिए डीईएफ द्वारा पुनर्भुगतान की राशि	-
डीईएफ में अंतरित राशि का अंतिम शेष	25.12

एलसीआर गुणात्मक प्रकटीकरण

	चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) गुणात्मक प्रकटीकरण	
	एलसीआर के लिए आवश्यक प्रमुख मर्दे	व्याख्यात्मक टिप्पणियां
ए.	एलसीआर परिणामों के प्रमुख संचालक एवं एलसीआर की गणना की निविष्टियों के योगदान का मूल्यांकन	<p>एलसीआर परिणामों के मुख्य संचालक है</p> <p>1. एलसीआर के संचालकों में उच्च गुणवत्ता तरल परिसम्पत्ति एक प्रमुख संचालक है. एचक्यूएलए का एक बड़ा घटक है- सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ) एवं एलसीआर के अंतर्गत तरलता की सुविधा का उपयोग करना. एचक्यूएलए को प्रभावित करने वाले अन्य घटक है सरकारी प्रतिभूतियों / सरकार द्वारा गारंटीकृत में निवेश करना.</p> <p>2. एलसीआर संचालक का एक अन्य प्रमुख घटक नकदी बहिर्वाह भी है. नकदी बहिर्वाह के प्रमुख घटकों में, कम स्थाई रिटेल जमा अन्य विधिक इकाईयों से निधियन एवं शुद्ध डेरिवेटिव नकद बहिर्वाह.</p> <p>3. एलसीआर संचालन का एक अन्य प्रमुख घटक नकद अंतर्वाह भी है. नकद अंतर्वाह के मुख्य घटक है अन्य पक्ष द्वारा अंतर्वाह तथा शुद्ध डेरिवेटिव नकद अंतर्वाह.</p>
बी.	अंतरावधि परिवर्तन एवं समयान्तराल में परिवर्तन	लागू नहीं. क्योंकि यह प्रकटीकरण पहली बार शुरू किया गया है.
सी.	एचक्यूएलए की संरचना	<p>एचक्यूएलए में निम्नलिखित होते है</p> <p>1. स्तर 1 परिसम्पत्तियां जिनमें एसएलआर निवेशों (रेपो, सीबीएलओ, एमएसएफ, सीआरओएमएस के विरुद्ध ऋणग्रस्त, आरटीजीएस, एसजीएफ, एमसीएक्स, एनएससीसीएल इत्यादि के लिए रेहन रखी अन्य प्रतिभूतियां) का आधिक्य, एमएसएफ के लिए लागू एनडीटीएल का 2% एवं भारिबैं के दिशानिर्देशानुसार एनडीटीएल का 5% होता है.</p> <p>2. स्तर 2 ए परिसम्पत्तियां जिनमें राज्य सरकारों द्वारा जारी पॉवर बाँड्स, राज्य उर्जा संचितरण कंपनियों द्वारा जारी बाँड्स, वित्तीय कम्पनियों को छोड़कर केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम.</p> <p>3. स्तर 2 ए परिसम्पत्तियों में वित्तीय कम्पनियों को छोड़कर ए ए एवं उच्च श्रेणी के निजी कॉर्पोरेट्स द्वारा जारी बाँड भी होते है.</p> <p>4. स्तर 2 बी परिसम्पत्तियों में वित्तीय कम्पनियों को छोड़कर बीबीबी से ए+ श्रेणी के कॉर्पोरेट्स के बाँड्स होते है.</p> <p>5. स्तर 2 बी परिसम्पत्तियों में वित्तीय कम्पनियों को छोड़कर निफ्टी /सेंसेक्स शेयर भी शामिल होते है.</p>



डी.	निधियन स्रोतों का संकेन्द्रीकरण	बैंक द्वारा अपने प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रतिपक्षी के निधियन, प्रत्येक महत्वपूर्ण उत्पाद /लिखत, प्रत्येक महत्वपूर्ण मुद्रा पर सतत निगरानी रखकर निधियन संकेन्द्रीकरण किया जाता है (महत्वपूर्ण से तात्पर्य बैंक की देयताओं की 1% से अधिक राशि से है)
ई.	डेरिवेटिव एक्सपोजर्स एवं सम्भाव्य सम्पार्थिक कॉल्स	<p>बैंक के डेरिवेटिव एक्सपोजर में निम्नलिखित होते हैं</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ओटीसी डेरिवेटिव्स ए- फॉरवर्ड्स बी- करेंसी स्वैप्स सी- ब्याज दर स्वैप्स 2. एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स ए- करेंसी फ्यूचर बी- ब्याज दर फ्यूचर <p>सम्भाव्य सम्पार्थिक कॉल्स तब सक्रिय होते हैं जब लेनदेन एक्सचेंज में होता है अथवा उनका निपटान केन्द्रीय प्रतिपक्ष द्वारा किया जाता है और ये गारंटीकृत होने के साथ साथ प्रतिपक्षी पार्टियों में आईएसडीए मास्टर एग्रीमेंट का अनुलग्नक क्रेडिट सपोर्ट एनेक्स हस्ताक्षरित किया जाता है.</p> <p>हमारे करेंसी फ्यूचर्स एवं ब्याज दर फ्यूचर के अंतर्गत व्यापार के एक्सपोजर के लिए हम सम्पार्थिक (जीसेक) के रूप में मार्जिन रखते हैं जो एक्सपोजर की राशि एवं बाजार की उथलपुथल पर आधारित होता है.</p> <p>हमारे सभी अंतर बैंक यूएसडी /आईएनआर स्वैप्स एवं फॉरवर्ड्स का निपटान सीसीआईएल के माध्यम से किया जाता है जो एक केन्द्रीय काउंटर पार्टी (सीसीडी) है. हमारे अंतर बैंक यूएसडी / आईएनआर स्वैप्स एवं फॉरवर्ड्स के गारंटीशुदा निपटान के लिए हम सीसीआईएल में हम सम्पार्थिक (जीसेक) के रूप में मार्जिन रखते हैं.</p> <p>मार्जिन की राशि, एक्सपोजर की राशि एवं बाजार की उथलपुथल पर आधारित होती है. जब भी कॉल आता है तब अतिरिक्त मार्जिन की राशि एक्सचेंज /सीसीडी में रखी जाती है.</p> <p>वर्तमान में किसी भी प्रतिपक्ष के साथ हमारा क्रेडिट सपोर्ट एनेक्स नहीं है. अतः कोई भी सम्भाव्य सम्पार्थिक कॉल उत्पन्न नहीं होगा.</p>
एफ.	एलसीआर में मुद्रा का बेमेल होना	सम्भाव्य मुद्रा के बेमेल को रोकने के लिए एलसीआर में प्रत्येक महत्वपूर्ण मुद्रा पर नजर रखी जाती है. कोई मुद्रा महत्वपूर्ण तब कहलाती है जब उस मुद्रा में धारित कुल देयताएं बैंक की कुल देयताओं के 5% या उससे अधिक हो जाती है. बैंक में फिलहाल मुद्रा का कोई बेमेल नहीं है क्योंकि हमारा महत्वपूर्ण में एक्सपोजर नहीं है.



जी.	तरलता प्रबंधन केन्द्रीकरण की मात्रा एवं ग्रुप की ईकाइयों के बीच संबंध	बैंक का तरलता प्रबंधन केन्द्रीकृत है जिस पर एएलएम एवं ट्रेजरी टीम द्वारा निगरानी रखी जाती है. ट्रेजरी, सीबीएस, एएलएम टीम एवं अन्य कार्यमूलक ईकाइयों में सुचारु संबंध है.
एच.	एलसीआर की गणना में अन्य अंतर्वाह एवं बहिर्वाह जो साधारणतया एलसीआर की पकड़ में नहीं आते हैं परंतु संस्था द्वारा इन्हें अपनी तरलता प्रोफाइल के संबंध में संगत समझा जाता है.	कोई नहीं.

9 तरलता कवरेज अनुपात

(₹ करोड़ में)

	वर्तमान वर्ष	
	कुल अभारित मूल्य3 (औसत)	कुल भारित मूल्य4 (औसत)
उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां		
1 कुल उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां (एचक्यूएलए)		31395.34
नकद बहिर्वाह		
2 रिटेल जमाएं एवं लघु व्यवसायी ग्राहकों से जमाएं जिनमें:		
(i) स्थिर जमाएं	55487.88	2774.39
(ii) कम स्थिर जमाएं	136215.43	13621.54
3 अरक्षित थोक निधियन जिनमें:		
(i) परिचालनात्मक जमाएं (सभी प्रतिपक्ष)	0.00	0.00
(ii) गैर परिचालनात्मक जमाएं (सभी प्रतिपक्ष)	16003.72	10958.02
(iii) अरक्षित कर्ज	0.00	0.00
4 रक्षित थोक निधियन		0.00
5 अतिरिक्त आवश्यकताएं जिनमें		
(i) डेरिवेटिव एक्सपोजर एवं अन्य सम्पाश्चिक एक्सपोजर सम्बन्धी बहिर्वाह रिज़िशाशपी	6963.67	6963.67
(ii) कर्ज उत्पादों के निधियन पर हानि सम्बन्धी बहिर्वाह	0.00	0.00
(iii) ऋण एवं तरलता	18985.49	2917.72
6 अन्य अनुबन्धीय निधियन दायित्व	53.00	53.00
7 अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व	20772.53	1038.63
8 कुल नकद बहिर्वाह		
नकद अंतर्वाह	38326.97	
9 रक्षित उधारियां (अर्थात रिवर्स रिपोर्ट)	157.33	0.00
10 पूर्णतः कार्यनिष्पादक एक्सपोजर से अंतर्वाह	2045.00	1545.00
11 अन्य नकद अंतर्वाह	19671.73	14216.86
12 कुल नकद अंतर्वाह	21874.06	15761.86
कुल समायोजित मूल्य		
21 कुल एचक्यूएलए		31395.34
22 कुल शुद्ध नकद बहिर्वाह		22565.11
23 तरलता कवरेज अनुपात (%)		139.53
नोट - आंकड़ों की प्रविष्टि केवल खाली एवं हल्के धूसर (ग्रे सेल) रंग के सेल में की जाएगी.		



10. अन्य प्रकटीकरण

वर्तमान वर्ष के दौरान बैकाश्युरैन्स व्यवसाय के सम्बंध में शुल्क/परिलब्धियां निम्नानुसार रहीं.

(₹ करोड़ में)

	2014-15		2013-14	
	पॉलिसियों की संख्या	राशि	पॉलिसियों की संख्या	राशि
जीवन बीमा	63090	11.83	108036	14.58
गैर जीवन बीमा	549187	13.06	559846	11.56
योग		24.89		26.14

11. दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा जारी लेखा मानकों के संदर्भ में निम्नलिखित सूचना प्रदर्शित की गई है:

ए) लेखांकन मानक - 5

वर्ष के दौरान बैंक की लेखांकन नीति में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया.

बी) लेखांकन मानक - 9

मूल लेखांकन नीति क्र. 8 के अनुसार आय की कुछ मदों की पहचान वसूली के आधार पर की की गई है. तथापि, कथित आय को महत्वपूर्ण नहीं माना गया है.

सी) लेखांकन मानक - 15 (संशोधित) मूल बैंक

वर्ष 2010-11 में, भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं डीबीओडी सं बीपी:बीसी:80/21.04.018/2010-11 दिनांक 09.02.2011 के अनुसार, बैंक ने उन विद्यमान कर्मचारियों, जिन्होंने पूर्व में पेंशन का विकल्प नहीं लिया था, उन्हें पुनः पेंशन का विकल्प चुनने का अवसर दिया था एवं ग्रेच्युटी में अभिवृद्धि से उत्पन्न अतिरिक्त देयता को 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष से 5 साल की अवधि में परिशोधन करने का बैंक ने विकल्प चुना है. तदनुसार, 01. अप्रैल, 2013 को अपरिशोधित राशि ₹ 590.77 करोड़ में से बैंक ने ₹ 239.99 करोड़ पेंशन के लिए एवं ग्रेच्युटी के लिए ₹ 55.40 करोड़ दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान आनुपातिक आधार पर परिशोधित की है. शेष पेंशन एवं ग्रेच्युटी के लिए भविष्य में परिशोधित की जाने वाली राशि पेंशन के लिए ₹ 239.98 करोड़ एवं ग्रेच्युटी के लिए ₹ 55.40 करोड़ है.

कर्मचारी लाभ :

बीमांकिक मूल्यांकनों के आधार पर पेंशन एवं ग्रेच्युटी लाभार्थ सुपरिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य का प्रारंभिक एवं अंतिम शेष का मिलान नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष	
	पेंशन	उपदान	पेंशन	उपदान
दिनांक 31 मार्च, 2015 को सुपरिभाषित लाभ दायित्व देयताएं				
प्रारंभिक दायित्व	8139.02	1063.63	7190.56	978.11
सेवा लागत	120.08	24.27	166.74	30.01
ब्याज लागत	734.00	93.98	600.80	79.31
बीमांकिक (लाभ)/हानि	1402.97	292.38	758.99	126.30
प्रदत्त लाभ	(682.27)	(165.52)	(578.07)	(150.10)
गत सेवा लागत (परिशोधित/ अ-निहित)	-	-		
गत सेवा लागत (निहित लाभ)	-	-		
देयता अंतरण	-	-		
दिनांक 31 मार्च, 2014 को दायित्व	9713.80	1308.74	8139.02	1063.63



(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष	
	पेंशन	उपदान	पेंशन	उपदान
दिनांक 31 मार्च, 2015 को उचित मूल्य पर योजना आस्तियां				
उचित मूल्य पर प्रारंभिक योजना आस्तियां	7862.67	1065.22	6629.78	884.31
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	750.63	99.99	654.74	91.42
बीमांकिक लाभ/हानि	275.12	45.72	(28.78)	(1.91)
अंशदान	1106.40	166.90	1185.00	241.50
प्रदत्त लाभ	(682.27)	(165.52)	(578.07)	(150.10)
अन्य. न्यास से अंतरण	-	-		
दिनांक 31 मार्च, 2014 को उचित मूल्यों पर योजना आस्तियां	9312.55	1212.31	7862.67	1065.22

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष	
	पेंशन	उपदान	पेंशन	उपदान
दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लागत				
सेवा लागत	120.08	24.27	166.74	30.01
ब्याज लागत	734.00	93.98	600.80	79.31
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(750.63)	(99.99)	(654.74)	(91.42)
गत सेवा लागत (परिशोधित/ अ-निहित)	-	-	240.00	55.40
गत सेवा लागत (निहित लाभ)	-	-	-	-
बीमांकिक लाभ/हानि	1127.85	246.66	787.77	128.21
शुद्ध लागत	1231.30	264.92	1140.57	201.51

पूर्वधारणाएं :

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष	
	पेंशन	उपदान	पेंशन	उपदान
ब्याज दर	9.27%	9.35%	9.27%	9.35%
वेतन वृद्धि दर	5%	5%	5%	5%
योजना आस्तियों पर प्रतिफल की अनुमानित दर	8.70%	8.70%	8.70%	8.70%



डी) लेखांकन मानक 17 खंडवार रिपोर्टिंग

i) भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने प्राथमिक रिपोर्टिंग क्षेत्र के रूप में ट्रेजरी परिचालन, कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग तथा अन्य बैंकिंग व्यवसाय का निर्धारण किया है। द्वितीयक रिपोर्टिंग क्षेत्र के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए खंडवार रिपोर्ट

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	दिनांक 31.03.15 को समाप्त वर्ष	दिनांक 31.03.1 को समाप्त वर्ष
ए.	खंडवार आय		
	1. ट्रेजरी परिचालन	7375.64	6323.29
	2. खुदरा बैंकिंग परिचालन	7812.40	6921.97
	3. थोक बैंकिंग परिचालन	13114.97	13094.00
	4. अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
	5. गैर आबंटित	0.00	10.87
	कुल	28303.01	26350.13
बी.	खंडवार परिणाम		
	1. ट्रेजरी परिचालन	824.61	307.88
	2. खुदरा बैंकिंग परिचालन	239.56	856.07
	3. थोक बैंकिंग परिचालन	(52.28)	(2048.52)
	4. अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
	कुल	1011.89	(884.57)
सी.	गैर -आबंटित आय / (व्यय)	(121.50)	(109.97)
डी.	परिचालन लाभ	890.39	(994.54)
ई.	आय कर	283.94	268.31
एफ.	शुद्ध लाभ अन्य जानकारी	606.45	(1262.84)
जी.	खंडवार आस्तियां		
	1. ट्रेजरी परिचालन	109736.17	100820.38
	2. खुदरा बैंकिंग परिचालन	76744.76	65548.89
	3. थोक बैंकिंग परिचालन	120997.18	118749.13
	4. अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
	5. गैर-आबंटित आस्तियां	4462.39	4377.82
	कुल	311940.50	289496.22
एच.	खंडवार देयताएं		
	1. ट्रेजरी परिचालन	109916.82	101081.13
	2. खुदरा बैंकिंग परिचालन	71542.14	61185.53
	3. थोक बैंकिंग परिचालन	112794.64	110844.41
	4. अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
	5. गैर-आबंटित देयताएं	110.01	596.60
6.	नियोजित पूँजी	17576.89	15788.54
	कुल	311940.50	289496.22



- ii) ट्रेजरी परिचालनों में सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियों, मुद्रा बाजार परिचालन तथा फॉरेक्स परिचालन शामिल हैं।
- iii) रिटेल बैंकिंग क्षेत्र में ₹ 5 करोड़ (निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित निवेश सहित) की सीमा तक के सभी निवेश शामिल हैं, यह अभिमुखताएं, उत्पाद, ग्रेनुलरिटी मानदंड तथा वैयक्तिक निवेश के अधीन है।
- iv) कॉर्पोरेट/समग्र खंड में ट्रस्ट/भागीदार फर्म, कम्पनियों तथा सांविधिक निकायों के वे सभी अग्रिम शामिल हैं, जो कि रिटेल बैंकिंग के तहत शामिल नहीं किए गए हैं।
- v) अन्य बैंकिंग क्षेत्र में वे सभी अन्य बैंकिंग परिचालन शामिल हैं, जो उपर्युक्त तीनों श्रेणियों में शामिल नहीं हैं।
- vi) सामान्य बैंकिंग परिचालन प्रमुख संसाधन संग्रहण इकाई है तथा ट्रेजरी खंड, प्रयुक्त औसत फंड को गणना में लेते हुए उधार दी गई निधियों के लिए पूरक का कार्य करता है।
- vii) लागत का आबंटन :
- ए) एक विशिष्ट खंड से संबंधित खर्चे सीधे उस खंड को आबंटित किए जाते हैं।
- बी) एक विशिष्ट खंड से सीधे सम्बंध न रखने वाले खर्चों को नियोजित फंड में विवेकपूर्ण आधार पर आबंटित किया जाता है।

ई) लेखा मानक 18 के अनुसार सम्बद्ध पार्टि प्रकटीकरण - सम्बद्ध पार्टि

1 सम्बद्ध पार्टियों की सूची :

(ए) प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी

	नाम	पद
i)	श्री राजीव ऋषि	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ii)	श्री आर. के. गोयल	कार्यपालक निदेशक
iii)	श्री अनिमेष चौहान (दिनांक 05/08/2013 से)	कार्यपालक निदेशक
iv)	श्री बी.के. दिवाकर (दिनांक 23/01/2014 से)	कार्यपालक निदेशक
v)	श्री आर.सी. लोढ़ा दिनांक 11/03/2015 से)	कार्यपालक निदेशक

(ब) अनुषंगियां

- i) सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड.
- ii) सेन्ट बैंक फाइनेन्शियल एण्ड कस्टोडियल सर्विसेस लिमिटेड.

(सी) सहयोगी

(I) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक -

- i) सेन्ट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक
- ii) उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर
- iii) उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार

(II) इंडो - जाम्बिया बैंक लिमिटेड

2. सम्बद्ध पार्टियों के साथ लेन-देन :

(₹ करोड़ में)

(ए) मदें	प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी	
	2014-15	2013 -14
प्रदत्त पारिश्रमिक	0.92	0.81



(बी) सम्बद्ध पार्टियों के लेनदेन का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	संबद्ध पार्टियां	दिनांक	बकाया शेष		अंतरबैंक भागीदारी क्रेडिट (आईबीपीसी) के अंतर्गत भागीदारी				लाभांश आय
			ऋण	निवेश	स्पांसर बैंक को प्रत्यक्ष कृषि आस्तियों की बिक्री		स्पांसर बैंक से गैर प्राथमिकता क्षेत्र पोर्टफोलियों की खरीद		
					राशि	देय ब्याज	राशि	प्राप्त ब्याज	
1) अनुषंगी		31.03.15	150.43	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42
		31.03.14	21.52	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79
2) एसोशिएट्स		31.03.15	664.58	324.60	0.00	97.92	0.00	112.25	0.00
		31.03.14	604.80	277.77	2200.00	13.29	2200.00	15.23	0.00

(सी) सम्बोधित पार्टियों के सम्बंध में कोई प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है, जो एएस-18 के पैराग्राफ 9 के अनुसार सरकारी नियंत्रणाधीन उद्यम हैं। साथ ही, एएस-18 के पैरा 5 के अनुसार, प्रमुख प्रबंधतंत्र कार्मिक एवं प्रमुख प्रबंधतंत्र कार्मिक रिश्तेदार सहित, बैंक-ग्राहक सम्बंध की प्रकृति के लेनदेनों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

एफ) लेखांकन मानक 20 - प्रति शेयर आय

लेखांकन मानक 20 के अनुसार प्रति शेयर आय निम्नानुसार हुई है :

	31.3.2015	31.3.2014
इक्विटी शेयरधारक के लिए कर के बाद उपलब्ध शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	606.45	(1262.84)
भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	1421571789	1137592631
प्रति शेयर मूल आय (₹)	4.27	(11.10)
प्रति शेयर की डाइल्यूटेड आय (₹)	4.27	(11.10)
प्रति शेयर सांकेतिक आय (₹)	10.00	10.00

जी) लेखांकन मानक 22 - आय पर कर का लेखांकन (समूह का)

बैंक ने आस्थगित कर आस्तियां/देयताएं मान्य की हैं।

आस्थगित कर आस्तियां एवं आस्थगित कर देयताओं के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	आस्थगित कर आस्तियां		आस्थगित कर देयताएं	
	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
व्यवसायिक हानि	-	575.14		
स्थायी आस्तियों पर मूल्यहास	13.30			5.87
निवेश पर मूल्य हास	87.61			706.89
पेंशन एवं ग्रेच्युइटी के लिए प्रावधान	5.52			17.35
उपचित ब्याज; परंतु निवेश पर प्राप्य नहीं			607.12	562.21
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	148.43	154.57		
ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	276.86			
आय कर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत का विशेष आरक्षित निधि			34.61	33.99
योग	531.72	729.71	641.73	1326.31
शुद्ध आस्थगित कर देयताएं			110.01	596.60



एच) लेखांकन मानक 28 - आस्तियों की हानि

बैंक की आस्तियों का एक बड़ा भाग वे वित्तीय आस्तियां हैं, जिन्हें आस्तियों पर हानि का लेखांकन मानक - 28 लागू नहीं है. प्रबंधन के मत में, दिनांक 31 मार्च, 2015 को वित्तीय आस्तियों के अलावा अन्य आस्तियों पर कोई बड़ी हानि परिलक्षित नहीं हुई है. जिसे मान्य करने की आवश्यकता है.

आई) प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों पर - लेखांकन मानक 29

(i) ऋण के रूप में न माने गए दावों के प्रावधान में संचलन :

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 01.04.2014 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	प्रत्यावर्तित/ समायोजित प्रावधान	दिनांक 31.03.2015 को अंतिम शेष
उधार के रूप में पहचान न किए गए दावों के विरुद्ध आकस्मिक प्रावधान	4.41	--	2.75	1.66

(ii) अतिरिक्त प्रकटीकरण

प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

(₹ करोड़ में)

लाभ-हानि खाते के शीर्ष 'व्यय' के अंतर्गत दर्शाए गए प्रावधान एवं आकस्मिकताओं का ब्रेक-अप	31.3.2015	31.3.2014
निवेश पर प्रावधान/ह्रास	(18)	257
एनपीए हेतु प्रावधान	2062	3292
मानक आस्ति हेतु प्रावधान	39	(7)
कर हेतु किए गए प्रावधान	284	268
पुनर्गठित ऋणों पर प्रावधान	548	697
अन्य प्रावधान	38	(6)
कुल	2953	4501

(iii) अस्थायी प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.3.2015	31.3.2014
ए	अस्थायी प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष	209.34	312.43
बी	लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की राशि	--	--
सी	लेखा वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी की गई राशि	108.78	103.09
डी	अस्थायी प्रावधान खाते में अंतिम शेष	100.56	209.34

(iv) प्रतिचक्र्रीय प्रावधानीकरण बफर :

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.3.2015	31.3.2014
ए	अस्थायी प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष	94.67	141.30
बी	लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की राशि	--	--
सी	लेखा वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी की गई राशि	47.33	46.63
डी	अस्थायी प्रावधान खाते में अंतिम शेष	47.34	94.67



(₹ करोड़ में)

(v) देयताओं हेतु प्रावधान में कमी/बढ़ोत्तरी :

विवरण	31.3.2014	31.3.2013
प्रारंभिक शेष	4.41	4.41
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि	2.75	-
अंतिम शेष	1.66	4.41
परिणामी आउटफ्लो का समय	लागू नहीं	लागू नहीं

12. शिकायतों का विवरण

		ग्राहकों की शिकायतें	
		शिकायतों की संख्या	
		31.03.2015	31.03.2014
ए)	वर्ष के प्रारंभ में लम्बित	234	153
बी)	वर्ष के दौरान प्राप्त	11127	7906
सी)	वर्ष के दौरान निवारण	10965	7825
डी)	वर्ष के अंत में लम्बित	396	234

		बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए अधिनिर्णय	
		संख्या	
		31.03.2015	31.03.2014
ए)	वर्ष की शुरुआत में लागू न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	01	0
बी)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए अधिनिर्णयों की संख्या	निरंक	3
सी)	वर्ष के दौरान लागू अधिनिर्णयों की संख्या	01	2
डी)	वर्ष के अंत में लागू न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	निरंक	1

प्रबंधन द्वारा समेकित एवं लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वास किए गए अनुसार.

		निवेशकों की शिकायतें	
		शिकायतों की संख्या	
		31.03.2015	31.03.2014
ए)	वर्ष के प्रारंभ में लम्बित	0	0
बी)	वर्ष के दौरान प्राप्त	169	217
सी)	वर्ष के दौरान निवारण	169	217
डी)	वर्ष के अंत में लम्बित	0	0

एटीएम लेनदेनों के सम्बन्ध में शिकायतें

विवरण	सीबीआई के एटीएम पर किए गए एटीएम लेनदेन सम्बन्धी शिकायतें	अन्य बैंकों के एटीएम पर किए गए लेनदेन सम्बन्धी शिकायतें	शिकायतों की कुल संख्या	
ए)	वर्ष के प्रारंभ में लम्बित शिकायतों की संख्या	498	579	1077
बी)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	20141	31781	51922
सी)	वर्ष के दौरान निपटाई गयी शिकायतों की संख्या	20604	32251	52855
डी)	वर्ष के अंत में लम्बित शिकायतों की संख्या	35	109	144



13. दिनांक 31.03.2015 को जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र एवं बकाया राशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
वर्ष 2013-14 के दौरान जारी चुकौती आश्वासन पत्र	3187.97	2289.15
वर्ष 2013-14 के दौरान परिपक्व/निरस्त चुकौती आश्वासन पत्र	2226.91	2442.39
दिनांक 31.03.2014 को बकाया चुकौती आश्वासन पत्र	3304.56	2343.80

उपर्युक्त उल्लेखित चुकौती आश्वासन पत्र स्वीकृत व्यापार साख सीमा के तहत जारी किए गए हैं

14. प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)

पीसीआर (प्रावधान-सकल एनपीए अनुपात) 50.68%(गत वर्ष 40.62%) था.

- प्रबंधन द्वारा संकलित सूचना के अनुसार वेंडर्स, जिनकी सेवाएं बैंक द्वारा उपयोग में ली गईं एवं जिनसे खरीद की गई है, वे व्यष्टि, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत पंजीकृत नहीं हैं. इस पर लेखापरीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया है.
- सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, तकनीकी जोखिम प्रबंधन एवं साइबर धोखाधड़ियों पर दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन. बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2010-11/494 डीबीएस.सीओ. आईटीसी.बीसी.सं.6/31.02.008/2010-11 दिनांक 29 अप्रैल 2011 के अनुसार सीबीएस में धोखाधड़ियों की नीतियां निर्धारित की है, जिनकी प्रबंधन द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है.
- जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया है, वहां पर पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित/पुनःवर्गीकृत किया गया है, जिससे कि वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण से समरूपण हो सके.

आर.सी. लोढ़ा
कार्यपालक निदेशक

बी.के. दिवाकर
कार्यपालक निदेशक

आर.के. गोयल
कार्यपालक निदेशक

राजीव ऋषि
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सौरभ गर्ग
निदेशक

शेखर भटनागर
निदेशक

एम.पी. शोरावाला
निदेशक

सुश्री एन.एस. रत्नप्रभा
निदेशक

एस.बी. रोडे
निदेशक

कृष्ण सेठी
निदेशक

गुरबख्श कुमार जोशी
निदेशक

कृते कुमार चोपड़ा एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार

एफ.आर.नं. 000131एन
(सीए आर.के. अग्रवाल)
भागीदार

सदस्यता सं. 081510

कृते एन. सरकार एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

एफ.आर.नं. 301075ई
(सीए एम. रे)
भागीदार

सदस्यता सं. 012940

कृते पी.के. सुब्रमणियम एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

एफ.आर.नं.-004135एस
(सीए श्रीगोपाल इन्नानी)
भागीदार

सदस्यता सं. 210087

कृते बी.एन.मिश्रा एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

एफ.आर.नं. 321095ई
(सीए बी.एन. मिश्रा)
भागीदार

सदस्यता सं. 083927

कृते दूगड़ एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार

एफ.आर.नं. 000561एन
(सीए मुकेश गोयल)
भागीदार

सदस्यता सं. 081810

कृते चंदाभाय एण्ड जस्सूभाय
सनदी लेखाकार

एफ.आर.नं. 101647डब्ल्यू
(सीए अम्बेश ए. दवे)
भागीदार

सदस्यता सं. 049289

स्थान : मुम्बई

दिनांक : 12 मई, 2015



31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष की नकद प्रवाह विवरणी

(करोड ₹)

क्र.सं. विवरण	31- 03- 2015	31- 03- 2014
ए परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
करों पूर्व लाभ	890.40	(994.55)
I के समायोजन हेतु :		
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	229.24	208.55
निवेशों पर मूल्यहास (परिपक्व डिबेंचरों सहित)	(18.56)	256.56
गैर अपलिखित कर्ज/ अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान	2,062.15	3,292.01
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	586.95	689.57
अन्य मदों (शुद्ध) के लिए प्रावधान	38.18	(5.57)
आयकर पर ब्याज (शुद्ध)	-	(10.87)
अचल आस्तियों (शुद्ध) की बिक्री पर लाभ/हानि	0.64	1.19
गौण ऋण पर ब्याज के लिए भुगतान/प्रावधान (पृथक माना गया)	696.03	642.26
अनुषंगियों से प्राप्त लाभांश	(3.42)	(2.79)
जेएनवाई कूपन पर ब्याज	-	5.17
उप योग	4,481.61	4,081.53
II के समायोजन हेतु :		
जमा में वृद्धि (कमी)	15,503.40	14,030.67
उधारों में वृद्धि/(कमी)	3,894.35	3,774.26
अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	1,744.77	3,285.57
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(13,811.46)	(9,360.91)
निवेशों में (वृद्धि)/कमी	(9,273.39)	(13,777.91)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	669.03	(3,355.52)
प्रत्यक्ष करों का भुगतान (वापसी की शुद्ध राशि आदि)	(959.85)	(700.54)
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद(ए)	(2,233.15)	(6,104.37)
परिचालन गतिविधियों (ए) से शुद्ध नकद प्रवाह	2,248.46	(2,022.84)
बी निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान	815.15	49.45
अचल आस्तियों की खरीद	(1,099.77)	(405.01)
एसोशिएट्स/सहयोगी से प्राप्त लाभांश	3.42	2.79
एसोशिएट्स/सहयोगी में निवेश	(46.83)	(10.00)
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह	(328.03)	(362.77)
सी वित्तपोषण गतिविधियों से नकद प्रवाह		
शेयर पूंजी	1,207.85	1,799.99
प्राप्तियां/गौण कर्ज टियर खख पूंजी का उन्मोचन	-	-
लाभांश - अंतरिम लाभांश सहित इक्विटी शेयर	-	(411.64)
लाभांश कर	-	(69.49)
जेएनवाई स्वैप कूपन पर ब्याज	-	(5.17)
गौण कर्ज पर ब्याज	(696.03)	(642.26)
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह	511.82	671.43



31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष की नकद प्रवाह विवरणी

(करोड ₹)

क्र.सं. विवरण	31- 03- 2015	31- 03- 2014
डी नकद एवं नकद तुल्य (ए+बी+सी) या (एफ -ई) में शुद्ध वृद्धि	2,432.25	(1,714.17)
ई वर्ष के प्रारंभ में नकद तथा नकद तुल्य		
नकद एवं भारिबै में जमा शेष	11,926.63	13,560.17
बैंक में जमा शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर धन	451.40	532.04
वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध नकद तथा नकद समकक्ष	12,378.03	14,092.21
एफ वर्ष की समाप्ति पर नकद एवं नकद समकक्ष		
नकद एवं भारिबै के साथ शेष	14,114.85	11,926.63
बैंक एवं मांग पर धनराशि तथा अल्प सूचना में शेष	695.43	451.40
वर्ष के अंत में शुद्ध नकद तथा नकद समकक्ष	14,810.28	12,378.03

आर.सी. लोढ़ा
कार्यपालक निदेशक

बी.के. दिवाकर
कार्यपालक निदेशक

आर.के. गोयल
कार्यपालक निदेशक

राजीव ऋषि
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कृते कुमार चोपड़ा एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000131एन
(सीए आर.के. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 081510

कृते एन. सरकार एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 301075ई
(सीए एम. रे)
भागीदार
सदस्यता सं. 012940

कृते पी.के. सुब्रमणियम एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.-004135एस
(सीए श्रीगोपाल इन्नानी)
भागीदार
सदस्यता सं. 210087

कृते बी.एन.मिश्रा एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 321095ई
(सीए बी.एन. मिश्रा)
भागीदार
सदस्यता सं. 083927

कृते दूगड़ एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000561एन
(सीए मुकेश गोयल)
भागीदार
सदस्यता सं. 081810

कृते चंदाभाय एण्ड जस्मूभाय
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101647डब्ल्यू
(सीए अम्बेश ए. दवे)
भागीदार
सदस्यता सं. 049289

स्थान : मुंबई

दिनांक : 12 मई, 2015



तालिका डीएफ 1

1. संभावित प्रयोज्य क्षेत्र

गुणात्मक प्रकटीकरण:

ए. मूल बैंक: सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

इस शीट में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एकल आधार में प्रकटीकरण है।

बी. समेकित खातों में, बैंक की अनुषंगी/सहयोगी संस्थाएं निम्नानुसार है:

(बी i) बैंक की अनुषंगी: बैंक की अनुषंगियों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	अनुषंगी का नाम	स्वामित्व
1	सेन्ट बैंक होम फाइनेन्स लिमिटेड	64.40%
2	सेन्ट बैंक फाइनेन्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड	100%

मूल बैंक की अनुषंगियों का समेकन, मूल बैंक की संबंधित मदों के समान अनुषंगियों की आस्तियों, देयताएं, आय एवं खर्चों के मदवार समामेलन में से लेखांकन नीतियों की पुष्टि करने के लिए अंतर्समूह शाखाओं/लेनदेनों, गैर वसूले लाभ/हानि आवश्यक समायोजनों, अनुषंगियों से संबंधित लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित आंकड़ों के आधार पर किया गया है। अनुषंगियों के वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग तारीख मूल बैंक के अनुसार ही अर्थात् 31 मार्च, 2015 रखी गई है। अनुषंगियों के वित्तीय विवरणियों के समेकन में एएस-21 लेखांकन मानक अपनाए गए है।

(बी ii) सहयोगी संस्थाएं: बैंक की सहयोगी संस्थाएं निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	स्वामित्व
I	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	
ए	सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक	35%
बी	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर	35%
सी	उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार	35%
II	इंडो-जाम्बिया बैंक लि., जाम्बिया.	20%

समेकित वित्तीय विवरणियों में एसोशिएट्स में निवेशों के लेखाकरण के लिए आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक एएस-23 अपनाए गए है।

इंडो-जाम्बिया बैंक लिमिटेड, एक एसोशिएट के वित्तीय विवरण अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों के अनुरूप तैयार किए गए हैं। सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और एक एसोशिएट वित्तीय संस्थाओं की प्रकृति की है।

बैंक के सीआरएआर की गणना के लिए, अनुषंगियों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में, बैंक के निवेश को टियर I एवं टियर II पूंजी में से समान रूप से घटाया गया है।

सीआरएआर की गणना बैंक के एकल आधार पर की गई है।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(सी) सभी अनुषंगियों में पूंजी की कमी की कुल राशि, जो समेकन में शामिल नहीं है अर्थात् जो घटाई गई है तथा ऐसी अनुषंगियों के नाम : निरंक

(डी) बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हिस्से की समग्र राशि (उदाहरणार्थ वर्तमान बही मूल्य), जो जोखिम-भारिता वाले है तथा उनके नाम, निगमन अथवा निवास के उनके देश, स्वामित्व हित का समानुपात और, यदि अलग है, इस संस्थानों में मताधिकार का समानुपात है: निरंक



तालिका डीएफ 2

1. पूंजी विन्यास

गुणात्मक प्रकटीकरण

ए) इक्विटी पूंजी

दिनांक 31 मार्च, 2015 को बैंक की अधिकृत पूंजी ₹ 5000.00 करोड़ है; बैंक द्वारा जारी ₹ 10 मूल्य के 1658273181 शेयरों के साथ, अभिदत्त तथा प्रदत्त इक्विटी पूंजी ₹ 1658.27 करोड़ है।

दिनांक 31 मार्च, 2015 की स्थिति को उक्त में से 81.45% शेयरधारिता भारत सरकार के अधीन है, जिसमें कुल 1196959325 शेयर्स हैं।

ऋण पूंजी लिखत

2.2.1 टियर I पूंजी का विवरण

टियर I पूंजी	जारी तिथि	अवधि माह में	प्रतिदेय की तिथि	राशि (₹ करोड़ में)	ब्याज दर
आईपीडीआई	30.03.2009	अविरत	अविरत	583.00	सरकारी प्रतिभूति + 250 बीपीएस प्रति वर्ष, मार्च में पुनर्मूल्यांकित
पीडीआई					
(सीरीज़ II)	28.09.2012	अविरत	अविरत	500.00	9.40% वार्षिक
कुल				1083.00	

2.2.2 अपर टियर II बॉण्ड का विवरण

सीरीज़	जारी तिथि	प्रतिदेय की तिथि	राशि (₹ करोड़ में)	ब्याज दर
अपर टियर II (सी-I)	14.11.2008	14.11.2023	300.00	11.45% प्र.व. 11वें वर्ष से 50 आधार बिंदुओं तक वृद्धि (परिपक्वता तक 11.95%)
अपर टियर II (सी-II)	17.02.2009	17.02.2024	285.00	9.40% प्र.व. 11वें वर्ष से 50 आधार बिंदुओं तक वृद्धि (परिपक्वता तक 9.90%)
अपर टियर II (सी-III)	23.06.2009	23.06.2024	500.00	8.80% प्र.व. 11वें वर्ष से 50 आधार बिंदुओं तक वृद्धि (परिपक्वता तक 9.30%)
अपर टियर II (सी-IV)	20.01.2010	20.01.2025	500.00	8.63% प्र.व. 11वें वर्ष से 50 आधार बिंदुओं तक वृद्धि (परिपक्वता तक 9.13%)
अपर टियर II (सी-V)	11.06.2010	11.06.2025	1000.00	8.57% प्र.व. 11वें वर्ष से 50 आधार बिंदुओं तक वृद्धि (परिपक्वता तक 9.07%)
अपर टियर II (सी-VI)	21.01.2011	21.01.2026	300.00	9.20% प्र.व. प्रतिदेय तक
		कुल	2885.00	



2.2.3 गौण बॉण्ड का विवरण

न्यूनतर टियर II सीरीज़	जारी तिथि	प्रतिदेय की तिथि	राशि (₹ करोड़ में)	ब्याज दर
X	28.03.2006	28.06.2015	578.20	8.15% प्र.व.
XI	04.10.2006	04.10.2016	700.00	8.95% प्र.व.
XII	03.03.2008	03.05.2017	389.10	9.20% प्र.व.
XIII	10.02.2009	10.04.2018	270.00	9.35% प्र.व.
XIV	21.12.2011	21.12.2026	500.00	9.33% प्र.व.
		कुल	2437.30	

2.2.4 बासल III अनुपालित बांड का विवरण-टीयर 2

टीयर II सीरीज़	जारी तिथि	प्रतिदेय की तिथि	राशि (₹ करोड़ में)	ब्याज दर
एसआर I	08.11.2013	08.11.2023	1000.00	9.90% प्र.व.
		कुल	1000.00	

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

₹ करोड़ में

(बी) टियर 1 पूंजी	
निम्न के अलग प्रकटीकरण के साथ:	16552
• प्रदत्त शेयर पूंजी	1658
• आरक्षित निधियां	13963
• नवोन्मेष लिखत: आईपीडीआई	1083
• टियर 1 पूंजी से घटाई गई राशि	-
निवेश	152
अमूर्त आस्तियां	0
(सी) टियर 2 पूंजी (टियर 2 पूंजी में से कटौतियों का शुद्ध):	6717
(डी) अपर टियर 2 पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र ऋण पूंजी लिखत	
• कुल बकाया राशि-	2885
• इसमें से वर्तमान वर्ष के दौरान उगाही गई राशि	निरंक
• पूंजी कोष के रूप में परिकलित की जाने वाली पात्र राशि	2885
(ई) लोअर टियर 2 पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र गौण ऋण	
• कुल बकाया राशि-	3437
• इसमें से वर्तमान वर्ष के दौरान उगाही गई राशि	-
• पूंजी कोष के रूप में परिकलित की जाने वाली पात्र राशि	1958
(एफ) पूंजी से अन्य कटौतियां	152
(जी) कुल पात्र पूंजी	23269



तालिका डीएफ 3

पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण:

(ए) वर्तमान तथा भावी गतिविधियों को संचालित करने के लिए बैंक की पूंजी पर्याप्तता के निर्धारण हेतु बैंक के दृष्टिकोण की चर्चा का सारांश: पूंजी जोखिम आधारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) को वांछित स्तर पर बनाए रखने के लिए बैंक नियमित रूप से समय-समय पर पूंजी की आवश्यकता का मूल्यांकन करता है. व्यवसाय वृद्धि तथा सीआरएआर को ध्यान में रख कर पूंजी आयोजना की समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है.

बैंक ने ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, परिचालन जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण तथा बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण अपनाया.

बैंक के पास आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया है जो बैंक को उसके व्यवसाय प्रक्षेपण के संबंध में आने वाली पूंजी आवश्यकताओं की योजना के लिए तथा व्यवसाय में निहित जोखिमों से निपटने के लिए सक्षम बनाती है. आईसीएएपी प्रयास का प्रमुख उद्देश्य है उन जोखिमों की पहचान तथा निर्धारण करना जो पिलर I में विनिर्दिष्ट न्यूनतम पूंजी अनुपात के अंतर्गत पूरी तरह से पकड़ में न आएँ, ऐसे जोखिम जो पिलर के तहत बिल्कुल ध्यान में न ली गई तथा जो बैंक के बाहरी घटक हो तथा इस प्रकार के अतिरिक्त जोखिमों के लिए पूंजी का प्रावधान करना तथा बैंक के जोखिम प्रोफाइल के संबंध में आंतरिक पूंजी के उपयुक्त स्तर को मापना. बैंक ने पिलर II के अंतर्गत अपने सीआरएआर पर प्रतिकूल दबाव के प्रभाव को मापने के लिए स्ट्रेस परीक्षण नीति लागू की है.

बैंक आईसीएएपी की समीक्षा तिमाही आधार पर कर रहा है.

₹ करोड़ में

परिमाणात्मक प्रकटीकरण	
(बी) 9% ऋण जोखिम के लिए पूंजी-आवश्यकताएं:	
मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो	
• निधि आधारित	13728
• गैर-निधि आधारित	1224
• प्रतिभूति एक्सपोजर	निरंक
(सी) बाजार जोखिम के लिए पूंजी-आवश्यकताएं:	
• मानकीकृत आवधिक दृष्टिकोण:	
- ब्याज दर जोखिम	946
- विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित)	4
- इक्विटी जोखिम	617
(डी) परिचालन जोखिम के लिए पूंजी-आवश्यकताएं:	
• मूल संकेतक दृष्टिकोण	1095
(ई) कुल पूंजी अनुपात	11.89%
टियर 1 पूंजी अनुपात	8.46%

सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण की आवश्यकता

निदेशक मंडल की एक समिति बैंक के विविध जोखिम के अंतर्गत जोखिम प्रबंधन नीतियों/कार्यप्रणाली का नियमित रूप से अवलोकन करती है जैसे ऋण, परिचालन, बाजार आदि, बैंक ने प्रत्येक जोखिम के समझौते के लिए शीर्ष प्रबंधतंत्र की जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यपालक समिति निदेशक को टीम में शामिल करते हुए अलग समिति का गठन किया है, जैसे आस्तियां देयता प्रबंधन समिति, ऋणनीति समिति, परिचालन जोखिम समिति. इन समितियों द्वारा विभिन्न बैंकिंग परिचालन के अंतर्गत जोखिम स्तर का निर्धारण तथा मॉनिटरिंग करने हेतु पूरे वर्ष नियमित बैठकें की जाती हैं तथा जहां आवश्यक हो, वहां जोखिम कम करने हेतु उचित उपाय किए जाते हैं.



केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर जोखिम प्रबंधन विभाग के शीर्षस्थ महाप्रबंधक हैं, जो कि बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदंड नियंत्रण तथा जोखिम की सीमा के अंदर प्रबंध कराना है तथा विविध समितियों द्वारा निर्धारित जोखिम पैरामीटर के साथ अनुपालन कराते हैं। महाप्रबंधक को उप महाप्रबंधक, एवं सहायक महाप्रबंधकों, मुख्य प्रबंधकों, वरिष्ठ प्रबंधकों एवं प्रबंधकों की टीम द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है।

कुछ चिन्हित आंचलिक कार्यालयों में जोखिम प्रबंधकों को, केन्द्रीय कार्यालय के जोखिम प्रबंधन विभाग की विस्तारित भुजाओं के रूप में नियुक्त किया जाता है। कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों में भी अधिकारियों को जोखिम प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया जाता है।

बैंक में विविध नीतियां है जैसे ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियां, ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति, समंवित जोखिम प्रबंधन नीति, स्ट्रेस टेस्ट नीति, प्रकटीकरण नीति, परिचालन जोखिम नीति, एएलएम नीति तथा निवेश एवं बाजार जोखिम प्रबंधन नीति।

इसके अलावा, ऋण नीति शासी ऋण कार्य-पद्धति के बृहद मापदंड, ऋण प्रस्तावों के मूल्यांकन एवं मूल्यमापन, प्रत्यायोजित प्राधिकारी के ऋण अधिकारों, प्रकटीकरण मानदंड, विवेकपूर्ण सीमाएं तथा ऋण पोर्टफोलियो दस्तावेजीकरण की निगरानी एवं नियंत्रण पर दिशानिर्देश भी सुव्यवस्थित है।

महाप्रबंधक द्वारा प्रशासित ऋण मॉनिटरिंग विभाग ऋण प्रस्तावों की गुणवत्ता, विशेष उल्लिखित खतों की पहचान एवं उनके सुधारक उपाय को मॉनिटर करते हैं। ऋण प्रस्ताव की समीक्षा प्रणाली भी विभाग द्वारा तैयार की जाती है।

बैंक ने खुदरा ऋण प्रणाली के साथ उधारग्रहिताओं के विविध खंडों के लिए रेटिंग मॉडल की शुरुआत की है, जो कि काउंटर ग्राहक के साथ जोखिम की जांच करती है तथा ऋण एवं मूल्य निर्धारण में मदद करती है। बड़े ऋणी के मामले में ऋण जोखिम मूल्यांकन मॉडल काउंटर ग्राहक के वित्तीय जोखिम, उद्योग जोखिम, प्रबंधन जोखिम तथा व्यवसाय जोखिम का मूल्यांकन करती है तथा प्रत्येक ऐसे जोखिम का पृथक रूप से मूल्यांकन करती है तथा फिर समग्र रेटिंग, काउंटर पार्टी को प्रदान की जाती है। ऋण सुविधा रेटिंग टूल भी रेटिंग टूल में ही शामिल है।

तालिका डीएफ 4

ऋण जोखिम: सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

ऋण जोखिम

गत देय तथा अनर्जक की परिभाषाएं

अनर्जक आस्तियां वह है जहां ऋण या अग्रिम-

- (i) मियादी ऋण के संबंध में 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए ब्याज और/या मूलधन की किस्त बकाया रहे;
- (ii) 90 दिनों के लिए खाता अनियमित रहे,
- (iii) खरीदे गए तथा भुनाए गए बिलों के मामले में यदि बिल 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहता हो,
- (iv) कृषि के उद्देश्य से स्वीकृत अग्रिम के मामले में
 - ए) अल्पावधि फसल के मामले में मूलधन की किस्त या ब्याज दो फसल मौसम तक अतिदेय रहती हो,
 - बी) दीर्घावधि फसल के मामले में मूलधन की किस्त या ब्याज एक फसल मौसम तक अतिदेय रहती हो.
- (v) प्रतिभूतिकरण पर दिनांक 1 फरवरी 2006 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए प्रतिभूतिकरण लेनदेन के सम्बन्ध में तरलता सुविधा की राशि 90 दिन से अधिक के लिए बकाया रहती हो.
- (vi) डेरिवेटिव लेनदेन के संबंध में डेरिवेटिव संविदा के सकारात्मक बाज़ार चिन्हित मूल्य को व्यक्त करती अतिदेय प्राप्ति यदि ये भुगतान की निर्धारित तिथि से 90 दिनों की अवधि तक अदत्त रहती हों

अनियमित:

कोई खाता तब अनियमित दर्शाया जाता है, जब बकाया शेष लगातार स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से अधिक हो, यदि मूल परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा, आहरण शक्ति से अधिक हो, यदि मूल परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा, आहरण शक्ति से कम हो, परंतु तुलन-पत्र की तिथि को लगातार 90 दिनों तक कोई जमा नहीं हो या इस अवधि में नामे ब्याज को कवर करने योग्य पर्याप्त जमा न हो.

अतिदेय:

किसी भी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई भी राशि अतिदेय कहलाएगी, यदि वह बैंक द्वारा निर्धारित देय तिथि को अदा नहीं की जाती है।



ऋण जोखिम प्रबंधन नीति

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक सुस्पष्ट ऋण जोखिम नीति को अपनाया है, जिसकी वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है. यह नीति निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य करती है:

- ऋण जोखिम निर्धारण, नीति एवं कार्यनीति
- जोखिम पहचान तथा मापन,
- जोखिम श्रेणीकरण तथा समेकीकरण,
- ऋण जोखिम रेटिंग, रूपरेखा तथा रिपोर्टिंग
- जोखिम नियंत्रण तथा पोर्टफोलियो प्रबंधन,
- न्यूनीकरण तकनीक,
- लक्ष्य बाजार तथा आर्थिक गतिविधियों के प्रकार,
- ऋण अनुमोदन प्राधिकारी,
- किसी देश में किसी बैंक का ऋण एवं मुद्रा,
- परिपक्वता का स्वरूप, विविधीकरण का स्तर,
- अर्थव्यवस्था का चक्रीय पहलू,
- ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर में ऋण जोखिम,
- ऋण जोखिम निगरानी प्रक्रियाएं,
- अंतर बैंक एक्सपोजर में ऋण जोखिम प्रबंधन,
- किसी देश में किसी बैंक के ऋण तथा परिचालन सम्बंधी मामले.

(₹ करोड़ में)

परिमाणात्मक प्रकटीकरण:	
(ए) कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर:	
निधि आधारित:	289125
गैर-निधि आधारित:	32881
(बी) एक्सपोजर का भौगोलिक संवितरण:	
• विदेशी	191
• घरेलू	321815

(सी)

उद्योग का नाम	निधि	गैर-निधि
ए. खनन एवं उत्खनन (ए.1 + ए.2)	438	66
ए.1 कोयला	256	66
ए.2 अन्य	182	0
बी. खाद्य प्रसंस्करण (बी1 से बी5 तक)	7159	1475
बी.1 चीनी	3186	115
बी.2 वनस्पति तेल एवं वनस्पति	969	356
बी.3 चाय	299	3
बी.4 कॉफी	24	0



बी.5 अन्य	2681	1001
सी. पेय (चाय एवं कॉफी के अतिरिक्त) एवं तम्बाकू	58	31
जिसमें से तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद	12	2
डी. टेक्सटाईल (ए से एफ तक)	7511	1118
ए. सूती	2561	269
बी. जूट	165	13
सी. हस्तशिल्प/खादी (गैर-प्राथमिकता)	19	0
डी. सिल्क	44	0
ई. ऊनी कपड़ा	111	29
एफ. अन्य	4610	807
डी में से (अर्थात, कुल कपड़ा) कताई मिल को	299	22
ई. चमड़ा एवं चमड़े के उत्पाद	106	26
एफ. लकड़ी एवं लकड़ी के उत्पाद	189	89
जी. कागज एवं कागज के उत्पाद	699	191
एच. पेट्रोलियम (गैर-इन्फ्रा), कोयला उत्पाद (गैर-खनन) एवं न्यूक्लियर ईंधन	1432	126
आई. रसायन एवं रसायन उत्पाद (डाई, पेंट इत्यादि) (आई1 से आई4 तक)	3875	1102
आई.1 उर्वरक	1373	2
आई.2 ड्रग्स एवं फार्मास्यूटीकल्स	1800	453
आई.3 पेट्रो कैमीकल्स (बुनियादी संरचना के अंतर्गत)	263	141
आई.4 अन्य	440	526
जे. रबर प्लास्टिक एवं उसके उत्पाद	379	109
के. कांच एवं कांच के सामान	39	0
एल. सीमेंट एवं सीमेंट के उत्पाद	1832	238
एम. मूल धातु एवं धातु के उत्पाद (एम.1 + एम.2)	10843	2356
एम.1 लोहा एवं स्टील	8772	1543
एम.2 अन्य धातु एवं धातु	2071	813
एन. सभी अभियांत्रिकी (एन.1+एन.2)	4239	5722
एन.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	592	461
एन.1 अन्य	3648	5260
ओ. वाहन, वाहन पार्ट एवं परिवहन उपस्कर	1288	648
पी. रत्न एवं आभूषण परिवहन उपस्कर	1501	403
क्यू. निर्माण	5001	1063
आर. बुनियादी संरचना (ए से डी तक)	52618	5238
ए. परिवहन (ए.1 से ए.5 तक)	10275	1273
ए.1 रेलवे	736	105



ए.2 रोड़वेज	7239	1073
ए.3 विमानन	1222	35
ए.4 जलमार्ग	1079	60
ए.5 अन्य	0	0
बी. ऊर्जा(बी1 से बी6 तक)	36746	2652
बी.1 विद्युत (उत्पादन)	13308	2322
बी.1.1 केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	765	134
बी.1.2 राज्य सरकार के उपक्रम (एसईबी सहित)	1493	262
बी.1.3 निजी क्षेत्र	11050	1926
बी.1 विद्युत (परिचालन)	715	0
बी.2.1 केन्द्र सरकार के उपक्रम	0	0
बी.2.2 राज्य सरकार के उपक्रम (एसईबी सहित)	225	0
बी.2.3 निजी क्षेत्र	490	0
बी.1 विद्युत (वितरण)	21856	283
बी.3.1 केन्द्र सरकार के उपक्रम	1176	15
बी.3.2 राज्य सरकार के उपक्रम (एसईबी सहित)	20053	260
बी.3.3 निजी क्षेत्र	626	8
बी.4 तेल (भंडारण एवं पाइप लाईन)	380	15
बी.5 गैस/एलएनजी (भंडारण एवं पाइप लाईन)	487	32
बी.6 अन्य	0	0
सी. दूरसंचार	3037	1172
डी. अन्य	2560	140
जिसमें से पानी स्वच्छता	526	29
जिसमें से सामाजिक एवं व्यावसायिक बुनियादी संरचना	1710	94
एस. अन्य उद्योग	20616	3693
सभी उद्योग (ए से एस तक)	119824	23714
अवशिष्ट अन्य अग्रिम (कुल अग्रिम से मिलान के लिए)	99860	6609
ए. शिक्षा ऋण	3012	0
बी. वैमानिकी क्षेत्र	2409	321
सी. अवशिष्ट अन्य अग्रिम	94439	6288
कुल ऋण एवं अग्रिम	219684	30323
(डी) आस्तियों का अवशिष्ट संविदात्मक परिपक्वता संबंधी विश्लेषण:		
1 दिन :		5267
02 दिनों से 07 दिनों तक:		2517
08 दिनों से 14 दिनों तक:		1696



15 दिनों से 28 दिनों तक:		657
29 दिनों से 3 महीनों तक:		15048
3 महीनों से अधिक, परंतु 6 महीनों तक:		7047
6 महीनों से अधिक, परंतु 12 महीनों तक:		12829
12 महीनों से अधिक, परंतु 36 महीनों तक:		95567
36 महीनों से अधिक, परंतु 60 महीनों तक:		46212
60 महीनों से अधिक :		97260
कुल		284101
(ई) अनर्जक आस्तियों की राशि (सकल)		11873
• अवमानक		4773
• संदिग्ध		6874
• हानि		226
(एफ) निवल अनर्जक आस्तियां		6807
(जी) अनर्जक आस्तियों का अनुपात		
• सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियां		6.09%
• निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां		3.61%
(एच) अनर्जक आस्तियों (सकल) में संचलन		
• प्रारम्भिक शेष		11500
• परिवर्धन		6579
• कमियां		6206
• अनर्जक आस्तियां (सकल)		11873
(आई) अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों (शुद्ध) में संचलन		
• प्रारम्भिक शेष		4454
• अवधि के दौरान किया गया प्रावधान		2062
• बढ़ा खाता		0
• अपलिखत अतिरिक्त प्रावधान		1723
• अंतिम शेष		4793
(जे) अनर्जक निवेश की राशि		305
(के) अनर्जक निवेश के लिए धारित प्रावधान की राशि		113
(एल) निवेश पर प्रावधान/मूल्यहास में परिवर्तन:		
• प्रारम्भिक शेष		92
• इस अवधि के दौरान किया गया प्रावधान		22
• बढ़ा खाता		-
• अपलिखत अतिरिक्त प्रावधान		1
• अंतिम शेष		113



तालिका डीएफ 5

ऋण जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो के लिये प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

- (ए) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार ऋण जोखिम के लिये पूंजी प्रभार की गणना हेतु बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण को अपनाया है, ये दिशानिर्देश विभिन्न आस्ति वर्गीकरण के लिये अलग-अलग जोखिम भारिता प्रदान करते हैं, जिन्हें विधिवत रूप से लागू किया गया है।
- (बी) बैंक ने छह बाह्य ऋण रेटिंग एजेन्सियों यथा, क्रिसिल लि. केयर, इक्रा लि., इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्रा.लि., समेरा रेटिंग लि. एवं ब्रिकवर्क को अपने ग्राहकों के ऋणों को रेटिंग हेतु अभिचिन्हित किया है।
- (सी) ये एजेन्सियां सभी निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित एक्सपोजर की रेटिंग करती हैं, इन एजेन्सियों द्वारा बैंक के ग्राहकों को प्रदत्त रेटिंग, जोखिम भारिता निर्धारित करने के लिये स्वीकार की जाती हैं..
- (डी) कॉर्पोरेट के किसी विशिष्ट निर्गमों में बैंक के निवेश के मामले में, रेटिंग एजेंसी की निर्गम विशिष्ट रेटिंग को जोखिम भारिता की गणना में लिया जाएगा.

₹ करोड़ में

परिमाणात्मक प्रकटीकरण:	
(बी) मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम न्यूनीकरण के पश्चात एक्सपोजर राशि के लिये, बैंक की बकाया (श्रेणीकृत तथा अश्रेणीकृत) राशि तथा वे, जिनमें कटौती की जाती है, निम्न तीन जोखिम श्रेणियों में निम्नवत है:	
• 100 % जोखिम भारिता से कम:	198906
• 100 % जोखिम भारिता:	76653
• 100 % जोखिम भारिता से अधिक:	46447
• घटाई गई राशि - सीआरएम	13800

तालिका डीएफ 6

ऋण जोखिम न्यूनीकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण 1 के लिये प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

- संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंधन के लिये नीतियां एवं प्रक्रियायें;
बैंक के पास सुपरिभाषित ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति है, नकदी तथा नकदीतुल्य प्रतिभूतियां, भूमि एवं भवन तथा संयंत्र एवं मशीनरी इत्यादि बैंक द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख संपार्श्विक हैं।
- बैंक द्वारा ली जाने वाली प्रमुख संपार्श्विक का विवरण;
बैंक द्वारा, व्यक्तिगत गारंटियां, कॉर्पोरेट गारंटियां तथा शासन एवं बैंकों द्वारा जारी गारंटियां स्वीकार की जाती हैं. नीति दिशानिर्देशों के अनुसार, संपार्श्विक प्रतिभूतियों का मूल्यांकन नियमित अंतराल में उचित बाजार मूल्य पर किया जाता है.
ऋण जोखिम न्यूनीकरण के उद्देश्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में विभिन्न प्रकार वित्तीय संपार्श्विक को मान्यता प्रदान की गई हैं इन दिशानिर्देशों में गारंटियों को भी ऋण जोखिम न्यूनीकारक माना गया है. इस प्रकार के तत्व हासिल करने के लिए बैंक ने उचित नीतिगत उपाय किये हैं.

₹ करोड़ में

परिमाणात्मक प्रकटीकरण:	
(बी) मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम पोर्टफोलियो के अंतर्गत प्रकटीकरण के लिये, कुल एक्सपोजर निम्नलिखित द्वारा कवर किया गया है:	
• हेयरकट्स अनुप्रयोग के बाद; पात्र वित्तीय संपार्श्विक- निधि आधारित	13285
गैर-निधि आधारित	515



तालिका डीएफ 7

प्रतिभूतिकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिये प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:	निरंक	₹ करोड़ में
परिमाणात्मक प्रकटीकरण:		
बैंकिंग बही		निरंक
(डी) बैंक द्वारा प्रतिभूतित एक्सपोजर की कुल राशि.		निरंक
(ई) एक्सपोजर प्रकृति द्वारा विखंडित वर्तमान अवधि, (अर्थात् क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, ऑटो ऋण इत्यादि अंतर्निहित प्रतिभूति) में चिन्हित एक्सपोजर प्रतिभूतित हानियां		निरंक
(एफ) एक वर्ष के भीतर आस्तियों की राशि को प्रतिभूतित किए जाने की मंशा.		निरंक
(जी) उपर्युक्त (एफ), में से प्रतिभूतिकरण के पूर्व एक वर्ष के भीतर सृजित की गई आस्तियों की राशि		निरंक
(एच) प्रतिभूतित एक्सपोजर (एक्सपोजर के प्रकार द्वारा) की कुल राशि तथा एक्सपोजर प्रकार द्वारा बिक्री पर गैर अभिचिन्हित लाभ या हानियां		निरंक
(i) निम्न की समेकित राशि :		निरंक
- रोके गए अथवा खंडित स्वरूप में क्रय किए गए, तुलन पत्र प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर, एवं-		निरंक
- एक्सपोजर टाइप द्वारा विखंडित तुलन पत्र इतर प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर		निरंक
(j) रोकी गई अथवा क्रय की गई तथा सहायक पूंजी प्रभागों के बीच विभाजित किया गया और प्रत्येक विनियामक पूंजी दृष्टिकोण के लिए विभिन्न जोखिम भारिता समूहों में विभाजित, ऐसी प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की समेकित राशि.		निरंक
ऐसे एक्सपोजर, जिन्हें टियर ख पूंजी से पूर्णतः घटाया गया है, कुल पूंजी से वृद्धिगत ऋण आई/ओ को घटाया गया तथा कुल पूंजी के अन्य एक्सपोजरों को घटाया गया (एक्सपोजर प्रकार द्वारा)		निरंक
परिमाणात्मक प्रकटीकरण		निरंक
ट्रेडिंग बही :		निरंक
(के) बैंक द्वारा प्रतिभूतित समेकित एक्सपोजर राशि, जिसके लिए बैंक ने कुछ एक्सपोजर रोके रखे हैं एवं जो एक्सपोजर टाइप द्वारा बाजार जोखिम दृष्टिकोण के अधीन हैं,		निरंक
(l) निम्न की समग्र राशि :		निरंक
- रोके गए अथवा खंडित स्वरूप में क्रय किए प्रकार के, तुलन पत्र प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर, एवं		निरंक
- एक्सपोजर टाइप द्वारा विखंडित तुलन पत्र इतर प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर		निरंक
(एम) निम्न के लिए पृथक से रोके अथवा क्रय किए गए प्रतिभूतिकरण की कुल राशि :		
विशिष्ट जोखिम के लिए व्यापक जोखिम उपाय के अधीन रोके अथवा क्रय किए गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर तथा :		
- विभिन्न जोखिमों के विभिन्न भारत समूहों में विखंडित प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर		
(एन) निम्न की समग्र राशि :		
- विभिन्न जोखिम भारत समूहों में विखंडित प्रतिभूतिकरण ढांचे के अधीन प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के लिए अपेक्षित पूंजी		
- ऐसे एक्सपोजर, जिन्हें टियर ख पूंजी से पूर्णतः घटाया गया है, कुल पूंजी से वृद्धिगत ऋण आई /ओ को घटाया गया तथा कुल पूंजी के अन्य एक्सपोजरों से घटाया गया(एक्सपोजर प्रकार द्वारा)		



तालिका डीएफ-8 ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक के पास सुस्पष्ट निवेश एवं बाजार जोखिम प्रबंधन नीति है। जो बाजार जोखिम प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करती है।

बैंक, बाजार जोखिम को व्यापार-प्रक्रिया में गतिविधियों विशेष रूप से, ब्याज दरों में परिवर्तन, विनिमय दरों तथा इक्विटी एवं पण्य मूल्यों में परिवर्तन से तुलन पत्र तथा तुलनपत्र बाह्य स्थितियों में हानि होने की जोखिम के रूप में परिभाषित करता है।

बाजार जोखिम के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पूंजी की आवश्यकता के मापन हेतु बैंक ने मानक अवधि दृष्टिकोण को अपनाया है।

बाजार जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियां:

बैंक ने बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश एवं बाजार जोखिम प्रबंधन नीति लागू की है., जो बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए उपयोगी है, आस्ति-देयता प्रबंधन नीति एवं विदेशी विनिमय परिचालन नीति, ऐसी अन्य नीतियां है जो बाजार जोखिम प्रबंधन से संबंधित है।

नीतियों में विभिन्न विवेकसम्मत एक्सपोजर सीमा निर्धारित की गई है, जो यह सुनिश्चित करती है कि समुचित बाजार जोखिम प्रबंधन एवं आस्ति देयता प्रबंधन के जरिए बाजार जोखिम के समक्ष बैंक को अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त करने के लिए परिचालन यथास्थिति में है।

आस्ति-देयताएं प्रबंधन :

एएलएम नीति, एएलएम प्रक्रिया की एक रूपरेखा है। बैंक के तुलनपत्र में वित्तीय जोखिम के विभिन्न स्तरों के एक्सपोजर का मिश्रण है। बैंक का लक्ष्य अपनी लाभप्रदता को अधिकतम करना है, परन्तु इसे इस तरीके से किया गया, जिससे बैंक को जोखिम के उन अत्यधिक स्तरों का सामना न करना पड़े, जो अन्ततोगत्वा लाभप्रदता पर प्रभाव डालते हैं। यह नीति, जोखिम सीमा के प्रमुख उपायों के लिए, उन सीमाओं को परिभाषित करती है, जो विशेष रूप से बैंक की एकमेव शेषराशि जटिलता, नीतिगत दिशा तथा जोखिम प्रवृत्ति के समायोजन के लिए बनाई गई है।

तरलता जोखिम:

तरलता जोखिम का प्रबंध आस्तियों तथा देयताओं की अवशिष्ट परिपक्वता /स्थिति पर आधारित अंतर विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। बैंक के पास अल्पावधि गतिशील तरलता प्रबंधन तथा आकस्मिक निधि व्यवस्था योजना प्रणाली मौजूद है। बैंक की कुशल आस्ति देयता प्रबंधन तरलता प्रोफाइल हेतु विभिन्न अवशिष्ट परिपक्वता निर्धारण अवधि के लिए विवेकसम्मत सीमाएं निर्धारित की गई है। इन्हें विभिन्न तरलता अनुपातों के माध्यम से भी बैंक की तरलता प्रोफाइल की जांच की जाती है।

ब्याज दर जोखिम :

ब्याज दर जोखिम का प्रबंध दर-संवेदी आस्तियों एवं देयताओं के अंतर विश्लेषण से किया जाता है एवं विवेकसम्मत सीमाओं के द्वारा इनकी निगरानी की जाती है। इक्विटी के आर्थिक मूल्य एवं शुद्ध ब्याज आय पर प्रभाव के मूल्यांकन हेतु ब्याज दर में विपरित परिवर्तन के सापेक्ष भी बैंक जोखिम का आवधिक प्राकलन करता है

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

बाजार जोखिम हेतु पूंजी की आवश्यकता	पूंजी प्रभार
ब्याज दर जोखिम	₹ 946 करोड़
इक्विटी का स्थिति- जोखिम	₹ 617 करोड़
विदेशी मुद्रा का जोखिम	₹ 4 करोड़
योग	₹ 1567 करोड़



तालिका डीएफ 9

परिचालन जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

परिचालन जोखिम, हानियों से संबंधित जोखिम है, जो बाहरी घटनाओं से अथवा आंतरिक प्रक्रिया, व्यक्तियों तथा प्रणालियों की विफलता अथवा अपर्याप्तता से प्रकट होती है. परिचालन जोखिम में विधि जोखिम शामिल होता है, परंतु इसमें नीतिगत एवं प्रतिष्ठा जोखिम शामिल नहीं होते. बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन के बारे में मार्गदर्शन देने के लिए सुस्पष्ट परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति उपलब्ध है, जिसकी प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाती है. बैंक ने परिचालन जोखिम के तहत समुन्नत दशा में पहुंचने के लिए अपने आप को सक्षम बनाने हेतु अनुकूल सकारात्मक कदम उठाए हैं तथा हानि आंकड़ा प्रबंधन, जोखिम एवं नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए), प्रमुख जोखिम संकेतकों (केआरआई) एवं परिस्थितियों के विश्लेषण के माध्यम से परिचालन जोखिम हानि की घटनाओं से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण करना प्रारंभ कर दिया है. बैंक बाह्य हानि डाटा आधार के लिए हानि डाटा कंसोर्टियम कोरडेक्स का सदस्य भी है.

बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण को अपनाने के लिए पहले से ही आरबीआई से संपर्क साधा हुआ है और एडवांस मेजरमेंट एप्रोच अपनाने के लिए सीधे प्रयासरत है.

बैंक ने मूल संकेतक संकल्पना के अनुसार परिचालन जोखिम हेतु पूंजी उपलब्ध कराई है. तदनुसार, दिनांक 31.03.2015 को परिचालन जोखिम के लिए ₹. 1095 करोड़ की पूंजी की आवश्यकता है.

तालिका डीएफ -10

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण

ब्याज दर जोखिम का मापन एवं निगरानी करने की दो पद्धतियां हैं:

1. जोखिम पर आय (परम्परागत अंतर विश्लेषण):

इस पद्धति के अंतर्गत शुद्ध ब्याज आय पर ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है और यील्ड कर्व पद्धति से इसकी गणना की जाती है. इस पद्धति के अंतर्गत 1% का समानान्तर अंतरण, आस्तियों एवं देयताओं दोनों में ही मान लिया जाता है.

2. इक्विटी का आर्थिक मूल्य:

इक्विटी की संशोधित अवधि प्राप्त करने के लिए आस्तियों एवं देयताओं की संशोधित अवधि का अलग से परिकलन किया जाता है. इक्विटी के आर्थिक मूल्य की गणना के लिए यील्ड कर्व में 200 बेसिस पाइंट का समानान्तर अंतरण मान लिया जाता है.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

परिवर्तन के पैरामीटर	₹ करोड़ में
1. समग्र आस्ति एवं देयता की ब्याज दर में 100 बीपीएस की वृद्धि पर आय पर प्रभाव	471
2. इक्विटी का बाजार मूल्य : 200 बीपीएस का परिवर्तन	-1619

डॉ. एस.के. मिश्रा

उप महाप्रबंधक

आर.सी. लोढ़ा
कार्यपालक निदेशक

बी.के. दिवाकर
कार्यपालक निदेशक

आर.के.गोयल
कार्यपालक निदेशक

प्रदीप कुमार

महाप्रबंधक

राजीव ऋषि
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 29.05.2015



दिनांक 31.03.2015को पिलर 3 (बासल III) प्रकटीकरण

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

तालिका डीएफ-1 : प्रयोज्य क्षेत्र

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण :

इस शीट में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एकल आधार में प्रकटीकरण है.

समेकित खातों (वार्षिकतः प्रकट) में बैंक की अनुषंगी/ सहयोगी संस्थाएं निम्नानुसार है:

ए. समेकन में शामिल समूह निकायों की सूची

निकाय का नाम/ निगमन का देश	क्या निकाय को समेकन के लेखांकन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है. (हां/नहीं)	समेकन की विधि बताएं	क्या निकाय समेकन के नियामक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की विधि बताएं	समेकन की विधियों में अंतर के कारणों को स्पष्ट करें	कारण बताएं यदि समेकन के क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र के अंतर्गत समेकन किया गया है.
सेन्ट बैंक होम फायनेंस लि./भारत	हां	अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियों का ए एस -21 के अनुसार समेकन	नहीं	ला.न.	ला.न.	पूंजी से निवेशों की कटौती
सेन्ट बैंक फाईनेंशियल सर्विसेज लि. / भारत	हां	अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियों का ए एस -21 के अनुसार समेकन	नहीं	ला.न.	ला.न.	पूंजी से निवेशों की कटौती
सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्राबैं/भारत	हां	अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियों का ए एस -23 के अनुसार समेकन	नहीं	ला.न.	ला.न.	जोखिम भारित आस्तियां
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर/भारत	हां	अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियों का ए एस -23 के अनुसार समेकन	नहीं	ला.न.	ला.न.	जोखिम भारित आस्तियां
उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूचबिहार/ भारत	हां	अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियों का ए एस -23 के अनुसार समेकन	नहीं	ला.न.	ला.न.	जोखिम भारित आस्तियां
इन्डो-जाम्बिया बैंक लिमिटेड/ जाम्बिया	हां	अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियों का ए एस -23 के अनुसार समेकन	नहीं	ला.न.	ला.न.	जोखिम भारित आस्तियां

बी. समेकन की लेखांकन एवं नियामक दोनों ही क्षेत्र के अंतर्गत समेकन हेतु स्वीकार न किए गए समूह निकायों की सूची

निकाय का नाम/ निगमन का देश	निकाय की मूल गतिविधि	तुलनपत्र की कुल इक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का %	निकाय के पूंजी साधनों में बैंक के निवेशों का नियमन	तुलन पत्र की कुल आस्तियां (विधिक निकाय के लेखांकन तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार)
ऐसा कोई निकाय नहीं					



(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण :

सी. समेकन हेतु स्वीकार की गई समूह इकाइयों की सूची

निकाय का नाम/ निगमन का देश (उक्त (i) ए.में दर्शाए अनुसार)	निकाय की मूल गतिविधि	तुलनपत्र की कुल इक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार) ₹. मिलियन में	तुलन पत्र की कुल आस्तियां (विधिक निकाय के लेखांकन तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार) ₹. मिलियन में
सेन्ट बैंक होम फायनेंस लि./भारत	कंपनी का प्रमुख उद्देश्य आवास ऋण प्रदान करना है.	250	8497
सेन्ट बैंक फाईनेंशियल सर्विसेज लि. / भारत	कॉर्पोरेट ग्राहकों को निवेश बैंकिंग उत्पाद/सेवाएं प्रदान करना है.	50	468
सेन्ट्रल मध्य प्रदेश ग्राबैं/भारत	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2475	71700
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर/भारत	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	4545	164161
उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूचबिहार/ भारत	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1028	24383

डी. सभी अनुषंगियों में पूंजी की कमी की कुल राशि, जो समेकन में शामिल नहीं है अर्थात् जो घटाई गई है तथा ऐसी अनुषंगियों के नाम : निरंक

ई. बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हिस्से की समग्र राशि (उदाहरणार्थ वर्तमान बही मूल्य), जो जोखिम-भारिता वाले है:निरंक

एफ. बैंकिंग समूह के भीतर निधियों के अंतर या नियामक पूंजी पर कोई प्रतिबंध या रूकावट: निरंक

तालिका -2: पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण:

(ए) वर्तमान तथा भावी गतिविधियों को संचालित करने के लिए बैंक की पूंजी पर्याप्तता के निर्धारण हेतु बैंक के दृष्टिकोण की चर्चा का सारांश:

पूंजी जोखिम आधारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) को वांछित स्तर पर बनाए रखने के लिए बैंक नियमित रूप से समय-समय पर पूंजी की आवश्यकता का मूल्यांकन करता है. व्यवसाय वृद्धि तथा सीआरएआर को ध्यान में रख कर पूंजी आयोजना की समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है.

बैंक ने ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, परिचालन जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण तथा बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण अपनाया.

बैंक के पास आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया है जो बैंक को उसके व्यवसाय प्रक्षेपण के संबंध में आने वाली पूंजी आवश्यकताओं की योजना के लिए तथा व्यवसाय में निहित जोखिमों से निपटने के लिए सक्षम बनाती है. आईसीएएपी प्रयास का प्रमुख उद्देश्य है उन जोखिमों की पहचान तथा निर्धारण करना जो पिलर I में विनिर्दिष्ट न्यूनतम पूंजी अनुपात के अंतर्गत पूरी तरह से पकड़ में न आएँ, ऐसे जोखिम जो पिलर के तहत बिल्कुल ध्यान में न ली गई तथा जो बैंक के बाहरी घटक हो तथा इस प्रकार के अतिरिक्त जोखिमों के लिए पूंजी का प्रावधान करना तथा बैंक के जोखिम प्रोफाइल के संबंध में आंतरिक पूंजी के उपयुक्त स्तर को मापना. बैंक ने पिलर II के अंतर्गत अपने सीआरएआर पर प्रतिकूल दबाव के प्रभाव को मापने के लिए स्ट्रेस परीक्षण नीति लागू की है.

बैंक आईसीएएपी की समीक्षा तिमाही आधार पर कर रहा है.



बैंक ने जोखिम भारत आस्तियों की गणना के लिए नवीनतम दृष्टिकोण की ओर जाने हेतु पहल की है, बैंक इस हेतु सॉफ्टवेयर क्षमता को प्राप्त करने की प्रक्रिया में है.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण	
(बी) ऋण जोखिम के लिए पूंजी-आवश्यकताएं :	
मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो @9%	Rs. 151845 मिलियन
प्रतिभूति एक्सपोजर	निरंक
(सी) बाजार जोखिम के लिए पूंजी-आवश्यकताएं:	
• मानकीकृत आवधिक दृष्टिकोण:	
- ब्याज दर जोखिम	Rs. 9576 मिलियन
- विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित)	Rs. 41 मिलियन
- इक्विटी जोखिम	Rs. 6170 मिलियन
(डी) परिचालन जोखिम के लिए पूंजी-आवश्यकताएं:	
• मूल संकेतक दृष्टिकोण	Rs. 10954 मिलियन
(ई) सामान्य इक्विटी टियर 1, टियर 1 एवं कुल पूंजी अनुपात	
• सामान्य इक्विटी टियर 1	7.86%
• टियर 1	8.05%
• कुल पूंजी अनुपात	10.90%

सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण की आवश्यकता

निदेशक मंडल की एक समिति बैंक के विविध जोखिम के अंतर्गत जोखिम प्रबंधन नीतियों/ कार्यप्रणाली का नियमित रूप से अवलोकन करती है जैसे ऋण, परिचालन, बाजार आदि, बैंक ने प्रत्येक जोखिम के समझौते के लिए शीर्ष प्रबंधन की जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ कार्यपालक समिति निदेशक को टीम में शामिल करते हुए अलग समिति का गठन किया है, जैसे आस्तियां देयता प्रबंधन समिति, ऋण नीति समिति, परिचालन जोखिम समिति. इन समितियों द्वारा विभिन्न बैंकिंग परिचालन के अंतर्गत जोखिम स्तर का निर्धारण तथा मॉनिटरिंग करने हेतु पूरे वर्ष नियमित बैठकें की जाती हैं तथा जहां आवश्यक हो, वहां जोखिम कम करने हेतु उचित उपाय किए जाते हैं.

केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर जोखिम प्रबंधन विभाग के शीर्षस्थ महाप्रबंधक हैं, जो कि बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदंड नियंत्रण तथा जोखिम की सीमा के अंदर प्रबंध कराना है तथा विविध समितियों द्वारा निर्धारित जोखिम पैरामीटर के साथ अनुपालन कराते हैं. महाप्रबंधक को सहायक महाप्रबंधक, मुख्य प्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक एवं प्रबंधकों की टीम के साथ उप महाप्रबंधक द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है.

आंचलिक कार्यालय स्तर पर ये अभिनिर्धारित जोखिम प्रबंधक, केन्द्रीय कार्यालय के जोखिम प्रबंधन विभाग की विस्तारित भुजाओं के रूप में कार्य करेंगे. कुछ क्षेत्रीय कार्यालय स्तरों के अधिकारी भी जोखिम प्रबंधकों के तौर पर चिन्हित किए हैं.

बैंक में विविध नीतियां हैं जैसे ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियां, ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति, समंजित जोखिम प्रबंधन नीति, स्ट्रेस टेस्ट नीति, प्रकटीकरण नीति, अंतर्समूह लेनदेन एवं विस्तार नीति, परिचालन जोखिम नीति, एएलएम नीति तथा निवेश एवं बाजार जोखिम नीति.

इसके अलावा, ऋण नीति शासी ऋण कार्य-पद्धति के बृहद मापदंड, ऋण प्रस्तावों के मूल्यांकन एवं मूल्यमापन, प्रत्यायोजित प्राधिकारी के ऋण अधिकारों, प्रकटीकरण मानदंड, विवेकपूर्ण सीमाएं तथा ऋण पोर्टफोलियो दस्तावेजीकरण की निगरानी एवं नियंत्रण पर दिशानिर्देश भी सुव्यवस्थित हैं.

ऋण मॉनिटरिंग विभाग के प्रमुख महाप्रबंधक हैं, जो ऋण प्रस्तावों की गुणवत्ता, विशेष उल्लिखित खतों की पहचान एवं उनके सुधारक उपाय को मॉनिटर करेंगे. ऋण प्रस्ताव की समीक्षा भी विभाग द्वारा की जाएगी.

बैंक ने खुदरा ऋण प्रणाली के साथ उधारग्रहिताओं के विविध खंडों के लिए रेटिंग मॉडल की शुरुआत की है, जो कि काउंटर ग्राहक के साथ जोखिम की जांच करती है तथा ऋण एवं मूल्य निर्धारण में मदद करती है. बड़े ऋणी के मामले में ऋण जोखिम मूल्यांकन मॉडल काउंटर ग्राहक के वित्तीय जोखिम, उद्योग जोखिम, प्रबंधन जोखिम तथा व्यवसाय जोखिम का मूल्यांकन करती है तथा प्रत्येक ऐसे जोखिम का पृथक रूप से मूल्यांकन करती है तथा फिर समग्र रेटिंग, काउंटर पार्टी को प्रदान की जाती है. सुविधा रेटिंग मॉड्यूल भी रेटिंग टूल में ही शामिल है.



तालिका डीएफ 3

ऋण जोखिम: सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

ऋण जोखिम

गत देय तथा अनर्जक की परिभाषाएं

अनर्जक आस्तियां वह हैं जहां ऋण या अग्रिम-

- (i) मियादी ऋण के संबंध में 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए ब्याज और/या मूलधन की किस्त बकाया रहे;
- (ii) 90 दिनों के लिए खाता अनियमित रहे,
- (iii) खरीदे गए तथा भुनाए गए बिलों के मामले में यदि बिल 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहता हो,
- (iv) कृषि के उद्देश्य से स्वीकृत अग्रिम के मामले में
 - ए) अल्पावधि फसल के मामले में मूलधन की किस्त या ब्याज दो फसल मौसम तक अतिदेय रहती हो,
 - बी) दीर्घावधि फसल के मामले में मूलधन की किस्त या ब्याज एक फसल मौसम तक अतिदेय रहती हो.
- (v) दिनांक 1 फरवरी 2006 के प्रतिभूतिकरण पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए प्रतिभूतिकरण लेनदेन के संबंध में तरलता सुविधा की राशि 90 दिन से अधिक के लिए बकाया रहेगी.
- (vi) डेरिवेटिव परिचालन के संबंध में अतिदेय प्राप्तियां डेरिवेटिव संविदा के सकारात्मक दैनिक बाजार मूल्य को व्यक्त कर रही हैं यदि ये भुगतान की निर्धारित तय तिथि से 90 दिनों की अवधि तक अदत्त रहती हैं.

अनियमित:

कोई खाता तब 'अनियमित' दर्शाया जाता है, जब बकाया शेष लगातार स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से अधिक हो, यदि मूल परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा, आहरण शक्ति से अधिक हो, यदि मूल परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा, आहरण शक्ति से कम हो, परंतु तुलन-पत्र की तिथि को लगातार 90 दिनों तक कोई जमा नहीं हो या इस अवधि में नामे ब्याज को कवर करने योग्य पर्याप्त जमा न हो.

अतिदेय:

किसी भी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई भी राशि अतिदेय कहलाएगी, यदि वह बैंक द्वारा निर्धारित देय तिथि को अदा नहीं की जाती है.

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक सुस्पष्ट ऋण जोखिम नीति को अपनाया है, जिसकी वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है. यह नीति निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य करती है:

- ऋण जोखिम निर्धारण, नीति एवं कार्यनीति
- जोखिम पहचान तथा मापन,
- जोखिम श्रेणीकरण तथा समेकीकरण,
- ऋण जोखिम रेटिंग, रूपरेखा तथा रिपोर्टिंग
- जोखिम नियंत्रण तथा पोर्टफोलियो प्रबंधन,
- न्यूनीकरण तकनीक,
- लक्ष्य बाजार तथा आर्थिक गतिविधियों के प्रकार,
- ऋण अनुमोदन प्राधिकारी,
- किसी देश में किसी बैंक का ऋण एवं मुद्रा,
- परिपक्वता का स्वरूप, विविधीकरण का स्तर,



- अर्थव्यवस्था का चक्रीय पहलू,
- ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर में ऋण जोखिम,
- ऋण जोखिम निगरानी प्रक्रियाएं
- अंतर बैंक एक्सपोजर में ऋण जोखिम प्रबंधन,
- किसी देश में किसी बैंक के ऋण तथा परिचालन सम्बंधी मामले.

(₹. मिलियन में)

परिमाणात्मक प्रकटीकरण:		
(ए) कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर:		
निधि आधारित:		2891245
गैर-निधि आधारित:		328815
बी) एक्सपोजर का भौगोलिक संवितरण:		
• विदेशी		1909
• घरेलू		3218151

(सी)

उद्योग का नाम	निधि	गैर-निधि
ए. खनन एवं उत्खनन (ए.1 + ए.2)	4376	659
ए.1 कोयला	2561	659
ए.2 अन्य	1815	0
बी. खाद्य प्रसंस्करण (बी1 से बी5 तक)	71595	14750
बी.1 चीनी	31855	1150
बी.2 वनस्पति तेल एवं वनस्पति	9692	3562
बी.3 चाय	2993	27
बी.4 कॉफी	242	0
बी.5 अन्य	26813	10011
सी. पेय (चाय एवं कॉफी के अतिरिक्त) एवं तम्बाकू	578	312
जिसमें से तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद	118	19
डी. टेक्सटाईल (ए से एफ तक)	75113	11182
ए. सूती	25613	2692
बी. जूट	1653	130
सी. हस्तशिल्प/खादी (गैर-प्राथमिकता)	194	0
डी. सिल्क	443	0
ई. ऊनी कपड़ा	1109	287
एफ. अन्य	46102	8073
डी में से (अर्थात्, कुल कपड़ा) कताई मिल को	2992	219
ई. चमड़ा एवं चमड़े के उत्पाद	1061	264
एफ. लकड़ी एवं लकड़ी के उत्पाद	1895	887
जी. कागज एवं कागज के उत्पाद	6992	1912
एच. पेट्रोलियम (गैर-इन्फ्रा), कोयला उत्पाद (गैर-खनन) एवं न्यूक्लियर ईंधन	14318	1256



आई. रसायन एवं रसायन उत्पाद (डाई, पेंट इत्यादि) (आई1 से आई4 तक)	38748	11222
आई.1 उर्वरक	13725	15
आई.2 ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स	17999	4528
आई.3 पेट्रो कैमीकल्स (बुनियादी संरचना के अंतर्गत)	2628	1414
आई.4 अन्य	4395	5264
जे.रबर प्लास्टिक एवं उसके उत्पाद	3792	1089
के.कांच एवं कांच के सामान	388	0
एल. सीमेंट एवं सीमेंट के उत्पाद	18322	2385
एम. मूल धातु एवं धातु के उत्पाद (एम.1 + एम.2)	108430	23556
एम.1 लोहा एवं स्टील	87722	15428
एम.2 अन्य धातु एवं धातु	20708	8128
एन. सभी अभियांत्रिकी (एन.1 + एन.2)	42392	57217
एन.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	5916	4614
एन.2 अन्य	36476	52603
ओ. वाहन, वाहक पार्ट एवं परिवहन उपस्कर	12880	6484
पी. रत्न एवं आभूषण परिवहन उपस्कर	15011	4032
क्यू. निर्माण	50015	10631
आर. बुनियादी संरचना (ए से डी तक)	526178	52376
ए. परिवहन (ए.1 से ए.5 तक)	102751	12729
ए.1 रेलवे	7357	1050
ए.2 रोडवेज	72385	10727
ए.3 विमानन	12219	352
ए.4 जलमार्ग	10790	600
ए.5 अन्य	0	0
बी. ऊर्जा(बी1 से बी6 तक)	367463	26523
बी.1 विद्युत (उत्पादन)	133084	23218
बी.1.1 केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	7647	1340
बी.1.2 राज्य सरकार के उपक्रम (एसईबी सहित)	14934	2617
बी.1.3 निजी क्षेत्र	110504	19261
बी.2 विद्युत (परिचालन)	7152	0
बी.2.1 केन्द्र सरकार के उपक्रम	0	0
बी.2.2 राज्य सरकार के उपक्रम (एसईबी सहित)	2253	0
बी.2.3 निजी क्षेत्र	4899	0
बी.3 विद्युत (वितरण)	218556	2830
बी.3.1 केन्द्र सरकार के उपक्रम	11764	152
बी.3.2 राज्य सरकार के उपक्रम (एसईबी सहित)	200532	2597
बी.3.3 निजी क्षेत्र	6260	81
बी.4 तेल (भंडारण एवं पाइप लाईन)	3803	155
बी.5 गैस/एलएनजी (भंडारण एवं पाइप लाईन)	4868	321
बी.6 अन्य	0	0
सी. दूरसंचार	30365	11720



डी. अन्य	25598	1404
जिसमें से पानी स्वच्छता	5262	288
जिसमें से सामाजिक एवं व्यावसायिक बुनियादी संरचना	17103	938
एस. अन्य उद्योग	206159	36931
सभी उद्योग (ए से एस तक)	1198242	237143
अवशिष्ट अन्य अग्रिम (कुल अग्रिम से मिलान के लिए)	998600	66089
ए. शैक्षिक ऋण	30119	0
बी. विमानन क्षेत्र	24088	3212
सी. अन्य अवशिष्ट अग्रिम	944393	62877
कुल ऋण एवं अग्रिम	2196842	303232

कुल एक्सपोजर के 5% से अधिक वाले एक्सपोजर

	वित्त पोषित	गैर वित्त पोषित
मूल धातु और धातु उत्पाद	108430	23556
बुनियादी संरचना	526178	52376
अन्य उद्योग	206159	36931

(डी) आस्तियों का अवशिष्ट संविदात्मक परिपक्वता संबंधी विश्लेषण :

1 दिन :	52665
02 दिनों से 07 दिनों तक:	25171
08 दिनों से 14 दिनों तक:	16964
15 दिनों से 28 दिनों तक:	6572
29 दिनों से 3 महीनों तक:	150484
3 महीनों से अधिक, परंतु 6 महीनों तक:	70468
6 महीनों से अधिक, परंतु 12 महीनों तक:	128293
12 महीनों से अधिक, परंतु 36 महीनों तक:	955674
36 महीनों से अधिक, परंतु 60 महीनों तक:	462118
60 महीनों से अधिक :	972597
कुल	2841007

(ई) अनर्जक आस्तियों की राशि (सकल)	
• अवमानक	118730
• संदिग्ध 1	47730
• संदिग्ध 2	28140
• संदिग्ध 3	35550
• हानि	5050
	2260
(एफ) निवल अनर्जक आस्तियां	68070
(जी) अनर्जक आस्तियों का अनुपात	
• सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियां	6.09%
• निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां	3.61%



(एच) अनर्जक आस्तियों (सकल)में संचलन	
• प्रारम्भिक शेष	115000
• परिवर्धन	65790
• कमियां	62060
• अनर्जक आस्तियां (सकल)	118730
(आई) अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों (शुद्ध)में परिवर्तन	
• प्रारम्भिक शेष	44540
• अवधि के दौरान किया गया प्रावधान	20620
• बढ़ा खाता	-
• अपलिखित अतिरिक्त प्रावधान	17230
• इति शेष	47930
(जे) अनर्जक निवेश की राशि	3046
(के) अनर्जक निवेश के लिए धारित प्रावधान की राशि	1133
(एल) निवेश पर प्रावधान/मूल्यहास में परिवर्तन:	
• प्रारम्भिक शेष	918
• इस अवधि के दौरान किया गया प्रावधान	223
• बढ़ा खाता	
• अपलिखित अतिरिक्त प्रावधान	8
• इति शेष	1133

तालिका डीएफ - 4

ऋण जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो के लिये प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

- (ए) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार ऋण जोखिम के लिये पूंजी प्रभार की गणना हेतु बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण को अपनाया है, ये दिशानिर्देश विभिन्न आस्ति वर्गीकरण के लिये अलग-अलग जोखिम भारिता प्रदान करते हैं, जिन्हें विधिवत रूप से लागू किया गया है।
- (बी) बैंक ने छःबाह्य ऋण रेटिंग एजेन्सियों यथा, क्रिसिल लि. केयर, इक्रा लि., इंडिया रेटिंग एवं रिसर्च प्रा.लि.समेरा एवं ब्रिकवर्क को अपने ग्राहकों के ऋणों को रेटिंग हेतु अभिचिन्हित किया है।
- सी) ये एजेन्सियां सभी निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित एक्सपोजर की रेटिंग करती हैं, इन एजेन्सियों द्वारा बैंक के ग्राहकों को प्रदत्त रेटिंग, जोखिम भारिता निर्धारित करने के लिये स्वीकार की जाती हैं।
- (डी) कॉर्पोरेट के किसी विशिष्ट निर्गमों में बैंक के निवेश के मामले में, रेटिंग एजेंसी की निर्गम विशिष्ट रेटिंग को भारिता की गणना में लिया जाएगा।

₹ मिलियन में

परिमाणात्मक प्रकटीकरण:

(बी) मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम न्यूनीकरण के पश्चात एक्सपोजर राशि के लिये, बैंक की बकाया (श्रेणीकृत तथा अश्रेणीकृत) राशि तथा वे, जिनमें कटौती की जाती है, निम्न तीन जोखिम श्रेणियों में निम्नवत है:	
• 100 % जोखिम भारिता से कम:	1989061
• 100 % जोखिम भारिता	766530
• 100 % जोखिम भारिता से अधिक	464469
• घटाई गई राशि - सीआरएम	138003



तालिका डीएफ-5

ऋण जोखिम न्यूनीकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण 1 के लिये प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

- संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंधन के लिये नीतियां एवं प्रक्रियायें;
बैंक के पास सुपरिभाषित ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति है, नकदी तथा नकदीतुल्य प्रतिभूतियां, भूमि एवं भवन तथा संयंत्र एवं मशीनरी इत्यादि बैंक द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख संपार्श्विक हैं।
- बैंक द्वारा ली जाने वाली प्रमुख संपार्श्विक का विवरण;
- बैंक द्वारा, व्यक्तिगत गारंटियां, कॉर्पोरेट गारंटियां तथा शासन एवं बैंकों द्वारा जारी गारंटियां स्वीकार की जाती हैं। नीति दिशानिर्देशों के अनुसार, संपार्श्विक प्रतिभूतियों का मूल्यांकन नियमित अंतराल में उचित बाजार मूल्य पर किया जाता है।
भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश, ऋण जोखिम न्यूनीकरण के प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार वित्तीय संपार्श्विक का अभिनिर्धारण करते हैं, साथ ही, ये दिशानिर्देश गारंटी को एक ऋण जोखिम न्यूनीकरण के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं इस प्रकार के तत्वों का पता लगाने के लिये बैंक ने उचित नीतिगत उपाय किये हैं।

₹ मिलियन में

परिमाणात्मक प्रकटीकरण:	
(बी) मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम पोर्टफोलियो के अंतर्गत प्रकटीकरण के लिये, कुल एक्सपोजर कवर किया गया है:	
• हेयरकट्स अनुप्रयोग के बाद; पात्र वित्तीय संपार्श्विक- निधि आधारित	132852
गैर-निधि आधारित	5151

तालिका डीएफ -6

प्रतिभूतिकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिये प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

निरंक

₹ मिलियन में

परिमाणात्मक प्रकटीकरण:	
बैंकिंग बही	
(डी) बैंक द्वारा प्रतिभूतित एक्सपोजर की कुल राशि.	निरंक
(ई) एक्सपोजर प्रकृति द्वारा विखंडित वर्तमान अवधि, (अर्थात् क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, ऑटो ऋण इत्यादि अंतर्निहित प्रतिभूति) में चिह्नित एक्सपोजर प्रतिभूतित हानियां	निरंक
(एफ) एक वर्ष के भीतर आस्तियों की राशि को प्रतिभूतित किए जाने की मंशा.	निरंक
(जी) उपर्युक्त (एफ), में से प्रतिभूतिकरण के पूर्व एक वर्ष के भीतर सृजित की गई आस्तियों की राशि	निरंक
(एच) प्रतिभूतित एक्सपोजर (एक्सपोजर के प्रकार द्वारा) की कुल राशि तथा एक्सपोजर प्रकार द्वारा बिक्री पर गैर अभिचिह्नित लाभ या हानियां	निरंक
(आई) निम्न की समेकित राशि :	निरंक
- रोके गए अथवा खंडित स्वरूप में क्रय किए गए, तुलन पत्र प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर, एवं-	निरंक
- एक्सपोजर टाइप द्वारा विखंडित तुलन पत्र इतर प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	निरंक
(जे) रोकी गई अथवा क्रय की गई तथा सहायक पूंजी प्रभागों के बीच विभाजित किया गया और प्रत्येक विनियामक पूंजी दृष्टिकोण के लिए विभिन्न जोखिम भारिता समूहों में विभाजित, ऐसी प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की समेकित राशि.	निरंक
ऐसे एक्सपोजर, जिन्हें टियर I पूंजी से पूर्णतः घटाया गया है, कुल पूंजी से वृद्धिगत ऋण आई/ओ को घटाया गया तथा कुल पूंजी के अन्य एक्सपोजरों को घटाया गया (एक्सपोजर प्रकार द्वारा)	निरंक



परिमाणात्मक प्रकटीकरण	
ट्रेडिंग बही :	
(के) बैंक द्वारा प्रतिभूतित समेकित एक्सपोजर राशि, जिसके लिए बैंक ने कुछ एक्सपोजर रोके रखे हैं एवं जो एक्सपोजर टाइप द्वारा बाजार जोखिम दृष्टिकोण के अधीन हैं,	निरंक
(एल) निम्न की समग्र राशि :	निरंक
- रोके गए अथवा खंडित स्वरूप में क्रय किए प्रकार के, तुलन पत्र प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर, एवं	निरंक
- एक्सपोजर टाइप द्वारा विखंडित तुलन पत्र इतर प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	निरंक
(एम) निम्न के लिए पृथक से रोके अथवा क्रय किए गए प्रतिभूतिकरण की कुल राशि :	निरंक
- विशिष्ट जोखिम के लिए व्यापक जोखिम उपाय के अधीन रोके अथवा क्रय किए गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर तथा :	निरंक
- विभिन्न जोखिमों के विभिन्न भारत समूहों में विखंडित प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	निरंक
(एन) निम्न की समग्र राशि :	
- विभिन्न जोखिम भारत समूहों में विखंडित प्रतिभूतिकरण ढांचे के अधीन प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के लिए अपेक्षित पूंजी	
- ऐसे एक्सपोजर, जिन्हें टियर I पूंजी से पूर्णतः घटाया गया है, कुल पूंजी से वृद्धिगत ऋण आई /ओ को घटाया गया तथा कुल पूंजी के अन्य एक्सपोजरों से घटाया गया(एक्सपोजर प्रकार द्वारा)	

तालिका डीएफ -7

ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक के पास सुस्पष्ट निवेश एवं बाजार जोखिम प्रबंधन नीति है. जो बाजार जोखिम प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करती है.

बैंक, बाजार जोखिम को व्यापार-प्रक्रिया में गतिविधियों विशेष रूप से, ब्याज दरों में परिवर्तन, विनिमय दरों तथा इक्विटी एवं पण्य मूल्यों में परिवर्तन से तुलन पत्र तथा तुलनपत्र बाह्य स्थितियों में हानि होने की जोखिम के रूप में परिभाषित करता है.

बाजार जोखिम के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पूंजी की आवश्यकता के मापन हेतु बैंक ने मानक अवधि दृष्टिकोण को अपनाया है.

बाजार जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियां:

बैंक ने बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश एवं बाजार जोखिम प्रबंधन नीति लागू की है., जो बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए उपयोगी है, आस्ति-देयता प्रबंधन नीति एवं विदेशी विनिमय परिचालन नीति, ऐसी अन्य नीतियां है जो बाजार जोखिम प्रबंधन से संबंधित है.

नीतियों में विभिन्न विवेकसम्मत एक्सपोजर सीमा निर्धारित की गई है, जो यह सुनिश्चित करती है कि समुचित बाजार जोखिम प्रबंधन एवं आस्ति देयता प्रबंधन के जरिए बाजार जोखिम के समक्ष बैंक को अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त करने के लिए परिचालन यथास्थिति में है.

आस्ति-देयताएं प्रबंधन :

एएलएम नीति, एएलएम प्रक्रिया की एक रूपरेखा है. बैंक के तुलनपत्र में वित्तीय जोखिम के विभिन्न स्तरों के एक्सपोजर का मिश्रण है. बैंक का लक्ष्य अपनी लाभप्रदता को अधिकतम करना है, परन्तु इसे इस तरीके से किया गया, जिससे बैंक को जोखिम के उन अत्यधिक स्तरों का सामना न करना पड़े, जो अन्ततोगत्वा लाभप्रदता पर प्रभाव डालते हैं. यह नीति, जोखिम सीमा के प्रमुख उपायों के लिए, उन सीमाओं को परिभाषित करती है, जो विशेष रूप से बैंक की एकमेव शेषराशि जटिलता, नीतिगत दिशा तथा जोखिम प्रवृत्ति के समायोजन के लिए बनाई गई है.

तरलता जोखिम:

तरलता जोखिम का प्रबंध आस्तियों तथा देयताओं की अवशिष्ट परिपक्वता /स्थिति पर आधारित अंतर विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है. बैंक के पास अल्पावधि गतिशील तरलता प्रबंधन तथा आकस्मिक निधि व्यवस्था योजना प्रणाली मौजूद है. बैंक की कुशल आस्ति देयता प्रबंधन तरलता प्रोफाइल हेतु विभिन्न अवशिष्ट परिपक्वता निर्धारण अवधि के लिए विवेकसम्मत सीमाएं निर्धारित की गई है. इन्हें विभिन्न तरलता अनुपातों के माध्यम से भी बैंक की तरलता प्रोफाइल की जांच की जाती है.



ब्याज दर जोखिम :

ब्याज दर जोखिम का प्रबंध दर-संवेदी आस्तियों एवं देयताओं के अंतर विश्लेषण से किया जाता है एवं विवेकसम्मत सीमाओं के द्वारा इनकी निगरानी की जाती है. इक्विटी के आर्थिक मूल्य एवं शुद्ध ब्याज आय पर प्रभाव के मूल्यांकन हेतु ब्याज दर में विपरित परिवर्तन के सापेक्ष भी बैंक जोखिम का आवधिक प्राकलन करता है

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

बाजार जोखिम हेतु पूंजी की आवश्यकता	पूंजी प्रभार (₹ मिलियन में)
ब्याज दर का जोखिम	₹ 9576 मिलियन
इक्विटी का स्थिति- जोखिम	₹ 6170 मिलियन
विदेशी मुद्रा का जोखिम	₹ 41मिलियन
योग	15787

तालिका डीएफ-8

परिचालन जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

परिचालन जोखिम, हानियों से संबंधित जोखिम है, जो बाहरी घटनाओं से अथवा आंतरिक प्रक्रिया, व्यक्तियों तथा प्रणालियों की विफलता अथवा अपर्याप्तता से प्रकट होती है. परिचालन जोखिम में विधि जोखिम शामिल होता है, परंतु इसमें नीतिगत एवं प्रतिष्ठा जोखिम शामिल नहीं होते. बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन के बारे में मार्गदर्शन देने के लिए सुस्पष्ट परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति उपलब्ध है, जिसकी प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाती है. बैंक ने परिचालन जोखिम के तहत समुन्नत दशा में पहुंचने के लिए अपने आप को सक्षम बनाने हेतु अनुकूल सकारात्मक कदम उठाए हैं तथा हानि आंकड़ा प्रबंधन, जोखिम एवं नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए), प्रमुख जोखिम संकेतकों (केआरआई) एवं परिस्थितियों के विश्लेषण के माध्यम से परिचालन जोखिम हानि की घटनाओं से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण करना प्रारंभ कर दिया है. बैंक बाह्य हानि डाटा आधार के लिए हानि डाटा कंसोर्टियम “कोरडेक्स” का सदस्य भी है.

बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण को अपनाने के लिए पहले से ही आरबीआई से संपर्क साधा हुआ है और एडवांस मेजरमेंट एप्रोच अपनाने के लिए सीधे प्रयासरत है.

बैंक ने मूल संकेतक संकल्पना के अनुसार परिचालन जोखिम हेतु पूंजी उपलब्ध कराई है. तदनुसार, दिनांक 31.03.2015 को परिचालन जोखिम के लिए ₹. 10954.50 मिलियन की पूंजी की आवश्यकता है.

तालिका डीएफ -9

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण

ब्याज दर जोखिम का मापन एवं निगरानी करने की दो पद्धतियां हैं :

1. जोखिम पर आय (परम्परागत अंतर विश्लेषण)

इस पद्धति के अंतर्गत शुद्ध ब्याज आय पर ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है और यील्ड कर्व पद्धति से इसकी गणना की जाती है. इस पद्धति के अंतर्गत 1% का समानान्तर अंतरण, आस्तियों एवं देयताओं दोनों में ही मान लिया जाता है.

2. इक्विटी का आर्थिक मूल्य:

इक्विटी की संशोधित अवधि प्राप्त करने के लिए आस्तियों एवं देयताओं की संशोधित अवधि का अलग से परिकलन किया जाता है. इक्विटी के आर्थिक मूल्य की गणना के लिए यील्ड कर्व में 200 बेसिस पाइंट का समानान्तर अंतरण मान लिया जाता है.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

परिवर्तन के पैरामीटर	₹. मिलियन में
1. समग्र आस्ति एवं देयता की ब्याज दर में 100 बीपीएस की वृद्धि पर आय पर प्रभाव	4712
2. इक्विटी का बाजार मूल्य : 200 बीपीएस का परिवर्तन	-16195



तालिका डीएफ-10

प्रतिपक्षीय साख जोखिम से संबंधित ऋण के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण	(ए)	बैंक प्रतिपक्षीय ऋणों के लिए पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, आय उपार्जन, तरलता एवं प्रबंधन गुणवत्ता के आधार पर ऋणी सीमा का निर्धारण करता है. बैंक की निवेश एवं बाजार जोखिम प्रबंधन नीति अच्छी तरह से परिभाषित है. बैंक विविध डेरिवेटिव उत्पादों एवं ब्याज दर स्वाप में व्यवहार करता है. बैंक अपनी तुलन-पत्र मदों, साथ ही व्यवसाय उद्देश्य से बचाव-व्यवस्था हेतु डेरिवेटिव उत्पादों का प्रयोग करता है.			
मात्रात्मक प्रकटीकरण	(बी)			₹. मिलियन में	
				राशि	
		संविदा का सकल सकारात्मक मूल्य		770	
		शुद्ध लाभ		0	
		शुद्ध चालू साख ऋण		2654	
		संपार्श्विक प्रतिभूति		0	
		(सी)			₹. मिलियन में
			मद	काल्पनिक राशि	वर्तमान ऋण एक्सपोजर
	फारवर्ड विदेशी विनिमय संविदा		88007	2530	
	क्रास करेंसी ब्याज दरस्वाप सहित क्रास करेंसी स्वाप		5000	100	
		ब्याज दर संविदाएं	2750	24	

तालिका डीएफ-11: पूंजी का संयोजन

भाग II: दिनांक 31 मार्च, 2017 से पूर्व उपयोग किया जाने के लिए टेम्पलेट
(अर्थात् बासल III विनियामक समायोजनों की परिचालन अवधि के दौरान)

(₹ मिलियन में)

बासल III विनियामक समायोजनों के परिचालन के दौरान उपयोग किया जाने वाला सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट (अर्थात् दि. 1 अप्रैल, 2013 से 31 दिसम्बर, 2017 तक)		बासल III पूर्व के अधीन राशि	संदर्भ सं.
सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी : लिखत एवं प्रावधान			
1	प्रत्यक्ष निर्गमित अर्हक सामान्य शेयर पूंजी एवं संबंधित स्टॉक अधिशेष	16583	ए1
2	प्रतिधारित उपार्जन	2810	
3	संचित अन्य व्यापक उपार्जन (एवं अन्य प्रारक्षित निधि)	136822	
4	प्रत्यक्ष निर्गमित पूंजी जो सीईटी 1 से बाहर की गई (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों 1 हेतु लागू)	0	
दि.1 जनवरी, 2018 तक के लिए प्रविष्टि सार्वजनिक क्षेत्र की पूंजी		0	
5	अनुबंधितों द्वारा जारी एवं तृतीय पक्ष द्वारा रखी गई सामान्य शेयर पूंजी (सीईटी 1 समूह में अनुमत राशि)	0	
6	विनियामक समायोजन से पहले सामान्य इक्विटी टीयर-1 पूंजी	156215	
सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन			
7	विवेकसम्मत मूल्यांकन समायोजन	0	0
8	गुडविल (संबंधित शुद्ध कर देयता)	0	0
9	मॉर्गेज के अलावा अमूर्त सर्विसिंग राइट (संबंधित शुद्ध कर देयता)	0	0
10	आस्थगित कर आस्ति	0	0



11	नकद-प्रवाह बचाव प्रारक्षित	0	0	0
12	अपेक्षित हानियों के प्रावधानों में कमी	0	0	0
13	विक्रय पर प्रतिभूति वृद्धि	0	0	0
14	शुद्ध मूल्यांकित देयताओं पर अधिलाभ एवं हानि स्वयं के साख जोखिम में परिवर्तन के कारण	0	0	0
15	परिभाषित लाभ पेंशन निधि शुद्ध आस्तियां	0	0	0
16	स्वयं के शेयरों में निवेश (रिपोर्ट किए गए तुलन-पत्र पर चुकता पूंजी से पहले ही कम न की गई हो)	0	0	0
17	सामान्य इक्विटी में पारस्परिक प्रति-धारिता	34	23	0
18	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर वाले बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूंजी में निवेश शुद्ध पात्र अधिविक्रय की स्थिति, जहां निर्गमित शेयर पूंजी के 10%के अधिक तक बैंक के पास न हो (10%सीमा से अधिक की राशि)	0	0	0
19	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर वाले बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश, पात्र शुद्ध अधिविक्रय की स्थिति (न्यूनतम 10% सीमा से अधिक की राशि)	161	108	0
20	मॉरगेज सर्विसिंग राइट्स(10% सीमा से अधिक की राशि)	0	0	0
21	अस्थाई अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर देयताएं (10%की सीमा से अधिक की राशि, संबंधित शुद्ध कर देयता)	0	0	0
22	15% सीमा से अधिक की राशि	0	0	0
23	जिसमें से: वित्तीय निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	0	0	0
24	जिसमें से: मॉरगेज सर्विसिंग राइट	0	0	0
25	जिसमें से: अस्थाई अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां	0	0	0
26	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (26ए+26बी+26सी+26डी)	0	0	0
26ए	जिसमें से: असमेकित बीमा अनुषंगियों की इक्विटी पूंजी में निवेश	0	0	0
26बी	जिसमें से: असमेकित गैर वित्तीय की इक्विटी पूंजी में निवेश	0	0	0
26सी	जिसमें से: बहुसंख्य मालिकाना वित्तीय निकायों की इक्विटी पूंजी में कमी, जो बैंक के साथ समेकित न की गई हो.	0	0	0
26डी	जिसमें से: अमूर्तिकृत पेंशन निधि व्यय	0	0	0
	बासल III पूर्व के अधीन राशि के संबंध में सामान्य इक्विटी टीयर 1 हेतु लागू विनियामक समायोजन	0	0	0
	जिसमें से: समायोजन का प्रकार प्रविष्ट करें	0	0	0
	जिसमें से: समायोजन का प्रकार प्रविष्ट करें	0	0	0
	जिसमें से: समायोजन का प्रकार प्रविष्ट करें	0	0	0
27	कटौती को कवर करने हेतु अपर्याप्त अतिरिक्त टीयर 1 एवं टीयर 2 के कारण सामान्य इक्विटी टीयर 1 को लागू विनियामक समायोजन	0	0	0
28	सामान्य इक्विटी टीयर 1 हेतु विनियामक समायोजन	195	131	
29	सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी (सीईटी 1)	156020		
	अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी : लिखत			
30	टीयर 1 हेतु अर्हक प्रत्यक्ष निर्गमित लिखत एवं संबंधित स्टॉक अधिशेष (31+32)	0		
31	जिसमें से लागू लेखांकन मानकों के अधीन इक्विटी के रूप में वर्गीकृत (स्थाई गैर-संचयी अधिमानी शेयर)			



32	जिसमें से: लागू लेखांकन मानकों के अधीन देयता के रूप में वर्गीकृत (स्थायी उधार लिखत)			
33	अतिरिक्त टीयर 1 से बाहर किए गए प्रत्यक्ष निर्गमित पूंजी लिखत	4081		बी1+बी2
34	अनुषंगियों द्वारा जारी एवं तृतीय पक्ष द्वारा धारित अतिरिक्त टीयर 1 लिखत (एवं सीईटी 1 लिखत जो रो 5 में शामिल नहीं है) (समूह एटी 1 में अनुमत राशि)			
35	जिसमें से: बाहर किए जाने के अधीन अनुषंगियों द्वारा जारी लिखते			
36	विनायामक समायोजनो के पहले अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी	4081		
अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी: विनियामक समायोजन				
37	स्वयं के अतिरिक्त टीयर 1 लिखतों में निवेश	0	0	
38	अतिरिक्त टीयर 1 लिखतों में पारस्परिक प्रति धारिता	0	0	
39	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर वाले बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूंजी में निवेश शुद्ध पात्र अधिविक्रय की स्थिति, जहां निर्गमित शेयर पूंजी के 10%के अधिक तक बैंक के पास न हो (10% सीमा से अधिक की राशि)	0	0	
40	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर वाले बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश (पात्र शुद्ध अधिविक्रय की स्थिति)	54	54	
41	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (41ए+41बी)	315		
41ए	असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में निवेश			
41बी	बहुलांश मालिकाना वित्तीय निकायों, जो बैंक के साथ समेकित नहीं है, की अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में कमी			
	बासल III पूर्व के अधीन राशि के संबंध में सामान्य इक्विटी टीयर 1 हेतु लागू विनियामक समायोजन	0	0	
	जिसमें से: अमूर्त आस्तियां	0		
	जिसमें से: अर्थात् सामान्य इक्विटी के संबंध में बासल III पूर्व के अधीन पारस्परिक प्रति धारिता, अतिरिक्त टीयर 1 एवं टीयर 2	315	0	
	जिसमें से: समायोजन का प्रकार प्रविष्ट करें	0		
42	कटौती कवर करने हेतु अपर्याप्त टीयर 2 के कारण अतिरिक्त टीयर 1 हेतु लागू विनियामक समायोजन			
43	अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी हेतु कुल विनियामक समायोजन	369		
44	अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी (एटी1)	3712		
45	टीयर 1 पूंजी (टी1 = सीईटी1 + एटी1) (29 + 44ए)	159731		
टीयर 2 पूंजी: लिखत एवं प्रावधान				
46	टीयर 2 हेतु अर्हक प्रत्यक्ष निर्गमित लिखतें एवं संबंधित स्टॉक अधिशेष	10000		सी3
47	टीयर 2 से बाहर किए जाने के अधीन प्रत्यक्ष निर्गमित पूंजी लिखते	27655		सी1+सी2
48	अनुषंगियों द्वारा जारी एवं तृतीय पक्ष द्वारा धारित टीयर 2 लिखते (एवं सीईटी 1 एवं एटी 1 लिखते, जो पंक्ति 5 या 34 में शामिल नहीं है) (टीयर 2 समूह में अनुमत राशि)	0		
49	जिसमें से: अनुषंगियों द्वारा बाहर किए जाने के अधीन जारी लिखते	0		
50	प्रावधान (मूल्यांकन प्रारक्षित, मानक आस्तियों पर प्रावधान, अनर्जक आस्तियों की बिक्री आदि)	20259		
51	विनियामक समायोजनों से पूर्व टीयर 2 पूंजी	57914		
52	स्वयं की टीयर 2 लिखतों में निवेश			



53	टीयर 2 लिखतों में पारस्परिक प्रति-धारिता	1216	304	
54	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर वाले बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूंजी में निवेश शुद्ध पात्र अधिविक्रय की स्थिति, जहां निर्गमित शेयर पूंजी के 10%के अधिक तक बैंक के पास न हो (10%सीमा से अधिक की राशि)	0	0	
55	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर वाले बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश, पात्र शुद्ध अधिविक्रय की स्थिति (पात्र कम स्थितियों का शुद्ध)	54	0	
56	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन(56ए+56बी)	11		
56ए	जिसमें से: असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टीयर 2 पूंजी में निवेश			
56बी	बहुलांश मालिकाना वित्तीय निकायों, जो बैंक के साथ समेकित नहीं है, की अतिरिक्त टीयर 2 पूंजी में कमी			
	बासल III पूर्व के अधीन राशि के संबंध में सामान्य इक्विटी टीयर 2 हेतु लागू विनियामक समायोजन	11		
	जिसमें से: पारस्परिक प्रति-धारित सामान्य इक्विटी	11	0	
	जिसमें से: टीयर 1 एवं टीयर 2 में सामान्य इक्विटी के 10%से अधिक निवेश	0		
57	टीयर 2 पूंजी हेतु कुल विनियामक समायोजन	1281		
58	टीयर 2 पूंजी (टी2)	56633		
58ए	पूंजी पर्याप्तता हेतु मान्य टीयर 2 पूंजी	56633		
58बी	टीयर 2 पूंजी के रूप में मान्य अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी का अधिक्व	0		
58सी	पूंजी पर्याप्तता के लिए अनुमत कुल टीयर 2 पूंजी (58ए + 58बी)	56633		
59	कुल पूंजी (टीसी = टी1 + टी2) (45 + 58सी)	216364		
	बासल III पूर्व के अधीन राशि के संबंध में जोखिम भारत आस्तियां			
	जिसमें से: समायोजन का प्रकार प्रविष्ट करें			
	जिसमें से:			
60	कुल जोखिम भारत आस्तियां (60ए + 60बी + 60सी)	1984293		
60a	जिसमें से: कुल ऋण जोखिम भारत आस्तियां	1687170		
60b	जिसमें से: कुल बाजार जोखिम भारत आस्तियां	175407		
60c	जिसमें से: कुल परिचालन जोखिम भारत आस्तियां	121716		
	पूंजी अनुपात			
61	सामान्य इक्विटी टीयर 1 (जोखिम भारत आस्ति के प्रतिशत के रूप में)	7.86%		
62	टीयर 1 (जोखिम भारत आस्ति के प्रतिशत के रूप में)	8.05%		
63	कुल पूंजी(जोखिम भारत आस्ति के प्रतिशत के रूप में)	10.90%		
64	संस्था विशेष बफर आवश्यकताएं (जोखिम भारत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त न्यूनतम सीईटी 1 आवश्यकताओं के साथ पूंजी संरक्षण एवं प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकताएं)	5.50%		
65	जिसमें से: पूंजी संरक्षण न बफर आवश्यकता	0.00%		
66	जिसमें से: बैंक विशेष प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकता	0.00%		
67	जिसमें से: जी-एस.आईबी बफर आवश्यकता	0.00%		
68	बफर की पूर्ति हेतु उपलब्ध सामान्य इक्विटी टीयर 1 (जोखिम भारत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	0.00%		



राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बासल III से अलग हो)		
69	राष्ट्रीय सामान्य इक्विटी टीयर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासल III न्यूनतम से अलग हो)	5.50%
70	राष्ट्रीय टीयर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासल III न्यूनतम से अलग हो)	7.00%
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासल III न्यूनतम से अलग हो)	9.00%
कठौती हेतु निर्धारित सीमा से कम राशि (जोखिम भारिता से पहले)		
72	अन्य वित्तीय निकायों की पूंजी में गैर-महत्वपूर्ण निवेश	
73	वित्तीय निकायों की सामान्य पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश	
74	मॉर्गेज सर्विसिंग राइट (संबंधित शुद्ध कर देयता)	
75	अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित शुद्ध कर देयता)	
टीयर 2 में प्रावधानों की प्रविष्टि पर लागू सीमाएं		
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टीयर 2 में प्रविष्टि हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व)	
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत टीयर 2 में प्रावधानों की प्रविष्टि की सीमा	
78	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टीयर 2 में प्रविष्टि के लिए पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व)	
79	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत टीयर 2 में प्रावधानों की प्रविष्टि की सीमा.	
फेस-आउट व्यवस्था के अधीन पूंजी लिखते (केवल दि.31 मार्च, 2017 एवं 31 मार्च, 2022 के मध्य लागू)		
80	चरणबद्ध व्यवस्था के अधीन सीईटी लिखतों पर वर्तमान सीमा	ला.न.
81	सीमा के कारण सीईटी 1 से छोड़ी गई राशि (मोचन एवं परिपक्वता के पश्चात सीमा पर आधिक्य)	ला.न.
82	चरणबद्ध व्यवस्था के अधीन एटी1 लिखतों पर वर्तमान सीमा	ला.न.
83	सीमा के कारण एटी1 से छोड़ी गई राशि (मोचन एवं परिपक्वता के पश्चात सीमा पर आधिक्य)	ला.न.
84	चरणबद्ध व्यवस्था के अधीन टी2 लिखतों पर वर्तमान सीमा	ला.न.
85	सीमा के कारण टी2 से छोड़ी गई राशि (मोचन एवं परिपक्वता के पश्चात सीमा पर आधिक्य)	ला.न.

तालिका डीएफ-12: पूंजी का संघटन- समायोजन अपेक्षाएं

(राशि मिलीयन में)

		वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलन-पत्र दि. 31.03.2015 को	समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत तुलन-पत्र दि. 31.03.2015 को
ए	पूंजी एवं देयताएं		
i	चुकता पूंजी	16583	
	जिसमे से: सीईटी 1 हेतु पात्र राशि	16583	ए1
	जिसमे से: एटी 1 हेतु पात्र राशि	0	बी1
	प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष	157986	
	अल्पसंख्यक हित	0	
	कुल पूंजी	174569	



ii	जमाराशियां	2555724	
	जिसमे से: बैंकों से जमा	63336	
	जिसमे से: ग्राहकों से जमा	2492388	
	जिसमे से: अन्य जमाएं (कृपया निर्दिष्ट करें)	-	
iii	उधारराशियां	259741	
	जिसमे से: आरबीआई से	142071	
	जिसमे से: बैंकों से	0	
	जिसमे से: अन्य संस्थाओं एंव संस्थानों से	37680	
	जिसमे से: अन्य (भारत से बाहर)	5937	
	जिसमे से: गौण ऋण	24373	सी1
	जिसमे से: अपर टीयर 2	28850	सी2
	जिसमे से: अरक्षित मोचनीय एनसी बासल III बाण्ड्स (टीयर2)	10000	सी3
	जिसमे से: नवोन्मेष स्थायी उधार लिखत	10830	बी2
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	129371	
	कुल	3119405	
बी	आस्तियां		
i	भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं शेष	141148	
	बैंकों में जमा एवं भाग व अल्प सूचना पर राशि	6955	
ii	निवेश:	954739	
iii	ऋण एवं अग्रिम	1884775	
	जिसमे से: बैंकों को ऋण एवं अग्रिम	8	
	जिसमे से: ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	1884767	
iv	अचल आस्तियां	28332	
v	अन्य आस्तियां	103456	
	जिसमे से: गुडविल एवं अमूर्त आस्तियां	0	
	जिसमे से: आस्थगित कर देयताएं	0	
vi	समेकन पर गुडविल		
vii	लाभ-हानि खाते में नामे शेष	0	
	कुल आस्तियां	3119405	

तालिका डीएफ-13: विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं

टीयर-1 पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

विवरण	इक्रिटी
जारीकर्ता	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
विशिष्ट पहचानकर्ता (अर्थात् निजी अभिदान हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	INE483A01010
लिखतों के शासी कानून	भारतीय कानून
विनियामक उपचार	
परिवर्ती बासल III नियम	सामान्य इक्रिटी टीयर 1
परिवर्तन पश्चात III नियम	सामान्य इक्रिटी टीयर 1
एकल/समूह/समूह एवं एकल हेतु पात्र	एकल एवं समूह



लिखत प्रकार	सामान्य शेयर
विनियामक पूंजी में मान्य राशि (राशि मिलियन में, रिपोर्टिंग की नवीनतम तिथि पर)	16583
लिखत की सममूल्य राशि	₹ 10 प्रति शेयर
लेखांकन वर्गीकरण	शेयरधारक की इक्विटी
जारीकरण की मूल तिथि	विविध
स्थायी या दिनांकित	स्थायी
मूल परिपक्वता तिथि	ला.न.
पर्यवेक्षकीय अनुमोदन के पहले जारीकर्ता मांग	नहीं
वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियां एवं मोचन राशि	ला.न.
अनुवर्ती मांग तिथियां, यदि लागू हो	ला.न.
कूपन/लाभांश	
स्थिर या अस्थिर लाभांश/कूपन	अस्थायी
कूपन दर एवं अन्य संबंधित इन्डेक्स	ला.न.
लाभांश रोक की विद्यमानता	नहीं
पूर्णतः विवेकाधिकार, अंशतः विवेकाधिकार या अनिवार्य	पूर्णतः विवेकाधिकार
मोचन हेतु वर्धन या अन्य प्रोत्साहन की विद्यमानता	नहीं
गैर-संचयी या संचयी	ला.न.
परिवर्तनीय या गैर-परिवर्तनीय	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन उत्प्रेरक	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो पूर्णतः या अंशतः	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन दर	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है उस का प्रकार	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है, उसका जारीकर्ता	ला.न.
अवलेखन विशेषता	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो अवलेखन उत्प्रेरक	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो पूर्ण या अंशतः	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो स्थायी या अस्थायी	ला.न.
यदि अस्थायी अवलेखन हो, तो आलेखन प्रक्रिया का वर्णन	ला.न.
परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत की वरिष्ठता के आधार पर तत्काल लिखत का प्रकार बताएं)	सभी जमाकर्ताओं एवं अन्य ऋणियों, बाण्ड एवं पीएनसीपीएस
गैर-कम्प्लायंट परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
यदि हां, तो गैर परिवर्तनीय विशेषताएं बताएं	



श्रृंखला वर्णन	आईपीडीआई	श्रृंखला II पीडीआई
जारीकर्ता	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
विशिष्ट पहचानकर्ता (अर्थात् निजी अभिदान हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	INE483A09237	INE483A109252
लिखतों के शासी कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून
विनियामक उपचार		
परिवर्ती बासल III नियम	अतिरिक्त टीयर 1	अपात्र
परिवर्तन पश्चात III नियम	अपात्र	अपात्र
एकल/समूह/समूह एवं एकल हेतु पात्र	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह
लिखत प्रकार	स्थायी उधार लिखत	स्थायी उधार लिखत
विनियामक पूंजी में मान्य राशि (राशि मिलीयन में, रिपोर्टिंग की नवीनतम तिथि पर)	4081	0
लिखत की सममूल्य राशि	Rs.1.00 मिलियन	Rs.1.00 मिलियन
लेखांकन वर्गीकरण	देयता	देयता
जारीकरण की मूल तिथि	30.03.2009	28.09.2012
स्थायी या दिनांकित	स्थायी	स्थायी
मूल परिपक्वता तिथि		
पर्यवेक्षकीय अनुमोदन के पहले जारीकर्ता मांग	नहीं	हाँ
वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियां एवं मोचन राशि	ला.न.	28.09.2022
अनुवर्ती मांग तिथियां, यदि लागू हो	ला.न.	ला.न.
कूपन/लाभांश		
स्थिर या अस्थिर लाभांश/कूपन	अस्थिर	स्थिर
कूपन दर एवं अन्य संबंधित इन्डेक्स	जी.सेक + 250 बीपीएस, प्रतिवर्ष मार्च के पूनर्मुल्य	9.40% प्र.व.
लाभांश रोक की विद्यमानता	नहीं	नहीं
पूर्णतः विवेकाधिकार, अंशतः विवेकाधिकार या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
मोचन हेतु वर्धन या अन्य प्रोत्साहन की विद्यमानता	नहीं	नहीं
गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
परिवर्तनीय या गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन उत्प्रेरक	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो पूर्णतः या अंशतः	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन दर	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है उस का प्रकार	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है, उसका जारीकर्ता	ला.न.	ला.न.
अवलेखन विशेषता	लागू नहीं	लागू नहीं
यदि अवलेखित हो, तो अवलेखन उत्प्रेरक	ला.न.	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो पूर्ण या अंशतः	ला.न.	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो स्थायी या अस्थायी	ला.न.	ला.न.
यदि अस्थायी अवलेखन हो, तो आलेखन प्रक्रिया का वर्णन	ला.न.	ला.न.
परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत की वरिष्ठता के आधार पर तत्काल लिखत का प्रकार बताएं)	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार
गैर-कम्प्लायंट परिवर्तनीय विशेषताएं	हाँ	हाँ
यदि हां, तो गैर परिवर्तनीय विशेषताएं बताएं	बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं	पूर्णतः अमान्य, बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं



उच्च टीयर-2 पूंजी लिखतों की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार है						
शृंखला विवरण	उच्च टीयर II (शृंखला I)	उच्च टीयर II (शृंखला II)	उच्च टीयर II (शृंखला III)	उच्च टीयर II (शृंखला IV)	उच्च टीयर II (शृंखला V)	उच्च टीयर II (शृंखला VI)
जारीकर्ता	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया					
विशिष्ट पहचानकर्ता (अर्थात् निजी अभिदान हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	INE483A109179	INE483A09195	INE483A09203	INE483A09211	INE483A09229	INE483A08015
लिखतों के शासी कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून
विनियामक उपचार						
परिवर्ती बासल III नियम	टीयर 2	टीयर 2	टीयर 2	टीयर 2	टीयर 2	टीयर 2
परिवर्तन पश्चात III नियम	अपठनीय	अपठनीय	अपठनीय	अपठनीय	अपठनीय	अपठनीय
एकल/समूह/समूह एवं एकल हेतु पात्र	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह
लिखत प्रकार	उच्च टीयर 2 पूंजी लिखत	उच्च टीयर 2 पूंजी लिखत	उच्च टीयर 2 पूंजी लिखत	उच्च टीयर 2 पूंजी लिखत	उच्च टीयर 2 पूंजी लिखत	उच्च टीयर 2 पूंजी लिखत
विनियामक पूंजी में मान्य राशि (राशि मिलीयन में, रिपोर्टिंग की नवीनतम तिथि पर)	2100	1995	3500	3500	7000	2100
लिखत की सममूल्य राशि	₹ 1.00 मिलियन	₹ 1.00 मिलियन	₹ 1.00 मिलियन	₹ 1.00 मिलियन	₹ 1.00 मिलियन	₹ 1.00 मिलियन
लेखांकन वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता	देयता	देयता	देयता
जारीकरण की मूल तिथि	14.11.2008	17.02.2009	23.06.2009	20.01.2010	11.06.2010	21.01.2011
स्थायी या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
मूल परिपक्वता तिथि	14.11.2023	17.02.2024	23.06.2024	20.01.2025	11.06.2025	21.01.2026
पर्यवेक्षकीय अनुमोदन के पहले जारीकर्ता मांग	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियां एवं मोचन राशि	14.11.2018	17.02.2019	23.06.2019	20.01.2020	11.06.2020	21.01.2021
अनुवर्ती मांग तिथियां, यदि लागू हो	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
कूपन/लाभांश						
स्थिर या अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
कूपन दर एवं अन्य संबंधित इन्डेक्स	11.45%	9.40%	8.80%	8.63%	8.57%	9.20%
लाभांश रोक की विद्यमानता	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
पूर्णतः विवेकाधिकार, अंशतः विवेकाधिकार या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य



मोचन हेतु वर्धन या अन्य प्रोत्साहन की विद्यमानता	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
परिवर्तनीय या गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन उत्प्रेरक	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो पूर्णतः या अंशतः	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन दर	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है उस का प्रकार	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है, उसका जारीकर्ता	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
अवलेखन विशेषता	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो अवलेखन उत्प्रेरक	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो पूर्ण या अंशतः	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो स्थायी या अस्थायी	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि अस्थायी अवलेखन हो, तो आलेखन प्रक्रिया का वर्णन	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत की वरिष्ठता के आधार पर तत्काल लिखत का प्रकार बताएं)	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार
गैर-कम्प्लायंट परिवर्तनीय विशेषताएं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
यदि हां, तो गैर परिवर्तनीय विशेषाएं बताएं	आलेखन, बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं	आलेखन, बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं	आलेखन, बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं	आलेखन, बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं	आलेखन, बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं	बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं



गौण उधार पूंजी लिखतों की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार है:					
श्रृंखला विवरण	निम्न टीयर II श्रृंखला X	निम्न टीयर II श्रृंखला XI	निम्न टीयर II श्रृंखला XII	निम्न टीयर II श्रृंखला XIII	निम्न टीयर II श्रृंखला XIV
जारीकर्ता	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया				
विशिष्ट पहचानकर्ता (अर्थात् निजी अभिदान हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	INE483A09146	INE483A09153	INE483A09161	INE483A109187	INE483A09245
लिखतों के शासी कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून
विनियामक उपचार					
परिवर्ती बासल III नियम	टीयर 2	टीयर 2	टीयर 2	टीयर 2	टीयर 2
परिवर्तन पश्चात III नियम	अपात्र	अपात्र	अपात्र	अपात्र	अपात्र
एकल/समूह/समूह एवं एकल हेतु पात्र	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह
लिखत प्रकार	टीयर 2 उधार लिखत	टीयर 2 उधार लिखत	टीयर 2 उधार लिखत	टीयर 2 उधार लिखत	टीयर 2 उधार लिखत
विनियामक पूंजी में मान्य राशि (राशि मिलीयन में, रिपोर्टिंग की नवीनतम तिथि पर)	0	980	1090	1890	3500
लिखत की सममूल्य राशि	₹.1.00 मिलियन	₹.1.00 मिलियन	₹.1.00 मिलियन	₹.1.00 मिलियन	₹.1.00 मिलियन
लेखांकन वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता	देयता	देयता
जारीकरण की मूल तिथि	28.03.2006	04.10.2006	03.03.2008	10.02.2009	21.12.2011
स्थायी या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
मूल परिपक्वता तिथि	28.06.2015	04.10.2016	03.05.2017	10.04.2018	21.12.2026
पर्यवेक्षकीय अनुमोदन के पहले जारीकर्ता मांग	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ
वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियां एवं मोचन राशि	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	21.12.2021
अनुवर्ती मांग तिथियां, यदि लागू हो	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
कूपन/लाभांश					
स्थिर या अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
कूपन दर एवं अन्य संबंधित इन्डेक्स	8.15%	8.95%	9.20%	9.35%	9.33%
लाभांश रोक की विद्यमानता	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
पूर्णतः विवेकाधिकार, अंशतः विवेकाधिकार या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
मोचन हेतु वर्धन या अन्य प्रोत्साहन की विद्यमानता	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
परिवर्तनीय या गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन उत्प्रेरक	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो पूर्णतः या अंशतः	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन दर	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है उस का प्रकार	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.



यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है, उसका जारीकर्ता	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
अवलेखन विशेषता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
यदि अवलेखित हो, तो अवलेखन उत्प्रेरक	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो पूर्ण या अंशतः	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो स्थायी या अस्थायी	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि अस्थायी अवलेखन हो, तो आलेखन प्रक्रिया का वर्णन	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत की वरिष्ठता के आधार पर तत्काल लिखत का प्रकार बताएं)	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार
गैर-कम्प्लायंट परिवर्तनीय विशेषताएं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
यदि हां, तो गैर परिवर्तनीय विशेषाएं बताएं	आलेखन, बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं	आलेखन, बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं	आलेखन, बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं	आलेखन, बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं	आलेखन, बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं

बासल III अनुपालन टीयर 2 बाण्ड की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार है:

	बासल III कम्प्लायंट टीयर II बाण्ड्स
	श्रृंखला I
जारीकर्ता	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
विशिष्ट पहचानकर्ता (अर्थात् निजी अभिदान हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	INE483A09260
लिखतों के शासी कानून	भारतीय कानून
विनियामक उपचार	
परिवर्ती बासल III नियम	टीयर 2
परिवर्तन पश्चात III नियम	पात्र
एकल/समूह/समूह एवं एकल हेतु पात्र	एकल एवं समूह
लिखत प्रकार	टीयर 2 उधार लिखत
विशिष्टपहचानकर्ता (अर्थात् निजी अभिदान हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	10000
लिखत की सममूल्य राशि	₹ 1.00 मिलियन
लेखांकन वर्गीकरण	देयता
जारीकरण की मूल तिथि	08.11.2013
स्थायी या दिनांकित	दिनांकित
मूल परिपक्वता तिथि	08.11.2023
पर्यवेक्षकीय अनुमोदन के पहले जारीकर्ता मांग	नहीं
वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियां एवं मोचन राशि	ला.न.
अनुवर्ती मांग तिथियां, यदि लागू हो	ला.न.
कूपन/लाभांश	
स्थिर या अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थिर
कूपन दर एवं अन्य संबंधित इन्डेक्स	9.90%



लाभांश रोक की विद्यमानता	नहीं
पूर्णतः विवेकाधिकार, अंशतः विवेकाधिकार या अनिवार्य	अनिवार्य
मोचन हेतु वर्धन या अन्य प्रोत्साहन की विद्यमानता	नहीं
गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी
परिवर्तनीय या गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन उत्प्रेरक	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो पूर्णतः या अंशतः	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन दर	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है उस का प्रकार	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है, उसका जारीकर्ता	ला.न.
अवलेखन विशेषता	हाँ
यदि अवलेखित हो, तो अवलेखन उत्प्रेरक	भारतीय रिज़र्व बैंक के विकल्प पर इन बाण्डों को उत्प्रेरण की स्थिति में, जिसे पाइंट ऑफ नॉन वायबिलिटी ट्रिगर (पीओएनवी ट्रिगर) कहा जाता है, अस्थायी रूप से अवलेखित या स्थायी रूप से आलेखित किया जा सकता है.
यदि अवलेखित हो, तो पूर्ण या अंशतः	अंशतः
यदि अवलेखित हो, तो स्थायी या अस्थायी	अस्थायी
यदि अस्थायी अवलेखन हो, तो आलेखन प्रक्रिया का वर्णन	1) पूर्व निर्धारित ट्रिगर पर पहुंचने के उपरांत बैंक द्वारा अपने सामान्य शेयरधारकों को लाभांश के प्रथम भुगतान किए जाने के लगभग एक वर्ष पश्चात किया जाएगा. 2) एक वर्ष में सकल आलेखन वर्ष के दौरान घोषित लाभांश के प्रतिशत तक प्रतिबंधित है, यह अवलेखित बांड द्वारा सृजित इक्विटी से कुल इक्विटी में से अवलेखित बाण्ड से सृजित इक्विटी घटाकर प्राप्त का प्रतिशत है. 3) एक वर्ष में सकल आलेखन उस वर्ष विशेष में सामान्य शेयरधारकों को लाभांश के रूप में भुगतान राशि के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए.
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन उत्प्रेरक	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार
यदि परिवर्तनीय है, तो पूर्णतः या अंशतः	नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन दर	-

तालिका डीएफ-14: विनियामक पूंजी लिखतों के पूर्ण नियम एवं शर्तें

क्र.सं.	पूंजी का प्रकार	लिखत	पूर्ण नियम एवं शर्तें
1.	इक्विटी	इक्विटी	जैसा मुख्य विशेषता भाग में प्रकट है
2.	अतिरिक्त टीयर 1	आईपीडीआई	जैसा मुख्य विशेषता भाग में प्रकट है
3.	टीयर 2	उच्च टीयर 2 बाण्ड	जैसा मुख्य विशेषता भाग में प्रकट है
4.	टीयर 2	गौण बाण्ड	जैसा मुख्य विशेषता भाग में प्रकट है
5.	टीयर 2	बासल III कम्प्लाइंट बाण्ड	जैसा मुख्य विशेषता भाग में प्रकट है

डॉ. एस.के. मिश्रा
उप महाप्रबंधक

प्रदीप कुमार
महाप्रबंधक

आर.सी. लोढ़ा
कार्यपालक निदेशक

बी.के. दिवाकर
कार्यपालक निदेशक

आर.के.गोयल
कार्यपालक निदेशक

राजीव ऋषि
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



कुमार चोपड़ा एण्ड एसोशिएट्स
बी-12 (भूतल)
कालिन्दी कॉलोनी,
नई दिल्ली 110 065

एन.सरकार एण्ड कं.
21, प्रफुल्ल सरकार स्ट्रीट
द्वितीय तल
कोलकाता 700 072
पश्चिम बंगाल

पी.के. सुब्रमणियम एण्ड कं.
11-5-23, कार्तिक कॉम्प्लेक्स
विजया बैंक के ऊपर, ब्रेस्टवारपेट
रायचूर - 584 101, कर्नाटक.

बी.एन. मिश्रा एण्ड कं.
एस-29, मैत्री विहार,
फेज-II
सत्यम डवलपमेंट सेंटर के सामने
भुवनेश्वर - 751 023, ओडीसा

दूगड़ एण्ड एसोशिएट्स
13, कम्युनिटी सेंटर,
ईस्ट ऑफ कैलाश
नई दिल्ली 110 065

चंदाभाय एण्ड जस्सूभाय
208, फीनिक्स हाउस, ए विंग,
462, सेनापति बापट मार्ग,
लोअर परेल, मुम्बई 400013
महाराष्ट्र

समेकित वित्तीय विवरणियों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक मंडल :

- हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (द बैंक), इसकी अनुषंगियों और एसोशिएट्स (सामूहिक रूप से इन्हें समूह के रूप में संबोधित किया गया है) के समेकित वित्तीय विवरणों, जिनमें दिनांक 31 मार्च, 2015 का समेकित तुलन-पत्र तथा इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ हानि खाता एवं समेकित नकद प्रवाह विवरणी एवं प्रमुख लेखांकन नीतियां एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं शामिल हैं, का लेखा परीक्षण किया है, जिनमें निम्नलिखित समाहित है :
 - हमारे द्वारा लेखापरीक्षित सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ("द बैंक") के लेखापरीक्षित लेखे.
 - अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा इसकी 2 अनुषंगियों, एवं 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, जो सभी अन्य लेखाकारों द्वारा लेखांकित हुए है.
 - नौ माह की अवधि के लिए एसोशिएट्स का अन्य लेखाकार द्वारा लेखांकित तथा 31 मार्च 2014 को समाप्त तिमाही के लिए उक्त एसोशिएट्स का अलेखांकित लेखे.

समेकित वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधतंत्र का दायित्व

- प्रबंधतंत्र इन समेकित वित्तीय विवरणियों, जो समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्य-निष्पादन एवं नकद प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष चित्रण करती हैं, तथा जो भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन नीतियों के अनुसरण में तैयार की गई हैं, जिनमें समेकित वित्तीय विवरणों के निर्माण एवं प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की संरचना, क्रियान्वयन एवं रखरखाव सन्निहित है तथा जो एक सही एवं निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं तथा जो किसी भी प्रकार के कपट अथवा त्रुटिवश महत्वपूर्ण अपकथन से मुक्त है.

लेखा परीक्षकों का दायित्व

- हमारा दायित्व हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारा अभिमत व्यक्त करना है. हमने हमारी लेखा परीक्षा "इन्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया" द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप की है. ये मानक अपेक्षा करते हैं कि हम आवश्यक नैतिकता का अनुपालन करते हुए लेखा परीक्षा को इस प्रकार सुनियोजित और संपन्न करें कि इन समेकित वित्तीय विवरणियों के सही एवं किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण अपकथन से मुक्ति होने का समुचित आश्वासन विदित हो सके.
- एक लेखा परीक्षा में वे प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है, जिनसे समेकित वित्तीय विवरणियों में दी गई राशियां एवं प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षित साक्ष्य प्राप्त किए जा सकें. इन प्रक्रियाओं का चयन लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित होता है, जिसमें समेकित वित्तीय विवरणियों के महत्वपूर्ण अपकथन, चाहे त्रुटिवश अथवा कपटतापूर्ण हों, से होने वाली जोखिम का आकलन भी शामिल होता है. उन जोखिमों के निर्धारण में, लेखापरीक्षक, प्रदत्त परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण हेतु, उन समेकित वित्तीय विवरणियों के निर्माण एवं प्रस्तुतीकरण में बैंक की तैयारी से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों पर सही एवं निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत



करता है। लेकिन समूह की आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य के लिए नहीं। एक लेखा परीक्षा में, अपनाई गई नीतियों की उपयुक्तता का आकलन एवं प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों के औचित्य के साथ-साथ, समेकित वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

3.3 हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि हमारे एवं अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य समेकित विवरणियों पर हमारे लेखा परीक्षा अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

अभिमत

4. हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार हमें दिए गए स्पष्टीकरणों तथा अनुषंगियों व एसोशिएट्स की वित्तीय विवरणियों पर अन्य लेखा परीक्षकों की नीचे दी गई रिपोर्टों के अवलोकन के आधार पर ये समेकित विवरणियां भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखांकन नीतियों के अनुरूप एक सही व निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करती हैं :

- (i) समेकित तुलन-पत्र के मामले में दिनांक 31 मार्च, 2015 को समूह के क्रियाकलापों की स्थिति,
- (ii) समेकित लाभ-हानि खाता के मामले में उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ; एवं
- (iii) समेकित नकद प्रवाह विवरणी के मामले में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह

विषय का महत्व

5. लेखांकन (एसए) 706 के मानक पर मानक के अनुसार “विषयवस्तु पैराग्राफ पर बल” हमारी राय को परिवर्तित किए बिना, हम निम्नानुसार ध्यान आकर्षित करते हैं:

- (i) सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लि. ने वर्तमान वर्ष के दौरान राष्ट्रीय आवास बैंक के परिपत्र सं. एनएचबी (एन डी)/ सीआरएस/नीति परिपत्र 65/2014-15 दिनांक 22 अगस्त 2014 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(I)(VIII) के अंतर्गत आवास वित्त कंपनियों द्वारा रखे जा रही विशेष आरसी निधियों पर ₹ 3 करोड़ की आस्थगित कर देयता सृजित की है।
- (ii) सेन्ट बैंक होम फाइनेंस के लेखापरीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि कंपनी की चालू देयताएं उसकी चालू परिसंपत्तियों से अधिक हो गई है। इस असंतुलन पर प्रबंधतंत्र द्वारा ध्यान दिया जाना आवश्यक है।
- (iii) समेकित वित्तीय विवरणियों, जिनमें एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात् सेन्ट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक (सीएमपीजीबी) के ₹ 3.24 करोड़ लाभ की हिस्सेदारी शामिल है। लेखापरीक्षक ने एनपीए संचलन ज्ञात करने, आयकर, टीडीएस, सेवाकर तथा अंतर कार्यालय की बकाया प्रविष्टियों के समायोजन के संबंध में प्रावधान इत्यादि पर ध्यान देने के लिए पुनः आगाह किया है, जिसका सीएमपीजीबी की वित्तीय विवरणियों पर पड़ा प्रभाव निर्धारित नहीं किया जा सका है।
- (iv) इसी प्रकार, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक (यूबीजीबी) की समेकित वित्तीय विवरणी में शामिल ₹ 35.46 करोड़ की हिस्सेदारी के मामले में लेखापरीक्षक के आयकर के प्रावधान की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जिसके यूबीजीबी की वित्तीय विवरणियों पर पड़े प्रभाव को निर्धारित नहीं किया जा सका है।

6. अन्य मामले

हमने अग्रलिखित वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा नहीं की है (i) दो अनुषंगियां, जिनकी वित्तीय विवरणियों में 31 मार्च, 2015 को कुल आस्तियां ₹ 896.53 करोड़ तथा कुल राजस्व ₹ 88.98 करोड़ तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए शुद्ध नकद प्रवाह ₹ 23.22 करोड़ दर्शाया गया है; तथा (ii) एसोशिएट्स (3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं 1 अन्य एसोशिएट), जिनका उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए शुद्ध लाभ ₹ 173.76 करोड़ (बैंक की हिस्सेदारी ₹ 52.06 करोड़) दर्शाया गया है। ये वित्तीय विवरणियां अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित हैं तथा जिनकी रिपोर्टें हमें प्रबंधतंत्र द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं, तथा हमारी राय उन अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर पूर्णतः आधारित है। इस मामले में हमारी रिपोर्ट सीमित नहीं है।



कृते कुमार चोपड़ा एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000131एन

(सीए आर. के. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 081510

कृते एन. सरकार एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 301075ई

(सी. जी. मुखोपाध्याय)
भागीदार
सदस्यता सं. 010534

कृते पी.के. सुब्रमणियम एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.-004135एस

(सीए वीराबासना गौड़ा)
भागीदार
सदस्यता सं.0208698

कृते बी.एन.मिश्रा एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.एन.नं. 321095ई

(सीए बी.एन. मिश्रा)
भागीदार
सदस्यता सं. 083927

कृते दूगड़ एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000561एन

(सीए मुकेश गोयल)
भागीदार
सदस्यता सं. 081810

कृते चंदाभाय एण्ड जस्सूभाय
सनदी लेखाकार
एफ. आर सं.101647डब्लू

(सीए अम्बेश ए. दवे)
भागीदार
सदस्यता सं. 049289

स्थान : दिल्ली

दिनांक : 25 मई, 2015



दिनांक 31 मार्च 2015 को समेकित तुलन-पत्र

(000' छोड़कर)

विवरण	अनुसूची सं	31 मार्च 2015 को ₹	31 मार्च 2014 को ₹
पूंजी एवं देयताएं			
पंजी	1	16,582,732	29,674,393
प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष	2	160,766,951	130,427,581
मायनॉरिटी इंटरैस्ट	2ए	327,308	308,198
जमा राशियां	3	2,559,415,992	2,403,445,261
उधार राशियां	4	260,985,873	221,365,547
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	129,579,267	115,725,456
कुल		3,127,658,123	2,900,946,436
आस्तियां			
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	6	141,163,743	119,266,308
बैंकों में जमाराशियां एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि	7	7,216,549	4,596,854
निवेश	8	956,553,556	862,624,043
ऋण एवं अग्रिम	9	1,890,675,267	1,777,546,083
अचल आस्तियां	10	28,340,606	28,054,454
अन्य आस्तियां	11	103,619,506	108,769,798
समेकन पर गुडविल		88,896	88,896
कुल		3,127,658,123	2,900,946,436
आकस्मिक देयताएं	12	908,932,783	885,557,167
संग्रहण हेतु बिल		110,608,049	76,717,357
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	17		
लेखांकन को नोट	18		

उक्त संदर्भित अनुसूची तुलनपत्र का अनिवार्य भाग है.

आर.सी. लोढ़ा
कार्यपालक निदेशक

बी.के. दिवाकर
कार्यपालक निदेशक

आर.के. गोयल
कार्यपालक निदेशक

राजीव ऋषि
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: दिल्ली

दिनांक: 25 मई, 2015



सौरभ गर्ग
निदेशक

कृष्ण सेठी
निदेशक

कृते कुमार चोपडा एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ. आर. सं.000131एन

(सीए आर.के. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं.081510

कृते एन.सरकार एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ. आर. सं.301075ई

(सीए जी. मुखोपाध्याय)
भागीदार
सदस्यता सं.010534

शेखर भटनागर
निदेशक

श्रीमती एन.एस.रत्नप्रभा
निदेशक

गुरबख्श कुमार जोशी
निदेशक

कृते पी.के. सुब्रमणियम एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआर सं.004135एस

(सीए वीराबासना गौड़ा)
भागीदार
सदस्यता सं.0208698

कृते बी.एन. मिश्रा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ. आर. सं.321095ई

(सीए बी.एन.मिश्रा)
भागीदार
सदस्यता सं.083927

एम.पी.शोरावाला
निदेशक

एस.बी.रोडे
निदेशक

कृते दूगड एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ. आर. सं.000561एन

(सीए मुकेश गोयल)
भागीदार
सदस्यता सं.081810

कृते चंदाभाय एण्ड जस्सूभाय
सनदी लेखाकार
एफ. आर सं.101647डब्ल्यू

(सीए अम्बेश ए. दवे)
भागीदार
सदस्यता सं.049289

उपर्युक्त तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

स्थान : दिल्ली

दिनांक : 25 मई, 2015



31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष समेकित लाभ एवं हानि खाता

(000' को छोड़कर)

विवरण	अनुसूची संख्या	समाप्त वर्ष 31.03.2015 ₹	समाप्त वर्ष 31.03.2014 ₹
I. आय			
अर्जित ब्याज एवं लाभांश	13	264,759,775	244,783,154
अन्य आय	14	19,003,942	19,313,772
कुल		283,763,717	264,096,926
II. व्यय			
प्रदत्त ब्याज	15	191,996,537	179,630,840
परिचालन व्यय	16	55,966,419	51,900,768
प्रावधान एवं आकस्मिकतायें		29,617,806	45,080,439
कुल		277,580,762	276,612,047
III. लाभ/हानि			
मायनॉरिटी इंटरैस्ट के पूर्व मूल एवं अनुषंगियों का वर्ष का समेकित शुद्ध लाभ		6,182,955	(12,515,121)
घटायें : मायनॉरिटी इंटरैस्ट		(43,094)	(40,216)
घटायें : सीबीएचएफ में अतिरिक्त शेयरों के अधिग्रहण पूर्व लाभ		0	(1,471)
अल्पसंख्यक ब्याज को घटाने के पश्चात वर्ष का समेकित शुद्ध लाभ		6,139,861	(12,556,808)
जोड़ें: असोशिएट्स की आय में हिस्सेदारी		520,731	423,089
समूह के लिए स्रोतजन्य वर्ष का समेकित लाभ		6,660,592	(12,133,719)
जोड़ें: समूह के स्रोतजन्य वर्ष का समेकित लाभ आगे लाया गया.		(10,718,733)	2,413,667
घटायें : असोशिएट्स में निवेश के अंतरण के कारण आगे लाये गये समेकित लाभ में कमी		0	(526,148)
विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ		(4,058,141)	(10,246,200)
IV. विनियोजन			
को अंतरण :			
सांविधिक आरक्षित		1,516,100	-
निवेश आरक्षित		538,300	425,368
राजस्व आरक्षित		9,300	7,900
स्टाफ कल्याण निधि		181,900	
बीमा के स्थान पर निधि		20,000	
प्रस्तावित लाभांश -अधिमानि शेयर पूंजी		0	
प्रस्तावित लाभांश -इक्विटि शेयर पूंजी		829,100	
लाभांश पर कर		177,693	7,995
विशेष आरक्षित U/S 36 (1) (viii)		36,220	31,270
एनएचबी के निर्देशों के अनुसार विशिष्ट निधियों पर डीटीएल का विनियोजन		21,128	
कम्पनी अधिनियम के अनुसार सीएसआर निधियों		1,927	
शेष तुलन पत्र में लाया गया		(7,389,809)	(10,718,733)
कुल		(4,058,141)	(10,246,200)
प्रति शेयर आय (₹ में.) - मूल		4.69	(10.67)
प्रति शेयर आय (₹ में.) - तनुकृत		4.69	(10.67)
विशेष लेखांकन नीतियां	17		
लेखा की टिप्पणियां	18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां लाभ एवं हानि खाते का आवश्यक भाग है.

आर.सी. लोढ़ा
कार्यपालक निदेशक

बी.के. दिवाकर
कार्यपालक निदेशक

आर.के. गोयल
कार्यपालक निदेशक

राजीव ऋषि
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: दिल्ली

दिनांक: 25 मई, 2015



सौरभ गर्ग
निदेशक

कृष्ण सेठी
निदेशक

कृते कुमार चोपडा एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ. आर. सं.000131एन

(सीए आर.के. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं.081510

कृते एन.सरकार एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ. आर. सं.301075ई

(सीए जी. मुखोपाध्याय)
भागीदार
सदस्यता सं.010534

शेखर भटनागर
निदेशक

श्रीमती एन.एस.रत्नप्रभा
निदेशक

गुरबख्श कुमार जोशी
निदेशक

कृते पी.के. सुब्रमणियम एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआर सं.004135एस

(सीए वीराबासना गौड़ा)
भागीदार
सदस्यता सं.0208698

कृते बी.एन. मिश्रा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ. आर. सं.321095ई

(सीए बी.एन.मिश्रा)
भागीदार
सदस्यता सं.083927

एम.पी.शोरावाला
निदेशक

एस.बी.रोडे
निदेशक

कृते दूगड एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ. आर. सं.000561एन

(सीए मुकेश गोयल)
भागीदार
सदस्यता सं.081810

कृते चंदाभाय एण्ड जस्सूभाय
सनदी लेखाकार
एफ. आर सं.101647डब्ल्यू

(सीए अम्बेश ए. दवे)
भागीदार
सदस्यता सं.049289

उपर्युक्त तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

स्थान : दिल्ली

दिनांक : 25 मई, 2015



31 मार्च 2015 को समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000 को छोड़कर)

विवरण	31/03/2015 को ₹	31/03/2014 को ₹
अनुसूची 1 : पूंजी		
प्राधिकृत पूंजी	50,000,000	30,000,000
प्रत्येक ₹ 10/- के 500,00,00,000 शेयर		
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी :	16,582,732	13,504,393
इक्विटी शेयर प्रत्येक ₹ 10/- के 1,65,82,73,181		
इक्विटी शेयर (गत वर्ष 1,35,04,39,315 इक्विटी शेयर)		
(सहित केन्द्र सरकार द्वारा धारित प्रत्येक		
₹ 10/- के 135,08,27,438 इक्विटी शेयर		
(गत वर्ष 119,69,59,325 इक्विटी शेयर)		
बेमियादी असंचयी अधिमानी शेयरपूंजी	0	16,170,000
(प्रत्येक ₹ 10/- के 1617000000 के अधिमानत शेयर)		
	16,582,732	29,674,393
कुल	16,582,732	29,674,393
अनुसूची 2 : प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष		
I. सांविधिक प्रारक्षित निधियां		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	19,233,031	19,233,031
वर्ष के दौरान परिवर्धन	1,516,100	0
	20,749,131	19,233,031
II. पूंजीगत प्रारक्षित निधियां		
i) पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधियां		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	18,401,205	18,675,821
वर्ष के दौरान कटौती	(259,604)	(274,616)
	18,141,601	18,401,205
ii) निवेश प्रारक्षित निधियां		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	4,871,085	4,445,717
वर्ष के दौरान परिवर्धन	538,300	426,368
	5,409,385	4,871,085
III. शेयर प्रीमियम		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	74,383,893	59,442,517
वर्ष के दौरान परिवर्धन /समायोजन	25,170,130	14,941,376
	99,554,023	74,383,893
IV. राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां		
राजस्व प्रारक्षित निधियां		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	23,186,583	23,518,583
वर्ष के दौरान परिवर्धन	9,300	7,900
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	0	(339,900)
	23,195,883	23,186,583
V. विशेष प्रारक्षित निधियां आयकर अधिनियम के यू/एस 36 (1)(viii)	1,106,737	1,070,517
VI. लाभ एवं हानि खाते में शेष राशि	(7,389,809)	(10,718,733)
कुल	160,766,951	130,427,581

31 मार्च 2015 को समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000 को छोड़कर)

विवरण	31/03/2015 को ₹	31/03/2014 को ₹
अनुसूची 2 : मायनॉरिटी इंटेरेस्ट		
मायनॉरिटी इंटेरेस्ट उस दिनांक को जब मुख्य / अनुषंगी संबंध स्थापित हुआ	24,500	24,500
अनुवर्ती वृद्धि/कमी	302,808	283,698
तुलन पत्र के दिनांक को मायनॉरिटी इंटेरेस्ट	327,308	308,198
अनुसूची 3 : जमाराशियां		
ए. I. मांग जमाराशियां		
i) बैंक से	9,161,917	17,122,616
ii) अन्य से	122,761,539	118,154,911
	131,923,456	135,277,527
II. बचत बैंक जमाराशियां	738,098,898	664,737,461
III. सावधि जमाराशियां		
i) बैंक से	56,900,366	49,810,188
ii) अन्य से	1,632,493,272	1,553,620,085
	1,689,393,638	1,603,430,273
कुल	2,559,415,992	2,403,445,261
बी. i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां	2,559,415,992	2,403,445,261
ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां	-	-
अनुसूची 4 : उधार राशियां		
I. भारत में उधार राशियां		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	142,071,241	63,389,835
ii) अन्य बैंक	0	31,904
iii) अन्य संस्थान एवं एजेन्सियां	38,934,132	43,251,808
iv) अनारक्षित प्रतिदेय बॉन्ड्स (गौण ऋण)	24,363,000	26,363,000
V) अपर टियर II बॉन्ड्स	28,850,000	28,850,000
vi) नवान्मेष बेमियादी ऋण लिखत	10,830,000	10,830,000
vii) अरक्षित पुर्नमोचनीय एनसी बासल III बॉण्ड्स (टीयर II)	10,000,000	10,000,000
	255,048,373	182,716,547
II. भारत के बाहर उधारराशियां	5,937,500	38,649,000
कुल	260,985,873	221,365,547
उपर्युक्त I एवं II में शामिल रक्षित उधारराशियां	निरंक	निरंक



31 मार्च 2015 को समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000 को छोड़कर)

विवरण	31/03/2015 को		31/03/2014 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 5 : अन्य देयताएं एवं प्रावधान				
I. देय बिल	8,682,760		7,655,224	
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	0		0	
III. उपचित ब्याज	15,544,730		16,610,029	
IV. आस्थगित कर देयता	1,102,716		5,966,707	
V. अन्य (प्रावधान सहित)	104,249,061	129,579,267	85,493,496	115,725,456
कुल		129,579,267		115,725,456
अनुसूची 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ नकदी एवं शेष राशि				
I. हस्ते नकदी (विदेशी मुद्रा सहित)		22,653,265		13,631,676
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष राशि				
चालू खातों में	118,510,478		104,634,632	
अन्य खातों में	0		1,000,000	
कुल		118,510,478		105,634,632
कुल		141,163,743		119,266,308
अनुसूची 7 : बैंकों में जमाराशियां एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि				
I. भारत में				
i) बैंकों के पास शेष राशि				
ए) चालू खातों में	3,036,061		2,583,816	
बी) अन्य जमा खातों में	271,139		103,510	
		3,307,200		2,687,326
ii) मांग व अल्प सूचना पर राशि				
ए) बैंकों के पास	2,000,000		0	
बी) अन्य संस्थाओं के पास	0		0	
		2,000,000		0
कुल. I		5,307,200		2,687,326
II. भारत के बाहर				
ए) चालू खातों में	1,909,349		1,909,528	
बी) अन्य जमा खातों में	0		0	
सी) मांग व अल्प सूचना पर राशि	0		0	
कुल. II		1,909,349		1,909,528
कुल. (I + II)		7,216,549		4,596,854



31 मार्च 2015 को समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000 को छोड़कर)

विवरण	31/03/2015 को		31/03/2014 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 8 : निवेश				
I. भारत में निवेश*				
i) सरकारी प्रतिभूतियों में	754,157,878		678,946,602	
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	0		0	
iii) शेयर्स	12,834,462		14,005,581	
iv) डिबेंचर एवं बांड्स	100,454,377		98,190,467	
v) अनुषंगियां एवं प्रायोजित संस्थान	4,157,419		3,753,227	
vi) अन्य (यटीआई शेयर्स एवं वाणिज्यिक पेपर्स म्यूचुअल फंड आदि	83,833,986		67,197,562	
		955,438,122		862,093,439
II. भारत के बाहर निवेश**				
i) सरकारी प्रतिभूतियों में	-		-	
ii) असोशिएट्स में निवेश	1,115,434		530,604	
		1,115,434		530,604
कुल		956,553,556		862,624,043
* भारत में निवेश :				
निवेश का सकल मूल्य	957,244,570		864,579,811	
घटाएं : मूल्यहास हेतु प्रावधान	1,806,448		2,486,372	
शुद्ध मूल्य		955,438,122		862,093,439
** भारत के बाहर निवेश :				
निवेश का सकल मूल्य	1,115,434		530,604	
घटाएं : मूल्यहास हेतु प्रावधान	-		-	
शुद्ध मूल्य		1,115,434		530,604
कुल		956,553,556		862,624,043
अनुसूची 9 : ऋण एवं अग्रिम				
ए. i) खरीदे गए एवं भुनाए गए बिल	20,953,233		22,349,315	
ii) नकद उधार, ओवर ड्राफ्ट एवं मांग पर प्रतिदेय ऋण	728,035,416		666,587,527	
iii) मीयादी ऋण	1,141,686,618	1,890,675,267	1,088,609,241	1,777,546,083
कुल		1,890,675,267		1,777,546,083
बी. अग्रिमों का विवरण				
i) मूर्त आस्तियों द्वारा रक्षित (बही ऋण के समक्ष अग्रिमों सहित)	1,646,215,830		1,556,322,287	
ii) बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा रक्षित	93,403,474		1,833,661	
iii) अरक्षित	151,055,963	1,890,675,267	219,390,135	1,777,546,083
कुल		1,890,675,267		1,777,546,083
सी. अग्रिमों का क्षेत्रवार वर्गीकरण				
(I) भारत में अग्रिम				
i) प्राथमिकता क्षेत्र	703,390,285		617,468,736	
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	208,996,695		208,482,642	
iii) बैंक	8,689		3,093	
iv) अन्य	978,279,598	1,890,675,267	951,591,612	1,777,546,083
कुल		1,890,675,267		1,777,546,083
(II) भारत के बाहर अग्रिम				



31 मार्च 2015 को समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000 को छोड़कर)

विवरण	31/03/2015 को		31/03/2014 को	
	₹	₹	₹	₹
अनसूची 10 : अचल आस्तियां				
I. परिसर				
(लागत/पुनर्मूल्यांकित लागत पर)				
पिछले वर्ष के 31 मार्च को शेष राशि	24,747,330		24,731,464	
वर्ष के दौरान परिवर्धन के खाते को जोड़ना	-		-	
कुल	24,850,974		24,731,464	
इस दिनांक को मूल्यहास	5,074,659		4,742,356	
कुल. I		19,776,315		20,004,974
II. अन्य अचल आस्तियां				
(फर्नीचर एवं जुड़नार सहित)				
पिछले वर्ष के 31 मार्च को शेष राशि	20,458,603		17,101,857	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	10,897,438		3,960,641	
कुल	31,356,041		21,062,498	
वर्ष के दौरान कटौतियां / समायोजन	8,406,990		603,895	
कुल	22,949,051		20,458,603	
इस दिनांक को मूल्यहास	14,384,760		12,409,123	
कुल. II		8,564,291		8,049,480
कुल. (I + II)		28,340,606		28,054,454
अनुसूची 11 : अन्य आस्तियां				
I. उपचित ब्याज	18,429,806		17,600,526	
II. अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर काटा गया कर (शुद्ध प्रावधान)	30,461,212		28,571,817	
III. स्टेशनरी एवं स्टाम्प	186,236		177,998	
IV. दावों की पूर्ति से अर्जित गैर बैंकिंग आस्तियां	-		-	
V. अंतर कार्यालय समायोजन	35,396,476		30,889,755	
VI. अन्य	19,145,776		31,529,702	
कुल		103,619,506		108,769,798
कुल		103,619,506		108,769,798
अनुसूची 12 : आकस्मिक देयताएं				
I. (ए) बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है.		1,094,250		1,196,346
(बी) अपील, संशोधन आदि के अंतर्गत विवादित आयकर मांग		18,137,660		14,005,894
II. आंशिक प्रदत्त निवेशों के लिए देयता		0		0
III. बकाया वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं के कारण देयता		667,746,178		640,602,389
IV. ग्राहकों की आरे से प्रदत्त गारंटी				
ए) भारत में	104,223,884		103,363,304	
बी) भारत के बाहर	10,854,478		5,673,489	
		115,078,362		109,036,793
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व		99,123,833		112,332,617
VI. अन्य मर्दे, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से देनदार है		7,752,500		8,383,128
कुल		908,932,783		885,557,167



दिनांक 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाते की अनुसूचियां

(000' को छोड़कर)

विवरण	समाप्त वर्ष 31-मार्च-15 ₹	समाप्त वर्ष 31-मार्च-14 ₹
अनुसूची 13 : अर्जित ब्याज एवं लाभांश		
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/ बट्टा	195,836,392	186,695,640
II. निवेशों पर आय	67,078,887	57,650,526
III. भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य अंतर-बैंक निधियों शेष राशि पर ब्याज	314,608	328,388
IV. अन्य	1,529,888	108,600
कुल	264,759,775	244,783,154
अनुसूची 14 : अन्य आय		
I. कमीशन, विनिमय एवं दलाली	8,832,126	8,216,847
II. निवेशों की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)	6,176,583	4,553,669
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / (हानि)	2,020,268	1,987,237
IV. भूमि, भवनों एवं अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ / (हानि)	(6,430)	(11,930)
V. विनमय लेन देनों पर लाभ (शुद्ध)	-	-
VI. भारत/विदेशों में अनुषंगियों एवं एसोशिएट्स से लाभांश इत्यादि के रूप में अर्जित आय	10	-
VII. विविध आय	1,981,385	4,567,949
कुल	19,003,942	19,313,772
अनुसूची 15 : प्रदत्त ब्याज		
I. जमाराशियों पर ब्याज	175,485,924	163,969,252
II. भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर बैंक उधार राशियों पर ब्याज	3,574,178	3,884,430
III. अन्य	12,936,435	11,777,158
कुल	191,996,537	179,630,840
अनुसूची 16 : परिचालन व्यय		
I. कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	38,306,122	35,414,861
II. किराया, कर एवं बिजली	3,696,991	3,358,085
III. मुद्रण एवं लेखनसामग्री	502,222	472,980
IV. विज्ञापन एवं प्रचार- प्रसार	255,434	266,024
V. ए) बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	2,296,207	2,088,030
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते एवं खर्चे	11,282	12,911
VII. लेखापरीक्षकों की फीस एवं खर्चे (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	225,047	173,845
VIII. विधि प्रभार	207,312	189,789
IX. डाक, तार, टेलीफोन इत्यादि	653,778	529,663
X. मरम्मत एवं रखरखाव	744,313	588,400
XI. अशोध्य कर्ज बट्टा खाता	15,634	13,121
XII. बीमा	2,445,557	1,961,280
XIII. अन्य व्यय	6,606,520	6,831,779
कुल	55,966,419	51,900,768



अनुसूची 17 - समेकित खातों की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. तैयार करने का आधार :

संलग्न समेकित वित्तीय विवरणियां (सीएफएस) लाभकारी कारोबार वाले संस्थान की अवधारणा का अनुसरण करते हुए परिसरों के पुनर्मूल्यन के मामलों को छोड़ कर सामान्यतया परंपरागत लागत सिद्धांत पर तैयार की गई हैं। वे भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप हैं, जो लागू सांविधिक प्रावधानों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनिर्दिष्ट विनियामक मानदंडों, लेखांकन मानकों (एएस) तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी उद्घोषणाओं तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाओं को समाविष्ट करते हैं।

2. प्राक्कलनों का उपयोग :

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधतंत्र को वित्तीय विवरण की तिथि को सूचित आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशि तथा रिपोर्टिंग अवधि के लिए सूचित आय एवं व्ययों में प्राक्कलनों और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधतंत्र को यह विश्वास है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग किए गए प्राक्कलन विवेकसम्मत एवं समुचित हैं।

3. समेकन प्रक्रिया :

3.1 समूह (2 अनुषंगियों एवं 4 एसोशिएट्स के साथ [3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित]) के समेकित वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित आधार पर तैयार किया गया है:

ए. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (मूल बैंक) की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियां

बी. आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक-21 “समेकित वित्तीय विवरणों” के अनुसार, सभी महत्वपूर्ण अंतःसमूह शेषों/लेनदेनों, गैर वसूले लाभ/हानियों को समाप्त करने के पश्चात एवं इन अनुषंगियों से उनके सम्बंधित लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर मूल बैंक की समरूप लेखांकन नीतियों के अनुरूप, जहां कहीं आवश्यक रहा है, का समायोजन करने के बाद आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय की संगत मदों के साथ पंक्ति दर पंक्ति समेकन किया गया है।

सी. एसोशिएट्स में निवेश, जहां समूह के पास 20% अथवा उससे अधिक का मतदान अधिकार प्राप्त है और इसे आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक-23 समेकित वित्तीय विवरणों में एसोशिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन के अनुसार इक्विटी प्रणाली का उपयोग करने के लिए निकाला गया है तथा जहां समायोजन करना आवश्यक हुआ है, समायोजन करने के पश्चात मूल बैंक की एकरूप लेखांकन नीतियों के समरूप. इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड, एक एसोशिएट्स, की वित्तीय विवरणियां स्थानीय विनियामक आवश्यकताओं/अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के अनुरूप तैयार की गई हैं। इन एसोशिएट्स से प्राप्त वित्तीय विवरणियां ही उनके इन समेकित वित्तीय विवरणियों में समावेशन का संपूर्ण आधार तैयार करती हैं।

डी. एसोशिएट्स अर्थात इंडो जाम्बिया बैंक का लेखांकन वर्ष कैलेन्डर वर्ष है। यदि एसोशिएट्स का लेखांकन वर्ष मूल बैंक से भिन्न होने के मामलों में, लेखापरीक्षित अवधि के लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर लाभ का आनुपातिक हिस्सा लिया जाय एवं गैर लेखापरीक्षित अवधि के लिए, गैर लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर लाभ का हिस्सा लिया जाय।

3.2 समेकित अनुषंगियों की निवल आस्तियों में माइनॉरिटी हितों में निम्न शामिल है:

i. अनुषंगी में किए गए निवेश की तिथि को माइनॉरिटी को आरोप्य इक्विटी की राशि, एवं

ii. मूल बैंक एवं अनुषंगी के सम्बंध अस्तित्व में आने की तिथि से इक्विटी में माइनॉरिटी के हिस्से में संचलन।

4. विदेशी मुद्रा से सम्बंधित लेन-देन :

ए. विदेशी मुद्राओं में मौद्रिक आस्तियों व देयताओं का निर्धारण भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा वर्ष की समाप्ति पर अधिसूचित प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है तथा परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है।

बी. आय एवं व्यय की मदों का निर्धारण लेन-देन की तारीख को लागू विनिमय दरों पर किया जाता है।

सी. विदेशी मुद्रा में गारंटी, साखपत्र, स्वीकृतियां, पृष्ठांकन, तथा अन्य दायित्व वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित दरों पर निर्धारित की जाती हैं।

डी. बकाया वायदा संविदाएं वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित दरों पर निर्धारित की जाती हैं और परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है।



5. निवेश :

5.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निवेशों को परिपक्वता तक धारित, 'व्यापार हेतु धारित' तथा 'विक्रय के लिए उपलब्ध' श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है. तथापि, तुलनपत्र में दर्शाने के लिए निवेशों को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है :

- i) सरकारी प्रतिभूतियां
- ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
- iii) शेयर्स
- iv) डिबेंचर्स एवं बॉण्ड्स
- v) अनुषंगी एवं प्रायोजित संस्थानों में निवेश एवं
- vi) अन्य (यूटीआई शेयर्स, वाणिज्यिक पेपर एवं म्यूच्युअल फंड की यूनिट्स).

5.2 वर्गीकरण का आधार :

खरीद के समय निवेश का वर्गीकरण निम्न श्रेणियों में किया जाता है :

- i) परिपक्वता तक धारित
इनमें वे निवेश शामिल हैं, जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है.
- ii) व्यापार के लिए धारित
प्रतिभूतियां, जो मुख्य रूप से खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर पुनः बिक्री के लिए रखी जाती हैं.
- iii) विक्रय के लिए उपलब्ध
वे निवेश जो उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किए जा सकते हैं.

5.3 श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण :

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार, निवेशों की तीन श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण/बदलाव, अंतरण की तारीख पर अधिग्रहण लागत/बही मूल्य अथवा बाजार मूल्य, इनमें से जो कम हो, पर लेखागत किया जाता है. ऐसे अंतरण पर मूल्यहास, यदि कोई हो, तो उसका पूर्णतया प्रावधान किया जाता है.

5.4 मूल्यनिर्धारण :

ए) परिपक्वता तक धारित :

इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश को अधिग्रहण लागत पर मूल्यांकित किया जाता है. अंकित मूल्य से अधिक अधिग्रहण लागत/बही मूल्य के आधिक्य को परिपक्वता की शेष अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है.



बी) विक्रय के लिए उपलब्ध :

इस श्रेणी के अंतर्गत निवेशों को तिमाही अंतराल पर स्क्रिपवार बाजार के लिए निम्नवत चिन्हित किया जाता है :

i)	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	स्टॉक एक्सचेंज/एफआईएमएमडीए/पीडीएआई द्वारा घोषित बाजार मूल्य पर	
ii)	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा गारन्टीकृत प्रतिभूतियां, पीएसयू बॉण्ड	परिपक्वता आय पर विनियोजन के आधार पर	
iii)	ट्रेजरी बिल/जमा-प्रमाणपत्र/वाणिज्यिक पेपर	रखाव लागत पर	
iv)	इक्विटी शेयर	ए) उद्भूत	बाजार मूल्य पर
		बी) अनुद्भूत	प्रति शेयर बही मूल्य पर, यदि, नवीनतम (एक वर्ष से पुराना नहीं) तुलन पत्र उपलब्ध हो, या ₹ 1.00 प्रति कंपनी, यदि, नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध न हो तो.
v)	अधिमानी शेयर	ए) उद्भूत	बाजार मूल्य पर
		बी) अनुद्भूत	परिपक्वता पर उचित आय
vi)	डिबेंचर एवं बॉण्ड	ए) उद्भूत :	बाजार मूल्य पर
		बी) अनुद्भूत :	परिपक्वता पर उचित आय
vii)	म्युच्युअल फंड	ए) उद्भूत :	बाजार मूल्य पर
		बी) अनुद्भूत :	पुनः क्रय मूल्य पर या शुद्ध आस्ति मूल्य (जहां पुनः क्रय मूल्य उपलब्ध न हो)
viii)	वेंचर पूंजी	घोषित शुद्ध परिसम्पत्ति मूल्य अथवा लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के आधार पर, शुद्ध परिसम्पत्ति के विश्लेषित आंकड़े, जोकि 18 माह से पुराने न हों. यदि शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य / लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम लगातार 18 माह से अधिक की अवधि के लिए उपलब्ध न हों, तब प्रति वेंचर पूंजी निधि (वीसीएफ) के लिए ₹1/-.	

प्रतिभूति के बही मूल्य को समायोजित किए बगैर, प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत शुद्ध मूल्यहास का प्रावधान किया गया है एवं शुद्ध मूल्य वृद्धि को गणना में नहीं लिया गया है.

सी) व्यापार के लिए धारित :

इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों का मूल्यांकन मासिक अंतराल पर बाजार दरों पर, जहां उपलब्ध हैं, अथवा एफआईएमएमडीए द्वारा घोषित मूल्यों पर किया जाता है. प्रतिभूति के बही मूल्य को समायोजित किए बगैर प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत शुद्ध मूल्यहास का प्रावधान किया गया है एवं शुद्ध मूल्य वृद्धि है, को गणना में नहीं लिया गया है.

5.5 लागत निर्धारण :

भारत औसत लागत पद्धति के आधार पर निवेश लागत निर्धारित की गई है.

5.6 आय निर्धारण :

- निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है. तथापि 'परिपक्वता के लिए धारित' श्रेणी के निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ के मामले में, समतुल्य राशि 'पूंजी प्रारक्षित निधि' में विनियोजित की गयी है.
- निवेशों की तीन श्रेणियों में से किसी में भी शामिल प्रतिभूतियों के सम्बंध में, जहां ब्याज/मूल धन 90 दिन से अधिक समय के लिए



बकाया है, वहां आय की गणना नहीं की गई है तथा गैर निष्पादक अग्रिमों पर लागू विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किए गए निवेशों के मूल्यहास हेतु उपयुक्त प्रावधान किया गया है। अग्रिम की प्रकृति के डिबेंचर/बॉण्ड, अग्रिमों पर लागू सामान्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन रखे गए हैं।

- iii. यदि बैंक को देय ब्याज एवं/अथवा मूल धन या अन्य कोई राशि 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहे, राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण जोखिम को अवमानक/संदिग्ध/हानि के रूप में, जैसा भी मामला हो, वर्गीकृत किया गया है तथा विवेकसम्मत मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान किये गए हैं।
- iv. प्रतिभूतियों की खरीद पर प्राप्त दलाली, प्रोत्साहन राशि, ऋण संबंधी प्रारंभिक शुल्क आदि को निवेशों की लागत में से घटाया गया है।
- v. प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के समय किए गए खर्चों जैसे दलाली, फीस, कमीशन या करों को आय में प्रभारित किया गया है।
- vi. प्रतिभूतियों के क्रय या बिक्री पर खंडित अवधि के ब्याज को आय मद माना गया है।

6. डेरिवेटिव्स

वित्तीय हानि से बचाव-व्यवस्था के लिए प्रयुक्त डेरिवेटिव्स को निम्नानुसार लेखांकन किया गया है।

- i. जिनमें अंतर्निहित आस्तियां/देयताएं बाजार मूल्य हैं, उन्हें बाजार चिन्हित माना गया है तथा परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है।
- ii. जहां अंतर्निहित आस्तियां/देयताएं बाजार मूल्य को चिन्हित नहीं की गई हैं उन मामलों में, ब्याज दर स्वैप, जो ब्याज धारित आस्तियों/देयताओं का वित्तीय हानि से बचाव करते हैं, उन्हें उपचित आधार पर लेखागत किया गया है।
- iii. स्वैप समाप्ति पर हुए लाभ अथवा हानि को स्वैप के शेष संविदागत अवधि अथवा आस्तियों/देयताओं की शेष अवधि में से, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

7. अग्रिम :

- ए. अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध अथवा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा इस सम्बंध में अपेक्षित प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किए गये हैं।
- बी. वाद दायर, डिफ़ीकृत खातों तथा समझौता मामलों में जहां वसूली पहले मूल धन के लिए अथवा डिफ़ी/समझौते की शर्तों के अनुसार विनियोजित की जाती है, को छोड़ कर एनपीए खाते में वसूलियों को पहले मूल धन की अनियमितताओं के लिए समायोजित किया जाता है।
- सी. अग्रिम प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज एवं उधारकर्ताओं से वसूल की गई राशि जो विविध खाते में रखी गई है तथा सीजीटीएसआई/ईसीजीसी से वसूल की गई राशि को घटाकर अग्रिम दर्शाये गये हैं।

मानक आस्तियों के लिए किया गया प्रावधान अन्य देयताएं एवं प्रावधान अन्य में शामिल हैं।

- डी. बेची गई वित्तीय आस्तियों का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है:

यदि बिक्री प्राप्तियां निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम कीमत पर है तो वह कमी लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित की गई है।

यदि एसी/आरसी को एनबीवी (अर्थात् बही मूल्य से से रखा गया प्रावधान घटा कर) कीमत से कम पर बेचा गया है तो इस कमी को वर्ष के लाभ हानि खाते में नामे किया जाय।

यदि नकद आधार पर एनबीवी से अधिक कीमत पर बिक्री हुई हो तो उस आधिक्य को लाभ हानि खाते में जमा किया जाय।

यदि एसी/आरसी को एनबीवी के मूल्य से अधिक पर बिक्री हुई हो तो नकद वसूली के समान प्रावधान आधिक्य को लाभ हानि खाते में जमा किया जाता है एवं शेष बचे प्रावधान आधिक्य को एसी/आरसी को बेचे जाने वाली वित्तीय आस्तियों की कमी/हानि के लिए उपयोग करने हेतु रखा जाता है।

- ई. सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड के मामले में, राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा निर्धारित विवेकसम्मत मानदंडों के आधार पर आय निर्धारण एवं ऋण तथा अग्रिमों पर प्रावधान किए जाते हैं।



एफ.सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड के मामले में, आवास ऋणों, होम इक्विटी ऋण, टॉप-अप ऋण तथा संपत्ति के विरुद्ध ऋण का भुगतान मूलधन एवं ब्याज को मिलाकर समान मासिक किस्तों (ईएमआई) के द्वारा किए जाते हैं. स्थिर दर वाले ऋणों के सम्बंध में, वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में बकाया शेष राशि पर ब्याज की गणना की जाती है; अस्थिर दर वाले ऋणों के मामले में, पिछले माह के अंतिम दिन के बकाया शेष राशि पर प्रत्येक माह की 1ली तारीख को ब्याज की गणना की जाती है. जैसे ही संपूर्ण ऋण संवितरित हो जाता है, ईएमआई शुरू हो जाती है. ईएमआई शुरू होने के लंबित रहते, पूर्व-ईएमआई ब्याज प्रत्येक माह देय होता है.

8. अचल आस्तियां/मूल्यहास :

ए. अचल आस्तियों (कम्प्यूटरों के अतिरिक्त, जिनका मूल्यहास सीधी कटौती पद्धति पर किया गया है) का मूल्यहास 'मूल्यहासित मूल्य प्रणाली' के अंतर्गत निम्न दरों पर किया गया है :

i)	परिसर	अनुमानित जीवन काल के आधार पर आधारित परिवर्तनीय दरों पर
ii)	फर्नीचर, लिफ्ट, सुरक्षित जमा कक्ष	10%
iii)	वाहन	20%
iv)	वातानुकूलन यंत्र, कूलर, टाइपराइटर आदि	15%
v)	सिस्टम सॉफ्टवेयर सहित कंप्यूटर	33.33%

(अधिग्रहण वर्ष के दौरान एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर को आय में प्रभारित किया जाता है.)

बी. उन आस्तियों के मामले में, जिनका पुनर्मूल्यांकन किया गया है, मूल्यहास पुनर्मूल्यन राशि पर किया गया है तथा वृद्धिशील मूल्यहास, जो पुनर्मूल्यन राशि के लिए उत्तरदायी है, उसे 'पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधि' में समायोजित किया गया है.

सी. 30 सितंबर तक आस्तियों में परिवर्धन के लिए पूरे वर्ष मूल्यहास का प्रावधान किया गया है तथा उसके बाद परिवर्धित आस्तियों हेतु आधे वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है. 30 सितंबर से पूर्व बेची गई आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान नहीं किया गया है तथा 30 सितंबर के बाद बेची गई आस्तियों के लिए अर्द्ध वर्ष के लिए मूल्यहास का प्रावधान किया गया है.

डी. पट्टेवाली भूमियों का मूल्य पट्टे की अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है. पुनर्मूल्यन के मामले में, मूल लागत और पुनर्मूल्यन मूल्यों के अंतर को पट्टे की बाकी अवधि के लिए परिशोधित किया गया है और 'पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधि' में समायोजित किया गया है.

ई. जहां पर भूमि व परिसर के मूल्य को अलग-अलग करना संभव नहीं है, वहां सम्मिश्रित लागत पर मूल्यहास लगाया गया है.

एफ. अनुषंगियों के मामले में, अचल आस्तियों पर मूल्यहास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट दरों पर सीधी लाइन प्रणाली पर लगाया जाता है.

9. कर्मचारी - लाभ :

ए. ग्रेच्युइटी एवं पेंशन निधियों में वार्षिक अंशदान तथा अवकाश नकदीकरण का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर किया है एवं बीमांकिक द्वारा अनुमानित देयता के अनुसार राशि बैंक के खाते में मान्य की जाती है.

बी. उन कर्मचारियों के सम्बंध में जिन्होंने भविष्य निधि योजना हेतु विकल्प दिया है, समतुल्य का अंशदान किया गया है.

सी. बैंक ने अपनी लेखा बहियों में, कर्मचारी लाभ से उत्पन्न देयताओं को बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य तुलन पत्र में योजना आस्तियों के उचित मूल्य को घटाकर दर्शाया है.

डी. सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लि. के मामले में ग्रेच्युटी राशि का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है और भारतीय जीवन बीमा निगम के समूह परिपक्वता योजना में निवेश किया गया है.

10. आय एवं व्यय की पहचान :

ए. संविधानिक प्रावधानों के अनुसार नकद आधार पर लेखांकित आय को छोड़कर, आय/ व्यय की मदों को उपचित आधार पर लेखागत किया जाता है.

बी. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र सं. डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.89/21.4.018.2002-03 दिनांक 29.03.2003 के दिशानिर्देशों के अनुरूप, यदि कोई मद, कुल आय / कुल व्यय के 1% से अधिक हो तो उसके संबंध में पूर्व की अवधि का प्रकटीकरण किया जाता है.

सी. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप अतिदेय जमाओं पर देय ब्याज हेतु प्रावधान प्रावधान किए जाते हैं.



11. आय कर :

इस वर्ष के लिए कर हेतु प्रावधान में आस्थगित कर तथा लागू कर कानून के अनुसार वर्तमान कर देयता की गणना की गई है, जो कर योग्य आय तथा लेखा आय के बीच समय अंतर की पहचान करते हैं, जो एक समय में प्रारंभ होते हैं तथा एक या अधिक तदनन्तर अवधि में प्रत्यावर्तित होते हैं. आस्थगित कर आस्तियों की तब तक पहचान नहीं की जाती है जब तक कि 'वास्तविक निश्चितता' न हो, पर्याप्त भावी कर योग्य आय, ऐसे आस्थगित कर आस्तियों की वसूली के समक्ष उपलब्ध होगी. मूल्यांकन/अपील कार्यवाही के उद्देश्य से वर्ष में विवादित कर देयताओं का लेखांकन इस वर्ष में किया जाता है जब उसका अंतिम निर्धारण/अपील कार्यवाही पूर्ण हो जाती हो, तब तक इन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में दिखाया जाता है.

12. प्रति शेयर आय :

भारत औसत प्रणाली पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 20 प्रति शेयर आय के अनुसार, मूल बैंक, आधारभूत एवं डायल्यूटेड प्रति इक्विटी शेयर आय की गणना करता है.

आर.सी.लोढ़ा कार्यपालक निदेशक	बी.के.दिवाकर कार्यपालक निदेशक	आर.के.गोयल कार्यपालक निदेशक	राजीव ऋषि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
स्थान : दिल्ली			
दिनांक : 25 मई, 2015			

सौरभ गर्ग निदेशक	शेखर भटनागर निदेशक	एम.पी.शोरावाला निदेशक
कृष्ण सेठी निदेशक	श्रीमती एन.एस.रत्नप्रभा निदेशक	एस.बी.रोडे निदेशक
	गुरबख्श कुमार जोशी निदेशक	
कृते कुमार चोपडा एंड एसोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ. आर. सं.000131एन	कृते पी.के. सुब्रमणियम एंड कं. सनदी लेखाकार एफआर सं.004135एस	कृते दूगड एंड एसोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ. आर. सं.000561एन
(सीए आर.के. अग्रवाल) भागीदार सदस्यता सं.081510	(सीए वीराबासना गौड़ा) भागीदार सदस्यता सं.0208698	(सीए मुकेश गोयल) भागीदार सदस्यता सं.081810
कृते एन.सरकार एंड कं. सनदी लेखाकार एफ. आर. सं.301075ई	कृते बी.एन. मिश्रा एंड कं. सनदी लेखाकार एफ. आर. सं.321095ई	कृते चंदाभाँय एण्ड जस्सूभाँय सनदी लेखाकार एफ. आर सं.101647डब्ल्यू
(सीए जी. मुखोपाध्याय) भागीदार सदस्यता सं.010534	(सीए बी.एन.मिश्रा) भागीदार सदस्यता सं.083927	(सीए अम्बेश ए. दवे) भागीदार सदस्यता सं.049289

स्थान : दिल्ली

दिनांक : 25 मई, 2015



अनुसूची 18 - समेकित लेखों से सम्बंधित टिप्पणियाँ

1. समेकित वित्तीय विवरणियों में शामिल अनुषंगियाँ एवं एसोशिएट्स

समेकित वित्तीय विवरणियों में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (मूल बैंक), इसकी दो अनुषंगियाँ एवं 4 एसोशिएट्स, जिनमें मूल बैंक द्वारा प्रायोजित 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) और इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड (जिन्हें सम्मिलित रूप से 'दि ग्रुप' के नाम से संदर्भित किया गया है) का विवरण निम्नानुसार है :

अनुषंगी/एसोशिएट का नाम	निगमन-देश	दिनांक 31 मार्च, 2015 को स्वामित्व हित	दिनांक 31 मार्च 2014 को स्वामित्व हित
सेन्ट्रल बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड (अनुषंगी)	भारत	64.40%	64.40%
सेन्ट्रल बैंक फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड (अनुषंगी)	भारत	100.00%	100.00%
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर (एसोशिएट)	भारत	35.00%	35.00%
उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार (एसोशिएट)	भारत	35.00%	35.00%
सेन्ट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा (एसोशिएट)	भारत	35.00%	35.00%
इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड (एसोशिएट)	जाम्बिया	20.00%	20.00%

*वर्ष के दौरान इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड ने मूल बैंक को 12,124,763 बोनस शेयर आबंटित किए हैं. मूल बैंक ने भी इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड के 48,600,000 इक्विटी शेयर में भी निवेश किया है. तथापि, स्वामित्व हित 20% के समान प्रतिशत पर बना हुआ है.

- अनुषंगियों एवं एसोशिएट की वित्तीय विवरणियों, जो समेकित में उपयोग किए गए हैं, को उसी तारीख को तैयार किया गया है, जिस तारीख को मूल बैंक की तैयार की गई हैं अर्थात दिनांक 31 मार्च, 2014 को सिवाय इंडो जाम्बिया बैंक लि. के, जिसकी रिपोर्टिंग अवधि कैलेन्डर वर्ष है. तदापि लाभ की राशि 9 माह की लेखापरीक्षित एवं 3 माह के अलेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर ली गई है.
 - एसोशिएट में मूल बैंक का संचित शेयर, समूह के संचित आरक्षित निधियों में सदृश समायोजन के साथ निवेश के रखाव लागत सहित जोड़ा जाय.
 - अन्य आवास वित्त संस्थानों की तरह सेन्ट्रल बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड लम्बी अवधि के लिए ऋण प्रदान करती है, जबकि जमाएं/ देयताएं लघु अवधि के लिए प्राप्त की जाती है, जिससे असंगतता उत्पन्न होती है. इसे पर्याप्त ऋण सुविधा की उपलब्धता कराई जा रही है.
2. वर्ष के दौरान बैंक ने निम्नलिखित अनुषंगियों एवं एसोशिएट्स में अतिरिक्त पूंजी दी.

(₹ करोड़ में)

अनुषंगी/एसोशिएट्स का नाम	पूंजी निषेचित राशि	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
सेन्ट्रल बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड (अनुषंगी)	निरंक	4.20
सेन्ट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा (एसोशिएट्स)	निरंक	33.92
उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार (एसोशिएट्स)	46.83	निरंक

- समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में, अनुषंगियों के संबंध में कुल मामलों में सामान लेनदेनों के लिए अलग लेखांकन नीतियां अपनाई गई हैं, जिनके बारे में आवश्यक जानकारी उपलब्ध न होने के कारण उपयुक्त समायोजन नहीं किए गए हैं.

प्रबंधन के अभिमत में यह महत्वपूर्ण नहीं है. मूल बैंक की तुलना में अनुषंगियों द्वारा जिन मदों के लिए अलग लेखांकन नीतियों को अपनाया गया है, वे निम्नानुसार दी जा रही हैं :

	मूल बैंक	सेन्ट्रल बैंक होम फाइनेंस लि. (अनुषंगी)	सेन्ट्रल बैंक फाइनेंसियल सर्विसेज लि. (अनुषंगी)
मूल्यहास	बैंक ने सिर्फ कंप्यूटरों के लिए मूल्यहास की सीधी रेखा पद्धति को छोड़कर अवलेखन मूल्य प्रणाली को अपनाया है (अनुसूची 17 का नोट 8)	कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित सीधी रेखा पद्धति के आधार पर मूल्यहास लागू किया गया है. वर्ष के दौरान मूल्यहास ₹ 0.23 करोड़ (गत वर्ष ₹ 0.10 करोड़) प्रभारित किया गया है.	कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित सीधी रेखा पद्धति के आधार पर मूल्यहास प्रभारित किया गया है. वर्ष के दौरान मूल्य हास ₹ 0.17 करोड़ (गत वर्ष ₹ 0.16 करोड़) प्रभारित किया गया है.



अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	बीमांकिक आधार पर	कंपनी द्वारा मूल्यांकित	मूल्यांकित नहीं किया गया.
एनपीए खातों में वसूली का विनियोजन	सूट फाइल, डिफ्रि खातों एवं समझौता मामलों में जहां वसूली डिफ्रि / निपटान के नियमों के अनुसार मूल में विनयोजित होती है के अलावा अर्नजक परिसंपत्तियों के विरूद्ध वसूली पहले मूल अनियमित राशि विनयोजित होगी.	अर्नजक परिसंपत्तियों के विरूद्ध वसूली पहले ईएमआई के ब्याज वाले भाग में विनयोजित होगी एवं उसके पश्चात अतिदेय ईएमआई के मूल भाग में विनयोजित होगी.	लागू नहीं

4. मूल बैंक

4.1 पूंजी

4.1.1 बैंक की प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी गत वर्ष ₹ 3000 करोड़ से बढ़कर दिनांक 31.03.2015 को ₹ 5000 करोड़ हो गयी.

4.1.2 नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रत्येक ₹ 10/- प्रति के नये इक्विटी शेयर जारी करने से बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी गत वर्ष के ₹1350.44 करोड़ से बढ़कर दिनांक 31.03.2015 को ₹1658.27 करोड़ हो गई है

1. दिनांक 1 अगस्त 2014 को ₹ 71.83 प्रति शेयर के प्रीमियम पर ₹ 71.08 करोड़ के इक्विटी शेयर का निर्गमन.
2. दिनांक 1 जनवरी 2015 को ₹ 65.55 प्रति शेयर के प्रीमियम पर ₹ 82.89 करोड़ के शेयर का निर्गमन.
3. भारत सरकार द्वारा धारित प्रत्येक ₹ 10/- के कुल मूल्य ₹ 1617.00 करोड़ के शाश्वत अपरिवर्तनीय अधिमानी शेयरों के दिनांक 24 मार्च 2015 को प्रति शेयर ₹ 95.09 के प्रीमियम पर ₹ 153.86 करोड़ के इक्विटी शेयरों का निर्गमन.

4.2 बहियों का समतुलन / मिलान :

निम्नलिखित मदों का समतुलन प्रगति पर है :

- अंतर शाखा/कार्यालय शेष
- अंतर बैंक खाते
- प्रणाली उचंत खाता
- उचंत खाता
- समाशोधन एवं अन्य समायोजन खाते
- एटीएम से संबंधित शेष
- नॉमिनल खातों में रखे विशिष्ट शेष
- नोस्ट्रो खाते
- सेन्ट्रल कार्ड विभाग द्वारा रखे गए दर्पण खाते

प्रबंधन का मत है कि खातों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई है, तो वह अधिक महत्वपूर्ण नहीं होगा.

4.3 आय कर / आस्थगित कर :

4.3.1 वर्ष के लिए आयकर का प्रावधान विवादित मामलों से संबंधित सांविधिक प्रावधानों एवं न्यायिक निर्णयों पर विचार करने के बाद किया गया है.

4.3.2 अन्य आस्तियां अनुसूची 11 (ii) में ₹1813.41 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1400.59 करोड़) शामिल हैं, जो बैंक द्वारा भुगतान किए गए या आयकर विभाग द्वारा समायोजित विवादित आय कर के संदर्भ में हैं. ऐसे विवादित मामलों पर विभिन्न न्यायिक उद्घोषणाओं एवं बैंक के अपने मामलों में पक्ष में हुए निर्णयों के आधार पर उपर्युक्त विवादित मांगों के लिए कर की विवादित राशि का प्रावधान किया जाना बैंक द्वारा आवश्यक नहीं समझा गया.



4.4 परिसर :

बैंक के स्वामित्व वाले परिसरों में ₹32.06 करोड़ मूल्य (पिछले वर्ष ₹ 55.22 करोड़) की पुनर्मूल्यांकन कीमत, जिसके पंजीकरण की औपचारिकताएं अभी भी प्रक्रियाधीन हैं.

4.5 अग्रिम / प्रावधान :

4.5.1 पोषण / पुनर्वसन / पुनर्विन्यास कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली इकाइयों सहित रुग्ण इकाइयों को दिए गए अग्रिम और संदिग्ध / हानि आस्तियों में वर्गीकृत अन्य अग्रिमों को, बैंक के पास बंधक रखी गई सम्पत्तियों / आस्तियों के मूल्यांककों द्वारा दिए गए तथा बैंक के पास उपलब्ध अन्य आंकड़ों के आधार पर प्रथम अथवा द्वितीय प्रभार धारण करने वाली प्रतिभूतियों के अनुमानित वसूली योग्य मूल्य तक प्रतिभूत / वसूली योग्य माना जाएगा.

4.5.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार बैंक ने फ्लोटिंग प्रावधान से ₹100.56 (पिछले वर्ष ₹103.09 करोड़) करोड़ एवं प्रतिचक्रिय प्रावधान से ₹47.34 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 46.63 करोड़) जो इन खातों में बकाया राशियों के 50% (पिछले वर्ष 33%) के समान है, का उपयोग अनर्जक आस्तियों के विशेष प्रावधान के लिए किया गया है. बैंक ने शुद्ध एनपीए की गणना के लिए शेष फ्लोटिंग प्रावधान ₹100.56 करोड़ (गत वर्ष ₹209.34 करोड़) एवं प्रतिचक्रिय प्रावधान की राशि ₹47.34 करोड़ (गत वर्ष ₹94.67 करोड़) को सकल एनपीए में से घटाया है.

4.5.3 अच्छे एवं रक्षित माने गए अग्रिमों में आईबीए द्वारा जारी (गैर प्राथमिकता क्षेत्र) यूनिफॉर्म कोड गवर्निंग इंटर बैंक पार्टिसिपेशन द्वारा अधिशासी आईबीपीसी में ₹ निरंक (गत वर्ष ₹ 2200 करोड़) एवं आरआरबी द्वारा जारी आईबीपीसी में कुल ₹ निरंक (गत वर्ष ₹2200 करोड़) प्राथमिकता क्षेत्र/प्रत्यक्ष कृषि का निवेश शामिल है.

4.6 आरबीआई द्वारा लगाए गए दंडों का प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने उनके मानदंडों का अनुपालन न करने के कारण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) पठित धारा 47ए (1) (सी) के अंतर्गत बैंक को ₹ 4.92 करोड़ से दण्डित किया है.

5. लेखांकन मानकों का अनुपालन

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार निम्नलिखित जानकारी का प्रकटीकरण किया जाता है :

5.1 लेखांकन मानक - 5

एनपीए में वसूली :

- सूट फाइल, डिफ्री खातों एवं समझौता मामलों में जहां वसूली डिफ्री / निपटान के नियमों के अनुसार मूल में विनयोजित होती है के अलावा अनर्जक परिसंपत्तियों के विरुद्ध वसूली पहले मूल अनियमित राशि विनयोजित होगी.
- भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र क्रमांक आरबीआई/2013-14/502 दिनांक 26.02.2014 के अनुसार, एससी/आरसी को एनबीवी से अधिक मूल्य पर बेचने के मामलों में, नगद वसूली राशि ₹ 38.00 करोड़ को लाभ हानि खाते में जमा कर लिया गया जोकि वर्तमान लेखांकन नीति के अनुसार अधिक प्रावधान में रखा गया. जिसके फलस्वरूप यह असर पड़ा कि वर्ष का लाभ ₹ 38.00 करोड़ से अधिक हो गया एवं प्रावधान उसी परिमाण में कम हो गया.

5.2 लेखांकन मानक - 9

मूल लेखांकन नीति की अनुसूची 17 के क्रम 10 के अनुसार आय की कुछ मदों की पहचान वसूली के आधार पर की गई है. तथापि, कथित आय को महत्वपूर्ण नहीं माना गया है.

5.3 लेखांकन मानक - 15 (संशोधित) मूल बैंक

5.3.1 वर्ष 2010-11 में, भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं डीबीओडी सं बीपी:बीसी:80/21.04.018/2010-11 दिनांक 09.02.2011 के अनुसार, बैंक ने उन विद्यमान कर्मचारियों, जिन्होंने पूर्व में पेंशन का विकल्प नहीं लिया था, उन्हें पुनः पेंशन का विकल्प चुनने का अवसर दिया था एवं ग्रेच्युटी में अभिवृद्धि से उत्पन्न अतिरिक्त देयता को 31.03.2011 को समाप्त वर्ष से 5 साल की अवधि में परिशोधन करने का बैंक ने विकल्प चुना है. तदनुसार, 01.04.2014 को अपरिशोधित राशि ₹ 295.38 करोड़ में से बैंक ने ₹ 239.98 करोड़ पेंशन के लिए एवं ग्रेच्युटी के लिए ₹ 55.40 करोड़ दिनांक 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के दौरान आनुपातिक आधार पर परिशोधित की है.



5.3.2 कर्मचारी लाभ : मूल बैंक

बीमांकिक मूल्यांकनों के आधार पर पेंशन एवं ग्रेच्युटी लाभार्थ सुपरिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य के प्रारंभिक एवं अंतिम शेष का मिलान नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष	
	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी
दिनांक 31 मार्च, 2015 को सुपरिभाषित लाभ दायित्व देयताएं				
प्रारंभिक दायित्व	8139.02	1063.63	7190.56	978.11
सेवा लागत	120.08	24.27	166.74	30.01
ब्याज लागत	734.00	93.98	600.80	79.31
बीमांकिक लाभ (हानि)	1402.97	292.38	758.99	126.30
प्रदत्त लाभ	(682.27)	(165.52)	(578.07)	(150.10)
गत सेवा लागत (परिशोधित/ अ-निहित)	-	-	-	-
गत सेवा लागत (निहित लाभ)	-	-	-	-
देयता अंतरण	-	-	-	-
दिनांक 31 मार्च, 2015 को दायित्व	9713.80	1308.74	8139.02	1063.63

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष	
	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी
दिनांक 31 मार्च, 2015 को उचित मूल्य पर योजना आस्तियां				
उचित मूल्य पर प्रारंभिक योजना आस्तियां	7862.67	1065.22	6629.78	884.31
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	750.63	99.99	654.74	91.42
बीमांकिक [लाभ]/हानि	275.12	45.72	(28.78)	(1.91)
अंशदान	1106.40	166.90	1185.00	241.50
प्रदत्त लाभ	(682.27)	(165.52)	(578.07)	(150.10)
अन्य ट्रस्ट से अंतरण	-	-	-	-
दिनांक 31 मार्च, 2015 को उचित मूल्य पर योजना आस्तियां	9312.55	1212.31	7862.67	1065.22

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष	
	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी
दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लागत				
सेवा लागत	120.08	24.27	166.74	30.01
ब्याज लागत	734.00	93.98	600.80	79.31
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(750.63)	(99.99)	(654.74)	(91.42)
गत सेवा लागत (परिशोधित/ अ-निहित)	-	-	240.00	55.40
गत सेवा लागत (निहित लाभ)	-	-	-	-
बीमांकिक लाभ/हानि	1127.85	246.66	787.77	128.21
शुद्ध लागत	1231.30	264.92	1140.57	201.51



पूर्वधारणाएं :

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष	
	पेंशन	ग्रेच्युइटी	पेंशन	ग्रेच्युइटी
ब्याज दर	9.27%	9.35%	9.27%	9.35%
वेतन वृद्धि दर	5%	5%	5%	5%
योजना आस्तियों पर प्रतिफल की अनुमानित दर	8.70%	8.70%	8.70%	8.70%

5.3.3 सीबीएचएफ लि. ने अपने कर्मचारियों की समेकित ग्रेच्युइटी देयता को कवर करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से एक पॉलिसी ली है और इस पॉलिसी पर प्रदत्त प्रीमियम को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है. अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान की गणना दिनांक 31 मार्च, 2015 को कर्मचारियों के साधिकार अवकाश के शेष पर की है. यही 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए भी है.

5.4 लेखांकन मानक 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग समूह

दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए सेगमेंट रिपोर्ट			
(₹ लाखों में)			
क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31.03.15 को समाप्त वर्ष	दिनांक 31.03.14 को समाप्त वर्ष
ए.	सेगमेंट आय		
	1. ट्रेजरी परिचालन	7375.64	6323.29
	2. खुदरा बैंकिंग परिचालन	7885.76	6981.53
	3. थोक बैंकिंग परिचालन	13114.97	13094.00
	4. अन्य बैंकिंग परिचालन	-	-
	5. अनाबंटित	-	10.87
	कुल	28376.37	26409.69
बी.	सेगमेंट परिणाम		
	1. ट्रेजरी परिचालन	824.61	307.88
	2. खुदरा बैंकिंग परिचालन	311.18	917.25
	3. थोक बैंकिंग परिचालन	(52.28)	(2048.52)
	4. अन्य बैंकिंग परिचालन	-	-
	कुल	1083.51	(823.39)
सी	अनाबंटित आय / (व्यय)	(125.82)	(114.14)
डी.	परिचालन लाभ	957.69	937.53
ई.	आय कर	291.63	275.84
एफ.	शुद्ध लाभ	666.06	(1213.37)
	अन्य जानकारी		
जी.	सेगमेंट आस्तियां		
	1. ट्रेजरी परिचालन	109736.17	100820.38
	2. खुदरा बैंकिंग परिचालन	77570.07	66147.31
	3. थोक बैंकिंग परिचालन	120997.18	118749.13
	4. अन्य बैंकिंग परिचालन	-	-
	5. अनाबंटित आस्तियां	4462.39	4377.82
	कुल	312765.81	290094.64



एच.	सेगमेंट देयताएं		
1.	ट्रेजरी परिचालन	109916.82	101081.13
2.	खुदरा बैंकिंग परिचालन	72176.64	61531.48
3.	थोक बैंकिंग परिचालन	112794.64	110844.41
4.	अन्य बैंकिंग परिचालन	-	-
5.	अनाबंटित देयताएं	110.01	596.60
6.	प्रयुक्त पूंजी	17767.70	16041.02
	कुल	312765.81	290094.64

- i) भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने प्राथमिक रिपोर्टिंग क्षेत्र के रूप में ट्रेजरी परिचालन, कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग तथा अन्य बैंकिंग व्यवसाय का निर्धारण किया है। द्वितीय रिपोर्टिंग क्षेत्र के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।
- ii) ट्रेजरी परिचालनों में सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियों, मुद्रा बाजार परिचालन तथा फ़ारैक्स परिचालन शामिल हैं।
- iii) रिटेल बैंकिंग क्षेत्र में ₹ 5 करोड़ (निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित एक्सपोजर सहित) की सीमा तक के सभी एक्सपोजर शामिल हैं, यह अभिमुखताएं, उत्पाद, ग्रेनुलरिटी मानदंड तथा वैयक्तिक एक्सपोजर के अधीन है।
- iv) कॉर्पोरेट/समग्र खंड में ट्रस्ट/भागीदार फर्म, कम्पनियों तथा सांविधिक निकायों के वे सभी अग्रिम शामिल हैं, जो कि रिटेल बैंकिंग के तहत शामिल नहीं किए गए हैं।
- iv) अन्य बैंकिंग क्षेत्र में वे सभी अन्य बैंकिंग परिचालन शामिल हैं, जो उपर्युक्त तीनों श्रेणियों में शामिल नहीं हैं।
- v) सामान्य बैंकिंग परिचालन प्रमुख संसाधन संग्रहण इकाई है तथा ट्रेजरी खंड, प्रयुक्त औसत फंड को गणना में लेते हुए उधार दी गई निधियों के लिए पूरक का कार्य करता है।
- vii) लागत का आबंटन :
- ए एक विशिष्ट खंड से संबंधित खर्चे सीधे उस खंड को आबंटित किए जाते हैं।
- बी किसी विशिष्ट खंड से सीधे सम्बंध न किए जा सकने वाले खर्चों को विवेकपूर्ण आधार आबंटित किया गया है।

5.5 लेखांकन मानक 18 के अनुसार संबद्ध पार्टी प्रकटीकरण - संबद्ध पार्टी

1 संबद्ध पार्टियों की सूची

(ए) प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी

नाम	पद
श्री राजीव ऋषि	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री आर.के.गोयल	कार्यपालक निदेशक
श्री अनिमेष चौहान (दि.05/08/2013 से 31.12.2014)	कार्यपालक निदेशक
श्री बी.के.दिवाकर	कार्यपालक निदेशक
डॉ. आर. सी. लोढ़ा	कार्यपालक निदेशक

(बी) अनुषंगियां

- i) सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड.
- ii) सेन्ट बैंक फाइनेंशियल एण्ड कस्टोडियल सर्विसेस लिमिटेड.



(सी) असोशिएट्स -

(I) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - -

- i) सेन्ट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा
- ii) उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर
- iii) उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूचबिहार

(II) इंडो-जाम्बिया बैंक लिमिटेड, लुसाका (जाम्बिया)

2. संबद्ध पार्टियों के साथ लेन-देन:

(₹ लाख में)

(ए) मद	प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी	
	2014-15	2013-14
प्रदत्त पारिश्रमिक	0.92	0.81

(बी) क्र. सं.	सम्बद्ध पार्टियां	दिनांक को	बकाया		अंतरबैंक भागीदारी क्रेडिट (आईबीपीसी) के अंतर्गत भागीदारी				लाभांश आय
			ऋण	निवेश	प्रवर्तक बैंक को प्रत्यक्ष कृषि आस्तियों की बिक्री		प्रवर्तक बैंक से गैर-प्राथमिकता क्षेत्र पोर्टफोलियो क्रय		
					राशि	ब्याज भुगतान किया	राशि	ब्याज प्राप्त किया	
1) अनुषंगी		31.03.15	150.43	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42
		31.03.14	21.52	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79
2) सहायक		31.03.15	664.58	324.60	0.00	97.92	0.00	112.25	0.00
		31.03.14	604.80	277.77	2200.00	13.29	2200.00	15.23	0.00

(सी) सम्बंधित पार्टियों के सम्बंध में कोई प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है, जो एएस-18 के पैराग्राफ 9 के अनुसार सरकारी नियंत्रणाधीन उद्यम हैं। साथ ही, एएस-18 के पैरा 5 के अनुसार, प्रमुख प्रबंधतंत्र कार्मिक एवं प्रमुख प्रबंधतंत्र कार्मिक रिश्तेदार सहित, बैंकर-ग्राहक सम्बंध की प्रकृति के लेनदेनों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

5.6 लेखांकन मानक 20 - समूह का प्रति शेयर आय

लेखांकन मानक 20 के अनुसार प्रति शेयर आय की गणना निम्नानुसार की गई है :

	31.03.2015	31.03.2014
इक्विटी शेयरधारक के लिए कर के बाद उपलब्ध शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	666.06	(1213.37)
भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	1421571789	1137592631
प्रति शेयर मूल आय (₹)	4.69	(10.67)
प्रति शेयर की डाइल्यूटेड आय (₹)	4.69	(10.67)
प्रति शेयर सांकेतिक आय (₹)	10	10



5.7 लेखांकन मानक 22 – आय पर कर का लेखांकन (समूह का)

बैंक ने आस्थगित कर आस्तियां/देयताएं मान्य की हैं।

आस्थगित कर आस्तियां एवं आस्थगित कर देयताओं के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

	31.03.2015	31.03.2014
आस्थगित कर आस्तियां :		
व्यवसाय हानि	-	575.14
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	148.43	154.63
ग्रेच्युइटी / पेंशन के लिए प्रावधान	5.52	-
निवेश पर मूल्यहास	87.61	-
ऋण एवं अग्रिमों हेतु प्रावधान/अन्य	279.73	4.32
स्थायी आस्तियों पर मूल्यहास	13.30	-
योग (ए) :	534.59	734.09
आस्थगित कर देयताएं :		
स्थायी आस्तियों पर मूल्यहास	0.13	5.95
उपचित ब्याज परंतु निवेश पर प्राप्य नहीं	607.12	562.21
ग्रेच्युटी / पेंशन के लिए प्रावधान	-	17.35
विशेष आरक्षित आई टी अधिनियम के यू/एस 36(1)(तखख)	34.61	33.99
निवेश पर मूल्यहास	-	706.89
अन्य	3.00	0.17
योग (बी):	644.86	1326.56
शुद्ध आस्थगित कर देयताएं	110.27	592.47

वर्तमान वर्ष के दौरान सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(VII) के अंतर्गत आवास वित्त कम्पनी द्वारा रखी गई विशेष आरक्षित निधि पर एनएचबी द्वारा उनके परिपत्र क्र. एनएचबी(एनडी)/डीआरएस/पॉलिसी परिपत्र 65/2014-15 दिनांक 22 अगस्त, 2104 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में आस्थगित कर देयताएं निर्मित की है।

5.8 लेखांकन मानक 28 – आस्तियों की हानि

बैंक की आस्तियों का एक बड़ा भाग वे वित्तीय आस्तियां है, जिन्हें आस्तियों पर हानि का लेखांकन मानक-28 लागू नहीं है। प्रबंधन के मत में, दिनांक 31 मार्च, 2015 को वित्तीय आस्तियों के अलावा अन्य आस्तियों पर कोई बड़ी हानि परिलक्षित नहीं हुई है, जिसे मान्य करने की आवश्यकता है।



5.9 लेखांकन मानक 29 : प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों (मूल बैंक)

(i) ऋण के रूप में न माने गए दावों में प्रावधान संचालन

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 01.04.2014 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	प्रत्यावर्तित/समायोजित प्रावधान	दिनांक 31.03.2015 को अंतिम शेष
उधार के रूप में पहचान न किए गए दावों के विरुद्ध आकस्मिक प्रावधान	4.41	-	2.75	1.66

- प्रबंधतंत्र द्वारा संकलित सूचना के अनुसार, वे वेंडर्स, जिनकी सेवाएं बैंक द्वारा उपयोग में ली गईं एवं जिनसे खरीद की गई है, वे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत पंजीकृत नहीं हैं। इस पर लेखापरीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया है।
- आरबीआई के परिपत्र डीबीएस.सीओ.आईटीसी.बीसी.नं.6/31.02.008/2010-11 दिनांक 29 अप्रैल, 2011 के पैरा एफ में अपेक्षित सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, तकनीकी जोखिम प्रबंधन एवं साइबर धोखाधड़ियों के कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश। बैंक ने आरबीआई के परिपत्र आरबीआई/2010-11/494 डीबीएस.सीओ.आईटीसी.बीसी.नं.6/31.02.008/2010-11 दिनांक 29 अप्रैल, 2011 के अनुसार सीबीएस में साइबर धोखाधड़ी पर नीतियां निर्धारित की हैं। प्रबंधतंत्र द्वारा इन नीतियों की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है।
- जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया है वहां पर पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित/पुनःवर्गीकृत किया गया है, जिससे कि वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण से समरूपण हो सके।

आर.सी.लोढ़ा कार्यपालक निदेशक	बी.के.दिवाकर कार्यपालक निदेशक	आर.के.गोयल कार्यपालक निदेशक	राजीव ऋषि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सौरभ गर्ग निदेशक	शेखर भटनागर निदेशक		एम.पी.शोरावाला निदेशक
कृष्ण सेठी निदेशक	श्रीमती एन.एस.रत्नप्रभा निदेशक		एस.बी.रोडे निदेशक
	गुरबख्श कुमार जोशी निदेशक		
कृते कुमार चोपडा एंड एसोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ. आर. सं.000131एन	कृते पी.के. सुब्रमणियम एंड कं. सनदी लेखाकार एफआर सं.004135एस		कृते दूगड एंड एसोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ. आर. सं.000561एन
(सीए आर.के. अग्रवाल) भागीदार सदस्यता सं.081510	(सीए वीराबासना गौड़ा) भागीदार सदस्यता सं.0208698		(सीए मुकेश गोयल) भागीदार सदस्यता सं.081810
कृते एन.सरकार एंड कं. सनदी लेखाकार एफ. आर. सं.301075ई	कृते बी.एन. मिश्रा एंड कं. सनदी लेखाकार एफ. आर. सं.321095ई		कृते चंदाभाय एण्ड जस्सूभाय सनदी लेखाकार एफ. आर सं.101647डब्ल्यू
(सीए जी. मुखोपाध्याय) भागीदार सदस्यता सं.010534	(सीए बी.एन.मिश्रा) भागीदार सदस्यता सं.083927		(सीए अम्बेश ए. दवे) भागीदार सदस्यता सं.049289

स्थान : दिल्ली

दिनांक : 25 मई, 2015



दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष की समेकित नकद प्रवाह विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र.सं. विवरण	31-03-2015	31-03-2014
ए परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
कर पूर्व शुद्ध लाभ	909.93	(975.67)
I समायोजन हेतु :		
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	229.62	208.81
निवेशों पर मूल्यहास (परिपक्व डिबेंचरों सहित)	(18.56)	256.56
अपलिखित अशोध्य ऋण/गैर निष्पादित आस्तियों में प्रावधान	2,061.98	3,291.16
मानक आस्तियों /निर्बाधित के लिए प्रावधान	588.55	690.10
अन्य मदों (शुद्ध) के लिए प्रावधान	38.18	(5.62)
आयकर पर ब्याज (शुद्ध)	-	(10.87)
अचल आस्तियों (शुद्ध) की बिक्री पर लाभ/हानि	0.64	1.19
गौण ऋण पर ब्याज के लिए भुगतान/प्रावधान	696.03	642.26
निवेशों की पुनर्भुनाई मोचन पर हानि	-	0.01
जेएनवाई कूपन पर ब्याज	-	5.17
उप योग	4,506.37	4,103.10
II समायोजन हेतु		
जमा में वृद्धि/ (कमी)	15,597.07	14,125.44
उधारों में वृद्धि/कमी	3,962.03	3,741.26
अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि/कमी	1,853.26	2,760.79
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(3,963.45)	(9,429.83)
निवेशों में (वृद्धि)/कमी	(9,379.63)	(13,778.82)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	665.80	(3,301.86)
प्रत्यक्ष करों का भुगतान (वापसी का शुद्ध राशि आदि)	(967.74)	(709.80)
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद(ए)	(2,232.66)	(6,592.82)
परिचालन गतिविधियों से नकद शुद्ध प्रवाह	2,273.71	(2,489.72)
बी निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान	815.27	49.51
अचल आस्तियों की खरीद	(1,100.11)	(405.14)
सहयोगी / आरआरबी में निवेश	(46.83)	(13.41)
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह	(331.67)	(369.04)
सी वित्तपोषित गतिविधियों से नकद प्रवाह		
शेयर पूंजी	1,207.85	1,801.90
इक्विटी शेयर्स पर लाभांश- अंतरिम लाभांश सहित	(1.34)	(1.22)
लाभांश कर	(0.81)	(0.65)
जेएनवाई स्वैप कूपन पर ब्याज	-	(5.17)
गौण कर्ज पर ब्याज	(696.03)	(642.26)
वित्तपोषित गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह	509.57	1,152.60



		(₹ करोड़ में)	
क्र.सं.	विवरण	31-03-2015	31-03-2014
डी	नकद एवं नकद तुल्य (ए+बी+सी) या (एफ-ई) में शुद्ध वृद्धि	2,451.71	(1,706.16)
ई	वर्ष के प्रारंभ पर नकद तथा नकद तुल्य		
	नकद एवं भारिबैं के साथ शेष	11,926.63	13,560.17
	बैंक में तथा मांग पर धन एवं अल्प सूचना में शेष	459.69	532.31
	वर्ष के प्रारंभ पर शुद्ध नकद तथा नकद समकक्ष	12,386.32	14,092.48
एफ	वर्ष की समाप्ति पर नकद एवं नकद समकक्ष		
	नकद एवं भारिबैं के साथ शेष	14,116.37	11,926.63
	बैंक एवं मांग पर धनराशि तथा अल्प सूचना में शेष	721.66	459.69
	वर्ष के अंत में शुद्ध नकद तथा नकद समकक्ष	14,838.03	12,386.32

आर.सी.लोढ़ा
कार्यपालक निदेशक

बी.के.दिवाकर
कार्यपालक निदेशक

आर.के.गोयल
कार्यपालक निदेशक

राजीव ऋषि
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कृते कुमार चोपडा एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ. आर. सं.000131एन

(सीए आर.के. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं.081510

कृते एन.सरकार एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ. आर. सं.301075ई

(सीए जी. मुखोपाध्याय)
भागीदार
सदस्यता सं.010534

कृते पी.के. सुब्रमणियम एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआर सं.004135एस

(सीए वीराबासना गौड़ा)
भागीदार
सदस्यता सं.0208698

कृते बी.एन. मिश्रा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ. आर. सं.321095ई

(सीए बी.एन.मिश्रा)
भागीदार
सदस्यता सं.083927

कृते दूगड एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ. आर. सं.000561एन

(सीए मुकेश गोयल)
भागीदार
सदस्यता सं.081810

कृते चंदाभाय एण्ड जस्सूभाय
सनदी लेखाकार
एफ. आर सं.101647डब्ल्यू

(सीए अम्बेश ए. दवे)
भागीदार
सदस्यता सं.049289

स्थान : दिल्ली

दिनांक : 25 मई, 2015



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय: चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021

फॉर्म बी

प्रॉक्सी फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षरित किया जाए)

8वीं वार्षिक सामान्य बैठक

पन्ना सं. या डीपी आईडी/ग्राहक आईडी	
शेयरों की संख्या	

मैं/हम _____ निवासी _____ जिला _____,
राज्य _____, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के/ की शेयरधारक की हैसियत से
श्री/सुश्री _____ निवासी _____ जिला _____,
राज्य _____, को अथवा उसकी अनुपस्थिति में श्री/सुश्री _____

निवासी _____ जिला _____, राज्य _____, को मंगलवार, 30 जून, 2015 पूर्वाह्न
11.00 बजे, स्थान: सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज, कूपर अस्पताल/रिलायंस एनर्जी कार्यालय के पास, जेवीपीडी स्कीम
विलेपार्ले (पश्चिम), मुंबई - 400 056 में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की आयोजित होने वाली 8वीं वार्षिक सामान्य बैठक में
मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से मत देने के लिए नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं.

तारीख _____ माह _____ वर्ष 2015 को यह हस्ताक्षरित किया गया.

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर _____

कृपया
रेवेन्यू स्टैप
चिपकाएं

प्रथम/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर _____

नाम _____


(स्पष्ट अक्षरों में)

पता _____



प्रॉक्सी फॉर्म को हस्ताक्षरित एवं प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश

1. प्रॉक्सी का कोई भी प्रपत्र तब तक वैध नहीं होगा, जब तक कि;
 - (ए) वैयक्तिक शेयरधारक की स्थिति में, यह उसके स्वयं के या उसके द्वारा लिखित में विधिवत प्राधिकृत किए गए अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
 - (बी) संयुक्त धारकों की स्थिति में, यह रजिस्टर पर लिखे हुए प्रथम नाम वाले शेयरधारक द्वारा स्वयं या लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
 - (सी) कॉर्पोरेट निकाय की स्थिति में, यह उसके अधिकारी या लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
2. ऐसे शेयरधारक जो किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ हो, उनके प्रॉक्सी फार्म पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित माने जाएंगे यदि उन प्रपत्रों पर उनके अंगूठे की छाप लगी हो एवं जिसे न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, अश्वोरेंस के रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार या सरकारी राजपत्रित अधिकारी या सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित किया गया हो.
3. कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं मानी जाएगी जब तक कि वह विधिवत स्टैम्पित नहीं है और उसे बैंक के चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021 स्थित प्रधान कार्यालय में बैठक की तय तारीख से कम से कम 4 दिन पूर्व अर्थात 25 जून, 2015 को सायं: 5.00 बजे से पूर्व मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ अटार्नी) या अन्य प्राधिकार, (यदि कोई है), जिसके अंतर्गत यह हस्ताक्षरित की गई हो या नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ अटार्नी) या प्राधिकार की प्रति के साथ प्रस्तुत न कर दिया जाए.
4. बैंक में जमा किया गया प्रॉक्सी का प्रपत्र अपरिवर्तनीय तथा अंतिम होगा.
5. प्रॉक्सी का प्रपत्र यदि विकल्प के साथ दो लोगों के पक्ष में दिया गया है तो केवल एक ही प्रपत्र निष्पादित किया जाएगा.
6. जिस शेयरधारक ने प्रॉक्सी का लिखत निष्पादित कर दिया हो, वह उस बैठक में स्वयं मतदान हेतु पात्र नहीं होगा, जिसके लिए लिखत निष्पादित किया गया हो.
7. बैंक के अधिकारी या कर्मचारी को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता.
8. प्रॉक्सी फार्म की सभी कांट-छांटों पर निष्पादनकर्ता द्वारा अपने लघु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए.
9. प्रॉक्सी का प्रपत्र फार्म बी में न होने पर वैध माना नहीं जाएगा.



CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR'S MESSAGE

Dear Shareholder,

The Financial Year 2014-15 has been a year of consolidation for the Bank. Growth has been moderated to align it with the market scenario. The Bank strategized its focus on business segments like Agriculture, SME & Retail Advances, which has started yielding results during the year.

Growth prospects of major economies, though look brighter for the year ahead, continue to be subdued in the near term outlook. Developing countries are widely expected to have a better year ahead given the soft oil prices, low global interest rates and a stronger US economy. While growth in China is slowing down to the official target of around 7%, India is set to grow faster in the next two years.

In a major development, the Central Statistics Office, Government of India released the new GDP series shifting the base year to 2011-12 from 2004-05. The new series deploys improved methodologies and uses more data thereby bringing India on par with international standards of GDP estimation. Using the new estimate, the GDP growth of the country for 2015-16 at market prices is expected to be in the range of 8.1 to 8.5%. The Economic Survey published by Government of India, however, takes a balanced view of the growth estimate and states thus in the report: *"The balance of evidence and caution counsel in favour of an interpretation of a recovering rather than surging Indian economy"*.

The series of policy measures undertaken by the Government, ongoing moderation in inflation and the prospects of a softer interest rate regime would provide necessary impetus for reviving industrial production and domestic consumption. Prospects of recovery and growth, therefore, offer reasons to be optimistic about sustainable growth in all business segments.

During the Financial Year 2014-15, Business of the Bank increased to Rs 4,50,539 crore from Rs 4,23,390 crore in Financial Year 2013-14 registering a growth of 6.41%. The Deposit and Credit growth of the Bank stood at 6.46% and 6.35% respectively. The CASA share as a percentage of Total Deposits stood at 34.05% as against 33.33% in Financial Year 2013-14. To ensure profitable growth in Business, **High Cost Deposits** have been shed considerably. The share of high cost deposits as a proportion of Total deposits has been reduced to 10.73% as on Mar-2015 from as high as 21.84% as on March-2014. This is well reflected in growth of Aggregate Core Deposits at 21.59 %.

The operating profit of the Bank increased to Rs 3559 crore from Rs 3238 crore in Financial Year 2013-14 registering a growth of 9.91%. Further, Bank posted Net profit of Rs. 606 crore as against a Net Loss of Rs (1263) crore in previous year.

The Bank's Cost of Deposits reduced to 7.22% from 7.24% in Financial Year 2013-14, the Net Interest Income of the Bank increased to Rs 7247 crore from Rs 6494 crore in Financial Year 2013-14 registering a growth of 11.60%. The Other Income or Fee – based Income of the Bank has reduced to Rs 1894 crore from Rs 1923 crore in Financial Year 2013-14.



Asset Quality has been the concern of the Bank for last couple of years. The percentage of Gross NPA to Gross Advances reduced to 6.09% from 6.27% in Financial Year 2013-14 and percentage of Net NPA to Net Advances reduced to 3.61% from 3.75% in Financial Year 2013-14. This is on account of stress in some sectors like Infrastructure, Textiles, Iron & Steel, Engineering & Manufacturing, Gems & Jewellery etc. Your Bank has been proactive in respect of NPA Management and shall continue its effort to contain the percentage Gross NPA below 5.25% and Net NPA below 2.20% for Financial Year 2015-16.

Bank is fully engaged in inclusive growth through various Financial Inclusion initiatives to reach 'the last mile' of economy. The **Direct Benefit Transfer (DBT)** programme of the government is being implemented in various districts out of which we are lead bank in eight districts. Further progress in these districts and in new districts will be made during the FY-2015-16. This programme paves the way for the Bank to canvass more CASA Deposits and also for Credit Expansion. Further, Bank has successfully implemented 'Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna' and have opened around 57,17,895 accounts as on 31st March, 2015.

A Bank with 4689 branches as on March 2015, of which 2/3 rd of the Branches are in rural and semi urban areas and 3677 Ultra Small Branches shall continue to position itself as a **Retail Bank**. Your Bank shall be ensuring that the retail and priority sector portfolios grow much faster than they have been so far.

I am happy to present the Annual Report of the Bank for the year ended 31st March 2015.

With best wishes,

Yours sincerely,

Sd/-

Rajeev Rishi

Place: Delhi

Date: May 25, 2015



NOTICE

Notice is hereby given that the Eighth Annual General Meeting of the shareholders of Central Bank of India will be held on Tuesday, 30th June, 2015 at 11.00 A.M. at Sir Sorabji Pochkhanawala Banker's Training College, Near Cooper Hospital/Reliance Energy Office, JVPD Scheme, Vile Parle (west), Mumbai, 400056 to transact the following business :

- 1) To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2015, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2015, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' report on the Balance Sheet and Accounts.
- 2) To declare dividend for the financial year 2014-15.
- 3) To elect two Directors from amongst shareholders of the Bank other than Central Government in terms of Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as "the Act") read with the Banking Regulation Act, 1949, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as "the Scheme"), Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as "the Regulations") made pursuant to Section 19 of the Act and Notification No. DBOD.No. BC.No.46/29.39.001/2007-08 dated 01 November 2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23 May, 2011 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "RBI Notifications") by passing the following resolution:

"RESOLVED THAT two Directors elected from amongst shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act, read with the Scheme, Regulations made thereunder and RBI Notifications, be and are hereby elected as the Directors of the Bank to assume office from the date following the date on which he/she is elected/deemed to be elected and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption".

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Sd/-

A K DAS

Assistant General Manager-MBD/
Company Secretary

Place:Delhi

Date: 25.05.2015

NOTES:

1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect the business of the meeting is annexed hereto.

2. SPECIFIED DATE

Pursuant to Regulation 12 of the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, Friday, the 29th May, 2015 has been fixed as Specified Date for the purpose of determining the names of shareholders entitled to participate in the election i.e. to nominate, contest and vote for the election of Directors from amongst the shareholders other than the Central Government .

3. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ELIGIBLE TO ATTEND AND VOTE, IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

The instrument appointing proxy should, however be deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai, 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 PM on 25th June, 2015.

4. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at any meeting of the shareholders of Central Bank of India as the duly authorized representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai, 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e., on or before 5.00 PM on 25th June, 2015.

5. No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative or proxy of a shareholder.

6. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS:

For the convenience of the shareholders, attendance slip-cum-entry pass is enclosed with this notice. Shareholders/proxy holders/representatives are requested to affix their signature at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy holders / representatives should state on the attendance slip-cum-entry pass as "proxy or representative" as the case may be and should have proof of their identity by getting their signature attested by the shareholder.

7. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS:

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 25th June, 2015 (Thursday)

to 30th June, 2015 (Tuesday) (both days inclusive).

8. VOTING RIGHTS

In terms of the provisions of Section 3(2E) of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

9. EXERCISE OF RIGHTS OF JOINT HOLDERS

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Hence if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to vote (by poll or by show of hands) in the meeting.

10. Shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report to the Meeting.

11.1 Intimation to shareholders holding shares in physical form:

As you may be aware that the shares cannot be traded in physical form and in order to impart liquidity to the shareholders, we request you to convert your shares into Dematerialised form. You may convert your shares into Demat by opening an Account with the nearest bank's branch providing Demat Service. The list of branches providing Demat services is available on website of the Bank. There are various advantages associated with converting your shareholding in Demat form viz. avoidance of loss, bad deliveries, faster settlements, paperless trading, etc. Further, intimations regarding change of address, bank mandate, nomination and request for transaction are required to be given only at one place i.e. with the branch where you open your Demat Account even if you hold shares of more than one Company/entity.

However, if you are still interested in holding the shares in physical form and not opting for demat, please provide us with the following Bank details to enable us to credit your Account with the dividend (as and when declared) directly.

- Name of the Bank
- Address of the Branch
- Bank Account Number
- 9 digit MICR code of the branch
- IFSC code of the Branch

(preferably, send us a cancelled cheque/ copy of a cheque leaf).

Please note that the bank Account should be in the name of the 1st holder of shares.

11.2 Intimation to shareholders holding shares in dematerialised form:

It is our constant endeavor to provide the best services to our valued shareholders. We observe that there are some shareholders who are holding shares in demat form but have not registered/updated their Bank account details with their Depository Participants (DPs) for getting Dividend amount directly credited to their Bank accounts. Accordingly, Dividend declared earlier, was paid to them by sending Dividend Warrant (DW) to the addresses maintained by them with Depositories.

It is worth noting that if such shareholders had registered / updated their Bank Account particulars with their DPs, the Dividend Amount would have been credited directly to their bank account thus, ensuring faster receipt of Dividend right on due date, saving time spent on receiving dividend warrant by post, no requirement for visiting bank for depositing the Dividend Warrant, non-apprehension of loss / theft of dividend warrant in transit or the likelihood of fraudulent encashment thereof.

We accordingly suggest these shareholders to register/ update their Bank Account details i.e. Bank Name, Branch Address, Account No., Account Type, Nine Digit MICR Code Number as appearing on cheque issued by their banks, with their Depository Participant with whom they are maintaining their Demat Account, to facilitate credit of dividend amount (as and when declared) directly to their Bank accounts right on due date. In addition to this, they may also send directly to the Bank or its RTA namely, Link Intime India Pvt. Limited abovesaid bank details with mandate to credit all future dividend amounts, refund amounts or other remittances, if any, to their bank accounts instead of sending any Dividend warrant, cheque, Demand Draft , etc.

12. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / or have not received dividend for any of the previous years are requested to contact the Registrar and Share Transfer Agent or the Bank for arranging payment thereof directly to their Bank A/c or for issue of duplicate dividend warrant/Demand Draft.



As per Section 10B of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to the Unpaid Dividend Account is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) and **thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF.**

13. Voting through electronic means

- I. In compliance with clause 35B of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Bank is pleased to offer e-voting facility as an alternative mode of voting which will enable the Members to cast their votes electronically. Necessary arrangements have been made by the Bank with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to facilitate e-voting.

The process and instructions for e-voting are as under :

- (i) **The voting period begins on Saturday, 27th June 2015 at 10.00 AM and ends on Monday, 29th June 2015 at 05.00 PM. During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Wednesday, 24th June 2015, may cast their vote electronically except Agenda item no. 3 for which cut-off date is Friday, 29th May 2015. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.**
- (ii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
- (iii) Click on Shareholders.
- (iv) Now Enter your User ID
 - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.
- (v) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- (vi) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company/entity, then your existing password is to be used.
- (vii) If you are a first time user follow the steps given below:

For Members holding shares in Demat Form and Physical Form	
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) <ul style="list-style-type: none"> • Members who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN field. • In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two characters of the name in CAPITAL letters. Eg. If your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA00000001 in the PAN field.
DOB	Enter the Date of Birth as recorded in your demat account or in the Bank records for the said demat account or folio in dd/mm/yyyy format.
Dividend Bank Details	Enter the Dividend Bank Details as recorded in your demat account or in the Bank records for the said demat account or folio. <ul style="list-style-type: none"> • Please enter the DOB or Dividend Bank Details in order to login. If the details are not recorded with the depository or Bank, please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iv)

- (viii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- (ix) Members holding shares in physical form will then directly reach the Bank selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company/entity on which they are eligible to vote, provided that company/entity opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- (x) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- (xi) Click on the EVSN for the relevant <Company Name> on which you choose to vote.
- (xii) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.



- (xiii) Click on the “RESOLUTIONS FILE LINK” if you wish to view the entire Resolution details.
- (xiv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on “SUBMIT”. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on “OK”, else to change your vote, click on “CANCEL” and accordingly modify your vote.
- (xv) Once you “CONFIRM” your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (xvi) You can also take out print of the voting done by you by clicking on “Click here to print” option on the Voting page.
- (xvii) If Demat account holder has forgotten the same password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- (xviii) **Note for Non – Individual Shareholders and Custodians**
- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.
 - A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and signature of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cbslindia.com.
 - After receiving the login details a compliance user should be created using the admin login and password. The Compliance user would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
 - The list of accounts should be mailed to helpdesk.evoting@cbslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
 - A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- (xix) In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (“FAQs”) and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cbslindia.com.
- II. The voting rights of shareholders shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date of Wednesday, 24th June, 2015 for agenda nos. 1 and 2. For agenda no.3, the cut-off date will be Friday, 29th May 2015. However, in terms of the provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 no shareholder of the Bank other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.
- III. A copy of this notice has been placed on the website of the Bank and the website of CDSL.
- IV. Shri Pramod S. Shah, Practising Company Secretary (Certificate of Practice Number 3804) has been appointed as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.
- V. The Scrutinizer shall immediately after the conclusion of voting at the general meeting, first count the votes cast at the meeting, thereafter unblock the votes cast through remote e-voting in the presence of at least two witnesses not in the employment of the Bank and make, not later than three days of conclusion of the meeting, a consolidated scrutiniser’s report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorised by him in writing who shall countersign the same.
- VI. The Results declared alongwith the Scrutinizer’s Report shall be placed on the Bank’s website www.centralbankofindia.co.in and on the website of CDSL within two (2) days of passing of the resolution at the AGM of the Bank and communicated to the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.



EXPLANATORY STATEMENT

ELECTION OF TWO SHAREHOLDERS' DIRECTORS

• RIGHTS OF SHAREHOLDERS TO ELECT DIRECTORS

Shareholders other than the Government of India hold 18.5401% of the equity share capital of the Bank. As per Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, Board of Directors of Central Bank of India shall include two directors representing the shareholders of the Bank (other than the Central Government). Accordingly, two directors are required to be elected by the shareholders other than Central Government to fill up the aforesaid vacancies.

Therefore, an item of agenda is included in the Notice for the AGM to pass necessary resolution for election of two directors representing the shareholders of the Bank.

The shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in the Act, Regulation Act, Scheme, Regulations, Notification, the relevant provisions of which are indicated hereunder. Two directors will be elected either after the scrutiny of the nominations (if the number of valid nominations are equal to the number of vacancies) or in subsequent election on 30th June, 2015, if there are more contestants. The elected directors shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is, or is deemed to be elected and will hold office for a period of three years from the date of assumption of office.

• LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts/Regulations / Notifications applicable in this regard:

ACT / SCHEME/ REGULATIONS / NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 20	<ul style="list-style-type: none"> Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E) Section 9(3)(i) Section 9 (3A) (A) to (C) Section 9 (3AA) Section 9 (3AB) Section 9 (3B) Section 13(2)	<ul style="list-style-type: none"> Restriction on voting rights No. of directors to be elected by the shareholders Special Knowledge in certain fields No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe RBI may also specify in the notification issued under sub section (3AA), the authority to determine the fit and proper status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto. Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Sections 9 (3A) and 9(3AA) of the said Act. Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9 (4) Clause 10 Clause 11 Clause 11A Clause 11B Clause 12 (8)	<ul style="list-style-type: none"> Term of office of elected directors Disqualifications from being elected as a Director of the bank Vacation of office of Directors Removal from office of an elected Director Filling of Casual vacancy in the office of an elected Director Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested



ACT / SCHEME/ REGULATIONS / NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998	Regulation 10 Regulation 61 Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65 Regulation 66 Regulation 67 Regulation 68 Regulation 69 Regulation 70	<ul style="list-style-type: none"> • Exercise of rights of joint holders • Voting at General Meetings • Directors to be elected at general meetings • List of Shareholders • Nomination of candidates for election • Scrutiny of nominations • Election disputes • Determination of voting rights • Voting by duly authorized representative • Proxies
RBI Notification No. DBOD No.BC No. 46 and 47/29.39.001/ 2007-08 dated 01 st November 2007 read with Notification No DBOD. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23 rd May, 2011.	Pursuant to Section 9 (3AA) and Section 9 (3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	<ul style="list-style-type: none"> • Fit and Proper criteria for elected directors on the boards of nationalized banks

• **EXTRACTS OF ACTS/SCHEME/REGULATIONS/NOTIFICATION IN WEBSITE**

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from Regulation Act, the Act, the Scheme, the Regulations as well as RBI Notifications No.DBOD.BC.No.46 and 47 /2939.001/2007-08 dated 1st November, 2007 and No.DBOD. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 will be hosted on the Bank's website www.centralbankofindia.co.in Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Assistant General Manager-MBD/Company Secretary, at the Bank's Head Office, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400 021, on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. Tuesday, 16th June 2015.

• **QUALIFICATIONS FOR A CANDIDATE**

The candidate shall comply with the qualifications prescribed in Section 9(3A) of the Act and shall not suffer the disqualifications specified in Clause 10 of the Scheme and shall satisfy the conditions mentioned in Regulation 65 of the Regulations, are detailed herein.

(a) In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate being a shareholder of the Bank and who desires to be a Director of the Bank shall -

(A) have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely,-

- agricultural and rural economy,
- banking,
- co-operation,
- economics,
- finance,
- law,
- small scale industry,

any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India, be useful to the Bank;

(B) represent the interests of depositors; or

(C) represent the interest of farmers, workers and artisans.

(b) In terms of Section 9(3AA) of the Act and RBI Notification, a candidate being a shareholder of the Bank and who files nominations to be a Director of the Bank should possess 'Fit and Proper' status based upon track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank may notify from time to time in this regard.

(c) Further, the elected director should execute the Deed of Covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.



• **DISQUALIFICATION FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK**

- (A) In terms of Clause 10 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being, a director –
- if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
 - if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent Court; or
 - if he has been convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude; or
 - If he holds any office of profit under any nationalised bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of section 3 of the State Bank of India Act, 1955, or any subsidiary bank as defined in section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time director, including the managing director and directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.

and

- (B) In terms of Notifications of Reserve Bank of India - DBOD. No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01st November 2007 read with No. DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May 2011, if he is not found to be 'Fit & Proper' person, by the Nomination Committee of the Directors of the Bank.

• **LIST OF SHAREHOLDERS to CONTESTANTS**

A list of Shareholders of the Bank as on **Friday, 29th May 2015** will be available for sale on and from **Tuesday, 2nd June 2015** onwards on payment of ₹ **50,000/- (Rupees Fifty Thousand Only)** by Demand draft in favour of "Central Bank of India" payable at Mumbai alongwith a request addressed to the Assistant General Manager-MBD/Company Secretary, Central Bank of India, Head Office, 9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai – 400 021. The intending candidates may also inspect the List of Shareholders and take extracts there from. .

• **INSPECTION OF REGISTER OF SHAREHOLDERS**

The Register of Shareholders is open for inspection at the Central Office of the Bank from Monday to Friday between 11 A.M. to 3 P.M. and on Saturday from 11 A.M. to 1 P.M. (other than Bank Holidays). If any shareholder requires a copy or computer prints of the register or part thereof, the same shall be supplied to him on pre-payment at the rate of ₹ 5/- for 1000 words or fractional part thereof required to be copied.

• **PARTICIPATION IN ELECTION**

Such of those shareholders whose names appear on the Register of Members/Beneficial owners as furnished by NSDL/CDSL/RTA as on 29th May, 2015, shall be entitled to participate i.e. nominate, contest and vote in election of directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

As per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder as on 29th May, 2015, the Specified Date, prior to the date of a general meeting, shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

• **NOMINATIONS:**

Validity of Nominations

In terms of Regulation 65 of the Regulations and in terms of Notifications of Reserve Bank of India-DBOD.No.BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01-11-2007 read with No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 and other applicable provisions of various Acts, nomination of a candidate for election as a Director will be valid provided:

- he is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares in the Bank as on Friday, 29th May 2015 being the Specified Date for participating in the election;
- as on Tuesday, 16th June 2015 (the last date for receipt of nominations), he is not disqualified to be a director under the Act, the Scheme or RBI Notification;
- the nomination is in writing signed by atleast one hundred shareholders entitled to elect directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the directors of the said company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of the Bank addressed to Assistant General Manager –MBD & Company Secretary, Central Bank of India, 9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400 021 and such copy shall be deemed to be nomination on behalf of such company;
- the nomination by the shareholders (Minimum 100) is accompanied by a declaration by the candidate as per the specimen forms of nomination and declaration furnished in this Notice, duly signed by the candidate before a Judge,



Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalised Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified from being a director, either under the Banking Regulation Act or the Act or the Scheme or the Regulations or the RBI Notification alongwith his/her personal details (bio data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his knowledge and belief and also his/her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.

- (e) the Nomination Forms and the Declaration Form are as prescribed by the Regulations and as per the Proforma annexed (the Proforma is also available on the Bank's Website- www.centralbankofindia.co.in).

SUBMISSION OF NOMINATION FORMS

Shareholders desirous of contesting the election of the Directors should submit

- a) duly filled in Declaration Form;
- b) nominations from minimum of 100 shareholders entitled to participate in the elections;
- c) Personal Information, Declaration and Undertaking together with the concerned documents, testimonials, viz., Bio data, Certificates of Educational qualification, experience, etc. in the formats annexed to this notice, in a sealed envelope to the Assistant General Manager – MBD & Company Secretary, Central Bank of India, Central Office, 9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400 021, together with the connected documents, complete in all respects, on a working day at least 14 days before the date of the meeting, i.e. on or before closing hours of the Bank at 5.00 pm on **Tuesday, the 16th June 2015**.

• SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS

- a) Nominations shall be scrutinized on **Wednesday, 17th June 2015**, the next working day following the date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons thereof.
- b) Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nominations Committee of the Board in terms of the 'Fit and Proper' Guidelines dated 01st November 2007 and 23rd May 2011 issued by the Reserve Bank of India.
- c) If there are only TWO valid nominations for the TWO vacancies to be filled by the election, the candidates so nominated shall be deemed to be elected forthwith and their names and addresses shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose. The elected candidates shall assume office from the date next to the date on which they are declared as elected.
- d) In the event of an election being held, If the valid nominations are more than TWO, the candidates polling the majority of votes at the election will be deemed to have been elected and their names will be announced by the Chairman and also published in newspapers. They will assume office on 1st July 2015.
- e) If there is any dispute, the same shall be settled as per Regulation 67 of the Regulations.

WITHDRAWAL OF NOMINATIONS

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank on Saturday, 27th June 2015.

INTEREST OF DIRECTORS

Directors of Bank may be deemed to be concerned or interested in the aforementioned item of business in case they contest the election.

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Place: Delhi
Date: 25.05.2015

Sd/-
A K DAS
Assistant General Manager-MBD/
Company Secretary



DECLARATION
(BY THE CANDIDATE)

(Refer Regulation 65 of the Regulations)

I, Shri/Smt _____ son/daughter/wife of
 Shri/Smt. _____,
 residing at _____ hereby confirm that:

- a. I am a shareholder holding _____ equity shares of ₹10/- each (fully paid up) of CENTRAL BANK OF INDIA under Folio No. _____ /DP ID No. _____ /Client ID No. _____ as on **Friday, 29th May, 2015 being the Specified Date** for participating in the Elections and
- b. I have special knowledge or practical experience in* (i) Agriculture and Rural Economy, (ii) Banking, (iii) Co-operation, (iv) Economics, (v) Finance, (vi) Law, (vii) Small Scale Industry, or _____ (special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India, would be useful to the Bank) and I represent the interest of Depositors / Farmers, Workers and Artisans, in terms of sub section 3A of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and as an evidence thereof I submit herewith the relevant testimonials, and
- c) I accept the nominations numbered from _____ to _____, and
- d) I am willing to contest the election for Director of Central Bank of India, and
- e) I am not disqualified from being a Director of the Bank under the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 and RBI Notification, and
- f) I neither hold any office of profit nor I am an employee of any nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959.
- g) I enclose my personal Information details which are to the best of my knowledge and belief are true and complete; and
- h) I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank.

Name	
Signature	
No. of Shares	
Regd. Folio No. (If not Dematerialised)	
DP ID No. and Client ID No. (If Dematerialised)	
Place	
Date	

The above declaration was signed before me

Signature with Seal and _____

Name of the attesting official _____

The declaration must be signed by the nominee before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Gazetted Officer or an Officer of Reserve Bank of India or any Nationalised Bank.

* Tick whichever is applicable.



**NOMINATION FORM
(BY THE SHAREHOLDER)**

(Refer Regulation 65 (d) of the Regulations)

Sl.No.

To,
The Chairman & Managing Director
Central Bank of India
Central Office,
Chandermukhi, Nariman Point,
Mumbai 400021
Dear Sir,

Nomination for Election of a Director

With reference to your Notice dated 25.05.2015, I, Shri/Smt _____ a shareholder of Central Bank of India, holding _____ equity shares of ₹ 10/- each (fully paid up) as on Friday, 29th May 2015 being the Specified Date for the purpose of participation in the election, do hereby **nominate** Shri/Smt. _____ son/daughter/wife of Shri/Smt. _____

residing at _____ for being elected as a Director of Central Bank of India representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, at the Annual General Meeting of the shareholders to be held on Tuesday, 30th June, 2015.

Signature	
Name	
No. of Shares	
Regd. Folio No. (If not Dematerialised)	
DP ID No. and Client ID No. (If Dematerialised)	
Place	
Date	

Notes :

1. In case nomination is made by a Body Corporate, the nomination form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
2. Signatures of the shareholders nominating the candidate should match with the specimen signatures available with the Share Transfer Agent of the Bank.
3. If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.


 Affix Self
 Attested
 Passport
 Size Photo
 here

FORMAT FOR PROVIDING PERSONAL INFORMATION, DECLARATION AND UNDERTAKING

Declaration and Undertaking by the Candidate with enclosures as appropriate as on _____ 2015	
I.	Personal details of the candidate
1.	Name in Full (in block capital letters)
2.	Father's Name (in Full)
3.	Date of Birth
4.	Nationality
5.	(1) Permanent Account Number (under the Income Tax Act). (2) Name and address of Income Tax Circle/Division where personal tax returns are being filed.
6.	Permanent Address
7.	Present Address (For correspondence)
8.	(1) E-mail ID
	(2) Telephone Number (Landline)
	(3) Cell Phone Number
II.	Qualification and Experience
1.	Qualifications (Educational/academic) (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information).
2.	Qualifications (Professional) (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information).
3.	Knowledge (As required under Section 9(3-A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.
4.	Experience (Please indicate your experience relevant to the directorship of the Bank).
5.	Any other information relevant to Directorship of the Bank.
III.	Details of Relationships of the candidate
1.	Details of Relatives, if any, who are connected with the Bank in any way [Please refer to Section 2(77) of the Companies Act, 2013 read with Rule 4 of the Companies (Specification of Definitions Details) Rules, 2014.]
2.	List of entities if any in which he/she is considered as being interested [Refer Section 2(49) and Section 184 of the Companies Act, 2013].
3.	Details of shares of the Central Bank of India held, if any, in the name of the candidate: (Please indicate the number of shares held, face value, ledger folio number(s) or DP ID and client ID).
4. a	List of entities in which the candidate is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949.



4. b	List of entities in which the related parties of the candidate are considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949.	
5.	Directorship/Membership on the Board(s) of bank(s) during the past six years (Please give the name(s) of the bank(s), the relevant provisions of the Act under which the appointment/nomination was made and the period of holding such Membership/Directorship).	
6.	Fund and non-fund facilities, if any, presently being enjoyed by the candidate from the institutions listed at 3, 4(a) and 5 above.	
7.	Cases, if any, where the candidate or entities listed at 3, 4(a), 4(b) and 5 above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the Central Bank of India Bank or any other bank.	
IV.	Professional Achievements	
1.	Professional achievements (Please furnish the details of the achievements which may have a bearing on the directorship of the bank).	
V.	Proceedings, if any, against the Candidate	
1.	If the candidate is a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her or whether he/she has been banned from entry of at any profession/occupation at any time.	
2.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the director and/or against any of the entities listed in III-2, 4(a), 4(b) and 5 above for violation of economic laws and regulations.	
3.	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate including present litigation if any.	
4.	Whether the candidate/director attracts any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies Act, 2013 read with Clause 10 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 ?	
5.	Has the candidate or any of the entities at III-2, 4(a), 4(b) and 5 above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?	
6.	Has the candidate at any time been found guilty of violation of rules/regulations/legislative requirements by customs/ excise/ income tax/foreign exchange/other revenue authorities; if so give particulars.	
7.	Whether the candidate/director had at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, IRDA, RBI, MCA, FEMA etc. (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed / set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal / setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc, and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate / court proceedings are pending, the same should also be mentioned).	



8.	In carrying out his/her duties will the candidate/director be acting on the directions or instructions of any other individual or institution or bank or companies, etc. ? If so, give particulars.	
9.	Has the candidate in his/her individual capacity undertaken any business with the Bank ? If so, give particulars.	
10.	Any other explanation / information in regard to items I to V and other information considered relevant for judging 'fit and proper' status.	

Undertaking

I, Son/Daughter of Shri
 confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief, true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my election as a shareholder director of the bank, which are relevant to the information provided above.
 I also undertake to execute the deed of Covenant required to be executed by the directors of the bank.

Place :

Date :

Signature of the Candidate

Enclosures :

- Note: 1. Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexure in chronological order and with appropriate cross reference.
 2. All pages (including annexures) are required to be signed by the candidate.

Observations of the Nomination Committee:

--

Signature of Member	Signature of Member	Signature of Member

Place :

Date :



ELECTION OF DIRECTORS – EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, SCHEME, REGULATIONS AND NOTIFICATIONS

In terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Shareholder Directors shall have to be elected by the shareholders, other than the Central Government, from amongst themselves, depending upon the extent of capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3. The relevant sections of the Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the relevant regulations of Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 and gist of Notification No. DBOD. No. BC.No.46/29.39.001/2007-08 dated 01 November 2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23 May, 2011 of Reserve Bank of India, are reproduced below for the information of the shareholders.

I. BANKING REGULATION ACT, 1949

Prohibition of common Directors- Section 16(1)

No banking company incorporated in India shall have as a director in its Board of directors any person who is a director of any other banking company.

Restrictions on Loans and Advances- Section 20

- (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in section 77 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), no banking company shall,—
 - (a) grant any loans or advances on the security of its own shares, or -
 - (b) enter into any commitment for granting any loan or advance to or on behalf of—
 - (i) any of its directors,
 - (ii) any firm in which any of its directors is interested as partner, manager, employee or guarantor, or
 - (iii) any company [not being a subsidiary of the banking company or a company registered under section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a Government company] of which or the subsidiary or the holding company of which] any of the directors of the banking company is a director, managing agent, manager, employee or guarantor or in which he holds substantial interest, or
 - (iv) any individual in respect of whom any of its directors is a partner or guarantor.
- (2) Where any loan or advance granted by a banking company is such that a commitment for granting it could not have been made if clause (b) of sub-section (1) had been in force on the date on which the loan or advance was made, or is granted by a banking company after the commencement of section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act, 1968 (58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement, steps shall be taken to recover the amounts due to the banking company on account of the loan, or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of the loan or advance, or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said section 5:
Provided that the Reserve Bank may, in any case, on an application in writing made to it by the banking company in this behalf, extend the period for the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said section 5, and subject to such terms and conditions, as the Reserve Bank may deem fit: Provided further that this sub-section shall not apply if and when the director concerned vacates the office of the director of the banking company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.
- (3) No loan or advance, referred to in sub-section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank, and any remission without such approval shall be void and of no effect.
- (4) Where any loan or advance referred to in sub-section (2), payable by any person, has not been repaid to the banking company within the period specified in that sub-section, then such person shall, if he is a director of such banking company on the date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

Explanation. — In this section—

- (a) “loans or advance” shall not include any transaction which the Reserve Bank may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount due on account of the transaction is likely to be realised, the interest of the depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this section;
- (b) “director” include a member of any board or committee in India constituted by a banking company for the purpose of managing, or for the purpose of advising it in regard to the management of, all or any of its affairs.
- (5) If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purposes of this section, it shall be referred to the Reserve Bank, whose decision thereon shall be final.]



II. BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT, 1970

Restrictions on voting rights

Section 3(2E) : No shareholder of the corresponding new bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding new bank.

Composition of Board of Directors

Section 9(3)(i): where the capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of section (3) is-

- (I) not more than sixteen per cent of the total paid-up capital, one director;
- (II) more than sixteen per cent but not more than thirty two per cent of the total paid-up capital, two directors,
- (III) more than thirty two per cent of the total paid-up capital, three directors,

to be elected by the shareholders, other than the Central Government, from amongst themselves:

PROVIDED that in case the number of directors elected, on or before the commencement of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006 in a corresponding new Bank exceed the number of directors specified in sub-clause (I) or sub – clause (II) or sub – clause (III), as the case may be, such excess number of directors elected before such commencement shall retire in such manner as may be specified in the scheme and such directors shall not be entitled to claim any compensation for the premature retirement of their term of office.

Section 9(3A): The Directors to be elected under the said clause (i) shall-

- (A) have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following. matters namely,-
 - (i) agricultural and rural economy,
 - (ii) banking,
 - (iii) co-operation,
 - (iv) economics,
 - (v) finance,
 - (vi) law,
 - (vii) small scale industry,
 - (viii) any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank, be useful to the corresponding new bank;
- (B) represent the interests of depositors; or
- (C) represent the interest of farmers, workers and artisans.

Section 9(3AA): Without prejudice to the provisions of sub section (3A) and not with standing anything to the contrary contained in this Act or in any other law for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as director under clause (i) of sub section (3) unless he is a person having fit and proper status based upon track Specified, integrity and such other criteria as the Reserve Bank may notify from time to time in this regard.

Section 9(3B): Where the Reserve Bank is of the opinion that any Director of a corresponding new bank elected under clause (i) of sub-section (3) does not fulfill the requirements of sub-sections (3A) and (3AA), it may, after giving to such Director and the bank a reasonable opportunity of being heard, by order, remove such Director and on such removal, the Board of Directors shall co-opt any other person fulfilling the requirements of sub-sections (3A) and (3AA) as a Director in place of the person so removed till a Director is duly elected by the shareholders of the corresponding new bank in the next annual general meeting and the person so co-opted shall be deemed to have been duly elected by the shareholders of the corresponding new bank as a Director.

Obligation as to Fidelity and Secrecy

Section 13(2): Every Director, member of a local Board or a committee, or Auditor, Adviser, officer or other employee of a corresponding new bank shall, before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Third Schedule.

III. NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) SCHEME, 1970

Term of office of elected Director

Clause 9(4): An elected director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election: Provided that no such director shall hold office continuously for a period exceeding six years.



Disqualification of Directors

Clause 10: A person shall be disqualified for being appointed as, and for being, a director –

- (a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
- (b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent Court; or
- (c) if he has been convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude; or
- (d) If he holds any office of profit under any nationalised bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of section 3 of the State Bank of India Act, 1955, or any subsidiary bank as defined in section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time director, including the managing director and directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the corresponding new bank.

Vacation of office of Directors

- Clause 11:**
- (1) If a director becomes subject to any of the disqualifications specified in Cl.10 or is absent without leave of the Board for more than three consecutive meetings thereof he shall be deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.
 - (2) The Chairman or whole-time director including the Managing Director or a director referred to in Cl. (b) or Cl. (c) or Cl. (d) of sub-section (3) of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office: any other director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government.
 - (3) Without prejudice to the provisions of the foregoing sub-clauses, the office of a director referred to in Cl. (e) or Cl. (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act shall become vacant as soon as the director ceases to be a workman or an employee, other than a workman of the nationalised bank of which is a director.
 - (4) Where any vacancy occurs in the office of a director, other than an elected director, it shall be filled in accordance with sub-section (3) of Section 9 of the Act.

Removal from office of an elected director

Clause 11A: The shareholders other than the Central Government, may, by a resolution passed by majority of the votes of such shareholders holding in the aggregate not less than one half of the share capital held by all such shareholders, remove any director elected under Cl. (i) of sub-section (3) of Section 9 and elect in his stead another person to fill the vacancy.

Filling of vacancy in the office of an elected director

- Clause 11B:**
- (1) Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected director, the vacancy shall be filled in by election:
Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled in by the remaining directors.
 - (2) A person elected or co-opted, as the case may be, under sub-clause (1) shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor.

Disclosure of interest by Directors

Clause 12(8): A director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the nationalised bank shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other directors for the purpose of eliciting information and no director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal:

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply to such director by reason only of his being:

- (i) a shareholder (other than a director) holding not more than two percent of the paid-up capital in any public company as defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or any corporation established by or under any law for the time being in force in India or any co-operative society, with which or to which the Nationalised Bank has entered into or made or proposed to enter into or make a contract, loan, arrangement or proposal, or
- (ii) an officer or other employee of the nationalised bank, if he is a director referred to in Cl. (e) or Cl. (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.



IV. CENTRAL BANK OF INDIA (SHARES AND MEETINGS) REGULATIONS, 1998

Exercise of rights of joint holders

Regulations 10: If any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards, voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with Bank except the transfer of shares, be deemed to be the sole holder thereof.

Director to be elected at general meetings

- Regulations 63:** (i) A director under clause (i) of sub-section (3) of Section 9 of the Act shall be elected by the shareholders on the register, other than the Central Government, from amongst themselves in the general meeting of The Bank.
- (ii) Where an election of a director is to be held at any general meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

List of shareholders

- Regulations 64:** (i) For the purpose of election of a director under sub-regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the director is to be elected.
- (ii) The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchase at least three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

Nomination of candidates for election

- Regulations 65:** (i) No nomination of a candidate for election as a director shall be valid unless –
- (a) he is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares in the The Bank;
- (b) he is on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a director under the Act or under the Scheme;
- (c) he has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call;
- (d) the nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a company may be made by a resolution of the directors of the said company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of The Bank and such copy shall be deemed to be nomination on behalf of such company.
- (e) the nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or sub-registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any nationalized bank, that he accepts nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified either under the Act or the Scheme or these regulations from being a director.
- (ii) No nomination shall be valid unless it is received with all connected documents complete in all respects and received, at the Head Office of the Bank on a working day not less than fourteen days before the date fixed for meeting.

Scrutiny of nominations

- Regulations 66:** (i) Nominations shall be scrutinized on the first working day following the date fixed for receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after specifying the reason therefor. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election, it shall stand cancelled.
- (ii) In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.
- (iii) A director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is, or is deemed to be elected.



Election disputes

- Regulations 67:** (i) If any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed or declared to be elected, or as to the validity of the election of a director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of the The Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.
- (ii) On receipt of an intimation under sub-regulation (i), the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of the The Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section (3) of section 9 of the Act.
- (iii) The committee referred to in sub-regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared result of the election, or, if it finds that the election was not a valid election, it shall, within 30 days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.
- (iv) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

Determination of voting rights –

- Regulations 68:** (i) Subject to the provisions contained in section 3(2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of closure of the register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.
- (ii) Subject to the provisions contained in Section 3(2E) of the Act, every shareholder entitled to vote aforesaid who, not being a company, is present in person or by proxy or who being a company is present by a duly authorized representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in sub-regulation (i).
- (Explanation _ For this Chapter, “Company” means any body corporate)
- (iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

Voting by duly authorized representative

- Regulations 69:** (i) A shareholder, being the Central Government or a company, may by a resolution, as the case may be, authorize any of its officials or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders and the person so authorized (referred to as a “duly authorized representative” in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or company which he represents, as if he were an individual shareholder of the Bank. The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as the duly authorized representative of the Central Government / company.
- (ii) No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of the Bank as the duly authorized representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorised representative certified to be a true copy by the chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

V. Notification No. DBOD. No. BC.No.46/29.39.001/2007-08 dated 01st November 2007 and No.DBOD. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 of Reserve Bank of India

No nomination shall be valid unless ‘Fit and Proper’ status is accorded by the Nomination Committee appointed by the Board of Directors of the Bank for this purpose. The Nominations should accompany additional information about the candidates to enable the Nomination Committee to decide on the Fit and Proper status with regards to educational qualification, experience and field expertise, track Specified and integrity of the candidates. Adverse notice of any authority/regulatory agency or insolvency or default of any loan from any bank or financial institution would make the respective candidate unfit and improper to be elected as a Director on the Board.



TOTAL BUSINESS

(₹ IN CRORES)

PARAMETERS	MAR.07	MAR.08	MAR.09	MAR.10	MAR.11	MAR.12	MAR.13	MAR.14	MAR.15
Total Business	1,36,265	1,84,607	2,18,012	2,69,225	3,10,763	3,46,898	4,02,272	4,23,390	4,50,539
YoY Growth		35.48 %	18.10 %	23.49 %	15.43 %	11.63 %	15.96 %	5.25 %	6.41 %
Total Deposits	82,776	1,10,320	1,31,272	1,62,107	1,79,356	1,96,173	2,26,038	2,40,069	2,55,572
YoY Growth		33.28 %	18.99 %	23.49 %	10.64 %	9.38 %	15.22 %	6.21 %	6.46 %
Total Loans & Advances	53,489	74,287	86,740	1,07,118	1,31,407	1,50,725	1,76,234	1,83,321	1,94,967
YoY Growth		38.88 %	16.76 %	23.49 %	22.67 %	14.70 %	16.92 %	4.02 %	6.35 %
Investments	29,037	32,646	44,445	52,008	54,847	59,577	72,662	86,384	95,655
YoY Growth		12.43 %	36.14 %	17.02 %	5.46 %	8.62 %	21.96 %	18.88 %	10.73 %
CD Ratio	64.62 %	67.34 %	66.08 %	66.08 %	73.27 %	76.83 %	77.97 %	76.36 %	76.29
Return on Assets	0.62 %	0.54 %	0.45 %	0.66 %	0.70 %	0.26 %	0.44 %	(0.47 %)	0.21 %

PROFITABILITY

(₹ IN CRORES)

PARAMETERS	MAR.07	MAR.08	MAR.09	MAR.10	MAR.11	MAR.12	MAR.13	MAR.14	MAR.15
Gross Income	6,710	8,787	11,525	13,799	16,486	20,545	23,528	26,350	28,303
YoY Growth		30.94 %	31.17 %	19.73 %	19.47 %	24.62 %	14.52 %	11.99 %	7.41 %
Gross Expenses	5,444	7,518	10,088	11,741	13,895	17,730	20,355	23,112	24,744
YoY Growth		38.10 %	34.18 %	16.38 %	18.35 %	27.60 %	14.81 %	13.54 %	7.06 %
Operating Profit	1,266	1,268	1,437	2,058	2,591	2,815	3,173	3,238	3,559
YoY Growth		0.20 %	13.28 %	43.24 %	25.90 %	8.65 %	12.72 %	2.05 %	9.91 %
Net Profit	498	550	571	1,059	1,252	533	1,015	(1,263)	606
YoY Growth		10.47 %	3.83 %	85.36 %	18.24 %	(57.43 %)	90.43 %	(224.43 %)	147.98
NIM (%)	3.28	2.53	1.97	1.86	3.31	2.78	2.65	2.73	2.79
Net Interest Income	2,474	2,223	2,228	2,545	5,326	5,169	5,738	6,493	7,247
YoY Growth		(10.16 %)	0.22 %	14.23 %	109.27 %	(2.95 %)	11.01 %	13.16 %	11.60 %
Non Interest Income	476	791	1,070	1,735	1,265	1,395	1,667	1,923	1,894
YoY Growth		66.31 %	35.26 %	62.15 %	(27.09 %)	10.28 %	19.50 %	15.35 %	(1.51 %)



DIRECTORS' REPORT 2014-15

Your Directors have pleasure in presenting the Annual Report of the Bank along with the Audited statement of Accounts, the Profit and Loss accounts and the cash flow statement for the year ended March 31, 2015.

1. PERFORMANCE HIGHLIGHTS

- ❖ Total Business of the Bank increased by ₹ 27149 crore to ₹ 450539 crore from ₹ 423390 crore in previous year, registering y-o-y growth of 6.41 per cent.
- ❖ Total Deposits increased by ₹15503 crore to ₹ 255572 crore, registering y-o-y growth of 6.46 per cent.
- ❖ Total Advances of the Bank grew by ₹ 11646 crore to ₹ 194967 crore, registering y-o-y growth of 6.35 per cent.
- ❖ Operating Profit increased to ₹ 3559 crore from ₹ 3238 crore in FY 2013-14, registering y-o-y growth of 9.91 per cent.
- ❖ Net Profit stood at ₹ 606 crore in 2014-15 as against net loss of ₹ 1263 crore in FY 2013-14, thereby registering y-o-y growth of 147.98 per cent.
- ❖ Capital Adequacy Ratio (as per Basel-II) stood at 11.89 per cent with Tier I at 8.46 percent as against 11.96 per cent in previous year. Capital Adequacy Ratio (as per Basel III) stood at 10.90 per cent with Tier I at 8.05 percent as against 9.87 per cent in previous year.
- ❖ Net worth increased to ₹ 15643 crore from Rs. 13918 crore.
- ❖ Gross NPA of the Bank increased by ₹ 373 crore to ₹ 11873 crore from ₹ 11500 crore in previous year. In percentage term Gross NPA has decreased to 6.09 per cent in FY 2014-15 from 6.27 per cent in last year.
- ❖ Net NPA increased to ₹6807 crore from ₹6649 crore in previous year. Net NPA percentage has decreased to 3.61 per cent from 3.75 per cent in previous year.
- ❖ Provision Coverage Ratio (PCR) improved to 55.16 per cent from 50.68 per cent in March 2014.
- ❖ Net Interest Margin (NIM) improved to 2.79 per cent from 2.73 per cent in FY 2013-14.
- ❖ Business per Employee increased to ₹ 1138 lakh from ₹ 1025 lakh in previous year.
- ❖ Return on Assets (ROA) is 0.21 per cent for the current financial year.
- ❖ Credit to Priority Sector increased to ₹ 75997 crore from ₹ 68652 crore in previous year, recording y-o-y growth of 10.70 per cent.
- ❖ Agriculture Advance of the Bank increased to ₹ 35,957 crore from ₹ 35,387 crore in FY 2013-14 registering y-o-y growth of 1.61 per cent.
- ❖ Under the micro credit & other (credit upto ₹ 50,000 per borrower), Bank has extended credit of ₹ 206 crore.
- ❖ Advances to Micro & Small Enterprises (MSE) increased to ₹ 26503 crore during the year under review from ₹ 21515 crore in previous year.
- ❖ Education Loan grew by 15.50 per cent during the year and the total loan reached to ₹ 3442 crore.
- ❖ Bank has established 46 Rural Self Employment and Training Institute (RSETIs) in 9 States of the country viz. Madhya Pradesh(18), Bihar(9), Maharashtra(6), Uttar Pradesh(5), West Bengal(3), Chhattisgarh(2), Rajasthan(1), Orissa(1) and Assam(1). During the year 2014-15, the RSETIs conducted 891 training programmes and imparted training to 24290 candidates. Out of this, 14816 (i.e.61%) trainees were settled through bank credit, wage settlement and self-finance.
- ❖ Bank has 3 RRBs as on 31st March 2015 in 3 states covering 47 districts with a network of 1622 branches.
- ❖ Under Financial Inclusion Bank has covered **4,330** villages with population above 2000 and **18,371** villages with population below 2000. Bank has covered all these villages through **6,382** BC Agents. We have also opened 238 Branches in unbanked rural centres. Bank has opened all its **3677** Ultra Small Branches attached to **1427** Base Branches. Bank has opened **146.71** lacs Basic Saving Bank Deposit Account (BSBDA) accounts through its BCs and Branches. Total balance in these accounts is **763.99 crores** as on 31st March, 2015.
- ❖ Under **Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana** our Bank has opened **57.35 lacs** BSBDA accounts and increased business with a deposit of **₹317.82 Crores**.
- ❖ The corporate credit of the Bank decreased to ₹ 97,608 crore from ₹ 97,568 crore in previous year registering y-o-y reduction of 0.04 per cent.
- ❖ The retail credit grew by 21.27 per cent from ₹ 28,811 crore in FY 2013-14 to ₹ 34,939 crore in FY 2014-15.
- ❖ Total earning from Bancassurance business is ₹ 25.27 crore for FY 2014-15.
- ❖ As on 31st March 2015, Bank has a network of 4689 branches, 3677 Ultra – Small Branches (USBs), 4835 ATMs 29 Satellite Offices & 4 Extension Counters across the country.



2. INCOME & EXPENDITURE

Details of income and expenditure for the period 2014-15 are given hereunder:

		₹ In Crores			
		31.03.2015	31.03.2014	Variation	%
1	INTEREST INCOME	26409	24427	1982	8.11
	-Advances	19517	18620	897	4.82
	-Investments	6707	5764	943	16.36
	-Others	185	43	142	330.23
2	OTHER INCOME	1894	1923	(29)	(1.51)
3	TOTAL INCOME (1+2)	28303	26350	1953	7.41
4	INTEREST EXPENDED	19162	17933	1229	6.85
	-Deposits	17520	16374	1146	7.00
	-Others	1642	1559	83	5.32
5	OPERATING EXPENSES	5582	5179	403	7.78
	-Establishment	3825	3537	288	8.14
	-others	1757	1642	115	7.00
6	TOTAL EXPENSES (4+5)	24744	23112	1632	7.06
7	SPREAD (1-4)	7247	6494	753	11.60
8	OPERATING PROFIT (3-6)	3559	3238	321	9.91
9	PROVISIONS-NPA/INVST./OTHERS	2669	4233	(1564)	(36.95)
10	PROVISIONS FOR TAX	284	268	16	5.97
11	NET PROFIT	606	(1263)	1869	147.98

Interest Income grew by 8.11 per cent during the year

Interest expenses on Deposits increased by 7.00 per cent to ₹ 17520 crore in March 2015 from ₹ 16374 crore in previous year.

Expenses on employees increased by ₹ 288 crore during the year to ₹ 3825 crore from ₹ 3537 crore in previous year.

3. PROVISIONS

Details of Total Provisions of ₹2953 crore charged to the Profit and Loss Account during the year 2014-15 vis-a-vis previous year are detailed as under:

		(₹ in crore)		
		31.03.2015	31.03.2014	Variation
	Provisions for Standard Assets	39	(7)	46
	Provisions for NPAs	2610	3989	(1379)
	Provision on Investments	(21)	258	(279)
	Provisions for Taxes	284	268	16
	Others	41	(7)	48
	TOTAL	2953	4501	(1548)

4. PROFITABILITY RATIO

		(In percentage)	
		31.03.2015	31.03.2014
	Cost of Deposits	7.22	7.24
	Cost of Funds	7.34	7.37
	Yield on Advances	10.75	10.79
	Yield on Investments	8.22	7.84
	Net Interest Margin	2.79	2.73
	Cost Income Ratio	61.07	61.53

5. BANKING RATIOS



	(In percentage)	
	2014-15	2013-14
Interest Income to Average Working Fund (AWF)	9.29	9.18
Non-Interest Income to AWF	0.67	0.72
Operating Profit to AWF	1.25	1.22
Return on Average Assets	0.21	--
Business Per Employee (₹ in lakh)	1138	1025
Net Profit per Employee (₹ in lakh)	153	--

6. CAPITAL TO RISK WEIGHTED ASSETS RATIO (CRAR)

The components of Capital Adequacy Ratio were as under:

	31.03.2015		31.03.2014	
	Basel-II	Basel-III	Basel-II	Basel-III
Tier-I	8.46	8.05	8.12	7.37
Tier-II	3.43	2.85	3.84	2.50
Capital Adequacy Ratio	11.89	10.90	11.96	9.87

7. NET PROFIT & DIVIDEND

The Bank earned Net Profit of ₹ 606 crore for the financial year 2014-15. The Board of Directors are pleased to recommend a dividend @ 5 per cent on the Equity Share Capital i.e. ₹ 0.50/- per equity share of ₹10/- each.

8. CHANGES IN THE BOARD DURING THE YEAR

During the year under review, the following changes took place in the Board of Directors of the Bank:

- ❖ Shri Guman Singh ceased to be the Part-Time Non-official Director of the Bank w.e.f. August 08, 2014 consequent upon expiry of his term on August 07, 2014.
- ❖ Shri Animesh Chauhan ceased to be the Executive Director of the Bank w.e.f. 31st December, 2014 upon elevation as Managing Director & Chief Executive Officer of Oriental Bank of Commerce.
- ❖ Prof. N. Balakrishnan, who was elected as Shareholder Director of the Bank under section 9(3)(i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of three years from January 10, 2012 has ceased to be the Director of the Bank w.e.f. close of working hours on January 09, 2015 consequent upon completion of his tenure.

The Board places on record its appreciation of valuable contribution extended by Shri Guman Singh, Shri Animesh Chauhan and Prof. N. Balakrishnan who ceased to be the directors of the Bank during Financial Year 2014-15.

9. WHISTLE BLOWER POLICY

Bank follows Central Vigilance Commission Guidelines on Whistle Blower complaints under Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) resolution. Bank also has a web based portal in the name of "Cent Vigil" to facilitate reporting malpractices by employees and directors without revealing their identities which would be known to the Chief Vigilance Officer only. Directors and Employees may also approach Chairman of the Audit Committee on need basis. This helps to curb malpractices, prevent frauds and boost up morale of the employees.

10. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2015;

- ❖ The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departure, if any;
- ❖ The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India were consistently applied;
- ❖ Reasonable and prudent judgement and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of the Bank for the year ended March 31, 2015;
- ❖ Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the applicable laws governing banks in India ; and
- ❖ The accounts have been prepared on a going concern basis.
- ❖ Internal Financial Control are adequate and were operating effectively.
- ❖ Proper systems have been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and these systems were adequate and operating effectively.

11. CORPORATE GOVERNANCE



The Board of the Bank is committed to adapt Corporate Governance practices in letter and spirit. The Bank has adopted well documented system and practice on Corporate Governance.

12. ACKNOWLEDGEMENT

The Board of Directors places on record its gratitude to the Government of India, Reserve Bank of India and the Security Exchange Board of India for their valuable guidance and support. The Board acknowledges with gratitude the unstinted support and faith of its customers and shareholders. The Board wishes to place on record its appreciation of the dedicated services and contribution made by members of staff for the overall performance of the Bank.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-

Rajeev Rishi

Chairman & Managing Director

Place : Delhi

Date : May 25, 2015



MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Part A: ECONOMIC OVERVIEW

Growth prospects of major economies, though look brighter for the year ahead, continue to be subdued in the near term outlook. Developing countries are widely expected to have a better year ahead given the soft oil prices, low global interest rates and a stronger US economy. While growth in China is slowing down to the official target of around 7%, India is set to grow faster in the next two years.

In a major development, the Central Statistics Office, Government of India released the new GDP series shifting the base year to 2011-12 from 2004-05. The new series deploys improved methodologies and uses more data thereby bringing India on par with international standards of GDP estimation. Using the new estimate, the GDP growth of the country for 2015-16 at market prices is expected to be in the range of 8.1 to 8.5%. The Economic Survey published by Government of India, however, takes a balanced view of the growth estimate and states thus in the report: "The balance of evidence and caution counsel in favour of an interpretation of a recovering rather than surging Indian economy".

The series of policy measures undertaken by the Government, ongoing moderation in inflation and the prospects of a softer interest rate regime would provide necessary impetus for reviving industrial production and domestic consumption. Prospects of recovery and growth, therefore, offer reasons to be optimistic about sustainable growth in all business segments.

Part- B- PERFORMANCE OF THE BANK

BUSINESS

As on 31st March 2015, the Total Business of the Bank was ₹ 450539 crore, registering a growth of 6.41 per cent from the previous year figure of ₹ 423390 crore. The Operating Profit reached to ₹ 3559 from previous year figure of ₹ 3238 crore, making a growth of 9.91 per cent. The Bank has posted Net Profit of ₹ 606 crore in 2014-15 as against ₹ 1263 crore loss in previous year.

RESOURCE MOBILISATION

The Total Deposits as on March 31, 2015 stood at ₹ 255572 crore, registering a growth rate of 6.46 per cent over previous year. Saving Bank Deposits increased to ₹ 73810 crore with a growth of 11.04% in 2014-15 from ₹ 66474 crore in last year. However, Current Deposits decreased to ₹ 13202 crore in 2014-15 from ₹ 13537 crore in 2013-14. The share of CASA Deposits to Total Deposits was increased to 34.05 per cent as against 33.33 % in last year. Total Core Deposits increased to ₹ 228137 crore in 2014-15 with Y-o-Y growth of 21.59 per cent from ₹ 187635 crore in 2013-14 whereas Core Term Deposits grew by 31.13 per cent to reach a level of ₹ 141125 crore in 2014-15 from ₹ 107624 crore in 2013-14.

CREDIT

As of 31.03.2015, the gross credit of the Bank stood at ₹194967 crore as against ₹183321 crore in the previous year, registering y-o-y growth of 6.35 per cent. The growth in credit is diversified in all segments as under:

₹ in crore

	As on 31.03.2014	As on 31.03.2015	Growth (%)
Corporate Credit	97608	97568	(0.04)
Agriculture	35387	35957	1.63
MSE	21515	26503	23.18
Retail Lending	28811	34939	21.27

CREDIT MONITORING DEPARTMENT

- ❖ Bank has introduced a well-defined Monitoring Policy, containing detailed guidelines on SMA (Special Mention Accounts) Management which encompasses all areas of SMA management, Early Warning Signals, Monitoring & Follow-up Measures and Reporting System.
- ❖ The policy was approved by the Board in May 2011 and implemented across the Bank with effect from 1st July 2011. Modifications to the Policy are being carried out from time to time with the approval of the Board.
- ❖ An independent vertical under an independent charge of Chief General Manager/ General Manager has been created for Credit Monitoring w.e.f. 1st August 2011.
- ❖ As per Monitoring Policy guidelines, Monitoring Committee has been formed at Central Office level as well as at the field level at all Zonal/Regional Offices and Corporate Finance Branches, to review and monitor Standard irregular/ SMA accounts every month and entire gamut of credit monitoring is reviewed only on monthly basis in a structured manner.
- ❖ Several workshops have been conducted for field functionaries including Deputy Regional Managers/Loan Review Officers with a view to develop monitoring skills/awareness.
- ❖ Locational Meetings were conducted at different Regional Offices/Zonal Offices and/or video conference held with the



SMA borrowers to chalk out strategies for asset quality management of the stressed accounts.

- ❖ The Bank has also implemented Centralized Loan Appraisal System & Supervision (CLASS) Monitoring Module software for monitoring Corporate, SME, Retail and Priority Sector advances on real-time basis.
- ❖ Steps have also been initiated for offsite monitoring surveillance mechanism to ensure intensive credit monitoring.
- ❖ Pre-release audit for fresh/enhancement of ₹ 5 crore and above advances is introduced and credit audit for fresh/enhancement of ₹1 Crore and above advances within 30 days of disbursement is introduced.
- ❖ CIBIL consumer and commercial data acceptance level has improved to 80% and 95% respectively during the year.
- ❖ The Bank has also submitted point-wise compliance to all the earlier Annual Financial Inspection (AFI) Reports and the AFI Reports up to 2013 are closed. With regard to AFI 2014, out of 247 action points, all are complied with except 8 points. Efforts are on for Compliance of these points also at the earliest.

PRIORITY SECTOR CREDIT

As per RBI directives, 40% of adjusted net bank credit or credit equivalent amount of off-balance sheet exposure, whichever is higher, is to be lent to priority sector. Lending under this sector is therefore, the thrust area of the Bank. We have focused on the growth in lending to Agriculture, MSE, Housing, Education and others which are the major constituents of Priority Sector. As a result, our growth under Priority Sector lending has been quite impressive.


The performance of the Bank under various segments of priority sector as on 31.03.2015 is as under:-

₹ In crore

S No.	Particulars	March 2014	March 2015	Growth (%)
	Adjusted Net Bank Credit (ANBC)	179152	188738	5.35
1	Priority Sector Advance Percent to ANBC	68652 38.32	75997 40.27	10.70
2	Total Agriculture Advance Percent to ANBC Net Agricultural Advances (with Max.4.5% of Indirect Agriculture) Percent to ANBC	35387 19.75 31878 17.79	35957 19.05 34121 18.07	1.61
3	Direct Agriculture Advances Percent to ANBC	23816 13.29	25628 13.58	7.60
4	Indirect Agricultural Advances Percent to ANBC Max. permissible (4.5% of ANBC) Percent to ANBC	11571 6.45 8062 4.50	10329 5.47 8493 4.50	-10.73
5	Micro & Small Enterprises	21515	26503	23.18
6	Education Loan	3072	2882	-6.18
7	Housing Loan (upto ₹25.00 lacs)	8418	10449	24.12
8	Micro Cr. & other	264	206	-21.96


PRIORITY SECTOR

The credit deployment under priority sector increased from ₹68,652 crore to ₹75997 crore during 2014-15, recording a growth of 10.70% over previous year.



AGRICULTURE

Total Agricultural credit increased by 1.61% from the level of ₹ 35387 crore as on 31.03.2014 to ₹35957 crore as on 31.03.2015. Last year, bank has purchased IBPC of ₹2200 crores which was repaid during 2014-15. Excluding IBPC and with maximum of 4.5% of indirect agriculture, the growth under agriculture lending is 12.89%. The percent of agricultural credit to adjusted net bank credit (ANBC) is 18.09% as against the stipulated target of 18%.





INITIATIVES TAKEN TO ACCELERATE FLOW OF CREDIT TO AGRICULTURAL SECTOR:

Special Credit Campaigns:

- ❖ Calendar for organizing Credit camps was finalized and conveyed to the Zones and Regions. All the Rural and Semi-urban branches organised minimum one Mega Credit camp each month to canvass and sanction new agricultural loans. In the credit camps, ₹ 3242.67 crore were sanctioned and disbursed to 2,04,256 farmers during the year.
- ❖ Special Credit Campaign “Krishak Mahotsav” was organized during December 2014 at all the rural and Semi-urban branches and agricultural loans of ₹270.46 crores were sanctioned and disbursed to 15646 new borrowers.

New Products Launched:


- ❖ Cent AMI Scheme to finance Agricultural Marketing Infrastructure
- ❖ Cent Poly House, Green House, Shade Net House Scheme to finance Controlled Farming

Updation of Master Circulars

- ❖ All the Agricultural Lending Schemes and other important guidelines were updated and issued in the form of Master Circulars on 01.01.2015. The same has also been uploaded on bank's intranet site for ready reference of the field functionaries.


FINANCIAL INCLUSION (FI)

- ❖ Bank has covered **4,330** villages with population above 2000 and **18,371** villages with population below 2000. Bank has covered all these villages through **6,382** BC Agents. We have also opened 238 Branches in unbanked rural centres.
 1. Bank has opened all its **3677** Ultra Small Branches attached to **1427** Base Branches.
 2. We have opened **17** Urban Financial Inclusion centres in NCR region and 9 in Bhopal Region.
 3. **No. Of Transactions:**




Transactions in FI Accounts opened through BCs have increased to 52.46 lacs in FY 2014-15 from 31.65 lacs in FY 2013-14 (YoY growth of 64%).

4. Business through BCs:



Business through BCs increased from ₹ 74.99 crores on 31 March 2014 to ₹ 132.11 Crores on 31 March 2015: an increase of 76%.

5. Account Opening through BCs:



No. of accounts opened through BCs increased from 51.11 lacs on 31 March 2014 to 62.74 lacs on 31 March 2015 : increase of 23%.

6. Bank has opened **146.71** lacs Basic Saving Bank Deposit Account (BSBDA) accounts through its BCs and Branches. Total balance in these accounts is **763.99 crores**.
7. All our FI accounts have been migrated to Bank's CBS.
8. **81%** of customer's Finger Prints are on Central Biometric Authentication server of Bank.



- ❖ We have launched four basic financial products stipulated by RBI for FI customers viz. Cent Bachat khata, Cent Vikas khata, Cent Smart Kisan Credit Card, Cent Variable Recurring Deposit Scheme. We are also offering full KYC products Basic Saving Banks Deposit account viz. Cent Vaibhav and Cent Unnati.

FINANCIAL INCLUSION INITIATIVES:

- ❖ **Aadhaar Enabled Payment System (AEPS):** AEPS transactions are being carried out by our FI vendors through Micro ATMs.
- ❖ **Aadhaar seeding** and linking implemented with several options **1)** Branch CBS system **2)** Bulk upload from branches. **3)** Using RASF **4)** Internet Banking **5)** Through ATMs. At present bank has more than **91.30 lacs** Aadhaar numbers seeded and linked in CBS and updated with NPCI mapper.
- ❖ **Aadhaar seeding enabled** in Inoperative Accounts, Dormant Accounts and Joint Accounts having mode of operations i.e. Either or Survivor, Any one or Survivor and Jointly by all.
- ❖ AEPS ONUS is live with 10 out of 12 TSPs.
- ❖ Alert sent through SMS/E-mail on successful seeding of Aadhaar.
- ❖ **E-KYC** implemented at branches and 10 TSPs, had moved functionality into production environment, out of total 12 active TSPs.
- ❖ Updation of BC/Village details completed for 85.39% customers.
- ❖ **IFIS** - Online F.I transaction is live in all 12 active TSP's. (i.e. biometric Authentication at DC through CAS).
- ❖ **Allowed Third Party** to deposit amount in BSBD Accounts at BC-Outlet.
- ❖ **Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana-**
 - ❑ Under this scheme our Bank has opened **57.35 lacs** BSBD accounts and increased business with a deposit of **₹ 317.82 Crores.**
 - ❑ **90%** accounts have been enabled with RuPay Card inbuilt with an accidental insurance of ₹1 lakh and a life insurance cover of ₹30,000.
 - ❑ **42%** accounts have been seeded with Aadhaar.
 - ❑ BSBD Accounts are being opened through e-KYC module in the branches.
 - ❑ We have provided OD facility in 28,981 numbers of PMJDY accounts and disbursed approx. ₹78000

Performance under Lead Bank.

- ❖ We have the Lead Bank responsibility in 51 districts spreading in seven States viz. Madhya Pradesh(18), Bihar(10), Maharashtra(7), Uttar Pradesh(5), West Bengal(4), Rajasthan(3) and Chhattisgarh (4). More than 50% and about 25% of our total branches are located in these States and Lead Districts respectively.
- ❖ For effective implementation of Lead Bank Scheme, the office of Lead District Managers has been sufficiently equipped and empowered with right kind of staffing supplement and infrastructure like independent/good premises, vehicle, computers/laptops (with skype installed) & printers, telephone, internet connections, e-mail id, mobile, fax, establishing websites.
- ❖ To make the public/masses aware of various products of bank, we have displayed some products relating to Kisan Credit Card, Central Artisan Credit Card, Swabhimani/Aadhar etc. relevant to the rural masses on the vehicle provided to LDMs.
- ❖ The overall achievement under Annual Credit Plan by our branches is 74% comparing to the achievement of 67% by all banks in Lead Districts.
- ❖ We have selected one village in each Lead District for inclusive growth through empowerment, training skill development of youth and credit linkages. All developmental activities like complete implementation of Financial Literacy/Financial Inclusion Programmes, Training unemployed rural youth in RSETIs, Formation of SHG/Farmers Club/JLG, Lending activities have been implemented to bring complete socio-economic change. This is being replicated in other selected villages also in lead districts.

State Level Bankers Committee:

- ❖ Our bank is the convener of SLBC in the State of Madhya Pradesh. During the year 2014-15, three regular and two special SLBC meeting were held to review and monitor the progress made in the State under various parameters including Government sponsored programmes by different agencies.
- ❖ Our vision for the State is "An all-round and all-inclusive development of the State through which the life of citizens can become prosperous and they should have opportunities for putting in their best efforts according to their potential and contributing to the nation's development".
- ❖ We are the pioneer to hold Review Conference/Workshop of all Lead District Managers of the State to discuss various

strategies to achieve the target of ACP, action plan relating to implementation of Financial Inclusion and integrating their roles & responsibilities in achieving the objectives.

- ❖ We are the first bank to enter in to MOU with State Govt. under Chief Minister Rural Housing Scheme.
- ❖ Despite various adversities in some of districts, the CD Ratio of the State has been above 56%.
- ❖ All sub service area allotted to the banks have been covered through a banking outlet like Branch, BCA or CSC.
- ❖ Looking to the thrust in MSME sector at national level, there is more than 100% quantum increase in the targets under MSE. Banks have been able to achieve 138% up to March 2015. The Quantum increase in achievement is due to the new Swarozgar Schemes launched by the Govt. of M.P. during FY 2014-15.
 1. Mukhya Mantri Yuva Udhyaami Yojna
 2. Mukhya Mantri Swarozgar Yojna

Financial Literacy and Credit Counseling Centre (FLCC)

- ❖ We have opened 50 FLCCs in 7 States viz. Madhya Pradesh(18), Bihar(10), Maharashtra(8), Uttar Pradesh(5), West Bengal(4), Rajasthan(3) and Chhattisgarh (2).
- ❖ All these centres have conducted outdoor visits to the villages extending literacy/counselling to 706630 persons. Both mass campaigning and individual counselling are being done.
- ❖ Bank has provided them vehicle fitted with Public Address System and LCD for displaying various products/schemes being launched by banks for bringing awareness among the masses and opportunities to them for availing benefits to uplift their economic status and standard of living. Besides, we provide literacy material, kits, books etc while extending counselling as also visiting villages.

Rural Self Employment Training Institutes

- ❖ Bank has established 46 RSETIs in 9 States of the country viz. Madhya Pradesh(18), Bihar(9), Maharashtra(6), Uttar Pradesh(5), West Bengal(3), Chhattisgarh(2), Rajasthan(1), Orissa(1) and Assam(1).
- ❖ During the year 2014-15, the RSETIs conducted 891 training programmes and imparted training to 24290 candidates. Out of this, 14816 (i.e.61%) trainees were settled through bank credit, wage settlement and self-finance
- ❖ 18 RSETI centres are graded A,AA and 21 centres graded B,BB,BA,AB,AC whereas C & D graded RSETI centres are 4 only, gaps are identified in these centres to address the same for up gradation of grading in the current year.

Other Initiatives

- ❖ Our bank has established one Society/Trust in the name of “Central Bank of India Samajik Utthan Avam Prashikshan Sansthan (CBI-SUAPS)” to control & supervise the operations and functioning of RSETIs and FLCCs.
- ❖ We have formed Governing Council at Apex Level with Chairman & Managing Director as Patron, Executive Director as President and General Managers as members for overall control and supervision of the affairs & functions of RSETIs and FLCCs.
- ❖ We have engaged a retired General Manager having vast experience and exposure in the Agriculture & Rural Development, to act as Chief Executive Officer-RSETI/FLCC at apex level.
- ❖ We have started engaging retired senior bank officials with requisite competencies to act as Director, RSETI and Counsellor, FLCC with adequate man power support.
- ❖ Local Advisory Committee and Training Committee have been formed at District level with the representatives from all local development bodies.
- ❖ We have developed a model plan common to all 46 RSETI for construction of building. Process for creation of web based data of beneficiaries to keep track on the status of self employment of RSETI trainees.


RETAIL CREDIT

Total outstanding under Retail Lending Schemes increased from ₹ 28811 Crore as on 31.03.2014 to ₹ 34939 crore as on 31.03.2015 to, registering absolute growth of ₹ 6128 Crore with percentage growth of 21% over March 2014. The retail portfolio of the Bank was 17.92%per cent of total advances.

	31-03-2013	31-03-2014	31-03-2015
RETAIL CREDIT	22209	28811	34939
TOTAL CREDIT	1,76,234	1,83,321	1,94,967
% OF TOTAL CREDIT	12.60%	15.72%	17.92%



₹ in crores

**DEPARTMENT INITIATIVES****PRODUCTS/ SERVICES:**

- Product positioning- Considering the distinctive products for the potential customers with clear cut differentiation, Bank has 27 full-fledged products with 3 sub products as under:

Sr.No	NAME OF SCHEMES
1	Cent Home Loan Scheme
1. a	<i>Conversion of Staff House Building Loan into housing loan under Direct Housing Finance Scheme on the date of retirement of our Bank's staff.</i>
2	Cent Home Double Plus Scheme
3	Special Housing Loan Scheme for Employees of Central/State Governments & PSUs of Central Government under bank's Direct Housing Finance Scheme
4	Cent Home –CRGFTLIH Scheme
5	Rajiv Rinn Yojana [Housing loan to Economical Weaker Section(EWS) & Lower Income group (LIG) in Urban Area
6	Cent Home Loan Plus
7	Cent Earnest Money Finance Scheme
8	Cent Mortgage
9	Cent Mortgage Educational Institutions
10	Cent Trade
11	Cent Rental
12	Reverse Mortgage Loan – Revised 'Cent Swabhiman' Scheme
13	Cent Vidhyarthi
13a	<i>Concessions under "Cent Vidhyarthi Scheme" to the children of staff members of our bank.</i>
14	Educational Loan Scheme for Financing Executives to pursue MBA
15	Scheme for Education Loan to the students of IIMS & 4 Reputed Institutions
16	IBA Model Loan Scheme for Vocational Education and Training –Cent Vidhyarthi-Vocational Education and Training
17	Cent Vehicle Scheme
17 a	<i>Sanction of vehicle loan to staff under Cent Vehicle Scheme for the amount over and above the ceiling limit under Staff Vehicle Loan Scheme</i>
18	Cent Sahyog



19	Cent Dentist (includes retail loan products: IDA-Cent Dentist ,IDA-DHFS, IDA-Cent Vehicle,IDA-Cent Vidyarthi)
20	Cent Doctor
21	Cent Personal Loan
22	Cent Corporate Loan
23	Personal Loan to Pensioners
24	Cent Suvidha
25	Cent Personal Gold loan Scheme. (Non-Priority Sector)
26	Personal Loan to Teachers and Employees of Educational Institutes
27	Comprehensive Scheme on Channel Financing

These products are having product differentiation for different target group and for specified niche market.

2. Considering the overlapping and life cycles of the products and to avoid overlapping target groups Bank have merged Cent Vyapari with Cent Trade and Cent Udan with Cent Vidyarthi. Further, the 10 overlapping products have been discontinued considering the overlapping and delinquency ratios. These are i. Cent Buy, ii. Cent Competitive Exam, iii. Cent Computer, iv. Cent Jewel, v. Cent Multipurpose, vi. Cent Safar, vii. Cent School, viii. Cent Vivah, ix. Personal Loans to LIC Agents and x. Cent Upfront Housing Loan – Advance Disbursement Facility
3. For speedy product/service delivery Bank has made the processing of Retail products through Computerized Loan Appraisal System and Supervision (CLASS) system. This new strategy has been implemented and made a progress of 100% during the financial year 2014-15.
4. The data related to product and services are being analyzed for its effectiveness from customer's point of view. Where there are deviations from circulars concerned deviation proposals are being placed to the authorized committee for approval on the basis of merit considering liquidity and other relevant facts of the customers. The suggestions related to products/services received from the field functionaries are being analyzed at the corporate office of the Bank and after considering its viability; cost benefit analysis and compliances the concerned products and services are modified and placed in public domains on March 2015 for the information of general public. The policy broadly addressed revitalizing its existing products besides introduction of new products to compete in the industry, improve appraisal, processing and delivery mechanisms and above all to mitigate the risks associated with the exposures. While developing and modifying new products the long term perspective are being considered so that they shall not be technologically obsolete in short term. The longer product cycle have been given due importance and at the suitable time the product may be reinforced considering the requirement of the customers due to their changed preferences over a period of time.
5. Web based online generated leads have been duly monitored and marketed by the administration offices of the Bank.
6. We have also taken up a pilot project from CIBIL Dynamic Monitoring solution for retention of standard borrowers which has helped in tracking our existing customers for cross selling of the retail products/ services of the Bank and also in tracking the non-traceable borrowers for recovery.
7. Bank has taken a step to curb delinquency in the retail asset accounts by consistent monitoring and follow up. The exact reason and corrective steps for the account becoming delinquent in Retail Banking are being analyzed to ensure qualitative & quantitative improvement.
8. For qualitative improvement in lending we have identified 42 centers and established Centralized Credit Processing Centers (CCPCs) for the processing of retail lending products. This has helped the branches to spare time for marketing of product & services and ensuring minimum Turn Around Time (TAT) of the proposal.

INTERNATIONAL DIVISION

- ❖ Foreign Exchange Business of the Bank is carried out through 89 Authorized Dealer Branches spread across the country. For operational efficiency, Bank has a centralized Dealing Room at Mumbai for attainment of better funds management and operational convenience.
- ❖ During the current Financial Year, the Export Credit portfolio of the Bank increased from ₹ 5509 crore as on 31.03.2014 to ₹ 5571 crore as on 31.03.2015.
- ❖ Merchant trade foreign exchange turnover was ₹ 44,166.25 crore in FY 2014-15 as against ₹ 43,783 crore in FY 2013-14.
- ❖ NRE Deposits increased from Rs 2485.28 crore as on 31.03.2014 to Rs 3079 crore as on 31.3.2015 an increase of 23.89% over the previous year.
- ❖ FCNR Deposits increased from USD 142.12 million as on 31.3.2014 to USD 174.85 million as on 31.03.2015, an increase of over 15% over the previous year.

TREASURY, FUNDS AND INVESTMENT

- ❖ The investment portfolio of the Bank has increased to ₹ 95655 crore as on 31st March 2015 as against ₹ 86384 crore as on 31st March 2014 thereby recording an increase of 10.73% over the previous year. The ten year benchmark yield closed



at 7.74% as on 31st March 2015 vis-à-vis 8.83% on 31.03.2014.

- ❖ RBI took a slew of measures to provide stable liquidity by bringing in variants of repo, term repo, variable term and reverse repo during the FY 2014-15. The Repo rates were reduced twice in FY 2014-15 by .50 % (.25 in Jan 15 and .25 in March 15 respectively).
- ❖ The Repo borrowing limit was reduced to 0.25% of NDTL and term repo to 0.75 % of NDTL, along with discretionary variable term repo and reverse repo over and above the 1% NDTL, aiming to keep the rates closer to repo rate. Banks are required to bid in the auction to borrow in term LAF.
- ❖ Overnight repo was reduced from 8.00% in March 2014 to 7.75% in Jan 15 and further to 7.50% in Mar 15.
- ❖ In the volatile market and critical liquidity management situations, treasury recorded trading profit of ₹617 crore which is considerably higher as compared to previous year trading profit of ₹ 455 crore. This was achieved by strategic planning of resources and trading with proper analytics to grab the market opportunities. The yield on investment increased from 7.84 % (including RIDF) to 8.22 % (Excluding RIDF).
- ❖ In compliance with the Reserve Bank of India guidelines on shifting of securities, the Bank has transferred Govt. and State Govt. securities amounting to ₹ 2098.49 crore from AFS to HTM and booked depreciation of ₹34.47 crore.
- ❖ The composition of investment portfolio of the Bank as on 31st March 2015 is as under:

(₹ in crore)

Sr. No.	Composition	31.03.2014	31.03.2015
1.	SLR	67951.69	75413.59
2.	Non-SLR	18432.08	20240.97
	TOTAL	86383.77	95654.56

RISK MANAGEMENT

Risk Management System/Organizational Set Up

Risk Management systems are now well established in the Bank. Risk Management Committee of the Board of Directors regularly oversees the Bank's Risk Management policies/practices under Credit, Market and Operational risks & Pillar II risks. The Committee reviews the policies and procedures for pricing of products and assessing the risk models relative to market developments and also identifies and controls new risks. The committee also regularly monitors compliance of various risk parameters by the concerned departments at the corporate level.

Risk Management Structure

- ❖ At operational level, various Committees like Asset Liability Management Committee (ALCO) for Market Risk, Credit Risk Policy Committee (CRPC) for Credit Risk and Operational Risk Management Committee (ORCO) for Operational Risk have been constituted comprising of members from the top management team.
- ❖ These Committees meet at regular intervals throughout the year to assess and monitor the level of risk under various Bank operations and initiate appropriate mitigation measures wherever necessary.
- ❖ The Bank has identified officers in the rank of Senior Managers/Managers to act as 'Risk Managers' at all the Zonal/Regional Offices. The Risk Managers act as the 'Extended Arms' of the Risk Management Department of the Central Office at the Zonal/Regional Level. The Bank has also identified officers at the senior level in various functional departments of Central Office to act as 'Nodal Officers' to look into various aspect of control & management of risk in the Bank.

Market Risk Management

- ❖ The Mid Office reviews the market position, funding patterns and ensures compliance in terms of exposure, duration, counter party limits and various sensitive parameters and the reports are presented at regular intervals to the top management.
- ❖ The tools such as VaR and Duration analysis are used on an ongoing basis to measure and manage the risk to Bank's NII in the short run and equity value in the long run.
- ❖ A model to estimate Capital charge on trading portfolio on ongoing basis is developed and being implemented as per the Basel II guidelines on the Market Risk.
- ❖ The Bank has reviewed the existing Investment and Market Risk Management Policy. Counter party limits for Forex dealings have been fixed / reviewed as per their latest standing and rating in the market.

Credit Risk Management

- ❖ Bank has a well-documented Integrated Risk Management Policy, which was last reviewed by the Board on 02.03.2015
- ❖ The Bank has procured the Facility Rating Module with Risk Adjusted Return on Capital (RAROC), Loss Given Default (LGD) and Exposure At Default (EAD) assessment tools from CRISIL Ltd. The Facility Rating Module is in use from 01.04.2012.

- ❖ The Bank has also developed Rating Models (score card) for grading retail loans, and same is in use.
- ❖ The developments in credit risk management are being reported and monitored by the Credit Risk Policy Committee headed by the Executive Director.
- ❖ As preparedness for moving to advanced approaches, bank is in the process of developing models for calculating PD, EAD & LGD for both Corporate & Retail portfolio.

CREDIT RISK PROFILE / RATING MIGRATION

The Credit Risk Profile of the Bank as of 31st of March 2015 is presented below in comparison to the previous year.

Amt: Rs in Cr

Risk Gradation	March 2014		March 2015	
	Exposure-Amt	% of Rated Exposure	Exposure-Amt	% of Rated Exposure
Low Risk	84211	53.25%	86052	50.86%
Medium Risk	67421	42.64%	77921	46.05%
High Risk	6512	4.11%	5232	3.09%
Total of Rated Exposure	158144	100.00%	169205	100.00%
Unrated Exposure	13677	7.95%	14631	7.96%
Total Standard Advances	171821		183836	

- ❖ It may be observed that during the F.Y.2014-15, there has been some migration of accounts from Low Risk to the Medium Risk category & also from High Risk to Medium Risk category. The overall share of rated accounts remains same i.e. 92.04%. The unrated exposure comprises mainly loans to staff as well as those against term deposits and NSC/KVP/ Insurance policies etc which are exempted from rating.

Operational Risk Management

- ❖ The Operational Risk Management in the Bank is guided by a well laid down Operational Risk Management Policy.
- ❖ Operational Risk Management Committee (ORCO) reviews the risk profile of the Bank on quarterly intervals and the oversight by the Board of directors strengthens the qualitative aspects related to Operational Risk.
- ❖ Bank is developing models and building up qualitative and quantitative information for applying to RBI towards graduating to Advanced Measurement Approach. New Product Approval Policy Framework guides the Bank in mitigating the risks associated with new products or activities.

Capital Planning

Bank has a robust ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) in place. Bank has framed its risk appetite framework and intends to maintain capital ratios over and above the minimum requirements as per Basel III norms. Review of the capital vis a vis the estimates are undertaken on a quarterly basis.

Asset & Liability Management Systems

- ❖ ALM mainly deals with measuring and managing the liquidity and Interest rate risk of the bank with an objective of profit maximization. ALCO (Asset & Liability Committee) met 18 times during the year to review the position of the bank with regard to liquidity and other related matters.
- ❖ Besides regulatory reporting, ALM is also engaged in Interest determination on Deposits as well as Base rate and BPLR fixation. During the year 2014-15, revision was made seven (7) times in deposit interest rates.
- ❖ In terms of new RBI guidelines Bank has started calculating LCR (Liquidity Coverage Ratio) effective from 1st Jan'2015 on a monthly basis & the ratio is well above the threshold limit (i.e. 60% for 2015) fixed by RBI. The quarterly average LCR for March'2015 is 139.53%.
- ❖ ALM department presents different analysis to the top management to decide rate of interest for Deposits & Advances.

Implementation of Basel II Guidelines

- ❖ Reserve Bank of India has issued updated master circular on implementation of the New Capital Adequacy Framework in July 2013. As per the guidelines, the Bank has adopted Basel II norms with effect from 31.03.2009 and provided capital as per Standardized Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized Duration method for Market Risk.
- ❖ Reserve Bank of India has set out timelines to the commercial banks for graduation to advanced approaches. Accordingly, Bank has appointed a solution provider for procuring solution for advance approach to meet Basel II norms.
- ❖ All necessary policies such as Credit Risk Management Policy, Operational Risk Management policy, Market Risk Management Policy, Credit Risk Mitigation and Collateral Management Policy, Market Discipline and Disclosures Policy, ICAAP etc are in place duly approved by the Board.



❖ Bank is undertaking the necessary steps to graduate to FIRB (Foundation Internal Rating Based) Approach.

Our Bank's preparedness for Basel - III

RBI has come out with the final guidelines on Implementation of Basel III on 2nd May 2012; Accordingly, Bank has started computing CRAR as per BASEL III NORMS from June 2013 and is complying with all requirements as laid down in the guidelines.

RECOVERY

The bank has a well-defined Recovery Policy containing detailed guidelines for NPA Management. It encompasses all areas of NPA Management, Monitoring and Follow-up measures, Compromise settlements, Staff Accountability, SARFAESI Act, appointment of Recovery/Enforcement Agencies, Sale of assets to ARCs, Willful Defaulters and MIS. The Policy is reviewed from time to time to incorporate the latest changes/developments in Economy and trends in NPA Resolution/Management.

1. During the year 2014-15, though Cash Recovery of ₹1365 crore, Upgradation of ₹2336 crore and Sale of NPAs ₹1119 crores, aggregating to ₹4820 crore, the performance was impacted by the fresh accretion of some high ticket accounts. (21 accounts of ₹50.00 crore and above amounting to ₹3092 crores).
 - ❖ Gross NPA level has gone up from ₹11500 crore to ₹11873 crore.
 - ❖ Net NPA has increased from ₹ 6649 crore to ₹6807 crore.
 - ❖ Gross NPA and Net NPA Ratios have decreased from 6.27% to 6.09% and 3.75% to 3.61% respectively.
 - ❖ Cash Recovery has increased from ₹1104 crore to ₹1365 crore.(23.64%).
2. Under Special One Time Settlement (OTS) scheme for NPA accounts up to outstanding ₹1.00 lac, proposals settled for an amount of ₹78 crores and cash recovery made for ₹56 crores.
3. Under the simplified OTS Scheme for NPA accounts of outstanding above ₹1.00 lac up to ₹10 lac, Bank has settled the proposals amounting to ₹65 crores and cash recovery made for ₹45 crores.
4. Under the Krishak Rahat Yojna for recovery in NPA of Tractor/Agriculture loans of sanctioned limit up to ₹10.00 lac , proposals settled for an amount of ₹78 crore and cash recovery made for ₹58 crore.
5. Besides this, OTS proposals aggregating to ₹364 crores have been sanctioned at Central Office and against which, ₹41crore has already been recovered during the FY 2014-15.
6. During the year Bank has sold NPAs to ARCs for sale consideration of ₹870 crores, where the outstanding is ₹1242 crores.
7. NPA Borrowers having outstanding of Rs 50 lacs & above were contacted individually by RO recovery team along with branch staff for recovery of loan.
8. Wilful defaulter exercise was done in a very systematic way and all NPA accounts of above 25 lacs were examined for identifying & declaration as wilful defaulter.
9. The movement of NPA was strictly monitored on monthly basis by our Executives and our thrust for the year was close monitoring of special mention accounts, to arrest their slippage as well as recovery in NPA accounts by legal action/ sale of properties under SARFAESI as well as small loan accounts recovery through one time settlement schemes.
10. In the review meetings of RMs / ZMs main thrust was given for recovery in NPA accounts with special emphasis for recovery in agriculture and SME loan accounts as well as to arrest the fresh slippage by recovering critical amount.
11. With the purpose of closely monitoring of NPA and SMA3 accounts of each zone and Region as well as small loan a/cs Recovery & 3 OTS Scheme's performance, video conference was held every month.
12. **Recovery Camps** are being conducted every month. In such camps recovery in written off accounts and JMFARC accounts are also part of this Recovery Drive.
13. Special Lok Adalats at District level were organized on quarterly basis with active participation of RO/ZO and Law Officer.
14. SPBT College, CBOTC, Bhopal & Kolkata had conducted one week training program on NPA Recovery Management.
15. Vigorous follow up with DRTs by the Law Officers /Co-ordinators was made to dispose off the pending cases speedily.

BANCASSURANCE

Insurance services are provided by our bank under corporate agency of LIC of India for life insurance and Chola MS General Insurance Company for non-life insurance products.

The performance highlights for the year ended on 31.03.2015 :

- ❖ Bank stood 1st in canvassing number of life insurance policies and stood 2nd in mobilizing insurance premium amongst all Bancassurance partners of LIC. Bank has canvassed 63090 policies with premium of ₹163 crores.
- ❖ Under General Insurance business, Bank has mobilized 549187 policies with premium collection of ₹117 crore with y-o-y growth of 11%.
- ❖ Total earning from Bancassurance business is ₹ 25.27 crore against last year's ₹26.65 crore.
- ❖ Augmented pool of 1907 Specified Persons to carry bancassurance business.



DEPOSITORY SERVICES

Bank is a Depository Participant with arrangement with Central Depository Services Limited (CDSL). All the operations are centralized and the services are offered through the nodal branch, Capital market Services Branch located at Fort Mumbai. The branches in major centers facilitate opening of the accounts, buying & selling, pledge of shares and dematerialization of physical securities. Bank is having around 24000 Demat account holders.

ON- LINE TRADING

Bank is offering "On-Line Trading" facility with Trade name "Cent –e-trade". Customers maintaining bank account and Demat account with the bank are offered on-line-trading facility for trading in Equity Shares and Derivatives under arrangement with leading broking firm, M/s. Angel Broking Ltd. As on 31.03.2015, Bank is having 250 accounts for On-Line Trading.

Capital Market Services Branch opened in Mumbai exclusively for offering capital market facilities such as ASBA, Demat, Clearing Bank, Payment of Dividend Warrants and Credit/Guarantee facilities to Brokers etc. and is the controlling branch for on-line trading and ASBA.

INFORMATION TECHNOLOGY

1. CORE BANKING SOLUTION:

- ❖ The bank achieved 100% coverage of branches under Centralised Banking Solution (CBS) in December 2010. The contract with System Integrator M/s TCS for Core Banking Solution has been renewed for 5 years starting from 1st October 2012. The contract renewal process essentially involved augmentation/upgradation of the existing computing resources viz. hardware, networking, software, security and other associated requirements including license renewal for CBS implementation in tune with future business projections and other statutory and security obligations. The entire set up is now geared to cope up with the Bank's requirement till September 2017.
- ❖ The CBS infrastructure is sized based on the business requirement of the Bank for the next 5 years taking into account further 1500 new branches and to process 8.8 million transactions per day and with 125 million accounts.
- ❖ During the current renewal process Hardware refresh was done after completing a server virtualization exercise and procured DR automation tool.
- ❖ Bank has setup a Disaster Recovery Centre and is conducting regular DR Drills as per regulatory guidelines in line with Bank's policy.
- ❖ Bank has implemented Near Site to ensure Business continuity with Zero Data loss.
- ❖ Many new functionalities are being implemented in CBS system on an ongoing basis.

2. NETWORK & CONNECTIVITY

- ❖ Bank's Corporate Network covers 4906 locations consisting of branches, extension counters, ARBs, Service Support Branches, Retail Asset Branches, all administrative offices, Training Colleges and Zonal Training Centers etc.
- ❖ Constant monitoring and controls are introduced for maintaining almost 100% uptime during branch working hours.
- ❖ At present we are having 556 Primary VSAT and 1277 VSATs as Backup. To achieve 100% uptime of the network on an on-going basis, approval has been obtained to procure VSAT on OPEX model from other service provider for 500 locations where ISDN is not feasible or CDMA signal is weak. Accordingly Purchase order is issued to M/s Bharti Airtel Ltd for providing VSAT as backup connectivity. VSAT are delivered at all Branches and installation is in progress.
- ❖ Renewal of CBI MPLS Network:

Purchase order is issued to renew the contract with BSNL for another five years for all Primary/Secondary MPLS/VSAT Links procured /to be procured in year 2014-19

ALTERNATE DELIVERY CHANNELS:

3. INTERNET BANKING

- ❖ The Internet Banking facility is capable of catering to 10000 users concurrently.
- ❖ Internet banking facility with new look and feel has been extended for our customers with a wide array of products and facilities. They include On line password generation for Retail customers, funds transfer, On line Tax credit view, Utility bill payments, On line Tax payment for various Govt., Airlines / Movie ticketing, shopping, temple donations, Prime Minister's National Relief fund donations, Fees collection for various Institutions/Universities, Govt. e-payments/receipts, customized account statements in addition to regular statement of account, On line time deposits including NRE/NRO deposit creation.
- ❖ New facilities such as:
 1. Deposit and loan modeling,
 2. Standing instruction creation,



3. credit card bill payment,
4. View of FCNR Deposits in Internet Banking,
5. E-filing of Income tax through Internet Banking,
6. Security option to set up customer induced limits etc. has been introduced.

- ❖ M-Passbook has been introduced for customers as a mobile application which has been highly rated by our customers in Google play store.
- ❖ Following functionalities has been launched for the first time in our Bank based on customer demand:
 1. Patent & Design integration through payment gateway,
 2. Modification in Multi-utility fee collection to make it fully configurable and instantly deployable,
 3. Foreign inward remittance through IMPS,
 4. Fee collection through NEFT,
 5. Facility to receive SMS alert for all relationship holders of an account.
- ❖ IMPS transactions, IRCTC ticket booking, e-Freight for on-line Railway Freight booking by corporate customers etc. RTGS/NEFT facility is also available through Internet Banking and NEFT functionality is currently available 24*7 through INB including Bulk upload for Corporate (Non personal) INB customers. The facility of a light weight payment page has been introduced to facilitate faster online transaction processing.
- ❖ Bank has deployed entirely new module through Payment aggregator, for tax collection for Odisha, Bihar Govt. and Prime Minister National Relief Fund where customers of more than 40 banks can pay taxes. Bank has also implemented payment systems for Ministry of civil services, Food and other e-PAO's.
- ❖ Central Bank is one of the first bank to integrate with e-biz, mission project launched by DIPP for facilitating online payments
- ❖ Additional facility of customized statement of account for corporate customers is available. Facility for bulk upload through NEFT is also available under Corporate Internet Banking. Corporate customers can choose various options while availing Internet Banking as per the requirement of customer.

4. SMS BANKING:

- ❖ SMS banking provides account information to the customers with real-time alerts on business transactions carried out by them. Presently, SMS alerts are sent to customers in 15 different Indian languages as per their choice for the 1) Debit / Credit in account above ₹1000/- in saving account and ₹ 10,000/- in Current / OD accounts 2) clearing Cheque is bounced. 3) Account balance is below the prescribed minimum level 4) fixed deposit maturity before 7 days.
- ❖ SMS alerts are also sent for maintaining control and monitoring to branch managers and higher officials to enable them to monitor critical activities of branches for better housekeeping and maintenance of accounts including monitoring of NPA.

5. MOBILE BANKING:

- ❖ Mobile Banking was implemented using GPRS and SMS channel with enquiry and funds transfer options. The transaction done through Mobile Banking was secured with end to end encryption and two factor authentication features.
- ❖ Bank has now launched new Mobile Banking solution with enhanced functionalities as follows:-
Fund Transfer (Within Bank & other Bank), Balance Enquiry and Mini statement, Cheque book request, Cheque status enquiry, stop Cheque, revoke Cheque, hot-listing of debit cards, and customer feedback.
 - Available in Android, Java and Blackberry version 6.0 & 7.0

6. PHONE BANKING:

- ❖ Phone banking solution is implemented with voice recording in English and Hindi and the facility is available to all the customers.

7. MISSED CALL ALERTS:

- ❖ This facility is available to our CASA customers, whereby customers can get balance and last three transactions free of cost by giving missed call to specific number. Bank is also in receipt of appreciation from Indian Bank's association for this new customer initiative.

8. APPLICATION SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA):

- ❖ Securities and Exchange Board of India has streamlined the existing process of Initial Public offer of shares by



companies and introduced a supplementary process called as Application supported by Blocked amount (ASBA). We offer ASBA facility to all our customers by which an investor can subscribe to public issues (IPO) through the Bank by authorizing the bank to block the application from his/her bank account and thereafter remit the allotment amount.

9. KIOSK BANKING:

Bank has implemented 250 self-service kiosk machines with facilities viz. cash deposit, balance enquiry and 48 Multi-function Kiosk with facilities viz. cash deposit, balance enquiry, mini statement, passbook printing, Cheque deposit and Internet Banking.

OTHER PROJECTS

10. WEB SITE:

❖ Sensing the need of customers, look and feel of the website is undergoing constant change. Website also includes Grievances module for customers. Bank has taken all measures to ensure security on Internet Banking and Bank's official website. Security Audit is done on quarterly basis. Revamping / redesigning of existing Website of the Bank is completed.

11. RBI PAYMENT GATEWAY SYSTEMS:

- ❖ All CBS branches are enabled for RTGS and NEFT facility using the Straight through Processing (STP). As on 31st March 2015, 4,759 branches/EC/NBOs/offices have been enabled for RTGS and 4,787 Branches/ECs/NBOs/offices enabled for NEFT.
- ❖ RTGS/ NEFT facility is also available through Internet Banking System for Retail and Corporate Customers. RRBs have also been provided NEFT facility through our Bank's Payment Gateway. Additionally, bank has implemented on-boarding of Co-operative Banks as Sub-members for NEFT.
- ❖ Next Generation RTGS (NG-RTGS) is functional.

12. PAYMENT INTEGRATOR SOLUTION :

Bank has put in place a Payment Integrator solution (FTM) for effective functioning of various batch processing functionalities like Electronic Clearing System (NECS), Govt. Payments (GEPG), Pension Processing, EFMS –Account No. Based, Lien Lifting and Transaction processing (source app ASBA), HRMS Integration for salary payments, Integration of Inward SWIFT Message (MT103), Cooperative Bank NEFT, Speed Remittance, NGRTGS, CPSMS – Digital signature validation, PAN validation (at the time of CIF creation in CBS), E- Remittance (Flash Remittance), Integration of Treasury, RTGS for DDA, Aadhar Based EFMS, MNREGA Aadhar Seeding, CTS, CMS with core banking System etc.

13. CHEQUE TRUNCATION SYSTEM (CTS)

As per RBI guidelines, Cheque Truncation System has been successfully implemented at:

- ❖ **Southern Grid** at all identified Centers viz. Hyderabad, Vijayavada, Vishakapatnam, Guwahati, Bangalore, Belgaum, Hubli, Mangalore, Mysore, Ernakulam, Kozhikode, Trichur, Trivandrum, Bhubaneshwar, Cuttack, Pondicherry, Chennai, Coimbatore, Erode, Kannur, Madurai, Salem, Tiruchirappally, Tirunelveli, Triupur, Kolkata etc
- ❖ **Northern Grid** at CTS is operational at all the identified Centers viz. Agra, Dehradun, Chandigarh, Amritsar, Jammu, Jalandhar, Ludhiana, Delhi, Jaipur, Jodhpur, Udaipur, Bhilwara, Kota, Gorakhpur, Kanpur, Lucknow, Allahabad, Varanasi, Patna, Jamshedpur, Ranchi.
- ❖ **Western Grid** at CTS has been successfully implemented and operational at all the identified Centers including Ahmedabad SSB Station Road, Baroda, Anand, Jamnagar, Bhavnagar, Rajkot, Surat, Bhopal SSB Gwalior, Indore SSB Jabalpur, Mumbai SSB Panaji (Goa), Nagpur SSB Aurangabad, Nasik, Kolhapur (Laxmipuri), Pune SSB Sholapur, Raipur SSB, Vapi, Dewas, Ratlam, Ujjain, Bhilai, Bilaspur, Durg etc.,

14. CALL CENTRE

- ❖ Bank has established a Call Centre since July 6, 2011 and is functioning smoothly.
- ❖ Presently the Call Centre is offering various services like Information on Bank's products and services, Information on Branch/ ATM Location, Information on Interest Rates and Services Charges, Balance Enquiry, Transaction Enquiry, Enquiry on Cheque Number, Debit Card Hot-listing, Enquiry on Interest Earned / Interest Paid, TDS Enquiry, Transaction Details, Status of Cheque issued or deposited, CD/CC/OD limit and Interest enquiry, Recording of grievances and feeding it in Bank's Customer Grievances system for its redressal at an appropriate level.
- ❖ Bank has implemented CRM at Call Center.



- ❖ Taking into account the increased expectation of the customers and to reach out to them in a most effective way, a new Call Centre is being established. With this, Bank will be making outbound calls to create awareness of products offered.

15. SINGLE DATA REPOSITORY (SDR):

- ❖ Bank has launched an ambitious project to set up a Single Data Repository which will be the source to provide information/reports across the bank. This will ensure consistency in reporting maintaining single version of truth providing various Dashboards to Top Management thus enhancing the Decision Support System. Bank's ALM module, Analytical CRM and corporate Performance monitoring are part of this project which are already implemented. Bank's ADF reports/MIS reports/Dashboard are all in advanced stage of implementation.

16. HRMS:

- ❖ Bank has implemented a State of the Art HRMS solution (SWADARPAN) from Peoplesoft, covering functionalities such as Employee Self Service, Performance Appraisal Management, Payroll Management, Tour Approval and Claim Processing, Management of LFC, Leave and attendance administration, Employee Information System, Staff Loan Processing, Management of Medical Aid, HRD / Legal Department, Disciplinary Action Division (DAD), Gratuity Management/ Payment, Provident Fund Data Management and Payment, NRW Payment Processing, Allotment of Residential Quarters, Newspaper/Conveyance, Reimbursement, Reports (Staff Strength, Payroll, Form 16, Leave, Union, Increment Report), Training Management and Manpower Training(MPT), Investment, Promotion Exam Request Form, Annual Performance Appraisal Form and related reports, Brief case. Bilingual facility in HRMS is implemented.

17. INHOUSE DEVELOPMENT :

- ❖ Bank has a robust IT development Team which effectively handles software requirements of the Bank thus avoiding outsourcing of developmental activities wherever possible. Bank has developed a Centralised Pension module for Railway, Defense and Civil which is a major achievement of the team. The in-house team also caters to the requirement of various departments and administrative offices thus reducing dependency on outsider vendors.

❖ Following Inhouse development completed

- ❖ Vigilance Portal
- ❖ NPS LITE
- ❖ On line quiz Portal for employees of Bank at the behest of RMD. Feedback on testing awaited from BPR department
- ❖ Lease Deed Portal: Revamped the portal with changes suggested by user department – Testing Done
- ❖ DBTL: Development of DBTL for enabling branches for seeding Gas consumer number is available.

18. RRBs SPONSORED BY THE BANK:

- ❖ Currently Bank has 3 RRBs after amalgamation process initiated as per Ministry guidelines. All branches are under Core Banking solution and effort is being made to bring up the technology initiatives of RRBs at par with the initiatives undertaken in the Bank. While the RRB network is primarily on VSATs.
- ❖ Leased Lines are being commissioned at locations which are found feasible.
- ❖ Efforts are being taken to implement all technical initiatives of the sponsor bank and major initiatives are as under:-
 - ATM card facility for RRB customers
 - SMS alert introduced at RRBs
 - Online interface for FI transactions
 - Introduction of Kisan Credit Cards
 - Implementation of CPSMS
 - Ultra Small Branches functionality
 - Introduction of APBS
 - CIBIL data extraction
 - Pilot implementation of Biometric Authentication solution is completed in all 3 RRBs and rollout is completed for more than 1045 branches.
 - POS facility through Rupay Debit Card in UBGB, CMPGB & UBKGB is deployed in production.



- Implementation of AEPS (on us) in RRBs is initiated. Testing between CBS host and FI switch completed. Testing between NPCI and FI Switch has been completed for UBKGB and initiated for other 2 RRBs.
- Comprehensive IS Audit of RRB is completed
- DBTL/ ACH is implemented in all 3 RRBs

19. FINANCIAL INCLUSION INITIATIVES :

All financial inclusion initiatives are implemented as directed by the government by providing required technology support.

- ❖ Aadhaar Payment Bridge System (APBS) is live.
- ❖ DBT implemented.
- ❖ Aadhaar Enabled Payment System (AEPS) is live.
- ❖ Facility for Bulk Aadhaar Seeding
- ❖ Aadhaar seeding through alternate channels also – ATM, SMS and Internet Banking
- ❖ Total of 85.89 lakh Aadhaar seeded so far
- ❖ Central Biometric authentication for FI customers
- ❖ Online enrollment / transactions as per common RFP implemented (in MP and Maharashtra)
- ❖ Kiosk Model FI implemented.
- ❖ E-KYC - implemented at branches and all 10 TSPs had moved functionality into production environment.
- ❖ Demographic Authentication – Moved into production environment, Sign off received from NPCI.
- ❖ Capacity building has been done to enable bulk card generation for FI so that arrears can be cleared. Similarly, multiple PIN printing has been started and pending PIN printing is almost cleared.

20. IT GOVERNANCE.

- ❖ The necessary structure for IT Governance in the bank has been set up with the formation of IT Strategy, IT Steering & IT Risk management committees in the Bank. Approval of IT policy and Hardware disposal policy for disposal of PC, Printers, ATM, etc was approved by the IT Steering Committee.
- ❖ Preparation and submission of Balanced scorecard is carried out on regular basis and Performance rating under various parameters of IT projects are being done as per the advice of IT Strategy committee. Internal Audit and Surveillance for ISO-27001 certification and BSMS-25999 certification was conducted.
- ❖ Reverse gap analysis is also done and our bank is at par with the peer banks.

21. INFORMATION SECURITY.

- ❖ Bank has launched Intranet Information Security Portal for information security related contents viz. latest Information Security updates, Information Security Tips and other related material.
- ❖ Bank has Started e-magazine named “eCapsule” (soft version only) available on our Information Security Portal on contemporary information security events/incidents
- ❖ Bank has Started Quiz on information security related topics available on our information security portal
- ❖ Bank has completed renewal of ISO 27001 : 2005 ISMS certification for our Data Centre and Disaster Recovery Centre
- ❖ Bank has completed ISO 23001 : 2012 BCMS Certification for our Data Centre and Disaster Recovery Centre.
- ❖ Bank has got following awards:
 - Infosec Maestro Award
 - Bank has implemented the following functionalities:
 - Automation of our Change Management Process
 - Automation of DR Drill through Disaster Recovery Management solution.
 - Implemented DAM (Database Activity Monitoring) that monitors the Data Base Management System (DBMS) and protects it from both internal and external threats.
 - ❖ Implementation of Digital Signature Authentication for Corporate Internet Banking as an additional/optional security measure.

22. BIOMETRIC AUTHENTICATION FOR CBS USERS (STAFF):



- ❖ Bank has completed implementing Biometric authentication system as an additional security measure.
- ❖ All the branches and offices enabled for biometric authentication and all the users with transaction capability have been enrolled

23. MISCELLANEOUS PROJECTS.

- ❖ Implementation of **new e-Treasury** Solution
- ❖ Implementation of **New AML** Solution
- ❖ Implementation of **e-TDS** System.
- ❖ Automation of **regression testing**
- ❖ Implementation of **NACH**
- ❖ Procurement of Hardware for **Market Risk**.
- ❖ Implementation of **ACH CREDIT and ACH DEDIT** as Destination Bank.
- ❖ Implementation of **Host 2 Host connectivity** for NACH products
- ❖ Implementation of **Leveraging SFMS Platform for domestic LCs**
- ❖ Implementation of **System Driven IBR**
- ❖ **Mail Messaging System & Video Conferencing** through NIC
- ❖ Review of existing **IT related policies**
- ❖ Migration from **Windows XP to Windows 7**.
- ❖ Implementation of **Digital signature for Corporate INB customers**
- ❖ Regularization of usage of **licensed products like Microsoft Office**
- ❖ Procurement of Ku Band **VSAT on OPEX model** at 500 locations as the backup link
- ❖ Instillation new hardware for **Delhi SSB for CTS**
- ❖ Certification for online acceptance of **Rupay Card**
- ❖ Implementation of OTP as a **second factor of Authentication for Debit Cards**
- ❖ Windows 2003 **Migration of gateway PCs**
- ❖ CPSMS - **Digital Signature & POS** Certification
- ❖ **Lease Line in RRBs Branches** - 20 Locations commissioned out of 128 as per feasibility.
- ❖ **Rate Contract for Hardware** finalized.
- ❖ Wide usage of **Video Conferencing** facility which is made available on Bank's corporate network, Internet & iPads
- ❖ All regulatory compliance requirement that came up during the period.
- ❖ Implementation of **IPV6 – Hardware completed and application software under process**.
- ❖ **Off-site Monitoring**: 49 reports have already been provided to Audit department for Off-site monitoring.

24. CASH MANAGEMENT SYSTEM (CMS):

- ❖ Under CMS, we are providing Collection and Payment solutions to our customers with tailor-made schemes to suit their requirements.
- ❖ The advanced CMS Application designed and developed by M/s Aurionpro has gone live on 01st January 2015. The application has two main modules viz Payments and Collections. Under Payments Module the DD Drawing Sub-Module has been implemented. The RTGS/NEFT sub-module is ready for implementation. The Functionalities of Cash Payout sub-Module has been sent for approval to NPAC.

AUDIT AND INSPECTION

Branches of the Bank are subjected to Risk Based Internal Audit through Internal Auditors and Risk Rating is awarded to each branch as per Composite Risk Matrix. As on 31.03.2015 there were 2195 branches with Medium Risk Rating, 2303 branches with Low Risk Rating and 60 branches with High Risk Rating. No branch of the Bank is rated under Very High Risk or Extremely High Risk.

During FY 2014-15, 40 Regional Offices, 3 Zonal Offices and 16 Central Office Departments were subjected to Management Audit.



Bank has covered 870 Branches/SSB/CO Depts. under Concurrent Audit by the Firms of Chartered Accountants. Around 60% of aggregate deposits and 78% of aggregate advances as of 31.03.2015 are covered under Concurrent Audit. 194 firms are RBI Category I, 260 are category II, 134 are category III and 282 are RBI Category IV firms.

Out of these, 400 firms are those whose partners/employees have undergone Certificate Course on Concurrent Audit of banks, conducted by the ICAI. This helps in improving coverage and quality of reporting by the Concurrent Auditors.


During FY 2014-15 Bank has modified the monthly/Quarterly/Yearly report formats to be submitted by the Concurrent Auditors to ensure comprehensive coverage

Bank has also introduced Offsite Monitoring system as per the guidelines of Dept. of Financial Services, Ministry of Finance Govt. of India and presently alerts are generated on 43 scenarios.

BRANCH EXPANSION

- As on 31st March 2015, Bank has network of 4689 branches, 3677 Ultra Small Branches, 4835 ATMs, 29 satellite offices and 4 Extension Counters. Bank is having pan India presence covering all 28 States, 6 out of 7 Union Territories, 561 District Head Quarters and 568 Districts out of 642 districts in the country.

DISTRIBUTION OF BRANCHES



OPERATIONS

- All the customers related policies i.e. Cheques Collection Policy, Compensation Policy, Bank Deposit Policy, Grievances Redressal Mechanism were revised and updated during the year.
- Bank's new call centre with added facilities will be functional by 01/07/2015.
- Bank has introduced the concept of Mystery Shopping in Branches to know the ground realities in vogue at branch level and to assess the level of rendering of customer service by the branches.

Customer Grievances

Bank has launched new Grievance Portal with user friendly features as a part of Internal Grievance Redressal Mechanism. To have zero tolerance for customer complaints against staff misbehavior bank has formed a panel of retired General Managers of other PSBs for independent and impartial investigation in the misbehavior incidents.

CORPORATE COMMUNICATIONS

The Bank continued to get publicity mileage during the year as efforts were taken under Corporate branding exercise to give wide publicity of Bank's products and services and garner business out of the activities with the thrust on low cost advertising and active engagement/involvement of the field staff. For enhancement of visibility on pan India basis various publicity activities such as branding on auto rickshaw, Bus, Traffic barricade, No Parking boards, Wall painting was done in addition to sponsorship of local sports/yatra/jatra/events camps at the field level. To support these activities Local cable , FM radio was used.

Due to the campaigns carried out using print, electronic and outdoor media vehicles the Brand Ranking of the Bank improved to 353th position from 396 in 2014 as per annual ranking of Most Valuable 500 Brands in Banking in the world by Brand Finance.



Bank's name figured in Forbes magazine's annual list of 2000 global giants. Bank stands at 1663 in the list.

VIGILANCE

- During the period 2014-15, the vigilance cases as also complaints have been disposed-off much faster. The disposal of Vigilance cases & complaints have increased by 30% [YOY] during the year.
- Vigilance Awareness Week – 2014 was celebrated throughout India with an aim to curb corruption. Visits were undertaken by CVO & he addressed the field functionaries to make them aware about Preventive Vigilance.
- A Vigilance Manual was published.
- A newsletter had been published every quarter for the year 2014-2015.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

1. MANPOWER:

At the end of March 2015 the staff strength of the Bank stood at 39,039 as against 40,661 in the previous year. The category-wise break-up of staff is given below:

Category	March 2015	March 2014
Officers	16,247	16,180
Clerks	14,098	15,424
Sub-staff	8,694	9,057
Grand Total	39,039	40,661

2. HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT:

(i) Reimbursement of Hospitalization/Medical Expenses to lady staff members while on sabbatical leave.

Since the women employee is on pay roll of the bank during the period of sabbatical leave and the Hospitalization/ Medical expenses are incurred by them is not a regular nature of expenses, it is decided to allow reimbursement of Hospitalization/Medical expenses incurred by lady employees during the period of sabbatical leave, upto their entitlement.

(ii) Issuance of No objection certificate to staff members (officers and Award Staff) for acquiring Passport/Visa & permission for going abroad – guidelines thereof.

Consequent upon liberalization of immigration norms in many countries and our employees procuring immigration rights for themselves a structured guidelines on issuance of NOC to staff members for acquiring Passport/Visa/ permission for going abroad have been devised.

(iii) Reimbursement of additional litres of petrol as Conveyance Reimbursement to Branch Managers – Revised criteria therefor.

To assess the performance of Branch Managers transparently, revised parameters set for reimbursement of additional litres of Petrol as conveyance reimbursement.

(iv) Reimbursement of Travelling/Lodging/Boarding expenses to the Attendant escorting Differently abled employees (Officers and Award Staff) while travelling on Training/Official duties.

Considering genuine need of differently abled employees, it has been decided to allow Attendant to accompany differently abled employee while travelling on Training/Official duties. The Attendant will also be eligible for payment of conveyance allowance in terms of Govt of India guidelines.

(v) Certain change brought out in House Building Advance (HBA) Scheme to employee (officers and Award staff).

The sanctionable Housing loan quantum is linked to notional terminal benefits and notional outstanding liabilities at the time of retirement. The cost of ceilings of house have been increased to ₹95.00 lakhs from ₹75.00 lakhs in Major A class cities and ₹65.00 lakhs from ₹50.00 lakhs at other centres.

(vi) To reward the performance, a Scheme for posting of Branch Heads to their choice place and nominating for foreign training in respect of those who secure grading of Five (5) Star Rating as per the Scheme of P & D Dept.

The objective of the Scheme is to encourage the spirit of competition among the Employees towards achieving the targets and to promote performance differentiation by recognizing and rewarding the performing officers for their contribution to Business development.

(vii) Grievance Redressal Procedure for addressing individual grievances of the Staff Members.

To provide an easily accessible machinery to employees for representing their grievances and to adopt robust mechanism in the Bank for its expeditious redressal leading to increased job satisfaction which ultimately result in enhanced productivity and efficiency of the organization, a robust, structured Procedure/Scheme has been evolved



for resolution of grievances of employees at least at 3 levels, effective from 1st April, 2015.

(viii) Other Major initiatives carried out during the financial years.

- Performance Assessment system for officers is made on-line from the reporting year 2014-15 by carrying out certain changes in the existing on-line system.
- HRMS system has been fully operationalised for bringing more transparency and made HR system and processes more system driven.
- Major HR policies have been tuned with a view to retain and engage the talent.
- The Manpower Planning assessment for the year 2015-16 have been done on a most transparent and realistic manner, which has been approved by the Board of Directors.

3. TRAINING :

Quality training is the cornerstone for building healthy succession and to nurture a sound managerial team. Accordingly, during the year 2014-15, Training and Development function continued to be given major thrust.

Special Training initiatives taken during 2014-15 are as under:

- Leadership & Team Building Programme for all General Managers at IIM, Ahmedabad and Executive Development programme at ASCI Hyderabad were held during the year.
- A twin programme on Executive Development at ASCI Hyderabad and CRM and Analytics at IDRBT Hyderabad for Senior Regional Managers, Regional Managers and Deputy General Managers was held during the year.
- 3 days training programme in two batches on Human Resources Management for officers working in HR Department of Zonal & Regional Offices were held at SPBTC, Mumbai. Total 86 Officers attended, which was well appreciated by all participants.
- Soft Skill training programme for frontline staff members have been undertaken on large scale in January, 2015 and completed on 14.03.2015 with successful completion of 18238 staff members trained during short span (i.e. recording 93% attendance), which could motivate and bring about a superlative change in attitudes amongst staff for redefining the image of the Bank.
- Sponsored Advance Management Course conducted by IIBF in which two officers were allowed to undergo this course to upgrade their skill.
- Programme for first time Branch Managers conducted at all three Training Colleges.

During the year 2014-15, about 2487 programmes including Classroom, Locational, RRB and Special Training were conducted covering 35321 participants and 1,38,154 man-days by three Training Colleges and 16 Zonal Staff Training Centers. These apart 157 officers in various scales were nominated for specialized training programme conducted by external training agencies like NIBM, CAB, IIBM, IDRBT, IIBF etc. Further, 20 officers have been sent for various Foreign Training Programmes/Workshop/Summits/exposure visit in the year 2014-15.

4. RECRUITMENT & PROMOTIONS:

In the year 2014-15, recruitment process was held for 577 posts encompassing Probationary Officers, Agriculture Finance Officers, Law Officers, Rajbhasha Adhikari and Clerical staff.

The promotional exercise has been made more motivating and as such as a corporate goal, it has been resolved to held the promotion processes as frequently as possible for all scales/categories. Accordingly, during the year 2014-15 inter-scale/inter-cadre promotion processes were conducted and as many as 1920 employees/officers (Mainstream as well as Specialist category) were elevated to higher cadre/scale.

5. IMPLEMENTATION OF RESERVATION POLICY :

The Bank has been implementing the guidelines/instructions received from Govt. of India/Indian Banks' Association on Reservation Policy and concessions and relaxations are extended to SCs/STs/OBCs/PWDs as admissible in the Reservation Policy.

During the year 2014-15, a meeting for placing evidence before the Committee on the welfare of SCs/STs, representatives of the Department from Financial Services, Ministry of Finance and Central Bank of India on the subject 'Reservation for and employment of Scheduled castes & Scheduled Tribes in Central Bank of India' held at Parliament House Annexe, New Delhi on 08.01.2015 and discussed various issues of reservation policies.

The Parliamentary Committee on welfare of Other Backward Classes (OBCs) visited Mumbai on 14.02.2015 and Committee had discussions with members of Welfare Association and with Executives of our Bank and discussed various issues on reservations to Other Backward Classes.

The Chairman, National Commission for Safai Karmacharis visited Mumbai on 19.03.2015 and had discussions with Welfare Association members and executives of our Bank on various issues of Safai Karmacharis.

6. STAFF WELFARE SCHEMES :

Although, no funds allocated by Board towards Staff Welfare Schemes during the year 2014-15, looking to the aspirations of employees and also to uphold the philosophy of ensuring welfare of the employees and its families even under difficult



situations, certain schemes which are paramount have been continued with the unspent amount for previous years. This exhibits the Management's continued concern towards the genuine wellbeing/wellness towards employees and its families.

7. INDUSTRIAL RELATIONS :

The Industrial Relations during the year remained generally cordial.

CREDIT CARD OPERATIONS:

- ❖ The bank has Credit Card base of 108711 & Prepaid Card base of 997494 as on 31st March 2015.
- ❖ The bank issues Credit Cards with major card association's viz. MasterCard & Visa. Prepaid Cards are issued in association with MasterCard.
- ❖ Bank issues EMV Chip based Credit Cards for customers desiring to have international use.
- ❖ All the fresh credit cards issued are EMV variant.

ATM /DEBIT CARD OPERATIONS

- ❖ Total No of ATMs as on 31.3.2015 is 4835. During FY 2014-15 1394 ATMs were installed and 187 low hit offsite ATMs were closed.
- ❖ Out of 4624 as on 31st March 2015 branches, 4008 branches are provided with ATMs.
- ❖ Bank installed ATMs at Port Blair, Anantnag and Maihar near Satna.
- ❖ 58% of the ATMs are in Rural and Semi-Urban Centres.
- ❖ Uptime at present is 97% and aiming to improve it to 99%.
- ❖ Average hits per day is on the rise.
- ❖ Average cash withdrawal is around ₹ 73 cr per day.

SUBSIDIARIES AND JOINT VENTURES

i. CENTBANK HOME FINANCE LIMITED

- ❖ Owned funds have increased from Rs 82.82 crores as on March 2014 to Rs 88.19 crores as on March 2015 due to consistent growth in profits.
- ❖ During the year the total advances of the company improved from ₹ 487.60 Crores in March, 2014 to ₹803.53 Crores as on March, 2015, Y-o-Y growth of 71.60%. Housing loans have increased from Rs 356.03 crores in March 2014 to ₹610.95 crores as on March 2015 registering growth of 64.60%. Non Housing loans increased to Rs 131.38 crore from Rs 112.49 crore registering growth of 16.79%.
- ❖ The retails deposits and institutional deposits have increased from Rs 227.60 crore in March 2013 to Rs 315.65 crore in March 2014, a Y-o-Y growth of 71.60%.
- ❖ The Net Profit of the Company stood at ₹12.10 Crores for full year 2014-15, as against the level of ₹11.29 Crores for full year 2013-14. The reason for increase in profit is due to increase in interest income on account of fresh disbursements.
- ❖ Earning per Share is ₹4.84 (₹10 per share) [Previous Year ₹4.84]. The company has subdivided its share capital from the face value of ₹100 per share to ₹10 per share during the year.
- ❖ NPA stands at ₹15.59 crores in March 2015 as against Rs 16.02 crores in March 2014.
- ❖ Net NPA to Net Advances is at 1.06% as on March 2015.
- ❖ Return on Assets is 2.79%. [Previous year 2.45%]
- ❖ CAR works out at 19.03% as on 31st March 2015.

ii. CENTBANK FINANCIAL SERVICES LIMITED

- ❖ Centbank Financial Services Limited is essentially providing Trusteeship Services including Debenture/Security Trustee, Executor Trustee and Managing Charitable Trusts etc.
- ❖ The Company is registered with SEBI to undertake Debenture Trusteeship and Merchant Banking activities; while the Company has discontinued carrying on Mutual Fund Advisor activity.

Financial Update:

- ❖ The company earned a Net Profit of ₹3.15 crore for the year ended 31 March 2015 against Net Profit of ₹2.82 crore in the previous year,
- ❖ Segment-wise earnings:



(Amounts in Rupees)

Fees from Executor Trusteeship	35,78,295	40,35,498
Fees from Debenture & Security Trusteeship	2,06,85,035	1,72,99,022
Syndication Fees	1,14,29,650	4,51,12,900
Advisory Fees	2,38,63,480	2,24,43,020
Arranger Fees For Capital Market	-	60,59,350
Brokerage from Mutual Fund	-	1,33,998
Total	5,95,56,460	9,50,83,789

iii. INDO-ZAMBIA BANK LTD.

- ❖ The Bank's Joint Venture in Zambia is promoted jointly by Government of Zambia and three India Banks viz. Central Bank of India, Bank of Baroda and Bank of India. While each of the 3 Indian Banks hold 20% equity, Govt. of Republic of Zambia holds the balance 40% equity.
- ❖ The Bank has been performing well in all parameters and is presently the sixth largest bank in Zambia.
- ❖ During the calendar year 2014, Indo Zambia Bank issued Bonus shares to all the stake holders. Accordingly, our Bank has received 1,21,24,763 shares of Kwacha 1 each.
- ❖ During the calendar year 2014, with the approval of RBI, Central Government and the Board of our Bank has infused our share of capital to the extent of Kwacha 48.60 Million.
- ❖ As at the end of December 2014, our Bank is holding total 8,32,00,000 shares of Kwacha 1 each value of which in INR terms stood at ₹ 81.53 crore.
- ❖ As on 31st March 2015, INR value of the shares was ₹85.08 crore.

iv. Regional Rural Banks :

- ❖ We have 3 RRBs as on 31st March 2015 in 3 states covering 47 districts with a network of 1622 branches.
- ❖ Being sponsor Bank, we have invested ₹277.11 crore as 35 % of capital of RRBs. Besides this we have invested ₹69.35 crore as perpetual Bonds in these RRBs

(Amount in ₹ Crore)

Name of RRBs with its HO & State	No. of Dist. & Branches	Total Deposits	Total Advance	Gross NPA	Net Profit
Central Madhya Pradesh GB. Chhindwara (M.P).	25 / 451	5582.25	3445.04	361.90	10.06
Uttar Bihar GB. Muzaffarpur (Bihar)	18 / 1031	10572.04	6003.40	101.38	101.00
Uttarbanga Kshetriya GB. Coochbehar (W.B.)	4 / 140	2070.86	1152.45	201.63	4.90
Total	47 / 1622	18225.15	10600.89	664.91	115.96

Achievements during the year 2014 – 15

- ❖ NABARD has selected **Uttar Bihar Gramin Bank and Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank** for Cash Incentive Award of ₹ 1.50 Lac each under performance linked Cash Incentive to Chairman.
- ❖ NABARD has felicitated **Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank** on its Foundation Day Celebration i.e. 12th July 2014 for
 - a) Highest number of JLCs financed during 2013-14.
 - b) Highest number of SHGs Saving linked during 2013-14.
 - c) Highest number of Farmers' Clubs promoted during 2012-13 & 2013-14
- ❖ Government of India (DFS) has recognized Efforts & the Contribution of **Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank**, Branch - Saugara for securing 1st Rank in Total No. of Aadhar Seeded as a percentage of A/Cs opened during the month of December 2014 under PMJDY.
- ❖ Government of India (DFS) has recognized Efforts & the Contribution of **Central Madhya Pradesh Gramin Bank**, Branch - Bus Stand, Bhind for securing 1st Rank in Total Deposit Mobilized during the month of November 2014 under PMJDY.

Highlights:

- ❖ All our RRBs are on CBS platform with CBS facility in 100% branches.
- ❖ All our RRBs provide ATM facility to their SB / CD customers.



- ❖ All our RRBs provide KCC Rupay card facility to KCC A/Cs holders.
- ❖ All our RRBs provide NEFT facility to their customers
- ❖ All our RRBs are in profit.
- ❖ Uttar Bihar GB has 18 FLCCs

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

- ❖ CSR is the continuing commitment by business to contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the community and society at large.
- ❖ It is our continuing commitment to donate under CSR through the organization/Trust working for poor, downtrodden people of society for their upliftment for education, health, natural calamities and overall social welfare of the society
- ❖ As per RBI Policy, the maximum permissible limit of the Donation Budget for the financial year 2014-2015 was 1% of the published profit of the previous year. During the financial year 2013-14 our Bank has recorded a net loss of ₹1262.84 crores and thus ₹5 lakh amount set aside for extremely deserving CSR activities for the year 2014-15 for CSR activities. For the Financial year from Apr 2014 to Mar 2015 we have not disbursed any donation under CSR.

INITIATIVES

- ❖ INNOVATIVE CONCEPT OF **GROW- GREEN TREES** – THROUGH THIS, WE HAVE REPLACED THE MEMENTOS WITH CERTIFICATES HAVING PLANTED SPECIFIC NUMBER OF TREES IN THE WASTELANDS OF THE COUNTRY IN ASSOCIATION WITH GROWTREES.COM
- ❖ **GREEN INITIATIVE** MEASURES VIZ.:– CIRCULATION OF BOARD AGENDA PAPERS TO DIRECTORS THROUGH ELECTRONIC MODE, BACK TO BACK PRINTING ON PAPERS
- ❖ BANK'S CLIENTS GREETED VIA SMS & E-MAILS ON ALL FESTIVALS OF NATIONAL & REGIONAL IMPORTANCE.
- ❖ **"CUSTOMER DELIGHT INITIATIVE"** TO SEND FLOWER/BOUQUETS ON THE BIRTHDATES OF OUR "CENT PREMIUM" CUSTOMERS.
- ❖ CUSTOMIZED SAVINGS PRODUCT – **CENT SALARY SAVINGS SCHEME** ALONG WITH **"WONDERCARD"** WITH INBUILT OFFERS, CONCESSIONS AND OVERDRAFT FACILITY LAUNCHED FOR SALARIED CLASS.
- ❖ FACILITY OF **ONLINE OPENING OF TIME DEPOSIT ACCOUNTS** TO INTERNET BANKING USERS OFFERED – BEING FIRST NATIONALISED BANK TO OFFER THIS FACILITY.
- ❖ STANDARDISED BRANDING OF BRANCHES, ATMS, KIOSKS, LIFTS & GATES.
- ❖ BANK HAS INTRODUCED A SECURED CREDIT CARD PRODUCT – ASPIRE CREDIT CARD. THIS CARD IS SECURED AGAINST TERMS DEPOSITS HELD BY THE CUSTOMERS WITH THE BANK.
- ❖ LAUNCHED ENQUIRY FACILITY VIA MISSED CALL & SMS BASED HOT-LISTING OF CREDIT CARDS.
- ❖ IN ORDER TO EXPAND BUSINESS OPPORTUNITY THROUGH FEE BASED INCOME AND TO PROVIDE RENEWAL PREMIUM REMIITANCE OPTION THROUGH OUR CBS NETWORK FOR ALL POLICY HOLDERS OF BAJAJ ALLIANZ (INCLUDING OUR CUSTOMERS), WE HAVE ESTABLISHED THE COLLECTION PROCESS ON REAL TIME BASIS THROUGH INTEGRATED SYSTEM AND A CUSTOMISE SCREEN IN 'b@ncs24'. THIS WILL ALSO GENERATE WALK IN BUSINESS WHICH CAN HAVE A POSITIVE IMPACT ON CASA.
- ❖ BANK IS CURRENTLY UPGRADING THE CURRENT VERSION OF E-TREASURY SOLUTION TO ENSURE ALL THE NEW FUNCTIONALITIES ARE AVAILABLE ALONG WITH A ROBUST MARKET RISK SOLUTION BY TCS.
- ❖ BANK IS IN PROCESS OF FINALISATION OF IMPLEMENTATION OF ADVANCED APPROACH SOLUTION FOR CREDIT AND OPERATIONAL RISK.
- ❖ BANK IS IN PROCESS OF IMPLEMENTATION OF NEW AML SOLUTION FOR WHICH PO IS ISSUED TO 3I INFOTECH.
- ❖ BANK IS IN PROCESS OF IMPLEMENTATION OF E-TDS SOLUTION FOR WHICH PO IS ISSUED TO M/S RELYON SOFTWARE.

ACHIEVEMENTS

- ❖ DURING THE YEAR BANK HAS ADDED 1394 ATMS TO REACH 4835 ATMS.
- ❖ LAUNCHING OF PRADHAN MANTRI JEEVAN JYOTI BIMA YOJANA (PMJJBY) AND PRADHAN MANTRI SURAKSHA BIMA YOJANA (PMSBY), INSURANCE SCHEMES FOR ALL AADHAR LINKED SAVING ACCOUNTS, ANNOUNCED



BY GOVERNMENT OF INDIA IN UNION BUDGET 2015-16.

- ❖ LAUNCHING OF STANDALONE HEALTH INSURANCE PRODUCTS UNDER CORPORATE AGENCY.
- ❖ HOT-LISTING OF DEBIT CARD / CREDIT CARD THROUGH SMS IMPLEMENTED.
- ❖ MISSED CALL FACILITY FOR CREDIT CARD CUSTOMERS IMPLEMENTED.
- ❖ COLLECTION OF PREMIUM AT OUR BRANCHES FOR BAJAJ ALLIANZ IMPLEMENTED.
- ❖ MOBILE BANKING SUCCESSFULLY IMPLEMENTED.
- ❖ BANK HAS IMPLEMENTED CHATTISGARH SCHOLARSHIP PROGRAMME ON PREPAID CARDS. SECOND PHASE IS CURRENTLY UNDER IMPLEMENTATION.
- ❖ BANK HAS COVERED ALL BRANCHES/USERS UNDER BIOMETRIC SYSTEM.

WAY FORWARD

- ❖ SHARE OF CASA DEPOSITS TO BE IMPROVED.
- ❖ CENT SALARY SAVING SCHEME FOR EMPLOYEES OF CORPORATES & NON CORPORATES WILL BE A DRIVING FORCE TO BRING IN THE EMPLOYER'S CORPORATE ACCOUNTS.
- ❖ UPGRADATION OF EXISTING PRODUCT IN LINE WITH THE INDUSTRY PRACTICES ESPECIALLY ONLINE PRODUCTS IS THE PRIME TARGET- BEGINNING WITH ONLINE OPENING OF SAVINGS ACCOUNTS.
- ❖ GARNERING OF SUBSTANTIAL DEPOSIT UNDER NEWLY INTRODUCED RDS- CENT LAKHPATI "JAB CHAHO LAKHPATI BANO".
- ❖ BANK HAS ROBUST PLAN TO CONTAIN GROSS NPA BELOW 5.25% AND NET NPA AT LESS THAN 2.20%.
- ❖ THRUST IN TRANSACTION BANKING ACTIVITIES TO GENERATE ADDITIONAL BUSINESS.
- ❖ UPGRADATION OF EXISTING PRODUCT IN LINE WITH THE INDUSTRY PRACTICES ESPECIALLY ONLINE PRODUCTS IS THE PRIME TARGET- BEGINNING WITH ONLINE OPENING OF SAVINGS ACCOUNTS.
- ❖ BY MONITORING REVIVAL OF LAPSED POLICIES ENHANCE PERSISTENCY RATIO TO 50% IN LIFE INSURANCE BUSINESS
- ❖ IMPLEMENTATION OF E-KYC
- ❖ MORE MULTI FUNCTIONAL KIOSK (MFK) AND CASH DEPOSIT KIOSKS (CDK'S) TO BE INSTALLED DURING THIS FINANCIAL YEAR.

AWARDS & ACCOLADES

- ❖ During the financial year 2014-15, Bank was awarded 'Second' prize for the year 2013-14 under linguistic area 'B' for our bank's house journal 'CENTRALITE' by Government of India, Ministry of Home Affairs, Rajbhasha Vibhag under their 'house journal Puraskar Yojna'. The Shield was received by Shri Rajeev Rishi, Chairman and Managing Director at the behest of Hon'ble President Shri Pranab Mukherjee in a glittering function organized at Vigyan Bhawan, New Delhi.
- ❖ During the financial year 2014-15, Bank also bagged 'Reserve Bank of India Governor Shield' for the year 2013-14 for the best Implementation of Official Language Policy in Linguistic Region 'A' and 'C'. Both the awards were received by Shri Rajeev Rishi, Chairman and Managing Director from Shri Raghuram G. Rajan, Governor, RBI.
- ❖ Further, our bank has also received 'First' prizes for the best performance in implementation of Official Language Policy in state of Maharashtra, Gujarat and Andhra Pradesh by the state level bankers Committees of these three states.
- ❖ Bank won three awards at CIMSME -MSME Banking Excellence Awards -2014 event at New Delhi - 1) Best MSME Bank Award for Large Bank -Runner Up, 2) Best Bank award for Financial Inclusion and 3) Special Plaque for Best Performance under 'PMJDY'.
- ❖ Central Bank of India was awarded with PMJDY Excellence Award in a glittering function organized by the Federation of Industry Trade and Services at New Delhi.



CORPORATE GOVERNANCE

Bank's Philosophy of Corporate Governance

- ❖ Thrust of the Corporate Governance of the Bank is to enhance shareholders' value by pursuing ethical practices in the conduct of its business and maintaining high standard of disclosure and transparency. The Bank has adopted best practices, and standards of governance are monitored by various Committees of the Board. The Board, the Executives and other functionaries have distinctly demarcated roles in achieving the Corporate goals – improved performance and enhanced shareholders' value.
- ❖ The equity shares of the Bank are listed at BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. However, the Bank is not a company but a body corporate under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and is regulated by Reserve Bank of India. Therefore, the Bank shall comply with the provisions of clause 49 of the Listing Agreement entered into with Stock Exchanges to the extent it does not violate the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Guidelines issued by Reserve Bank of India in this regard.
- ❖ ICRA "CGR3+" (pronounced CGR 3 plus) rating to the Corporate Governance practices of our Bank. This rating implies that in ICRA's current opinion, the rated company has adopted and follows such practices, conventions and codes as would provide its financial stakeholders adequate level of assurance on the quality of Corporate Governance.

Board of Directors

- ❖ The Bank is constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (as amended from time to time). The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Bank is vested in the Board of Directors presided over by the Chairman and Managing Director.
- ❖ The composition of the Board of Directors of the Bank is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 as amended and the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended
- ❖ During the year under review i.e. 2014-15, the composition of the Board was as under:

Sr. No.	Name	Position Held	Period (From – To)	No. of Equity Shares of the Bank held as on 31.03.2015	Area of Expertise	Membership / Chairmanship of Committees of Board of Central Bank of India as on 31.03.2015		Directorship of other Companies as on 31.03.2015	Whether attended last AGM on June 30, 2014
						Member	Chairman		
1.	Shri Rajeev Rishi	Chairman and Managing Director	From 01.08.2013	NIL	Banking	MCB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, IFRS, VIG, CAC, HR, MRC	MCB, RMC, LVFC, CSC, IFRS, VIG, CAC, HR, MRC	-Indo Zambia Bank Ltd. -India Infrastructure Finance Co. Ltd.	Yes
2.	Shri R.K.Goyal	Executive Director	From 11.01.2013	NIL	Banking	MCB, ACB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, IFRS, CAC, HR, MRC	NIL	-Cent Bank Home Fin. Ltd. -Cent Bank Financial Services Ltd.	Yes



3.	Shri Animesh Chauhan	Executive Director	05.08.2013 – 31.12.2014	NIL	Banking	MCB, ACB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, IFRS, CAC, HR, MRC	NIL	-Cent Bank Home Finance Ltd.	Yes
4.	Shri B.K. Divakara	Executive Director	From 23.01.2014	NIL	Banking	MCB, ACB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, IFRS, CAC, HR, MRC	NIL	-Cent Bank Home Finance Ltd. -Cent Bank Financial Services Ltd.	Yes
5.	Shri R. C. Lodha	Executive Director	From 11.03.2015	NIL	Banking	MCB, ACB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, IFRS, CAC, HR, MRC	NIL	NIL	Not a Director on the date of AGM
6.	Dr. Saurabh Garg	Government of India Nominee Director	From 19.02.2014	NIL	Administration	ACB, RMC, LVFC, RC, VIG, MRC, HR	RC	Delhi-Mumbai Industrial Corridor Trust	No
7.	Shri Shekhar Bhatnagar	RBI Nominee Director	From 13.03.2014	NIL	Banking	MCB, ACB, RC, VIG	NIL	NIL	No
8.	Prof. N. Balakrishnan	Shareholder Director	20.11.2008 - 19.11.2011 and from 10.01.2012 - 09.01.2015	160	Information Technology	RMC, CSC, ITS, SRC	ITS, SRC	i) C-DOT Alcatel Research Centre Pvt. Ltd. ii) Data Security Council of India.	Yes
13.	Shri Guman Singh	Part Time Non-official Director	08.08.2011 - 07.08.2014	NIL	Retired Railway official	MCB, ACB, CSC, IFRS	NIL	NIL	Yes



14.	Shri M.P. Shorawala	Part Time Non-official Director	From 03.01.2013	NIL	Lawyer	MCB, RMC, ITS, IFRS, HR	NIL	Vishwa Lakshmi Exports (P) Ltd.	No
15.	Shri Krishan Sethi	Part Time Non-official Director	From 28.02.2013	NIL	Professional	ACB, RMC, LVFC, IFRS,	ACB	NIL	Yes
16.	Shri S.B. Rode	Officer Employee Director	From 02.04.2013	133	Banker	MC, LVFC, CSC, SRC	NIL	NIL	Yes
17.	Shri Gurbax Kumar Joshi	Workmen Employee Director	From 10.07.2013	NIL	Banker	MCB, CSC, ITS, SRC	NIL	NIL	No
18.	Smt. N.S. Rathnaprabha	Part Time Non-official Director	From 19.12.2013	NIL	Social Service	ACB, RMC, SRC, CSC, RC	NIL	NIL	Yes

The Chairman and Managing Director and the Executive Directors are whole time Directors of the Bank.

MCB	-	Management Committee of the Board
ACB	-	Audit Committee of the Board
RMC	-	Risk Management Committee
LVFC	-	Large Value Fraud Committee
CSC	-	Customer Service Committee
ITS	-	Information Technology Strategy Committee
SRC	-	Stakeholders Relationship Committee
RC	-	Remuneration Committee
IFRS	-	International Financial Reporting Standards Committee
VIG	-	Vigilance Committee
CAC	-	Credit Approval Committee
HR	-	Human Resources Committee
MRC	-	Monitoring of Recovery Committee

Brief Profile of the New Directors

1. Shri R.C. Lodha, Executive Director (D.O.B. 14.02.1957)

Shri R.C. Lodha before his elevation as an Executive Director of Central Bank of India w.e.f. 11.03.2015, was General Manager in Union Bank of India – on deputation to Oriental Bank of Commerce as Chief Vigilance Office at HO, Gurgaon.

The path of his banking journey is enriched with varied experience of every banking department. He has worked at different locations pan India and has headed rural, semi urban and metro branches. He has headed Regional Office, Delhi and had a successful tenure as FGM at Pune & Delhi Zones. He also had the opportunity to work as the Board Secretary at MDO at Union Bank's Central Office, Mumbai.

He has been conferred many internal awards, notable being the twice won Super Achiever Award for 2006-07 & 2007-08 for all round performance at Baroda & Ahmedabad branches. He also had the privilege of being Chairman's Club Member three times.

Outside the Bank, he has been conferred the C.H. Bhabha Research and Scholarship Award 2000-2001 from the Indian Banks' Association, Mumbai, besides other awards.



DETAILS OF OTHER DIRECTORS

1. Shri Rajeev Rishi, Chairman & Managing Director (D.O.B.30.08.1959)

Shri Rajeev Rishi has been a University Rank holder, National Merit Scholar and is a Law Graduate from Punjab University, Chandigarh. He is also a Sport Enthusiast and represented his college in Table Tennis and Chandigarh in National Roller Skating Meet.

Prior to his present assignment, as CMD of the Bank w.e.f. 01.08.2013 he was Executive Director in Indian Bank which responsibility he was holding since October 2010.

He started his banking career with Oriental Bank of Commerce as a Probationary Officer on 12.05.1979 and served for 3 decades in various positions and geographies. He has 25 years of field exposure in branches and regions. He was General Manager-Human Resources, Third Party Product Marketing & Board Secretariat from 2005 to 2010. He has successfully handled the HR integration in Global Trust Bank's merger with Oriental Bank of Commerce. He is a member of IBA Standing Committee on HR.

2. Shri R.K. Goyal, Executive Director (D.O.B. 01.01.1957)

Shri Raj Kumar Goyal joined Bank of India on 12.05.1977. A career Banker and a thorough professional, he has worked in various capacities during the last 36 years. His diverse assignments at various stages include General Operations, Credit, International Banking and HR. He has worked extensively in Credit, particularly Large Credit and has successfully headed three Large Corporate Banking branches of BOI. During his tenure of 4 years at BOI's London Branch, he handled many important portfolios including Loan Syndication and Investments. He is known for his administrative capabilities and believes in team work.

Shri Goyal joined as Executive Director, Central Bank of India w.e.f. 11th January 2013.

3. Shri Animesh Chauhan, Executive Director (D.O.B. 30.06.1957)

Shri Animesh Chauhan started his career on 17th January 1979 as a DRO in Bank of Baroda. Before his current assignment, he was the General Manager/Zonal Head, Rajasthan Zone of Bank of Baroda, based at Jaipur. He also held the position of Chairman, The Nainital Bank Ltd. as also the Head of London Main Office & Chief Compliance Officer of UK Operations. He has worked in various positions at Gujarat, MP, Uttarakhand, Rajasthan & overseas assignments. He also held the post of Convener, State Level Bankers' Committee of Rajasthan State for the last two years in Bank of Baroda.

Shri Animesh Chauhan ceased to be the Executive Director of the Bank w.e.f. 31st December, 2014 upon elevation as Managing Director & Chief Executive Officer of Oriental Bank of Commerce.

4. Shri B.K.Divakara, Executive Director – (D.O.B. 17.07.1960)

Shri Divakara is a chartered accountant, cost accountant and a Company Secretary. He started his career as a Chartered Accountant in Corporation Bank in 1986. He was promoted as Chief Manager in 1997, AGM in 2000, DGM in 2007 and GM in 2010. He joined Central Bank of India as ED w.e.f. 23.01.2013. He has worked as a Zonal Head and also handled various portfolios such as Corporate Sanctions, Printing & Stationery, Official Language Policy Implementation, Support Services, ATM Mgt, Credit Rating, Fee Income, CDR, Loan Syndication etc.

5. Dr. Saurabh Garg, Government Nominee Director – (28.07.1964)

Dr. Saurabh Garg is an eminent scholar. He has completed B. Tech from IIT-Delhi in Chemical Engg-Bio Technology. He has done MBA (Mgt. Finance) from IIM-Ahmedabad. He has received certification in Globalisation & Urban Development from London School of Economics & Political Science, London, UK. He has completed his Ph. D. from Paul Nitze School of International Studies, Hopkins University, Washington, USA.

Dr. Garg is also an IAS 1991 Orissa Cadre. After serving in Orissa State Cadre, he joined as Deputy Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, New Delhi in April, 2002. During his tenure in State Cadre, he held various important portfolios like Project Director, DRDA, Kalahandi & Project Director, Energy Dept., during 1993-1996. He also held the post of MD, IDCOL, Cement Ltd. during 1996-98. He worked as a Collector of Bargarh & Keonjhar Districts and also as a Director, Watershed Dev Deptt. He has been working as a Joint Secretary in Dept. of Expenditure, MoF, w.e.f. 04.05.2012.

Details of awards earned by Dr. Garg :

1988 – Gold Medal for Academic Excellence

1993 – Best All round probationer of 1991 IAS Batch

Details of Publications:-

2000 (Public Administration)

Some intervention and experiences in improving service through Government Delivery Systems 2010 (Finance)

Indian Infrastructure Vision – Financing challenges.



6. Shri Shekhar Bhatnagar, RBI Nominee Director – (17.07.1958)

Shri Bhatnagar is B.Sc., M.A. (Lucknow University) and MBA (In Finance) from FMS, New Delhi. He joined Reserve Bank of India (RBI) in 1984 as officer (Grade ‘B’) and worked in different capacities, in different departments of RBI like Currency Management, Banking, Department of Banking Supervision and Department of Non-Banking Supervision. He is presently working as Regional Director for Uttar Pradesh, Reserve Bank of India, Kanpur

7. Padma Shri Prof N Balakrishnan, Shareholder Director (D.O.B. 01.06.1950)

Prof N. Balakrishnan, Shareholder Director is a scientist of highest international repute. He holds a degree in BE (in Electronic curriculum) from University of Madras with Ph.D from Indian Institute of Science in 1979. He is at present an Associate Director of Indian Institute of Science and a Professor at Rep of Aerospace Engineering. He played a crucial role in building India’s first Super Computer Centre. He has over 200 publications in the International journals and Conferences. He was honoured with Padmashri from the President of India in 2002, Homi J. Bhabha Award for Applied Science in 2004, J. C. Bose National Fellowship in 2007. Prof. N. Balakrishnan has provided his critical inputs in many major National initiatives in IT planning and Information Security. He was elected on November 20, 2008 as a Shareholder Director on the Board of Central Bank of India upto November 19, 2011.

Prof. N. Balakrishnan, was re-elected as Shareholder Director of the Bank under section 9(3)(i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of three years from January 10, 2012 has ceased to be the Director of the Bank w.e.f. close of working hours on January 09, 2015 consequent upon completion of his tenure.

8. Shri Guman Singh, Non-Official Part-Time Director (D.O.B. 24.03.1937)

Shri Guman Singh is appointed as Part-Time Non-Official Director on the Board of Central Bank of India on 08.08.2011. He is a retired Railway Official and is presently holding the post of President, National Federation of Indian Railway men, President Indian National Trade Union Congress, Rajasthan State, President Uttar Paschim Railway Mazdoor Sangh, Member- National Council Joint Consultative Committee, New Delhi, Secretary (National Level), Indian National Trade Union Congress.

Shri Guman Singh ceased to be the Part-Time Non-official Director of the Bank w.e.f. August 08, 2014 consequent upon expiry of his term on August 07, 2014.

9. Shri M.P. Shorawala, Part Time Non Official Director (D.O.B. 15.10.1947), is an Advocate-on-Record, Supreme Court of India, New Delhi, practicing for the last 26 yrs. having assisted the Attorney General, Solicitor General and other Law Officers as well as Senior Advocates for the Union of India and also representing various local bodies in the Supreme Court. Apart from handling specific cases in Supreme Court, he has also handled the matters relating to Arbitration, Drafting of Contracts/Agreements, Patents and Trademarks, Cyber Law, Foreign Investments, FERA, Criminal cases, Customs, Corporate Cases, Company Law Board, Joint Ventures, Property cases, Banking, ITAT, Electricity, Taxation, Industrial & Labour Disputes and all other legal & criminal matters.

Shri M.P. Shorawala was nominated as Director on the Board of our Bank w.e.f. 03.01.2013.

10. Shri Krishan Sethi, Part Time Non Official Director (D.O.B. 10.05.1954), is a Chartered Accountant in practice for the last 33 years. He has been practicing Financial Management, Audit, Tax Advisory, Arbitration work for Cooperative Banks and Cooperative Societies. His firm, M/s. Gupta Verma & Sethi, has been conducting concurrent audit/inspection/stock audit/revenue audits of various nationalized banks during the last 32 years.

Shri Krishan Sethi was nominated as Director on Board of our Bank w.e.f. 28.02.2013.

11. Shri S. B.Rode, Officer Employee Director – (D.O.B.15.03.1957)

Shri Rode has been appointed as a Officer Employee Director under clause (f) of sub-section 3 of section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, for a period of 3 years with effect from the date of notification (02.04.2013) or until he ceases to be a Officer Employee of the Bank

12. Shri Gurbax Kumar Joshi, Workmen Employee Director-(D.O.B.10.07.1958)

Shri Joshi has been appointed as a Workmen Employee Director under clause (e) of sub-section 3 of section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, for a period of 3 years with effect from the date of notification (10.07.2013) or until he ceases to be a Workmen Employee of the Bank.

Shri Joshi joined the Bank on 27.07.1981 and has held the position of Vice President, All India Central Bank Employees Federation.

13. Smt. N.S. Rathnaprabha, Non-Official Part Time Director (D.O.B. 19.07.1962)

Smt. Rathnaprabha is an eminent social worker & member of AICC. She holds the post of General Secretary of KPCC. She was former Chairperson of Karnataka State Handicraft Development Corporation Ltd., A Government of Karnataka Undertaking.

She is actively engaged in social work. Her participation in public welfare works includes organization of eye donation camps, blood donation camps, family planning camps, mass marriages and workshops for women on various legal awareness.

Conduct of Board Meetings

During the year, 13 Board Meetings were held on the following dates:

26.04.2014	10.05.2014	20.05.2014	21.06.2014	26.07.2014
30.08.2014	27.09.2014	08.11.2014	08.11.2014	22.12.2014
09.01.2015	04.02.2015	14.03.2015		

Details of attendance of the Directors at the Board Meetings are:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri Rajeev Rishi	13	13	01.04.2014–31.03.2015
Shri R.K. Goyal	13	13	01.04.2014-31.03.2015
Shri Animesh Chauhan	10	10	01.04.2014-31.12.2014
Shri B.K. Divakara	13	13	01.04.2014-31.03.2015
Shri R.C. Lodha	01	01	11.03.2015-31.03.2015
Dr. Saurabh Garg	10	13	01.04.2014-31.03.2015
Shri Shekhar Bhatnagar	12	13	01.04.2014-31.03.2015
Prof N. Balakrishnan	10	11	01.04.2014-09.01.2015
Shri Guman Singh	04	05	01.04.2014-07.08.2014
Shri M.P. Shorawala	10	13	01.04.2014-31.03.2015
Shri Krishan Sethi	13	13	01.04.2014-31.03.2015
Shri S.B. Rode	13	13	01.04.2014-31.03.2015
Shri Gurbax K. Joshi	13	13	01.04.2014-31.03.2015
Smt. N.S. Rathnaprabha	13	13	01.04.2014-31.03.2015

Management Committee of the Board:

- ❖ The Management Committee of the Board is constituted under The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 read with the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and it exercises all the powers vested in the Board in respect of financial sanctions, compromises/write off proposals and filing of suits/appeals etc. As on 31.03.2015, it comprised 8 members consisting of the Chairman & Managing Director, 3 Executive Directors, Reserve Bank of India Nominee Director, and 3 other Directors which include 1 Part-Time Non-Official Director, 1 Workmen Employee Director and 1 Officer Employee Director. The Part-Time/Workmen directors are rotated every six months..
- ❖ The Management Committee of the Board met 17 times during the year on the following dates:

26.04.2014	09.05.2014	20.06.2014	28.06.2014	12.07.2014
15.07.2014	07.08.2014	30.08.2014	27.09.2014	20.10.2014
15.11.2014	23.12.2014	31.12.2014	04.02.2015	27.02.2015
14.03.2015	23.03.2015			

Attendance record of the members is shown below:

Name of Directors	Attendance Record	Meetings held during their tenure	Period on the Management Committee (From – To)
Shri Rajeev Rishi	17	17	01.04.2014 – 31.03.2015
Shri R.K. Goyal	17	17	01.04.2014 – 31.03.2015
Shri Animesh Chauhan	12	13	01.04.2014 – 31.12.2014
Shri B.K. Divakara	17	17	01.04.2014 – 31.03.2015
Shri R.C. Lodha	02	02	11.03.2015 – 31.03.2015
Shri Shekhar Bhatnagar	16	17	01.04.2014 – 31.03.2015
Shri Guman Singh	02	02	01.04.2014 – 09.06.2014 #



Shri M.P. Shorawala	06	14	22.06.2014 – 21.12.2014 22.12.2014 – 31.03.2015
Shri S.B. Rode	11	12	01.04.2014 – 21.06.2014 16.09.2014 – 15.03.2015 16.03.2015 – 31.03.2015
Shri Gurbax K. Joshi	12	14	22.06.2014 – 21.12.2014 22.12.2014 – 31.03.2015
Smt. N.S. Rathnaprabha	08	08	01.04.2014 – 15.09.2014

In terms of MoF-DFS Letter F.No. 13/1/2006-BO.I dated 10.06.2014

Credit Approval Committee:

- ❖ Pursuant to newly added clause 13A of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a Credit Approval Committee of the Board of Directors has been constituted w.e.f. 31.01.2012. The Committee exercises the powers of the Board with regards to credit proposals upto ₹400.00crs, compromise / write off proposals upto ₹10.00crs, premises proposals upto ₹15.00lacs per annum (Rural Area), upto ₹25.00lacs per annum (Semi-urban Area), upto ₹50.00lacs per annum (Urban Area) and upto ₹1.00crs per annum (Metro Area). The Present Committee comprises of Chairman and Managing Director, Executive Directors, Chief General Manager (Risk Management) & General Manager/s in charge of Credit, General Manager In Charge of Finance, General Manager In Charge of Premises and General Manager In Charge of Recovery.
- ❖ The Credit Approval Committee met 32 times during the year on the following dates:

11.04.2014	11.05.2014	24.05.2014	05.06.2014	06.06.2014
20.06.2014	28.06.2014	14.07.2014	24.07.2014	07.08.2014
23.08.2014	08.09.2014	18.09.2014	26.09.2014	29.09.2014
14.10.2014	31.10.2014	18.11.2014	19.11.2014	29.11.2014
12.12.2014	22.12.2014	29.12.2014	12.01.2015	23.01.2015
07.02.2015	18.02.2015	02.03.2015	05.03.2015	18.03.2015
27.03.2015	31.03.2015			

Audit Committee of the Board

- ❖ The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the Board of Directors as per the guidelines of the Reserve Bank of India. The ACB provides direction as well as overseeing the operation of the total audit function of the Bank, which includes the organisation, operationalisation and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follow-up on the statutory/external audit of the Bank and inspections of the RBI. The terms of reference to the Audit Committee are:
- ❖ Reviewing, in respect of Internal Audit, the Internal Inspection/Audit function in the Bank, with specific focus on the follow-up on inter-branch adjustment accounts, un-reconciled long outstanding entries in inter-bank accounts and nostro accounts, arrears in balancing of books, frauds and all other major areas of house-keeping;
- ❖ Obtaining and reviewing half-yearly reports from the Compliance Officers appointed in the Bank in terms of the instructions of the RBI;
- ❖ Reviewing the scope of the independent audit including the observations of the auditors and reviewing the quarterly, half-yearly and annual financial statements before submission to the Board;
- ❖ Following-up, in respect of Statutory Audits, on all the issues raised in the Long Form Audit Report and interacting with the External Auditors before finalisation of the quarterly/half yearly/annual financial accounts and reports;
- ❖ Reviewing regularly the accounts, accounting policies and disclosures;
- ❖ Reviewing the major accounting entries based on exercise of judgment by management and reviewing any significant adjustments arising out of the audit;
- ❖ Qualifications in the Draft Audit Report;
- ❖ To have post-audit discussions with the Auditors to ascertain any area of concern;
- ❖ Establishing the scope and frequency of Internal Audit, reviewing the findings of the Internal Auditors and ensuring the adequacy of internal control systems;

- ❖ Compliance with the Stock Exchanges' legal requirements concerning financial statements, to the extent applicable;
- ❖ Such other matters as may from time to time be required by any statutory, contractual or regulatory requirements to be attended to, by the Audit Committee

The Audit Committee of the Board shall comprise of Executive Directors, Government of India Nominee Director, Reserve Bank of India Nominee Director and two non-official non-executive directors, at least one of them should be a Chartered Accountant. Directors from staff will not be included in the ACB.

Composition of the Audit committee as on 31.03.2015 is as under:

1	Shri Krishan Sethi	Chairman
2	Shri R.K. Goyal	Member
3	Shri Animesh Chauhan	Member
4	Shri B.K. Divakara	Member
5	Shri R.C. Lodha	Member
6	Dr. Saurabh Garg	Member
7	Shri Shekhar Bhatnagar	Member
8	Smt. N.S. Rathnaprabha	Member

During Financial Year 2014-15, Shri Guman Singh, Part Time Non-official Director had been acting as Chairman of the Audit Committee from 01.04.2014 to 07.08.2014 when he retired as a Director; after which Shri Krishan Sethi has been nominated and is continuing as the Chairman of the Committee.

During the year, the Audit Committee met 12 times on the following dates:

26.04.2014	09.05.2014	20.05.2014	21.06.2014	26.07.2014	07.08.2014
27.09.2014	07.11.2014	08.11.2014	22.12.2014	04.02.2015	14.03.2015

The attendance record of the members is shown below:

Name of Directors	Attendance Record	Meetings held during their tenure	Period on the Audit Committee (From – To)
Shri Gumansingh	05	06	01.04.2014-07.08.2014
Shri Krishan Sethi	12	12	01.04.2014-31.03.2015
Shri R.K. Goyal	12	12	01.04.2014-31.03.2015
Shri Animesh Chauhan	10	10	01.04.2014-31.12.2014
Shri B.K. Divakara	12	12	01.04.2014-31.03.2015
Shri R.C. Lodha	01	01	11.03.2015-31.03.2015
Dr. Saurabh Garg	09	12	01.04.2014-31.03.2015
Shri Shekhar Bhatnagar	11	12	01.04.2014-31.03.2015
Prof. N. Balakrishnan	04	04	08.08.2014-09.01.2015
Smt. N.S. Rathnaprabha	02	02	10.01.2015-31.03.2015

Unaudited quarterly results of the Bank and audited results for the year were reviewed by the Audit Committee of the Board and placed before the Board of Directors for approval.

Risk Management Committee

In terms of Reserve Bank of India circular DBOD NO.DP(SC)BC/98/21.04.103/39 dated 7th October, 1999 and vide Board Agenda N.BM/01/2002-03/3.2 of meeting dated 20.04.2002 and vide Board Agenda No.BM/09/2002-03/3.9 of meeting dated 25.11.2002, the Risk Management Committee of the Board is formed. The committee comprises of Chairman & Managing Director, Executive Directors, GOI Nominee Director, RBI Nominee Director and three Non Official Part Time Directors. The Part-Time Non-Official Directors are rotated after every one year.

The Committee met 4 times during the year on the following dates:

21.06.2014	27.09.2014	22.12.2014	14.03.2015
------------	------------	------------	------------

The attendance record of the members is shown below:

Name of Directors	Attendance Record	Meetings held during their tenure	Period on the Committee (From - To)
Shri Rajeev Rishi	04	04	01.04.2014-31.03.2015
Shri R.K. Goyal	04	04	01.04.2014-31.03.2015
Shri Animesh Chauhan	03	03	01.04.2014-31.12.2014



Shri B.K. Divakara	04	04	01.04.2014-31.03.2015
Shri R.C. Lodha	01	01	11.03.2015-31.03.2015
Dr. Saurabh Garg	03	04	01.04.2014-31.03.2015
Prof. N. Balakrishnan	03	03	01.04.2014-09.01.2015
Shri M. P. Shorawala	01	01	01.03.2015-02.01.2016
Shri S. B. Rode	03	03	29.02.2014-28.02.2015
Shri Gurbax K. Joshi	04	04	16.03.2014-15.03.2015
Smt. N.S. Rathnaprabha	01	01	10.01.2015-09.01.2016

Remuneration Committee

- ❖ The Remuneration Committee of the Board of Directors was constituted as per Ministry of Finance Communication F.No.20.1.2005-Bo-I dated 09.03.2007 for payment of performance-linked incentive to wholetime Directors. The Committee consists of Govt. of India Nominee Director, Reserve Bank of India Nominee Director and 2 Independent Directors.
- ❖ The Remuneration Committee met on 20.05.2014 for considering the performance-linked incentive to wholetime directors for the Financial Year 2014-15.

Remuneration of Directors:

- ❖ The Non Official Independent Directors / Non Executive Director were paid sitting fees of Rs.10,000/- for attending every meeting of the Board of Directors and ₹5,000/- for attending every meeting of various Sub-Committees of the Board, apart from the Bank incurring the usual travelling and stay expenses. Sitting fees are not paid to the Chairman & Managing Director, Executive Directors and Directors who are officials of Government of India / Reserve Bank of India.
- ❖ During the financial year 2014-15, the following amounts have been paid to the Chairman & Managing Directors and Executive Directors as total salary, allowances and perks:

Sr	Name	Rupees in lacs
1.	Shri Rajeev Rishi (CMD)	25.59
2.	Shri Raj Kumar Goyal (ED)	24.28
3.	Shri Animesh Chauhan (Ex-ED)	17.91
4.	Shri B K Divakara (ED)	17.47
5.	Shri R C Lodha (ED)	0.91

- ❖ During the year under review, the Bank has paid ₹8,00,000/- (Rupees Eight Lakh only) to the eligible Directors towards sitting fees for attending Board Meetings and ₹5,90,000/- (Rupees Five Lakh Ninety thousand only) towards attending the Sub-Committee Meetings of the Board.

Stakeholders' Relationship Committee

In compliance with SEBI guidelines on Corporate Governance as provided in Clause 49 of the Listing Agreement, Stakeholders' Relationship Committee (earlier known as Shareholders' / Investors Grievances Committee) has been constituted, for redressal of the grievances of the shareholders/ investors with regard to the transfer of shares, non-receipt of Annual Report, non- receipt of dividends, etc. All the references/ complaints received from the investors during the year have been replied/ redressed till date. Investors' grievances are normally attended to within seven days, on receipt of the relevant information. The Committee comprises of Chairman & Managing Director, Executive Directors and two independent Directors. It was headed by Prof. N. Balakrishnan, Shareholder Director on the Board of our Bank till his retirement on 09.01.2015 and thereafter by Shri Krishan Sethi. The Part-Time Non-Official Directors are rotated after every one year.

The Committee met 4 times during the year on the following dates:

30.06.2014	07.08.2014	22.12.2014	14.03.2015
------------	------------	------------	------------

The attendance record of the members is shown below:

Name of Directors	Attendance Record	Meetings held during their tenure	Period on the Committee (From - To)
Prof. N. Balakrishnan	02	03	01.04.2014-09.01.2015
Shri Krishan Sethi	04	04	01.04.2014-31.03.2015
Shri Rajeev Rishi	04	04	01.04.2014-31.03.2015
Shri R.K. Goyal	04	04	01.04.2014-31.03.2015
Shri Animesh Chauhan	03	03	01.04.2014-31.12.2014



Shri B.K. Divakara	04	04	01.04.2014-31.03.2015
Shri R.C. Lodha	01	01	11.03.2015-31.03.2015
Shri M.P. Shorawala	00	02	21.06.2013-20.12.2014
Shri S.B. Rode	02	02	21.12.2014-20.12.2015
Shri Gurbax K. Joshi	01	01	10.01.2015-09.01.2016

The details of Investor Grievances for the year 2014-15 (01.04.2014 to 31.03.2015) is as under:

1	Grievances pending at the beginning of the year	NIL
2	Letters Non Receipt of Share Certificate (s)	6
3	Non Receipt of Dividend Warrants	106
4	Not Receipt of Annual Report	27
5	Non Receipt of Refund Order	NIL
6	Correction in Refund Instrument	28
7	Others (NSE, BSE, SEBI)	2
8	Total Grievances received	169
9	Total Grievances attended/resolved	169
10	Total complaints pending at the end of the year	NIL

We confirm that no investor's complaints remained unattended/pending for more than 30 days.

Compliance Officer

Shri Anand Kumar Das, Assistant General Manager-MBD/Company Secretary is the Compliance Officer of the Bank as per Equity Listing Agreement with Stock Exchanges.

Proceeds from Public Issues, Right Issues, Preferential Issues, etc.

During the year, Bank has raised ₹ 1207.84 crores (including premium) from Life Insurance Corporation of India in two tranches on 1st August, 2014 & 1st January, 2015 by allotment of 7,10,75,753 & 8,28,90,000 equity shares on preferential basis respectively. Further, Bank has also issued 15,38,68,113 equity shares to Government of India by conversion of entire Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS) of ₹ 1617.00 crore (161,70,00,000 PNCPS of the face value of ₹ 10.00 each) held by Government of India (GOI). The funds are raised with the primary objective of augmenting Tier-I and Tier-II Capital for strengthening capital adequacy ratio and for enhancing the long-term resources of the Bank. The funds raised, are being utilized for the above purpose.

Means of Communications

The quarterly financial results (unaudited but subject to limited review by Statutory Auditors) and audited Annual Results were normally published in English, Hindi, Marathi and many regional languages in various leading newspapers, such as, Economic Times, Financial Express, Business Standard, Pudhari (Marathi), etc. The results were also displayed on the Bank's website at www.centralbankofindia.co.in.

Code of Conduct

- ❖ The Bank has adopted a Code of Conduct for the Board of Directors and Senior Management. The text of the same is available on the website of the Bank i.e. www.centralbankofindia.co.in. All the Directors and Senior Management have affirmed their Compliance of code of conduct during the year under review and a certificate affirming the compliance is given in Annexure I.
- ❖ The Bank has also framed a Code of Conduct for its Directors and designated employees for prevention of insider trading in Bank's security

Other Disclosures

- ❖ Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management, their subsidiaries or relatives etc that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the Non-Executive Directors vis-à-vis the Bank during the year.
- ❖ It is an established practice in the Bank that the Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or to their relatives are discussed.
- ❖ The Bank has complied with applicable rules and regulations prescribed by RBI, SEBI, Stock Exchanges or any other statutory authority relating to Capital Market. No penalties or strictures were imposed on the Bank by any of the Stock Exchanges, SEBI or any statutory Authority on any matter relating to capital markets during the year under review.



- ❖ The Bank has complied with the stipulated requirement of Clause 49 of Listing Agreement to the extent that the requirements of the clause do not violate the provision of Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970 and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and guidelines, provisions, regulations or directives issued by Reserve Bank of India.

Non-Mandatory requirements (Annexure ID of listing agreements)

The bank has presently not adopted Non-Mandatory requirement set out in Annexure ID to the clause 49 of the listing agreement

Sr. No.	Non-mandatory	Status of Implementation
1.	Non-executive Chairman to maintain Chairman's Office at company's expense.	Not Applicable, since the Chairman's position is Executive.
2.	Board to set-up a Remuneration Committee to formulate company's remuneration package for Executive Directors.	Not applicable, as Executive Directors draw salary as fixed by the Government of India. However, a Remuneration Committee is in operation to consider Performance Linked Incentive for executive directors in terms of guidelines issued by the Central Government.
3.	Half-yearly declaration of financial performance including summary of significant events in last six months to be sent to shareholders.	The Bank has sent half-yearly financial results for the half year ended 30.09.2014 to Stock Exchanges & published in Newspapers. Besides, the financial results were also posted on Bank's website.
4.	Company may move towards regime of unqualified financial statements	The Bank is having unqualified financial statements
5.	Separate posts of Chairman and CEO	Composition of the Board of our Bank is governed under Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (the Act) read with Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. As of now, the Bank is having one post of Chairman & Managing Director.
6.	Reporting of Internal Auditor	Internal Auditor is accountable to the Audit Committee of the Board.

General Shareholder Information

8th Annual General Meeting of the Bank:

Day and Date: Tuesday, 30th June, 2015 at 11:00 AM at Sir Sorabji Pochkhanawala Banker's Training College, Near Cooper Hospital/Reliance Energy Office, JVPD Scheme, Vile Parle (West), Mumbai, 400056

1. The Annual General Meeting is relevant for the financial year 2014-15
2. Date of Book Closure: 25th June 2015 to 30th June, 2015 (Both days inclusive)
3. Dividend Payment Date: on or before 30th July 2015

General Body Meetings:

Sr. No.	Nature of Meeting	Date & Time	Venue
1.	Seventh Annual General Meeting	30 th June, 2014 11:00 AM	Sir Sorabji Pochkhanawala Banker's Training College, Near Cooper Hospital / Reliance Energy Office, JVPD Scheme, Vile Parle (West), Mumbai, 400056
2.	Sixth Annual General Meeting	29 th June, 2013, 11:00 AM	----- Same as above -----
3.	Fifth Annual General Meeting	27 th June, 2012, 4:00 PM	----- Same as above -----
4.	Fourth Annual General Meeting	29 th July, 2011 3:00 PM	----- Same as above -----

Listing on Stock Exchanges:

The shares of the Bank are listed on BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. The scrip codes are as follows:

BSE Ltd. (BSE)	532885
National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)	CENTRALBK
ISIN Number	INE483A01010

Annual Listing fee for 2015-16 has been paid to both the stock exchanges.

The Bank has issued Non-Convertible Bonds in the nature of Promissory Notes (Tier-II Capital) from time to time. The relevant outstanding details thereof are as under:

Central Bank of India Bonds-Tier-II Capital position as on 31.03.2015

Series Particulars	Issue date	Total Value (₹ in crores)	ISIN
Lower Tier II-Series X	28.03.2006	578.20	INE483A09146
Lower Tier II-Series XI	04.10.2006	700.00	INE483A09153
Lower Tier II-Series XII	03.03.2008	389.10	INE483A09161
Lower Tier II-Series XIII	10.02.2009	270.00	INE483A09187
Lower Tier II-Series XIV	21.12.2011	500.00	INE483A09245
Upper Tier II-Series I	14.11.2008	300.00	INE483A09179
Upper Tier II-Series II	17.02.2009	285.00	INE483A09195
Upper Tier II-Series III	23.06.2009	500.00	INE483A09203
Upper Tier II-Series IV	20.01.2010	500.00	INE483A09211
Upper Tier II-Series V	11.06.2010	1000.00	INE483A09229
Upper Tier II-Series VI	21.01.2011	300.00	INE483A08015
Basel III Complaint Sr I	08.11.2013	1000.00	INE483A09260
Total		6522.30	

All these bonds are listed either on National Stock Exchange of India Ltd. or BSE Ltd. The Bank has paid the Annual Listing fee for 2015-16 to the Exchanges.

Market Price Data:

The monthly high and low quotation and the volume of shares traded on NSE (with comparison of share price of Bank with NSE Nifty) are as under:

Month	NSE				
	High Price (₹)	Low Price (₹)	No. of Shares	NSE Nifty	
				High	Low
April 2014	57.20	48.30	926822	6869.85	6650.40
May 2014	85.60	52.00	2274451	7563.50	6638.55
June 2014	89.00	72.80	1698732	7700.05	7239.50
July 2014	81.45	66.30	1473276	7840.95	7422.15
August 2014	71.95	61.90	788057	7968.25	7540.10
September 2014	68.80	60.00	503432	8180.20	7841.80
October 2014	67.45	58.15	451085	8330.75	7723.85
November 2014	78.50	67.20	793930	8617.00	8290.25
December 2014	92.65	65.95	24059226	8626.95	7961.35
January 2015	106.00	91.35	1198033	8996.60	8065.45
February 2015	120.60	100.70	1998285	8941.10	8470.50
March 2015	109.50	101.20	1502116	9119.20	8269.15



The monthly high and low quotation and the no. of shares traded on BSE (with comparison of share price of Bank with Sensex) are as under:

Month	BSE			SENSEX	
	High Price (₹)	Low Price (₹)	No. of Shares	High	Low
	April 2014	57.20	48.30	4810636	22939.31
May 2014	85.60	51.90	13760477	25375.60	22277.00
June 2014	88.85	72.80	9418846	25725.12	24270.20
July 2014	81.35	66.50	6645194	26300.17	24892.00
August 2014	72.00	62.00	2866448	26674.38	25232.82
September 2014	68.90	60.00	2240353	27354.99	26220.49
October 2014	67.40	58.05	1663937	27894.32	25910.77
November 2014	78.55	67.20	3649158	28822.37	27739.56
December 2014	92.50	66.60	5976319	28809.64	26469.42
January 2015	105.90	91.35	6433359	29844.16	26776.12
February 2015	121.00	100.35	11796537	29560.32	28044.49
March 2015	109.60	101.25	17159198	30024.74	27248.45

Share Transfers and Redressal of Shareholders'/Investors' Grievances:

Share Transfers, Refund Order, Dividend payments and all other investor related activities are attended to and processed at the office of our Registrar and Transfer Agents. For lodgment of any of these documents and for queries/complaints/grievances, shareholders and investors are requested to contact the Registrars at the following address:

Link Intime India Pvt. Ltd.
 C-13, Pannalal Silk Mills Compound
 LBS Marg, Bhandup (West)
 Mumbai – 400 078
 Tel: 022-25946970
 Fax: 022-25946969
 Email Id: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

Address for correspondence with the Bank:

AGM-MBD / Company Secretary and Compliance officer
 Central Bank of India
 9th Floor, Chandermukhi
 Nariman Point
 Mumbai 400 021
 Contact No. 022- 6638 7818
 Fax No.: 022- 2283 5198
 Email id: agmcompsec@centralbank.co.in; investors@centralbank.co.in

Distribution of shareholdings as on 31.03.2015

DISTRIBUTION OF SHAREHOLDING (SHARES)				
Shareholding of Shares	Number of shareholders	Percentage of Total	Shares	Percentage of Total
1-500	148460	93.44	16938466	1.02
501-1000	6008	3.78	4662110	0.28
1001-2000	2445	1.54	3657153	0.22
2001-3000	681	0.43	1719265	0.11
3001-4000	347	0.22	1242337	0.07
4001-5000	217	0.14	1023384	0.06
5001-10000	373	0.23	2748340	0.17
10001 and above	346	0.22	1626282126	98.07
Total	158877	100.00	1658273181	100.00

Share Holding of persons belonging to the category "Public" and holding more than 1% of the total number of shares
STATEMENT SHOWING SHAREHOLDING OF PERSONS BELONGING TO THE CATEGORY "PUBLIC" AND HOLDING MORE THAN 1% OF THE TOTAL NUMBER OF SHARES

Name of the Shareholder	No. of Shares	%
Life Insurance Corporation of India	222440769	13.41

Share Holding of persons belonging to the category "Public" and holding more than 5% of the total number of shares
STATEMENT SHOWING SHAREHOLDING OF PERSONS BELONGING TO THE CATEGORY "PUBLIC" AND HOLDING MORE THAN 5% OF THE TOTAL NUMBER OF SHARES

Name of the Shareholder	No. of Shares	%
Life Insurance Corporation of India	222440769	13.41

Shareholding pattern as on 31.03.2015

SHAREHOLDING PATTERN AS ON 31.03.2015						
Category of Shareholders	No. of Shares		No. of Shareholders		Total Shares	% of holding
	Demat	Physical	Demat	Physical		
Central Government	1350827438	0	1	0	1350827438	81.46
Clearing Member	1785002	0	276	0	1785002	0.11
Other Bodies Corporate	27013244	90	938	1	27013334	1.63
Directors	133	0	1	0	133	0.00
Financial Institutions	222440769	0	1	0	222440769	13.41
FII's	5525146	0	33	0	5525146	0.33
Government Companies	700	0	1	0	700	0.00
Hindu Undivided Family	102322	0	2	0	102322	0.01
Mutual Fund	74973	0	2	0	74973	0.00
Nationalized Banks	246382	0	5	0	246382	0.01
Non Nationalized Banks	452450	0	3	0	452450	0.03
Non Resident Indians	646221	121600	818	1	767821	0.05
Non Resident (Non Repatriable)	171476	0	271	0	171476	0.01
Public	42312575	15146	156378	119	42327721	2.55
Trusts	121948	0	19	0	121948	0.01
G I C & Its Subsidiaries	6334239	0	5	0	6334239	0.38
Foreign Portfolio Investor (Corporate)	81327	0	2	0	81327	0.01
Total	1658136345	136836	158756	121	1658273181	100.00

Statement showing details of locked-in shares

Sr. No.	Name of the Shareholder	Number of locked-in shares	Locked-in shares as a percentage of total number of shares (i.e. Grand Total of (A) + (B) + (C))
1	PRESIDENT OF INDIA	1350827438	81.46
2	LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA	153965753	9.28
	TOTAL	1504793191	90.74

Statement showing details of Depository Receipts (DRs)

Sr. No.	Type of outstanding DR (ADRs, GDRs, SDRs, etc)	Number of outstanding DRs	Number of shares underlying outstanding DRs	Shares underlying outstanding DRs as a percentage of total number of shares (i.e. Grand Total of (A) + (B) + (C))
1.	NIL	NIL	NIL	NIL



Statements showing holding of Depository Receipts (DRs) where underlying shares are in excess of 1% of the total number of shares.

Sr. No.	Name of the DR holder	Type of outstanding DR (ADRs, GDRs, SDRs, etc)	Number of shares underlying outstanding DRs	Shares underlying outstanding DRs as a percentage of total number of shares (i.e. Grand Total of (A) + (B) + (C)
	NIL	NIL	NIL	NIL

Dematerialization of Shares

The Bank's shares are being traded compulsorily in Demat form. The Bank had already entered into agreements with both the Depositories viz., National Securities Depositories Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for dematerialization of shares.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by shareholders as on 31.03.2015 are as under:

	No. of shareholders	No. of shares	% shareholding
Physical	121	136836	0.01
NSDL	102158	282152028	17.01
CDSL*	56598	1375984317	82.98
Total	158877	1658273181	100.00

* Including 1350827438 (81.46%) held IN DEMAT form by the Central Government.

There are no outstanding GDRs / ADRs /warrants or any convertible instruments.

Shares in Unclaimed Suspense Account:

In terms Clause 5A of Listing Agreements, the Shares outstanding in "**Unclaimed Suspense Account**" as on 31st March, 2015 are as under:

Sr. No.	Particulars	Aggregate number of Shareholders	Aggregate outstanding Shares
(i)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Unclaimed Suspense Account at the beginning of the year	262	34,725
(ii)	Number of shareholders who approached the issuer for transfer of shares from Unclaimed Suspense Account during the year	7	426
(iii)	Number of shareholders to whom shares were transferred from the Unclaimed Suspense Account during the year	7	426
(iv)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Unclaimed Suspense Account at the end of the year	255	34,299

Certificate of Compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance

The certificate issued by the statutory auditors of the Bank, in compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance in the Listing Agreement with the Stock Exchange is attached.

Annexure I

Declaration of Compliance with Code of Conduct

I confirm that all Board Members & Senior Management have affirmed Compliance with the Bank's Code of Conduct for the financial year 2014-15.

Place : Delhi

Date : May 25, 2015

Sd/-

[Rajeev Rishi]

Chairman and Managing Director



CERTIFICATION UNDER CLAUSE 49 OF THE LISTING AGREEMENT

The Board of Directors
Central Bank of India

This is to certify that:

- a. We have reviewed financial statements and the cash flow statement of Central Bank of India for the year 2014-15 and to the best of our knowledge and belief:
 - I. These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading
 - II. These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing Accounting Standards, applicable law and regulations.
- b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year 2014-15, which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.
- c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for the financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- d. We have indicated to the auditors and the Audit Committee
 - I. Significant changes in internal control over financial reporting during the year 2014-15;
 - II. There is no significant changes in accounting policies during the year 2014-15 and the same have been disclosed in the notes to the financial statement and
 - III. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or any employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

(B.K.SINGAL)
GENERAL MANAGER & CFO

(RAJEEV RISHI)
CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR

Place : Mumbai

Date : May 12, 2015

**CERTIFICATE****To the Members of Central Bank of India**

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Central Bank of India for the year ended on 31st March, 2015 as stipulated in clause 49 of the Listing Agreement of Central Bank of India with stock exchanges.

The Compliance of conditions of corporate governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by Central Bank of India for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of Central Bank of India.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that Central Bank of India has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement.

We state that no investor grievance is pending against Central Bank of India as per the records maintained by the Stakeholders' Relationship Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of Central Bank of India.

For KUMAR CHOPRA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No. 000131N

(CA R.K.AGGARWAL)
PARTNER
M.No. 081510

For P.K. SUBRAMANIAM & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No. 004135S

(CA SRIGOPAL INNANI)
PARTNER
M.No. 210087

For DOOGAR & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No. 000561N

(CA MUKESH GOYAL)
PARTNER
M.No. 081810

For N. SARKAR & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No. 301075E

(CA M. RAY)
PARTNER
M.No. 012940

For B.N. MISRA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No. 321095E

(CA B.N. MISRA)
PARTNER
M.No. 083927

For CHANDABHOY & JASSOOBHOY
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.101647W

(CA AMBESH A. DAVE)
PARTNER
M.No. 049289

Place : Mumbai

Date: May 12, 2015

KUMAR CHOPRA & ASSOCIATES

B-12 (Ground Floor)
Kalindi Colony,
Near Maharani Bagh,
New Delhi- 110065

N SARKAR & CO.

21 Prafulla Sarkar Street
2nd floor
Kolkata- 700072,
West Bengal

P K SUBRAMANIAM & CO.

11-5-23, Kartik Complex
Above Vijaya Bank, Bresthwarpet
Raichur- 584101, Karnataka

B N MISRA & CO.

S-29 , Maitri Vihar, Phase – II
In front of Satyam Development Centre
Bhubaneshwar- 751023
Orissa

DOOGAR & ASSOCIATES

13, Community Centre,
East of Kailash,
New Delhi - 110065

CHANDABHOY & JASSOOBHOY

208, Phoenix House, A wing, 462,
Senapati Bapat Marg, Lower Parel,
Mumbai-400013
Maharashtra

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To
The President of India

Report On The Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of Central Bank of India as at March 31, 2015 which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2015 and Profit and Loss Account and Cash Flow Statement for the year then ended and a summary of significant Accounting Policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 Branches, 37 Regional Offices audited by us out of a total of 4689 branches, 80 Regional Offices, and 1819 branches audited by other branch auditors. Also incorporated in the Balance Sheet and Profit and Loss Account are the returns of 2850 branches, 43 Regional Offices which have not been subjected to audit. The unaudited branches account for 9.97% of advances, 30.75% of deposits, 6.69% of interest income and 24.37% of interest expense. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by Bank in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. Management of the Bank is responsible for the preparation of these financial statements that give true and fair view of the financial position and financial performance of the Bank in accordance with Banking Regulation Act, 1949 and complying with Reserve Bank of India Guidelines issued from time to time. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the financial statements that are free from material misstatements, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.
4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statement. The procedures selected depend on the auditor's judgement including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion, as shown by the books of the bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us, we report that:
 - i. The Balance Sheet read with the Significant Accounting Policies and Notes thereon, is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at March 31, 2015, in conformity with accounting principles generally accepted in India.
 - ii. The Profit and Loss Account, read with the Significant Accounting Policies and Notes thereon shows a true balance of Profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and
 - iii. The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.



Report on Other Legal and Regulatory requirements

7. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms 'A' & 'B' respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.
8. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
 - a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.
 - b) The transactions of the Bank which have come to our notice have been within the powers of the Bank.
 - c) The returns received from the Offices and Branches of the Bank, as supplemented with the information furnished by the Management, have been found adequate for the purposes of our audit.
9. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards.

For KUMAR CHOPRA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No. 000131N

For P.K. SUBRAMANIAM & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No. 004135S

For DOOGAR & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No. 000561N

(CA R.K.AGGARWAL)
PARTNER
M.No. 081510

(CA SRIGOPAL INNANI)
PARTNER
M.No. 210087

(CA MUKESH GOYAL)
PARTNER
M.No. 081810

For N. SARKAR & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No. 301075E

For B.N. MISRA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No. 321095E

For CHANDABHOY & JASSOOBHOY
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.101647W

(CA M. RAY)
PARTNER
M.No. 012940

(CA B.N. MISRA)
PARTNER
M.No. 083927

(CA AMBESH A. DAVE)
PARTNER
M.No. 049289

Place : Mumbai
Date: May 12, 2015



BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2015

(000's Omitted)

PARTICULARS	SCHEDULE NO.	AS AT 31-Mar-15 ₹	AS AT 31-Mar-14 ₹
CAPITAL & LIABILITIES			
Capital	1	16,582,732	29,674,393
Reserves and Surplus	2	157,986,391	128,211,183
Deposits	3	2,555,723,949	2,400,689,887
Borrowings	4	259,741,335	220,797,760
Other Liabilities and Provisions	5	129,370,581	115,589,021
TOTAL		3,119,404,988	2,894,962,244
ASSETS			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	141,148,487	119,266,293
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	6,954,343	4,514,037
Investments	8	954,739,183	861,351,399
Advances	9	1,884,775,325	1,773,151,717
Fixed Assets	10	28,331,615	28,043,893
Other Assets	11	103,456,035	108,634,905
TOTAL		3,119,404,988	2,894,962,244
Contingent Liabilities	12	908,926,711	885,525,147
Bills for Collection	-	110,608,049	76,717,357
Principal Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		

The schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

R.C. LODHA
Executive Director

B.K. DIVAKARA
Executive Director

R. K. GOYAL
Executive Director

RAJEEV RISHI
Chairman & Managing Director

Place : Mumbai
Date: May 12, 2014



SAURABH GARG
DIRECTOR

SHEKHAR BHATNAGAR
DIRECTOR

M.P.SHORAWALA
DIRECTOR

KRISHAN SETHI
DIRECTOR

Ms. N.S.RATHNAPRABHA
DIRECTOR

S.B.RODE
DIRECTOR

GURBAX KUMAR JOSHI
DIRECTOR

For KUMAR CHOPRA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000131N

For P.K. SUBRAMANIAM & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.004135S

For DOOGAR & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000561N

(CA R.K.AGGARWAL)
PARTNER
M.No.081510

(CA SRIGOPAL INNANI)
PARTNER
M.No.210087

(CA MUKESH GOYAL)
PARTNER
M.No.081810

For N. SARKAR & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.301075E

For B.N. MISRA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.321095E

For CHANDABHOY & JASSOOBHOY
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.101647W

(CA M. RAY)
PARTNER
M.No.012940

(CA B.N.MISRA)
PARTNER
M.No.083927

(CA AMBESH A.DAVE)
PARTNER
M.No.049289

As per our report of even date

Place : Mumbai

Date: May 12, 2015



PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2015

				(000's Omitted)	
PARTICULARS	SCHEDULE NO.	YEAR ENDED 31-Mar-15 ₹	YEAR ENDED 31-Mar-14 ₹		
I. INCOME					
Interest Earned	13	264,087,794	244,275,497		
Other Income	14	18,942,315	19,225,805		
TOTAL		283,030,109	263,501,302		
II. EXPENDITURE					
Interest Expended	15	191,617,105	179,331,646		
Operating Expenses	16	55,821,792	51,789,354		
Provisions and Contingencies		29,526,730	45,008,721		
TOTAL		276,965,627	276,129,721		
III. PROFIT/ LOSS					
Net Profit for the year		6,064,482	(12,628,419)		
Profit brought forward		0	15,779		
TOTAL		6,064,482	(12,612,640)		
IV. APPROPRIATIONS					
Transfer to :					
Statutory Reserve		1,516,100	-		
Investment Reserve		538,300	425,368		
Special Reserve u/s 36(1)(viii)		-	-		
Staff Welfare Fund		181,900	-		
Revenue Reserve		-	-		
Fund in lieu of Insurance		20,000	-		
Proposed Dividend - Preference Capital		-	-		
Proposed Dividend - Equity Capital		829,100	-		
Dividend Tax		168,800	-		
Balance Carried Over to Balance Sheet		2,810,282	(13,038,008)		
TOTAL		6,064,482	(12,612,640)		
EPS (Basic & Diluted)		4.27	(11.10)		
Principal Accounting Policies	17				
Notes to Accounts	18				

The schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account

R.C. LODHA
Executive Director

B.K. DIVAKARA
Executive Director

R. K. GOYAL
Executive Director

RAJEEV RISHI
Chairman & Managing Director

Place : Mumbai
Date: May 12, 2015



SAURABH GARG
DIRECTOR

KRISHAN SETHI
DIRECTOR

SHEKHAR BHATNAGAR
DIRECTOR

Ms. N.S.RATHNAPRABHA
DIRECTOR

GURBAX KUMAR JOSHI
DIRECTOR

M.P.SHORAWALA
DIRECTOR

S.B.RODE
DIRECTOR

For KUMAR CHOPRA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000131N

(CA R.K.AGGARWAL)
PARTNER
M.No.081510

For N. SARKAR & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.301075E

(CA M. RAY)
PARTNER
M.No.012940

For P.K. SUBRAMANIAM & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.004135S

(CA SRIGOPAL INNANI)
PARTNER
M.No.210087

For B.N. MISRA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.321095E

(CA B.N.MISRA)
PARTNER
M.No.083927

For DOOGAR & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000561N

(CA MUKESH GOYAL)
PARTNER
M.No.081810

For CHANDABHOY & JASSOOBHOY
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.101647W

(CA AMBESH A.DAVE)
PARTNER
M.No.049289

As per our report even date

Place : Mumbai

Date: May 12, 2015



SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2015

PARTICULARS	AS AT 31/03/2015		AS AT 31/03/2014	
	₹	₹	₹	₹
(000's Omitted)				
SCHEDULE 1 : CAPITAL				
Authorised Capital		50,000,000		
500,00,00,000 shares of ₹ 10/- each (previous year 300,00,00,000 shares) of ₹ 10/- each				30,000,000
Issued, Subscribed and Paid up Capital :				
Equity Shares	16,582,732		13,504,393	
1,65,82,73,181 Equity Shares (previous year 1,35,04,39,315 equity shares) of ₹ 10/- each (includes 135,08,27,438 equity shares (previous year 119,69,59,325 equity shares) of ₹ 10/- each held by Central Govt.)				
Perpetual non-cumulative Preference Share capital (161,70,00,000 Preference Shares of ₹ 10/- each)	-		16,170,000	
(Refer note - 1 in Schedule - 18)				
TOTAL		16,582,732		29,674,393
SCHEDULE 2 : RESERVES AND SURPLUS				
I. Statutory Reserves				
Balance as per last Balance Sheet	19,119,879		19,119,879	
Additions during the year	1,516,100		-	
		20,635,979		19,119,879
II. Capital Reserves				
i) Revaluation Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	18,401,204		18,675,821	
Deductions during the year	259,604		274,617	
		18,141,600		18,401,204
ii) Investment Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	4,871,085		4,445,717	
Additions during the year	538,300		425,368	
		5,409,385		4,871,085
III. Share Premium				
Balance as per last Balance Sheet	74,383,893		59,442,517	
Additions/ Adjustments during the year	25,170,130		14,941,376	
		99,554,023		74,383,893
IV. Revenue and Other Reserves				
i) Revenue Reserves				
Balance as per last Balance Sheet	23,473,130		23,813,030	
Additions during the year(SWFund)			-	
Less: Deductions during the year			339,900	
		23,473,130		23,473,130
V. Special Reserve U/s 36(1)(viii) of Income Tax Act		1,000,000		1,000,000
VI. Balance in Profit and Loss Account		(10,227,726)		(13,038,008)
TOTAL		157,986,391		128,211,183


SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2015

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31/03/2015		AS AT 31/03/2014	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 3 : DEPOSITS				
A. I. Demand Deposits				
i) From Banks	9,161,917		17,122,616	
ii) From Others	122,862,383		118,247,237	
		132,024,300		135,369,853
II. Savings Bank Deposits		738,098,898		664,737,461
III. Term Deposits				
i) From Banks	54,173,510		47,083,332	
ii) From Others	1,631,427,241		1,553,499,241	
		1,685,600,751		1,600,582,573
TOTAL		2,555,723,949		2,400,689,887
B. i) Deposits of Branches in India				
		2,555,723,949		2,400,689,887
ii) Deposits of Branches outside India				
		-		-
SCHEDULE 4 : BORROWINGS				
I. Borrowings in India				
i) Reserve Bank of India	142,071,241		63,389,835	
ii) Other Banks	0		31,904	
iii) Other Institutions & Agencies	37,679,594		42,674,021	
iv) Unsecured Redeemable Bonds(Subordinated Debt)	24,373,000		26,373,000	
v) Upper Tier II bonds	28,850,000		28,850,000	
vi) Innovative Perpetual Debt Instrument	10,830,000		10,830,000	
vii) Unsecured Redeemable NC Basel III Bonds(Tier II)	10,000,000		10,000,000	
		253,803,835		182,148,760
II. Borrowings outside India		5,937,500		38,649,000
TOTAL		259,741,335		220,797,760
Secured Borrowings included in I & II above		Nil		Nil
SCHEDULE 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS				
I. Bills Payable		8,682,760		7,655,224
II. Inter Office Adjustments (Net)		-		-
III. Interest Accrued		15,519,233		16,609,209
IV. Deferred Tax Liability		1,100,100		5,966,000
V. Others(including provisions)		104,068,488		85,358,588
TOTAL		129,370,581		115,589,021



SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2015

PARTICULARS	AS AT 31/03/2015		AS AT 31/03/2014	
	₹	₹	₹	₹
(000's Omitted)				
SCHEDULE 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA				
I. Cash in Hand (including foreign currency notes)		22,638,009		13,631,661
II. Balances with Reserve Bank of India				
In Current Accounts	118,510,478		104,634,632	
In Other Accounts	-		1,000,000	
		118,510,478		105,634,632
TOTAL		141,148,487		119,266,293
SCHEDULE 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE				
I. In India				
i) Balances with Banks				
a) In Current Accounts	3,033,855		2,580,999	
b) In Other Deposit Accounts	11,139		23,510	
ii) Money at Call and Short Notice				
a) With Banks	2,000,000		-	
b) With Other Institutions	-		-	
		5,044,994		2,604,509
II. Outside India				
a) In Current Accounts	1,909,349		1,909,528	
b) In Other Deposit Accounts	-		-	
c) Money at Call & Short Notice	-		-	
		1,909,349		1,909,528
TOTAL		6,954,343		4,514,037
SCHEDULE 8 : INVESTMENTS				
I. Investments in India in : *				
i) Government Securities	754,101,488		678,911,210	
ii) Other approved Securities	-		-	
iii) Shares	12,834,462		14,005,581	
iv) Debentures and Bonds	100,454,377		98,190,467	
v) Subsidiaries and Sponsored Institutions	3,039,987		3,039,987	
vi) Others (UTI Shares & Commercial Papers, Mutual Fund Units etc.)	83,833,984		67,197,560	
		954,264,298		861,344,805
II. Investments outside India in **				
Subsidiaries and / or Associates abroad		474,885		6,594
TOTAL		954,739,183		861,351,399


SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2015

PARTICULARS	AS AT 31/03/2015		AS AT 31/03/2014	
	₹	₹	₹	₹
(000's Omitted)				
* Investments in India				
Gross Value	956,070,746		863,831,177	
Less: Provision for Depreciation	1,806,448		2,486,372	
Net Value		954,264,298		861,344,805
** Investments outside India				
Gross Value	474,885		6,594	
Less: Provision for Depreciation	-		-	
Net Value		474,885		6,594
SCHEDULE 9 : ADVANCES				
A. i) Bills Purchased and Discounted	20,953,233		22,349,315	
ii) Cash Credits, Overdrafts & Loans repayable on demand	728,496,913		666,721,579	
iii) Term Loans	1,135,325,179		1,084,080,823	
TOTAL		1,884,775,325		1,773,151,717
B. Particulars of Advances :				
i) Secured by Tangible Assets (including advances against Book Debts)	1,648,180,533		1,551,805,889	
ii) Covered by Bank / Government Guarantees	85,551,934		1,968,784	
iii) Unsecured	151,042,858		219,377,044	
TOTAL		1,884,775,325		1,773,151,717
C. Sectoral Classification of Advances				
(I) Advances in India				
i) Priority Sectors	697,307,405		614,219,801	
ii) Public Sector	208,996,695		208,482,642	
iii) Banks	8,689		3,093	
iv) Others	978,462,536		950,446,181	
TOTAL		1,884,775,325		1,773,151,717
(II) Advances outside India		-		-
SCHEDULE 10 : FIXED ASSETS				
I. Premises				
(At cost / revalued cost)				
Balance as at 31st March of the preceding year	24,747,330		24,731,464	
Additions during the year	103,644		15,866	
Total	24,850,974		24,747,330	
Depreciation to date	5,074,659		4,742,356	
Total		19,776,315		20,004,974



SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2015

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31/03/2015		AS AT 31/03/2014	
	₹	₹	₹	₹
II. Other Fixed Assets				
(Including furniture and fixtures)				
At cost as at 31st March of the preceding year	20,430,426		17,075,169	
Additions / Adjustments during the year	10,894,019		3,957,602	
Total	31,324,445		21,032,771	
Deductions / Adjustments during the year	8,403,607		602,345	
Total	22,920,838		20,430,426	
Depreciation to Date	14,365,538		12,391,507	
Total		8,555,300		8,038,919
TOTAL (I & II)		28,331,615		28,043,893
SCHEDULE 11 : OTHER ASSETS				
I. Interest accrued	18,397,719		17,575,083	
II. Tax paid in advance / Tax deducted at source (Net of Provisions)	30,392,928		28,499,710	
III. Stationery and Stamps	186,236		177,997	
IV. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	-		-	
V. Inter Office Adjustments	35,396,476		30,889,755	
VI. Others	19,082,676		31,492,360	
TOTAL		103,456,035		108,634,905
SCHEDULE 12 : CONTINGENT LIABILITIES				
I. (a) Claims against the Bank not acknowledged as Debts		1,094,250		1,196,346
(b) Disputed income tax demands under appeals, revisions, etc		18,134,088		14,005,895
II. Liability for partly paid Investments				
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts		667,746,178		640,602,389
IV. Guarantees given on behalf of constituents				
a) In India	104,223,884		103,363,304	
b) Outside India	10,854,478		5,673,489	
		115,078,362		109,036,793
V. Acceptances, Endorsements and Other Obligations		99,123,833		112,332,617
VI. Other item for which the bank is contingently liable		7,750,000		8,351,107
TOTAL		908,926,711		885,525,147


**SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT & LOSS ACCOUNT
 FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2015**

PARTICULARS	(000's omitted)	
	YEAR ENDED 31-Mar-15 ₹	YEAR ENDED 31-Mar-14 ₹
SCHEDULE 13 : INTEREST EARNED		
I. Interest / Discount on Advances / Bills	195,172,825	186,199,927
II. Income on Investments	67,070,568	57,638,523
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank funds	314,608	328,388
IV. Others	1,529,793	108,659
TOTAL	264,087,794	244,275,497
SCHEDULE 14 : OTHER INCOME		
I. Commission, Exchange and Brokerage	8,772,569	8,216,712
II. Profit on Sale of Investments (Net)	6,176,583	4,553,669
III. Profit / (Loss) on Revaluation of Investments	-	-
IV. Profit / (Loss) on Sale of Land, Buildings and other Assets (Net)	(6,430)	(11,930)
V. Profit on Exchange Transactions (Net)	2,020,268	1,987,237
VI. Income earned by way of dividends etc. from Subsidiaries and Associates abroad / in India	34,150	27,850
VII. Miscellaneous Income	1,945,175	4,452,267
TOTAL	18,942,315	19,225,805
SCHEDULE 15 : INTEREST EXPENDED		
I. Interest on Deposits	175,203,052	163,745,653
II. Interest on Reserve Bank of India / Inter-Bank borrowings	3,478,463	3,808,835
III. Others	12,935,590	11,777,158
TOTAL	191,617,105	179,331,646
SCHEDULE 16 : OPERATING EXPENSES		
I. Payments to and Provisions for employees	38,249,398	35,370,097
II. Rent, Taxes and Lighting	3,679,008	3,335,613
III. Printing and Stationery	501,251	471,832
IV. Advertisement and Publicity	254,425	265,435
V. Depreciation on Bank's property	2,292,421	2,085,474
VI. Directors' Fees, Allowances and Expenses	7,358	8,981
VII. Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors)	224,376	173,454
VIII. Law Charges	194,871	184,823
IX. Postages, Telegrams, Telephones etc.	651,628	528,537
X. Repairs and Maintenance	743,899	587,688
XI. Insurance	2,445,502	1,961,264
XII. Other Expenditure	6,577,655	6,816,156
TOTAL	55,821,792	51,789,354



SCHEDULE 17 - PRINCIPAL ACCOUNTING POLICIES

1. Accounting Conventions:

The financial statements have been prepared by following the going concern concept on the historical cost basis except in respect of the Revaluation of Premises and confirm, in all material aspects, to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by Reserve Bank of India (RBI), Accounting Standards (AS) and pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the prevailing practices within the Banking industry in India.

2. Transactions involving Foreign Exchange:

2.1 **Monetary Assets and Liabilities in Foreign Currencies are translated at the Exchange Rates prevailing at the year end as notified by FEDAI and the resultant Profit/ Loss is recognised in Profit and Loss Account.**

2.2 **Income and Expenditure items are translated at the exchange rates ruling on the respective date of transactions.**

2.3 **Guarantees, Letters of Credit, Acceptances, Endorsements, and other obligations in Foreign Currencies are translated at the year end rates notified by FEDAI.**

2.4 **Outstanding Forward Contracts are translated at the year end rates notified by FEDAI and the resultant profit/loss is recognized in Profit and Loss Account.**

3. Investments:

3.1 In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India, Investments are classified into "Held to Maturity", "Held for Trading" and "Available for Sale" categories. However, for disclosure in the Balance Sheet, investments are classified under the following heads :

- i) Government Securities
- ii) Other Approved Securities
- iii) Shares
- iv) Debentures and Bonds
- v) Subsidiaries and sponsored institutions and
- vi) Others (UTI Shares, Commercial Papers and units of Mutual Funds.)

3.2 Basis of Classification :

Classification of an Investment is done at the time of purchase into the following categories:

i) Held to Maturity

These comprise of investments, the bank intends to hold on till maturity.

ii) Held for Trading

Securities which are principally held for resale within 90 days from the date of purchase.

iii) Available for Sale

Investments that cannot be classified in the above categories.

3.3 Transfer of Securities between categories :

The transfer/ shifting of securities between the three categories of investments is accounted at the lower of acquisition cost/ book value or market value on the date of the transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.



3.4 Valuation :

a) Held to Maturity :

The investments classified under this category are valued at acquisition cost. The excess of acquisition cost / book value over the face value is amortised over the remaining period of maturity on day to day basis.

b) Available for sale :

Investments under this category are marked to market, scrip-wise, at quarterly intervals as under:

i) Central Government Securities	At market price as per quotation put out by Stock Exchange / FIMMDA / PDAI.
ii) State Government Securities, Securities Guaranteed by Central / State Government, PSU Bonds	On appropriate yield to maturity basis.
iii) Treasury Bills/ Certificates of Deposits/ Commercial Paper	At carrying cost
iv) Equity Share	a)Quoted : At market price. b)Unquoted: At book value per share, if latest (Not more than one year old) Balance Sheet is available, or Re.1.00 per company if latest Balance Sheet is not available.
v) Preference Share	a)Quoted : At market price. b)Unquoted: On appropriate yield to maturity.
vi) Debentures and Bonds	a)Quoted : At market price. b)Unquoted: On appropriate yield to maturity.
vii) Mutual Fund	a)Quoted : At market price. b)Unquoted: At repurchase price or Net Asset Value (where repurchase price is not available).
viii) Venture Capital	Declared NAV or break up NAV as per audited balance sheet which is not more than 18 months old. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at ₹1/- per VCF.

The net depreciation under each classification is provided for, without adjusting the book value of the securities and net appreciation, if any, is ignored.

c) Held for Trading :

Investments under this category are valued at monthly intervals at market rates, wherever available, or as per the prices declared by FIMMDA. The net depreciation under each classification is provided for, without adjusting the book value of the securities and net appreciation, if any, is ignored.

3.5 Determination of Cost :

Cost of investments is determined on the basis of Weighted Average Cost method.

3.6 Income Recognition :

- i) The Profit or loss on sale/ redemption of investments is taken to the Profit and Loss Account. However, in case of profit on sale/ redemption of investments from 'Held to Maturity' category, an equivalent amount is appropriated to the 'Capital Reserve'.
- ii) In respect of securities included in any of the three categories of investments where interest/ principal is in arrears, for more than 90 days, income is not reckoned and appropriate provision for the depreciation in the value of the investments is made, as per prudential norms applicable to non-performing advances. Debentures/ Bonds in the nature of advances are subjected to usual prudential norms applicable to advances.



- iii) State Government guaranteed exposures is classified as Sub Standard/ Doubtful/ Loss, as the case may be if interest and/ or principal or any other amount due to the Bank remains overdue for more than 90 days and necessary provisions are made as per Prudential Norms.
- iv) Brokerage, incentive, front-end fees etc., received on purchase of securities are reduced from the cost of investments.
- v) Expenses such as brokerage, fees, commission or taxes incurred at the time of acquisition of securities is charged to revenue.
- vi) The broken period interest on sale or purchase of securities is treated as revenue item.

4. Derivatives

Derivatives used for hedging are accounted as under :

- i) Marked to market in cases where the underlying Assets/ Liabilities are marked to market. The resultant gain/ loss is recognised in the Profit & Loss Account.
- ii) Interest Rate Swaps which hedges interest bearing assets or liabilities are accounted for on accrual basis in cases where underlying Asset/ Liabilities are not marked to market.
- iii) Gain or losses on the termination of Swaps are recognised over the shorter of the remaining contractual life of the Swap or the remaining life of the assets/ liabilities.

5. Advances:

- 5.1 **Advances are classified as Standard, Sub-Standard, Doubtful or Loss Assets and Provisions required in respect thereof are made as per the Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India.**
- 5.2 **Recoveries in NPA account is first appropriated towards the principal irregularity except in case of suit filed, decreed accounts and compromise cases where recovery is first appropriated towards principal or as per the terms of decree/ settlement.**
- 5.3 **Advances are shown net of provisions (in case of NPA), Unrealised Interest, amount recovered from borrowers held in Sundries and amount recovered from CGTSI/ ECGC.**

Provision for Standard Assets is included in Other Liabilities and Provisions- Others.

5.4 Financial Assets sold are recognized as under:

- 5.4.1 In case the sale is at a price lower than the Net Book Value (NBV) the shortfall is charged to the Profit and Loss Account.
- 5.4.2 If the sale to SC/RC is at a price below the NBV (i.e. book value less provisions held), the shortfall is debited to the Profit and Loss account of that year.
- 5.4.3 In case the sale is at a price higher than the NBV on cash basis, the surplus is taken to the credit of Profit and Loss Account.
- 5.4.4 If the sale to SC/RC is for a value higher than the NBV the excess provision to the extent of cash recovery is credited to the Profit and Loss Account and balance excess provision is retained to be utilised to meet shortfall/loss on account of sale of other financial assets to SC/RC.

6. Fixed Assets/Depreciation:

6.1 Fixed Assets are depreciated under 'Written Down Value Method' at the following rates (other than computers which are depreciated on Straight Line Method):

- i) Premises
At varying rates based on estimated life
- ii) Furniture, Lifts, Safe Vaults 10%
- iii) Vehicles 20%
- iv) Air conditioners, Coolers, Typewriters etc. 15%
- v) Computers including Systems Software 33.33%

(Application Software is charged to the Revenue during the year of acquisition.)



- 6.2 In the case of assets, which have been revalued, the depreciation is provided on the revalued amount and the incremental depreciation attributable to the revalued amount is adjusted to the 'Revaluation Reserve'.
- 6.3 Depreciation on additions to assets, made upto 30th September is provided for the full year and on additions made thereafter, is provided for the half year. No depreciation is provided on assets sold before 30th September and depreciation is provided for the half year for assets sold after 30th September.
- 6.4 Cost of leasehold land is amortised over the period of lease. In the case of revaluation, the difference between the original cost and revalued amount is amortised over the remaining period of the lease and is adjusted to the 'Revaluation Reserve'.
- 6.5 Where it is not possible to segregate the cost of Land and Premises, Depreciation is charged on the composite cost.

7. Staff Benefits:

- 7.1 Annual contribution to Gratuity, Pension Funds and Leave Encashment are determined on the basis of actuarial valuation and the amount is recognized in the books of account of the Bank as per the liability estimated by the Actuary.
- 7.2 In respect of employees who have opted for Provident Fund Scheme, a matching contribution is made.
8. Recognition of Income and Expenditure:
- 8.1 Income/ Expenditure is generally accounted for on accrual basis except for income to be accounted for on cash basis as per regulatory provisions.
- 8.2 In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India vide circular No. DBOD.No.BP. BC.89/21.4.018/2002-03 dated 29.03.2003, prior period disclosures are made in respect of any item which exceeds one percent of the total income/total expenditure.
- 8.3 Provision for interest payable on overdue deposits is made as per Reserve Bank of India guidelines.

9. Income Tax:

The provision for tax for the year comprises of current tax liability computed in accordance with the applicable tax laws and the deferred tax which recognizes, timing differences between taxable income and accounting income that originate in one period and capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets are not recognized unless there is 'virtual certainty' that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized. Disputed tax liabilities are accounted for in the year of finality of assessment/ appellate proceedings and till such times they are shown as contingent liability.

R.C. LODHA
Executive Director

B.K.DIVAKARA
Executive Director

R.K. GOYAL
Executive Director

RAJEEV RISHI
Chairman & Managing Director

SAURABH GARG
DIRECTOR

SHEKHAR BHATNAGAR
DIRECTOR

M.P.SHORAWALA
DIRECTOR

KRISHAN SETHI
DIRECTOR

Ms. N.S.RATHNAPRABHA
DIRECTOR

S.B.RODE
DIRECTOR

GURBAX KUMAR JOSHI
DIRECTOR

For KUMAR CHOPRA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000131N

For P.K. SUBRAMANIAM & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.004135S

For DOOGAR & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000561N

(CA R.K.AGGARWAL)
PARTNER
M.No.081510

(CA SRIGOPAL INNANI)
PARTNER
M.No.210087

(CA MUKESH GOYAL)
PARTNER
M.No.081810

For N. SARKAR & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.301075E

For B.N. MISRA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.321095E

For CHANDABHOY & P JASSOOBHOY
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.101647W

(CA M. RAY)
PARTNER
M.No.012940

(CA B.N.MISRA)
PARTNER
M.No.083927

(CA AMBESH A.DAVE)
PARTNER
M.No.049289

Place : Mumbai
Date: May 12, 2015



SCHEDULE 18 - NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS

1. Capital:

Paid up Equity Share Capital of the Bank as on 31.03.2015 is ₹1658.27 crore increased from ₹ 1350.44 crore of previous year by issue of fresh equity shares of ₹ 10/- each as detailed below:

1. Issue of equity share for ₹ 71.08 crore at a premium of ₹ 71.83 per share on 1st August 2014.
2. Issue of equity share for ₹ 82.89 crore at a premium of ₹ 65.55 per share on 1st January 2015.
3. Issue of equity shares for ₹ 153.86 crore at a premium of ₹ 95.09 per share to Government of India on 24th March 2015 by conversion of 1617000000 Perpetual Non-cumulative Preference Shares of the value of ₹ 10/- each held by Government of India aggregating up to ₹ 1617.00 crores

2. Balancing of Books / Reconciliation:

- The reconciliation of the following items are in progress :
- Inter Branch/Office Balance
- Inter Bank Accounts
- System Suspense Account
- Suspense Accounts
- Clearing & other Adjustment Accounts
- Balances related to ATM
- Certain balances in nominal account
- NOSTRO Accounts
- Mirror Accounts maintained by Centralcard Department

The management is of the opinion that the overall impact, if any, on the accounts will not be significant.

3. Income Tax / Deferred Tax:

- 3.1 Provision for Income Tax for the year is arrived at after due consideration of relevant statutory provisions and judicial decisions on disputed issues.
- 3.2 Other Assets [Schedule 11 (ii)] includes ₹ 1813.41 crore (previous year ₹ 1400.59 crore) towards disputed Income Tax paid by the Bank or adjusted by the Income Tax department. Provision for disputed amount of taxation is not considered necessary by the Bank on the basis of various judicial pronouncements and favourable decisions in Bank's own case.

4. Premises:

Premises owned by the Bank include properties costing ₹ 32.06 crore (Previous Year ₹ 55.22 crore) for which registration formalities are still in progress.

5. Advances / Provisions:

- 5.1 Advances to units which have become sick including those under nursing/ rehabilitation/ restructuring programme and other advances classified as doubtful/ loss assets have been considered secured/ recoverable to the extent of estimated realizable value of securities carrying first or second charge based on valuers' assessment of properties/ assets mortgaged to the Bank and other data available with the Bank.
 - 5.2 In accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India, the Bank has utilized the Floating Provision of ₹ 100.56 crore (previous year ₹ 103.09 crore) and Countercyclical Provision of ₹ 47.34 crore (previous year ₹ 46.63 crore) being 50% (previous year 33%) of amount outstanding in these accounts towards specific provision for NPAs. The Bank has netted the balance Floating Provision amount of ₹ 100.56 crores (previous year ₹ 209.34 crore) and Countercyclical Provision amount of ₹ 47.34 crore (previous year ₹ 94.67 crore) from gross NPAs to arrive at net NPAs.
6. The following information is disclosed in terms of guidelines issued by Reserve Bank of India :



a. Capital

Sl.No	Items	31.03.2015	31.03.2014
1.	CRAR (%) Basel-II Basel-III	11.89 10.90	11.96 9.87
2.	CRAR-Tier-I Capital (%) Basel-II Basel-III	8.46 8.05	8.12 7.37
3.	CRAR-Tier-II Capital (%) Basel-II Basel-III	3.43 2.85	3.84 2.50
4.	Percentage of Equity share holding of Govt. of India.	81.46%	88.63%
5.	Amount of Tier-II instruments raised during the year (₹ in crore)	NIL	1000
6.	Amount of Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) raised as Tier-I capital during the year (₹ in crore)	NIL	NIL
7.	Issue of Equity shares through QIP route (₹ in crore) Share Capital Share Premium	NIL	NIL

The above data has been compiled on the basis of guidelines of Reserve Bank of India and estimates in respect of certain Off Balance Sheet items, made by the management and relied upon by the Auditors.

b.(i) Investments

(₹ in crore)

Items		31.3.2015	31.3.2014
1)	Value of Investments		
i)	Gross Value of Investments	95654.55	86383.78
	a) In India	95607.07	86383.12
	b) Outside India	47.48	0.66
ii)	Provisions for Depreciation	180.64	248.63
	a) In India	135.51	219.31
	Excess provision for depreciation (held at shifting) over current valuation	45.13	29.32
	b) Outside India	0.00	0.00
iii)	Net Value of Investments	95473.91	86164.47
	a) In India	95426.43	86163.81
	b) Outside India	47.48	0.66
2)	Movement of Provisions held towards depreciation on Investments		
i)	Opening Balance	248.64	139.36
ii)	Add: Provisions made during the year	96.07	371.14
iii)	Less: Write off Prov./ Write Back Prov.	164.07	261.87
iv)	Closing Balance	180.64	248.63



(ii) Repo Transactions

(₹ in crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Outstanding as on March 31, 2015
Securities sold under Repo				
I. Government Securities	0.00	4602.00	361.00	1651.96
I. Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00
Securities purchased under Reverse Repo				
I. Government Securities	0.00	1184.00	25.89	0.00
II. Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00

(iii) Non SLR Investment Portfolio

Issuer wise composition of Non SLR Investments

(₹ in crore)

No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placem-ent	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Unrated' Securities	Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i)	PSUs	6243.00	13.00	0.00	4687.00	3460.00
ii)	FIs	1940.00	336.00	102.00	121.00	467.00
iii)	Banks	662.00	0.00	0.00	0.00	0.00
iv)	Private Corporates	2681.00	10.00	322.00	383.00	466.00
v)	Subsidiaries/ Joint Ventures	304.00	304.00	0.00	277.00	304.00
vi)	Others	8411.00	0.00	0.00	7686.00	8085.00
TOTAL		20241.00	663.00	424.00	13154.00	12782.00
Less:	Provision held towards depreciation	177.20	0.00	87.00	26.00	128.00
Net		20064.00	663.00	337.00	13128.00	12654.00

Amounts reported under Columns 4, 5, 6 and 7 are not mutually exclusive.

(iv) Non Performing Non-SLR Investments

(including matured investments)

(₹ in crore)

Particulars	31.3.2015	31.3.2014
Opening Balance	125.90	96.29
Additions during the year	195.31	113.82
Reductions during the year	16.58	84.21
Closing balance	304.63	125.90
Total provisions held	113.29	55.35


c. Derivatives
(i) Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap

(₹ in crore)

Items		31.3.2015	31.3.2014
i)	The Notional Principal of Swap agreements	775.00	775.00
ii)	Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements.	0.06	Nil
iii)	Collateral required by the bank upon entering into swaps	-	-
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps -- Foreign Bank	0.00	712.50
	-- Domestic Bank	0.00	62.50
v)	The fair value of the swap book	(-) 1.56	(-) 14.92

(ii) Exchange Traded Interest Rate Derivatives:

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	Amount 31.03.2015	Amount 31.03.2014
i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	5505.90	475.25
	a) IRF	-	1846.95
	b) CURRENCY FUTURE	-	0.22
	c) CURRENCY OPTIONS		
ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on March 31, 2015 (instrument-wise)	NIL	NIL
iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	NIL	NA
iv)	Mark-to market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	NIL	NA

Disclosures on risk exposure in Derivatives
iii) Qualitative Disclosures

- Risk Management Policy approved by the Board of Directors for the use of derivative instruments to hedge/trade is in place.
- The investment portfolio of the Bank consists of assets with characteristics of fixed interest rate, zero coupon and floating interest rates and is subject to interest rate risk. The Bank has also Tier II bonds hedged for coupon swaps. The policy permits hedging the interest rate risk on this liability as well.
- Policy for Forward Rate Agreement, Interest Rate Swaps, currency futures and Interest Rate Futures for hedging the interest rate risk in the investment portfolio and also for market making is in place.
- The risk management policies and major control limits like stop loss limits, counter party exposure limits etc. as approved by the Board of Directors are in place. The risks are monitored and reviewed regularly. MIS reports are submitted periodically to Risk Management Committee.

Hedge Positions

- Accrual on account of interest expenses/income on the IRS are accounted and recognized as income/expense.
- If the swap is terminated before maturity, the Mark to Market (MTM) loss/gain and accrual till such date are accounted as expense/income under interest paid/received on IRS.



Trading positions

- Currency future and Interest Rate Future are marked to market on daily basis as per exchange guidelines of MCX-SX, NSE and United Stock Exchange.
- MTM profit/loss is accounted by credit/debit to the margin account on daily basis and the same is accounted in bank's profit & loss account on final settlement.
- Trading swaps are marked to market at frequent intervals. Any MTM losses are booked and gains if any are ignored.
- Gains or losses on termination of swaps are recorded as immediate income/expense under the above head

iv) Quantitative Disclosures

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	Currency Derivatives	Interest rate derivatives
i)	Derivatives (Notional Principal Amount)		
	a) For hedging	30498.67	525.00
	b) For trading	35449.04	250.00
ii)	Marked to Market Positions (1)		
	a) Asset (+)	365.33	0.06
	b) Liability (-)	301.65	1.62
iii)	Credit Exposure (2)	-	
iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)		0.06
	a) On hedging derivatives	-	0.02
	b) On trading derivatives	-	0.04
v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year		
	a) On hedging	-	Max -0.10. Min-0.02
	b) On trading	-	Max-0.06 Min-0.04

d. Asset Quality

(i) Non Performing Assets

(₹ in crore)

Items		31.3.2015	31.3.2014
i)	Net NPAs to Net Advances (%)	3.61	3.75
ii)	Movement of NPAs (Gross)		
	a) Opening balance	11500	8456
	b) Additions during the year	6579	7569
	c) Reduction during the year	6206	4525
	d) Closing balance	11873	11500
iii)	Movement of Net NPAs		
	a) Opening balance	6649	4988
	b) Additions during the year	4517	4045
	c) Reduction during the year*	4359	2383
	d) Closing balance	6807	6649
iv)	Movement of Provisions for NPAs (excluding provisions on Standard Assets)		
	a) Opening balance **	4454	2931
	b) Provisions made during the year	2062	3524
	c) Write off/ write back / Transfer	1723	2001
	d) Closing balance **	4793	4454

* After netting ₹ 124.78 crores (Previous year ₹ 93.03 crore) held in nominal towards amount received from ECGC and Court Borrowers pending adjustment

**Excluding floating provision of ₹ 100.56 crore (previous year ₹ 209.33crore) & Countercyclical provision of ₹ 47.34 crore (previous year ₹ 94.67 crore)



(ii) Particulars of Accounts Restructured:

Disclosure of Restructured Accounts as on 31.03.2015

Disclosure of Restructured Accounts as on March 31,2015																						
NAME OF THE BANK:		CENTRAL BANK OF INDIA																				
		(Rs. in Crore)																				
Sr No	Type of Restructuring → Asset Classification → Details ↓	Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total					
		Stand-ard	Sub-Stand-ard	Doubt-ful	Loss	Total	Stand-ard	Sub-Stand-ard	Doubt-ful	Loss	Total	Stand-ard	Sub-Stand-ard	Doubt-ful	Loss	Total	Stand-ard	Sub-Stand-ard	Doubt-ful	Loss	Total	
1	Restructured Accounts as on April 1 of the FY (opening figures)	No. of borrowers	45	5	4	0	54	955	523	2344	1	3823	13461	1969	6427	4	21861	14461	2497	8775	5	25738
		Amount outstanding	5354.74	461.74	459.12	0	6275.60	96.16	35.89	133.62	3.04	268.71	18739.79	705.67	957.24	407.87	20810.57	24190.69	1203.30	1549.98	410.91	27354.88
		Provision thereon	561.41	54.29	33.79	0	649.49	1.76	4.70	7.90	0.00	14.36	538.57	3.75	32.79	0.03	575.14	1101.74	62.74	74.48	0.03	1238.99
2	Fresh restructuring during the year	No. of borrowers	20	2	1	0	23	0	0	0	0	0	4989	0	0	0	4989	5009	2	1	0	5012
		Amount outstanding	2854.03	12.95	53.89	0	2920.87	0	0	0	0	0	2673.44	0.00	0.00	0	2673.44	5527.47	12.95	53.89	0.00	5594.31
		Provision thereon	266.53	1.05	5.58	0	273.16	0	0	0	0	0	131.24	0.00	0.00	0	131.24	397.77	1.05	5.58	0.00	404.40
3	Upgradations to restructured standard category during the FY	No. of borrowers	4	-4			0	0	0	0	0	0	3	-3	0	0	0	7	-7	0	0	0
		Amount outstanding	175.49	-175.49	0	0	0.00	0	0	0	0	0	468.86	-468.86	0	0	0.00	644.35	644.35	0	0	0.00
		Provision thereon	25.64	-25.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0.43	-0.43	0	0	0.00	26.07	-26.07	0	0	0.00
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY*	No. of borrowers	8				8	13				13	39				39	60				60
		Amount outstanding	211.34				211.34	50.95				50.95	779.88				779.88	1042.17				1042.17
		Provision thereon	12.76				12.76	0.66				0.66	10.06				10.06	23.48				23.48
5	Downgradations of restructured accounts during the FY	No. of borrowers	-14	13	1	0	0	0	0	0	0	-1141	1141	0	0	0	-1155	1154	1	0	0	0
		Amount outstanding	-857.59	790.77	66.82	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-583.99	583.99	0.00	0.00	0.00	-1441.58	1374.76	66.82	0.00	0.00
		Provision thereon	-64.40	64.40	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	-92.87	92.87	0.00	0.00	0.00
6	Write-offs of restructured accounts during the FY	No. of borrowers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Amount outstanding	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Restructured Accounts as on March 2015 of the FY (closing figures)	No. of borrowers	53	13	4		70	317	38	134	7	496	17499	1093	10114	954	29660	17869	1144	10252	961	30226
		Amount outstanding	7246.51	1063.36	216.27		8526.14	93.89	12.76	102.46	4.26	213.37	22277.30	439.33	971.28	47.85	23735.76	29617.70	1515.45	1290.01	52.11	32475.27
		Provision thereon **	735.31	79.86	7.67		822.84	4.84	0.00	0.52	0.00	5.36	636.53	26.45	3.55	0.03	666.56	1376.68	106.31	11.74	0.03	1494.76

*Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable).

** provision held is figure of sacrifice provision

(RBI Circular DBOD.BP.BC.No.80/21.04.132/2012-13 dated 31-01-2013)

(iii) Details of financial assets sold to Securitization/ Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(₹ in Crore)

Items		31.3.2015	31.3.2014
i)	No. of accounts	13	32
ii)	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/ RC	798.66	907.32
iii)	Aggregate consideration	869.89	1532.79
iv)	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years.	NIL	NIL
v)	Aggregate gain/ (loss) over net book value	71.23	625.47

(iv) Details of Non Performing Financial Assets purchased/ sold from/to other Banks

a. Details of Non Performing Financial Assets purchased: NIL

(₹ in Crore)

Particulars			31.3.2015	31.3.2014
1	a	No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
	b	Aggregate outstanding	Nil	Nil
2	a	Of these, number of accounts restructured during the year	Nil	Nil
	b	Aggregate outstanding	Nil	Nil

b. Details of Non Performing Financial Assets sold: NIL

(₹ in Crore)

Items		31.3.2015	31.3.2014
1	No. of accounts	Nil	Nil
2	Aggregate outstanding	Nil	Nil
3	Aggregate consideration received	Nil	Nil

(v) Provision on Standard Assets

(₹ in Crore)

Items		31.3.2015	31.3.2014
Provisions towards Standard Assets held		696.96	657.94

e. Business Ratios

Items		2014-15	2013-14
(i)	Interest Income as a percentage to Working Funds *	9.29	9.18
(ii)	Non-interest income as a percentage to Working Funds*	0.67	0.72
(iii)	Operating Profit as a percentage to Working Funds *	1.25	1.22
(iv)	Return on Assets **	0.21	(0.47)
(v)	Business (Deposits plus advances) per employee*** (₹ in lacs)	1137.74	1025.48
(vi)	Profit per employee (₹ in lacs)	1.53	(3.11)

* Working Funds comprise average of Total Assets (excluding Revaluation Reserve) during the 12 months of the Financial Year.

** Working Funds comprise average Total Assets (excluding Revaluation Reserve)

*** Based on aggregate Deposits (other than Inter Bank Deposits) plus Advances.



f. Asset Liability Management

Maturity pattern of Total Domestic Deposits, Domestic Borrowings, Domestic Advances & Total Investments under various maturity buckets prescribed by Reserve Bank of India as of March 31, 2015

(₹ in crore)

	Day 1	2 to 7 Days	8 to 14 days	15 to 28 days	29 days To 3 months	Over 3 & Up to 6 months	Over 6 & Up to 12 months	Over 1 & Up to 3 years	Over 3 & Up to 5 years	Over 5 years	TOTAL
Total Domestic Deposit	1088.57	4507.38	2429.13	5412.40	20912.49	20480.41	33115.15	100640.02	34191.90	31479.77	254257.22
Total Domestic Advances	4973.08	2020.01	1640.02	461.43	8881.32	6268.55	11501.29	87357.56	24775.97	38552.73	186431.96
Total Investment		393.44	48.44	186.62	5450.11	641.89	789.12	8109.97	21343.66	58516.66	95479.91
Total Domestic Borrowing*		8861.03	3877.00	1500.00	1000.00	624.11	565.32	1159.13	246.01	142.50	17975.10
Foreign Currency Assets	293.46	103.69	7.94	9.19	716.98	136.39	538.84	99.88	92.19	190.31	2188.86
Foreign Currency Liabilities	202.81	4.88	10.62	8.11	53.04	83.89	815.61	403.78	329.47	-	1912.22

Note : - * Excluding those considered under Tier II Capital.

The above data has been compiled on the basis of the guidelines of RBI and certain assumptions made by the Management has been relied upon by the Auditors.

g. Exposures

(i) Exposure to Real Estate Sector

(₹ in crore)

Category		31.3.2015	31.3.2014
a)	Direct Exposure		
	(i) Residential Mortgages - Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented: (individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances included above)	14004.00	11288.28
	(ii) Commercial Real Estate – Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.) Exposure would also include non-fund based (NFB) limits:	(10219.00)	(7389.77)
	(iii) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures – Residential,	6769.96	9402.00
	Commercial Real Estate.	0.36	0.00
		0.00	0.00
b)	Indirect Exposure		
	(i) Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	2412.59	2367.06
	(ii) Others	0.00	0.00
	TOTAL EXPOSURE TO REAL ESTATE SECTOR	23186.91	23057.34



(ii) Exposure to Capital Market

(₹ in crore)

Items		31.3.2015	31.3.2014
i)	Direct Investment in equity shares, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt	706.11	773.17
ii)	Advances against shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equities-oriented mutual funds	1.95	1.88
iii)	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equities-oriented mutual funds are taken as primary security.	0.00	0.00
(iv)	Advances for other purposes to the extent secured by the collateral securities of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity-oriented mutual funds does not fully cover the advances.	339.80	339.42
(v)	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers.	376.88	360.01
vi)	Loans sanctioned to corporates against the securities of shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contributions to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	0.00	0.00
vii)	Bridge Loans to the companies against the expected equity flows/ issues.	0.00	0.00
viii)	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds	0.00	0.00
ix)	Financing to stock brokers for margin trading	13.50	0.00
x)	All exposures to Venture Capital funds (both registered and unregistered) will be deemed to be on par with equity and hence will be reckoned for compliance with the capital market exposure ceiling (both direct and indirect).	145.81	169.04
Total Exposure to Capital Market		1584.05	1643.52

(iii) Risk Category-wise Country Exposure :

(₹ in crore)

Risk Category	Exposure (net) as at March 31, 2015	Provision held as at March 31, 2015	Exposure (net) as at March 31, 2014	Provision held as at March 31, 2014
Insignificant	1241.23	Nil	1579.71	Nil
Low	444.88	Nil	815.91	Nil
Moderate	59.99	Nil	225.81	Nil
High	6.27	Nil	113.23	Nil
Very High	7.49	Nil	4.88	Nil
Restricted	2.04	Nil	1.40	Nil
Off-credit	17.43	Nil	0	Nil
Total	1779.33	Nil	2740.94	Nil

As the Bank's exposure for the year in respect of Foreign Exchange Transaction is less than 1% of total assets of the Bank, no provision is considered necessary.



(iv) **Details of Single borrower limit/Group Borrowers Limit exceeded by the Bank for which necessary Board approval has been obtained.**

a. Single Borrower Limit exceeded by Bank

(₹ in Crore)

Sr. No	Name of Borrower	Credit Exposure As on 31.3.2015		Outstanding as on 31.03.2015		Investment as on 31.03.15	Total Exposure as on 31.03.15
		FB	NFB	FB	NFB		
1.	Uttar Pradesh Power Corpn. Ltd. (UPPCL)	3726.44	0.00	3726.64	0.00	1166.34	4892.98 *(22.37%)

*Board approved additional exposure by 5% on 26.07.2014

b. Group Borrower Limit exceeded by Bank : NIL

(v) **Statement of Loans and Advances secured by Intangible Assets viz., Rights, Licenses, Authorizations etc. which is shown as unsecured in Schedule-9.**

Advances amounting to ₹ Nil (previous year ₹ Nil) against charge over intangible security such as Rights, Licences, Authorisation etc. are considered as unsecured..

The value of intangible security is ₹ Nil (previous year ₹ Nil)

7. Disclosure of penalties imposed by RBI

RBI has imposed a penalty of ₹ 4.92 crore in terms of Section 47A(1)(a) read with Section 46(4)(i) of the Banking Regulation Act 1949 for non-compliance of RBI norms.

8. Disclosure regarding concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs:

8.1 Concentration of Deposits

(₹ in Crore)

(a) Total Deposits of twenty largest depositors	30873
(b) Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank	12.08

8.2 Concentration of Advances

(₹ in Crore)

(a) Total Advances to twenty largest borrowers	41427.39
(b) Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the bank	21.17%

8.3 Concentration of Exposures

(₹ in Crore)

(a) Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	44578.61
(b) Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers	17.83%

8.4 Concentration of NPAs

(₹ in Crore)

(a) Total Exposure to top four NPA accounts	1987.35
---	---------



II. Sectorwise advances:

(₹ in Crore)

S.No	Sector*	Current Year			Previous Year		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
A	Priority Sector						
1	Agriculture and allied activities	32083	1465	4.57	30233	1404	4.64
2	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	10450	908	8.69	9145	693	7.58
3	Services	15383	1346	8.75	11924	1088	9.12
4	Personal loans	14208	518	3.65	12197	497	4.07
	Sub-total (A)	72124	4237	5.87	63499	3682	5.80
B	Non Priority Sector						
1	Agriculture and allied activities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Industry	47744	3629	7.60	54507	4656	8.54
3	Services	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Personal loans	5682	186	3.27	5321	192	3.61
	Sub-total (B)	53426	3815	7.14	59828	4848	8.10
	Total (A+B)	125550	8052	6.41	123327	8530	6.92

III. Movement of NPAs

a)

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Gross NPAs *as on 1 st April 2014 (opening Balance)	11500	8456
Additions (Fresh NPAs) during the year	6579	7569
Sub Total (A)	18079	16025
Less:-		
(i) Upgradation	2336	766
(ii) Recovery (excluding recoveries made from upgraded accounts)*	1365	1104
Sale of NPA	1119	1279
(iii) Technical/Prudential Write-Offs	1368	1029
(iv) Write-offs other than those under (iii) above	18	347
Sub-total (B)	6206	4525
Gross NPAs as on 31st March 2015 (closing balance) (A-B)	11873	11500

b. Technical write-off and the recoveries:

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Opening balance of Technical/Prudential written-off accounts as at April 1	2014.01	985.20
Add: Technical/Prudential write-offs during the year	1413.49	1405.95
Sub-total (A)	3427.50	2391.15
Less: Recoveries made from previously technical/prudential written-off accounts during the year (B)	*45.49	*377.14
Closing balance as at March 31 (A-B)	3382.01	2014.01

*includes conversion to Regular write off of ₹ 3.02 crores (Previous year ₹ 221.05)


IV. Overseas Assets, NPAs and Revenue

Particulars	Amount (in ₹ Crore)
Total Assets	NIL
Total NPAs	NIL
Total Revenue	NIL

V. Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

VI. Disclosures relating to Securitisation:

S. No.	Particulars	No. / Amount ₹ in crore
1.	No of SPVs sponsored by the bank for securitisation transactions*	NIL
2.	Total amount of securitised assets as per books of the SPVs sponsored by the bank	NIL
3.	Total amount of exposures retained by the bank to comply with MRR as on the date of balance sheet	NIL
	a) Off-balance sheet exposures	
	First loss	
	Others	
	b) On-balance sheet exposures	
	First loss	
	Others	
4	Amount of exposures to securitisation transactions other than MRR	NIL
	a) Off-balance sheet exposures	
	i) Exposure to own securitizations	
	First loss	
	Loss	
	ii) Exposure to third party securitisations	
	First loss	
	Others	
	b) On-balance sheet exposures	
	i) Exposure to own securitisations	
	First loss	
	Others	
	ii) Exposure to third party securitisations	
	First loss	
	Others	

*Only the SPVs relating to outstanding securitisation transactions may be reported here

VII. Intra-Group Exposures:

(₹ in crore)

(a)	Total amount of intra-group exposures	939.73
(b)	Total amount of top-20 intra-group exposures	939.73
(c)	Percentage of intra-group- exposures to total exposure of the bank on borrowers/customers	0.48%
(d)	Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any	Nil

VIII. Transfer to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF):

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Current Year
Opening balance of amounts transferred to DEAF	Nil
Add: Amount transferred to DEAF during the year	25.12
Less: Amount reimbursement by DEAF towards claims	-
Closing balance of amounts transferred to DEAF	25.12

9 Liquidity Coverage Ratio

(₹ in crore)

	Current Year	
	Total Unweighted ³ Value (average)	Total Weighted ⁴ Value (average)
High Quality Liquid Assets		
1 Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		31395.34
Cash Outflows		
2 Retail deposits and deposits from small business customers, of which:		
(i) Stable deposits	55487.88	2774.39
(ii) Less stable deposits	136215.43	13621.54
3 Unsecured wholesale funding, of which:		
(i) Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00
(ii) Non-operational deposits (all counterparties)	16003.72	10958.02
(iii) Unsecured debt	0.00	0.00
4 Secured wholesale funding		0.00
5 Additional requirements, of which		
(i) <i>Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements</i>	6963.67	6963.67
(ii) <i>Outflows related to loss of funding on debt products</i>	0.00	0.00
(iii) <i>Credit and liquidity</i>	18985.49	2917.72
6 Other contractual funding obligations	53.00	53.00
7 Other contingent funding obligations	20772.53	1038.63
8 Total Cash Outflows		
Cash Inflows		38326.97
9 Secured lending (e.g. reverse repos)	157.33	0.00
10 Inflows from fully performing exposures	2045.00	1545.00
11 Other cash inflows	19671.73	14216.86
12 Total Cash Inflows	21874.06	15761.86
		Total Adjusted ⁵ Value
21 TOTAL HQLA		31395.34
22 Total Net Cash Outflows		22565.11
23 Liquidity Coverage Ratio (%)		139.53
Note – Data to be entered only in blank and light grey cells		


LCR Qualitative Disclosures:

Liquidity Coverage Ratio (LCR) Qualitative Disclosures	
Line items significant to LCR	Explanatory Notes
a	<p>The main drivers of the LCR results and the evolution of the contribution of inputs to the LCR's calculation</p> <p>The main drivers of LCR results are :</p> <p>1) High Quality Liquid Asset (HQLA) is one of the major drivers of LCR, the major portion of HQLA consists of facility to avail liquidity under Marginal Standing Facility (MSF) & LCR. Other major heads impacting HQLA are investment in government securities/ guaranteed by government.</p> <p>2) Cash Outflow is another major driver of LCR. The main components of cash outflows are less stable retail deposit, funding from other legal entity and net derivative cash outflow.</p> <p>3) Yet another major driver of LCR is Cash Inflow. The main components of cash inflows are inflows by counterparty and net derivative cash inflow.</p>
b	<p>Intra-period changes as well as changes over time</p> <p>Not applicable as this disclosure is made for the first time.</p>
c	<p>The composition of HQLA</p> <p>The HQLA comprises of the following:</p> <p>1. Level 1 assets comprises of surplus SLR investments (net of encumbered against REPO, CBLO, MSF, CROMS, other securities pledged for RTGS, SGF, MCX, NSCCL etc) 2% of NDTL applicable for MSF and 5% of NDTL as per RBI guidelines</p> <p>2. Level 2A assets comprises of Power Bonds issued by State Governments, Bonds issued by State Power Distribution Companies, Central Government PSUs excluding the finance companies.</p> <p>3. Level 2A assets also comprises of bonds of private corporates having rating of AA- and above excluding the finance companies.</p> <p>4. Level 2B assets comprises of bonds of corporates having rating of BBB- to A+ excluding the finance companies.</p> <p>5. Level 2B assets also comprises of NIFTY/SENSEX shares excluding the finance companies.</p>
d	<p>Concentration of funding sources</p> <p>Bank addresses the funding concentration by monitoring their funding from each significant counterparty, each significant product / instrument and each significant currency ('significant' is defined as aggregate amount is more than 1% of the bank's liabilities).</p>



e	Derivative exposures and potential collateral calls	<p>Derivative exposure of our bank consists of the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. OTC Derivatives <ol style="list-style-type: none"> a) Forwards b) Currency Swaps c) Interest Rate Swap 2. Exchange Traded Derivatives <ol style="list-style-type: none"> α) Currency Futures β) Interest Rate Futures <p>Potential collateral call comes into question if the trades take place on the Exchange or the settlement takes place through Central Counterparty and is guaranteed and also if the Credit Support Annex(CSA) which is an attachment to the ISDA Master Agreement , is signed the with the counterparties.</p> <p>For our exposure of trades under Currency Futures and Interest Rate Futures we are maintaining margins in the form of collaterals (GSecs) and the same is being maintained depending on the amount of exposure and the volatility in the market.</p> <p>All our Interbank USD/INR Swaps and forwards are being settled through CCIL which is a Central Counterparty (CCP). We are maintaining margins in the form of collaterals (GSecs) with CCIL for guaranteed settlement of our Interbank USD/INR Swaps and Forwards.</p> <p>The amount of margin depends on the amount of exposure and the volatility in the respective markets. The additional margin is being maintained with the Exchange/ CCP as and when the call is made for the same.</p> <p>At present, we do not have in place the Credit Support Annex with any counterparty. As such, no potential collateral call will arise.</p>
f	Currency mismatch in the LCR	<p>To capture potential currency mismatches, the LCR in each significant currency is monitored. A currency is considered as “significant” if the aggregate liabilities denominated in that currency amount to 5 per cent or more of the bank’s total liabilities. Bank doesn’t have currency mismatch as bank does not have exposure in ‘significant’ currency.</p>
g	Degree of centralisation of liquidity management and interaction between the group’s units	<p>Liquidity management in the bank is centralized and monitored by ALM & Treasury team. Interaction between treasury, CBS, ALM team & other functional units are seamless.</p>
h	Other inflows and outflows in the LCR calculation that are not captured in the LCR common template but which the institution considers to be relevant for its liquidity profile.	None



10. Other Disclosures

Fees/ remunerations received in respect of the Bancassurance Business during the current year is as under :

(₹ in crore)

	2014-15		2013-14	
	No. of policies	Amount	No. of policies	Amount
Life	63090	11.83	108036	14.58
Non Life	549187	13.06	559846	11.56
Total		24.89		26.14

11. The following information is disclosed in terms of Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India:

a) Accounting Standard - 5

There is no change in the accounting policy of the Bank during the year.

b) Accounting Standard - 9

Certain items of income are recognized on realization basis as per principal accounting policy No. 8. However, the said income is not considered to be material.

c) Accounting Standard - 15 (Revised)

In the year 2010-11, in accordance with circular No. DBOD No. BP.BC.80/21.04.018/2010-11, dated 09-02-2011 issued by Reserve Bank of India, the Bank had opted to amortize the additional liability on account of re-opening of Pension option for existing employees who had not opted for pension earlier, as well as the liability on enhancement in Gratuity limit, over a period of five years beginning with the financial year ended 31st March, 2011. Accordingly, out of the unamortized amount of ₹295.38 crore as on 1st April, 2014, the Bank has fully amortized ₹239.98 crore for Pension and ₹55.40 crore for Gratuity being the balance amount during the year ended March 31, 2015.

Employee Benefits:

Reconciliation of opening and closing balance of the present value of the defined benefit obligation for pension and gratuity benefits as per actuarial valuations is given below:

(₹ in crore)

Particulars	Year ended March 31, 2015		Year ended March 31, 2014	
	Pension	Gratuity	Pension	Gratuity
Defined benefit obligation liability at March 31, 2015				
Opening obligations	8139.02	1063.63	7190.56	978.11
Service cost	120.08	24.27	166.74	30.01
Interest cost	734.00	93.98	600.80	79.31
Actuarial [gain]/loss	1402.97	292.38	758.99	126.30
Benefits paid	(682.27)	(165.52)	(578.07)	(150.10)
Past Service Cost (Amortised/ Non Vested)	-	-		
Past Service Cost (Vested Benefit)	-	-		
Liability Transferred in	-	-		
Obligations at March 31, 2015	9713.80	1308.74	8139.02	1063.63

(₹ in Crore)

Particulars	Year ended March 31, 2015		Year ended March 31, 2014	
	Pension	Gratuity	Pension	Gratuity
Plan assets at March 31, 2015, at fair value				
Opening Plans assets, at fair value	7862.67	1065.22	6629.78	884.31

Expected return on plan assets	750.63	99.99	654.74	91.42
Actuarial gain/[loss]	275.12	45.72	(28.78)	(1.91)
Contributions	1106.40	166.90	1185.00	241.50
Benefits paid	(682.27)	(165.52)	(578.07)	(150.10)
Transfer from Other Trust	-	-	-	-
Plan assets at March 31, 2015, at fair value	9312.55	1212.31	7862.67	1065.22

(₹ in Crore)

Particulars	Year ended March 31, 2015		Year ended March 31, 2014	
	Pension	Gratuity	Pension	Gratuity
Cost for the year ended March 31, 2015				
Service cost	120.08	24.27	166.74	30.01
Interest cost	734.00	93.98	600.80	79.31
Expected return on plan assets	(750.63)	(99.99)	(654.74)	(91.42)
Past Service Cost (Amortised/ Non Vested)	-	-	240.00	55.40
Past Service Cost (Vested Benefit)	-	-	-	-
Actuarial [gain]/loss	1127.85	246.66	787.77	128.21
Net cost	1231.30	264.92	1140.57	201.51

Assumptions

Particulars	Year ended March 31, 2015		Year ended March 31, 2014	
	Pension	Gratuity	Pension	Gratuity
Discount rate	9.27%	9.35%	9.27%	9.35%
Salary escalation rate	5%	5%	5%	5%
Estimated rate of return on plan assets	8.70%	8.70%	8.70%	8.70%

d) Accounting Standard 17 – Segment Reporting

i) As per the revised guidelines of Reserve Bank of India, the Bank has recognised Treasury Operations, Corporate/ Wholesale Banking, Retail Banking and other Banking business as primary reporting segments. There are no secondary reporting segments.

SEGMENT REPORT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2015

(₹ in Crores)

Sl. No.	Particulars	Year ended 31.03.15	Year ended 31.03.14
a.	Segment Revenue		
	1. Treasury Operations	7375.64	6323.29
	2. Retail Banking Operations	7812.40	6921.97
	3. Wholesale Banking Operations	13114.97	13094.00
	4. Other Banking Operations	0.00	0.00
	5. Unallocated	0.00	10.87
	Total	28303.01	26350.13
b.	Segment Results		
	1. Treasury Operations	824.61	307.88
	2. Retail Banking Operations	239.56	856.07
	3. Wholesale Banking Operations	(52.28)	(2048.52)
	4. Other Banking Operations	0.00	0.00
	Total	1011.89	(884.57)
c.	Unallocated Income/ (Expenses)	(121.50)	(109.97)
d.	Operating Profit	890.39	(994.54)



e.	Income Tax	283.94	268.31
f.	Net Profit	606.45	(1262.84)
	Other Information		
g.	Segment Assets		
	1. Treasury Operations	109736.17	100820.38
	2. Retail Banking Operations	76744.76	65548.89
	3. Wholesale Banking Operations	120997.18	118749.13
	4. Other Banking Operations	0.00	0.00
	5. Unallocated Assets	4462.39	4377.82
	Total	311940.50	289496.22
h.	Segment Liabilities		
	1. Treasury Operations	109916.82	101081.13
	2. Retail Banking Operations	71542.14	61185.53
	3. Wholesale Banking Operations	112794.64	110844.41
	4. Other Banking Operations	0.00	0.00
	5. Unallocated Liabilities	110.01	596.60
	6. Capital employed	17576.89	15788.54
	Total	311940.50	289496.22

- ii) Treasury Operations include dealing in Government and Other Securities, Money Market operations and Forex operations.
- iii) The Retail Banking Segment consists of all exposures upto a limit of ₹ 5 crore (including Fund Based and Non Fund Based exposures) subject to orientation, product, granularity criteria and individual exposures
- iv) The Corporate/ Wholesale Segment consist of all advances to Trusts/ Partnership Firms, Companies and statutory bodies, which are not included under Retail Banking.
- v) The other Banking Segment includes all other Banking operations not covered under the above three categories.
- vi) General Banking operations are the main resource mobilizing unit and Treasury Segment compensates the former for funds lent to it by taking into consideration the average funds used.
- vii) Allocation of Costs:
- a) Expenses directly attributable to a particular segment are allocated to the relative segment
- b) Expenses not directly attributable to a specific segment are allocated on rational basis.

e) **Related Party disclosures as per Accounting Standard 18 – Related Party**

1 **List of Related Parties:**

(a) Key Managerial Personal	
	Name
	Designation
i)	Mr. Rajeev Rishi Chairman & Managing Director
ii)	Mr. R.K. Goyal Executive Director
iii)	Mr. Animesh Chauhan (from 05/08/2013 to 31.12.2014) Executive Director
iv)	Mr. B.K.Divakara Executive Director
v)	Mr.R.C. Lodha (from 11/03/2015) Executive Director
(b) Subsidiaries –	
i)	Cent Bank Home Finance Ltd.
ii)	Cent Bank Financial & Custodial Services Ltd.
(c) Associates	
(I)	Regional Rural Banks – i) Central Madhya Pradesh Gramin Bank ii) Uttar Bihar Gramin Bank, Muzaffarpur iii) Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar
(II)	Indo – Zambia Bank Ltd.

2. Transactions with Related Parties:

(₹ in crore)

(a) Items	Key Management Personnel	
	2014-15	2013 -14
Remuneration paid	0.92	0.81

(b) Statement of Related Parties Transaction

(₹ In Crore)

S. No.	Related Parties	As on	Outstanding		Participation under Inter Bank Participatory Credit (IBPC)				Dividend Income
			Loan	Investment	Sale of Direct Agri. Assets to Sponsor Bank		Purchase of Non Priority Sector Portfolio from Sponsor Bank		
					Amt.	Intt. Paid	Amt.	Intt. received	
1) Subsidiaries		31.03.15	150.43	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42
		31.03.14	21.52	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79
2) Associates		31.03.15	664.58	324.60	0.00	97.92	0.00	112.25	0.00
		31.03.14	604.80	277.77	2200.00	13.29	2200.00	15.23	0.00

(C) No disclosure is required in respect of related parties, which are state controlled enterprises as per Paragraph 9 of AS-18. Further, in terms of Paragraph 5 of AS-18, transactions in the nature of banker-customer relationship have not been disclosed including those with Key Managerial Personnel & relatives of Key Managerial Personnel.

d) Accounting Standard 20 – Earnings per Share

Earnings per share as per AS 20 has been arrived at as follows:

	31.3.2015	31.3.2014
Net Profit after Tax available for Equity Share Holder (₹ in Crore)	606.45	(1262.84)
Weighted Average number of Equity Share (No.)	1421571789	1137592631
Basic Earnings per Share (₹)	4.27	(11.10)
Diluted Earnings per Share (₹)	4.27	(11.10)
Nominal Value per Share (₹)	10.00	10.00

c) Accounting Standard 22 –Accounting for Taxes on Income

The Bank has recognized Deferred Tax Assets/ Liabilities.

Major components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

(₹ in crore)

Particulars	Deferred Tax Assets		Deferred Tax Liability	
	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
Business Loss	-	575.14		
Depreciation on Fixed Assets	13.30			5.87
Depreciation on Investments	87.61			706.89
Gratuity/Pension Fund contribution	5.52			17.35
Interest accrued but not due on investments			607.12	562.21
Provision for Leave Encashment	148.43	154.57		
Provision for Loans and Advances	276.86			



Special Reserve u/s36(1)(viii) of I.T.Act 1961			34.61	33.99
TOTAL	531.72	729.71	641.73	1326.31
Net Deferred Tax Asset/Liability			110.01	596.60

d) **Accounting Standard – 28 – Impairment of Assets**

A substantial portion of Bank's assets comprise financial assets to which Accounting Standard-28 on impairment of assets is not applicable. In the opinion of the management, there is no material impairment on Other Assets other than financial assets as at March 31, 2015, requiring recognition in terms of the Standard.

e) **Accounting Standard – 29 on Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets**

(i) **Movement of Provision for claims not acknowledged as debts :**

(₹ in Crore)

Particulars	Opening Balance as on 01.04.2014	Provision made during the year	Provisions reversed/ adjusted	Closing Balance as on 31.3.2015
Contingencies Provisions against claim not acknowledged as debt	4.41	--	2.75	1.66

(ii) **Additional Disclosures**

Provisions and Contingencies

(₹ in Crore)

Break-up of Provisions and Contingencies shown under the head Expenditure in P&L Account	31.3.2015	31.3.2014
Provisions/Depreciation on Investment	(18)	257
Provision towards NPA	2062	3292
Provision towards Standard Asset	39	(7)
Provision made for Taxes	284	268
Provision for Restructured Advances	548	697
Other Provisions	38	(6)
TOTAL	2953	4501

(iii) **Floating Provisions**

(₹ in Crore)

Particulars	31.3.2015	31.3.2014
a Opening balance in the Floating Provisions account	209.34	312.43
b The quantum of Floating Provisions made in the Accounting Year	--	--
c Amount of draw down made during the Accounting Year.	108.78	103.09
d Closing balance in the Floating Provisions account	100.56	209.34

(iv) **Countercyclical Provisioning Buffer:**

(₹ in Crore)

Particulars	31.3.2015	31.3.2014
a Opening balance in the Countercyclical Provisions account	94.67	141.30
b The quantum of Countercyclical Provisions made in the Accounting Year	--	--
c Amount of draw down made during the Accounting Year.	47.33	46.63
d Closing balance in the Countercyclical Provisions account	47.34	94.67



(₹ in Crore)

(v) Movement of Provision for Liabilities:	31.3.2015	31.3.2014
Opening Balance	4.41	4.41
Additions during the year	-	-
Amount used during the year	2.75	-
Closing Balance	1.66	4.41
Timing of any resulting outflow	N.A.	N.A.

12. Details of Complaints

Customer Complaints	No. of complaints	
	31.03.2015	31.03.2014
a) Pending at the beginning of the year	234	153
b) Received during the year	11127	7906
c) Redressed during the year	10965	7825
d) Pending at the end of the year	396	234

Awards Passed by Banking Ombudsman	Numbers	
	31.03.2015	31.03.2014
a) No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	1	0
b) No. of Awards passed by Banking Ombudsman during the year	Nil	3
c) No. of Awards implemented during the year	1	2
d) No. of unimplemented awards at the end of the year	Nil	1

As compiled by the Management and relied upon by the auditors.

Investors' complaints	No. of complaints	
	31.03.2015	31.03.2014
a) Pending at the beginning of the year	0	0
b) Received during the year	169	217
c) Redressed during the year	169	217
d) Pending at the end of the year	0	0

Complaints pertaining to ATM Transactions

Particulars	Complaints for ATM transactions taken place on CBI ATMs	Complaints for ATM transactions taken place on Other Bank's ATMs	Total No. of Complaints
a) No. of complaints pending at the beginning of the year	498	579	1077
b) No. of complaints received during the year	20141	31781	51922
c) No. of complaints redressed during the year	20604	32251	52855
d) No. of complaints pending at the end of the year	35	109	144

13. Details of Letter of Comforts issued and outstanding as on 31.3.2015

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Letter of Comforts issued during the year	3187.97	2289.15
Letter of Comforts matured/cancelled during the year	2226.91	2442.39
Letter of Comforts outstanding as at the end of year	3304.56	2343.80

The above mentioned Letter of Comforts are issued within the sanctioned Trade Credit Limits.


14. Provisioning Coverage Ratio (PCR)

The PCR (ratio of Provisioning to Gross NPA) stood at 55.16% (Previous Year 50.68%)

15. As per the information compiled by the Management, the Vendors, whose services are utilized and from whom purchases were made by the Bank, are not registered under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006. This is relied upon by the Auditors.

16. Implementation of the Guidelines on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management and Cyber Frauds

The Bank has formulated policies on Cyber Frauds in CBS system as per RBI circular RBI/2010-11/494 DBS.CO.ITC. BC.No.6/31.02.008/2010-11 dated April 29, 2011. These policies are being reviewed by the management of the bank on periodical basis.

17. Previous year figures have been re-grouped/ re-classified wherever considered necessary to conform to current year's classification.

R.C. LODHA
Executive Director

B.K. DIVAKARA
Executive Director

R. K. GOYAL
Executive Director

RAJEEV RISHI
Chairman & Managing Director

SAURABH GARG
DIRECTOR

SHEKHAR BHATNAGAR
DIRECTOR

M. P. SHORAWALA
DIRECTOR

KRISHAN SETHI
DIRECTOR

Ms.N.S. RATHNAPRABHA
DIRECTOR

S. B. RODE
DIRECTOR

GURBAX KUMAR JOSHI
DIRECTOR

For KUMAR CHOPRA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000131N

For P.K. SUBRAMANIAM & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.004135S

For DOOGAR & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000561N

(CA R.K. AGARWAL)
PARTNER
M.No.081510

(CA SRIGOPAL INNANI)
PARTNER
M.No.0210087

(CA MUKESH GOYAL)
PARTNER
M.No.081810

For N.SARKAR & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.301075E

For B.N.MISRA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.321095E

For CHANDABHOY & JASSOQBHOY
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No. 101647W

(CA M. RAY)
PARTNER
M.No.012940

(CA B.N. MISRA)
PARTNER
M.No.0839278

(CA AMBESH A. DAVE)
PARTNER
M.No.049289

Place : Mumbai
Date: May 12, 2015



CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2015

		(₹ In Crore)	
Sn	Particulars	31- 03- 2015	31- 03- 2014
A	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
	Net Profit before taxes	890.40	(994.55)
I	Adjustments for:		
	Depreciation on fixed assets	229.24	208.55
	Depreciation on investments (including on matured debentures)	(18.56)	256.56
	Bad Debts written off/Provision in respect of non performing assets	2,062.15	3,292.01
	Provision for Standard Assets	586.95	689.57
	Provision for Other items (Net)	38.18	(5.57)
	Interest on Income Tax (net)	-	(10.87)
	Profit / Loss on sale of fixed assets (Net)	0.64	1.19
	Payment/ provision for interest on subordinated debt (treated separately)	696.03	642.26
	Dividend Received from Subsidiaries	(3.42)	(2.79)
	Interest on JNY coupens	-	5.17
	Sub total	4,481.61	4,081.53
II	Adjustments for :		
	Increase / (Decrease) in Deposits	15,503.40	14,030.67
	Increase / (Decrease) in Borrowings	3,894.35	3,774.26
	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	1,744.77	3,285.57
	(Increase) / Decrease in Advances	(13,811.46)	(9,360.91)
	(Increase) / Decrease in Investments	(9,273.39)	(13,777.91)
	(Increase) / Decrease in Other Assets	669.03	(3,355.52)
	Direct Taxes paid (Net of Refund etc)	(959.85)	(700.54)
	Sub total	(2,233.15)	(6,104.37)
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	2,248.46	(2,022.84)
B	CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
	Sale / Disposal of Fixed Assets	815.15	49.45
	Purchase of Fixed Assets	(1,099.77)	(405.01)
	Dividend Received from Associates/Subsidiaries	3.42	2.79
	Investment in Associate/Subsidiaries	(46.83)	(10.00)
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES	(328.03)	(362.77)
C	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
	Share Capital	1,207.85	1,799.99
	Proceeds / Redemption of Subordinated Debts Tier II Capital	-	-
	Dividend - Equity shares Including Interim Dividend	-	(411.64)
	Dividend Tax	-	(69.49)
	Interest on JNY Swap coupon	-	(5.17)
	Interest on Subordinated Debt	(696.03)	(642.26)
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES	511.82	671.43
D	Net increase in cash & cash equivalents (A + B + C) or (F - E)	2,432.25	(1,714.17)


CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2015

		(₹ In Crore)	
Sn	Particulars	31- 03- 2015	31- 03- 2014
E	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
	Cash and Bank Balance with RBI	11,926.63	13,560.17
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	451.40	532.04
	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year	12,378.03	14,092.21
F	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		
	Cash and Bank Balance with RBI	14,114.85	11,926.63
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	695.43	451.40
	Net cash and cash equivalents at the end of the year	14,810.28	12,378.03

R.C. LODHA
Executive Director

B.K.DIVAKARA
Executive Director

R.K.GOYAL
Executive Director

RAJEEV RISHI
Chairman & Managing Director

For **KUMAR CHOPRA & ASSOCIATES**
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000131N

For **P.K. SUBRAMANIAM & CO.**
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.004135S

For **DOOGAR & ASSOCIATES**
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000561N

(CA R.K. AGARWAL)
PARTNER
M.No.081510

(CA SRIGOPAL INNANI)
PARTNER
M.No.0210087

(CA MUKESH GOYAL)
PARTNER
M.No.081810

For **N.SARKAR & CO.**
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.301075E

For **B.N.MISRA & CO.**
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.321095E

For **CHANDABHOY & JASSOOBHOY**
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No. 101647W

(CA M. RAY)
PARTNER
M.No.012940

(CA B.N. MISRA)
PARTNER
M.No.0839278

(CA AMBESH A. DAVE)
PARTNER
M.No.049289

Place : Mumbai
Date: May 12, 2015

Table DF-1

1. Scope of application

Qualitative Disclosures:

- a. Parent Bank: Central Bank of India

The disclosure in this sheet pertains to Central Bank of India on solo basis.

- b. In the consolidated accounts, bank's subsidiaries/associates are treated as under:

(b.i) Bank's Subsidiary: The details of Bank's subsidiary are as under:

S. No.	Name of Subsidiary	Ownership
1	Cent Bank Home Finance Ltd.	64.40%
2	Cent Bank Financial Services Ltd	100%

The subsidiaries of parent bank are consolidated on line by line aggregation of like items of assets, liabilities, income and expenses of subsidiaries with the respective item of the parent and after eliminating material intra-group balances/ transactions, unrealized profit/loss and making necessary adjustments wherever possible to confirm to accounting policies, based on data received from these subsidiaries duly certified by their respective auditors. The financial statements of the subsidiaries have been drawn up to the same reporting date as that of parent i.e. 31st March, 2015. The accounting standard followed for the consolidation of the financial statements of subsidiaries is AS- 21.

(b.ii) Associates: The Banks associates are as under:

S. No.	Name of Regional Rural Banks	Ownership
I	Regional Rural Banks	
a	Central Madhyapradesh GB	35%
b	Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur	35%
c	Uttarbanga Kshetriya Gram Bank, Cooch Bihar	35%
II	Indo-Zambia Bank Ltd., Zambia.	20%

The accounting standard followed for accounting for investments in Associates in consolidated financial statements is as per AS-23 issued by ICAI. The method followed is equity

The financial statement of INDO Zambia Bank Ltd., considered as an associate has been prepared in accordance with the International Financial Reporting Standard. All Regional Rural Bank and one associate are in the nature of financial entities.

For computation of CRAR of the Bank, investment in Subsidiaries and Regional Rural Banks are deducted from Tier I and Tier II capital equally.

CRAR is calculated for bank on standalone basis.

Quantitative Disclosures

- c) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries: NIL
- (d) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities is NIL.



Table DF-2

2. Capital structure

Qualitative Disclosures

a) Equity capital

The bank has authorized capital of Rs.5000.00 Crore as on 31st March, 2015 the bank has issued, subscribed and paid up equity capital of Rs.1658.27crore, constituting 1658273181 Number of shares Of Rs.10 each.

Out of this, 81.45% shareholding constituting 1196959325 numbers of shares is with the Government of India as of 31st March, 2015.

2.1 Debt capital instruments

2.2.1 Details of TIER I Capital

TIER I CAPITAL	ISSUE DATE	PERIODS IN MONTH	DATE OF REDEMPTION	AMOUNT (₹ In Crores)	INTEREST RATE
IPDI	30.03.2009	Perpetual	Perpetual	583.00	G-Sec + 250bps to be repriced every year in March.
PDI (Series II)	28.09.2012	Perpetual	Perpetual	500.00	9.40% p.a.
TOTAL				1083.00	

2.2.2 Details of Upper TIER II Bonds

SERIES	ISSUE DATE	DATE OF REDEMPTION	AMOUNT (₹ In Crores)	INTEREST RATE
Upper Tier II (Sr-I)	14.11.2008	14.11.2023	300.00	11.45% p.a. Step up of 50bps from 11 th year (11.95% till maturity)
Upper Tier II (Sr-II)	17.02.2009	17.02.2024	285.00	9.40% p.a. Step up of 50bps from 11 th year (9.90% till maturity)
Upper Tier II (Sr-III)	23.06.2009	23.06.2024	500.00	8.80% p.a. Step up of 50bps from 11 th year (9.30% till maturity)
Upper Tier II (Sr-IV)	20.01.2010	20.01.2025	500.00	8.63% p.a. Step up of 50bps from 11 th year (9.13% till maturity)
Upper Tier II (Sr-V)	11.06.2010	11.06.2025	1000.00	8.57% p.a. Step up of 50bps from 11 th year (9.07% till maturity)
Upper Tier II (Sr-VI)	21.01.2011	21.01.2026	300.00	9.20%p.a. Till redemption
		TOTAL	2885.00	

2.2.3 Details of Subordinated Bonds

Lower Tier II SERIES	ISSUE DATE	DATE OF REDEMPTION	AMOUNT (₹ In Crores)	INTEREST RATE
X	28.03.2006	28.06.2015	578.20	8.15% p.a.
XI	04.10.2006	04.10.2016	700.00	8.95% p.a.
XII	03.03.2008	03.05.2017	389.10	9.20% p.a.
XIII	10.02.2009	10.04.2018	270.00	9.35% p.a.
XIV	21.12.2011	21.12.2026	500.00	9.33% p.a.
		TOTAL	2437.30	



2.2.4 Details of Basel III Compliant Bond –Tier 2

Tier II SERIES	ISSUE DATE	DATE OF REDEMPTION	AMOUNT (₹ In Crores)	INTEREST RATE
SR I	08.11.2013	08.11.2023	1000.00	9.90% p.a.
		TOTAL	1000.00	

Quantitative Disclosures

	₹ in crores
b) Tier 1 capital	
with separate disclosure of:	16552
▪ paid-up share capital	1658
▪ reserves	13963
▪ innovative instruments:	
IPDI –	1083
▪ amounts deducted from Tier 1 capital	
investments –	152
intangibles -	0
(c) Tier 2 capital (net of deductions from Tier 2 capital):	6717
(d) Debt capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier 2 capital	
▪ Total amount outstanding-	2885
▪ Of which amount raised during the current year –	NIL
▪ Amount eligible to be reckoned as capital funds –	2885
(e) Subordinated debt eligible for inclusion in Lower Tier 2 capital	
▪ Total amount outstanding-	3437
▪ Of which amount raised during the current year –	
▪ Amount eligible to be reckoned as capital funds –	1958
(f) Other deductions from capital –	152
(g) Total eligible capital.	23269



Table DF-3

Capital Adequacy

Qualitative disclosures

(a) A summary discussion of the bank's approach to assess the adequacy of its capital to support current and future activities: The bank carries out regular assessment of its capital requirement from time to time to maintain the capital to Risk Weight Assets Ratio (CRAR) at desired level. The capital plan is reviewed on annual basis to take care of business growth and CRAR.

The bank has adopted standardized approach for credit risk, basic indicator approach for operational risk and standardized duration approach for market risk.

The bank has put in place a well laid down Internal Capital Adequacy Assessment Process to enable the bank to plan its capital requirements in relation to its business projections and to meet the risks inherent in the business. The main objective of ICAAP exercise is to identify and measure the risks that are not fully captured by the minimum capital ratio prescribed under Pillar1; the risks that are not at all taken into account by the pillar 1; and the factors external to the bank and to provide capital for such additional risks and to measure an appropriate level of internal capital as per the bank's risk appetite. The bank has also put in place the stress testing policy to measure impact of adverse stress scenario on its CRAR.

The bank is reviewing the ICAAP on quarterly basis.

	Rs. in Crores
Quantitative disclosures	
(b) Capital requirements for credit risk at 9%:	
Portfolios subject to standardized approach –	
▪ Fund based	13728
▪ Non-fund based	1224
▪ Securitization exposures	NIL
(c) Capital requirements for market risk:	
▪ Standardized duration approach:	
- Interest rate risk –	946
- Foreign exchange risk (including gold) –	4
- Equity risk –	617
(d) Capital requirements for operational risk:	
▪ Basic indicator approach –	1095
(e) Total capital ratio –	
Tier 1 capital ratio	11.89%
	8.46%

General qualitative disclosure requirement

A committee of board of Directors regularly oversees the Bank's Risk Management policies/practices under various risks viz. credit, operational, market etc. The bank also has separate committees for each risk comprising of top executives of bank headed by Chairman and Managing Director/ Executive directors such as Asset liability Management committee, Credit policy Committee, Operational Risk committee. These committees meet at regular intervals throughout the year to assess and monitor the level of risk under various bank operations and initiate appropriate mitigation measures wherever necessary.

The Risk Management Department at central office level which is headed by General Manager; measures control and manages risk within the limits set by the Board and enforces compliance with risk parameters set by various committees. The General Manager is assisted by Deputy General Manager and a team of Assistant General Managers, Chief Managers, Senior Managers and Managers.

At some identified zonal offices, Risk Managers are posted who act as an extended arm of the Risk Management Department of Central Office. Officers are also identified at some regional offices to work as risk managers.

The bank has in place various policies such as Credit Risk Management Policy, Credit Risk Mitigation and Collateral Management Policy, Stress testing policy, Disclosure policy, Intra group transaction and exposure policy, Operational risk policy, ALM policy and Investment and Market risk management Policy.

Besides these, the Loan Policy prescribing broad parameters governing loan functions, guidelines on appraisal and evaluation of credit proposals, lending powers of delegated authority, exposure norms, prudential limits and measures of monitoring and controlling the credit portfolio documentation is also in place.

The Credit Monitoring Department headed by General Manager monitors the quality of loan proposals, identify special mention accounts and take corrective measures. Loan review mechanism is also carried out by the department.

The bank has introduced rating models for various segments of borrowers including retail lending schemes which measures the risk associated with counterparties and helps in credit and pricing decisions. In case of large borrowers credit risk assessment models evaluate financial risk, Industry risk, Management risk and business risk of the counter party and each of these risks are scored separately and then overall rating is accorded to the counter party. Facility rating module is also included in the rating tool.

Table DF-4

Credit risk: General disclosures for all banks

Qualitative Disclosures

Credit risk

Definitions of past due and impaired

A Non Performing Asset shall be a loan or an advance where-

- (i) Interest and/or installment of principal remain overdue for a period of more than 90days in respect of a Term Loan;
- (ii) The account remains out of order for 90 days
- (iii) The bill remains overdue for a period of more than 90days in the case of bills Purchased and Discounted
- (iv) In case of advances granted for Agricultural purposes
 - a) The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops
 - b) The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop seasons for long duration crops
- (v) The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of guidelines on securitization dated February 1, 2006.
- (vi) in respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark to- market value of a derivative contract, if these remain unpaid for a period of 90 days from the specified due date for payment.

Out of Order:

An account should be treated as “out of Order” if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating accounts less than the sanctioned limit/ drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of balance sheet or credit are not enough to cover the interest debited in the account during the same period.

Overdue:

Any amount due to the bank under any credit facility is overdue if it is not paid on due date fixed by the bank.

Credit Risk Management Policy

Bank has put in place a well-articulated Board approved Credit Risk Policy which is reviewed annually. The policy deals with the following areas:

- Credit risk- definition, Policy and strategy
- Risk identification & measurement,
- Risk grading and aggregation,
- Credit risk rating framework and reporting,
- Risk control and portfolio management,
- Mitigation techniques,
- Target markets and type of economic activity,
- Credit approval authority,
- Country and currency exposure,
- Maturity patterns, level of diversification,
- Cyclical aspect of the economy,
- Credit risk in off balance sheet exposure,
- Credit risk monitoring procedures
- Managing of credit risk in inter Bank Exposure,
- Country risk and other operational matters.

		(₹ in crores)
Quantitative Disclosures:		
(a)	Total gross credit risk exposures:	
	Fund based:	289125
	Non-fund based:	32881
(b)	Geographic distribution of exposures:	
	<input type="checkbox"/> Overseas	191
	<input type="checkbox"/> Domestic	321815



C.

Industry Name		Funded	Non-Funded
A.	Mining and Quarrying (A.1 + A.2)	438	66
	A.1 Coal	256	66
	A.2 Others	182	0
B.	Food Processing (B.1 to B.5)	7159	1475
	B.1 Sugar	3186	115
	B.2 Edible Oils and Vanaspati	969	356
	B.3 Tea	299	3
	B.4 Coffee	24	0
	B.5 Others	2681	1001
C.	Beverages (excluding Tea & Coffee) and Tobacco	58	31
	Of which Tobacco and tobacco products	12	2
D.	Textiles (a to f)	7511	1118
	a. Cotton	2561	269
	b. Jute	165	13
	c. Handicraft/Khadi (Non Priority)	19	0
	d. Silk	44	0
	e. Woolen	111	29
	f. Others	4610	807
	Out of D (i.e., Total Textiles) to Spinning Mills	299	22
E.	Leather and Leather products	106	26
F.	Wood and Wood Products	189	89
G.	Paper and Paper Products	699	191
H.	Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	1432	126
I.	Chemicals and Chemical Products (Dyes, Paints, etc.) (I.1 to I.4)	3875	1122
	I.1 Fertilizers	1373	2
	I.2 Drugs and Pharmaceuticals	1800	453
	I.3 Petro-chemicals (excluding under Infrastructure)	263	141
	I.4 Others	440	526
J.	Rubber, Plastic and their Products	379	109
K.	Glass & Glassware	39	0
L.	Cement and Cement Products	1832	238
M.	Basic Metal and Metal Products (M.1 + M.2)	10843	2356
	M.1 Iron and Steel	8772	1543
	M.2 Other Metal and Metal Products	2071	813
N.	All Engineering (N.1 + N.2)	4239	5722
	N.1 Electronics	592	461
	N.2 Others	3648	5260
O.	Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	1288	648
P.	Gems and Jewellery	1501	403
Q.	Construction	5001	1063
R.	Infrastructure (a to d)	52618	5238
	a. Transport (a.1 to a.5)	10275	1273
	a.1 Railways	736	105
	a.2 Roadways	7239	1073
	a.3 Airport	1222	35
	a.4 Waterways	1079	60
	a.5 Others	0	0



b.	Energy (b.1 to b.6)	36746	2652
	b.1 Electricity (Generation)	13308	2322
	b.1.1 Central Govt PSUs	765	134
	b.1.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	1493	262
	b.1.3 Private Sector	11050	1926
	b.2 Electricity (Transmission)	715	0
	b.2.1 Central Govt PSUs	0	0
	b.2.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	225	0
	b.2.3 Private Sector	490	0
	b.3 Electricity (Distribution)	21856	283
	b.3.1 Central Govt PSUs	1176	15
	b.3.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	20053	260
	b.3.3 Private Sector	626	8
	b.4 Oil (storage & pipelines)	380	15
	b.5 Gas/Liquefied Natural Gas (LNG) (storage & pipelines)	487	32
	b.6 Others	0	0
c.	Telecommunication	3037	1172
d.	Others	2560	140
	Of which Water sanitation	526	29
	Of which Social & Commercial Infrastructure	1710	94
S.	Other Industries	20616	3693
	All Industries (A to S)	119824	23714
	Residuary other advances (to tally with gross advances)	99860	6609
a .	Education loan	3012	0
b.	Aviation Sector	2409	321
c.	Other Residuary advance	94439	6288
	Total Loans and Advances	219684	30323

(d) Residual contractual maturity breakdown of Assets:

Day 1	5267
02days to 07days:	2517
08days to 14days:	1696
15days to 28days:	657
29days to 3months:	15048
Above 3months to 6months:	7047
Above 6months to 12months:	12829
Above 12months to 36months:	95567
Above 36months to 60months:	46212
Over 60 month	97260
Total	284101

(e) Amount of NPAs (Gross) –	
▪ Substandard	11873
▪ Doubtful	4773
▪ Loss	6874
	226
(f) Net NPAs	6807
(g) NPA Ratios	
▪ Gross NPAs to gross advances	6.09%
▪ Net NPAs to net advances	3.61%



(h) Movement of NPAs (Gross)	
▪ Opening balance	11500
▪ Additions	6579
▪ Reductions	6206
▪ NPA (Gross)	11873
(i) Movement of provisions for NPAs	
▪ Opening balance	4454
▪ Provisions made during the period	2062
▪ Write-off	0
▪ Write-back of excess provisions	1723
▪ Closing balance	4793
(j) Amount of Non-Performing Investments	305
(k) Amount of provisions held for non-performing investments	113
(l) Movement of provisions/depreciation on investments:	
▪ Opening balance	92
▪ Provisions made during the period	22
▪ Write-off	-
▪ Write back of excess provision	1
▪ Closing balance	113

Table DF-5

Credit risk: disclosures for portfolios subject to the standardized approach
Qualitative Disclosures

- The Bank has adopted Standardized approach for computation of capital charge for Credit risk as per RBI guidelines. These guidelines envisage different risk weights for different asset classes, which have been duly applied.
- The Bank has recognized the ratings issued by six External Credit Rating Agencies identified by RBI viz., CRISIL Ltd., CARE, ICRA Ltd., India ratings and research pvt ltd, SMERA rating ltd and BRICKWORK to rate the exposures of its clients.
- These agencies rate all fund and non-fund based exposures. The ratings awarded by these agencies to the bank's clients are adopted for assigning risk-weights.
- In case of bank's investment in particular issues of Corporate, the issue specific rating of the rating agency is reckoned to assign the risk weight.

Rs. in crores	
Quantitative Disclosures:	
(b) For exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach, amount of a bank's outstanding (rated and unrated) in the following three major risk buckets as well as those that are deducted:	
▪ Below 100 % risk weight:	198906
▪ 100 % risk weight:	76653
▪ More than 100 % risk weight:	46447
▪ Amount Deducted-CRM	13800

Table DF-6

Credit risk mitigation: disclosures for standardized approaches
Qualitative Disclosures
▪ Policies and processes for collateral valuation and management;

Bank has well defined credit risk mitigation and collateral management policy. The main types of collaterals accepted by bank are cash and near cash securities, land and building, plant and machinery etc.

▪ A description of the main types of collateral taken by the bank;

Bank accepts personal guarantees, corporate guarantees and guarantees issued by sovereigns and banks. Collaterals are valued at fair market value and at regular intervals as per the policy guidelines.

RBI guidelines recognize various types of financial collaterals for the purpose of credit risk mitigation. The guidelines further provide recognition of guarantees as one of the credit risk mitigants. Bank has put in place suitable policy measures to capture these elements.



₹ in crores	
Quantitative Disclosures	
(b) For disclosed credit risk portfolio under the standardized approach, the total exposure that is covered by:	
▪ eligible financial collateral; after the application of haircuts-	
Fund based	13285
Non fund based	515

Table DF-7

Securitization: disclosure for standardized approach

NIL		₹ in crores
Qualitative Disclosures:		
Quantitative Disclosures		
Banking Book		
(d) The total amount of exposures securitized by the bank		NIL
(e) For exposures securitized losses recognized by the bank during the current period broken down by the exposure type (eg. Credit cards, housing loans, auto loans etc. detailed by underlying security)		NIL
(f) Amount of assets intended to be securitized within a year		NIL
(g) Of (f), the amount of assets originated within a year before securitization		NIL
(h) The total amount of exposures securitized (by exposure type) and unrecognized gain or losses on sale by exposure type		NIL
(i) Aggregate amount of :		
- On balance sheet securitization exposures retained or purchased broken down by exposure type and-		Nil
- Off balance sheet securitization exposures broken down by exposure type		Nil
(j) Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased and the associated capital charges broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach.		Nil
Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from Total Capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type)		
Quantitative Disclosures		
Trading Book:		
(k) Aggregate amount of exposures securitized by the bank for which the bank has retained some exposures and which is subject to the market risk approach by exposure type		Nil
(l) Aggregate amount of :		
- On balance sheet securitization exposures retained or purchased broken down by exposure type and-		Nil
- Off balance sheet securitization exposures broken down by exposure type		Nil
(m) Aggregate amount of securitization exposures retained or purchased separately for :		
- securitization exposures retained or purchased subject to comprehensive risk measure risk measure for specific risk: and		Nil
- securitization exposures subject to the securitization framework for specific risk broken down into different risk weight bands		Nil
(n) Aggregate amount of :		
- The capital requirements for the securitization exposures, subject to the securitization framework broken down into different risk weight bands		Nil
- Securitization exposures that are deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/O deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type)		Nil



Table DF-8
Market risk in trading book

Qualitative disclosures

The bank has well defined Investment and Market Risk Management Policy. This policy covers all important areas of market risk measurement.

Bank defines Market Risk as the risk of loss in on-balance sheet and off-balance sheet positions arising from movements in market process, in particular, changes in interest rates, exchange rates and equity and commodity prices.

The bank has adopted Standardized Duration Approach for measuring the capital requirements for market risk as prescribed by RBI.

Policies for management of Market Risk:

The bank has put in place board approved Investment and Market Risk Management Policy for effective management of Market Risk in the bank. Other policies which also deal with Market Risk Management are Asset Liability Management Policy and Policy on Foreign Exchange Operations.

The policies set various prudential exposure limits and risk limits for ensuring that the operations are in line with bank's expectations of return to market risk through proper Market Risk Management and Asset Liability Management.

Asset-Liability Management

The ALM Policy is the framework of the ALM process. Bank's balance sheet has mixed exposure to different levels financial risk. The goal of bank is to maximize its profitability, but do so in a manner that does not expose the bank to excessive levels of risk which will ultimately affect the profitability. The Policy defines the limits for key measure of risk limits that have been established to specifically accommodate a bank's unique balance complexion, strategic direction, and appetite for risk.

Liquidity Risk

Liquidity Risk is managed through GAP analysis, based on residual maturity/behavior pattern of assets and liabilities. Banks has also put in place mechanism of short term dynamic liquidity management and contingency funding plan. Prudential limits are prescribed for different residual maturity time buckets for efficient Asset Liability Management Liquidity profile of the bank is also evaluated through various liquidity ratios.

Interest rate risk

Interest rate risk is managed through Gap analysis of rate sensitive assets and liabilities and is monitored through prudential limits. Bank also estimates risk periodically against adverse movements in interest rate for assessing the impact on Net Interest Income and economic Value of Equity.

Quantitative disclosures

Capital Requirement for Market Risk	Capital Charge
Interest Rate Risk	Rs. 946 Cr
Equity Position Risk	Rs. 617 Cr
Foreign Exchange Risk	Rs. 4 Cr
TOTAL	Rs. 1567 Cr

Table DF-9

Operational risk

Qualitative disclosures

Operational Risk is the risk of losses resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational Risk includes legal risk but excludes strategic and reputation risks. Operational Risk Management in the Bank is guided by a well defined Operational Risk Management Policy which is reviewed every year. The bank has initiated pro-active steps to equip itself to migrate to advanced approaches under Operational Risk and has started collation of data pertaining to Operational Risk loss events through Loss Data Management, Risk & control Self Assessment (RCSA), Key Risk Indicators (KRI) & Scenario Analysis. Bank is also a member of loss data consortium 'CORDEX' for external loss data base.

The Bank had already approached RBI for moving to The Standardised Approach and is now making efforts to move directly to Advance Measurement Approach.

The bank has provided capital for operational risk as per Basic Indicator Approach. Accordingly the capital requirement for operational risk as on 31.03.2015 is Rs. 1095 Crores.



Table DF-10

Interest rate risk in the banking book (IRRBB)

Qualitative Disclosure:

The interest rate risk is measured and monitored through two approaches:

1) Earning at risk (Traditional Gap Analysis)

The impact of change in interest rates on net interest income is analyzed under this approach and calculated under yield curve approach. Under this approach a parallel shift of 1% is assumed both in assets and liabilities.

2) Economic Value of Equity:

Modified duration of assets and liabilities is computed separately to arrive at modified duration of equity. A parallel shift in yield curve by 200 basis point is assumed for calculating the economic value of equity.

Quantitative Disclosure:

Parameter of Change	Rs. in Crores
1.Impact on Earnings at 100 bps increase in interest rate across assets and liability	471
2.Market value of Equity: 200 bps change	-1619

DR. S.K. MISHRA DY. GENERAL MANAGER	PRADEEP KUMAR GENERAL MANAGER
---	---

R.C. LODHA
EXECUTIVE DIRECTOR

B.K. DIVAKARA
EXECUTIVE DIRECTOR

R.K. GOYAL
EXECUTIVE DIRECTOR

RAJEEV RISHI
CHAIRMAN & MANAGING
DIRECTOR

Date: 29.05.2015



PILLAR 3 (BASEL III) DISCLOSURES AS ON 31.03.2015

CENTRAL BANK OF INDIA

Table DF-1: Scope of Application

i) Qualitative Disclosures:

The disclosure in this sheet pertains to Central Bank of India on solo basis.

In the consolidated accounts (disclosed annually), bank's subsidiaries/associates are treated as under

a. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity / Country of incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
Cent Bank Home Finance Ltd./ India	Yes	Consolidation of the financial statements of subsidiaries in accordance with AS- 21.	No	NA	NA	Deduction of Investments from capital
Cent Bank Financial Services Ltd./India	Yes	Consolidation of the financial statements of subsidiaries in accordance with AS- 21	No	NA	NA	Deduction of Investments from capital
Central Madhyapradesh GB/ India	Yes	Consolidation of the financial statements of subsidiaries in accordance with AS- 23	No	NA	NA	Risk Weighted Assets
Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur/ India	Yes	Consolidation of the financial statements of subsidiaries in accordance with AS- 23	No	NA	NA	Risk Weighted Assets
UttarbangaKshetriya Gram Bank, Cooch Bihar/ India	Yes	Consolidation of the financial statements of subsidiaries in accordance with AS- 23	No	NA	NA	Risk Weighted Assets
Indo-Zambia Bank Ltd. /Zambia.	Yes	Consolidation of the financial statements of subsidiaries in accordance with AS- 23	No	NA	NA	Risk Weighted Assets

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

Name of the entity / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of bank's investments in the capital instruments of the entity	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
NO SUCH ENTITY					

(ii) Quantitative Disclosures:
c. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity / country of incorporation (as indicated in (i)a. above)	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) Rs. in Mn	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) Rs. in Mn
Cent Bank Home Finance Ltd./ India	The main objective of the Company is to provide housing finance	250	8497
CentBank Financial Services Ltd./India	Providing investment banking products / services to corporate clients	50	468
Central Madhyapradesh GB/ India	Regional Rural Bank	2475	71700
Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur/ India	Regional Rural Bank	4545	164161
Uttarbanga Kshetriya Gram Bank, Cooch Bihar/ India	Regional Rural Bank	1028	24383

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted: NIL

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted: NIL

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group: NIL

Table DF-2: Capital Adequacy

Qualitative disclosures

(a) A summary discussion of the bank's approach to assess the adequacy of its capital to support current and future activities

The bank carries out regular assessment of its capital requirement from time to time to maintain the capital to Risk Weight Assets Ratio (CRAR) at desired level. The capital plan is reviewed on annual basis to take care of business growth and CRAR.

The bank has adopted standardized approach for credit risk, basic indicator approach for operational risk and standardized duration approach for market risk.

The bank has put in place a well laid down Internal Capital Adequacy Assessment Process to enable the bank to plan its capital requirements in relation to its business projections and to meet the risks inherent in the business. The main objective of ICAAP exercise is to identify and measure the risks that are not fully captured by the minimum capital ratio prescribed under Pillar1; the risks that are not at all taken into account by the pillar 1; and the factors external to the bank and to provide capital for such additional risks and to measure an appropriate level of internal capital as per the risk appetite. The bank has also put in place the stress testing policy to measure impact of adverse stress scenario on its CRAR.

The bank is reviewing the ICAAP on quarterly basis.

Bank has taken initiatives to migrate to advanced approaches for Risk Weighted Assets Computation, Bank is in the



process of acquiring software capabilities for the same.

Quantitative disclosures	
(b) Capital requirements for credit risk: <ul style="list-style-type: none"> • Portfolios subject to standardized approach @9% • Securitization exposures : 	Rs. 151845 Mn Nil
(c) Capital requirements for market risk: <ul style="list-style-type: none"> • Standardized duration approach; - Interest rate risk - Foreign exchange risk (including gold) - Equity risk 	Rs. 9576 Mn Rs. 41 Mn Rs. 6170 Mn
(d) Capital requirements for operational risk: <ul style="list-style-type: none"> • Basic Indicator Approach 	Rs. 10954 Mn
(e) Common Equity Tier 1, Tier 1 and Total Capital ratios: <ul style="list-style-type: none"> • Common Equity Tier 1 • Tier 1 • Total Capital ratio 	7.86% 8.05% 10.90%

General qualitative disclosure requirement

A committee of board of Directors regularly oversees the Bank's Risk Management policies/practices under various risks viz. credit, operational, market etc. The bank also has separate committees for each risk comprising of top executives of bank headed by Chairman and Managing Director/ Executive directors such as Asset liability Management committee, Credit policy Committee, Operational Risk committee. These committees meet at regular intervals throughout the year to assess and monitor the level of risk under various bank operations and initiate appropriate mitigation measures wherever necessary.

The Risk Management Department at central office level which is headed by General Manager; measures, control and manages risk within the limits set by the Board and enforces compliance with risk parameters set by various committees. The General Manager is assisted by Deputy General Manager and a team of Assistant General Managers, Chief Managers, Senior Managers and Managers.

At some identified zonal offices, Risk Managers are posted who act as an extended arm of the Risk Management Department of Central Office. Officers are also identified at some regional offices to work as risk managers.

The bank has in place various policies such as Credit Risk Management Policy, Credit Risk Mitigation and Collateral Management Policy, Stress testing policy, Disclosure policy, Intra group transaction and exposure policy, Operational risk policy, ALM policy and Investment and Market risk management Policy.

Besides these, the Loan Policy prescribing broad parameters governing loan functions, guidelines on appraisal and evaluation of credit proposals, lending powers of delegated authority, exposure norms, prudential limits and measures of monitoring and controlling the credit portfolio documentation is also in place.

The Credit Monitoring Department headed by General Manager monitors the quality of loan proposals, identify special mention accounts and take corrective measures. Loan review mechanism is also carried out by the department.

The bank has introduced rating models for various segments of borrowers including retail lending schemes which measures the risk associated with counterparties and helps in credit and pricing decisions. In case of large borrowers credit risk assessment models evaluate financial risk, Industry risk, Management risk and business risk of the counter party and each of these risks are scored separately and then overall rating is accorded to the counter party. Facility rating module is also included in the rating tool.

Table DF-3

Credit risk: General disclosures for all banks

Qualitative Disclosures

Credit risk

Definitions of past due and impaired

A Non-Performing Asset shall be a loan or an advance where-

- (i) Interest and/or installment of principal remain overdue for a period of more than 90days in respect of a Term Loan;
- (ii) The account remains out of order for 90 days
- (iii) The bill remains overdue for a period of more than 90days in the case of bills Purchased and Discounted
- (iv) In case of advances granted for Agricultural purposes



- a) The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops
- b) The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop seasons for long duration crops
- (v) The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of guidelines on securitization dated February 1, 2006.
- (vi) in respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark to- market value of a derivative contract, if these remain unpaid for a period of 90 days from the specified due date for payment.

Out of Order:

An account should be treated as “out of Order” if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating accounts less than the sanctioned limit/ drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of balance sheet or credit are not enough to cover the interest debited in the account during the same period.

Overdue:

Any amount due to the bank under any credit facility is overdue if it is not paid on due date fixed by the bank.

Credit Risk Management Policy

Bank has put in place a well-articulated Board approved Credit Risk Policy which is reviewed annually. The policy deals with the following areas:

- Credit risk- definition, Policy and strategy
- Risk identification & measurement,
- Risk grading and aggregation,
- Credit risk rating framework and reporting,
- Risk control and portfolio management,
- Mitigation techniques,
- Target markets and type of economic activity,
- Credit approval authority,
- Country and currency exposure,
- Maturity patterns, level of diversification,
- Cyclical aspect of the economy,
- Credit risk in off balance sheet exposure,
- Credit risk monitoring procedures
- Managing of credit risk in inter Bank Exposure,
- Country risk and other operational matters.

(Rs. in Mn)	
Quantitative Disclosures:	
(a) Total gross credit risk exposures:	
Fund based:	2891245
Non-fund based:	328815
(b) Geographic distribution of exposures:	
• Overseas	1909
• Domestic	3218151

(c)

Industry Name		
	Funded	Non-Funded
A. Mining and Quarrying (A.1 + A.2)	4376	659



A.1 Coal	2561	659
A.2 Others	1815	0
B. Food Processing (B.1 to B.5)	71595	14750
B.1 Sugar	31855	1150
B.2 Edible Oils and Vanaspati	9692	3562
B.3 Tea	2993	27
B.4 Coffee	242	0
B.5 Others	26813	10011
C. Beverages (excluding Tea & Coffee) and Tobacco	578	312
Of which Tobacco and tobacco products	118	19
D. Textiles (a to f)	75113	11182
a. Cotton	25613	2692
b. Jute	1653	130
c. Handicraft/Khadi (Non Priority)	194	0
d. Silk	443	0
e. Woolen	1109	287
f. Others	46102	8073
Out of D (i.e., Total Textiles) to Spinning Mills	2992	219
E. Leather and Leather products	1061	264
F. Wood and Wood Products	1895	887
G. Paper and Paper Products	6992	1912
H. Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	14318	1256
I. Chemicals and Chemical Products (Dyes, Paints, etc.) (I.1 to I.4)	38748	11222
I.1 Fertilizers	13725	15
I.2 Drugs and Pharmaceuticals	17999	4528
I.3 Petro-chemicals (excluding under Infrastructure)	2628	1414
I.4 Others	4395	5264
J. Rubber, Plastic and their Products	3792	1089
K. Glass & Glassware	388	0
L. Cement and Cement Products	18322	2385
M. Basic Metal and Metal Products (M.1 + M.2)	108430	23556
M.1 Iron and Steel	87722	15428
M.2 Other Metal and Metal Products	20708	8128
N. All Engineering (N.1 + N.2)	42392	57217
N.1 Electronics	5916	4614
N.2 Others	36476	52603
O. Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	12880	6484
P. Gems and Jewellery	15011	4032
Q. Construction	50015	10631
R. Infrastructure (a to d)	526178	52376
a. Transport (a.1 to a.5)	102751	12729
a.1 Railways	7357	1050
a.2 Roadways	72385	10727
a.3 Airport	12219	352
a.4 Waterways	10790	600
a.5 Others	0	0
b. Energy (b.1 to b.6)	367463	26523



b.1 Electricity (Generation)	133084	23218
b.1.1 Central Govt PSUs	7647	1340
b.1.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	14934	2617
b.1.3 Private Sector	110504	19261
b.2 Electricity (Transmission)	7152	0
b.2.1 Central Govt PSUs	0	0
b.2.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	2253	0
b.2.3 Private Sector	4899	0
b.3 Electricity (Distribution)	218556	2830
b.3.1 Central Govt PSUs	11764	152
b.3.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	200532	2597
b.3.3 Private Sector	6260	81
b.4 Oil (storage & pipelines)	3803	155
b.5 Gas/Liquefied Natural Gas (LNG) (storage & pipelines)	4868	321
b.6 Others	0	0
c. Telecommunication	30365	11720
d. Others	25598	1404
Of which Water sanitation	5262	288
Of which Social & Commercial Infrastructure	17103	938
S. Other Industries	206159	36931
All Industries (A to S)	1198242	237143
Residuary other advances (to tally with gross advances)	998600	66089
a. Education Loan	30119	0
b. Aviation Sector	24088	3212
c. Other Residuary advances	944393	62877
Total Loans and Advances	2196842	303232

Industry exposure is more than 5% of gross exposure

	Funded	Non-Funded
Basic Metal and Metal Products	108430	23556
Infrastructure	526178	52376
Other Industries	206159	36931

(d) Residual maturity breakdown of Assets:

Day 1	52665
02days to 07days:	25171
08days to 14days:	16964
15days to 28days:	6572
29days to 3months:	150484
Above 3months to 6months:	70468
Above 6months to 12months:	128293
Above 12months to 36months:	955674
Above 36months to 60months:	462118
Over 60 month	972597
Total	2841007



(e) Amount of NPAs (Gross) –	118730
▪ Substandard	47730
▪ Doubtful 1	28140
▪ Doubtful 2	35550
▪ Doubtful 3	5050
▪ Loss	2260
(f) Net NPAs	68070
(g) NPA Ratios	
▪ Gross NPAs to gross advances	6.09%
▪ Net NPAs to net advances	3.61%
(h) Movement of NPAs (Gross)	
▪ Opening balance	115000
▪ Additions	65790
▪ Reductions	62060
▪ NPA (Gross)	118730
(i) Movement of provisions for NPAs	
▪ Opening balance	44540
▪ Provisions made during the period	20620
▪ Write-off	
▪ Write-back of excess provisions	17230
▪ Closing balance	47930
(j) Amount of Non-Performing Investments	3046
(k) Amount of provisions held for non-performing investments	1133
(l) Movement of provisions/depreciation on investments:	
▪ Opening balance	918
▪ Provisions made during the period	223
▪ Write-off	-
▪ Write back of excess provision	8
▪ Closing balance	1133

Table DF-4

Credit risk: disclosures for portfolios subject to the standardized approach

Qualitative Disclosures

- The Bank has adopted Standardized approach for computation of capital charge for Credit risk as per RBI guidelines. These guidelines envisage different risk weights for different asset classes, which have been duly applied..
- The Bank has recognized the ratings issued by six External Credit Rating Agencies identified by RBI viz., CRISIL Ltd., CARE, ICRA Ltd., India ratings and research pvtltd, SMERArating ltd and BRICKWORK to rate the exposures of its clients.
- These agencies rate all fund and non fund based exposures. The ratings awarded by these agencies to the bank's clients are adopted for assigning risk-weights.
- In case of bank's investment in particular issues of Corporate, the issue specific rating of the rating agency is reckoned to assign the risk weight

Rs. in Mn	
Quantitative Disclosures:	
(b) For exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach, amount of a bank's outstanding (rated and unrated) in the following three major risk buckets as well as those that are deducted:	
▪ Below 100 % risk weight:	1989061
▪ 100 % risk weight	766530
▪ More than 100 % risk weight	464469
▪ Amount Deducted-CRM	138003

Table DF-5

Credit risk mitigation: disclosures for standardized approaches

Qualitative Disclosures

▪ **Policies and processes for collateral valuation and management;**

Bank has well defined credit risk mitigation and collateral management policy. The main types of collaterals accepted by bank are cash and near cash securities, land and building, plant and machinery etc.

▪ **A description of the main types of collateral taken by the bank;**

Bank accepts personal guarantees, corporate guarantees and guarantees issued by sovereigns and banks. Collaterals are valued at fair market value and at regular intervals as per the policy guidelines.

RBI guidelines recognize various types of financial collaterals for the purpose of credit risk mitigation. The guidelines further provide recognition of guarantees as one of the credit risk mitigants. Bank has put in place suitable policy measures to capture these elements.

Rs. in Mn.	
Quantitative Disclosures	
(b) For disclosed credit risk portfolio under the standardized approach, the total exposure that is covered by:	
▪ eligible financial collateral; after the application of haircuts-	
Fund based	132852
Non fund based	5151



Table DF-6

Securitization: disclosure for standardized approach

Qualitative Disclosures:

NIL

	Rs. in Mn
Quantitative Disclosures	
Banking Book	
(d) The total amount of exposures securitized by the bank	NIL
(e) For exposures securitized losses recognized by the bank during the current period broken down by the exposure type (eg. Credit cards, housing loans, auto loans etc. detailed by underlying security)	NIL
(f) Amount of assets intended to be securitized within a year	NIL
(g) Of (f), the amount of assets originated within a year before securitization	NIL
(h) The total amount of exposures securitized (by exposure type) and unrecognized gain or losses on sale by exposure type	NIL
(i) Aggregate amount of :	
- On balance sheet securitization exposures retained or purchased broken down by exposure type and-	NIL
- Off balance sheet securitization exposures broken down by exposure type	NIL
(j) Aggregate amount of securitization exposures retained or purchased and the associated capital charges broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach.	Nil
Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from Total Capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type)	Nil
Quantitative Disclosures	
Trading Book:	
(k) Aggregate amount of exposures securitized by the bank for which the bank has retained some exposures and which is subject to the market risk approach by exposure type	Nil
(l) Aggregate amount of :	
- On balance sheet securitization exposures retained or purchased broken down by exposure type and-	Nil
- Off balance sheet securitization exposures broken down by exposure type	Nil
(m) Aggregate amount of securitization exposures retained or purchased separately for :	
- securitization exposures retained or purchased subject to comprehensive risk measure risk measure for specific risk: and	Nil
- securitization exposures subject to the securitization framework for specific risk broken down into different risk weight bands	Nil
(n) Aggregate amount of :	
- The capital requirements for the securitization exposures, subject to the securitization framework broken down into different risk weight bands	Nil
- Securitization exposures that are deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/O deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type)	Nil

Table DF-7
Market risk in trading book

Qualitative disclosures

The bank has well defined Investment and Market Risk Management Policy. This policy covers all important areas of market risk measurement.

Bank defines Market Risk as the risk of loss in on-balance sheet and off-balance sheet positions arising from movements in market process, in particular, changes in interest rates, exchange rates and equity and commodity prices.

The bank has adopted Standardized Duration Approach for measuring the capital requirements for market risk as prescribed by RBI.

Policies for management of Market Risk:

The bank has put in place board approved Investment and Market Risk Management Policy for effective management of Market Risk in the bank. Other policy which also deal with Market Risk Management are Asset Liability Management Policy.

The policies set various prudential exposure limits and risk limits for ensuring that the operations are in line with bank's expectations of return to market risk through proper Market Risk Management and Asset Liability Management.

Asset-Liability Management

The ALM Policy is the framework of the ALM process. Bank's balance sheet has mixed exposure to different levels financial risk. The goal of bank is to maximize its profitability, but do so in a manner that does not expose the bank to excessive levels of risk which will ultimately affect the profitability. The Policy defines the limits for key measure of risk limits that have been established to specifically accommodate a bank's unique balance complexion, strategic direction, and appetite for risk..

Liquidity Risk

Liquidity Risk is managed through GAP analysis, based on residual maturity/behavior pattern of assets and liabilities. Banks has also put in place mechanism of short term dynamic liquidity management and contingency funding plan. Prudential limits are prescribed for different residual maturity time buckets for efficient Asset Liability Management Liquidity profile of the bank is also evaluated through various liquidity ratios.

Interest rate risk

Interest rate risk is managed through Gap analysis of rate sensitive assets and liabilities and is monitored through prudential limits. Bank also estimates risk periodically against adverse movements in interest rate for assessing the impact on Net Interest Income and economic Value of Equity

Quantitative disclosures

Capital Requirement for Market Risk	Capital Charge (Rs. in Mn)
Interest Rate Risk	Rs. 9576Mn
Equity Position Risk	Rs. 6170Mn
Foreign Exchange Risk	Rs. 41Mn
TOTAL	15787

Table DF-8
Operational risk

Qualitative disclosures

Operational Risk is the risk of losses resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational Risk includes legal risk but excludes strategic and reputation risks. Operational Risk Management in the Bank is guided by a well defined Operational Risk Management Policy which is reviewed every year. The bank has initiated pro-active steps to equip itself to migrate to advanced approaches under Operational Risk and has started collation of data pertaining to Operational Risk loss events through Loss Data Management, Risk & control Self Assessment (RCSA), Key Risk Indicators (KRI) & Scenario Analysis. Bank is also a member of loss data consortium 'CORDEX' for external loss data base.

The Bank had already approached RBI for moving to The Standardized Approach and is now making efforts to move directly to Advance Measurement Approach.

The bank has provided capital for operational risk as per Basic Indicator Approach.

Accordingly the capital requirement for operational risk as on 31.03.2015 is Rs.10954.50Mn



Table DF-9

Interest rate risk in the banking book (IRRBB)

Qualitative Disclosure:

The interest rate risk is measured and monitored through two approaches:

1) Earning at risk (Traditional Gap Analysis)

The impact of change in interest rates on net interest income is analyzed under this approach and calculated under yield curve approach. Under this approach a parallel shift of 1% is assumed both in assets and liabilities.

2) Economic Value of Equity:

Modified duration of assets and liabilities is computed separately to arrive at modified duration of equity. A parallel shift in yield curve by 200 basis point is assumed for calculating the economic value of equity.

Quantitative Disclosure

Parameter of Change	Rs. in Mn
1. Impact on Earnings at 100 bps increase in interest rate across assets and liability	4712
2. Market value of Equity: 200 bps change	-16195

Table DF-10

General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

Qualitative Disclosures	(a)	The bank assigns credit limits for counterparty exposure on the basis of capital adequacy, asset quality, earnings, liquidity and management quality. The bank has well defined investment and market risk management policy. The Bank deals in various derivative products and interest Rate Swaps. The bank used derivative products for hedging its own balance sheet items as well as for trading purposes.																							
Quantitative Disclosures	(b)	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">Rs. in Mn</th> </tr> <tr> <th>Particulars</th> <th colspan="2">Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gross positive value of contracts</td> <td colspan="2">770</td> </tr> <tr> <td>Netting Benefits</td> <td colspan="2">0</td> </tr> <tr> <td>Netted current credit exposure</td> <td colspan="2">2654</td> </tr> <tr> <td>Collateral held</td> <td colspan="2">0</td> </tr> <tr> <td>Net Derivative Credit Exposure</td> <td colspan="2">2654</td> </tr> </tbody> </table>				Rs. in Mn		Particulars	Amount		Gross positive value of contracts	770		Netting Benefits	0		Netted current credit exposure	2654		Collateral held	0		Net Derivative Credit Exposure	2654	
	Rs. in Mn																								
Particulars	Amount																								
Gross positive value of contracts	770																								
Netting Benefits	0																								
Netted current credit exposure	2654																								
Collateral held	0																								
Net Derivative Credit Exposure	2654																								
	(c)	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">Rs. in Mn</th> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Notional Amount</th> <th>Current credit Exposure</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Forward Forex contracts</td> <td>88007</td> <td>2530</td> </tr> <tr> <td>Cross Currency Swaps including cross currency interest rate swaps</td> <td>5000</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Interest rate Contracts</td> <td>2750</td> <td>24</td> </tr> </tbody> </table>				Rs. in Mn		Item	Notional Amount	Current credit Exposure	Forward Forex contracts	88007	2530	Cross Currency Swaps including cross currency interest rate swaps	5000	100	Interest rate Contracts	2750	24						
	Rs. in Mn																								
Item	Notional Amount	Current credit Exposure																							
Forward Forex contracts	88007	2530																							
Cross Currency Swaps including cross currency interest rate swaps	5000	100																							
Interest rate Contracts	2750	24																							



Table DF-11: Composition of Capital

Part II: Template to be used before March 31, 2017 (i.e. during the transition period of Basel III regulatory adjustments)

		(Rs. in millions)		
Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)		Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	Ref No.	
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves				
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	16583		A1
2	Retained earnings	2810		
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	136822		
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	0		
	Public sector capital injections grandfathered until 1 January 2018	0		
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0		
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	156215		
Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments				
7	Prudential valuation adjustments	0	0	0
8	Goodwill (net of related tax liability)	0	0	0
9	Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	0	0	0
10	Deferred tax assets	0	0	0
11	Cash-flow hedge reserve	0	0	0
12	Shortfall of provisions to expected losses	0	0	0
13	Securitisation gain on sale	0	0	0
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	0	0	0
15	Defined-benefit pension fund net assets	0	0	0
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	0	0	0
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	34	23	0
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	0	0	0
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	161	108	0
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	0	0	0
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	0	0	0
22	Amount exceeding the 15% threshold	0	0	0
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities	0	0	0
24	of which: mortgage servicing rights	0	0	0
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	0	0	0
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)	0	0	0
26a	of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries	0	0	0



26b	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	0	0	0
26c	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0	0	0
26d	of which: Unamortized pension funds expenditures	0	0	0
	Regulatory Adjustments Applied to Common Equity Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	0	0	0
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	0	0	0
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	0	0	0
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	0	0	0
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	0	0	0
28	Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1	195	131	
29	Common Equity Tier 1 capital (CET1)	156020		
Additional Tier 1 capital: instruments				
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	0		
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)			
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)			
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	4081		B1+B2
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)			
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out			
36	Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments	4081		
Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments				
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	0	0	
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	0	0	
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0	0	
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	54	54	
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	315		
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries			
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank			
	Regulatory Adjustments Applied to Additional Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	0	0	
	of which: Intangible Assets	0		
	of which: e.g. reciprocal cross holding subject to pre - basel III treatment pertaining Common Equity, Additional Tier1 and Tier 2	315	0	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	0		
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions			
43	Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	369		
44	Additional Tier 1 capital (AT1)	3712		



45	Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44a)	159731		
Tier 2 capital: instruments and provisions				
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	10000		C3
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	27655		C1+C2
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	0		
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0		
50	Provisions (Revaluation reserves, Provision on Standard assets, sale of NPA etc)	20259		
51	Tier 2 capital before regulatory adjustments	57914		
52	Investments in own Tier 2 instruments			
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	1216	304	
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	0	0	
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	54	0	
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	11		
56a	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries			
56b	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank			
	Regulatory Adjustments Applied To Tier 2 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	11		
	of which: Reciprocal cross holding Common Equity	11	0	
	of which: Investments more than 10% of common equity in Tier 1 and Tier 2	0		
57	Total regulatory adjustments to Tier 2 capital	1281		
58	Tier 2 capital (T2)	56633		
58a	Tier 2 capital reckoned for capital adequacy	56633		
58b	Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital	0		
58c	Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy (58a + 58b)	56633		
59	Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58c)	216364		
	Risk Weighted Assets in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment			
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]			
	of which: ...			
60	Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)	1984293		
60a	of which: total credit risk weighted assets	1687170		
60b	of which: total market risk weighted assets	175407		
60c	of which: total operational risk weighted assets	121716		
Capital ratios				
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	7.86%		
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	8.05%		
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	10.90%		
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	5.50%		



65	of which: capital conservation buffer requirement	0.00%		
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	0.00%		
67	of which: G-SIB buffer requirement	0.00%		
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	0.00%		
National minima (if different from Basel III)				
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.50%		
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.00%		
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.00%		
Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)				
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities			
73	Significant investments in the common stock of financial entities			
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)			
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)			
Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2				
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)			
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach			
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)			
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach			
Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)				
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	NA		
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA		
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	NA		
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA		
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	NA		
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA		

Table DF-12
Composition of Capital- Reconciliation Requirements

		(Rs. in Millions)	
		Balance sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		As on 31.03.2015	As on 31.03.2015
A	Capital & Liabilities		
i	Paid-up Capital	16583	
	of which: Amount eligible for CET 1	16583	A1
	of which: Amount eligible for AT 1	0	B1
	Reserves & Surplus	157986	
	Minority Interest	0	
	Total Capital	174569	
ii	Deposits	2555724	
	of which: Deposits from banks	63336	
	of which: Customer deposits	2492388	
	of which: Other deposits (pl. specify)	-	
iii	Borrowings	259741	
	of which: From RBI	142071	
	of which: From banks	0	
	of which: From other institutions & agencies	37680	
	of which: Others (Outside india)	5937	
	of which: Subordinated Debt	24373	C1
	of which: Upper Tier 2	28850	C2
	of which: Unsecured redeemable NC Basel III Bonds (Tier 2)	10000	C3
	of which: Innovative Perpetual Debt Instrument	10830	B2
iv	Other liabilities & provisions	129371	
	Total	3119405	
B	Assets		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	141148	
	Balance with banks and money at call and short notice	6955	
ii	Investments:	954739	
iii	Loans and advances	1884775	
	of which: Loans and advances to banks	8	
	of which: Loans and advances to customers	1884767	
iv	Fixed assets	28332	
v	Other assets	103456	
	of which: Goodwill and intangible assets	0	
	of which: Deferred tax assets	0	
vi	Goodwill on consolidation		
vii	Debit balance in Profit & Loss account	0	
	Total Assets	3119405	


Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments

The main features of Tier - 1 capital instruments are given below:

Details	Equity
Issuer	CENTRAL BANK OF INDIA
Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE483A01010
Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
<i>Regulatory treatment</i>	
Transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
Post-transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group
Instrument type	Common Shares
Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	16583
Par value of instrument	Rs. 10 per share
Accounting classification	Shareholder's Equity
Original date of issuance	Various
Perpetual or dated	Perpetual
Original maturity date	N.A.
Issuer call subject to prior supervisory approval	No
Optional call date, contingent call dates and redemption amount	N.A.
Subsequent call dates, if applicable	N.A.
<i>Coupons / dividends</i>	
Fixed or floating dividend/coupon	Floating
Coupon rate and any related index	N.A.
Existence of a dividend stopper	No
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully discretionary
Existence of step up or other incentive to redeem	No
Noncumulative or cumulative	N.A.
Convertible or non-convertible	N.A.
If convertible, conversion trigger(s)	N.A.
If convertible, fully or partially	N.A.
If convertible, conversion rate	N.A.
If convertible, mandatory or optional conversion	N.A.
If convertible, specify instrument type convertible into	N.A.
If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N.A.
Write-down feature	N.A.
If write-down, write-down trigger(s)	N.A.
If write-down, full or partial	N.A.
If write-down, permanent or temporary	N.A.
If temporary write-down, description of write-up mechanism	N.A.
Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All depositors and others Creditors, bonds, and PNCPS
Non-compliant transitioned features	No
If yes, specify non-compliant features	



SERIES DETAILS	IPDI	Sr. II PDI
Issuer	CENTRAL BANK OF INDIA	CENTRAL BANK OF INDIA
Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE483A09237	INE483109252
Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws
<i>Regulatory treatment</i>		
Transitional Basel III rules	Additional Tier 1	Ineligible
Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible
Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group	Solo and Group
Instrument type	Perpetual Debt Instruments	Perpetual Debt Instruments
Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	4081	0
Par value of instrument	Rs.1.00 Mn	Rs.1.00 Mn
Accounting classification	LIABILITY	LIABILITY
Original date of issuance	30.03.2009	28.09.2012
Perpetual or dated	Perpetual	Perpetual
Original maturity date		
Issuer call subject to prior supervisory approval	No	Yes
Optional call date, contingent call dates and redemption amount	N.A.	28.09.2022
Subsequent call dates, if applicable	N.A.	N.A.
<i>Coupons / dividends</i>		
Fixed or floating dividend/coupon	Floating	Fixed
Coupon rate and any related index	G.sec + 250 bps to be repriced every year in March	9.40% p.a.
Existence of a dividend stopper	No	No
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory
Existence of step up or other incentive to redeem	No	No
Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative
Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible
If convertible, conversion trigger(s)	N.A.	N.A.
If convertible, fully or partially	N.A.	N.A.
If convertible, conversion rate	N.A.	N.A.
If convertible, mandatory or optional conversion	N.A.	N.A.
If convertible, specify instrument type convertible into	N.A.	N.A.
If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N.A.	N.A.
Write-down feature	Not Applicable	Not Applicable
If write-down, write-down trigger(s)	N.A.	N.A.
If write-down, full or partial	N.A.	N.A.
If write-down, permanent or temporary	N.A.	N.A.
If temporary write-down, description of write-up mechanism	N.A.	N.A.
Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All depositors and other Creditors	All depositors and other Creditors
Non-compliant transitioned features	Yes	Yes
If yes, specify non-compliant features	Not Basel III Loss absorbency features	Fully derecognized, Not Basel III Loss absorbency features


The main features of Upper Tier - 2 capital instruments are given below

SERIES DETAILS	Upper Tier II (Sr. I)	Upper Tier II (Sr. II)	Upper Tier II (Sr. III)	Upper Tier II (Sr. IV)	Upper Tier II (Sr. V)	Upper Tier II (Sr. VI)
Issuer	CENTRAL BANK OF INDIA					
Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE483109179	INE483A09195	INE483A09203	INE483A09211	INE483A09229	INE483A08015
Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws
<i>Regulatory treatment</i>						
Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2
Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible
Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group
Instrument type	Upper Tier 2 Capital Instruments	Upper Tier 2 Capital Instruments	Upper Tier 2 Capital Instruments	Upper Tier 2 Capital Instruments	Upper Tier 2 Capital Instruments	Upper Tier 2 Capital Instruments
Amount recognized in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	2100	1995	3500	3500	7000	2100
Par value of instrument	Rs. 1.00 Mn	Rs. 1.00 Mn	Rs. 1.00 Mn	Rs. 1.00 Mn	Rs. 1.00 Mn	Rs. 1.00 Mn
Accounting classification	LIABILITY	LIABILITY	LIABILITY	LIABILITY	LIABILITY	LIABILITY
Original date of issuance	14.11.2008	17.02.2009	23.06.2009	20.01.2010	11.06.2010	21.01.2011
Perpetual or dated	DATED	DATED	DATED	DATED	DATED	DATED
Original maturity date	14.11.2023	17.02.2024	23.06.2024	20.01.2025	11.06.2025	21.01.2026
Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Optional call date, contingent call dates and redemption amount	14.11.2018	17.02.2019	23.06.2019	20.01.2020	11.06.2020	21.01.2021
Subsequent call dates, if applicable	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
<i>Coupons / dividends</i>						
Fixed or floating dividend/ coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
Coupon rate and any related index	11.45%	9.40%	8.80%	8.63%	8.57%	9.20%
Existence of a dividend stopper	No	No	No	No	No	No
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
Existence of step up or other incentive to redeem	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No
Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative
Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
If convertible, conversion trigger(s)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, fully or partially	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.



If convertible, conversion rate	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, mandatory or optional conversion	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, specify instrument type convertible into	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Write-down feature	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If write-down, write-down trigger(s)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If write-down, full or partial	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If write-down, permanent or temporary	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If temporary write-down, description of write-up mechanism	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors
Non-compliant transitioned features	YES	YES	YES	YES	YES	YES
If yes, specify non-compliant features	Step up, Not Basel III Loss absorbency features	Step up, Not Basel III Loss absorbency features	Step up, Not Basel III Loss absorbency features	Step up, Not Basel III Loss absorbency features	Step up, Not Basel III Loss absorbency features	Not Basel III Loss absorbency features

The main features of Subordinated Debt capital instruments are given below:

SERIES DETAILS	Lower Tier II Sr X	Lower Tier II Sr XI	Lower Tier II Sr XII	Lower Tier II Sr XIII	Lower Tier II Sr XIV
Issuer	Central Bank of India				
Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE483A09146	INE483A09153	INE483A09161	INE483109187	INE483A09245
Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws
<i>Regulatory treatment</i>					
Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2
Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible
Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group
Instrument type	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments
Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	0	980	1090	1890	3500
Par value of instrument	Rs.1.00 Mn	Rs.1.00 Mn	Rs.1.00 Mn	Rs.1.00 Mn	Rs.1.00 Mn
Accounting classification	LIABILITY	LIABILITY	LIABILITY	LIABILITY	LIABILITY
Original date of issuance	28.03.2006	04.10.2006	03.03.2008	10.02.2009	21.12.2011
Perpetual or dated	DATED	DATED	DATED	DATED	DATED
Original maturity date	28.06.2015	04.10.2016	03.05.2017	10.04.2018	21.12.2026
Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No	No	No	Yes



Optional call date, contingent call dates and redemption amount	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21.12.2021
Subsequent call dates, if applicable	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
<i>Coupons / dividends</i>					
Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
Coupon rate and any related index	8.15%	8.95%	9.20%	9.35%	9.33%
Existence of a dividend stopper	No	No	No	No	No
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
Existence of step up or other incentive to redeem	No	No	No	No	No
Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative
Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
If convertible, conversion trigger(s)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, fully or partially	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, conversion rate	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, mandatory or optional conversion	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, specify instrument type convertible into	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Write-down feature	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
If write-down, write-down trigger(s)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If write-down, full or partial	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If write-down, permanent or temporary	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If temporary write-down, description of write-up mechanism	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors
Non-compliant transitioned features	YES	YES	YES	YES	YES
If yes, specify non-compliant features	Not Basel III Loss absorbency features	Not Basel III Loss absorbency features	Not Basel III Loss absorbency features	Not Basel III Loss absorbency features	Not Basel III Loss absorbency features

The main features of BASEL III compliant Tier 2 Bonds are given below:

	BASEL III COMPLIANT TIER II BONDS
	SR I
Issuer	Central Bank of India
Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE483A09260
Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
<i>Regulatory treatment</i>	
Transitional Basel III rules	Tier 2
Post-transitional Basel III rules	ELIGIBLE
Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group
Instrument type	Tier 2 Debt Instruments
Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	10000
Par value of instrument	Rs.1.00 Mn
Accounting classification	LIABILITY
Original date of issuance	08.11.2013
Perpetual or dated	DATED
Original maturity date	08.11.2023
Issuer call subject to prior supervisory approval	No
Optional call date, contingent call dates and redemption amount	N.A.
Subsequent call dates, if applicable	N.A.
<i>Coupons / dividends</i>	
Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
Coupon rate and any related index	9.90%
Existence of a dividend stopper	No
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
Existence of step up or other incentive to redeem	No
Noncumulative or cumulative	Noncumulative
Convertible or non-convertible	Nonconvertible
If convertible, conversion trigger(s)	N.A.
If convertible, fully or partially	N.A.
If convertible, conversion rate	N.A.
If convertible, mandatory or optional conversion	N.A.
If convertible, specify instrument type convertible into	N.A.
If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N.A.
Write-down feature	YES
If write-down, write-down trigger(s)	These bonds, at the option of the reserve bank of India, can be temporarily written down or permanently written off upon occurrence of the trigger event, called the 'point of non-viability trigger' ("ponv trigger")
If write-down, full or partial	Partial



If write-down, permanent or temporary	Temporary
If temporary write-down, description of write-up mechanism	<p>1) It should be done at least one year after the bank makes the first payment of dividend to its common shareholders after breaching the pre-specified trigger.</p> <p>2) Aggregate write-up in a year should be restricted to a percentage of dividends declared during a year, the percentage being the ratio of the 'equity created by written-down bonds' to 'the total equity minus the equity created by written-down bonds'.</p> <p>3) Aggregate write-up in a year, should also not exceed 25% of the amount paid as dividend to the common shareholders in a particular year.</p>
Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All depositors and other creditors
Non-compliant transitioned features	NO
If yes, specify non-compliant features	-

Table DF-14: Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments

Sr. No.	Capital type	Instruments	Full Terms and Conditions
1.	Equity	Equity	As disclosed in Main features section
2.	Additional Tier 1	IPDI	As disclosed in Main features section
3.	TIER 2	UPPER TIER 2 BONDS	As disclosed in Main features section
4.	TIER 2	SUBORDINATE BONDS	As disclosed in Main features section
5.	TIER 2	BASEL III COMPLIANT BOND	As disclosed in Main features section

DR. S. K. MISHRA
DY. GENERAL MANAGER

PRADEEP KUMAR
GENERAL MANAGER

R.C. LODHA
EXECUTIVE DIRECTOR

B.K. DIVAKARA
EXECUTIVE DIRECTOR

R.K. GOYAL
EXECUTIVE DIRECTOR

RAJEEV RISHI
CHAIRMAN & MANAGING
DIRECTOR

Date: 29.05.2015

KUMAR CHOPRA & ASSOCIATES
B-12 (Ground Floor)
Kalindi Colony,
Near Maharani Bagh,
New Delhi- 110065

P K SUBRAMANIAM & CO.
11-5-23, Kartik Complex
Above Vijaya Bank, Bresthwarpet
Raichur- 584101, Karnataka

DOOGAR & ASSOCIATES
13, Community Centre,
East of Kailash,
New Delhi - 110065

N SARKAR & CO.
21 Prafulla Sarkar Street
2nd floor
Kolkata- 700072,
West Bengal

B N MISRA & CO.
S-29 , Maitri Vihar, Phase – II
In front of Satyam Development
Centre
Bhubaneshwar- 751023, Orissa

CHANDABHOY & JASSOOBHOY
208, Phoenix House, A
wing, 462, Senapati Bapat Marg, Lower
Parel,
Mumbai-400013
Maharashtra

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT ON CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

To The Board of Directors of CENTRAL BANK OF INDIA

1. We have audited the accompanying **consolidated** financial statements of Central Bank of India ("The Bank"), its subsidiaries and associates (collectively referred to as "The Group") which comprise of the consolidated Balance Sheet as at 31st March, 2015, the consolidated Profit and Loss Account and the consolidated Cash Flow Statement for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information, in which are incorporated:
 - (i) Audited accounts of the Central Bank of India (The Bank), audited by us,
 - (ii) Audited accounts of two Subsidiaries & three Regional Rural Banks (RRB), all of which are audited by other auditors,
 - (iii) Accounts of an Associate for a period of nine months audited by other auditor and unaudited accounts of the said Associate for the three months period ended March 31, 2015.

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group in accordance with accounting principles generally accepted in India; this responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

- 3.1 Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.
- 3.2 An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Group's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.
- 3.3 We believe that the audit evidence obtained by us and the other auditors is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on consolidated financial statements.

Opinion

4. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the other auditors on the financial statements of the subsidiaries and associates as noted below, the consolidated financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:
 - i. in the case of the consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the Group as at 31st March, 2015;
 - ii. in the case of consolidated Profit and Loss Account, of the profit for the year ended on that date; and



iii. in the case of the consolidated Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of matter

5. In accordance with Standard on Audit (SA) 706 “Emphasis of Matter Paragraph”, without qualifying our opinion, we draw attention to the following:
- During the current year, Cent Bank Home Finance Ltd. has created Deferred Tax Liability of ₹ 3 crore on Special Reserves maintained by Housing Finance Companies under section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961 towards compliance of the guidelines issued by NHB vide circular No. NHB(ND)/DRS/Policy Circular 65/2014-15 dated August 22, 2014.
 - The auditor of Cent Bank Home Finance Ltd. has reported that company’s current liabilities exceeded its current assets. This mismatch needs attention of the management.
 - In the consolidated financial statement which includes share of profit of ₹ 3.24 crore of one of the RRB viz. Central Madhya Pradesh Gramin Bank (CMPGB), the Auditor has again drawn attention regarding tracking of NPA movements, provisioning in respect of Income Tax, TDS, Service Tax and outstanding entries in inter office adjustment account etc., the impact of which on the financial statements of CMPGB could not be ascertained.
 - Similarly, in Uttar Bihar Gramin Bank (UBGB), share of profit included in consolidated financial statement ₹ 35.46 crore, the Auditor has drawn attention towards provisioning of Income Tax, the impact of which on the financial statements of UBGB could not be ascertained.

6. Other matter

We did not audit the financial statements of (i) two subsidiaries whose financial statements reflect total assets of ₹896.53 crore as at March 31, 2015 and total revenue of ₹ 88.98 crore and net cash flows amounting to ₹ 23.22 crore for the year ended on that date; and (ii) Associates (three Regional rural banks and one other associate) reflecting net profit of ₹ 173.76 crore (the Bank’s share ₹ 52.06 crore) for the year ended on that date. These financial statements have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the management, and our opinion is based solely on the reports of the other auditors. Our opinion is not qualified in respect of this matter.

For KUMAR CHOPRA & ASSOCIATES
 CHARTERED ACCOUNTANTS
 F.R. No.000131N

(CA R.K.AGGARWAL)
 PARTNER
 M.No.081510

For P.K. SUBRAMANIAM & CO.
 CHARTERED ACCOUNTANTS
 F.R. No.004135S

(CA VEERABASANA GOUDA)
 PARTNER
 M.No. 208698

For DOOGAR & ASSOCIATES
 CHARTERED ACCOUNTANTS
 F.R. No.000561N

(CA MUKESH GOYAL)
 PARTNER
 M.No.081810

For N.SARKAR & CO.
 CHARTERED ACCOUNTANTS
 F.R. No.301075E

(CA G.MUKHOPADHYAY)
 PARTNER
 M.No.010534

For B.N.MISRA & CO.
 CHARTERED ACCOUNTANTS
 F.R. No.321095E

(CA B.N.MISRA)
 PARTNER
 M.No.083927

For CHANDABHOY & JASSOOBHOY
 CHARTERED ACCOUNTANTS
 F.R. No.101647W

(CA AMBESH A. DAVE)
 PARTNER
 M.No.049289

Place : Delhi

Date: May 25, 2015



CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2015

(000's omitted)

Particulars	Schedule No.	AS AT	AS AT
		31-Mar-2015 ₹	31-Mar-2014 ₹
<u>CAPITAL & LIABILITIES</u>			
Capital	1	16,582,732	29,674,393
Reserves and Surplus	2	160,766,951	130,427,581
Minorities Interest	2A	327,308	308,198
Deposits	3	2,559,415,992	2,403,445,261
Borrowings	4	260,985,873	221,365,547
Other Liabilities and Provisions	5	129,579,267	115,725,456
	TOTAL	3,127,658,123	2,900,946,436
<u>ASSETS</u>			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	141,163,743	119,266,308
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	7,216,549	4,596,854
Investments	8	956,553,556	862,624,043
Loans & Advances	9	1,890,675,267	1,777,546,083
Fixed Assets	10	28,340,606	28,054,454
Other Assets	11	103,619,506	108,769,798
Goodwill on Consolidation		88,896	88,896
	TOTAL	3,127,658,123	2,900,946,436
Contingent Liabilities	12	908,932,783	885,557,167
Bills for Collection		110,608,049	76,717,357
Significant Accounting Policies	17	0	
Notes to Accounts	18		

The schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

R.C. LODHA
Executive Director

B.K. DIVAKARA
Executive Director

R. K. GOYAL
Executive Director

RAJEEV RISHI
Chairman & Managing Director

Place : Delhi
Date: May 25, 2015



SAURABH GARG
DIRECTOR

SHEKHAR BHATNAGAR
DIRECTOR

M. P. SHORAWALA
DIRECTOR

KRISHAN SETHI
DIRECTOR

Ms.N.S. RATHNAPRABHA
DIRECTOR

S. B. RODE
DIRECTOR

GURBAX KUMAR JOSHI
DIRECTOR

For KUMAR CHOPRA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000131N

For P.K. SUBRAMANIAM & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.004135S

For DOOGAR & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000561N

(CA R.K.AGGARWAL)
PARTNER
M.No.081510

(CA VEERABASANA GOUDA)
PARTNER
M.No. 208698

(CA MUKESH GOYAL)
PARTNER
M.No.081810

For N.SARKAR & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.301075E

For B.N.MISRA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.321095E

For CHANDABHOY & JASSOOBHOY
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.101647W

(CA G.MUKHOPADHYAY)
PARTNER
M.No.010534

(CA B.N.MISRA)
PARTNER
M.No.083927

(CA AMBESH A. DAVE)
PARTNER
M.No.049289

As per our report of even date

Place : Delhi

Date: May 25, 2015



CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2015

		(000's omitted)	
Particulars	Schedule No.	YEAR ENDED	YEAR ENDED
		31.03.2015	31.03.2014
		₹	₹
I. INCOME			
Interest and Dividend Earned	13	264,759,775	244,783,154
Other Income	14	19,003,942	19,313,772
	TOTAL	283,763,717	264,096,926
II. EXPENDITURE			
Interest Expended	15	191,996,537	179,630,840
Operating Expenses	16	55,966,419	51,900,768
Provisions and Contingencies		29,617,806	45,080,439
	TOTAL	277,580,762	276,612,047
III. PROFIT/ LOSS			
Consolidated Net Profit for the year of the parents & subsidiaries before Minority Interest		6,182,955	(12,515,121)
Less: Minority Interest		(43,094)	(40,216)
Less: Profit pre Acquisition of additional shares in CBHF		0	(1,471)
Consolidated Net Profit for the year after deducting Minority's Interest		6,139,861	(12,556,808)
Add: Share of earnings in Associates		520,731	423,089
Consolidated Profit for the year attributable to the Group		6,660,592	(12,133,719)
Add: Brought forward consolidated Profit attributable to the Group		(10,718,733)	2,413,667
Less : Decrease in Brought forward Consolidated Profit due to Transfer of Investment in Associates		0	(526,148)
Profit Available for Appropriation		(4,058,141)	(10,246,200)


CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2015

(000's omitted)

Particulars	Schedule No.	YEAR ENDED	YEAR ENDED
		31.03.2015	31.03.2014
		₹	₹
IV. APPROPRIATIONS			
Transfer to :			
Statutory Reserve		1,516,100	-
Investment Reserve		538,300	425,368
Revenue Reserve		9,300	7,900
Staff Welfare Fund		181,900	
Fund in lieu of Insurance		20,000	
Proposed Dividend -Preference Share Capital		0	
Proposed Dividend -Equity Share Capital		829,100	
Tax on Dividend		177,693	7,995
Special Reserve U/S 36 (1) (viii)		36,220	31,270
Appropriation of DTL on spe.Reser.as per NHB guidelines		21,128	
CSR Reserves as per Companies Act		1,927	
Balance Carried over to the Balance Sheet		(7,389,809)	(10,718,733)
TOTAL		(4,058,141)	(10,246,200)
Earnings Per Share (In Rs.)- Basic		4.69	(10.67)
Earnings Per Share (In Rs.)- Diluted		4.69	(10.67)
Significant Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		

The schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account

R.C. LODHA
Executive Director

B.K. DIVAKARA
Executive Director

R. K. GOYAL
Executive Director

RAJEEV RISHI
Chairman & Managing Director

Place : Delhi

Date: May 25, 2015



SAURABH GARG
DIRECTOR

SHEKHAR BHATNAGAR
DIRECTOR

M. P. SHORAWALA
DIRECTOR

KRISHAN SETHI
DIRECTOR

Ms.N.S. RATHNAPRABHA
DIRECTOR

S. B. RODE
DIRECTOR

GURBAX KUMAR JOSHI
DIRECTOR

For KUMAR CHOPRA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000131N

For P.K. SUBRAMANIAM & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.004135S

For DOOGAR & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000561N

(CA R.K.AGGARWAL)
PARTNER
M.No.081510

(CA VEERABASANA GOUDA)
PARTNER
M.No. 208698

(CA MUKESH GOYAL)
PARTNER
M.No.081810

For N.SARKAR & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.301075E

For B.N.MISRA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.321095E

For CHANDABHOY & JASSOOBHOY
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.101647W

(CA G.MUKHOPADHYAY)
PARTNER
M.No.010534

(CA B.N.MISRA)
PARTNER
M.No.083927

(CA AMBESH A. DAVE)
PARTNER
M.No.049289

As per our report of even date

Place : Delhi

Date: May 25, 2015


SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2015

Particulars	AS AT 31-Mar-15		(000's Omitted) AS AT 31-Mar-14	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 1 : CAPITAL				
Authorised Capital		50,000,000		30,000,000
500,00,00,000 shares of ₹ 10/- each				
Issued Subscribed and Paid up Capital :	16,582,732		13,504,393	
1,65,82,73,181 Equity Shares (previous year 1,35,04,39,315 equity shares) of ₹ 10/- each (includes 135,08,27,438 equity shares (previous year 119,69,59,325 equity shares) of ₹ 10/- each held by Central Govt.)				
Perpetual non-cumulative Preference Share Capital (1617000000 shares of ₹ 10 each)	0		16,170,000	
		16,582,732		29,674,393
TOTAL		16,582,732		29,674,393
SCHEDULE 2 : RESERVES AND SURPLUS				
I. Statutory Reserves				
Balance as per last Balance Sheet	19,233,031		19,233,031	
Additions during the year	1,516,100		0	
		20,749,131		19,233,031
II. Capital Reserves				
i) Revaluation Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	18,401,205		18,675,821	
Deductions during the year	(259,604)		(274,616)	
		18,141,601		18,401,205
ii) Investment Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	4,871,085		4,445,717	
Additions during the year	538,300		426,368	
		5,409,385		4,871,085
III. Share Premium				
Balance as per last Balance Sheet	74,383,893		59,442,517	
Additions during the year	25,170,130		14,941,376	
		99,554,023		74,383,893
IV. Revenue and Other Reserves				
Revenue Reserves				
Balance as per last Balance Sheet	23,186,583		23,518,583	
Additions during the year	9,300		7,900	
Less: Deductions during the year	0		(339,900)	
		23,195,883		23,186,583
V. Special Reserve U/S 36 (1)(viii)		1,106,737		1,070,517
VI. Balance in Profit and Loss Account		(7,389,809)		(10,718,733)
TOTAL		160,766,951		130,427,581



SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2015

Particulars	AS AT 31-Mar-15		AS AT 31-Mar-14	
	₹	₹	₹	₹
(Rs.000's omitted)				
SCHEDULE 2 A : MINORITIES INTEREST				
Minority Interest at the date on which the parent/ subsidiary relationship came into existence	24,500		24,500	
Subsequent increase / decrease	302,808		283,698	
Minority interest on the date of Balance-Sheet		327,308		308,198
SCHEDULE 3 : DEPOSITS				
A. Demand Deposits				
I.				
i) From Banks	9,161,917		17,122,616	
ii) From Others	122,761,539		118,154,911	
		131,923,456		135,277,527
II. Savings Bank Deposits		738,098,898		664,737,461
III. Term Deposits				
i) From Banks	56,900,366		49,810,188	
ii) From Others	1,632,493,272		1,553,620,085	
		1,689,393,638		1,603,430,273
TOTAL		2,559,415,992		2,403,445,261
B.				
i) Deposits of Branches in India		2,559,415,992		2,403,445,261
ii) Deposits of Branches outside India		-		-
SCHEDULE 4 : BORROWINGS				
I. Borrowings in India				
i) Reserve Bank of India	142,071,241		63,389,835	
ii) Other Banks	0		31,904	
iii) Other Institutions & Agencies	38,934,132		43,251,808	
iv) Unsecured Redeemable Bonds (Subordinated Debt)	24,363,000		26,363,000	
v) Upper Tier II Bonds	28,850,000		28,850,000	
vi) Innovative Perpetual Debt Instrument	10,830,000		10,830,000	
vii) Unsecured Redeemable NC Basel III Bonds(Tier II)	10,000,000		10,000,000	
		255,048,373		182,716,547
II. Borrowings outside India		5,937,500		38,649,000
TOTAL		260,985,873		221,365,547
Secured Borrowings included in I & II above		Nil		Nil
SCHEDULE 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS				
I. Bills Payable	8,682,760		7,655,224	
II. Inter Office Adjustments (Net)	0		0	
III. Interest Accrued	15,544,730		16,610,029	
IV. Deferred Tax Liabilities (Net)	1,102,716		5,966,707	
V. Others(including provisions)	104,249,061	129,579,267	85,493,496	115,725,456
TOTAL		129,579,267		115,725,456


SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2015

Particulars	AS AT 31-Mar-15		AS AT 31-Mar-14	
	₹	₹	₹	₹
(Rs.000's omitted)				
SCHEDULE 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA				
I. Cash in hand (including foreign currency notes)		22,653,265		13,631,676
II. Balances with Reserve Bank of India				
In Current Accounts	118,510,478		104,634,632	
In Other Accounts	0		1,000,000	
		118,510,478		105,634,632
TOTAL		141,163,743		119,266,308
SCHEDULE 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE				
I. In India				
i) Balances with Banks				
a) In Current Accounts	3,036,061		2,583,816	
b) In Other Deposit Accounts	271,139		103,510	
		3,307,200		2,687,326
ii) Money at Call and Short Notice				
a) With Banks	2,000,000		0	
b) With Other Institutions	0		0	
		2,000,000		0
TOTAL.... I		5,307,200		2,687,326
II. Outside India				
a) In Current Accounts	1,909,349		1,909,528	
b) In Other Deposit Accounts	0		0	
c) Money at Call & Short Notice	0		0	
TOTAL.... II		1,909,349		1,909,528
TOTAL.... (I + II)		7,216,549		4,596,854



SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2015

(Rs.000's omitted)

Particulars	AS AT 31-Mar-15		AS AT 31-Mar-14	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 8 : INVESTMENTS				
I. Investments in India in : *				
i) Government Securities	754,157,878		678,946,602	
ii) Other approved Securities	0		0	
iii) Shares	12,834,462		14,005,581	
iv) Debentures and Bonds	100,454,377		98,190,467	
v) Investment in Associates	4,157,419		3,753,227	
vi) Others (UTI Shares & Commercial Papers Mutual Fund Units etc.)	83,833,986		67,197,562	
		955,438,122		862,093,439
II. Investments outside India in **				
i) Government Securities	-		-	
ii) Investment in Associates	1,115,434		530,604	
		1,115,434		530,604
TOTAL		956,553,556		862,624,043
* Investments in India :				
Gross Value of Investments	957,244,570		864,579,811	
LESS: Provision for Depreciation	1,806,448		2,486,372	
Net Investments		955,438,122		862,093,439
** Investments outside India :				
Gross Value of Investments	1,115,434		530,604	
LESS: Provision for Depreciation	-		-	
Net Investments		1,115,434		530,604
TOTAL		956,553,556		862,624,043
SCHEDULE 9 : LOANS AND ADVANCES				
A. i) Bills Purchased and Discounted	20,953,233		22,349,315	
ii) Cash Credits Overdrafts & Loans repayable on demand	728,035,416		666,587,527	
iii) Term Loans	1,141,686,618	1,890,675,267	1,088,609,241	1,777,546,083
TOTAL		1,890,675,267		1,777,546,083
B. Particulars of Advances :				
i) Secured by tangible assets (including advances against Book Debts)	1,646,215,830		1,556,322,287	
ii) Covered by Bank/ Government Guarantees	93,403,474		1,833,661	
iii) Unsecured	151,055,963	1,890,675,267	219,390,135	1,777,546,083
TOTAL		1,890,675,267		1,777,546,083
C. Sectoral Classification of Advances				
(I) Advances in India				
i) Priority Sector	703,390,285		617,468,736	
ii) Public Sector	208,996,695		208,482,642	
iii) Banks	8,689		3,093	
iv) Others	978,279,598	1,890,675,267	951,591,612	1,777,546,083
TOTAL		1,890,675,267		1,777,546,083
(II) Advances outside India		-		-


SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2015

(Rs.000's omitted)

Particulars	AS AT 31-Mar-15		AS AT 31-Mar-14	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 10 : FIXED ASSETS				
I. Premises				
(At cost / revalued cost)				
Balance as at 31st March of the preceding year	24,747,330		24,731,464	
Additions on account of revaluation during the year	-		-	
Total	24,850,974		24,731,464	
Depreciation to date	5,074,659		4,742,356	
TOTAL.... I		19,776,315		20,004,974
II. Other Fixed Assets				
(Including furniture and fixtures)				
At cost as on 31st March of the preceding year	20,458,603		17,101,857	
Additions/Adjustments during the year	10,897,438		3,960,641	
Total	31,356,041		21,062,498	
Deductions/Adjustments during the year	8,406,990		603,895	
Total	22,949,051		20,458,603	
Depreciation to date	14,384,760		12,409,123	
TOTAL.... II		8,564,291		8,049,480
TOTAL.... (I + II)		28,340,606		28,054,454
SCHEDULE 11 : OTHER ASSETS				
I. Interest accrued	18,429,806		17,600,526	
II. Tax paid in advance/tax deducted at source (Net of Provisions)	30,461,212		28,571,817	
III. Stationery and Stamps	186,236		177,998	
IV. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	-		-	
V. Inter office adjutments (Net).	35,396,476		30,889,755	
VI. Others	19,145,776		31,529,702	
		103,619,506		108,769,798
TOTAL		103,619,506		108,769,798



SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2015

Particulars	AS AT 31-Mar-15		AS AT 31-Mar-14	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 12 : CONTINGENT LIABILITIES				
I. (a) Claims against the Bank not acknowledged as Debts		1,094,250		1,196,346
(b) Disputed income tax demands under appeals, revisions etc		18,137,660		14,005,894
II. Liability for partly paid Investments		0		0
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts		667,746,178		640,602,389
IV. Guarantees given on behalf of constituents				
a) In India	104,223,884		103,363,304	
b) Outside India	10,854,478		5,673,489	
		115,078,362		109,036,793
V. Acceptances Endorsements and Other Obligations		99,123,833		112,332,617
VI. Other items for which the bank is contingently liable		7,752,500		8,383,128
TOTAL		908,932,783		885,557,167



**SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2015**

(000's omitted)

Particulars	YEAR ENDED 31-Mar-15 ₹	YEAR ENDED 31-Mar-14 ₹
SCHEDULE 13 : INTEREST AND DIVIDEND EARNED		
I. Interest/Discount on Advances / Bills	195,836,392	186,695,640
II. Income on Investments	67,078,887	57,650,526
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	314,608	328,388
IV. Others	1,529,888	108,600
TOTAL	264,759,775	244,783,154
SCHEDULE 14 : OTHER INCOME		
I. Commission, Exchange and Brokerage	8,832,126	8,216,847
II. Profit/ (Loss) on sale of Investments (Net)	6,176,583	4,553,669
III. Profit / (Loss) on Exchange transactions (Net)	2,020,268	1,987,237
IV. Profit / (Loss) on sale of land, buildings and Other Assets	(6,430)	(11,930)
V. Profit / (Loss) on Revaluation of Investments	-	-
VI. Income earned by way of dividends etc. from subsidiaries and Associates abroad/ in India	10	-
VII. Miscellaneous Income	1,981,385	4,567,949
TOTAL	19,003,942	19,313,772
SCHEDULE 15 : INTEREST EXPENDED		
I. Interest on Deposits	175,485,924	163,969,252
II. Interest on Reserve Bank of India / Inter-Bank borrowings	3,574,178	3,884,430
III. Others	12,936,435	11,777,158
TOTAL	191,996,537	179,630,840
SCHEDULE 16 : OPERATING EXPENSES		
I. Payments to and Provisions for employees	38,306,122	35,414,861
II. Rent, Taxes and Lighting	3,696,991	3,358,085
III. Printing and Stationery	502,222	472,980
IV. Advertisement and Publicity	255,434	266,024
V. a) Depreciation on Bank's property	2,296,207	2,088,030
VI. Directors' Fees, Allowances and Expenses	11,282	12,911
VII. Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors', Fees & expenses)	225,047	173,845
VIII. Law Charges	207,312	189,789
IX. Postages, Telegrams, Telephones etc.	653,778	529,663
X. Repairs and Maintenance	744,313	588,400
XI. Bad Debts Written Off	15,634	13,121
XII. Insurance	2,445,557	1,961,280
XIII. Other Expenditure	6,606,520	6,831,779
TOTAL	55,966,419	51,900,768



SCHEDULE 17

PRINCIPAL ACCOUNTING POLICIES OF CONSOLIDATED ACCOUNTS

1 BASIS OF PREPARATION:

The accompanying consolidated financial statements (CFS) have been prepared by following the going concern concept, generally on the historical cost basis except in respect of the Revaluation of Premises. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India which comprises applicable statutory provisions, guidelines prescribed by Reserve Bank of India (RBI), Accounting Standards (AS) and pronouncements issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and prevailing practices in Banking industry in India.

2 Use of Estimates:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

3 Consolidation Procedures :

3.1 Consolidated financial statements of the Group (**comprising of 2 Subsidiaries and 4 Associates** [including 3 RRBs]) have been prepared on the basis of:

- a. Audited financial statements of Central Bank of India (Parent),
- b. Line by line aggregation of like items of assets, liabilities, income and expenses of the subsidiaries with the respective item of the Parent and after eliminating all material intra-group balances/transactions, unrealized profit/losses as per Accounting Standard 21 "Consolidated Financial Statement" issued by the ICAI and after adjustments wherever necessary to conform to uniform accounting policies of the Parent, based on data received from these subsidiaries duly audited by their respective auditors.
- c. Investments in associates, where the group holds 20% or more of the voting power has been accounted by using the equity method in terms of Accounting Standard – 23 "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by the ICAI and after adjustments wherever necessary to conform to uniform accounting policies of the Parent. The financial statements of the Indo Zambia Bank Limited, an Associate, have been prepared in accordance with the local regulatory requirements/ International Financial Reporting Standards. Financial statements received from these associates form the sole basis for their incorporation in these consolidated financial statements.
- d. The Accounting year of the Associate, viz. Indo Zambia Bank Ltd. is calendar year. In case of accounting year of Associates are different than that of Parent Bank, proportionate share of profit is taken based on audited figures of audited period and for unaudited period, share of profit is taken based on unaudited figures.

3.2 Minority interest in the net assets of consolidated subsidiaries consist of:

- i. The amount of equity attributable to the minority at the date on which investments in a subsidiary is made, and
- ii. The minority share of movements in equity since date of parent - subsidiary relationship came into existence.

4 Transactions involving Foreign Exchange:

- a. Monetary Assets and Liabilities in Foreign Currencies are translated at the Exchange Rates prevailing at the year end as notified by FEDAI and the resultant Profit/ Loss is recognised in Profit and Loss Account.
- b. Income and Expenditure items are translated at the exchange rates ruling on the respective date of transactions.
- c. Guarantees, Letters of Credit, Acceptances, Endorsements and other obligations in Foreign Currencies are translated at the year end rates notified by FEDAI.
- d. Outstanding Forward Contracts are translated at the year end rates notified by FEDAI and the resultant profit/loss is recognized in Profit and Loss Account.

5 Investments:

5.1 In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India, Investments are classified into "Held to Maturity", "Held for Trading" and "Available for Sale" categories. However, for disclosure in the Balance Sheet, investments are classified under the following heads :

- i) Government Securities
- ii) Other Approved Securities
- iii) Shares
- iv) Debentures and Bonds
- v) Subsidiaries and Sponsored Institutions , and
- vi) Others (UTI Shares, Commercial Papers and units of Mutual Funds.)



5.2 Basis of Classification :

Classification of an Investment is done at the time of purchase into the following categories:

- i. Held to Maturity:
These comprise of investments, the bank intends to hold on till maturity.
- ii. Held for Trading:
Securities which are principally held for resale within 90 days from the date of purchase.
- iii. Available for Sale:
Investments that cannot be classified in the above categories.

5.3 Transfer of Securities between categories :

The transfer/ shifting of securities between the three categories of investments is accounted at the lower of acquisition cost/ book value or market value on the date of the transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

5.4 Valuation :

a) Held to Maturity :

The investments classified under this category are valued at acquisition cost. The excess of acquisition cost / book value over the face value is amortised over the remaining period of maturity on day to day basis.

b) Available for sale :

Investments under this category are marked to market, scrip-wise, at quarterly intervals as under:

i)	Central Government Securities	At market price as per quotation put out by Stock Exchange / FIMMDA / PDAI.	
ii)	State Government Securities, Securities Guaranteed by Central / State Government, PSU Bonds	On appropriate yield to maturity basis.	
iii)	Treasury Bills/ Certificates of Deposits/ Commercial Paper	At carrying cost.	
iv)	Equity Share	a. Quoted	At market price.
		b. Unquoted	At book value per share, if latest (Not more than one year old) Balance Sheet is available, or Re.1/- per company if latest Balance Sheet is not available.
v)	Preference Share	a. Quoted	At market price.
		b. Unquoted	On appropriate yield to maturity.
vi)	Debentures and Bonds	a. Quoted	At market price.
		b. Unquoted	On appropriate yield to maturity.
vii)	Mutual Fund	a. Quoted	At market price.
		b. Unquoted	At repurchase price or Net Asset Value (where repurchase price is not available).
viii)	Venture Capital	Declared NAV or break up NAV as per audited balance sheet which is not more than 18 months old. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at Re.1/- per VCF	

The net depreciation under each classification is provided for, without adjusting the book value of the securities and net appreciation, if any, is ignored.

c) Held for Trading :

Investments under this category are valued at monthly intervals at market rates, wherever available, or as per the prices declared by FIMMDA. The net depreciation under each classification is provided for, without adjusting the book value of the securities and net appreciation, if any, is ignored.



5.5 Determination of Cost :

Cost of investments is determined on the basis of Weighted Average Cost method.

5.6 Income Recognition :

- i) The Profit or loss on sale/ redemption of investments is taken to the Profit and Loss Account. However, in case of profit on sale/ redemption of investments from 'Held to Maturity' category, an equivalent amount is appropriated to the 'Capital Reserve'.
- ii) In respect of securities included in any of the three categories of investments where interest/ principal is in arrears, for more than 90 days, income is not reckoned and appropriate provision for the depreciation in the value of the investments is made, as per prudential norms applicable to non-performing advances. Debentures/ Bonds in the nature of advances are subjected to usual prudential norms applicable to advances.
- iii) State Government guaranteed exposures is classified as Sub Standard/ Doubtful/ Loss, as the case may be if interest and/ or principal or any other amount due to the Bank remains overdue for more than 90 days and necessary provisions are made as per Prudential Norms.
- iv) Brokerage, incentive, front-end fees etc., received on purchase of securities are reduced from the cost of investments.
- v) Expenses such as brokerage, fees, commission or taxes incurred at the time of acquisition of securities is charged to revenue.
- vi) The broken period interest on sale or purchase of securities is treated as revenue item.

6 Derivatives

Derivatives used for hedging are accounted as under :

- i) Marked to market in cases where the underlying Assets/ Liabilities are marked to market. The resultant gain/ loss is recognised in the Profit and Loss Account.
- ii) Interest Rate Swaps which hedges interest bearing assets or liabilities are accounted for on accrual basis in cases where underlying Asset/ Liabilities are not marked to market.
- iii) Gain or losses on the termination of Swaps are recognised over the shorter of the remaining contractual life of the Swap or the remaining life of the assets/ liabilities.

7 Advances:

- a. Advances are classified as Standard, Sub-Standard, Doubtful or Loss Assets and Provisions required in respect thereof are made as per the Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India.
- b. Recoveries in NPA account is first appropriated towards the principal irregularity except in case of suit filed, decreed accounts and compromise cases where recovery is first appropriated towards principal or as per the terms of decree/ settlement.
- c. Advances are shown net of provisions (in case of NPA), unrealised interest, amount recovered from borrowers held in Sundries and amount recovered from CGTSI/ ECGC.

Provision for Standard Assets is included in Other Liabilities and Provisions- Others.

d. Financial Assets sold are recognized as under:

In case the sale is at a price lower than the Net Book Value (NBV) the shortfall is charged to the Profit and Loss Account.

If the sale to SC/RC is at a price below the NBV (i.e. book value less provisions held), the shortfall is debited to the Profit and Loss Account.

In case the sale is at a price higher than the NBV on cash basis, the surplus is taken to the credit of Profit and Loss Account.

If the sale to SC/RC is for a value higher than the NBV the excess provision to the extent of cash recovery is credited to the Profit and Loss Account and balance excess provision is retained to be utilised to meet shortfall/loss on account of sale of other financial assets to SC/RC

- e. In case of Cent Bank Home Finance Ltd., income recognition and provisions on loans and Advances are made on the basis of Prudential norms laid down by National Housing Bank (NHB)
- f. In case of Cent Bank Home Finance Ltd., repayment of housing loans, home equity loans, Top up loans and loan against property are by way of equated monthly instalments (EMIs) comprising of principle and interest. In respect of fixed rate loans, interest is calculated on the outstanding balance at the beginning of the financial year, in case of floating rate loans, interest is calculated on first of every month on the outstanding amount as on the last day of the previous month. EMIs commences once the entire loan is disbursed.

Pending commencement of EMIs, pre EMI interest is payable every month.



8 Fixed Assets/Depreciation:

- a. Fixed Assets are depreciated under 'Written Down Value Method' at the following rates (other than computers which are depreciated on Straight Line Method):

i)	Premises	At varying rates based on estimated life
ii)	Furniture, Lifts, Safe Vaults	10%
iii)	Vehicles	20%
iv)	Air conditioners, Coolers, Typewriters etc.	15%
v)	Computers including Systems Software	33.33%
(Application Software is charged to the Revenue during the year of acquisition.)		

- b. In the case of assets, which have been revalued, the depreciation is provided on the revalued amount and the incremental depreciation attributable to the revalued amount is adjusted to the 'Revaluation Reserve'.
- c. Depreciation on additions to assets, made upto 30th September is provided for the full year and on additions made thereafter, is provided for the half year. No depreciation is provided on assets sold before 30th September and depreciation is provided for the half year for assets sold after 30th September.
- d. Cost of leasehold land is amortised over the period of lease. In the case of revaluation, the difference between the original cost and revalued amount is amortised over the remaining period of the lease and is adjusted to the 'Revaluation Reserve'.
- e. Where it is not possible to segregate the cost of Land and Premises, depreciation is charged on the composite cost.
- f. In case of subsidiaries depreciation on fixed assets has been provided on straight line method at the rates specified in schedule-II to the Companies Act, 2013.

9 Staff Benefits:

- a. Annual contribution to Gratuity, Pension Funds and Leave Encashment are determined on the basis of actuarial valuation and the amount is recognized in the books of account of the Bank as per the liability estimated by the Actuary.
- b. In respect of employees who have opted for Provident Fund Scheme, a matching contribution is made.
- c. The Bank recognizes in its books of account, the liability arising out of employee benefits as the sum of the present value of obligations as reduced by fair value of Plan Assets on the Balance Sheet.
- d. In case of Cent Bank Home Finance Ltd., the Gratuity amount has been provided on actuarial basis and invested in group maturity scheme administered by the Life Insurance Corporation of India.

10 Recognition of Income and Expenditure:

- 10.1 Income/ Expenditure is generally accounted for on accrual basis except for income to be accounted for on cash basis as per regulatory provisions.
- 10.2 In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India vide circular No. DBOD.No.BP.BC.89/21.4.018/2002-03 dated 29.03.2003, prior period disclosures are made in respect of any item which exceeds one percent of the total income/total expenditure.
- 10.3 Provision for interest payable on overdue deposits is made as per Reserve Bank of India guidelines.

11 Income Tax:

The provision for tax for the year comprises of current tax liability computed in accordance with the applicable tax laws and the deferred tax which recognizes timing differences between taxable income and accounting income that originate in one period and capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets are not recognized unless there is 'virtual certainty' that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized. Disputed tax liabilities are accounted for in the year of finality of assessment/ appellate proceedings and till such times they are shown as contingent liability.

12 Earnings per Share:

The parent Bank computes basic and diluted earnings per equity share is calculated in accordance with the Accounting Standard 20-"Earnings per Share" issued by the Institute of Chartered Accountants of India on weighted average method.

R.C. LODHA
Executive Director

B.K. DIVAKARA
Executive Director

R. K. GOYAL
Executive Director

RAJEEV RISHI
Chairman & Managing Director

Place : Delhi
Date: May 25, 2015



SAURABH GARG
DIRECTOR

SHEKHAR BHATNAGAR
DIRECTOR

M. P. SHORAWALA
DIRECTOR

KRISHAN SETHI
DIRECTOR

Ms.N.S. RATHNAPRABHA
DIRECTOR

S. B. RODE
DIRECTOR

GURBAX KUMAR JOSHI
DIRECTOR

For KUMAR CHOPRA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000131N

For P.K. SUBRAMANIAM & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.004135S

For DOOGAR & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000561N

(CA R.K.AGGARWAL)
PARTNER
M.No.081510

(CA VEERABASANA GOUDA)
PARTNER
M.No. 208698

(CA MUKESH GOYAL)
PARTNER
M.No.081810

For N.SARKAR & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.301075E

For B.N.MISRA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.321095E

For CHANDABHOY & JASSOOBHOY
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.101647W

(CA G.MUKHOPADHYAY)
PARTNER
M.No.010534

(CA B.N.MISRA)
PARTNER
M.No.083927

(CA AMBESH A. DAVE)
PARTNER
M.No.049289

Place : Delhi
Date: May 25, 2015



SCHEDULE-18:

NOTES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS:**1 Subsidiaries and Associates considered in the preparation of the Consolidated Financial Statements.**

- 1.1 The Consolidated Financial Statements comprise the financial statements of Central Bank of India (The Parent Bank), its two Subsidiaries and 4 Associates consisting of 3 Regional Rural Banks (RRBs) sponsored by the Parent Bank and Indo Zambia Bank Limited (collectively referred to as “the Group”) as per details given below :

Name of the Subsidiary/Associate	Country of Incorporation	Ownership interest as at 31.03.15	Ownership interest as at March 31, 14
Centbank Home Finance Limited (Subsidiary)	India	64.40%	64.40%
CentBankFinancialServices Limited (Subsidiary)	India	100.00%	100.00%
Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur (Associate)	India	35.00%	35.00%
UttarbangaKshetriya Gramin Bank, Cooch Behar (Associate)	India	35.00%	35.00%
Central Madhya Pradesh Gramin Bank, Chhindwara (Associate)	India	35.00%	35.00%
Indo Zambia Bank Limited (Associate)	Zambia	20.00% *	20.00%

*During the year Indo Zambia Bank Ltd has allotted 12,124,763 bonus shares to the parent Bank. The parent Bank has also invested in 48,600,000 equity shares of Indo Zambia Bank Ltd. However, the ownership interest in percentage term remained same at 20%.

- 1.2 The financial statements of the Subsidiaries and Associates which are used in the consolidation have been drawn upto the same reporting date as that of Parent Bank i.e. March 31, 2015, except Indo Zambia Bank Ltd., whose reporting period is calendar year. However share in profit has been taken for 9 months based on audited figures and 3 months based on unaudited figures.
- 1.3 The accumulated share of profit of the parent Bank in the associates has been added with the carrying cost of Investments with corresponding adjustments in accumulated Reserves of the Group.
- 1.4 Cent Bank Home Finance Ltd like other Hosing Finance Institutions grant loans for longer tenure, while deposits/liabilities received are for shorter tenure, resulting in a mismatch. The same is being addressed by sufficient credit lines available.
2. During the year the parent Bank has infused additional Capital in the following Subsidiaries and Associates as under:

(₹ in crore)

Name of the Subsidiaries/ Associate	Amount of Capital infusion	
	Current year	Previous year
Centbank Home Finance Limited (Subsidiary)	Nil	4.20
Central Madhya Pradesh Gramin Bank, Chhindwara (Associate)	Nil	33.92
Indo Zambia Bank Limited (Associate)	46.83	Nil

- 3 3.1 In the preparation of consolidated financial statements, in some of the cases, different accounting policies for like transactions have been followed by subsidiaries, for which appropriate adjustments have not been made in the absence of necessary information. In the opinion of the Management, the same is not material. Items in respect of which different accounting policies have been adopted by the Subsidiaries vis-a-vis with parent Bank are given as under:



	Parent Bank	Cent Bank Home Finance Ltd [Subsidiary]	Cent Bank Financial Services Ltd (Subsidiary)
Depreciation	Bank followed written down value method except for computers where straight line method is adopted.(Note 8 of Schedule 17)	Deprecation is applied on straight line method as prescribed under the Companies Act, 2013. Depreciation charged ₹ 0.23 crores during the year (previous year ₹ 0.10 crore)	Deprecation is applied on straight line method as prescribed under the Companies Act, 2013. Depreciation charged ₹ 0.17 crore during the year (previous year ₹ 0.16 crore)
Provision for leave encashment	On actuarial basis	Assessed by company	Not assessed
Appropriation of recovery in NPA accounts	Recoveries against Non-Performing Assets is first appropriated towards the principle irregular amount except in case of suit filed, decreed accounts and compromise cases where recovery is first appropriated towards principle or as per terms of decree/settlement.	Recovery against Non-Performing Assets is first appropriated towards interest portion of EMIs and thereafter towards principle portion of overdue EMIs.	Not Applicable

4 PARENT BANK

4.1 Capital:

4.1.1 Authorized equity share capital of the Bank as on 31.03.2015 is ₹ 5000 crore increased from ₹ 3000 crore of previous year.

4.1.2 Paid up Equity Share Capital of the Bank as on 31.03.2015 is ₹ 1658.27 crore increased from ₹ 1350.44 crore of previous year by issue of fresh equity shares of ₹ 10/- each as detailed below:

- i) Issue of equity share for ₹ 71.08 crore at a premium of ₹ 71.83 per share on 1st August 2014.
- ii) Issue of equity share for ₹ 82.89 crore at a premium of ₹ 65.55 per share on 1st January 2015.
- iii) Issue of equity shares for ₹153.86 crore at a premium of ₹ 95.09 per share to Government of India

on 24th March 2015 by conversion of 1617000000 Perpetual Non-cumulative Preference Shares of the value of ₹ 10/- each held by Government of India aggregating up to ₹1617.00 crores

4.2 Balancing of Books / Reconciliation:

The reconciliation of the following items are in progress :

- Inter Branch/Office Balance
- Inter Bank Accounts
- System Suspense Account
- Suspense Accounts
- Clearing & other Adjustment Accounts
- Balances related to ATM
- Certain balances in nominal account
- NOSTRO Accounts
- Mirror Accounts maintained by Centralcard Department

The management is of the opinion that the overall impact, if any, on the accounts will not be significant.

4.3 Income Tax / Deferred Tax:

4.3.1 Provision for Income Tax for the year is arrived at after due consideration of relevant statutory provisions and judicial decisions on disputed issues.

4.3.2 Other Assets [Schedule 11 (ii)] includes ₹ 1813.41 crore (previous year ₹ 1400.59 crore) towards disputed Income Tax paid by the Bank or adjusted by the Income Tax department. Provision for disputed amount of taxation is not considered necessary by the Bank on the basis of various judicial pronouncements and favourable decisions in Bank's own case.



4.4 Premises:

Premises owned by the Bank include properties costing ₹ 32.06 crore (Previous Year ₹ 55.22 crore) for which registration formalities are still in progress.

4.5 Advances / Provisions:

4.5.1 Advances to units which have become sick including those under nursing/ rehabilitation/ restructuring programme and other advances classified as doubtful/ loss assets have been considered secured/ recoverable to the extent of estimated realizable value of securities carrying first or second charge based on valuers' assessment of properties/ assets mortgaged to the Bank and other data available with the Bank.

4.5.2 In accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India, the Bank has utilized the Floating Provision of ₹ 100.56 crore (previous year ₹ 103.09 crore) and Countercyclical Provision of ₹ 47.34 crore (previous year ₹ 46.63 crore) being 50% (previous year 33%) of amount outstanding in these accounts towards specific provision for NPAs. The Bank has netted the balance Floating Provision amount of ₹ 100.56 crores (previous year ₹ 209.34 crore) and Countercyclical Provision amount of ₹ 47.34 crore (previous year ₹ 94.67 crore) from gross NPAs to arrive at net NPAs.

4.5.3 Advances considered good and secured includes investment of ₹ NIL (Previous Year ₹ 2200 crore) in IBPCs (Inter Bank Participation Certificate) governed by the Uniform Code Governing Inter Bank Participations issued by IBA (Non Priority Sector) and investment in IBPCs issued by RRBs aggregating ₹ NIL (Previous Year ₹ 2200 crore) of Priority Sector Advance/ Direct Agriculture.

4.6 Disclosure of penalties imposed by RBI

RBI has imposed a penalty of ₹ 4.92 crore in terms of Section 47A (1) (a) read with Section 46(4)(i) of the Banking Regulation Act 1949 for non-compliance of RBI norms.

5 Compliance with Accounting Standards

The following information is disclosed in terms of Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India

5.1 Accounting Standard - 5

Recovery in NPA

- Recoveries in NPA account is first appropriated towards the principal irregularity except in case of suit filed, decreed accounts and compromise cases where recovery is first appropriated towards principal or as per the terms of decree/ settlement.
- In view of RBI circular No. RBI/2013-14/502 dated 26.02.2014, in case of sale to SC/RC for a value higher than NBV, the excess provision to the extent of cash recovery amounting to ₹ 38.00 crore has been taken to the credit of Profit and Loss account which as per the extant Accounting policy would have been retained in excess provision. The resultant impact is that the profit for the year is more by ₹ 38.00 crore and provision is less to that extent.

5.2 Accounting Standard - 9

Certain items of income are recognized on realization basis as per principal accounting policy No. 10 of Schedule 17. However, the said income is not considered to be material.

5.3 Accounting Standard - 15 (Revised) - Parent Bank

5.3.1 In the year 2010-11, in accordance with circular No. DBOD No. BP.BC.80/21.04.018/2010-11, dated 09-02-2011 issued by Reserve Bank of India, the Bank had opted to amortize the additional liability on account of re-opening of Pension option for existing employees who had not opted for pension earlier, as well as the liability on enhancement in Gratuity limit, over a period of five years beginning with the financial year ended 31st March, 2011. Accordingly, out of the unamortized amount of ₹295.38 crore as on 1st April, 2014, the Bank has fully amortized ₹ 239.98 crore for Pension and ₹ 55.40 crore for Gratuity being the balance amount during the year ended March 31, 2015.

5.3.2 Employee Benefits: - Parent Bank

Reconciliation of opening and closing balance of the present value of the defined benefit obligation for pension and gratuity benefits as per actuarial valuations is given below:



(₹ in crore)

Particulars	Year ended March 31, 2015		Year ended March 31, 2014	
	Pension	Gratuity	Pension	Gratuity
Defined benefit obligation liability at March 31, 2015				
Opening obligations	8139.02	1063.63	7190.56	978.11
Service cost	120.08	24.27	166.74	30.01
Interest cost	734.00	93.98	600.80	79.31
Actuarial [gain]/loss	1402.97	292.38	758.99	126.30
Benefits paid	(682.27)	(165.52)	(578.07)	(150.10)
Past Service Cost (Amortised/ Non Vested)	-	-	-	-
Past Service Cost (Vested Benefit)	-	-	-	-
Liability Transferred in	-	-	-	-
Obligations at March 31,2015	9713.80	1308.74	8139.02	1063.63

(₹ in crore)

Particulars	Year ended March 31, 2015		Year ended March 31, 2014	
	Pension	Gratuity	Pension	Gratuity
Plan assets as at March 31,2015, at fair value				
Opening Plan assets, at fair value	7862.67	1065.22	6629.78	884.31
Expected return on plan assets	750.63	99.99	654.74	91.42
Actuarial gain/[loss]	275.12	45.72	(28.78)	(1.91)
Contributions	1106.40	166.90	1185.00	241.50
Benefits paid	(682.27)	(165.52)	(578.07)	(150.10)
Transfer from Other Trust	-	-	-	-
Plan assets at March 31, 2015, at fair value	9312.55	1212.31	7862.67	1065.22

(₹ in crore)

Particulars	Year ended March 31, 2015		Year ended March 31, 2014	
	Pension	Gratuity	Pension	Gratuity
Cost for the year ended March 31, 2015				
Service cost	120.08	24.27	166.74	30.01
Interest cost	734.00	93.98	600.80	79.31
Expected return on plan assets	(750.63)	(99.99)	(654.74)	(91.42)
Past Service Cost (Amortised/ Non Vested)	-	-	240.00	55.40
Past Service Cost (Vested Benefit)	-	-	-	-
Actuarial [gain]/loss	1127.85	246.66	787.77	128.21
Net cost	1231.30	264.92	1140.57	201.51

Assumptions

Particulars	Year ended March 31, 2015		Year ended March 31, 2014	
	Pension	Gratuity	Pension	Gratuity
Discount rate	9.27%	9.35%	9.27%	9.35%
Salary escalation rate	5%	5%	5%	5%
Estimated rate of return on plan assets	8.70%	8.70%	8.70%	8.70%

5.3.3 The Cent Bank Home Finance Ltd has taken a Policy with Life Insurance Corporation of India to cover the accumulated Gratuity Liability of its employees and the premium paid on this policy has been charged to Profit & Loss Account. The Provision for Leave Encashment Liability is calculated on the balance of privilege leave of the employees as on March 31, 2015. The same has been provided for the year ended 31.03.2015.



5.4 Accounting Standard 17 – Segment Reporting-Group

SEGMENT REPORT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2015			
(₹ in crore)			
Sl. No.	Particulars	Year ended 31.03.15	Year ended 31.03.14
a.	Segment Revenue		
	1. Treasury Operations	7375.64	6323.29
	2. Retail Banking Operations	7885.76	6981.53
	3. Wholesale Banking Operations	13114.97	13094.00
	4. Other Banking Operations	-	-
	5. Unallocated	-	10.87
	Total	28376.37	26409.69
b.	Segment Results		
	1. Treasury Operations	824.61	307.88
	2. Retail Banking Operations	311.18	917.25
	3. Wholesale Banking Operations	(52.28)	(2048.52)
	4. Other Banking Operations	-	-
	Total	1083.51	(823.39)
c.	Unallocated Income/ (Expenses)	(125.82)	(114.14)
d.	Operating Profit	957.69	937.53
e.	Income Tax	291.63	275.84
f.	Net Profit	666.06	(1213.37)
	Other Information		
g.	Segment Assets		
	1. Treasury Operations	109736.17	100820.38
	2. Retail Banking Operations	77570.07	66147.31
	3. Wholesale Banking Operations	120997.18	118749.13
	4. Other Banking Operations	-	-
	5. Unallocated Assets	4462.39	4377.82
	Total	312765.81	290094.64
h.	Segment Liabilities		
	1. Treasury Operations	109916.82	101081.13
	2. Retail Banking Operations	72176.64	61531.48
	3. Wholesale Banking Operations	112794.64	110844.41
	4. Other Banking Operations	-	-
	5. Unallocated Liabilities	110.01	596.60
	6. Capital employed	17767.70	16041.02
	Total	312765.81	290094.64

- i) As per the revised guidelines of Reserve Bank of India, the Bank has recognized Treasury Operations, Corporate/ Wholesale Banking, Retail Banking and Other Banking Business as Primary Reporting Segments. There are no Secondary Reporting Segments.
- ii) Treasury Operations include dealing in Government and Other Securities, Money Market operations and Forex operations.
- iii) The Retail Banking Segment consists of all exposures upto a limit of ₹ 5 crore (including Fund Based and Non Fund Based exposures) subject to orientation, product, granularity criteria and individual exposures
- iv) The Corporate/ Wholesale Segment consist of all advances to Trusts/ Partnership Firms, Companies and statutory bodies, which are not included under Retail Banking.
- v) The other Banking Segment includes all other Banking operations not covered under the above three categories.
- vi) General Banking operations are the main resource mobilizing unit and Treasury Segment compensates the former for funds lent to it by taking into consideration the average funds used.
- vii) Allocation of Costs:
 - a. Expenses directly attributable to a particular segment are allocated to the relative segment
 - b. Expenses not directly attributable to a specific segment are allocated on rational basis.

5.5 Related Party disclosures as per Accounting Standard 18 – Related Party
1 List of Related Parties:
a. Key Managerial Personnel

Name	Designation
Mr. Rajeev Rishi	Chairman & Managing Director
Mr. R.K. Goyal	Executive Director
Mr. Animesh Chauhan (from 05/08/2013 to 31.12.2014)	Executive Director
Mr. B.K.Divakara	Executive Director
Mr.R.C. Lodha (from 11/03/2015)	Executive Director

b. Subsidiaries –

- i. Cent Bank Home Finance Ltd.
- ii. Cent Bank Financial & Custodial Services Ltd.

c. Associates
(I) Regional Rural Banks-

- i) Central Madhya Pradesh Gramin Bank, Chhindwara
- ii) Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur
- iii) Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar

(II) Indo-Zambia Bank Ltd, Lusaka (Zambia)
2. Transactions with Related Parties:

(₹ in crore)

a. Item	Key Management Personnel	
	2014-15	2013-14
Remuneration paid	0.92	0.81

b. Statement of Related Parties Transaction

(₹ in crore)

S. No.	Related Parties	As on	Outstanding		Participation under Inter Bank Participatory Credit (IBPC)				Dividend Income
			Loan	Investment	Sale of Direct Agri. Assets to Sponsor Bank		Purchase of Non Priority Sector Portfolio from Sponsor Bank		
					Amt.	Intt. Paid	Amt.	Intt. received	
1) Subsidiaries		31.03.15	150.43	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42
		31.03.14	21.52	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79
2) Associates		31.03.15	664.58	324.60	0.00	97.92	0.00	112.25	0.00
		31.03.14	604.80	277.77	2200.00	13.29	2200.00	15.23	0.00

- c. No disclosure is required in respect of related parties, which are state controlled enterprises as per Paragraph 9 of AS-18. Further, in terms of Paragraph 5 of AS-18, transactions in the nature of banker-customer relationship have not been disclosed including those with Key Managerial Personnel & relatives of Key Managerial Personnel.

5.6 Accounting Standard 20 – Earnings per Share of the Group

Earnings per share as per AS 20 has been arrived at as follows:

	31.03.2015	31.03.2014
Net Profit after Tax available for Equity Share Holder (₹ in Crore)	666.06	(1213.37)
Weighted Average number of Equity Share (No.)	1421571789	1137592631
Basic Earnings per Share (₹)	4.69	(10.67)
Diluted Earnings per Share (₹)	4.69	(10.67)
Nominal Value per Share (₹)	10	10


5.7 Accounting Standard 22 –Accounting for Taxes on Income (of the Group)

The Bank has recognized Deferred Tax Assets/ Liabilities.

Major components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

(₹ in Crore)

	31.03.2015	31.03.2014
Deferred Tax Assets		
Business Loss	-	575.14
Provision for Leave Encashment	148.43	154.63
Gratuity/Pension Fund contribution	5.52	-
Depreciation on Investments	87.61	-
Provisions for Loans and Advances/others	279.73	4.32
Depreciation on Fixed Assets	13.30	-
Total (A)	534.59	734.09
Deferred Tax Liability		
Depreciation on Fixed Assets	0.13	5.95
Interest accrued but not due on investments	607.12	562.21
Gratuity/Pension Fund contribution	-	17.35
Special Reserve u/s36(1)(viii) of I.T.Act 1961	34.61	33.99
Depreciation on Investments	-	706.89
Others	3.00	0.17
Total (B)	644.86	1326.56
Net Deferred Tax Liability	110.27	592.47

During the current year Cent Bank Home Finance Ltd. has created Deferred Tax Liability on Special Reserves maintained by Housing Finance Companies under section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961 towards compliance of the guidelines issued by NHB vide circular No. NHB(ND)/DRS/Policy Circular 65/2014-15 dated August 22, 2014

5.8 Accounting Standard – 28 –Impairment of Assets

A substantial portion of Bank's assets comprise financial assets to which Accounting Standard-28 on impairment of assets is not applicable. In the opinion of the management, there is no material impairment on Other Assets other than financial assets as at March 31, 2015, requiring recognition in terms of the Standard.

5.9 Accounting Standard – 29 on Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
1. Movement of Provision for claims not acknowledged as debts :

(₹ in crore)

Particulars	Opening Balance as on 01.04.2014	Provision made during the year	Provisions reversed/ adjusted	Closing Balance as on 31.3.2015
Contingencies Provisions against claim not acknowledged as debt	4.41	--	2.75	1.66

6 As per the information compiled by the Management, the Vendors, whose services are utilized and from whom purchases were made by the Bank, are not registered under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006. This is relied upon by the Auditors.

7 Implementation of the Guidelines on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management and Cyber Frauds

The bank has formulated policies on Cyber Frauds in CBS system as per RBI circular RBI/2010-11/494 DBS.CO.ITC. BC.No.6/31.02.008/2010-11 dated April 29, 2011. These policies are being reviewed by the management of the bank on periodical basis.

8 Previous year figures have been re-grouped/ re-classified wherever considered necessary to conform to current year's classification.



R.C. LODHA
Executive Director

B.K. DIVAKARA
Executive Director

R. K. GOYAL
Executive Director

RAJEEV RISHI
Chairman & Managing Director

SAURABH GARG
DIRECTOR

SHEKHAR BHATNAGAR
DIRECTOR

M. P. SHORAWALA
DIRECTOR

KRISHAN SETHI
DIRECTOR

Ms.N.S. RATHNAPRABHA
DIRECTOR

S. B. RODE
DIRECTOR

GURBAX KUMAR JOSHI
DIRECTOR

For KUMAR CHOPRA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000131N

For P.K. SUBRAMANIAM & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.004135S

For DOOGAR & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000561N

(CA R.K. AGGARWAL)
PARTNER
M.No.081510

(CA VEERABASANA GOUDA)
PARTNER
M.No. 208698

(CA MUKESH GOYAL)
PARTNER
M.No.081810

For N. SARKAR & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.301075E

For B.N.MISRA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.321095E

For CHANDABHOY & JASSOOBHOY
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No. 101647W

(CA G. MUKHOPADHYAY)
PARTNER
M.No.010534

(CA B.N. MISRA)
PARTNER
M.No.083927

(CA AMBESH A. DAVE)
PARTNER
M.No.049289

Place: Delhi

Date: May 25, 2015


CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2015

(₹ In Crore)

Sn	Particulars	31- 03- 2015	31-03-2014
A	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
	Net Profit before taxes	909.93	(975.67)
I	Adjustments for:		
	Depreciation on fixed assets	229.62	208.81
	Depreciation on investments (including on matured debentures)	(18.56)	256.56
	Bad Debts written off/Provision in respect of non performing assets	2,061.98	3,291.16
	Provision for Standard Assets	588.55	690.10
	Provision for Other items (Net)	38.18	(5.62)
	Interest on Income Tax (net)	-	(10.87)
	Profit / Loss on sale of fixed assets (Net)	0.64	1.19
	Payment/ provision for interest on subordinated debt (treated separately)	696.03	642.26
	Loss on redemption of investment	-	0.01
	Interest on JNY coupens	-	5.17
	Sub total	4,506.37	4,103.10
II	Adjustments for :		
	Increase / (Decrease) in Deposits	15,597.07	14,125.44
	Increase / (Decrease) in Borrowings	3,962.03	3,741.26
	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	1,853.26	2,760.79
	(Increase) / Decrease in Advances	(13,963.45)	(9,429.83)
	(Increase) / Decrease in Investments	(9,379.63)	(13,778.82)
	(Increase) / Decrease in Other Assets	665.80	(3,301.86)
	Direct Taxes paid (Net of Refund etc)	(967.74)	(709.80)
	Net Cash from operating activities (A)	(2,232.66)	(6,592.82)
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES	2,273.71	(2,489.72)
B	CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
	Sale / Disposal of Fixed Assets	815.27	49.51
	Purchase of Fixed Assets	(1,100.11)	(405.14)
	Investment in RRBs/Associates	(46.83)	(13.41)
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES	(331.67)	(369.04)
C	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
	Share Capital	1,207.85	1,801.90
	Dividend - Equity shares Including Interim Dividend	(1.34)	(1.22)
	Dividend Tax	(0.81)	(0.65)
	Interest on JNY Swap coupon	-	(5.17)
	Interest on Subordinated Debt	(696.03)	(642.26)
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES	509.67	1,152.60



D	Net increase in cash & cash equivalents (A + B + C) or (F - E)	2,451.71	(1,706.16)
E	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
	Cash and Bank Balance with RBI	11,926.63	13,560.17
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	459.69	532.31
	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year	12,386.32	14,092.48
F	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		
	Cash and Bank Balance with RBI	14,116.37	11,926.63
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	721.66	459.69
	Net cash and cash equivalents at the end of the year	14,838.03	12,386.32

R.C. LODHA
Executive Director

B.K. DIVAKARA
Executive Director

R. K. GOYAL
Executive Director

RAJEEV RISHI
Chairman & Managing Director

For KUMAR CHOPRA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000131N

For P.K. SUBRAMANIAM & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.004135S

For DOOGAR & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000561N

(CA R.K. AGGARWAL)
PARTNER
M.No.081510

(CA VEERABASANA GOUDA)
PARTNER
M.No. 208698

(CA MUKESH GOYAL)
PARTNER
M.No.081810

For N. SARKAR & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.301075E

For B.N.MISRA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.321095E

For CHANDABHOY & JASSOOBHOY
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No. 101647W

(CA G. MUKHOPADHYAY)
PARTNER
M.No.010534

(CA B.N. MISRA)
PARTNER
M.No.083927

(CA AMBESH A. DAVE)
PARTNER
M.No.049289

Place: Delhi

Date: May 25, 2015



Central Bank of India

Head Office : Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400021

FORM 'B'

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the shareholder)

8th Annual General Meeting

Folio No. or DP Id # / Client-Id #	
No. of Shares held	

I/We, _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ being a shareholder /shareholders of Central bank of India hereby appoint Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ or failing him/her, Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the 8th ANNUAL GENERAL MEETING of the shareholders of **CENTRAL BANK OF INDIA** to be held on Tuesday, 30th June, 2015 at 11.00 AM at Sir Sorabji Pochkhanawala Banker's Training College, Nr. Cooper Hospital/Reliance Energy Office, JVPD Scheme, Vile Parle (West), Mumbai – 400 056 and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2015.

Signature of the Proxy _____

Please
affix
revenue
stamp

Signature of the first named/ sole Shareholder

Name _____
(in Block Letters)

Address _____



INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless:
 - a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him or by his/her attorney duly authorised in writing.
 - b) In case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the Register of Members or by his/her attorney, duly authorised in writing.
 - c) In the case of a body corporate, it is signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
2. An instrument of Proxy shall be sufficiently signed by any shareholders who is for any reason , unable to write his/her name, if his/her thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an officer of Central Bank of India.
3. No Proxy shall be valid unless it is duly stamped and is deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai, 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 PM on 25th June, 2015, together with the Power of Attorney or other Authority (if any) under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other Authority Certified as True Copy by a Notary Public or a Magistrate unless such a Power of Attorney or any other Authority is previously deposited and registered with the Bank.
4. An instrument of Proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
5. In the case of an instrument of Proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
6. The shareholders who have executed an instrument of Proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
7. No person shall be appointed a duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of the Bank.
8. All alterations in the Proxy Form should be duly initialed by the executant.
9. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in 'Form B'.

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया

प्रधान कार्यालय: चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021

Central Bank of India

Head Office : Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400021

उपस्थिति पर्ची ATTENDANCE SLIP

वार्षिक सामान्य बैठक, मंगलवार, दिनांक 30 जून, 2015

Annual General Meeting – Tuesday, 30th June, 2015

पंजीकृत पन्ना / डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी/ शेयरों की संख्या Regd. Folio/DPID & Client ID/No. of Shares	
सदस्य का नाम एवं पता (स्पष्ट अक्षरों में) Name and address of the Member (In Block Letters)	
संयुक्त धारक Joint Holders	
उपस्थित प्रॉक्सीधारक/ प्रतिनिधि का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) (यदि कोई हो) Name of the Proxy-holder/Representative Present in Block Letters (if any)	

उपस्थित सदस्य/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
Signature of the Member/Proxy/ Representative Present

दिन और दिनांक Day and Date	मंगलवार, दिनांक 30 जून, 2015 Tuesday, 30 th June, 2015
स्थान	सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज कूपर अस्पताल/रिलायंस एनर्जी कार्यालय के पास, जेवीपीडी स्कीम, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई 400 056 Sir Sorabji Pochkhanawala Banker's Training College, Nr. Cooper Hospital/Reliance Energy Office, JVPD Scheme, Vile Parle (West), Mumbai – 400 056

प्रवेश पास Entry Pass

(बैठक के दौरान पूरे समय अपने पास रखें / To be retained throughout the meeting)

पंजीकृत पन्ना क्रमांक या डीपी आईडी / ग्राहक आईडी शेयरों की संख्या Regd. Folio/DPID & Client ID/No. of Shares	
सदस्य का नाम Name of Member	
शेयरों की संख्या No. of Shares	

उपस्थित सदस्य/प्रॉक्सी/ प्रतिनिधि का नाम एवं हस्ताक्षर
Name and signature of attending Member/
Proxy/Authorised Representative Presentबैंक की मुहर एवं हस्ताक्षर
Bank Stamp and Signature



शेयरधारकों/ प्रॉक्सी धारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे मीटिंग हाल में प्रवेश करने के लिए इस उपस्थिति सह-प्रवेशपत्र पास पर विधिवत हस्ताक्षर कर इसे प्रस्तुत करें. प्रवेश पास का हिस्सा शेयरधारकों/ प्रॉक्सी धारकों/प्रतिनिधियों को वापस किया जाएगा, जो मीटिंग के समापन तक इसे अपने पास रखेंगे. तदापि आवश्यक समझे जाने वाले सत्यापन/जांच के आधार पर ही प्रवेश अनुमत होगा. किसी भी परिस्थिति में मीटिंग हाल में प्रवेश हेतु डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास जारी नहीं किया जाएगा.

Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to produce this Attendance-slip-cum-Entry pass duly signed, for admission to the venue. The Entry pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy holders/ Authorised Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission will, however, be subject to verification/ checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate Attendance slip-cum-Entry pass will be issued at the entrance to the meeting hall.



वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2014-15

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
केन्द्रीय कार्यालय : चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021. महाराष्ट्र
CENTRAL BANK OF INDIA
Central Office : Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400 021. Maharashtra



www.centralbankofindia.co.in
like us on facebook - <https://www.facebook.com/centralbankofindiamumbai>
follow us on twitter - https://twitter.com/centralbank_in